सप्तम माला, खंड 50, अंक 13, बुधवार, 8 अगस्त, 1984/17 श्रावण, 1906 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 50 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 8 अगस्त, 1984/17 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

---

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 6, "तारांकित" के स्थान पर "तारांकित" और "360" के स्थान पर "260" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 7, "तारांकित" के स्थान पर "अतारांकित" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 10, "विधत्रकों" के स्थान पर "विधेयकों" पढ़िये।

विषय सूची, पृष्ठ (i), अंतिम पंक्ति तथा पृष्ठ (iv), पंक्ति 4, "श्री अब्दुल रशोद काबुली" के स्थान पर "श्री अब्दुल रशीद काबुली" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति 11, "प्रतापगढ़ त" के स्थान पर "प्रतापगढ़ में" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (ii), "शासन" के स्थान पर "ज्ञापन" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 5, "श्री अटल बिहारी बाजपेयी". के स्थान पर "श्री अटल बिहारी वाजपेयी" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 22, "श्री मधुसूदन बैराले" के स्थान पर "श्री मधुसूदन बैराले" पढ़िये ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 8, "श्री रामजी राय" के स्थान पर "श्री रामजी राम" पढ़िये।

पृष्ठ 4, नीचे से पंक्ति 5, "श्री ई0बालानन्नन" के स्थान पर "श्री ई0बालानन्द पढ़िये ।

पृष्ठ 5, पंक्ति 8, अंत में ":-" के स्थान पर "।" लगाइये ।

पृष्ठ 8, अंतिम पंक्ति, "श्रीए0लालोहित हसन नाडार" के स्थान पर "श्री ए0नीलालोहितहसन नाडार" पढ़िये ।

पृष्ठ 10, पंक्ति 14, "श्री शगपाल सिंह" के स्थान पर "श्री जगपाल सिंह" पढ़िये ।

पृष्ठ 13, पंक्ति 17, "प्रश्च" के स्थान पर "प्रश्न" पढ़िये ।

पृष्ठ 13, पंक्ति 18, "श्री के0मूर्ति" के स्थान पर "श्री के0राममूर्ति" पढ़िये ।

पृष्ठ 15, अंतिम पंक्ति, "अध्यत्र महोदय" के स्थान पर "अध्यक्ष महोदय" पढ़िये।

पृष्ठ 16, नीचे से पंक्ति 8, "श्री अटल बिहारी बाजपेई" के स्थान पर "श्री अटल बिहारी वाजपेयी" पढ़िये ।

पृष्ठ 18, नीचे से पंक्ति 2, "नेरा" के स्थान पर "मेरा" पढ़िये ।

पृष्ठ 26, पंक्ति 15, "श्री एन0के0 पो0साल्वे" के स्थान पर "श्री एन0के0पी0 साल्वे" पढ़िये ।

पृष्ठ 37, पंक्ति 8, "श्री रामप्रसाद अहिरावर" के स्थान पर "श्री राम प्रसाद अहिरवार" पढ़िये ।

पृष्ठ 42, पंक्ति 9, "श्री जो0एम0उनातवाला" के स्थान पर "श्री जी0एम0 बनातवाला" पढ़िये ।

पृष्ठ 43, पंक्ति 18, "अ0प्र0संख्या "2467" के स्थान पर "2466" पढ़िये ।

पृष्ठ 52, पंक्ति 15 तारांकित में "8 अगस्त, 1984 को होने वाली सदन की बैठक के लिये" का लोप कीजिये ।

पृष्ठ 53, पंक्ति नीचे से 5, "एल्यमोनियम" के स्थान पर "एल्युमोनियम" पढ़िये

पृष्ठ 55, नीचे से पंक्ति 8, उपशीर्षक में "ग्रति घटा" के स्थान पर "प्रति घंटा" पढ़िये ।

पृष्ठ 58, पंक्ति 15, "श्रीमती माधरी सिंह" के स्थान पर "श्रीमती माधुरी सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 61, पंक्ति 2 शीर्षक में "खेत" के स्थान पर "तेल" पढ़िये।

पृष्ठ 64, पंक्ति 2, अं0प्र0संख्या "2495" के स्थान पर "2485" पढ़िये।

पृष्ठ 64, अंतिम पंक्ति "श्री वी0वी0देसाई" के स्थान पर "श्री बी0वी0 देसाई" पढ़िये।

पृष्ठ 77, नीचे से पंक्ति 3, "श्रीमती राजदुलारी सिन्हा" के स्थान पर "श्रीमती राम दुलारी सिन्हा" पढ़िये।

पृष्ठ 77, अंतिम पंक्ति, "जबलपुर" के स्थान पर "ज्वालापुर" पढ़िये।

पृष्ठ 83, पंक्ति 1 और 3, "ब्लैक" के स्थान पर "ब्लैन्क" पढ़िये।

पृष्ठ 91, पंक्ति 19, "श्री उत्तमभाई चच0 पनेल" के स्थान पर "श्री उत्तम भाई एच0पटेल" पढ़िये।

पृष्ठ 100, पंक्ति 7, ""2525·श्री शिबु सौरन" के स्थान पर "2526·श्री शिबु सोरन" पढ़िये।

पृष्ठ 125, पंक्ति 14, "प्रदेश शुल्क" के स्थान पर "प्रवेश शुल्क" पढ़िये।

पृष्ठ 135, पंक्ति 13 तथा 26, "श्री मूल चन्द डा'गा" के स्थान पर "श्री मूल चन्द डागा" पढ़िये।

पृष्ठ 145, पंक्ति नीचे से 2, "श्रीम्यो" के स्थान पर "श्रीमती" पढ़िये।

पृष्ठ 147, पंक्ति 15, "श्री भोखा भाइ" के स्थान पर "श्री भोखा भाई" पढ़िये।

पृष्ठ 148, पंक्ति नीचे से 6, "के वित्तीय" के स्थान पर "के लिये वित्तीय" पढ़िये।

पृष्ठ 156, पंक्ति नीचे से 5, अ0प्र0सं0 "2593" के स्थान पर "2574" पढ़िये।

पृष्ठ 159, पंक्ति 12, "श्री दिग्विजय सिंह" के स्थान पर "श्री दिग्विजय सिंह" (क) से (घ): पढ़िये।

पृष्ठ 167, पंक्ति 9, "कस्तूर" के स्थान पर "कस्तूरी" पढ़िये।

पृष्ठ 173, पंक्ति 4, "(डिंडोगलो)" के स्थान पर "(डिन्डिगल)" पढ़िये।

पृष्ठ 199, पंक्ति 5, "प्र0मधु दंडवते" के स्थान पर "प्रो0 मधु दंडवते" पढ़िये।

पृष्ठ 227, पंक्ति 8, "समप्रदायिकता" और सामप्रदायिक" के स्थान पर क्रमशः "साम्प्रदायिकता" और "साम्प्रदायिक" पढ़िये।

पृष्ठ 233, पंक्ति 4, "श्री पी0वी0नरशिंह राव" के स्थान पर "श्री पी0वी0 नरसिंह राव" पढ़िये।

पृष्ठ 245, पंक्ति 7, "श्री के0टी0कोसलकाम" के स्थान पर "श्री के0टी0 कोसलराम" पढ़िये।

पृष्ठ 248, पंक्ति 4, "श्री के0मायातेवर डिन्डिगल" के स्थान पर "श्री के0मायातेवर (डिन्डिगल)" पढ़िये।

पृष्ठ 250, पंक्ति 2, "श्री रशोद मुशोद" के स्थान पर "श्री रशोद मसूद" पढ़िये।

पृष्ठ 262, पंक्ति 12, "श्री सुचलापल्ली वेंचालय्या" के स्थान पर "श्री पुचालापल्ली वेंचालैया" पढ़िये।

पृष्ठ 271, पंक्ति 21, "मैं एक और" के स्थान पर "मैं एक और बात" पढ़िये।

पृष्ठ 289, पंक्ति 16, "6·59अ0प0" के स्थान पर "6·59 म0प0" पढ़िये।

पृष्ठ 304, नीचे से पंक्ति 6, "डा0सुब्रह्मण्यम स्वामी" के स्थान पर "डा0सुब्रह्मण्यम स्वामी" पढ़िये।

पृष्ठ 305, नीचे से पंक्ति 8, "श्री इब्राहोम सुलेमान रोट" के स्थान पर "श्री इब्राहोम सुलेमान सेट" पढ़िये।

पृष्ठ 315, पंक्ति 5, "डा0सुब्रह्मण्यम" के स्थान पर "डा0सुब्रह्मण्यम स्वामी" पढ़िये।

पृष्ठ 329, पंक्ति 12, पृष्ठ 330, पंक्ति 6, पृष्ठ 331, पंक्ति 7, पृष्ठ 333, पंक्ति 7, "श्री इब्राहिम सुलेमान सेट" के स्थान पर "श्री इब्राहोम सुलेमान सेट" पढ़िये।

पृष्ठ 331, पंक्ति 1, "नील्लोदितदसन" के स्थान पर "नीलालोहितदसन" पढ़िये।

पृष्ठ 338, नीचे से पंक्ति 4, "अध्यक्ष महोदय" के स्थान पर "उपाध्यक्ष महोदय पढ़िये।

# विषय-सूची

अंक 13, बुधवार, 8 अगस्त, 1984/17 श्रावण, 1906 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **नधन सम्बन्धी उल्लेख** | 1 |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | 2—22 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 248 से 252 | |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | 23—35 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 253 से 360 और 262 से 268 | |
| तारांकित प्रश्न संख्या : 2457 से 2477, 2479 से 2514 और 2516 से 2610 | 35—173 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 173—174 |
| **राज्य सभा से संदेश** | 174—175 |
| **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति** | 175—178 |
| 79वां प्रतिवेदन | |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 178—185 |
| (एक) नर्मदा-क्षिप्रा-चम्बल परियोजना का कार्यान्वयन | |
| श्री सत्यनारायण जटिया | 178—179 |
| (दो) पर्यटकों की संख्या में कमी होने के कारण प्रभावित हुए जम्मू और कश्मीर के लोगों को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दिये जाने की आवश्यकता | |
| श्री अब्दुल रसीद काबुली | 179—180 |


*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(तीन) गोरखपुर में प्रस्तावित रेल सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना

श्री हरिकेश बहादुर 180

(चार) हिमाचल प्रदेश में एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की मांग

प्रो० नारायण चन्द पराशर 180

(पांच) त्रिवेन्द्रम-बोंगाईगांव एक्सप्रेस रेलगाड़ी को गोहाटी तक बढ़ाया जाना

श्री वी० एस० विजयराघवन 180—181

(छह) उड़ीसा में पर्यटन का विकास

श्री चिंतामणि पाणिग्रही 181—182

(सात) इलाहाबाद-मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में वर्षा न होने के कारण पैदा हुई सूखे की स्थिति

श्री बी० डी० सिंह 181—182

(आठ) पटना में खाना पकाने की गैस की कमी

श्री रामावतार शास्त्री 182—183

(नौ) पाली (राजस्थान) में एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा 183

(दस) कलामण्डलम को पर्यटक केन्द्र घोषित करने और वहां पर एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

श्री ए० के० बालन 183—183

(ग्यारह) क्षय रोग के पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि तथा और अधिक क्षय रोग चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता

श्री भीखाभाई 184—185

**आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी शासन के बारे में प्रस्ताव** 185—223

श्री प्रणब मुखर्जी 185

प्रो० मधु दंडवते 185

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी 199

श्री सोमनाथ चटर्जी 213

देश के विभिन्न भागों में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा 224

श्री अटल बिहारी बाजपेयी 224

श्री जैनुल बशर 234

श्री एम० एम० लारेंस 242

श्री आर० आर० भोले 251

श्री रशीद मसूद 250

श्री के० एस० नारायण 259

श्री रतन सिंह राजदा 252

श्री भेरावदन के० गधावी 268

श्री सी० टी० दंडपाणि 272

श्री कमालुद्दीन अहमद 277

श्री नारायण चौबे 279

श्री एडुआर्डो फैलेरो 284

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् 287

श्रीमती विद्या चेन्नुपति 292

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार 295

श्री आचार्य भगवान देव 298

श्री ए० के० राय 301

श्री मधुसूदन बैराले 304

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ 305

| | |
|---|---|
| श्री जमीलुर्रहमान | 311 |
| डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी | 314 |
| श्री उत्तम राठौर | 317 |
| श्री अब्दुल रसीद काबुली | 320 |
| श्री पी० वी० नरसिंहराव | 324 |
| श्री लंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य | 247 |
| श्री राम निवास मिर्धा | 247 |

# लोक सभा

**बुधवार, 8 अगस्त 1984/17 श्रावण 1906 (शक)**

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

---

**श्री हरिकेश बहादुर :** फिल्म खींचने के बारे में क्या हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** अच्छा, इसीलिए आज आप इतना सज धज कर आए हैं ?

---

## निधन संबंधी उल्लेख

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सभा को श्री रामजी राय जो 1967-77 के दौरान चौथी तथा पांचवीं लोकसभा के सदस्य थे तथा जो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, के निधन की सूचना देता हूं। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्तमान सदस्य थे।

लोक सभा का सदस्य बनने से पहले उन्होंने 1957 में नगरपालिका, टान्डा में काम किया था।

एक योग्य सांसद होने के नाते उन्होंने सभा की कार्यवाही में बहुत रुचि दिखाई और समाज के पद दलितों तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनथक कार्य किया।

एक सुप्रसिद्ध राजनैतिक तथा सामाजिक कार्यकर्त्ता होने के नाते वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध थे।

श्री रामजी की 18 जुलाई 1948 को हुई एक जीप दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनकी आयु 53 वर्ष की थी।

हमें अपने मित्र के निधन पर बहुत दुख है और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को अपनी सम्वेदना प्रकट करने में सभा मेरे साथ शामिल होगी।

सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन खड़ी हो।

**तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे।**

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### देश में डिजिटल टेलीकाम स्विचिंग प्रणाली का विकास

*248. श्री धर्मदास शास्त्री
श्री के० लकप्पा } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या "नेशनल सेण्टर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स" द्वारा देश में डिजिटल टेलीकाम स्विचिंग प्रणाली का विकास किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रणाली के कब तक विकसित कर लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इसकी व्यवहार्यता के बारे में भारी सन्देह है; और

(घ) नई प्रणाली से देश में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को किस सीमा तक बेहतर सेवा प्रदान करना सुनिश्चित हो सकेगा ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा०एम० एस० संजीवी राव)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

### विवरण

(क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987 के मध्य तक प्रणाली का विकास किए जाने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्वदेश में विकसित प्रणाली में सूक्ष्म तथा जटिल किस्म के अनुरक्षण संबंधी सहायक उपकरण समाविष्ट होंगे जो इसकी परीक्षण तथा निगरानी संबंधी सुविधाओं में अभिवृद्धि करेंगे और टेलीफोन के प्रयोगकर्ताओं की संतुष्टि की मात्रा में बढ़ोतरी लाने की दिशा में इनका अप्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगा। इस प्रणाली के फलस्वरूप समन्वित रूप से दूरसंचार एवं कम्प्यूटर (टेलीमेटिक्स) की उभरती हुई सेवाओं को चेरफबद्ध रूप से शीघ्र लागू करने में भी सहायता मिलेगी और क्रमिक रूप से संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

**श्री धर्मदास शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को उनके नये चमत्कार और उनके नये प्रयोग के लिए बधाई देता हूं। हमारे राष्ट्र में डिजिटल टेलीकाम स्विचिंग सिस्टम से एक रेवोल्यूशन लाने का जो प्रयास और प्रयोग वह कर रहे हैं उसका हम सारे देश के लोग स्वागत करते हैं और मंत्री महोदय का भी स्वागत करते हैं। मैं जानता हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 36 करोड़ रुपया खर्च होना है उसमें उन्होंने क्या आवजेक्टिव रखा है, किन किन देशों में उन्होंने यह

प्रयोग किया है और कामयाब रहे हैं और उनकी कामयाबी का रिजल्ट क्या रहा है ? यह नेशनल सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स जो है उसने क्या क्या प्रयोग किए हैं जिसके आधार पर इनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया गया और उसकी क्या गारन्टी है, यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

**डा० एम० एस० संजीवी राव :** नेशनल सेन्टर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स की स्थापना इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली के अनुसन्धान, डिजाइन बनाने, विकास तथा निर्माण करने, स्थापना करने, परीक्षण तथा चालू करने के मुख्य उद्देश्य से की गई है। हमारा इस संस्थान में 250 व्यावसायिक अभियन्ता तथा 100 सहायक कर्मचारी रखने का प्रस्ताव है। अपने माननीय मित्र के प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि यूरोपीय देशों के बहु राष्ट्रीय कंपनियों जैसे आई० टी० टी० और सीमेंस और अन्य अनेकों ने इस इलैक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का विकास किया है। इसमें संदेह नहीं है कि इसमें उनके अनेक वर्ष तथा बहुत अधिक धन लगा। हमारी सुदृढ़ स्थिति इसी क्षेत्र में है, विशेष रूप से सौफ्ट वेयर के विकास में आपकी जानकारी के लिए मैं यह करा दूं कि यह इलैक्ट्रानिक डिजिटल स्विचिंग प्रणाली आवश्यक रूप से कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित है। इस प्रणाली के विकास का 50 प्रतिशत भाग कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर आधारित है। यह साफ्टवेयर हमारी शक्ति है। सौफ्टवेयर को विकसित करने में, तो इसका 50 प्रतिशत है, उच्च योग्यता वाले प्रौद्योगिकीविज्ञों की आवश्यकता होगी जो हमारे देश में हैं। हमारे ही देश में तैयार हुए इलैक्ट्रानिक इंजीनियरों पर अन्य देशों की अपेक्षा 7 से 10 गुना अधिक खर्च आयेगा। अतः हमें विश्वास है कि हमारे अभियन्ता को 36 महीनों में काम कर लेंगे।

**श्री धर्मदास शास्त्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने भारतीय टैकनीशियन्स इसमें इनवाल्वड हैं और वे प्रयास में कहां तक सफल हुए हैं ?

**डा० एम० एस० संजीवी राव :** महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। हमारा 250 व्यावसायिक अभियन्ताओं को लेने का प्रस्ताव है, परन्तु इस समय हमारे पास लगभग 40 अभियन्ता हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रणाली, जिसे एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क प्रणाली कहा जाता है, अन्त में बहुत सफलतापूर्वक हमारे देश में प्रारम्भ हो जाएगी।

**श्री के० लक्कप्पा :** अध्यक्ष महोदय, भारत राष्ट्रों के समुदाय में वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित देशों में से एक है। परन्तु जहां तक दूर संचार प्रणाली का सम्बन्ध है, हम बहुत पीछे हैं। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया कि नैशनल सेण्टर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स को तीन वर्षों में 36 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल तथा इलैक्ट्रानिक दूर संचार प्रणाली का विकास करना है। एक भारतीय राष्ट्रिक श्री एस०जी० पितरोदा ने भी यह कहा कि इस प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा क्योंकि यह हमारे भारतीय वैज्ञानिक अभियन्ताओं के साथ इस सुविज्ञता का प्रयोग कर रहे हैं। यह बताया गया कि टेलीमेटिक्स प्रणाली ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और 36 महीनों के प्रस्तावित समय में पहली यूनिट के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। मैं उस प्रणाली के बारे में जानना चाहता हूं जिसने कार्य करना शुरू कर दिया है। मैं संरचनात्मक प्रणाली, उसके संचालन तथा कार्य प्रणाली के बारे में भी जानना चाहता हूं, जिसका प्रयोग किया जा रहा है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसमें हमारे भारतीय विशेषज्ञों को कहां तक शामिल किया जा रहा है और नई प्रौद्योगिकी को किस प्रकार विकसित किया जा रहा है। मैं इस कार्य पद्धति की पूर्ण प्रणाली के बारे में जानना चाहता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने समय में इस सम्पूर्ण अधुनातन प्रणाली का विकास होगा और देश में इसका प्रयोग शुरू हो जाएगा ताकि इस क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा सके।

**डा० एम० एस० संजीवी राव** : अध्यक्ष महोदय, में सम्मानीय सदन के ध्यान में कुछ मुख्य बातों का लाना चाहता हूं.....

**प्रो० मधु दण्डवते** : अगस्त के महीने में सम्माननीय सभा।

**डा० एम० एस० संजीवी राव** : अब, हम इलैक्ट्रो मैकेनिकल प्रणाली द्वारा 1.4 लाख लाइनें तथा क्रोस-बार प्रणाली की 1.9 लाख लाइनें तैयार कर रहे हैं। यह दोनों पुरानी हैं। हाल ही में हमने गोंडा में पांच लाख लाइनों के लिए इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रमाली को शुरू करने का निर्णय लिया है। हमें बंगलौर में भी 5 लाख लाइनों की व्यवस्था हो जाने की आशा है। इसके लिए 1980 से 1985 के बीच हम 340 करोड़ रु० की लागत से लगभग 11.5 लाख लाइनों का आयात करेंगे।

इसके अतिरिक्त 1985-90 में हम 600 करोड़ रु० की लागत से 20.6 लाख लाइनों का आयात करेंगे। अत: आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि हम वर्तमान उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कितने प्रयास करने होंगे। इस पृष्ठभूमि के आधार पर हमने यह सही निर्णय लिया है कि फ्रांस से प्रौद्योगिकी खरीदने के अतिरिक्त, हम भारतीय स्थितियों के लिए उपयुक्त अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहते हैं।

उस प्रश्न के सम्बन्ध में जो उन्होंने उठाया है, मैं इस सम्माननीय सदन को यह बताते हुए बहुत गौरव अनुभव कर रहा हूं कि सम्पूर्ण तकनीकी कार्मिक भारतीय होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम संयुक्त राज्य अमरीका में रहने वाले बहुत सुयोग्य भारतीय मूल के राष्ट्रिकों जैसे श्री पितरौदा तथा अन्य अनेक व्यक्तियों से लाभ उठाएंगे, तथा यदि आवश्यक हुआ तो कुछ अपरिष्कृत प्रौद्योगिकी खरीदेंगे, और मैं इस सदन को आश्वासन दे सकता हूं, हमने इसी प्रकार का अच्छा कार्य किया है। उदाहरणतय: बंगलौर में एल० आर० डी० ई० तथा टाटा इन्सटीटयूट आफ फन्डामैंटल रिसर्च ने हाल ही में सेना के लिए स्वचालित इलैक्ट्रानिक स्विचिंग का विकास किया है जो इसके साथ ही साथ टेलीफोन, टेलीप्रिन्टर तथा हजारों लाइनों के लिए दूर संचार आंकड़ों का संचालन कर सकती है। हमारे पास विशेषज्ञता हैं और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि हम काम कर सकेंगे।

**श्री ई० बालानन्नन** : महोदय, हमें खुशी है कि हम अपने ही देश में इस प्रणाली का विकास कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रणाली के लिए कौन से विदेशी उपकरणों की आवश्यकता होगी जबकि हम इसे शुरू करने जा रहे हैं? कितने प्रतिशत विदेशी उपकरणों की आवश्यकता है?

**डा० एम० एस० संजीवी राव** : जब हम प्रणाली का विकास कर रहे हैं तो मैं विदेशी उपकरणों के बारे में किस प्रकार बता सकता हूं? परन्तु इसके साथ ही स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित

करने के बारे में तथ्य, विदेशी तकनीक के विपरीत, बताने हेतु उदाहरण के लिए, फ्रांस में पांच लाख लाइनों के निर्माण के लिए सी० आई० टी० अलकोटल प्रौद्योगिकी के लिए, हम 180 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरणों का आयात करेंगे। यही एक कारण है कि हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहते हैं ताकि हम न केवल स्वदेशी उपकरणों जैसे रेजीसटैंस कैपेसीटेटर का प्रयोग कर सकेंगे अपितु चण्डीगढ़ में एक व्यापक एकीकृत सरकिट फैक्टरी का भी प्रयोग कर सकेंगे।

(व्यवधान)

**डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी :** वह जानना चाहते हैं कि क्या यह समाजवादी प्रौद्योगिकी है अथवा साम्यवादी प्रौद्योगिकी:—

**दिल्ली पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत न करने पर अपराधी को रिहाई**

*249. **श्री पी० के० कोडियन**
**श्री बालासाहिब विखे पाटिल** } क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छ महीनों की सर्वाधिक अवधि के भीतर दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत न कर सकने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में घातक दुर्घटनाओं के अभियुक्तों सहित अनेक अभियुक्तों को बरी कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और दिल्ली पुलिस की इस गंभीर असफलता के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 21-2-1984 के निर्णय में कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (5) के अनुसार किसी सम्मन के मामले में जांच पड़ताल 6 महीने की अवधि में पूरी करनी होती है जब तक जांच पड़ताल की बढ़ाई गई अवधि को न्यायालय द्वारा प्राधिकृत न किया जाए। इस निर्णय के आधार पर दिल्ली में कुछ न्यायालयों द्वारा सड़क दुर्घटना के 494 मामलों में अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया है क्योंकि जांच पड़ताल 6 महीने की अवधि में पूरी नहीं की गई थी और जांच पड़ताल जारी रखने के लिए न्यायालय से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। चूंकि इन मामलों में न्यायालय में आरोप-पत्र काफी विलम्ब से दायर किए गए थे और उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में यह कहा गया है कि ऐसे मामलों को जारी रखना अमान्य नहीं होगा, इसलिए दिल्ली प्रशासन दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने का विचार कर रहा है।

(ग) इस दौरान पुलिस प्राधिकारियों को ऐसे सभी मामलों में न्यायालय से जांच पड़ताल के लिये समयवृद्धि मांगने के अनुदेश दिए जा रहे हैं जहां विशेष कारणों से निर्धारित अवधि में जांच पड़ताल करना कठिन है।

**श्री पी० के० कोडियन :** महोदय, विवरण में कहा गया है कि पुलिस द्वारा 6 माह की निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप-पत्र प्रस्तुत न कर सकने के कारण दिल्ली में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 494 मामलों में दोषी लोगों को रिहा कर दिया गया है। अब, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इतने अधिक मामलों में पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत न कर सकने का क्या कारण है। विवरण में बताया गया है कि पुलिस प्राधिकारियों को अनुदेश दिये जा रहे हैं कि ऐसे सभी मामलों में छानबीन के लिए न्यायालय से समय बढ़ाये जाने की मांग करें जिनमें किन्हीं विशेष कारणों की वजह से निर्धारित अवधि के भीतर छानबीन करना कठिन है। ऐसे कुछ एक मामले हो सकते हैं लेकिन पुलिस 494 मामलों में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रही है। इसका क्या कारण है और पुलिस की असफलता के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है।

**श्री पी० वेंकटसुब्बैया :** महोदय जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का सम्बन्ध है, यह एक अनिवार्य व्यवस्था है। छानबीन और आरोप-पत्र दाखिल करने सम्बन्धी यह कार्य 6 माह की अवधि में पूरा करना होता है और यदि इसमें कुछ विलम्ब हो जाया है तो वे समय अवधि बढ़ाये जाने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि चूंकि उन्होंने इस धारा के उपबन्धों का उलंघन किया है, इसलिए पुलिस द्वारा दायर सभी मामलों को उन्होंने रद्द कर दिया है। लेकिन एक अन्य उच्च न्यायालय का निर्णय भी है —मद्रास उच्च न्यायालय का— जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां चालान दाखिल कर दिये गये हैं और आगे की कार्रवाई चल रही है, इससे इस धारा विशेष का उलंघन नहीं होता। मेरे माननीय मित्र ने पूछा है कि छः माह से भी अधिक तक का समय लगने के क्या कारण हैं। कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां होती हैं और हमें उसका समाधान करना होता है।

**एक माननीय सदस्य :** ऐसी कौन सी कठिनाइयां हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** मैं पढ़ रहा हूं। आप इतने बेचैन क्यों हैं ? मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं ये कठिनाइयां गिनवाता हूं। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए।

एक कठिनाई यह है कि चालान करने से पूर्व विभिन्न एजेंसियों से रिपोर्टें इकट्ठी करनी होती हैं और उनकी जांच पड़ताल करनी होती है। इन रिपोर्टों में वाहन की तकनीकी जांच और चिकित्सा-कानूनी रिपोर्टों की प्राप्ति शामिल है। कुछ मामलों में इन रिपोर्टों को डाक्टरों के पास उनकी पुनः राय लेने के लिये भेजा गया है। दूसरी कठियाई है साक्षी उपलब्ध न होना और सड़क दुर्घटना के मामलों में गवाही देने के लिए साक्षियों की अनिच्छा। अधिकतर मामलों में साक्षी शिकार

नहीं बनना चाहते। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में साक्षियों द्वारा जांच पड़ताल और पूछताछ में अपने आपको सम्बद्ध करने के लिए सामान्यत: अनिच्छा ही होती है।

एक और बात भी है—दोषी व्यक्ति की पहचान करने के लिए पहचान परेड की व्यवस्था कराने में विलम्ब। यही कारण हैं। इसके बावजूद मैं इस बात से सहमत हूं कि पुलिस को समय अवधि बढ़वाने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन करना चाहिए था। इस मामले की जांच की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो हम मामले की जांच करेंगे और इस बारे में आवश्यक कार्यवाई की जायेगी।

**श्री पी० के० कोडियन** : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हूं। इन्होंने विलम्ब के लिए अनेक प्रशासनिक कारण गिनवाये हैं। ये प्रशासनिक कारण मंत्री जी, दिल्ली प्रशासन और पुलिस भली भांति जानती है। छानबीन पूरी करने और आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में आने वाली इन सभी प्रशासनिक कठिनाइयों को जानते हुए भी सरकार, दिल्ली प्रशासन और मंत्री जी भी इन कारणों को यथासम्भव समाप्त करने और आरोप-पत्र यथाशीघ्र प्रस्तुत करने में असफल क्यों रहे ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** महोदय, इसमें भी एक बचाव खंड है। ऐसे मामलों में, जिनमें वे छ: माह की अवधि में मुकदमा दायर नहीं कर सकते, जांच-पड़ताल प्राधिकारियों को आगे अवधि बढ़वाने के लिए मजिस्ट्रेट की विशिष्ट अनुमति लेनी होती है, जो इस मामले में नहीं ली गयी।

**श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : उन्होंने अनुमति क्यों नहीं ली ? (**व्यवधान**) क्यों ? आपने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है ?

**श्री वेंकट सुब्बैया** : मैं आपको बताता हूं। इन मामलों में आपने एक प्रश्न-चिन्ह लगाया है क्यों ? इसीलिए, मैं इस 'क्यों' की जांच कर रहा हूं। (**व्यवधान**) मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां तक इस धारा का सम्बन्ध है, मद्रास उच्च न्यायालय ने भी इसकी अलग व्यवस्था की है। लेकिन अब दिल्ली प्रशासन ने विशेष अनुमति के लिए आवेदन किया है। मद्रास उच्च न्यायालय का उद्धरण देते हुए हम विशेष अनुमति चाहते हैं और हम सर्वोच्च न्यायालय को आवेदन दे रहे हैं ताकि विशेष अनुमति दे दी जाये और इन सभी मामलों पर पुन: विचार शुरू किया जाये।

**श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : यह दूसरी चीज है। (**व्यवधान**) ये अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

**श्री पी० के० कोडियन** : महोदय, यह प्रश्न को टाल रहे हैं। प्रश्न यह था कि पुलिस की असफलता के लिए क्या कार्रवाई की गयी है ?

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये। श्रीमती दण्डवते सवाल करेंगी।

**श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : अध्यक्ष महोदय, जो अनुभव एक्सीडेंट केसेज के बारे में है, वैसे ही पहले भी इस सदन में डाउरी केसेज के बारे में कहा गया था कि पुलिस का कोआपरेशन जैसा होना

चाहिए, वह नहीं है और एक्यूज्ड के साथ उनकी सिम्पैथी बन जाता है मेरा कहना यह है कि एक टाइम लिमिट बना दीजिए एफ०आई०आर० लाज करने के लिए। हमने देखा है कि चार्जशीट में समय ज्यादा लग जाता है और कुछ लूपहोल्स जानबूझ कर छोड़ दिये जाते हैं, जिससे कोर्ट में केस जाने पर सफलता नहीं मिलती है और और एक्वीटल हो जाता है। अभी तक आपके पास कोई कानून नहीं है कोई कोड आफ कंडक्ट नहीं हैं और कोई नियम नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या आप इस प्रकार के नियम बनायेंगे, जिससे पुलिस ठीक प्रकार से काम कर सके और लोगों की सहायता कर सके।

**श्री पी० वेंकटसुब्बैया :** महोदय, मैंने पहले ही इस सदन के समक्ष अनुरोध किया है कि दो भिन्न-भिन्न न्यायालयों में दो अलग-अलग राय व्यक्त की गयों—एक दिल्ली उच्च न्यायालय और दूसरा मद्रास उच्च न्यायालय। मैं इस सम्बन्ध में मद्रास उच्च न्यायालय का हवाला दे रहा हूं।

(व्यवधान)

**डा० वसन्त कुमार पंडित :** आपको उनके प्रश्न का उत्तर देना है।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** प्रिय मित्र, मैं इसी प्रश्न पर आ रहा हूं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप इन्हें उत्तर क्यों नहीं देने देते ? श्रीमान, मैं आपको बीच में बोलने की अनुमति नहीं देता।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** ये इस तरह व्यवधान डालते रहेंगे। इन्हें तसल्ली नहीं है।(व्यवधान) मैं पर्दा नहीं डाल रहा हूं। इसी मामले में दिल्ली में भी एक मजिस्ट्रेट ने अनुमति दे दी है। महोदय, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद एक मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त के मामले की सुनवाई कर रहे हैं। यह बात है। निसन्देह, समय अवधि बढ़वाने के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन, इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। इसलिए, हम सर्वोच्च न्यायालय को अपील करने के लिए समुचित ध्यान दे रहे हैं। मुकदमा दायर करने वाले प्राधिकारियों द्वारा यदि जानबूझ कर कोई ढील-ढाल की जाती है तो उसकी जांच की जायेगी।

**अध्यक्ष महोदय :** इन्होंने कहा है कि विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाये, बस।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** महोदय, छः माह की समय-सीमा अनिवार्य है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(1) के अनुसार यह अनिवार्य है। कोई व्यक्ति छः माह की समय-सीमा से अधिक नहीं ले सकता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, कुछ असाधारण मामलों में जहां हम पूरा मुकदमा नहीं बना पायेंगे और चालान दायर नहीं कर पायेंगे, वहां यह भी व्यवस्था है कि हम समय-सीमा बढ़ाये जाने के लिए न्यायालय की अनुमति लें।

**श्री ए० लालोहित हसन नाडार :** इस मामले में अधिकारियों ने यह अनुमति भी नहीं मांगी है।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : इन सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया है और अनुपालन न किये जाने के कारणों की उन्होंने जांच नहीं की है। माननीय सदस्य द्वारा बतायी गयी जो भी त्रुटियां रही हों, हम इनकी जांच करेंगे। हमारा यह इरादा नहीं है कि इन लोगों को दण्ड न दिया जाये। वास्तव में, हमारी इच्छा ऐसी बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं जाता कि ये लोग तिल का ताड़ क्यों बना रहे हैं।

**भीकू राम जैन** : श्रीमान जी मंत्री महोदय ने दो उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों का उल्लेख किया है, मैं सम्मानपूर्वक केवल एक बात कहना चाहूंगा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (5) के अनुसार यह प्रयत्न किया जाता है कि अपराधी को किसी प्रकार की तकलीफ न हो तथा चालानों को छः महीने के भीतर दाखिल कर दिया गया हो। यह उस प्रकार के मामलों में आवश्यक नहीं है जो न्यायालयों के द्वारा रद्द कर दिये जाते हैं। यदि छः महीने के भीतर मामले न्यायालय के समक्ष नहीं रखे जाते हैं तो स्पष्ट रूप से इसका अर्थ होगा कि कानून की अवज्ञा की गई है। इसका स्पष्टतया अर्थ होगा कि पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं कर रही है। मैं मंत्री महोदय से केवल दुर्घटनाओं के मामले में ही नहीं अपितु अन्य मामलों में भी जानना चाहता हूं कि क्या यह धारा 167 (5) प्रवर्तनीय है। ऐसे बहुत से मामले हैं जो पुलिस के पास कई महीनों से पड़े हुए हैं और कई बार ये वर्षों से पड़े होते हैं। इससे अपराधी को संरक्षण मिल जाता है कि कोई भी ऐसा मामला जो छः महीने से ज्यादा अवधि का हो गया हो उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अतः सरकार यह देखने के लिए क्या कदम उठाएगी ? कि, जनसाधारण को उनके मामले छः महीने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करके तंग नहीं किया जाये ताकि लोगों के साथ पुलिस तथा न्यायालयों के हाथों अनावश्यक बुरा सलूक न किया जाए।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : इस अनुभव के साथ हम प्रशासन में सुधार लाएंगे। जो भी कोई कमियां हैं हम उनकी गम्भीरता से जांच कर रहे हैं।

**श्री भीकू राम जैन** : मैं केवल कानून के अनिवार्य उपबन्धों के बारे में कह रहा हूं। इसमें कोई कमी नहीं है।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : पुलिस तथा विभाग द्वारा कानून की व्यवस्था करने के अभिप्राय से इसमें एक कमी है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जहां तक इन बातों का संबंध है कि यदि इसमें कोई कमी है तो हम अवश्य प्रशासन में सुधार लाएंगे। इस अनुभव के साथ हम निश्चित रूप से मामले की जांच करेंगे और जहां तक सम्भव होगा हम इसे अवश्य करेंगे।

**श्री एन० के० शेजवलकर** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह देखकर या सुनकर हैरान हूं कि मंत्री महोदय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय का सहारा ले रहे हैं। वस्तुतः वह इस कानून के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय हो वह सभी निम्न न्यायालयों पर लागू होगा। मैं नहीं जानता कि वह कैसे एक मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के रवैये को उचित ठहराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इससे भिन्न तथा पूर्णतया गलत है। जब तक निर्णय को उलटा नहीं जाता यह लागू रहेगा।

इसके अलावा मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं है कि साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य रिपोर्ट आदि जैसे जो आधार दिये गये हैं वे औपचारिकताएं हैं जो कि हर मामले में पूरी की जानी होती हैं और धारा 167 में संशोधन करने का अभिप्राय यही था कि अनावश्यक झूठे मामलों को दाखिल न किया जाए और साधारण व्यक्ति को अनावश्यक रूप से तंग न किया जाए। इसीलिए छः महीने का समय रखा गया है। यही कानून है। मुझे डर है कि ये ऐसे मामले हैं जिनमें या तो जानबूझ कर फंसाया गया है या कोई हेरा-फेरी की जाती है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इन सब मामलों की गम्भीरता से जांच की जाए। वे इस बात की जांच करें कि प्रत्येक मामले में क्या हुआ है और उसके बाद इस बात का पता लगायेंगे कि वस्तुतः स्थिति क्या है। कृपया अनावश्यक रूप से इसका समर्थन करने का प्रयास न करें। यही मेरा उनसे अनुरोध है।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : इसीलिए मैंने कहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय से विशेष अनुमति मांग रहे हैं। यदि माननीय सदस्य विशेष मामलों की ओर ध्यान दिलाना चाहें तो हम निश्चित रूप से उनका अध्ययन करेंगे तथा आवश्यक कार्यवाई करेंगे।

**हवाई अड्डों पर जाली पारपत्रों की जांच**

*250. **श्री जगपाल सिंह**
**श्री राम किंकर** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों पर पारपत्रों की जांच करने की कोई व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो बड़ी संख्या में भारतीयों द्वारा विदेशों में जाने के लिए जाली पारपत्रों के उपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया)** : (क) और (ख) हवाई अड्डों पर आप्रवासन अधिकारियों द्वारा विदेश जाने वाले सभी व्यक्तियों के पारपत्रों की जांच की जाती है और मोहर लगाई जाती है। यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि बड़ी संख्या में जाली भारतीय पारपत्र बनाये जा रहे हैं।

**श्री जगपाल सिंह** : अध्यक्ष जी, मेरा जो ओरिजिनल सवाल था उसमें मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि हिन्दुस्तान के नौजवान लड़के और लड़किया रोजगार की तलाश में खास तौर से अरैबियन कन्ट्रीज में जो जा रहे हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और मैंने उस कन्ट्री का नाम लेकर भी पूछा था कि देश में कुछ लोग जो कुवैत जाली पासपोर्ट पर गये थे उनको वहां जाने के तुरन्त बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने शिकायत की गृह मंत्रालय से कि गृह मंत्री जी हमारी शिकायत पर ऐक्शन लें बम्बई के ट्रेवल एजेन्ट्स के खिलाफ जिन्होंने फेंक पासपोर्ट देकर हमें यहां भेज दिया। और यह देश की प्रतिष्ठा का सवाल है विदेशों में जाकर हमारे लोग गिरफ्तार हों और झाड़ू पोंछा लगायें। इनका जवाब मैं सुन रहा हूं;

"यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि बड़ी संख्या में जाली भारतीय पारपत्र बनाये जा रहे हैं।"

तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुवैत से कितने भारतीयों के शिकायती पत्र आपके पास आये हैं बम्बई के ट्रेवल एजेन्ट्स के खिलाफ जिसमें यह शिकायत की है कि ट्रेवल एजेन्ट्स ने 20,000 रु० लेकर हमें जाली पासपोर्ट देकर कुवैत भेज दिया है इसलिये गृह मंत्री जी ऐक्शन लें और हमको वहां से वापस बुलाया जाय ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** माननीय सदस्य शायद विजा के बारे में गलती कर रहे हैं। निर्धारित शर्तों तथा विनियमों के आधार पर पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। यदि कोई किसी देश में जाना चाहे.....

**अध्यक्ष महोदय :** यह जाली पासपोर्टों के बारे में है।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** मैं उसी तरफ आ रहा हूं, पासपोर्ट विशेष नियम और विनियम के अन्तर्गत दिये जाते हैं। जब तक ये नियम पूरे नहीं किये जाते तब तक पासपोर्ट नहीं दिये जाते। इसके लिए निश्चित प्रक्रिया है। इन जाली पासपोर्टों को रोकने के लिए हमने कुछ निश्चित कार्रवाई की है जो कम या अधिक सुस्पष्ट है। साधारण पासपोर्टों पर धारक का पूरा नाम, उसका व्यवसाय, स्थान, जन्म तिथि, अधिवास, ऊंचाई, बालों का रंग, स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले चिन्ह, फोटो आदि दिखाया होता है। (व्यवधान)।

**श्री जगपाल सिंह :** महोदय मेरा प्रश्न यह था कि ?

**(व्यवधान)**

**श्री एन० के० शेजवलकर :** महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री० पी० वेंकट सुब्बैया :** महोदय, आपको मुझे संरक्षण देना है। यदि सदस्य इसी प्रकार मुझे बीच में टोकते रहेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय :** आप बार बार उन्हें क्यों टोकते हैं ? प्रश्न केवल यह है कि क्या जाली पासपोर्टों का कोई मामला है, यदि हां तो ऐसे कितने मामले हैं और आपने इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है।

**प्रो० मधु दंडवते :** यह गलत उत्तर है।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** श्री दंडवते आप गलत उत्तर देने में माहिर हैं। आपने इस पर एकाधिकार कर लिया है।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** यदि यह बड़े पैमाने पर नहीं हैं तो यह छोटे पैमाने पर होगा।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती जी ने गुम पासपोर्टों के बारे में पूछा है। इस प्रकार के गुम पारपत्रों की हमें कोई जानकारी नहीं है। बहरीन में भारतीय दूतावास ने सूचित किया है कि 8 भारतीय दिनांक 13-8-83 को दूसरे लोगों के नाम में जारी किये गये पारपत्रों से बम्बई से बहरीन गये। बहरीन पहुंचने पर बहरीन के अधिकारियों ने जाली व्यक्तियों का पता लगाया और इन व्यक्तियों को दिनांक 17-11-1983 को भारतीय प्राधिकारियों द्वारा आपातकालीन पत्र जारी करके भारत लौटा दिया गया। बहरीन में भारतीय दूतावास ने भारत में उस अभिकर्ता का नाम भी बताया जिसने भारत के बाहर इन लोगों को भेजने का काम किया था। दिनांक 19-12-83 को बम्बई के पुलिस आयुक्त से कहा गया था कि इस मामले की जांच की जाए

तथा आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने दिनांक 2-3-1984 को सूचित किया कि भारतीय पुलिस सेवा के उपबन्धों के अधीन मामला पंजीकृत कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

**श्री जगपाल सिंह :** मेरा सवाल यह था कि जिन लोगों की कम्पलेंट्स होम मिनिस्ट्री को मिली हैं कि फलां-फलां ट्रेवलिंग एजेन्ट ने हमको यहां भेजा था, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? क्या उन ट्रेवलिंग एजेन्ट्स को गिरफ्तार किया गया है ? अब एक साल होने जा रहा है, वह लोग वहां सड़ रहे हैं, उस कन्ट्री में पड़े हुए हैं, तो इन लोगों के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया है या नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय :** उनको वापस भेज दिया गया है।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। आप बीच में मत टोकिये।

**श्री जगपाल सिंह :** ब्यूरोक्रेसी के साथ यह अवैध धन्धा हो रहा है। दिल्ली के हर मोहल्ले में 5,10 ट्रेवलिंग एजेन्ट बैठे हुए हैं जो लोगों को फंसा रहे हैं और शास्त्री भवन में बैठे हुए लोग इतनी लापरवाही से मोहर लगा देते हैं कि विदेश में हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो रहा है। आपने उनको गिरफ्तार किया है या नहीं ? अगर नहीं तो क्या कारण हैं कि इतनी सीरियस प्राबलम पर भी आपने उनको अरेस्ट नहीं किया ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** उन लोगों को सन्तुष्ट करना बड़ा कठिन है जो सन्तुष्ट होना नहीं चाहते। मैंने इस कुवैती मामले के बारे में तथ्य तथा आंकड़े दे दिये हैं। यह मामला हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है यदि माननीय सदस्य इस मामले को हमारे ध्यान में लाते हैं तो हम निश्चित रूप से इसका अध्ययन करेंगे।

जहां तक हमारे लोगों का काम के लिये विदेशों में जाने का संबंध है, इस ओर हमने विशेष ध्यान दिया है। विदेशों में रोजगार के लिये जाने वाले भारतीय श्रमिकों, कुशल व अर्ध-कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को उत्प्रवास की अनुमति श्रम मंत्रालय देता है। इस बारे में विशेष सावधानी बरती गई है। हमने सभी सम्भव उपाय किये हैं। मेरे माननीय मित्र ने गलती से बीजा को पासपोर्ट समझ लिया है। बीजा केवल उस देश के दूतावासों से लेना पड़ता है जहां ये लोग जाते हैं। उन्होंने गलती से बीजा को पासपोर्ट समझ लिया है। कुछ जाली बीजा हो सकते हैं। उन जाली बीजाओं का तब पता चलता है जब कोई व्यक्ति उस देश में पहुंचता है।

**अध्यक्ष महोदय :** इस विषय में गलती हुई है। विदेशों में जाने वाले लोगों को एजेंटों द्वारा फर्जी बीजाओं पर भेजा जाता है। यदि कोई मामला मेरे ध्यान में लाया जाता है तो मैं भी इसको देखूंगा।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** हम वीजा देने के लिए सक्षम नहीं हैं। वही देश बीजा दे सकते हैं जिस देश में कोई जाता है।

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें हमारी गलती नहीं है यह ट्रेवल एजेंटों की गलती है जो जो फर्जी बीजा पर उन्हें विदेशों में भेजते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते।

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया :** यदि यह मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है तो हम इस संबंध में कार्यवाही करेंगे।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री जगपाल सिंह** : मैंने वीज़ा को मैंशन नहीं किया, पासपोर्ट के बारे में कहा है। जब पासपोर्ट मिलेगा तो वीज़ा तो मिलेगी ही।

**अध्यक्ष महोदय** : वीजा गलत होता है। उसे वह वापिस भेज देते हैं। आपने गलत सवाल पूछा है। आप पूछिए कि जिन्होंने वीज़ा गलत दिया है, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? आप तो पासपोर्ट के पीछे लगे हुए हैं।

**श्री जगपाल सिंह** : मैं तो एजेंट्स की गिरफ्तारी के बारे में पूछ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सारा समय आपको नहीं दे सकता। मैंने सारा प्रश्नकाल आपके लिए नहीं रखा है। आपने दस क्वेश्चन पूछ लिए···

**श्री जगपाल सिंह**: आपने मुझे दो सप्लीमेंटरी पूछने की इजाजत दी है···

**अध्यक्ष महोदय** : आपने तो तीन प्रश्न कर लिए। मैं सारा प्रश्नकाल आपको नहीं दे सकती है।

**श्री जगपाल सिंह** : क्या आपके मिनिस्टर साहब हाउस को मिसलीड करेंगे···आप बताइए, अकार्डिंग ट् ह्वाट रूल···

**अध्यक्ष महोदय** : आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें मैं क्या करूं? मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। श्री राममूर्ति।

**श्री जगपाल सिंह** : आप बताइए···किस रूल के तहत···

आप मुझे दूसरा प्रश्च नहीं पूछने देते हैं।

**श्री के० मूर्ति** : महोदय, यह प्रश्न जाली पासपोर्ट जारी करने के बारे में है न कि जाली वीजा के बारे में। एक सप्ताह पहले (इण्डियन एक्सप्रेस में) एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि जाली पासपोर्टों का उपयोग करके ट्रेवल एजेन्ट्स एफ०टी०एस० जारी कर रहे हैं और रिजर्व बैंक तथा समस्त देश को धोखा दे रहे हैं। हमारे देश में अलग-अलग क्षेत्रीय पासपोर्ट प्राधिकारी विभिन्न लोगों को पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, मैं मद्रास क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र दे सकता हूं तथा मैं अलग नाम से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय हैदराबाद में भी आवेदन कर सकता हूं। इसे रोकने का कोई दोषरहित प्रणाली नहीं है। जब मैं विदेश में था, तो भारतीय मूल के लोगों द्वारा मुझे यह बताया गया था कि कुछ लोग अलग-अलग पासपोर्टों से यात्रा कर रहे हैं और वे एफ० टी० एस० सुविधा का भी लाभ उठा रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इसके बाद दोषरहित प्रणाली आरम्भ करने जा रही है और इसे कैसे रोका जा सकेगा।

**श्री पी० वेंकटसुब्बैया** : पहले से ही दोषरहित प्रणाली लागू है। यदि इस बारे में कोई सही कारण बताये जाते हैं तो उनकी ओर ध्यान देंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : गृह मन्त्री महोदय, मैं इस बारे में एक टिप्पणी करना चाहूंगा। इसकी पूरी तरह जांच-पड़ताल करने की जरूरत है। जाली वीजा पद्धति से, ट्रेवल एजेन्ट्स बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। आप इसकी पूरी तरह जांच कीजिए और आप इस मामले की गहराई तक पहुंचिए।

**श्री पी० वेंकटसुब्बैया** : जी, अवश्य ही।

**अध्यक्ष महोदय** : डा० स्वामी।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का नाम लिया है। यह मेरा विशेषाधिकार है कि मैं किसी को भी बोलने की अनुमति दूं। मैं श्री मायातेवर या किसी अन्य सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा। डा० स्वामी।

(व्यवधान)

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : मेरे पास केवल एक ही पासपोर्ट है···और वह भारतीय पासपोर्ट है···

**अध्यक्ष महोदय** : एक ही नाम से है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : मुझे ऐसा लगता है जाली पासपोर्टों और असली पासपोर्टों में अन्तर कृत्रिम-सा ही है क्यों कि सर्वप्रथम आप किसी भी संसद सदस्य अथवा विधायक के हस्ताक्षर से पासपोर्ट ले सकते हैं। हमारे पर दबाव पड़ता है कि हम व्यक्ति की पहचान करे बिना ही हस्ताक्षर कर दें। (व्यवधान)

मैं यह नहीं कहता कि हम हस्ताक्षर कर देते हैं। निस्संदेह, मेरे लिए यह कहना गलत होगा कि ऐसा कोई भी संसद सदस्य या विधायक नहीं है जो आंखें मूंद कर हस्ताक्षर नहीं करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं। वस्तुतः इन जाली पासपोर्टों की जांच करने के लिए सरकार के पास वास्तव में कोई व्यवस्था नहीं है, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि आपातकाल के दौरान, मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था, तो भी मैं भारतीय हवाई अड्डे से ही विदेश गया था, इस प्रकार, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हैं। जांच पड़ताल करना सम्भव नहीं है। अतः अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में यही पद्धति अपनाई जा रही है—मैं साम्यवादी देशों की बात नहीं कर रहा, उनका दृष्टिकोण अलग है—आप उतनी ही आसानी से पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं जितनी आसानी से डाक टिकट। आप पासपोर्ट कार्यालय में जाइए तथा फार्म भरिए और यह डाक द्वारा आपके पास

पहुंच जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि जो कोई व्यक्ति पासपोर्ट मांगें उसे दे दिया जाये और इसके बाद जब आपको यह सबूत मिल जाये कि वह व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है या उसने कानून का उल्लंघन किया है, आप उसे रद्द कर दीजिए। यह प्रणाली हमारी वर्तमान प्रचलित प्रणाली की अपेक्षाकृत अधिक सही प्रणाली होगी। क्या सरकार ने इस प्रणाली पर विचार किया है ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : यह एक सुझाव है।

**डा सुब्रह्मण्यम स्वामी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर विचार किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : सरकार इस सुझाव पर विचार कर सकती है।

**विदेशों से आतंकवादियों का राजधानी में आना**

*251. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
**श्री त्रिलोक चन्द** } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशिष्ट व्यक्तियों को हिंसा का शिकार बनाने के उद्देश्य से यूरोप से कुछ आतंकवादी राजधानी में पहुंच गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया)** : (क) से (ग) ऐसे उद्देश्य से यूरोप से किन्हीं उग्रवादियों के राजधानी में पहुंचने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी समाचार है कि विदेश से कुछ उग्रवादी भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी सम्बन्धित प्राधिकारी आवश्यक सतर्कता बरत रहे हैं।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मेरे प्रश्न का एक वाक्य देखा जाए। मैंने इसमें पूछा है "क्या यह सच है कि विशिष्ट व्यक्तियों को हिंसा का शिकार बनाने के उद्देश्य से यूरोप से कुछ आतंकवादी राजधानी में पहुंच गए हैं" जिसका उत्तर है "इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है" और फिर आगे का वाक्य है "फिर भी समाचार है कि विदेश से कुछ उग्रवादी भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक ओर तो सरकार को कोई सूचना नहीं है तो फिर वह कौन-सा समाचार है जिसकी बिना पर आप कहते हैं कि भारत में विदेश से उग्रवादी प्रवेश कर रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : एक बात होती है "विशिष्ट" और दूसरे कोई समाचार अखबारों में आ गया तो दोनों में अन्तर है।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: अभी हाल ही में अमरीका में एक इंटरनेशनल कांफ्रेंस हुई थी जिसमें खुलकर खालिस्तान की मांग की गई। इतना ही नहीं, कांफ्रेंस में भारत के प्रमुख वी० आई० पीन को जान से मारने की चुनौती भी दी गई। साथ-ही-साथ पिछले दिनों पालम हवाई अड्डे पर एक ऐसा आतंकवादी पकड़ा गया था जिसका इरादा हमारे देश के अनेक वी० आई० पी० राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर चौ० चरण सिंह आदि को जान से खत्म करने का था। इसी सन्दर्भ में एक दूसरे अखबार में सूचना थी···

**अध्यक्ष महोदय**: आप सवाल कर लीजिए।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: यह सूचना छपी थी कि 6 उग्रवादियों का एक जत्था कनाडा से नेपाल के रास्ते भारत में घुसने के लिए जुलाई में आया था और नेपाल के त्रिभुवन इन्टर नेशनल एअरपोर्ट पर हमारी सरकार ने उसकी काफी छान-बीन भी की थी। तो मैं जानना चाहता हूं क्या यह समाचार जो हमारे देश के अखबारों में छपा था, वह गलत साबित हुआ और उसका क्या सूत्र रहा? तथा वहां पर जो चेकिंग की गई और हवाई अड्डे पर जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया**: माननीय सदस्य ने जिन तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया है, सरकार को उनकी जानकारी है। जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है सरकार सभी सम्भव उपाय कर रही है। जहां तक हमारे देश में प्रवेश करने वाले उग्रवादियों का सम्बन्ध है जनहित को में ध्यान रखते हुये इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। मैं यह कहूंगा कि हम हवाई अड्डों तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर सुरक्षा कड़ी करने के मामले में हर प्रयास कर रहे हैं।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: आप विस्तार से नहीं बता पायेंगे इसलिए मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं। अभी देश के कुछ अखबारों में खबर छपी थी कि प्रधानमन्त्री की सुरक्षा के लिए 200 सुरक्षा पुलिस एवं भारी मात्रा में कमांडोज तैनात किए गए हैं और प्रधान मंत्री को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे अपनी पब्लिक मीटिंग कम कर दें।

**श्री अटल बिहारी बाजपेई**: प्रधान मंत्री को यह परामर्श मान लेना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा फायदा होगा।

**अध्यक्ष महोदय**: लेकिन वे तो उल्टा कर रही हैं।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: प्रधान मन्त्री के घर की ओर जाने के लिए जो रास्ता है उसको भी बन्द कर दिया गया है और वहां एक बोर्ड लगा दिया गया है—रोड अंडर रिपेयर्स। इसके साथ ही संसद में प्रवेश का रास्ता आपने कुछ अदल-बदल दिया है।

**अध्यक्ष महोदय**: आपकी राय से किया है।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: मैं जानना चाहता हूं कि यह सब भारी परिवर्तन जो हो

रहा है यह इन्हीं सूचनाओं के आधार पर तो नहीं हो रहा और थे जो बाहर से आतंकवादी आ रहे हैं इनको बिल्कुल रोकने के लिए या उनकी जांच करने के लिए आपने क्या कार्यवाही की है ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : महोदय, मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का यह आशय है कि हमें ये सब एहतियात नहीं बरतनी चाहिए। वे चाहते हैं कि ये सभी एहतियात बरती जानी चाहिए और ये सभी बातें पर्याप्त सुरक्षा संबंधी नीति का ही अंग है। हमारे राष्ट्र की नेता, प्रधान मंत्री के लिए हमें, हर कार्यवाही करनी पड़ती है। यह हमारी चिंता का विषय है और माननीय सदस्य भी इस मामले में हमारे साथ हैं।

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : महोदय, मुझे ऐसी कोई सलाह, या आदेश नहीं दिये गए कि मैं अपने यात्रा-दौरों जन-सभाओं में खुली जीप में आना जाना कम कर दूं जैसा कि मैं अब करती हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : वाजपेयी जी की सलाह का भी कोई असर नहीं हुआ। **(व्यवधान)**

**श्री मनीराम बागड़ी** : बहुत सी बातें हैं जो राष्ट्रहित में बतानी नहीं चाहिए, मैं उन को नहीं पूछूंगा। ···**(व्यवधान)** ···अगर इन अखबार वालों के कान खुले हुए हैं तो सारी दुनियां सुन सकती है और इन के मतलब की बात नहीं हो तो कोई नहीं सुनेगा। मैं यह कह रहा था कि देश हित के लिए जो बात बतानी नहीं चाहिए वह न बताइये लेकिन गृह मंत्री से एक अर्ज़ मैं करूंगा कि जिन-जिन लोगों को मौत के घाट पहुँचाने का एलान किया गया उन में से बहुत कम लोग हैं जो बच पाये। या तो वह दिल्ली में रह रहे थे, वैसे दिल्ली के भी कुछ लोग मारे गए बेचारे, या फिर उन के हाथ वहां तक नहीं पहुंचते थे, तो क्या मैं गृह मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या उन की सैक्योरिटी जो गोल्डेन टैम्पल में हथियार पहुंचने की खबर नहीं रख सकती थी क्या उसी सैक्योरिटी, सी आइ डी या उसी इंटेलिजेंस के भरोसे पर देश के वी आई पीज की रक्षा की बात कहते हैं या कोई और तरीके या कोई और नयी एजेंसी है जिस के माध्यम से आप यह जांच पड़ताल करने की बात करना चाहते हैं ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बैया** : महोदय, माननीय सदस्य आक्षेप लगा रहे हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूं। जहां तक उन लोगों का संबंध है जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं मेरे माननीय मित्र आश्वस्त रहें कि सरकार इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

**प्रो के० के० तिवारी** : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस (इ) के अन्य राष्ट्रीय नेताओं को जान से मार देने की धमकी के संबंध में समाचार पत्रों में बहुत ही अशान्ति फैलाने वाले समाचार पा रहे है। इस संबंध में भी समाचार आये हैं कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों द्वारा इन आतंकवादियों को प्रशिक्षिण दिया जा रहा है। हमें सूचनाएं मिली

हैं कि ये आतंकवादी कुछ स्थानों से गतिविधियां चला रहे हैं और हाल ही के सप्ताहों में—मुझे हैरानी है कि क्या सरकार के पास यह सबूत मिला है कि अब श्री लंका में कार्य कर रही इज्राइल की मौसद एजेंसी और विशिष्ट व्यक्तियों को जान से मारने और देश में आतंक फैलाने के इरादे से जो आतंकवादी हमारे देश में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, के बीच सम्पर्क की खबरें मिली हैं।**...

(व्यवधान)

**कुछ माननीय सदस्य** : महोदय, वे यह प्रश्न नहीं पूछ सकते।

**अध्यक्ष महोदय** : यह असंगत है। आप यह आरोप नहीं लगा सकते।

(व्यवधान)

**प्रो० मधु दंडवते** : महोदय, मेरा यह सुझाव है कि इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री० तिवारी जी, आप मेरी बात सुनिए कृपया इधर उधर देखिए।

(व्यवधान)

**श्री मनीराम बागड़ी** : अध्यक्ष जी, इस तरीके से किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसका जवाब देने का अवसर होना चाहिए। अगर मैं कहूं...

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। आप क्यों बोल रहे हैं।

**श्री मनीराम बागड़ी** : आप उससे उलट कर रहे हैं जोकि मैं कहना चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि अगर मेरे खिलाफ आरोप लगता है तो वह रिकार्ड पर रहना चाहिए और मुझे उसका जवाब देना चाहिए और आरोप लगाने वाले के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूं। मैं नियमों से बंधा हूं।

(व्यवधान)

**श्री मनीराम बागड़ी** : मैं तो एक्सपंज्शन के खिलाफ हूं। जिसके खिलाफ आरोप हो, उसे सफाई देनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : यह नेरा काम नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह कहना चाहता हूं कि नियमानुसार आप किसी भी सदस्य के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते जैसा कि नियम 353 में दिया गया है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, मैं तो केवल अपना कार्य कर रहा हूं। आप झगड़ा करके क्यों काम खराब कर रहे हैं? कल आपके खिलाफ कोई कहेगा तो मैं क्या करूंगा?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। मेरा काम नियमों का पालन करना है।

**(व्यवधान)**

**प्रो० के० के० तिवारी** : महोदय, कोई भी संसद सदस्य कानून से ऊपर नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह कानून से ऊपर नहीं है। उसे रोका जा सकता है। लेकिन नियम 353 के अंतर्गत आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। इसकी अनुमति नहीं है। यदि आप किसी पर आरोप लगाना चाहते हैं तो उसे मुझे लिखित रूप में दीजिए। इसके बाद ही मैं इसकी जांच करूंगा, अन्यथा नहीं मैं नियमों से बंधा हूं। मैं नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा। चाहे जो भी हो, नियम 352 या 353 के अंतर्गत नाम लिए जाने की अनुमति नहीं है।

**(व्यवधान)**

**प्रो० के० के० तिवारी** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया जाएगा।

**श्री पी० वेंकटसुब्बैया** : महोदय, जहां तक इस प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, भारत सरकार को सभी बातों की जानकारी है तथा जो कुछ सम्भव है वह किया जा रहा है उस पर निगरानी रखी जा रही है। मैं केवल विपक्षी दलों से अपील कर सकता हूं कि इस प्रकार की बातों से यहां का वातावरण दूषित न हो तथा सरकार के लिए और अधिक समस्याएं पैदा न की जाएं।

## जुलाई, 1984 में नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक

*252. **प्रो० मधु दन्डवते**
**श्री विजय कुमार यादव** } : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री की बर्खास्तगी के

विरुद्ध रोष व्यक्त करने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों की ओर से एक वक्तव्य दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके बैठक से बाहर चले जाने (वाक आउटी) के बाद संकल्प पारित किया गया था, जिसमें उपयुक्त मुख्यमंत्रियों की कार्यवाही की इस आधार पर निन्दा की गई थी कि उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद् को "एकतरफा राजनीतिक प्रचार" के लिए एक फोरम में बदल दिया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार का संकल्प एक ऐसी राजनीतिक कार्यवाही नहीं है जिसका विकास कार्यों के साथ कोई संबंध नहीं है ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) (ग) विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(घ) जी, नहीं ।

**विवरण**

राष्ट्रीय विकास परिषद् की 37 वीं बैठक नई दिल्ली में 12 और 13 जुलाई, 1984 को हुई थी। परिषद् की बैठक "सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 का नीतिपत्र के प्रारूप पर विचार करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए बुलाई गई थी ।

2. आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से विचाराधीन विषय पर जब अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनुरोध किया गया तब वे पहले अपनी ओर से और कर्नाटक, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की ओर एक राजनीतिक वक्तव्य देना चाहते थे। परिषद् के अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री ने उन्हें बताया कि परिषद् एक राजनीतिक मंच नहीं है बल्कि यह आर्थिक मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए है और यह बैठक विशेष रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना की नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए बुलाई गई है। लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक वक्तव्य पढ़ने का आग्रह किया जिसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया गया ।

3. वक्तव्य पढ़ने के बाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्यमन्त्री बैठक से बाहर चले गए । इस पर परिषद् ने एक संकल्प पारित किया जिसमें परिषद् को दलगत मंच और राजनीतिक प्रचार म परिवर्तित करने के लिए चार मुख्यमन्त्रियों द्वारा किए गए प्रयत्न की निन्दा की गई ।

**प्रो मधु दण्डवते** : महोदय, मंत्री महोदय ने वक्तव्य के दूसरे पैरे में कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री से विचाराधीन विषय पर जब अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया तब वे पहले अपनी ओर से तथा कर्नाटक, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों की ओर से

एक राजनीतिक वक्तव्य देना चाहते थे परिषद् के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि परिषद् एक राजनीतिक मंच नहीं है बल्कि यह आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श के लिए है तथा यह बैठक विशेष रूप से सातवीं पंचवर्षीय योजना की नीति पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गई है। परन्तु, आंध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने राजनीतिक वक्तव्य पढ़ने का आग्रह किया जिसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया" महोदय मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यद्यपि राष्ट्रीय विकास परिषद् में देश की विकास संबंधी समस्याओं पर विचार-विमर्श किए जाने की अपेक्षा की जाती है क्या यह सच नहीं है कि यदि वक्तव्य में अस्थिरता का आभास होता जैसा कि अनुभव से पता चलता है, तो इससे विकास कार्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और इस लिए क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है ?

**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी** : महोदय, यद्यपि उन्हे अपना भाषण देने की अनुमति नहीं दी गई, परन्तु उनके आग्रह करने पर, बाढ़ में उन्हें अपना वक्तव्य पढ़ने की अनुमति दी गई और वक्तव्य के तुरन्त बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री बैठक से उठ कर चले गए। अतएव यद्यपि उनके वक्तव्यों को कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया गया लेकिन परिषद् ने निन्दा प्रस्ताव अवश्य पास किया।

**प्रो० मधु दण्डवते** : दूसरा प्रश्न पूछने से पहले, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् में विगत में राज्यों की राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा नहीं हुई। इसका आप मुझे स्पष्ट उत्तर दें।

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : यह सच है कि कुछ ऐसे अवसर आए जब पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मुख्य मंत्रियों ने राजनीतिक मुद्दे उठाये और तभी आम चर्चा हुई। उस समय भी हमने यह कहा था कि ऐसी बातों के लिए यह उचित मंच नहीं है यहां हम थोड़े समय के लिए मिलते हैं और हर मुख्य मंत्री लम्बे-लम्बे वक्तव्य देता है इस विशेष अवसर पर हम सातवीं पंच-वर्षीय योजना के प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार सम्बन्धी किसी विशिष्ठ विषय के विशिष्ट प्रयोजन के लिए आये हैं। निर्धारित समय सीमा में ही यह कार्य पूरा किया जाना था। यदि उस समय, राजनीतिक चर्चा शुरू हो जाती तो स्पष्ट है कि जिस उद्देश्य के लिए बैठक बुलाई गई थी उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती।

**प्रो० मधु दंडवते** : चूंकि प्रधानमत्री जी ने विगत का उल्लेख किया है, मैं उनसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या यह सच नहीं है कि जब केरल में श्री नाम्बूदरीपाद के नेतृत्व वाली युनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और जब श्री अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय विकास परिषद में वक्तव्य दिये थे, एक मुख्यमंत्री ने केरल की राजनीतिक स्थिति और अस्थिरता तथा लोकतांत्रिक सरकार के खतरे का उल्लेख किया था और

दूसरे मुख्यमंत्री ने व्यापक राजनीतिक स्थिति जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी की शक्तियों तथा कार्यों में आने वाली सभी रुकावटों को दूर करने के लिए, कि इस देश में राष्ट्रपति प्रणाली अपनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया था ? ये सब तो कार्यवाही सारांश में शामिल कर लिया गया है । इस बार ऐसा क्यों नहीं किया गया ? क्योंकि जो कुछ उन दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा वह आपको नहीं भाया । इसलिए, इसे कार्यवाही सारांश में शामिल नहीं किया ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी**: क्या माननीय सदस्य यह मानते हैं कि श्री नाम्बूदरीपाद ने अपने भाषण में जो कुछ कहा था क्या वह मेरी नीति या विचारधारा के अनुरूप था ? वे मुझ पर इसका आरोप नहीं लगा सकते । मैं राष्ट्रपति प्रणाली पर चर्चा नहीं करना चाहती···

**(व्यवधान)**

**प्रो० मधु दण्डवते** : तो क्या वह विकास संबंधी कार्यों से संबंधित था ?···**(व्यवधान)**

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : जैसाकि मैंने कहा है, जब इन विषयों को पहले उठाया गया था तो मैंने वक्तव्यों से कहा था कि उन मामलों को उठाना असंगत है ।

**प्रो० मधु दण्डवते** : लेकिन उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद की कार्यवाही वृतांत में शामिल किया गया था ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : यदि पहले गलती हुई है तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम वह गलती करते रहेंगे । अब क्या हो रहा है ? तीन अवसरों पर राजनीतिक सवाल उठाए गए । बैठक में कुछ मुख्यमंत्रियों ने केवल आर्थिक मामलों पर बोलना पसंद किया । क्योंकि इस तरह की बातें बार-बार हो रही हैं । हमें सुनिश्चत करना पड़ता है कि इस प्रकार की बैठक को केवल बैठकों से सम्बन्धित विषयों तक ही सीमित रखा जाये । अन्य मंच हैं, वे हमसे अन्य मामलों के लिए अलग से मिलते हैं और उस विशेष विषय पर मैं उनसे अलग से मिली हूं ।

**प्रो० मधु दण्डवते**: प्रधानमंत्री जी ने यह मान लिया है कि विगत में ऐसा किया गया है । मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि उन्होंने यह मान लिया है कि भेदभाव किया गया है··· **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय**: नहीं, नहीं ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि कुछ एक मंत्रियों ने बैठक से उठकर बाहर चले जाने का निर्णय वक्तव्य दिए जाने से पहले कर लिया था । हमारे बैठक में पहुंचने से पहले ही हमें इस बात का पता चल गया था । इससे अंतर पड़ता है । दूसरी बार बैठक का वायकाट नहीं किया गया ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास योजना

*253. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एक पृथक विकास योजना पर विचार किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) और (ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के अलावा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही उत्तर-पूर्व के आर्थिक विकास के लिए अलग से एक योजना प्रचलन में है। ऐसी योजना उत्तर-पूर्वी परिषद तैयार करता है जिसके लिए वित्त-व्यवस्था पूर्ण रूप से केन्द्रीय निधि से की जाती है और उसका कार्यान्वयन उत्तर-पूर्व राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और/या केन्द्रीय और अन्य संगठनों के जरिए किया जाता है। परिषद की योजना का मुख्य उद्देश्य विद्युत, परिवहन और जनशक्ति जैसी आधार-संरचना सुविधाओं का विकास करना है जो क्षेत्रीय स्वरूप की होती है, कुछ स्कीमें प्रयोगात्मक या प्रदर्शनकारी स्वरूप की होती है, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय 90 करोड़ रु० था जबकि परिषद की छठी योजना का आकार 413.90 करोड़ रु० है।

### अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

*254. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश में एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) अगली बार, भारतीयों को अन्तरिक्ष में भेजने के लिए सरकार ने क्या अन्य कदम उठाए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का क्या ब्यौरा है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) वर्तमान स्वीकृत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में विविध राष्ट्रीय उपयोगों के लिए उपग्रह संचार पर, संसाधनों के सर्वेक्षण तथा प्रबन्ध, पर्यावरणीय मानीटरन और मौसम

विज्ञानीय सेवाओं के लिए उपग्रह सुदूर संवेदन पर तथा इन अन्तरिक्ष सेवाओं को प्रदान करने के लिए स्वदेशी उपग्रहों और प्रमोचक राकेटों के विकास तथा प्रचालनीकरण पर मुख्य बल प्रदान किया गया है। फिर भी, मानव-उड़ानों से संबंधित विषय का हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र में अर्जित ज्ञान का भारत द्वारा उपयोग किया जा सके।

**तमिलनाडु में गरीबी दूर करने में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की भूमिका**

*255. **श्री एन० डेनिस** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में गत दो वर्षों के दौरान निर्धनता-रेखा पार करने वाले लोगों के संबंध में जानकारी एकत्र कर ली है;

(ख) क्या वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों ने भी इस संबंध में तमिलनाडु के लोगों को वित्तीय सहायता दी है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा उक्त राज्य में गरीब लोगों के लाभ के लिये, चलाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी)** : (क) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के राज्यवार आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी सर्वेक्षणों पर आधारित है। 1977 के बाद, अगला सर्वेक्षण वर्ष 1983 में किया गया था और इसके परिणाम अभी प्राप्त होने हैं।

तथापि, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से गरीबी दूर करना है और जो इसके लिए प्रमुख उपकरणों में से है, पिछले दो वर्षों में, (1982-83 और 1983-84) तमिलनाडु में गरीबी के स्तर से नीचे रखने वाले 5.49 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी।

(ख) जी, हां।

(ए) वाणिज्यिक और सहकारी बैंक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, ऐसे निर्धारित व्यक्तियों को जिनकी पारिवारिक आय 3500 रु० से कम हो, प्राथमिक मध्यक और तृतीयक क्षेत्रकों में किसी व्यवहार्य परियोजना के लिए वित्तीय सहायता वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों द्वारा दी जाती है।

विवरण

**1980-81 से 1983 84 की अवधि में तमिलनाडु में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष वार जुटाए गए (उपलब्ध कराए गए) ऋण**

(करोड़ रु०)

| वर्ष | जुटाया गया ऋण | | |
|---|---|---|---|
| | वाणिज्यिक बैंक | सहकारी बैंक | जोड़ |
| 1980-81 | † | † | 28.67 |
| 1981-82 | 37.75 | 10.01 | 47.36 |
| 1982-83 | 44.49 | 18.38 | 62.87 |
| 1983-84 | 45.12 | 14.63 | 59.75 |

† वितरण उपलब्ध नहीं है।

**सरकारी विभागों में सेवा निवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति संबंधी निर्देश**

*256. **श्री आनन्द सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी विभागों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति के बारे में प्रधानमंत्री के क्या निदेश हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त-पोषित स्वशाली संगठनों को उक्त निदेशों के सीमा क्षेत्र से बाहर रखा गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जहां स्वशाली संगठनों ने उक्त निदेशों का उल्लंघन किया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया)** : (क) जनवरी 1983 में प्रधान मंत्री ने निर्देश दिया था कि अधिवर्षिता प्राप्त व्यक्तियों की सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति के संबंध में मंत्रालयों/विभागों को उदारता नहीं बरतनी चाहिए और ऐसी किसी भी प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। मंत्रालयों/विभागों से यह भी अपेक्षा की गई थी कि जो अधिकारी सेवा वृद्धि/पुनर्नियुक्ति पर है उनके मामलों की पुनरीक्षा करें तथा उन्हें आवश्यक न्यूनतम नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए आदेश जारी करें। प्रधान मंत्री ने यह भी निर्देश दिया था कि जहां ऐसी सेवा-वृद्धि/पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित आगे के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) जी नहीं।

(ग) स्वायत्तशाली संगठनों से सम्बन्धित ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है जिसमें सेवा-वृद्धि/पुनर्नियुक्ति मंजूर करने में इन संगठनों ने उदारता बरती हो।

**एल्युमिना और एल्युमिनियम के उप-उत्पादों (डाउनस्ट्रीम प्रोडक्टस) संबंधी रिपोर्ट**

*257. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के बारे में विपणन सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा उसके उप-उत्पादों संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उप-उत्पादों के संबंध में निगम की रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) "नाल्को" प्राधिकरण ने एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उप-उत्पादों हेतु चुनी गई परियोजनाओं और उद्योगों को स्थापित करने के लिये अब तक क्या उपाय किये हैं;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की रिपोर्ट के आधार पर डामदाजोड़ी और अंगुल में सहायक उद्योगों की स्थापना करने में पहल की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त राज्य ने गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत सहायक उद्योगों का पता लगाने के लिये अब तक क्या विस्तृत उपाय किये हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) से (ङ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की रिपोर्ट 2 भागों-विद्युत क्षेत्र की एल्यूमिनियम मांग तथा एल्यूमिनियम और इसके अर्द्ध निर्मित उत्पादों की मांग में हैं, जिसमें 1989-90 के दौरान पूर्ति और मांग के बीच ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम वायर राड का 2,43,000 टन, रोल्ड उत्पादों का 28,100 टन, एक्सट्रूजन का 11995 और फाइल्स का 5650 टन अन्तर प्रायोजित किया गया है।

2. सरकार के इस निर्णय के अनुरूप कि 50% एल्यूमिनियम उत्पादन विद्युत कन्डक्टर ग्रेड का हो, नाल्को ने प्रत्येक 50,000 टन वार्षिक क्षमता की दो वायर राड मिलों की स्थापना का पहले ही फैसला कर लिया है। एल्यूमिना एक मध्यवर्ती उत्पाद है, जिसका उपयोग एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन में होता है।

3. मैटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेन्ट्स (इंडिया) (मेकोन) को उनके द्वारा मई, 1984 में प्रस्तुत निवेश पूर्व रिपोर्ट के बाद, उप-उत्पादन (डाउन स्टीम) सुविधाओं के लिए भरोसेमंद साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के बाजार अध्ययन तथा विभिन्न एल्यूमिनियम उत्पादों की मांग और पूर्ति के आधार पर होगी। सरकार ने मेकोल को फ्रांस के एल्यूमिनियम पेशीने, जो उड़ीसा एल्यूमिनियम/एल्यूमिनियम परियोजना के खान, एल्यूमिनियम, एनयुमिनियमकम्पलेक्स के वर्तमान तकनीकी सहयोगी हैं, के परामर्शसे साध्यता

रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है।

4. नाल्को ने सहायक उद्योगों के विकास के लिए सरकारी उद्यम ब्यूरो के मार्गदर्शी नियमों को स्वीकार कर लिया है तथा सहायक उद्योगों और उपोत्पाद उद्योगों की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार के सहयोग से अनेक कदम उठाए हैं :

(i) संयंत्र स्तर की एक सलाहकार समिति गठित की गई है, जिसमें राज्य सरकार और नाल्को के प्रतिनिधि, सांसद, विधायक तथा अन्य शामिल हैं।

(ii) सहायक उद्योगों के निर्धारण के लिए संयंत्र स्तर पर उप-समितियां बनाई गई हैं।

(iii) नाल्को ने सहायक उद्योगों का निर्धारण दो चरणों में किया है—निर्माण चरण और कार्यचालन चरण।

(iv) नाल्को ने उड़ीसा की विभिन्न सरकारी और लघु स्तर के उद्योगों को 46 करोड़ रुपये के आर्डर दिए हैं। ऐसा करते समय कम्पनी ने उड़ीसा के लघु उद्योगों को मूल्य अधिमान की सुविधा दी है। नाल्को ने उड़ीसा स्थित उद्योगों के लिए राज्य द्वारा निर्धारित ई० पी० एम० (निर्यात विकास बाजार) रेट-कन्ट्रैक्ट को अस्वीकार किया है।

(v) विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमी विकास की योजना बनाने का काम चल रहा है।

**दामोदर नदी के किनारों पर स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषण**

*258. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दामोदर नदी के किनारों पर स्थित उद्योग नदी के जल को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार हैं और इस क्षेत्र की परिस्थिति को बहुत क्षति पहुंचा रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश उद्योग सरकारी क्षेत्र के एकक हैं;

(ग) क्या इन एककों के पास औद्योगिक निस्स्रावों का शोधन करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो दामोदर नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्रीय बोर्ड ने बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के समन्वय से निर्दिष्ट कार्यवाही योजना के अनुसार बहिस्राव उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रदूषक उद्योगों को निदेश देने हेतु "आपरेशन प्रदूषण नियंत्रण दामोदर" नामक एक समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया है।

**भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के सेवा नियमों में परिवर्तन**

*259. **डा० वसन्त कुमार पंडित**
**श्री अर्जुन सेठी** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के सेवा नियमों में बृहद् परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संबंधित सेवाओं के संघों ने इस आधारभूत परिवर्तन का विरोध किया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया)** : (क) तीन अखिल भारतीय सेवाओं के अपने अपने संवर्ग नियमों में किसी संवर्ग में स्थानान्तरित किए जाने का प्रावधान पहले से ही विद्यमान है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 को सहमति**

*260. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1982 को सहमति के बारे में 21 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4838 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1992 के कतिपय खण्डों पर बिहार सरकार से मांगा गया स्पष्टीकरण इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति देने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया)** : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। यह विधेयक अभी विचाराधीन है क्योंकि 8 मई, 1984 को बिहार सरकार से मांगे गए और स्पष्टीकरण राज्य सरकार से अभी प्राप्त होने हैं।

**शिलांग में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक**

*262. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् की हाल में शिलांग में बैठक हुई थी और उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांझे हितों की कुछ विकासशील परियोजनाओं के बारे में विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। परन्तु, उत्तर-पूर्वी परिषद की एक बैठक 20-2-1984 को शिलांग में हुई थी। इस बैठक में 1984-85 के लिए उत्तर पूर्वी परिषद की 107.75 करोड़ रुपये के परिव्यय की वार्षिक योजना स्वीकार की गई थी। इस परिव्यय में 97.75 करोड़ रुपये की बजट सहायता और 10 करोड़ रुपये का जीवन बीमा कम्पनी से ऋण शामिल हैं।

कुल परिव्यय में से 56.30 करोड़ रुपये परिवहन तथा संचार के लिए और 20.86 करोड़ रुपये पानी और बिजली के लिए निर्धारित किए गए।

**सुकिन्दा (उड़ीसा) में निकल परियोजना की स्थापना करना**

*263. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में सुकिन्दा क्षेत्र निकल निष्कर्षण संयंत्र की स्थापना के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है;

(ख) क्या सुकिन्दा में निकल परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त स्थान में निकल संयंत्र की स्थापना में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के तेजी से कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) से (घ) देश में निकल के प्रमुख निक्षेप उड़ीसा के जिला कटक के सुकिन्दा क्षेत्र में हैं। परन्तु जब तक प्रौद्यो-आर्थिक साध्यता अध्ययन पूरा न हो जाए तब तक यह कहना असामयिक होगा कि सुकिन्दा क्षेत्र निकल निष्कर्षण संयंत्र की स्थापना हेतु एक आदर्श स्थान है या नहीं। 1974 में जारी मंजूरी प्रारम्भिक साध्यता रिपोर्ट के आधार पर थी, जिसमें सुकिन्दा निकल परियोजना की स्थापना के लिए देशी प्रौद्योगिकी पर स्थापना की परिकल्पना की गई थी। परन्तु परियोजना आगे नहीं चल सकी, क्योंकि चुनी हुई देसी प्रौद्योगिकी पाइलट संयंत्र स्तर पर परीक्षण करने पर सफल नहीं पायी गई।

देशी प्रौद्योगिकी के असफल हो जाने पर विदेशी प्रौद्योगिकी का सोच समझ कर चुनाव करना पड़ा। कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ ने उपलब्ध आंकड़ों का प्रारंभिक मूल्यांकन किया तथा उसकी रिपोर्ट के अनुसार साध्यता रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अतिरिक्त अन्वेषण प्रयोगशाला और पाइलट प्लांट परीक्षण करना आवश्यक होगा। अतिरिक्त अन्वेषण की स्कीम तैयार की गई है। अन्वेषण आंकड़े तथा प्रयोगशाला और पाइलट प्लांट जांच कार्य की समीक्षा के लिए विदेशी सलाहकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। किसी उपयुक्त सलाहकार के चयन के बाद, जो अग्रिम चरण में हैं, अतिरिक्त अन्वेषण तथा अयस्क परीक्षा कार्य शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

## शरणार्थियों के लिए राहत कैम्प चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता

*264. **श्री सनत कुमार मण्डल** ; क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने, आसाम से आए शरणार्थियों के लिए राहत कैम्प चलाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को और अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध न कराने के लिए केन्द्र सरकार के निर्णय का विरोध किया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने यह बताया था कि केन्द्र से उसे आज तक जो भी सहायता प्राप्त हुई है वह उसकी आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम है और आसाम के शरणार्थियों पर किए गए व्यय से न तो कोई आय होती है और न ही उससे राज्य के विकास में कोई मदद मिली है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि उपरोक्त समूची सहायता अनुदान के रूप में होनी चाहिए ताकि ऋण के रूप में, और इस मामले में प्रधानमन्त्री से हस्तक्षेप की मांग की थी ताकि राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय की पूर्ण रूप से आपूर्ति की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) केन्द्रीय सरकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं है। केन्द्रीय सरकार फरवरी-मार्च, 1983 में दंगों के बाद आसाम से पश्चिम बंगाल में आये शरणार्थियों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को अनुमोदित दर पर सहायता देने के लिए सहमत हो गई है।

(ख) जी हां, श्रीमान। फिर भी तथ्य यह है कि राज्य सरकार को सहायता तभी दी जाती है जब पहले दी गई सहायता के सम्बन्ध में विस्तृत लेखा विवरण प्राप्त हो जाते हैं। जब राज्य सरकार से और लेखा विवरण प्राप्त होंगे तो आगे सहायता दी जाएग।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान।

राज्य सरकार के अनुरोध की जो हाल ही में प्राप्त हुआ है, जांच की जा रही है।

## इस्पात संयंत्रों में पूंजी निवेश

*265 **श्री मूलचन्द डागा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र से इस्पात संयंत्रों में 4500 करोड़ रुपये का पूंजी निवेष किया गया है और छठी योजना में 3700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन करने का विचार है;

(ख) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० को वर्ष 1983-84 के दौरान 350 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(ग) अब तक किए गए पूंजी निवेश के संदर्भ में निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग की क्या स्थिति है; और

(घ) क्या निजी क्षेत्र को लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रही है तथा गत दो वर्षों के दौरान वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) 31-3-84 को सरकारी क्षेत्र में "सेल" तथा "इस्को" के इस्पात काखानों में 6776.71 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी (आंकड़े अस्थाई है)। छठी पंचवर्षीय योजनावधि में इन कारखानों को 2747.32 करोड़ रुपये दिये जाने की सम्भावना है जिसमें से योजनावधि के प्रथम चार वर्षों में इन कारखानों को 2214·82 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

(ख) वर्ष 1983-84 में "सेल" को हुए लाभ तथा हानि के परीक्षित लेखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। अस्थायी रूप से 219 करोड़ रुपये की हानि होने की संभावना है।

(ग) और (घ) इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र में लघु इस्पात कारखाने तथा "टिस्को" का

कारखाना है। लघु इस्पात कारखाने देश के भिन्न भिन्न भागो में हैं और इनमें से कुछ कारपोरेट सेक्टर में भी नहीं हैं इसलिए इन लघु इस्पात कारखानों में लगी हुई पूंजी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। "टिस्को" के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

(i) 31-3-1984 को "टिस्को" का सकल ब्लाक 843.64 करोड़ रुपये था।

(ii) "टिस्को" को हुए लाभ की स्थिति इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये)

| | |
|---|---|
| 1982-83 | 44.87 |
| 1983-84 | 20.01 |

जहां तक निजी क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन का सम्बन्ध है, लघु इस्पात संयंत्रों और "टिस्को" की स्थिति नीचे दी गई है—

(हजार टन)

| इस्पात पिण्ड | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 |
|---|---|---|---|---|
| सेल (इस्को भी शामिल है) | 5479 | 6641 | 6679 | 5954.9 |
| टिस्को | 1874 | 1956 | 1946 | 1973 |
| मुख्य उत्पादक | 7353 | 8597 | 8625 | 7927.9 |
| लघु इस्पात कारखाने | 1954 | 2032 | 2040 | 1976 (अस्थायी) |
| कुल जोड़ | 9307 | 10629 | 10665 | 9903.9 (अस्थायी) |

**विजय नगर इस्पात संयंत्र की प्रगति**

*266. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजय नगर इस्पात परियोजना को शीघ्र शुरू किया जाएगा;

(ख) काफी समय से लम्बित पड़ी इस परियोजना को कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ग) क्या उक्त योजना को शुरू करने की लागत वर्ष प्रतिवर्ष असामान्य रूप से बढ़ती जा रही है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) और (ख) कर्नाटक में विजयनगर के स्थान पर एक इस्पात कारखाना लगाने के बारे में सरकार के निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कई अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि देश में विद्यमान परिस्थितियों में विशेष रूप से कोककर कोयले की क्वालिटी घटिया होने, संसाधनों की कमी तथा इसके स्रोतों की दूरी और लोहे तथा इस्पात की मांग और सप्लाई की स्थिति को देखते हुए विजयनगर (जिसे कोककर कोयले की सप्लाई के लिए दूरस्थ स्थित स्रोतों पर निर्भर करना पड़ेगा) में धमन भट्टी प्रक्रिया पर आधारित इस्पात कारखाना लगाने पर काफी अधिक खर्च आएगा और इससे भारी हानि होगी। इसलिए कई वैकल्पिक प्रक्रियाओं का, जिनमें कोककर कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अध्ययन किया गया है। इनमें से तीन प्रक्रियाओं का, जो प्रथम दृष्टि में आकर्षक प्रतीत होती हैं, गहराई से अध्ययन किया जा रहा है ताकि लागत की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन किया जा सके।

(ग) यह ठीक है कि संयंत्र उपस्करों की लागत तथा उनकी स्थापना की लागत में वृद्धि हो जाने से परियोजना की लागत में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर यदि जब परियोजना चालू हो जाए और इसके उत्पादों की बाजार में मांग हो और शुरू से ही क्षमता का काफी उपयोग होने लगे तो परियोजना की अर्थ-क्षमता में काफी सुधार होगा। लोहे तथा इस्पात के क्षेत्र में परियोजना की अर्थ-क्षमता का विशेष रूप से महत्व है क्योंकि इस क्षेत्र में मांग में मंदी का रुख है और इस्पात के मुख्य-मुख्य उत्पादों की क्षमता आवश्यकता से अधिक है और ऐसा लगता है कि यह स्थिति कई वर्षों तक बनी रहेगी।

**आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत एक नई योजना हेतु मध्य प्रदेश का प्रस्ताव**

*267. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश सरकार ने इस समय आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत रायपुर जिले में चल रही एकीकृत क्षेत्रीय विकास परियोजना गरियाबन्द को विभाजित करके एक पृथक परियोजना "महासमुन्द" मंजूर करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना गरियाबन्द को विभाजित करने का एक प्रस्ताव उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गृह मंत्रालय में यह अभी प्राप्त होना है।

(ख) और (ग) प्रस्ताव के प्राप्त होने पर मामले पर विचार किया जाएगा।

**स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर करने के बारे में राज्यों द्वारा मार्ग निर्देशों की स्वीकृति**

*268. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर किए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग-निर्देश सभी राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिए हैं ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को कोई सम्मान पत्र दिए गए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और वे अब सरकारी सेवा में हैं ; और

(ग) उस अधिकारी का नाम क्या है जिसका प्रमाणपत्र उन लोगों को पेंशन मंजूर करने के लिए आधार माना जाता है, जिन्होंने भूमिगति रहकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और ऐसे कितने आवेदन पत्र सरकार के पास विचाराधीन पडे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या) : (क) से (ग) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय राजस्व से गृह मंत्रालय द्वारा पेंशन दी जाती है। राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि उनके लिए केवल रिकार्डों के संदर्भ में आवेदकों की जेल यातनाओं के दावों और अन्य स्वीकार्य साक्ष्यों आदि की जांच करना तथा सिफारिशें करना आवश्यक है।

2. स्वतंत्रता सेनानियों को "सम्मान पत्र" देने की कोई योजना नहीं है। किन्तु सरकारी सेवा में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों सहित जो योजना में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र देने की एक योजना है।

3. स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 के अन्तर्गत किसी ऐसे स्वतन्त्रता सेनानी के लिए जिसने किसी गिरफ्तारी वारंट के कारण 6 महीने अथवा अधिक समय तक भूमिगति रहने का दावा किया हो, सरकारी रिकार्डों से दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कार्यकारी आदेश जिसमें उसको अपराधी घोषित किया गया हो आदि प्रस्तुत करने आवश्यक है। इस सम्बन्ध में स्वतंत्रता सेनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 में छूट दी गई है कि सरकारी रिकार्ड उपलब्ध न होने की दशा में कोई स्वतन्त्रता सेनानी किसी प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकता है जो उसके व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर जारी किया गया हो और जिसने स्वयं 5 वर्ष

या अधिक कारावास की सजा काटी हो और जो उसी प्रशासनिक इकाई (अर्थात् संबंधित समयावधि में उसी जिला) से संबंधित हो जिससे आवेदक संबंधित है। प्रमाणकर्ता स्वतन्त्रता सेनानी के लिए न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास को हाल में कम करके दो वर्ष कर दिया गया है। इस संबंध में अनुदेश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

4. भूमिगत यातनाओं के आधार पर दावों के सम्बन्ध में कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा गया है। किन्तु राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्ट और/अथवा आवेदकों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण 1,27,945 आवेदन-पत्र लम्बित हैं। इन आवेदनपत्रों में से काफी आवेदनों के संबंध में दावे भूमिगत यातनाओं पर आधारित है।

**नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था**

**2457. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का संक्षिप्त सार क्या है ?

**विदेश मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा)** : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों को नया रूप देने के लिए सार्वभौम वार्ता का प्रस्ताव 1979 में हवाना में आयोजित छटे गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में रखा गया था। इसके बाद सार्वभौम वार्ता शुरू करने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में सिद्धान्ततः सहमति हो गई थी। लेकिन वार्ता शुरू करने की क्रिया विधि पर मतभेद होने के कारण इसे आरम्भ करना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ये मतभेद मुख्य रूप से विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (गाट) आदि जैसी मौजूदा संस्थाओं की सक्षमता और सार्वभौम वार्ता से उनके संबन्ध के प्रश्नों से सम्बन्धित हैं। इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश में नई दिल्ली में आयोजित सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने यह नया सुझाव दिया कि इस वार्ता को दो स्तरों में शुरू किया जाय। यह प्रस्ताव किया गया कि रूपरेखा और आवंटन जैसे मसलों को, जिन पर सहमति हो जाती, पहले लिया और साथ ही इस सार्वभौम वार्ता की परिधि को इस तरह बढ़ाने की कोशिश की जाय जिससे कि दूसरे मामलों पर भी विचार हो सके खासतौर पर उन मसलों पर जिसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और संस्थाओं के स्तर पर पड़ता हो। तब से गुट-निरपेक्ष प्रस्ताव के आधार पर न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में कई बार बातचीत हो चुकी है। यद्यपि इस बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, तथापि मतभेदों का अभी तक पूरी तरह समाधान नहीं हो सका है। इन मतभेदों को दूर करने की कोशिश जारी है।

**रेल भाड़ा समीकरण योजना समाप्त होना**

**2458. श्री अजित बाग** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल भाड़ा समीकरण योजना को समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है, जो कुछ आवश्यक मदों पर लागू है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना को, भारतीय रेल द्वारा ढोई जाने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं पर लागू करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) सरकार ने सिद्धांत रूप से राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पांडे समिति) द्वारा इस विषय पर की गई सिफारिशों को पहले से ही स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय किया गया है कि लोह, इस्पात और सीमेंट जैसी वस्तुओं से संबंधित विद्यमान भाड़ा समकरण स्कीम को धीरे-धीरे समाप्त किया जाए बशर्ते कि दूरस्थ, अगम्य और अलग-अलग क्षेत्रों को परिवहन संबंधी राज सहायता दी जाए।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**बिहार में चल रही अभ्रक खानों का निरीक्षण**

**2459. श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी अभ्रक खानें चल रही हैं ;

(ख) उनमें एक अप्रैल, 1984 को कितने मजदूर काम कर रहे थे ;

(ग) अभ्रक खानों की वर्तमान परिस्थिति क्या है और उनका संभावित जीवन काल क्या है ; और

(घ) क्या अभ्रक खानों के उचित खनन को सुनिश्चित करने के लिए किसी सरकारी एजेंसी द्वारा उनके नियमित निरीक्षण करने की कोई प्रणाली है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री० एन० के० पी० साल्वे)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अभ्रक की मांग से उतार-चढ़ाव के कारण धीरे-धीरे उत्पादन, कार्यरत श्रमिकों और खानों में कमी हो रही है पेगमेटाइट की जटिलता, पेगमेटाइट पिंडों में वाणिज्यिक अभ्रक का अनियमित प्राप्ति तथा बिक्री योग्य अभ्रक की निकासी में व्यापक अन्तर के कारण अभ्रक खानों की अवधि के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

(घ) खानों का निरीक्षण भारतीय खान ब्यूरो तथा खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा किया जाता है। 1983-84 के दौरान बिहार में 89 अभ्रक खानों का भारतीय खान ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा खनिज संरक्षण तथा विकास नियमावली 1958 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत, निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा सुरक्षा उपायों में अमल को देखने के लिए निरीक्षण किया जाता है। यदि निरीक्षण के दौरान, नियमों और विनियमों का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रबंधकों को सुधार करने की सलाह दी जाती है।

**मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का विकास कार्य**

2460. **श्री रामप्रसाद अहिरावर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के केन्द्रीय आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान 19 करोड़ और 93 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के विकास कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। 1983-84 के दौरान मध्य प्रदेश को दी गई वास्तविक धनराशि 31.049 करोड़ रुपये की थी। कई परिवार लाभग्राही योजनाओं और मूल आधारिक संरचना विकास की योजनाओं को, दी गई धनराशि का उपयोग करके, कृषि, बागवानी, भू-संरक्षण, वन खण्ड, उद्योगों, सड़कों, पेय, जल आपूर्ति, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, सहकारिता तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया।

**वर्ष 1984 85 के दौरान चीन को भेजे गये शिष्टमंडल**

2461. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान देश से चीन को कितने शिष्टमंडल भेजे गए,

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ राजनीतिक नेताओं और उच्च सरकारी अधिकारियों ने भी चीन की यात्रा की है;

(ग) यदि हां, तो उनकी यात्रा के प्रयोजन क्या थे ;

(घ) उक्त नेताओं के नाम क्या हैं ;

(ङ) अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने किस मामले पर बातचीत की, और

(च) उसके क्या परिणाम रहे ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा)** : (क) से (च) इस संबंध में ब्यौरा संलग्न तीन विवरणों में दिया गया है।

**विवरण-I**

**1984-85 के दौरान सरकार द्वारा प्रायोजित भारत से चीन की यात्रा पर जाने वाले शिष्टमंडल**

| क्रम सं० | शिष्टमंडल का ब्यौरा | यात्रा की तारीख | उद्देश्य/जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और उसका परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | भारत रेडियो और दूरदर्शन शिष्टमंडल, श्रीएस०एस०वर्मा आकाशवाणी के महानिदेशक | मई 14 से मई 24 1984 | भारत और चीन के बीच रेडियो और दूरदर्शन के क्षेत्रों में आदान-प्रदान में वृद्धि करना। |
| 2. | श्रीमती रुक्मणी देवी अरुन्दाले के नेतृत्व में 33 सदस्यीय कला क्षेत्र नृत्य दल। | मई, 84 | सांस्कृतिक आदान-प्रदान। |
| 3. | श्री ए० पी० तिवारी, निदेशक, खान विभाग के नेतृत्व में 2 सदस्यीय शिष्टमंडल | 5-11 जून, 84 | चीन की भूविज्ञान की अकादमी द्वारा आयोजित और चीन लोकतांत्रिक गणराज्य के भूविज्ञान एवं खान संसाधन मंत्रालय, अकादमिया सिनिका और सेन्टर नेशनल दे ला रिसर्च साइंटिफिक फ्रांस द्वारा प्रायोजित हिमालय के भूविज्ञान विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए। दस देशों के चालीस से अधिक भूविज्ञानियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया, जो कि हिमालय के भू-पटल और ऊपरी आवरण तथा विकास के अध्ययन से संबंधित बताई जाती है। |
| 4. | श्री आर० गनपति, कार्यकारी निदेशक, एम० एम० टी० सी० के नेतृत्व में भारतीय खान एवं धातु व्यापार निगम का एक दल | जून, 84 | चीन को खनिज लोहा और खनिज क्रोम की दीर्घकालीन बिक्री पर विचार-विमर्श करना। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | श्री वी० सी० पांडे अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय के नेतृत्व में 6 सदस्यीय चाय-शिष्टमंडल | जून, 84 | अंतर्राष्ट्रीय चाय करार से सम्बन्धित विषयों पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श करना। |
| 6. | डा० नारायण मेनन, अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी के नेतृत्व में नर्तकों और संगीतकारों का 5 सदस्यीय दल। | 27 जून से 11 जुलाई, 84 | सांस्कृतिक आदान-प्रदान। |
| 7. | श्री एम० एफ० हुसैन | जुलाई, 84 | द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान। |

**विवरण-II**

**1984 के दौरान राजनीतिक नेताओं द्वारा चीन की यात्रा**
**(भारत सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं)**

| क्रम संख्या | यात्रा पर जाने वाले | यात्रा की तारीख | उद्देश्य/जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री प्रसन्नता कुमार सूर, स्थानीय सरकार एवं शहरी विकास मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार। | 19 अप्रैल, 1984 से 14 दिन के लिए | सद्भावना यात्रा। |
| 2. | श्री ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। | 6 मई, 84 से 14 दिन के लिए | सद्भावना यात्रा। |
| 3. | श्री अमर पी० चक्रवर्ती, संसद सदस्य के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भारत-चीन सोसायटी का 6 सदस्यीय शिष्टमंडल जिसमें श्री चित्त | 19 मई से | सद्भावना यात्रा। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | महाटा, संसद सदस्य और श्रीमती मंडल, विधान सभा सदस्या भी शामिल हैं। | | |
| 4. | कु० सरोज खापर्डे, संसद सदस्या के नेतृत्व में 23-सदस्यीय बाल शिष्ट मंडल (भारत - चीन सोसायटी द्वारा प्रायोजित)। | मई, 27 से 2 सप्ताह के लिए | भारत और चीन के युवाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना। |
| 5. | श्री हानन मुल्लाह, संसद सदस्य के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन आफ इंडिया और स्टूडेंट फेडरेशन आफ इंडिया का 7 सदस्यीय संयुक्त शिष्टमंडल, जिसमें श्री नेपाल देव भट्टाचार्य, संसद सदस्य भी शामिल हैं। | 2 जुलाई, 1984 से 2 सप्ताह के लिए | सद्भावना यात्रा/शिष्टमंडल। |

**विवरण-III**

**चीन की यात्रा पर गए अन्य शिष्टमंडल**

| क्रम सं० | यात्रा पर जाने वाले | यात्रा की तारीख | उद्देश्य/बातचीत के विषय और परिणाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | भारतीय मानक संस्थान के उपाध्यक्ष श्री डी० सी० कोठारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल | 11 मार्च से 20 मार्च, 1984 | मानकीकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान। |
| 2. | श्री श्याम बेनेगल | मार्च, 1984 | बीजिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संगोष्ठी में भाग लेना। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | "फिक्की" के अध्यक्ष, श्री रामकृष्ण बजाज के नेतृत्व में "फिक्की" का उच्चस्तरीय 13-सदस्यीय व्यापारिक शिष्ट मंडल | 1 मई से 12 मई, 1984 | चीन के साथ व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाना। |
| 4. | श्री प्रियरंजन दास मुंशी के नेतृत्व में 25-सदस्यीय भारतीय फुटबाल-दल | 14 से 26 जून, 1984 | बीजिंग ने 1984 के ग्रेट वाल अंतर्राष्ट्रीय फुठबाल प्रतियोगिता में भाग लेना। |
| 5. | श्री एम० के० पाण्डे के नेतृत्व में सी० आई० टी० यू० (सी० पी० एम०) का 7-सदस्यीय शिष्टमंडल | 3 जुलाई से 2 सप्ताह के लिए | आल चाइना फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन के सदस्यों से मिलना; सद्भावना यात्रा। |
| 6. | अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार-पत्र फेडरेशन के पत्रकारों का 5-सदस्यीय शिष्टमण्डल | 10 से 20 जुलाई, 1984 | आल चाइना और जर्नलिस्ट एसोसियेशन के निमन्त्रण पर यह यात्रा की गई। |
| 7. | श्री प्रेम कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के भारत-चीन मित्रता संघ का 6-सदस्यीय शिष्ट मंडल | 14 से 28 जुलाई, 1984 | अन्य देशों के साथ मित्रता बढ़ाने की चीन लोक समिति के निमंत्रण पर सद्भावना शिष्टमंडल। |
| 8. | डा० बी० के० बासु, अध्यक्ष, अखिल भारतीय कोटनीस स्मारक समिति | जुलाई, 1984 | सद्भावना यात्रा। |
| 9. | डा० यू० बैनर्जी, अध्यक्ष, भारतीय एक्यूपंचर संघ | 26 जुलाई, 1984 | अन्य देशों के साथ मित्रता बढ़ाने की चीन लोक समिति के निमन्त्रण पर सद्भावना शिष्टमंडल। |

**कोचीन स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में गैर सरकारी निकायों द्वारा किया गया अनुवाद**

2462 **श्री ए० नीललोहितदसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन स्थित बहुत से सरकारी कार्यालयों में हिन्दी कक्ष होने के बावजूद भी,

अनुवाद कार्य बाहर के गैर सरकारी निकायों द्वारा कराया जा रहा है और उस पर काफी धनराशि खर्च की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार अनुवाद कार्य हिन्दी अनुभागों में ही कराये जाने के लिए आवश्यक मार्ग-निर्देश जारी करेगी ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

**अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक और सांविधिक दर्जा दिया जाना**

**2463. श्री जो० एम० उनातवाला** ; क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक और सांविधिक दर्जा देने सम्बन्धी कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) और (ख) प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं और उलझनों पर सरकार विचार कर रही है ।

(ग) इस प्रयोजन के लिए कोई निश्चित समय सीमा बताना कठिन है ।

**दिल्ली पुलिस में की-पंच आपरेटरों को पदोन्नति के लिए भर्ती नियम**

**2464. श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या गृह मंत्री दिल्ली पुलिस के ई० डी० पी० सेल में की-पंच आपरेटरों की पदोन्नति के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में उन की-पंच-आपरेटरों को पदोन्नत करने के लिए जो इस पद पर लम्बे समय से काम कर रहे हैं, भर्ती नियम बना लिए गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कब तक पदोन्नत कर दिया जाएगा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) अभी नही, श्रीमान ।

(ख) और (ग) उपनिरीक्षक (कार्यकारी) के दो पदों को उपनिरीक्षक (मशीन रूम प्रोग्राम) के पदों में परिवर्तित किया गया है और उनके लिए भर्ती नियम बनाए जा रहे हैं । की-

पंच आपरेटरों के पदों की जो सिविल पद हैं पुलिस रैंकों में परिवर्तित करने और उनको उप-निरीक्षक (मशीन रूम प्रोग्राम) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव दिल्ली पुलिस दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

**रंगीन टी० वी० का मूल्य और बिक्री**

2465. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने रंगीन टी० वी० के मूल्य के संबंध में निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कब तक बाजार में आ जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या यह पूर्ण रूप से देश में बना होगा अथवा किसी विदेशी सहयोग से बनाया जाएगा ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव)** : (क) तथा (ख) जी नहीं रंगीन दूरदर्शन सेटों के मूल्यों को कम करने के संबंध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। स्वदेश में विनिर्मित रंगीन दूरदर्शन सेट बाजार में पहले से ही उपलब्ध है।

(ग) रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण के लिए निर्धारित औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, प्रत्येक मामले के गुण-दोष पर विशिष्ट रूप से विचार किए बिना, रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए किसी भी प्रकार के विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती है।

**मंत्रालयों/विभागों में तदर्थ पदों का नियमितीकरण**

2467. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में तदर्थ पदों के नियमितीकरण के बारे में क्या नीति है ;

(ख) कितने वर्षों बाद किसी तदर्थ पद के नियमतीकरण के बारे में क्या नीति है ;

(ग) क्या तदर्थ पदों पर नियुक्त किए गए ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें उस पद पर 7 वर्ष तक लगातार काम करने के बाद भी नियमित नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उन कर्मचारियों को उन पदों पर नियमित करने के बारे में विचार करेगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) से (घ) सरकार के

अधीन सभी पदों को या तो अस्थाई पदों के रूप में अथवा स्थाई पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है इसलिए ऐसे कोई पद नही है जिन्हें तदर्थ पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। ऐसे सभी अस्थाई अथवा स्थाई पदों पर नियमित नियुक्तियाँ ऐसे पदों के लिए अधिसूचित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार की जानी होती हैं। किन्तु कभी-कभी मंत्रालयों/विभागों को प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं, जैसे कि भर्ती नियमों को अन्तिम रूप देने में देरी, वरिष्ठता आदि के विवादों के कारण कुछ पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे तदर्थ कर्मचारियों को केवल संबंधित पदों के लिए लागू भर्ती नियमों के अनुसार उनका चयन हो जाने के बाद ही नियमति किया जा सकता है।

**अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा दिल्ली में तैनात रहने की अवधि का उल्लंघन**

2467. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह नीति अब भी लागू है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिल्ली में अपना सेवा काल पूरा करने के बाद अपने राज्य में वापस चला जाना चाहिए; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इस नीति का उल्लंघन किया न जा सके ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) तथा (ख) जी, हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय समूह "क" की संगठित सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी वरिष्ठ स्टाफिंग योजना के अधीन वरिष्ठ सेवाधियों के लिए अवर सचिव और उससे ऊपर के स्तर के पदों पर कार्य करते हैं और उसके समाप्त हो जाने पर वे सामान्यतः अपने मूल संवर्ग में वापस लौट जाते हैं। फिर भी, अलग-अलग अधिकारियों का सेवाकाल प्रशासनिक कारणों और लोक-हित में बढ़ाया/घटाया जा सकता है।

**टी० वी० सेटों का निर्माण**

2468. **श्री नवीन रावणी** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नए दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं और इसके फलस्वरूप टी० वी० सेटों की मांग बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट टी० वी० सेटों का वर्तमान निर्माण पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव)** : (क) जी, हां ।

(ख) श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सेटों का उत्पादन पर्याप्त है । उद्योग देश में पहली बार 8 लाख रंगीन दूरदर्शन सेटों का उत्पादन करने के लिए तैयार हो रहा है । इस अवधि के दौरान थोड़ा-बहुत अस्थायी अंतर हो सकता है ।

(ग) मार्च/अप्रैल, 1985 के आसपास 12 लाख श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों और 8 लाख रंगीन दूरदर्शन सेटों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में कोई रुकावट न आने देने का सुनिश्चय करने के लिए उत्पादन पर निगरानी, उसकी समीक्षा तथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त दूरदर्शन समन्वय तथा निगरानी समिति स्थापित की गई हैं ।

**छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास पर किया गया व्यय**

2469. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए व्यय सहित छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) उक्त व्यय का उप-स्कंध-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जून, 1984 तक 7598.62 लाख रुपये ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के भण्डार**

2470. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के जयन्ती क्षेत्र में डोलोमाइट का प्रचुर भंडार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी खोज करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के पास क्या योजनाएं हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे)** : (क) जलपाईगुड़ी के जयन्ती क्षेत्र में लगभग 745 मि० टन डोलोमाइट भंडारों का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) और (ग) अधिकांश निक्षेप पहले ही पट्टे पर दिए जा चुके हैं तथा उनका खनन संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है। चूंकि जलपाईगुड़ी जिले में डोलोमाइट का अन्वेषण भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1982-83 में पूरा किया गया है, इसलिए इस खनिज के आगामी अन्वेषण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

**सातवीं योजना का नीतिपत्र**

2471 **श्री भोखा भाई :** क्या योजना मन्त्री नीति-पत्र की एक प्रति सभा-पटल पर रखने की तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने और कौन-कौन से कार्य दल गठित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक कार्य दल से क्या रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या आदिवासी नीति में निर्धारित उद्देश्यों में संघटक योजना की पद्धति पर परिवर्तन किया गया है ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) :** (क) दि० 30 जुलाई, 1984 को सदन के सभा-पटल पर 'सातवीं' पंचवर्षीय योजना 1985-90 की नीति नामक दस्तावेज रखा गया गया है। सातवीं योजना तैयार करने के लिए अभी तक स्थापित किए गए कार्यकारी दलों की संख्या के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

(ख) ये रिपोर्टें प्रस्तुत की जाने वाली हैं।

(ग) नीति दस्तावेज में सातवीं योजना में अनुसरण करने के लिए जनजातीय विकास से सम्बन्धित कार्यनीति बताई गई है। यह कहा गया है कि 'जनजातीय क्षेत्रों में योजना प्रक्रिया, लाभोन्मुख कार्यक्रमों, आधार संरचना और जन संसाधन विकास कार्यक्रमों का सम्मिश्रण होगी। योजना के पूर्वाभिमुखीकरण को बल लाभोन्मुख कार्यक्रमों की ओर होना चाहिए। ऐसी आधार संरचना विकास स्कीमों पर बल दिया जाना चाहिए जो लाभोन्मुख कार्यक्रमों का समर्थन करें।

**विवरण**

**सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 को तैयार करने के लिए कार्यकारी दलों/ संचालन दलों/अध्ययन दलों आदि की सूची**

**1. भावी योजना :**

1. सत्तर के दशक में सरकारी और निजी क्षेत्र में वृद्धिमूलक पूंजी उत्पादन अनुपात के विश्लेषण और माप से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

2. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि-नीति से संबंधित अध्ययन दल।

3. भारत के पूर्वी क्षेत्र में कृषि-नीति से सम्बन्धित अध्ययन दल।

4. उर्वरक खपत से संबंधित अध्ययन दल।

5. सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना प्रतिरूप से सम्बन्धित सलाहकार दल।

6. गरीबी रेखा की संकल्पना और अनुमान से सम्बन्धित दल।

**2. वित्तीय साधन :**

7. सातवी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए वित्तीय संसाधनों के अध्ययन के लिए कार्यकारी दल।

8. सरकारी क्षेत्रक योजना परिव्ययों की वित्त व्यवस्था के लिए घरेलू संसाधन जुटाने की क्षमता और साधनों के अध्ययन के लिए कार्यकारी दल।

**3. अन्तरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र :**

9. भुगतान शेष से संबंधित कार्यकारी दल।

**4. प्रबोधन :**

10. केन्द्रीय मंत्रालयों और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक परियोजनाओं में प्रबोधन और सूचना तंत्र से संबंधित कार्यकारी दल।

11. राज्य और जिला स्तरों पर प्रबोधन और सूचना तंत्र से संबंधित कार्यकारी दल।

12. प्रशासन विकास के लिए प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकारी दल।

**5. कृषि :**

13. कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों से संबंधित संचालन दल।

14. बागवानी से संबंधित कार्यकारी दल।

15. कृषि आंकड़ों के मांग और पूर्ति प्रक्षेपण और सुधार से संबंधित कार्यकारी दल।

16. प्राकृतिक आपदाओं से निपटने से संबंधित कार्यकारी दल।

17. सिंचित और वर्षा सिंचित/शुष्क भूमि खेती, कृषि प्रसार और प्रशासन सहित कृषि उत्पादन से संबंधित कार्यकारी दल।

18. पशुपालन और डेयरी उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

19. कृषि ऋण और सहकारिता (फसल बीमा सहित) से संबंधित कार्यकारी दल।

20. खाद्य संसाधन से संबंधित कार्यकारी दल।

21. भंडारण और वेयर हाउसिंग से संबंधित कार्यकारी दल।

22. भूमि सुधार और विकास से संबंधित कार्यकारी दल।

23. बफर स्टाकिंग से संबंधित कार्यकारी दल।

24. कृषि-निवेषों (बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण, कृषि उपकरण और मशीनरी) से संबंधित कार्यकारी दल।

25. कृषि मूल्य नीति, व्यापार औम विपणन से संबंधित कार्यकारी दल।

26. मछली-पालन से संबंधित कार्यकारी दल।

27. वन उद्योग और भू-संरक्षण से संबंधित कार्यकारी दल।

28. कृषि विपणन और ग्रामीण गोदामों से संबंधित कार्यकारी दल।

29. बागान फसल से संबंधित कार्यकारी दल।

30. कृषि अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल।

**6. सिंचाई नियंत्रण क्षेत्र विकास और बाढ़ नियंत्रण।**

31. बड़ी और मध्यम सिंचाई से संबंधित कार्यकारी दल।

32. लघु सिंचाई से संबंधित कार्यकारी दल।

33. नियंत्रित क्षेत्र विकास से संसंधित कार्यकारी दल।

34. बाढ़ नियन्त्रण से संबंधित कार्यकारी दल।

**7. ग्रामीण विकास :**

35. ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम से संबंधित कार्यकारी दल।

**8. ग्राम और लघु उद्योग :**

36. खादी और ग्राम उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

37. हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

38. लघु उद्योगों से संबंधित कार्यकारी दल।

39. नारियल जटा उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

**9. श्रम, रोजगार और जनशक्ति :**

40. रोजगार कार्यनीति से संबंधित संचालन दल।

41. तकनीकी जनशक्ति की अपर्याप्तता की पहचान से संबंधित कार्यकारी दल।

42. पहाड़ी/जनजातीय क्षेत्रों में जनशक्ति आवश्यकताओं और अपर्याप्तताओं से संबंधित कार्यकारी दल।

43. औद्योगिक संबंधी से संबंधित कार्यकारी दल।

44. व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यकारी दल।

45. महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण ते संबंधित कार्यकारी दल।

46. रोजगार सेवाओं से संबंधित कार्यकारी दल।

**10. ऊर्जा :**

47. कोयला और लिगनाइट से संबंधित कार्यकारी दल।

48. पेट्रोलियम से संबंधित कार्यकारी दल।

49. विद्युत से संबंधित कार्यकारी दल।

50. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विभाग के लिए कार्यकारी दल।

**11. उद्योग और खनिज :**

51. अ-धातु (औद्यगिक) खनिजों से संबंधित कार्यकारी दल।

52. अ-लोह धातुओं—एल्यूमीनियम, तांबा, जस्ता, मैगनेसियम और निकल से संबंधित कार्यकारी दल।

53. टायरों और ट्यूबों (औटोमोबाइल और साइकिल) से संबंधित कार्यकारी दल।

54. सीमेंट उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

55. पेपर, पेपर बोर्ड और समाचार मुद्रण उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

56. नियन्त्रण और सहायता उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

57. चीनी उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

58. पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

59. मशीन निर्माण, परिवहन उपकरण और सम्बद्ध उद्योगों से संबंधित कार्यकारी दल।

60 चमड़ा और चमड़े के सामान के उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

61. लौह-अयस्क और खनिजों के लौह ग्रुप से संबंधित कार्यकारी दल।

62. पटसन कपड़ा उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

63. पेट्रो-रसायन उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल।

64. कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

65. उर्वरकों से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

66. कीटनाशक दवाइयों से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

67. लोहा और इस्पात से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

68. इलेक्ट्रानिक उद्योग से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

69. परमाणु ऊर्जा विभाग के औद्योगिक और खनन कार्यक्रमों से संबंधित कार्यकारी दल।

70. खाद्य तेल, साबुनों और अपमार्जकों (डिटर्जेन्ट्स) से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

71. दवाओं और औषधियों से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

72. उपभोक्ता की टिकाऊ वस्तुओं से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

73. कपड़ों से सम्बन्धित कार्यकारी दल (हैंडलूम, पावरलूम और रेशमकीट पालन शामिल है)।

**12. परिवहन :**

74. रेलवे से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

75. सड़कों से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

76. सड़क परिवहन से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

77. नौवहन से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

78. पत्तन से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

79. अन्तर्देशीय जल परिवहन से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

80. नागर वायु परिवहन से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

81. पर्यटन से सम्बधित कार्यकारी दल।

82. मौसम-विज्ञान से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

**13. संचार, सूचना और प्रसारण :**

83. संचार से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

84. सूचना और प्रसारण से सम्बन्धित कार्यकारी दल।

**14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी :**

85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित संचालन दल

86. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए कार्यकारी दल।

87. परमाणु ऊर्जा (अनुसंधान और विकास) विभाग के लिए कार्यकारी दल।

88. अंतरिक्ष (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) विभाग के लिए कार्यकारी दल।

89. पर्यावरण (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) विभाग के लिए कार्यकारी दल।

90. समुद्र विकास विभाग के लिए कार्यकारी दल।

91. वैज्ञानिकी और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) के लिए कार्यकारी दल।

**15. शिक्षा, कला और संस्कृति तथा खेल :**

92. शिक्षा से सम्बन्धित संचालन दल।

93. प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल ।

94. माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल ।

95. विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल ।

96. प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल ।

97. तकनकी शिक्षा से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

98. शैक्षिक तकनीक और अन्तर शिक्षा (डिस्टेंस लर्निंग) से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

99. भाषा से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

100. प्रबोधन और मूल्यांकन (शिक्षा) से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

101. शिक्षा क्षेत्रक के लिए संसाधन आवश्यकता के लिए कार्यकारी दल ।

102. कला और संस्कृति से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

103. खेल, भौतिक शिक्षा और युवक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

104. पुस्तकालय सेवाओं और सूचनाओं के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

**16. स्वास्थ्य और परिवार योजना :**

105. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित संचालन दल ।

106. जनसंख्या स्थिरीकरण और चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकलापों से संबंधित कार्यकारी दल ।

107. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल और प्रसव सेवाओं से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

108. संक्रामक रोगों और अंधेपन पर नियन्त्रण से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

109. असंक्रामक रोगों पर नियन्त्रण से सम्बन्धित कारीकार्य दल ।

110. चिकित्सा शिक्षा और जनशक्ति आयोजना से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

111. चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान तथा विकास से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

112. स्वास्थ्य, शिक्षा/सूचना, शिक्षा और संचार (आई०ई०सी०) से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

113. चिकित्सा की देशी पद्धति और होम्योपैथी संबंधित कार्यकारी दल ।

**17. आवास; शहरी विकास और जल आपूर्ति :**

114. आवास से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

115. शहरी विकास से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

116. जल आपूर्ति और सफाई-प्रबन्ध से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

**18. बहु-स्तरीय योजना :**

117. जिला योजना के लिए मार्गदर्शन तैयार करने के लिए कार्यकारी दल ।

118. पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

119. पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यकारी दल ।

**19. पिछड़ी जातियों :**

120. अनुसूचित जातियों के लिए कार्यकारी दल ।

121. अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यकारी दल ।

**20. समाज कल्याण :**

122. महिलाओं के विकास और कल्याण से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

123. बच्चों के विकास और कल्याण से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

124. विकलांगों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

125. समाज कल्याण के अवशिष्ट क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

**21. आर्थिक संवृद्धि और नीति :**

126. सिविल आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यकारी दल ।

**8 अगस्त, 1984 को होने वाली सदन की बैठक के लिए भारी पानी की आवश्यकता**

2472. **श्री सूरज भान**
**श्री चिंतामणि जेना**
**श्री उत्तम राठौर** } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष, यूनिट-वार, कितनी मात्रा में भारी पानी की आवश्यकता रही है;

(ख) उसकी योजना-वार, सप्लाई सम्बन्धी स्थिति क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी क्षमता का उपयोग होने का अनुमान है, तथा कितनी मात्रा में भारी पानी का आयात किया जाना आवश्यक है और इसको किस देश से आयात किया जाएगा; और

(ग) भारत इस मामले में संभवत: कब तक आत्म-निर्भर बन जाएगा ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) 235 मेगावाट क्षमता के दाबित भारी पानी किस्म के प्रत्येक चालू रिऐक्टर को प्रचालन के दौरान होने वाली भारी पानी की क्षति की पूर्ति के लिए औसतन 12 मीटरिक टन तक भारी पानी की जरूरत पड़ती है ।

(ख) बड़ोदा और तूतीकोरिन स्थित भारी पानी संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय

सुधार हुआ है। कोटा भारी पानी संयंत्र को चालू करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है। तलचर भारी पानी संयंत्र को चालू करने का काम फिर से इस महीने में शुरू किया जा रहा है। आशा है कि सप्लाई संबंधी वर्तमान करार के अन्तर्गत, राजस्थान परमाणु बिजलीघर में उपयोग के लिए सोवियत संघ से लगभग 70 मीटरिक टन भारी पानी का आयात चालू वर्ष में किया जाएगा।

(ग) उन भारी पानी संयंत्रों की, जो लगाए जा चुके हैं तथा जिन्हें लगाने की योजना है, क्षमता इतनी है कि परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के लिए भारी पानी के मामले में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित है।

**उत्तर प्रदेश और बिहार के छोटे और सीमान्त किसानों की गरीबी दूर करना**

2473. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमान्त और छोटे किसानों की गरीबी दूर करने के लिए सरकार का छठी योजना में कौन से ठोस कदम उठाने का विचार है ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाशचंद्र सेठी)** : छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने के मुख्य कार्यक्रम हैं :

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए० ग्रा० वि० का०);

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा० ग्रा० रो० का०); और

(3) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रा० भू० रो० गा० का०)।

वे छोटे और सीमान्त किसान जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3500/- रुपए से कम है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य समूह का हिस्सा हैं और उन्हें आय उत्पादन कार्यों के लिए ऋण के साथ-साथ क्रमशः 25 प्रतिशत और 33⅓ प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त छठी पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष से छोटे और सीमान्त किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक स्कीम आरम्भ की गई है।

ये सभी स्कीमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमान्त और छोटे किसानों के लिए भी लागू हैं।

**नेशनल एल्यमीनियम कंपनी लिमिटेड की परियोजना लागत**

2474. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नेल्को) की परियोजना लागत का मूल प्राक्कलन क्या था;

(ख) क्या नेल्को की परियोजना लागत बढ़ गई है और यदि हां, तो कितनी बढ़ गई है;

(ग) क्या परियोजना लागत में यह वृद्धि सरकार द्वारा मंजूरी देने में प्रारंभिक देरी किए जाने के कारण हुई है;

(घ) क्या परियोजना लागत और बढ़ जाने का अनुमान है क्योंकि योजना आयोग ने नेल्को के लिए वर्ष 1984-85 की वार्षिक योजना में भारी कटौती कर दी है; और

(ङ) नेल्को की परियोजना लागत को उचित सीमा के अन्दर रखने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) और (ख) नाल्को परियोजना की मूल स्वीकृत लागत, 1980 की प्रथम तिमाही मूल्य स्तर पर, 1242 करोड़ रुपए थी और उस समय यह अनुमान भी लगाया गया था कि निर्माण अवधि में 5% की वार्षिक संचयी लागत बृद्धि को ध्यान में रखकर लागत लगभग 1712 करोड़ रुपए हो जायेगी। परियोजना की संशोधित लागत तैयार की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) परियोजना खर्च पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खर्च में वृद्धि वस्तुतः आम मूल्य वृद्धि, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा शुल्क तथा ब्याज की देनदारी में वृद्धि के कारण हैं।

## ड्राइवरों के समयोपरि भत्ते में असमानता

2475. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टाफ कार ड्राइवरों, वाहन ड्राइवरों, तिपहियों के ड्राइवरों और डिसपैच ड्राइवरों के समयोपरि भत्तों में 1982 में संशोधन किया था और उनके समयोपरि भत्ते की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त श्रेणियों के ड्राइवरों, जिनका न्यूनमत मूल वेतन 260/- रुपए है, के लिए इस समय निर्धारित समयोपरि भत्ते की दरें क्या हैं;

(ग) क्या कुछ मंत्रालय/विभाग अभी भी स्टाफ कार ड्राइवरों के अलावा अन्य सभी ड्राइवरों को पुरानी दरों पर समयोपरि भत्ते का भुगतान कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो समयोपरि भत्ते की दरों में असमानता के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) स्टाफ कार ड्राइवरों को देय

समयोपरि भत्ते की दरें तथा उसकी अधिकतम सीमा वर्ष 1982 में संशोधित की गई थी। वैन (बन्द गाडी) ड्राइवरों, थ्री व्हीलर (तीन पहिए वाले) स्कूटर चालकों तथा डिस्पैच राइडरों (डाक हरकारों) के लिए समयोपरि भत्ते की दरों तथा समयोपरि भत्ते की अधिकतम सीमा को संशोधित नहीं किया गया है।

(ख) स्टाफ कार ड्राइवरों के लिए इस समय निर्धारित समयोपरि भत्ते की दरें निम्नप्रकार हैं।

| परिलब्धियां | समयोपरि भत्ते की दरें प्रति घंटा | |
|---|---|---|
| | प्रथम एक घंटे तक | उसके बाद |
| | | रुपये |
| 575 रु० से कम | शून्य | 4.30 |
| 575 रु० से अधिक किन्तु 625 से कम | ,, | 4.50 |
| 625 ,, ,, 675 ,, | ,, | 4.90 |
| 675 रु० से अधिक किन्तु 725 से कम | ,, | 5.25 |
| 725 ,, 775 ,, | ,, | 5.60 |
| 775 ,, 825 ,, | ,, | 6.00 |
| 825 ,, 875 ,, | ,, | 6.40 |
| 875 ,, 925 ,, | ,, | 6.75 |
| 925 रुपये तथा इससे अधिक | ,, | 6.95 |

(ग) स्टाफ कार ड्राइवरों से इतर चालकों अर्थात् वैन चालकों, तीन पहिया (थ्री व्हीलर) चालकों, डिस्पैच राइडरों के लिए निर्धारित समयोपरि भत्ते की दरें जो कि नीचे दिए अनुसार हैं, संशोधित नहीं की गई हैं। तदुनासार वे केवल विद्यमान दरों पर समयोपरि भत्ता पाने के हकदार हैं।

| परिलब्धियां | प्रति घंटा समयोपरि भत्ता | |
|---|---|---|
| | निर्धारित कार्य समय के बाद प्रथम एक घंटे तक | उसके बाद |
| 1 | 2 | 3 |
| | | रुपये |
| 275 रुपये से कम | शून्य | 0.95 |
| 275 से अधिक किन्तु 325 से कम | ,, | 1.25 |
| 325 ,, ,, 375 ,, ,, | ,, | 1.55 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 375 रु० से अधिक किन्तु 424 से कम | ,, | 1.80 |
| 425 ,, ,, 475 ,, ,, | ,, | 2.05 |
| 475 ,, ,, 525 ,, ,, | ,, | 2.35 |
| 525 ,, ,, 575 ,, ,, | ,, | 2.60 |
| 575 ,, ,, 625 ,, ,, | ,, | 2.90 |
| 625 ,, ,, 675 ,, ,, | ,, | 3.20 |
| 675 रुपये तथा इससे अधिक ,, | ,, | 3.45 |

(घ) स्टाफ कार ड्राइवरों को देय समयोपरि भत्ते की दरें स्टाफ कार नियमों द्वारा शासित होती हैं, जबकि वैन चालकों, तीन पहिया चालकों तथा डिस्पैच राइडरों को देय समयोपरि भत्ते की दरें सभी कार्यालय कर्मचारियों तथा सरकार में इसी प्रकार के अन्य कर्मचारियों के मामले में लागू आदेशों से शासित होती हैं। स्टाफ कार ड्राइवरों को अनुज्ञेय समयोपरि भत्ते की दरें संयुक्त परामर्श तंत्र योजना के अधीन विवाचन बोर्ड के एक निर्णय के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संशोधित की गई थी और यह निर्णय केवल स्टाफ कार ड्राइवरों के मामले में लागू होता है।

**संस्थानों को प्राप्त विदेशी सहायता**

2476. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
**श्री अशफाक हुसैन** } : क्या गृह मंत्री संस्थानों को प्राप्त विदेशी सहायता के बारे में 4 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6337 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान और अन्य विदेशी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल प्रतिष्ठान भारत में उसी प्रकार के प्रतिष्ठानों की आर्थिक मदद करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय/विदेशी प्रतिष्ठान का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारतीय प्रतिष्ठानों को आर्थिक मदद दी है और प्राप्तकर्त्ता प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक दानकर्त्ता प्रतिष्ठान द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रकार कितनी धनराशि की मदद दी गई और इस प्रकार का दान दिए जाने का उद्देश्य अथवा लक्ष्य क्या था;

(घ) कौन-सी निगरानी अथवा पर्यवेक्षण ऐजेंसी इस बात को सुनिश्चित करती है कि जिस उद्देश्य के लिए यह दान दिया गया है वास्तव में उसी के लिए इसका प्रयोग हो रहा है और दुरुपयोग नहीं किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो कितने मामलों में दुरुपयोग किए जाने का पता लगा है और इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) वर्ष 1980-1981 और 1982 के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। इन वर्षों की विवरणियों को संकलित कर दिए जाने के बाद ही सूचना उपलब्ध होगी।

(घ) और (ङ) यह देखने के लिए कोई विशिष्ट पर्यवेक्षी एजेंसी स्थापित नहीं की गई है कि विदेशी अभिदान वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके लिए यह प्राप्त किया गया है। मामलों के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा जबकि उनकी अभी जांच-पड़ताल की जा रही है।

**उड़ीसा में आदिवासी अध्ययन सम्बन्धी विद्यालय की स्थापना**

2477. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य की पर्याप्त आदिवासी जनसंख्या को देखते हुए सरकार इस राज्य में आदिवासी अध्ययन सम्बन्धी विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) से (ग) एक पूर्ण आदिवासी और हरिजन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान 1953 से भुवनेश्वर में चल रहा है। इस समय भारत सरकार के पास उड़ीसा में आदिवासी अध्ययन सम्बन्धी पृथक विद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) में बाघों की संख्या**

2479. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कान्हा (मध्य प्रदेश) में राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या पिछले दशक में लगभग दोगुनी हो गई है अर्थात् 1976 में 48 की तुलना में 94 हो गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या पांच वर्षों में अधिकतम स्तर तक पहुंच जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या में वृद्धि से यह चिन्ता उत्पन्न हो गई है कि अशक्त और बूढ़े बाघ नरभक्ष बन सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय उद्यान अधिकारियों का उद्यान क्षेत्र में 20 वन स्थित गांवों को स्थानान्तरित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या, 1974 में 43 से 1984 में 85 तक बढ़ गई है। 1976 में आबादी 48 थी।

(ख) एक राष्ट्रीय उद्यान में वास की क्षमता कई घटकों पर निर्भर होती है। अत: यह बताना संभव नहीं है कि अगले पांच वर्षों में स्थिति क्या होगी। बहरहाल प्राकृतिक आवासों में किए जा रहे सुधार से तथा साथ-ही-साथ शिकार की संख्या में वृद्धि से बाघों के वास की क्षमता में सुधार हो रहा है तथा यही कारण है जिससे कि गत दस अथवा कुछ वर्षों में उनकी संख्या में वृद्धि हुई।

(ग) जी, नहीं। एक प्राकृतिक क्षेत्र में बाघों की आबादी, सांघातिक झगड़ों अथवा प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतों द्वारा स्व-नियमन पर निर्भर करती है और कान्हा पार्क एक विस्तृत वन-पट्टी में स्थित है, जिसमें पता लगा है कि बेशी आबादी निकट के वनों में तितर-बितर हो जाती है।

(घ) तथा (ङ) यदि आवश्यक हो तो गांवों को दूसरे स्थान पर ले जाया जाना, प्राकृतिक आवासों के विकास हेतु व्यवस्था गतिविधि के रूप में शुरू की जाती है। यह किसी संभावित नर-भक्षी समस्या की किसी आशंका से प्रेरित नहीं है। पार्क में स्थित 43 गांवों में से अभी तक 22 गांवों को दूसरे स्थान पर ले जाया गया है तथा भविष्य में तीन और गांवों के स्थानान्तरण की तैयारियां की जा रही हैं।

**लोहा और इस्पात के मूल्यों में वृद्धि**

2480. **श्रीमती माधवी सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में लोहा और इस्पात के मूल्यों में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) क्या गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों का भौतिक और वित्तीय निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है; और

(ग) इस्पात मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए संयुक्त संयंत्र समिति की क्या भूमिका है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) :** (क) लोहे तथा इस्पात के मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति ने दिनांक 21 जून, 1984 को लोहे तथा इस्पात के मूल्यों में 15 प्रतिशत औसतन वृद्धि की घोषणा की थी।

(ख) गत दो वर्षों में सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सर्वतोसुखी इस्पात कारखानों का वास्तविक कार्यकरण इस प्रकार रहा :

(हजार टन)

| सर्वतो सुखी इस्पात | 1982-83 | | | 1983-84 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कारखाने | लक्ष्य | वास्तविक उत्पादन | देशी उत्पादों की बिक्री | योजना | वास्तविक उत्पादन | देशीय उत्पादों की बिक्री |
| सरकारी क्षेत्र में (खेल "इस्को" भी शामिल है) | 5800 | 5671 | 5092.7 | 4731 | 4771 | 5358.7 |
| निजी क्षेत्र में (टिस्को) | 1550 | 1620 | 1481.1 | 1550 | 1626 | 1498.7 |

1982-83 तथा 1983-84 के वर्षों में "सेल", "इस्को" तथा 'टिस्को' के कारखानों का वित्तीय निष्पादन इस प्रकार रहा :

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)
लाभ (+) / हानि (—)

| वर्ष | सेल | इस्को | टिस्को |
|---|---|---|---|
| 1982-83 | (—) 105.76 | (—) 71.05 | (+) 44.87 |
| 1983-84 | (—) 219.11 (अस्थायी) | (—) 114.51* (अस्थायी) | (+) 20.07 |

*इस्पात विकास कोष के समायोजन के पश्चात्

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को हानि होने का मुख्य कारण यह है कि आय में हुई शुद्ध वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम रही है।

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली लोहे और इस्पात की मदों के मूल्य निर्धारित करती है तथा उनकी घोषणा करती है। मूल्य निश्चित करते समय संयुक्त संयंत्र समिति उत्पादन लागत, घरेलू मांग और सप्लाई की स्थिति, खुले बाजार के मूल्यों, इंजीनियरी साज-सामान के निर्यातकों की सहायता के लिए धन जुटाने की आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं तथा लोहे और इस्पात के मूल्यों का अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे अन्य सम्बन्धित पहलुओं को भी ध्यान में रखती हैं।

लघु इस्पात कारखाने तथा पुनर्वेलक अपने उत्पादों के मूल्य स्वयं निर्धारित करते हैं।

**अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील वर्कर्स यूनियन के साथ समझौता**

2481. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या इस्पात और खान मंत्री इस्पात कारखाने के अध्यापकों के वेतन मानों की विसंगतियों को दूर करने के बारे में 24 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4897 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में स्टील वर्कर्स यूनियन के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है और इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए; और

(ख) जब अध्यापक "वर्कर" की परिभाषा से बाहर है तो स्टील वर्कर्स यूनियन अध्यापकों

को किस आधार पर सदस्य बनाती है तथा भिलाई इस्पात संयंत्र का प्रबन्ध मंडल इस यूनियन को किस आधार पर मान्यता देता है और उनके आथ समझौता करता है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) 25 मई, 1983 को नई दिल्ली में हुए इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय मजूरी समझौते के फलस्वरूप भिलाई इस्पात कारखाने ने राष्ट्रीय मजूरी समझौता अपनाने के लिए 17 जून, 1983 को कारखाना स्तर पर भिलाई की स्टील वर्कर्स यूनियन (इन्टक) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भिलाई में एक मात्र यह यूनियन ही मान्यता प्राप्त यूनियन है। इस समझौते में कर्मचारियों की किसी श्रेणी का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, परन्तु सभी श्रेणियों के कर्मचारी अर्थात् कामगार तथा अध्यापक इस समझौते के अन्तर्गत आ जाते हैं। समझौते में प्रत्येक वर्तमान वेतनमान के सामने संशोधित वेतनमान दिया गया है।

चूंकि अध्यापकों तथा अन्य कई कर्मचारियों के वेतनमान एक ही हैं अतः अध्यापकों के संशोधित वेतनमान भी इस समझौते के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस समझौते के अनुसार यह संशोधन 1 सितम्बर, 1982 से लागू हुआ है। सभी कर्मचारियों, जिनमें अध्यापक भी शामिल हैं, के संशोधन से पहले के तथा संशोधित वेतनमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस समझौते में मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, स्थानीय परिवहन खर्चे, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं आदि जैसे कई अन्य लाभ भी आते हैं। ये लाभ अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार इस समझौते से शिक्षकों की मांगों के बारे में भी समझौता हो गया है। भिलाई इस्पात कारखाने तथा स्टील वर्कर्स यूनियन, भिलाई के बीच केवल शिक्षकों के वेतनमान के बारे में औपचारिक रूप से अलग से कोई समझौता नहीं हुआ है।

इस प्रकार के समझौतों के अन्तर्गत श्रमिकों को भी शामिल करने की बात सर्वप्रथम वर्ष 1965 में लोहे और इस्पात उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड में उठाई गई थी। इस बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि वह संयंत्र स्थल से बाहर की सेवाओं जैसे वास्ती, चिकित्सा, शिक्षा, नगर-पालिका, वाटर-वर्क्स आदि में नियुक्त कर्मचारियों के मामले में भी विचार करेगा, क्योंकि ये कर्मचारी मुख्यतः संयंत्र के कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इस प्रकार वे इस्पात कारखानों का अभिन्न अंग हैं। बाद में वर्ष 1970, 1975, 1979, 1983 में हुए मजूरी समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ श्रमिकों पर लोहे और इस्पात उद्योग के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड का 1965 का यह निर्णय भी लागू होता है।

(ख) मध्य प्रदेश औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के अनुसार स्टील वर्कर्स यूनियन ही भिलाई इस्पात कारखाने के लिए मान्यता प्राप्त श्रमिक-संघ है और इस प्रकार यह भिलाई इस्पात कारखाने के सभी श्रमिकों का प्रतिनिधिक श्रमिक संघ है। इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि स्टील वर्कर्स यूनियन ने किस आधार पर शिक्षकों को अपनी यूनियन में शामिल किया है।

विवरण

"खेत" के कर्मचारियों के वर्तमान तथा संशोधित वेतनमान (1 सितम्बर, 1982 से लागू)

| वर्तमान | | संशोधित | |
|---|---|---|---|
| कोड नं० | वेतनमान (रुपए प्रतिमाह) | कोड नं० | वेतनमान (रुपए प्रतिमाह) |
| | (क) वर्क्स ग्रेड | | |
| एस 1 | 400—8—488 | एन 1 | 550—11—704 |
| एस 2 | 410—9—473—10—543 | एन 2 | 565—13—656—157—61 |
| एस 3 | 4301—2—514—13—605 | एन 3 | 585—16—697—18—823 |
| एस 4 | 455—14—553—15—658 | एन 4 | 610—20—750—22—904 |
| एस 5 | 490—20—630—21—777 | एन 5 | 645—26—827—28—1023 |
| एस 6 | 530—26—894 | एन 6 | 690—32—914—31—1152 |
| एस 7 | 590—27—779—30—989 | एन 7 | 750—38—016—41—1303 |
| एस 8 | 650—33—881—37—1140 | एन 8 | 810—41—1118—48—1454 |
| एस 9 | 750—40-990—42—1150 | एन 9 | 910—51—1267—55—1597 |
| | (ख) लिपिक-वर्गीय ग्रेड | | |
| एम 1 | 440—20—580—26-814 | ए 1 | 595—26—777—32—1065 |
| एम 2 | 540—26—748—30—988 | ए 2 | 700—34—972—41—1300 |
| एम 3 | 650—33—881—37—1140 (जैसा कि एस 8 है) | ए 3 | 810—44—1118—48—1454 (जैसा कि एन 8 है) |
| एम 4 | 650—40—890—42—1142 | ए 4 | 950—51—1207—55—1537 |

जर्मन संघीय गणराज्य सरकार द्वारा श्री तलविन्दर सिंह की रिहाई

2482. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जर्मन संघीय गणराज्य सरकार द्वारा आतंकवादी तलविन्दर सिंह की हाल ही में रिहाई के बारे में समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार की इस कार्रवाई पर गंभीर खेद व्यक्त करती है। सरकार के इस गम्भीर खेद और निराशा से उन्हें अवगत करा दिया गया है।

**लन्दन तथा सोवियत संघ में आर्थिक शिखर सम्मेलन**

2483. **श्री नारायण चौबे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस वर्ष जून महीने के दौरान हुए दो आर्थिक शिखर सम्मेलनों—एक सात विकसित देशों द्वारा लन्दन में तथा दूसरा पारस्परिक आर्थिक परिषद के देशों द्वारा सोवियत संघ में किए गए शिखर सम्मेलनों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक शिखर सम्मेलन में किन-किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई तथा उनका क्या परिणाम रहा है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक शिखर सम्मेलन के परिणामों का विकासशील देशों विशेषत: भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है।

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा)** : (क) जी, हां। औद्योगिक दृष्टि से अत्युन्नत सात देशों ने लन्दन में और पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के सदस्य राज्यों ने जून, 1984 में अपनी शिखर बैठकें आयोजित कीं।

(ख) इन दोनों शिखर बैठकों में मुख्य रूप से तो आर्थिक मसलों पर ही विचार किया गया था लेकिन कुछ राजनीतिक मसलों पर भी विचार-विमर्श हुआ था। लन्दन के शिखर सम्मेलन में पांच दस्तावेज जारी किए गए थे; ये थे—लन्दन आर्थिक घोषणा, लोकतांत्रिक मूल्यों पर घोषणा, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर घोषणा, पूर्व-पश्चिम सम्बन्धों पर एवं शस्त्र नियंत्रण घोषणा। इसके अतिरिक्त ईरान-इराक संघर्ष पर एक वक्तव्य भी जारी किया गया। आर्थिक घोषणा में भागीदार देशों ने अपनी-अपनी समस्याओं पर विचार किया था तथा विकासशील देशों के साथ अपने सम्बन्धों पर भी विचार किया विकासशील देशों के सम्बन्ध में उन्होंने ऋण-समस्या, विकासशील देशों को वित्त-प्रवाह, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था का संचालन, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की कोष-व्यवस्था तथा अफ्रीका की स्थिति जैसे मसलों को विशेष रूप से उजागर किया गया। उन्होंने औद्योगीकृत देशों की और विकासशील देशों की पारस्परिक निर्भरता को भी स्वीकार किया और विकासशील देशों के साथ अपने सम्बन्धों में सद्भाव और सहयोग से काम लेने की अपनी तत्परता पुन: व्यक्त की।

पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद के शिखर सम्मेलन ने "अपने सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग को और अधिक विकसित तथा गहन करने के सम्बन्ध में मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक बयान" जारी किया। इसके एक "पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद् के

सदस्य देशों की घोषणा : शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का अनुरक्षण"भी जारी की। ध्यान केन्द्रित करने के तरीकों के रूप में पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद् के पास अपने देशों के बीच पारस्परिक आर्थिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के तरीके हैं और समाजवादी आर्थिक एकीकरण को और मजबूत करने के तरीके भी। इनकी शिखर बैठक में विकासशील देशों के साथ सम्बन्धों पर भी विचार किया गया। पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद् की घोषणा में विकासशील देशों की अत्यन्त गंभीर स्थिति की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है और पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद् के देशों के इस दृढ़ इरादे की पुनः पुष्टि की गई है कि वे विकासशील देशों के साथ व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में लाभप्रद सम्बन्ध विकसित करना चाहते हैं और जिन देशों ने स्वतंत्रता और स्वाधीनता प्राप्त कर ली है, उनको आर्थिक और तकनीकी सहायता देने में वे जो कुछ कर सकते हैं, वे करने को भी तैयार है। पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद् की घोषणा में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों को एक नया रूप देने और एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कायम करने की दिशा में विकासशील देशों के प्रति भी अपना समर्थन व्यक्त किया गया है।

(ग) भारत तथा अन्य गुट-निरपेक्ष और विकासशील देशों ने विकसित और विकासशील देशों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने के लक्ष्य का हमेशा समर्थन किया है। इस लक्ष्य का दोनों ही शिखर सम्मेलनों ने अनुमोदन किया है; जरूरत इस बात की है कि विकासशील देशों की समस्याओं से निपटने के लिए ठोस उपाय तैयार किए जाएं। लेकिन यह बात ध्यान रखनी होगी कि विकासशील देशों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर और समष्टिगत स्तर पर आदान-प्रदान उनसे भिन्न होते हैं जो एक ओर उनके बीच और औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों के बीच होते हैं और दूसरी ओर उनके बीच तथा समाजवादी देशों के बीच होते हैं।

**तस्करों के पासपोर्ट जब्त करना**

2484. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाजी मस्तान को गिरफ्तार करने से पहले तथा सुकुर नारायण बखिया को विदेश जाने के लिए पासपोर्ट जारी करने की स्वीकृति दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके विरुद्ध तस्करी के बहुत से आरोप होने के कारण उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनको पासपोर्ट किस प्रकार जारी किए हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**ग्रामीण लोगों की गरीबी मिटाने के उपाय**

2495. **श्री राम लाल राही** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1-15 नवम्बर, 1983 के "योजना" में प्रकाशित "शहरों में बढ़ती भीड़ और गांव से भागती जनसंख्या" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह लेख सच्ची तस्वीर दर्शाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या शहरों की ओर लोगों के आने का कारण गरीबी और बेरोजगारी है ;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण लोगों की गरीबी मिटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ङ) यदि कोई उपाय नहीं किए गए तो उसके क्या कारण हैं ?

**योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लेख में दिए गए कुछ आंकड़े सही नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रव्रजन के अनेक कारण हैं जैसे : रोजगार की आवश्यकता, शिक्षा, परिवार का स्थान बदलना, विवाह आदि।

(घ) कृषि, खादी और ग्राम उद्योग और औद्योगिक प्रकीर्णन आदि जैसे सामान्य कार्यक्रमों के अलावा छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जनसंख्या के बीच गरीबी और बेरोजगारी प्रत्यक्ष रूप से कम करने के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये हैं :—स्वरोजगार से संबंधित ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए स्कीम सहित एकीकृति ग्रामीण विकास कार्यक्रम; राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ; ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का ब्यौरा छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के पैरा 11.9 से 11.38 पैराओं में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में और रोजगार के आवसर उत्पन्न करने के लिए, प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराके ग्रामीण गरीबों में सबसे गरीब व्यक्तियों को कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए वर्ष 1983-84 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया था।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**पंजाब की स्थिति के बारे में विश्व नेताओं को भेजा गया संदेश**

2486. **श्री अमर रायप्रधान**
**श्री बी० बी० देसाई** } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पंजाब में वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए विश्व के कुछ नेताओं को पत्र लिखे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उस पर इन विश्व नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा)** : (क) और (ख) पंजाब की हाल की घटनाओं के संदर्भ में और साथ ही इस बात को देखते हुए कि भारत मूल के व्यक्ति जिनमें सिख भी शामिल हैं, बड़ी संख्या में विदेशों में रहते हैं और भारत में होने वाले मसलों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां करते हैं, प्रधान मंत्री ने इन घटनाओं की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हुए विभिन्न शासनाध्यक्षों को पत्र लिखे। उन्होंने स्थिति पर अपनी समझ व्यक्त की है।

**पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ हुई बातचीत**

2487. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी**
**श्रीमती किशोरी सिन्हा**
**श्रीमती प्रमिला दंडवते** } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री और केन्द्रीय मंत्री के बीच 9 जुलाई को बैठक हुई थी;

(ख) क्या उस बैठक में "पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में श्वेत पत्र" पाकिस्तान द्वारा भारत में हथियारों की अवैध सप्लाई और इंडियन एयरलाइन्स की एयर बस का अपहरण करके उसके लाहौर ले जाने के बारे में कोई बातचीत हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) से (ग) पाकिस्तान के विदेश मंत्री 9 जुलाई को सुबह 8.30 बजे दिल्ली हवाई-अड्डे पर पहुंचे थे और आधे घंटे बाद वे हमारे भूतपूर्व विदेश मंत्री के साथ विशेष विमान द्वारा चले गए थे। इस उड़ान के दौरान अनौपचारिक और सामान्य प्रकार का विचार-विमर्श हुआ जिसमें भारत-पाकिस्तान संबंधों के विभिन्न पहलू शामिल थे।

**खाड़ी के देशों में भारतीयों को परेशान किया जाना**

2488. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें खाड़ी के देशों में अत्यधिक कठोर श्रम कानूनों के कारण वहां पर कार्य कर रहे भारतीयों को परेशान किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) खाड़ी के विभिन्न देशों की जेलों में इस समय भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें रिहा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा)** : (क) खाड़ी देशों के अत्यधिक कठोर श्रमिक कानून के कारण वहां काम करने वाले भारतीयों को तकलीफ और परेशानी के बारे में, कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है। लेकिन हमारे मिशनों को संविदा की शर्तों इत्यादि की व्याख्या में अन्तर के सम्बन्ध में भारतीय श्रमिकों से सामान्य प्रकार की शिकायतें बराबर मिल रही हैं।

(ख) खाड़ी देशों में स्थिति हमारे मिशनों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वहां की जेलों में बंद भारतीयों की संख्या इस प्रकार है :

बहरीन—3, ईरान—160, इराक—10, कुवैत—91,
ओमान—31, कातार—61, सऊदी अरब—126,
संयुक्त अरब अमीरात—300, यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य— शून्य,
यमन अरब गणराज्य—शून्य।

(ग) हमारे मिशन खाड़ी देशों में नजरबंद हमारे राष्ट्रिकों को सभी सम्भव सहायता और सलाह देते हैं। वे संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क करके उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे राष्ट्रिकों पर शीघ्र और निष्पक्ष मुकद्दमा चलाया जाए और जितनी जल्दी हो सके उन्हें रिहा किया जाए।

## उड़ीसा में परिवहन और संचार परियोजना के लिए निर्धारित धनराशि

2489. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान परिवहन और संचार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई ; और

(ख) उसके अन्तर्गत कितनी परियोजनाएं क्रियान्वित हो जाएंगी ?

**योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) उड़ीसा में राज्य योजना के अन्तर्गत परिवहन और संचार पर गत तीन वर्षों का व्यय नीचे दिया गया है :

(आंकड़े करोड़ रु० में)

| | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 (परिशोधित अनुमोदित परिव्यय) |
|---|---|---|---|
| परिवहन और संचार | 18.24 | 16.77 | 12.27 |

इनमें, सड़कों के निर्माण, सड़क परिवहन, अन्तर्देशीय जल परिवहन, नागर विमानन और छोटी बंदरगाहों से संबंधित बहुत सी परियोजनाएं शामिल हैं।

**कोयले की ढुलाई संबंधी समस्याओं का अध्ययन**

2490. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रेलवे बोर्ड और कोयला विभाग के संबंध में, वर्ष 1984-85 में कोयले की ढुलाई संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए कोई कृतिक बल गठित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कृतिक बल की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) कृतिक बल से कब तक अपनी रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) से (ग) जी, हां। अन्य प्रतिनिधियों के अलावा रेलवे बोर्ड, कोयला विभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधियों से युक्त कृतिक बल को 1984-85 में रेल द्वारा कोयले की ढुलाई संबंधी समस्याओं की जांच करनी थी और फरवरी, 1984 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

**विदेशी व्यक्तियों को वीसा प्रदान करने के बारे में नीति**

2491. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे देशों से आने वाले पर्यटकों, व्यापारियों, शिक्षाविदों अथवा सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बद्ध लोगों या तीर्थयात्रियों को वीसा प्रदान करने के मामले में सरकार की क्या नीति है, जिनके भारत के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं। लेकिन साथ ही साथ कोई विद्वेषपूर्ण संबंध भी नहीं हैं ; और

(ख) क्या उक्त मामले को गति देने हेतु भारत में संस्थाएं गठित करने के संबंध में कोई प्रतिबन्ध है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) ऐसे देशों के नागरिकों से वीसा प्रदान करने के लिए अनुरोधों पर घोषित प्रयोजन आदि को ध्यान में रख कर प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

**पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर की स्थिति को बढ़ा-चढ़ा कर प्रसारित किया जाना**

2492. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1984 के दैनिक ट्रिब्यून में "पाक मैगनीफाईंग जम्मू एण्ड कश्मीर सिचुएशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रचार माध्यमों ने जम्मू और काश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रचारित करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तानी प्रचार का विरोध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत की हाल ही की आन्तरिक घटनाओं को, जिनमें जम्मू और कश्मीर राज्य की घटनाएं भी शामिल हैं, पाकिस्तान के प्रचार-माध्यमों द्वारा तोड़-मरोड़ कर और आपत्तिजनक ढंग से प्रस्तुत किया गया।

पाकिस्तानी प्रचार माध्यमों द्वारा, जिनमें सरकारी प्रचार माध्यम भी शामिल हैं, भारत की आन्तरिक घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर पेश किए जाने का प्रश्न विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग अवसरों पर पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है।

पाकिस्तान में और अन्य जगहों पर भी हमारे मिशन इस तरह के मिथ्या प्रचार को सही रूप में प्रस्तुत करने के सभी संभव प्रयास करते हैं।

**पाकिस्तान को सैनिक सहायता के सम्बन्ध में अमरीकी रवैया**

2493. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अमरीकी सीनेट की विदेश सम्बन्ध समिति ने एक ऐसा संशोधन पारित किया था जिसके अधीन जब तक अमरीकी राष्ट्रपति यह प्रमाणित नहीं करता कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है, अथवा वह परमाणु बम बनाने की तैयारी नहीं कर रहा है, उसे अमरीकी सहायता नहीं दी जाएगी और यह भी कि राष्ट्रपति जिया ने अपने वक्तव्य में पाकिस्तान को मिलने वाली अमरीकी सैनिक सहायता को वहां के परमाणु कार्यक्रम से जोड़ने को पाकिस्तान के घरेलू मामलों में "दखल देना" का आरोप लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में उसको सैनिक सहायता देने के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार के नवीनतम रवैये के बारे में सरकार की जानकारी क्या है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा)** : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी सीनेट की विदेश सम्बन्ध समिति ने 28 मार्च, 1984 को एक संशोधन स्वीकार किया कि जब तक अमरीका के राष्ट्रपति यह प्रमाणित न कर दें कि पाकिस्तान नाभिकीय हथियारों के कार्यक्रम पर अमल नहीं कर रहा और उसके पास नाभिकीय हथियार नहीं है, तब तक पाकिस्तान को सहायता न दी जाए। बाद में 3 अप्रैल, 1984 को

इसी समिति ने अपने निर्णय को पलट दिया। तथापि सरकार समझती है कि सीनेट की विदेश सम्बन्ध समिति में विदेश सहायता विधेयक के संदर्भ में पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के विषय पर फिर विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है।

पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के सम्बन्ध में अमरीकी सरकार के फैसले में कोई परिवर्तन सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

**परमाणु ऊर्जा के बारे में भारत-लीबिया वाणिज्यिक सौदा**

2494. **श्री बापूसाहिब परुलेकर**
**श्री मोतीभाई आर० चौधरी** } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों में परमाणु ऊर्जा के सम्बन्ध में लीबिया के साथ एक वाणिज्यिक सौदा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं और यह सौदा करने वाले लोगों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस सौदे में कोई अनियमितता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधानमन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिमय प्रयोजनों के लिए करने के एक समझौते के ज्ञापन पर सन् 1978 के जुलाई मास में प्रधानमन्त्री, श्री मोरार जी देसाई तथा समाजवादी जन लीबियाई अरब जम्हारिया के स्टाफ मेजर जालौद ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये थे। तत्कालीन उद्योग मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीस भी बातचीत में शामिल थे।

(ग) तथा (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसे करार के निष्पादन में शामिल नहीं किया गया था, करार के कुछ प्रावधानों से पूर्णतया सहमत नहीं था। वैज्ञानिकों के आरम्भिक आदान-प्रदान के अतिरिक्त और कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन अब कालातीत हो चुका है।

**तांबे के आयात पर शुल्क में रियायत**

2495. **श्री रवीन्द्र वर्मा**
**श्री बापू साहिब परुलेकर** } : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में तांबे के निर्यात पर शुल्क में रियायत देने की घोषणा की थी और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने इस रियायत का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुचाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० सॉल्व)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) माननीय सदस्य का आशय संभवत: हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के तांबा रिवर्टो का विदेश में प्रद्रावण हेतु निर्यात और बाद में उसके आयात से है। चूंकि इसमें हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा स्वयं उत्पादित माध्यमिक ताँबा धातु के निर्यात और बाद में उसके आयात की बात थी, इसलिए ऐसे आयातों पर लागू पूर्ण सममूल्य शुल्क की अदायगी पर, वापस प्राप्त तांबा वायर बार और वायर रोड पर मूल और पूरक सीमा शुल्क से छूट देने का तदर्थ आदेश जारी किया गया है। टोल प्रद्रावण के बाद प्राप्त ताँबा धातु हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा मात्र उन प्रवर्तित मूल्यों पर बेची जा रही हैं जो खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा आयातित ऐसे माल के लिए मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तय किये जाते हैं। ये मूल्य हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा टोल प्रद्रावित तांबे पर हुए व्यय से कम होते हैं। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए छूट का लाभ उपभोक्ताओं को सुलभ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**पाकिस्तान की सेन्ट्रल इन्टैलीजेंस एजेन्सी द्वार भारतीयों का रोका जाना**

2496. **श्री निहाल सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठ भारतीय यात्रियों जिन्हें सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पहले ही जाने की अनुमति दे दी गई थी, को पाकिस्तान की सेन्ट्रल इन्टैलीजेन्स एजेन्सी द्वारा देश के सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन करते हुए रोक लिया गया और एक विमान द्वारा कहीं और ले जाया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से पूछताछ की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा)** : (क) से (ग) 28 अप्रैल, 1984 को इस्लामाबाद स्थित हमारे राजदूतावास को सूचना दी गई कि पाकिस्तान से भारत लौटने

वाले आठ भारतीय राष्ट्रिकों को पाकिस्तान की फैडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेन्सी ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर अनाधिकार रूप से रोक लिया है जबकि लाहौर में पाकिस्तान के कस्टम और आप्रवासन अधिकारी उन्हें जाने की बकायदा अनुमति दे चुके थे।

यह सूचना मिलते ही हमारे राजदूतावास ने सही-सही स्थिति का पता लगाने और रोके गये भारतीय राष्ट्रिकों को कोंसली सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्काल पाकिस्तान सरकार से संपर्क किया। पाकिस्तान सरकार से यद्यपि औपचारिक पत्र अभी आना है तो भी राजदूतावास द्वारा अनौपचारिक पूछताछ से पता चला है कि उन्हें अगले ही दिन छोड़ दिया गया था और वे रेल से भारत लौट आए।

**भारतीय सीमा के निकट बंगलादेश की सेनाएं**

2497. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजबाड़ी में 28 जून, को घात लगाकर आक्रमण किए जाने के कारण, जिसमें अगरतला में केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के 6 जवानों सहित सुरक्षा बल के 8 आदमी मारे गए थे, त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को सतर्क किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलादेश की गतिविधियां गम्भीर चिन्ता का विषय है;

(ग) क्या बंगलादेश ने भारतीय सीमा पर सेनाएं जमा की हैं और तनाव पैदा कर रहा है;

(घ) क्या भारतीय सेना को बंगलादेश से जुड़ी सभी सीमाओं के साथ ही रहने के आदेश दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सीमा पर विद्रोहियों की घुसपैठ/निष्कासन को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

(ग) सीमा पर बंगलादेश के बलों का जमाव देखने में नहीं आया है।

(घ) सेना को ऐसे कोई आदेश नहीं दिए गए हैं।

(ङ) सीमा पर सीमा सुरक्षा बल पूर्णत: सावधान और सतर्क हैं। सभी सीमा बाह्य चौकियों को सावधान कर दिया गया है और विद्रोहियों के छिपने के संदिग्ध स्थानों पर छानबीन अभियान

चलाये जा रहे हैं। गहन गश्त की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल की एक अतिरिक्त बटालियन को तैनात करके त्रिपुरा-बंगलादेश सीमा पर स्थिति सुदृढ़ की गई है।

**20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाना**

2498. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाने का कार्य पूरा हो गया है, यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या बिहार के सभी जिलों में ऐसे सभी लोगों का न तो पता लगाया गया है और न ही उनकी पूर्ण सूची तैयार की गई है;

(ग) क्या बिहार गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए लोगों के आंकड़े बढ़ा-चढ़ा कर दिए गए हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार एक केन्द्रीय दल भेज कर बिहार के सम्बन्ध में इन आंकड़ों की विस्तृत जांच कराने का है ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) 1977 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर आधारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार अनुमानित संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। नवीनतम सर्वेक्षण 1983 में किया गया था और इसके परिणाम अभी अपेक्षित हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उन व्यक्तियों का, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3500/- रुपये से कम है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए०ग्रा०वि०का०) के अन्तर्गत निर्धारण किया जाता है और उन्हें सहायता दी जाती है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित और सहायता प्राप्त व्यक्तियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

(ख) बिहार सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लाभान्वितों की सूची मुद्रित की जा चुकी है और अधिकांश जिलों में यह उपलब्ध करा दी गई है।

(ग) बिहार से संबंधित ऐसी कोई शिकायत ध्यान में नहीं आई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण-1

1977-78 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की राज्यवार संख्या और प्रतिशत

| क्रम संख्या | राज्य | ग्रामीण | | शहरी | | संयुक्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या (लाख) | प्रतिशत | संख्या (लाख) | प्रतिशत | संख्या (लाख) | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 170.35 | 43.89 | 36.44 | 35.68 | 206.79 | 42.18 |
| 2. | असम | °8.34 | 52 65 | 7.07 | 37.37 | 95.41 | 51.10 |
| 3. | बिहार | 338.44 | 58.91 | 32.94 | 46.07 | 371.38 | 57.49 |
| 4. | गुजरात | 94.84 | 43 20 | 26.48 | 29.02 | 121.32 | 39.04 |
| 5. | हरियाणा | 22.10 | 23.25 | 6.95 | 31.74 | 20.05 | 24.94 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 10.37 | 28.12 | 0.51 | 16.56 | 10.88 | 27.23 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 14.57 | 32.75 | 4.35 | 39.33 | 18.92 | 34.06 |
| 8. | कर्नाटक | 124.10 | 49.88 | 38.62 | 43.97 | 162.72 | 48.34 |
| 9. | केरल | 93.42 | 46.00 | 22.19 | 51.44 | 115.61 | 46 95 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 244.59 | 59.82 | 42.74 | 48.09 | 287.33 | 57.73 |
| 11. | महाराष्ट्र | 214.11 | 55.85 | 61.30 | 31.62 | 275.41 | 47.71 |
| 12. | मणिपुर | 3.42 | 30.54 | 0.56 | 25.48 | 3.98 | 29.71 |
| 13. | मेघालय | 5.51 | 53.87 | 0.36 | 13.16 | 5.87 | 48.03 |
| 14. | नागालैंड | उ०न० | उ०न० | 0.03 | 4.11 | उ०न० | उ०न० |
| 15. | उड़ीसा | 158.97 | 68.97 | 10.33 | 42.19 | 169.30 | 66.40 |
| 16. | पंजाब | 13.49 | 11.87 | 9.59 | 24.66 | 23.08 | 15.13 |
| 17. | राजस्थान | 85. 9 | 33.75 | 19.12 | 33.80 | 104.91 | 33.76 |
| 18. | तमिलनाडु | 170.67 | 55.68 | 66.59 | 44.79 | 237.06 | 52.12 |
| 19. | त्रिपुरा | 10.93 | 64.28 | 0.61 | 26.34 | 11.54 | 59.73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | उत्तर प्रदेश | 420.93 | 50.23 | 72.27 | 49.24 | 502.20 | 50.09 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 227.65 | 58.94 | 48.10 | 34.71 | 275.75 | 52.54 |
| 22. | सभी संघ राज्य क्षेत्र | 6.35 | 34.32 | 11.24 | 17.96 | 17.59 | 21.69 |
| | अखिल भारत (भारित) | 2527.74 | 50.82 | 518.39 | 38.19 | 3046.10 | 48.13 |

उ० न०=उपलब्ध नहीं।

टिप्पणी : (1) उपर्युक्त अनुमान 1977-78 की कीमतों पर 65 रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह की गरीबी रेखा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप है और 75 रु० की गरीबी रेखा जो शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप है, के आधार पर प्राप्त किए गए हैं।

(2) ये परिणाम घरेलू उपभोक्ता व्यय से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 32वें चक्र (जुलाई, 1977 से जून, 1978) के अनंतिम और जल्दी प्राप्त किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

(3) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में अनुमानित संकलित अखिल भारतीय निजी उपभोग व्यय के आंकड़ों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन से प्राप्त आंकड़ों के बीच अन्तर यथा अनुपात विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से इसके निर्धारण की कोई सूचना न प्राप्त होने के कारण समायोजित कर लिया गया है।

(4) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 1 मार्च, 1978 की जनसंख्या से संबंधित है।

(5) अखिल भारत के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और प्रतिशत विवरण में दी गई राज्यों की जनसंख्या के अनुसार है।

विवरण-2

छठी पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य के अन्तर्गत राज्य द्वारा लाभान्वित परिवारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(संख्या लाख रु०)

| राज्य का नाम | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1980-84 |
|---|---|---|---|---|---|
| | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | वास्तविक | जोड़ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आंध्र प्रदेश | 1.67 | 2.3 | 2.85 | 2.49 | 9.40 |
| असम | 0.20 | 0.22 | 0.40 | 0.60 | 1.42 |
| बिहार | 2.53 | 2.76 | 3.62 | 4.30 | 13.21 |
| गुजरात | 1.06 | 1.16 | 1.74 | 1.84 | 5.80 |
| हरियाणा | 0.47 | 0.80 | 1.59 | 1.00 | 3.86 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.48 | 0.35 | 0.46 | 0.43 | 1.72 |
| जम्मू और कश्मीर | 0.09 | 0.28 | 0.35 | 0.45 | 1.17 |
| कर्नाटक | 0.64 | 0.87 | 1.79 | 2.02 | 5.32 |
| केरल | 0.80 | 0.97 | 1.28 | 1.20 | 4.25 |
| मध्य प्रदेश | 2.34 | 2.32 | 3.14 | 3.25 | 11.05 |
| महाराष्ट्र | 1.14 | 1.39 | 2.20 | 2.56 | 7.29 |
| मणिपुर | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.20 |
| मेघालय | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.19 |
| नागालैंड | 0.17 | 0.13 | — | 0.08 | 0.38 |
| उड़ीसा | 1.00 | 1.38 | 2.52 | 2.17 | 7.07 |
| पंजाब | 0.63 | 0.87 | 0.98 | 0.73 | 3.21 |
| राजस्थान | 0.83 | 1.22 | 1.83 | 1.63 | 5.51 |
| सिक्किम | नगण्य | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| तमिलनाडु | 2.55 | 3.58 | 2.71 | 2.78 | 11.62 |
| त्रिपुरा | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.41 |
| उत्तर प्रदेश | 9.99 | 5.40 | 5.55 | 6.43 | 27.37 |
| पश्चिम बंगाल | 0.37 | 0.67 | 0.96 | 2.36 | 4.36 |
| जोड़ राज्य : | 27.15 | 26.97 | 34.24 | 36.52 | 124.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | | | |
| अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | — | — | नगण्य | 0.01 | 0.01 |
| अरुणाचल प्रदेश | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.32 |
| चण्डीगढ़ | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| दादर और नगर हवेली | — | — | नगण्य | 0.01 | 0.01 |
| दिल्ली | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.14 |
| गोवा, दमन और दीव | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.24 |
| लक्षद्वीप | — | — | नगण्य | 0.01 | 0.01 |
| मिजोरम | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| पांडिचेरी | नगण्य | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| जोड़—संघ राज्य क्षेत्र | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0 33 | 0.94 |
| कुल जोड़ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र | 17.27 | 27.15 | 34.55 | 36.85 | 125.82 |

**वीसा नियमों में संशोधन**

2499. **श्री चित्त महाटा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ श्रेणियों के लिए वीसा नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) और (ख) जून, 1984 के मध्य तक राष्ट्रमंडल देशों और आयरलैंड के नागरिकों को भारत में प्रवेश करने के लिए वीसा प्राप्त करने से छूट थी यदि वे मिशनरी कार्य अथवा उससे सम्बन्धित कार्य के लिए आ रहे हों। पारपत्र (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 में वीसा प्रणाली के अन्तर्गत सभी श्रेणियों के ऐसे नागरिकों को शामिल

करने के लिए 13 और 16 जून, 1984 का संशोधन किया गया है। (इसके साथ ही श्रीलंका और बंगलादेश के नागरिक भी वीसा की आवश्यकताओं के अधीन आते हैं।)

सरकार ने बिना वीसा के भारत में आने वाले नार्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, आइसलैंड और मालदीव के नागरिकों को 90 दिन के लिए ठहराने की सुविधा प्रदान करने वाले नियमों में इस व्यवस्था को भी अगले आदेशों तक 24 जून, 1984 से निलम्बित किया गया है।

**रंगीन टी० वी० के मूल्य में कमी करना**

2500. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या रंगीन टी० वी० की शिक्षा, मनोरंजन और प्रचार के माध्यम के रूप में उपयोगिता को देखते हुए इसके मूल्य 50 प्रतिशत कम कर दिए गए हैं ;

(ख) क्या बाजार में टेलीविजन घटे मूल्यों अर्थात् आधे मूल्यों तक उपलब्ध करा दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो 1984 में दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में बेचे गए टेलीविजनों की कम्पनी-वार संख्या कितनी है और प्रत्येक मामले में कितनी कटौती की गई ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागपूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**ज्वालापुर और पाथरी स्टेशनों के बीच मसूरी एक्सप्रेस का लूटा जाना**

2501. **श्री जयपाल कश्यप**
**श्री छोटे सिंह यादव** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से देहरादून तक की मसूरी एक्सप्रेस के यात्रियों को हाल ही में ज्वालापुर और पाथरी स्टेशनों के बीच सशस्त्र लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राजदुलारी सिन्हा)** : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 12-15 सशस्त्र डकैतों ने 10/11.7.1984 को रात को 11 से 11.30 बजे के मध्य, जबलपुर और पाथरी स्टेशन के बीच 42 डाउन मसूरी एक्सप्रेस के एक डिब्बे के यात्रियों को लूटा।

एक डकैत ने एक गोली चलाई जो बोगी के छत पर लगी और छत के टुकड़े सेना के एक जवान को लगे। आंख के नजदीक मामूली खरोंच और हाथ में मामूली खरोंच आने से वह जख्मी हो गया। कई यात्रियों की लगभग 35,000 रु० की सम्पति लूटी गयी। 12/13-7-84 की रात को पुलिस तीन अभियुक्तों को, जो सभी गांव पाथरी, थाना ज्वालापुर जिला सहारनपुर के निवासी हैं, तीन देशी पिस्तौल और 13 कारतूसों के साथ गिरफ्तार करने में सफल हुई और उनकी तलाशी लेने पर लूटी गई 3 घड़ियां बरामद की गयीं। तीनों अभियुक्तों ने डकैती का अपराध स्वीकार कर लिया है। एक अन्य अभियुक्त को बाद में 15-7-1974 को गिरफ्तार किया गया जो गांव पाथरी थाना ज्वालापुर जिला सहारनपुर का निवासी है उसने भी डकैती डालने का अपराध स्वीकार कर लिया है।

जनता की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) सभी रात्री पैसेन्जर/मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों में सशस्त्र पुलिस तैनात किए जाते हैं।

(2) संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए सादे कपड़ों में कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

(3) रास्ते के किनारे के रेलवे स्टेशनों पर जहां कोई थाना या बाह्य चौकी नहीं है वहां जिला पुलिस कर्मचारियों को संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए, गाड़ियों के आने-जाने के समय पर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

(4) संक्रिय अपराधियों की हिष्ट्री शीट खोली जा रही है।

(5) पुलिस के बचाव दलों को प्रत्येक स्टाप पर उतरने, जहां पर गाड़ियां रुकती हैं और गाड़ी का चक्कर लगाने और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी के आदेश दिए गए हैं।

**रायल्टी की दरों का पुनरीक्षण**

2502. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के खान और भूविज्ञान विभागों के मंत्रियों ने सरकार से आग्रह किया है कि खनिजों की रायल्टी दर प्रति चार वर्ष के बजाय प्रति दो वर्ष में पुनरीक्षित किये जाये ;

(ख) क्या लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क की रायल्टी दरें क्रमशः 12 जून, 1982 और 1 जनवरी, 1983 से पुनरीक्षित की जानी थी ;

(ग) यदि हां, तो लौह और मैंगनीज अयस्क की रायल्टी दरों को अब तक पुनरीक्षित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) खनिजों की रायल्टी दरें शीघ्र ही पुनरीक्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) जी, हां।

(ख) धारा 9 (3) केन्द्र सरकार को खनिजों पर रायल्टी की दरों में घट-बढ़ करने का अधिकार प्रदान करती है। परन्तु रायल्टी की दरें 4 वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकतीं। लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क की रायल्टी दरों में विगत संशोधन 12.6.1978 और 1.1.1979 को किया गया था और इसलिए 4 वर्ष की न्यूनतम अवधि क्रमशः 12.6 1982 और 1.1.1983 को समाप्त हुई है।

(ग) और (घ) इन खनिजों पर रायल्टी दरों में संशोधन का प्रस्ताव पहले से विचाराधीन है।

**शास्त्री भवन से अवैध कामों में लगे हुए व्यक्तियों की गिरफ्तारी**

2503. **श्री सत्य नारायण जटिया**
**श्री दौलत राम सारण**
**श्री शिवशरण वर्मा**
**श्री जयपाल सिंह कश्यप** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने 11 जुलाई, 1984 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली की छत से अवैध कामों में लगे हुए कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद नकदी और सामान पकड़ा था; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित घटना और गतिविधियों के लिए कौन उत्तरदायी है और इस बारे में अब तक क्या कार्रवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जी, हां, श्रीमान, 10 जुलाई, 1984 को।

(ख) सचिवालय सुरक्षा बल के तीन कर्मिकों को, जो उस दिन ड्यूटी पर थे, निलम्बित कर दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जुआ अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गए सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धित विभागों को और लिफ्ट कर्मचारियों के संबंधित विभाग को, उनके अन्तर्ग्रस्त होने के बारे में, उचित विभागीय कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है।

12 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया था और 11 जुलाई, 1984 को न्यायालय में दायर किया गया। उनमें से पांच को प्रत्येक को 200 रु० जुर्माना अदा करने और 7 दिन के साधारण कारावास की सजा दी गयी जबकि अन्य सात के विरुद्ध मामला विचारण के लिए लम्बित है।

**निर्धनता में कमी का योजना-वार ब्यौरा**

2504. **श्री एन० ई० होरो :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय कितने प्रतिशत लोग गरीब थे ;

(ख) सरकार ने देश में गरीबी को कितना कम किया है और तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में छठी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी को किस हद तक कम कर दिया जाएगा ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) और (ख) : गरीबी की रेखा की वर्तमान संकल्पना और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या योजना आयोग द्वारा स्थापित न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी मांग से संबंधी कृतिक बल की सिफारिश पर आधारित है जिसकी रिपोर्ट जनवरी, 1979 में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में वर्तमान छठी योजना तैयार करते समय गरीबी का अनुमान लगाने की इस कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया था। इसलिए पिछली योजनाओं के संबंध में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत संबंधी कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह परिकल्पना की गई है कि योजना के अन्त तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कम होकर 30 प्रतिशत रह जाएगा।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के नीति दस्तावेज के अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कम करके 1994-95 तक 10 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाएगा। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में सातवीं योजना के अन्त तक के सही-सही अनुमान अभी लगाये जाने हैं।

**कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए राज्यों में सेना तैनात किया जाना**

2505. **श्रीमती प्रमिला दंडवते**
**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान सांप्रदायिक दंगों अथवा राष्ट्रीय विपदाओं के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम करने के लिए किन-किन परिस्थितियों में कितनी बार सेना तैनात की गई ;

(ख) नागालैंड और असम जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में थलसेना के जवान कितने वर्षों तक रखे गए ; और

(ग) इन क्षेत्रों से सेना को वापिस न बुलाये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 के दौरान सेना को निम्न प्रयोगों के लिए 369 अवसरों पर तैनात किया गया था :—

| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए | 4 | 10 | 1 | 3 | 18 |
| विद्रोह के जवाब में/आतंकवादी विरोधी अभियानों में | 3 | 1 | — | 2 | 6 |
| प्राकृतिक विपदाओं में | 33 | 32 | 28 | 17 | 110 |
| आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 |
| अन्य प्रकार की सहायता | 57 | 48 | 73 | 24 | 202 |
| | 105 | 101 | 110 | 53 | 369 |

(ख) सेना उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में निम्न अवधियों के लिए तैनात रही है :

(i) नागालैंड —जुलाई, 1956 के बाद से
(ii) मिजोराम —2 मार्च, 1966 के बाद से
(iii) मणिपुर —9.9.1980 के बाद से
(iv) त्रिपुरा —17.9.1982 के बाद से

(ग) सेना को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए तैनात किया गया था। अभी स्थिति इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि इन क्षेत्रों से सेना को वापस बुला लिया जाए।

**छठी योजना अवधि के दौरान उत्पादन, रोजगार और नियति में हुआ घाटा**

506. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके अनुसार बिजली सप्लाई की स्थिति कोयला उत्पादन, रेल यातायात और सिंचाई कार्यक्रमों में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब सहित दोषपूर्ण आयोजन भी इसका कारण है ;

(ग) यदि हां, तो उत्पादन, रोजगार और निर्यात के मामले में पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुए घाटे की तुलना में चालू योजना अवधि में कितना घाटा हुआ है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, नहीं। इन क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है। वर्ष 1979-80 के अन्त तक और वर्ष 1983-84 के अन्त तक के क्षमता/उत्पादन स्तरों को दिखाने वाला एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(ख) मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज में विस्तृत क्षेत्रक-वार समीक्षाओं के ब्यौरे की ओर ध्यान किया जाता है जो अगस्त, 1983 में सदन के सभा-पटल पर प्रस्तुत किया गया था। (माननीय सदस्यों को भी उसकी प्रतियां वितरित की गई थीं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। किसी भी स्थिति में, इस समय उत्पादन में समय-समय पर होने वाली हानियों के बारे में सही-सही अथवा तुलनीयता सहित परिमाणन करना सम्भव नहीं है। इस प्रकार की हानियां या तो अकेले ही और या मिलकर अनेक कारणों से हो सकती हैं।

**विवरण**

| | इकाई | 1970-80 | 1983-84 |
|---|---|---|---|
| **1. विद्युत** | | | |
| (1) अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (केवल उपयोगिताएं) | मे० वा० | 28490 | 39636 |
| (2) बिजली उत्पादन | बिलियन के० डब्ल्यू० एच० | 211 | 149.5 |
| **2. कोयला** | मिलियन टन | 103.99 | 138.39 |
| **3. रेलभाड़ा** | उत्पादन मि० टन | 218 | 255 |
| **4. सिंचाई** | | | |
| (1) कुल सिंचाई क्षमता | मिलियन हेक्टेयर | 56.50 | 65.55 |
| (2) कुल उत्पादन | मिलियन हेक्टेयर | 52.32 | 60.53 |

**वीडियो ब्लैंक कैसेटों के निर्माताओं पर लगाई गई शर्तें**

2507. **श्री अमल दत्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वीडियो ब्लैंक कैसटों के निर्माण हेतु छोटे औद्योगिक एककों को स्वीकृति देने के लिए हाल ही में कतिपय शर्तें लगाई गई हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शर्तें कितने एककों पर लगाई गई हैं;

(ग) क्या उन एककों पर ऐसी कोई शर्त लगाई गई है जिन्हें उसी मद के लिए पहले स्वीकृति दी गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इन शर्तों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। ये शर्तें उन 318 इकाइयों पर लागू की गई हैं, जिन्हें मई से जुलाई, 1984 के दौरान अनुमोदन प्रदान किए गये हैं। इस समय लागू तथा पहले लागू की गई शर्तों में जो मुख्य अन्तर है वह टेप-लोडर, जो वीडियो टेप को खाली कैसटों की चकरियों में लपेटने के लिए अनिवार्य है, की खरीद के बारे में है। उन इकाइयों पर ऐसी कोई शर्त लागू नहीं की गई थी, जिन्हें पहले इसी मद के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए थे। जिन इकाइयों को पहले अनुमोदन प्रदान किये गये थे, सरकार उन्हें लिख रही है कि यदि उन्होंने पहले से ही लोडर प्राप्त न किए हों तो वे इसे अब प्राप्त कर लें।

**विवरण**

1. अनुमोदन मिलने से पार्टी को परियोजना आवेदन-पत्र में उल्लिखित कच्ची सामग्रियों/संघटक-पुर्जों तथा पूंजीगत-वस्तुओं का आयात करने का हक स्वमेव प्राप्त नहीं हो जाता। उनकी कच्ची सामग्रियों/संघटक-पुर्जों तथा पूंजीगत वस्तुओं की आयात विषयक आवश्यकताओं को सामान्यतः विद्यमान आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुरूप ही पूरा किया जाएगा।

2. सरकार स्वदेशी विकास को ध्यान में रखते हुए बिना किसी बंधन के किसी भी विनिर्दिष्ट शर्त में किसी भी समय संशोधन या कोई शर्त (शर्तें) जोड़ सकती है।

3. अनुमोदन-पत्र जारी होने की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए वैध होगा तथा यदि इकाई द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते हैं, तो अनुमोदन स्वतः व्यपगत हो जाएगा और कोई भी

एजेन्सी/एजेन्सियां इस कार्यालय से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना ऐसे व्यपगत अनुमोदन को पुनः प्रवृत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस बारे में इस कार्यालय का निर्णय ही अंतिम तथा बाध्यकारी रहेगा। इसके अलावा इस अनुमोदन-पत्र को रद्द अथवा अप्रभावी कर दिया जाएगा। यदि यह कार्यालय इस बात में संतुष्ट हो कि पार्टी द्वारा उसके अभ्यावेदन के माध्यम से यह प्राप्त किया गया हो या अन्य सहायता प्राप्त की गई हो या किसी समय इसे संशोधित अथवा रद्द किया गया हो और बाद में इस कार्यालय द्वारा असावधानी वश यह जारी कर दियागया है।

4. इस कार्यालय से विशिष्ट रूप से लिखित आदेश प्राप्त किए बगैर इस अनुमोदन पत्र को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता।

5. अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात पार्टी द्वारा उत्पादन शुरू करने के समय तक इस कार्यालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग (लघु उद्योग अनुभाग) तथा राज्य में लघु उद्योग सेवा संस्थान और उद्योग निदेशालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजनी चाहिए। इसके पश्चात, उत्पादों की नामावली सहित तिमाही उत्पादन विवरणी इस कार्यालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग, राज्य उद्योग निदेशक/उद्योग आयुक्त तथा राज्य में स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान को प्रस्तुत की जानी चाहिए। किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट-प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है।

6. यह माना जाता है कि आप उपभोक्ता को बढ़िया किस्म के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित मानकों (भारतीय/अन्तर्राष्ट्रीय) का पालन करेंगे।

7 आयात पर निर्भरता कम करने के लिए स्वदेशीकरण के लिए निरन्तर प्रयास किए जाने चाहिए। इस बात को विशेष रूप से नोट किया जाए कि सरकार संयोजन/उप-संयोजन/माड्यूल के आयात पर आधारित परियोजनाओं को हतोत्साहित करती है।

8. अन्य शर्तें—

यदि कच्ची सामग्रियों और संघटक-पुर्जों का आयात किया जाता है तो यह वीडियो टेप लोडर की प्राप्ति के लिए ठोस-व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जाएगा।

**माउन्ट आबू राजस्थान के झाड़ियों और पेड़ों की गैर कानूनी कटाई**

2508. **श्री विरदाराम फुलवारिया :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पर्यटक केन्द्र माउन्ट आबू के पहाड़ी क्षेत्र में झाड़ियों और पेड़ों को गैर-कानूनी रूप से काटा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं और अरावली पर्वत माला में पर्यावरण में सुधार के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं ?

**पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) :** (क) तथा (ख) प्राकृतिक संशाधनों के सदुपयोग, परिवहन, स्मारकों/स्थल के संरक्षण तथा हरित स्थानों के संवर्धन के विशेष

संदर्भ सहित माउन्ट आबू के पर्यावरणीय सुधार की आवश्यकता को मान्यता देते हुए एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। 12 नवम्बर, 1983 को स्वयंसेवी अधिकारियों को शामिल करके एक आबू पर्यावरण समिति का भी गठन किया गया है।

**केन्द्रीय प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम**

2509. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आपातकाल के दौरान अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए अपनाए गए नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करके भ्रष्ट कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और कैसे ?

**गृह मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया)** : (क) सरकार प्रशासन में भ्रष्टाचार उन्मूलन की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः जागरूक है। फिर भी, भ्रष्टाचार उन्मूलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले प्रशासनिक, संगठनात्मक, विधायी, प्रक्रियात्मक तथा अन्य प्रकार के उपाय किए गए और किए जाते रहे हैं। प्रशासन में कदाचार को रोकने के लिए समय-समय पर किए गए उपायों में घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अधिक कारगर व्यवस्था करने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 का अधिनियमित किया जाना, 1962 में भ्रष्टाचार निरोधक समिति (सन्थानम समिति) की नियुक्ति करना शामिल है जिसके विचारार्थ विषय काफी व्यापक थे और जिसमें समस्या के लगभग सभी पहलू शामिल थे। इस समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इस सम्बन्ध में आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय कर लिए गए थे। वर्ष 1964 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी कि प्रशासन में भ्रष्टाचार तथा कदाचार से निपटने के सम्बन्ध में लिए जाने वाले किसी कार्यकारी निर्णय पर किसी बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव न पड़े। यह आयोग केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के तत्समानी अधिकारियों से संबंधित सतर्कता के मामलों में सरकार को सलाह देता है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार का प्रधान अन्वेषण अभिकरण है जो भ्रष्टाचार, धन सम्बन्धी कानूनों के उल्लंघन तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन अधिसूचित किए गए चुनिन्दा केन्द्रीय कानूनों से सम्बन्धित अपराधों की जांच करता है। विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार तथा कदाचार के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने, ऐसे क्षेत्र पर निगरानी रखने, जहां भ्रष्टाचार की सम्भावना हो, चुनिन्दा प्वाइंटों तथा स्थानों की

बिना पूर्व सूचना दिए जांच करने पर विशेष बल दिया जाता है और भ्रष्ट व्यक्तियों पर कानून के अनुसार इस्तगासे की कार्रवाई करके उन्हें सजा दी जाती है। सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य पर सतत ध्यान बनाये रखने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के परामर्श से एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य चुनिन्दा विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सहयोग से संयुक्त कार्रवाई करना होता है।

भ्रष्टाचार के साथ तत्परता से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणाम लोक सभा के पटल पर रखी जाने वाली इस विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्टों में निर्दिष्ट किए जाते हैं।

(ख) तथा (ग) 1965 में, मूल नियम 56 में उपबन्ध करके सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वह सरकारी कर्मचारियों को 55 वर्ष की आयु होने पर समय पूर्व सेवा-निवृत्त कर सकती है जबकि ऐसी कार्रवाई लोकहित में आवश्यक हो। 1969 में, इन नियमों में आगे संशोधन करके सरकार को यह प्राधिकार दिया गया था कि वह समूह 'क' तथा समूह 'ख' अधिकारियों को 50 वर्ष की आयु होने पर समय पूर्व सेवानिवृत्त कर सकती है बशर्ते कि उन्हें 35 वर्ष की आयु से पहले सेवा में कार्यग्रहण किया हो। इन उपबन्धों का उद्देश्य उन कर्मचारियों की छंटनी करना है जो अपने पदों पर कारगर नहीं रह गए हैं अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा सन्देहास्पद है। मूल नियम 56 के उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को समयपूर्व सेवानिवृत्त करने के लिए सरकार की शक्ति निर्बाध है और यह प्रशासन में अयोग्य तथा भ्रष्ट कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए समुचित प्राधिकारियों को हमेशा उपलब्ध रहती है। 50/55 वर्षों की आयु के बाद, जैसा भी मामला हो, सरकारी कर्मचारियों को सेवा में आगे बनाये रखने के लिए उनकी उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से उनके मामलों की समुचित प्राधिकारियों द्वारा पुनरीक्षा किए जाने के लिए कियाविधि निर्धारित करने के सम्बन्ध में विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त विद्यमान हैं।

**सातवीं योजना में माध्यमिक (सेकेण्डरी) शिक्षा के लिए परिव्यय**

2510. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान माध्यमिक (सेकेण्डरी) शिक्षा के विकास के लिए योजना आयोग कार्यदल द्वारा, 1,828 करोड़ रुपये के रिकार्ड परिव्यय, जो चार गुना वृद्धि से भी अधिक है, का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यदल ने माध्यमिक (सेकेण्डरी) शिक्षा पद्धति के विस्तार के लिए क्या सिफारिशें की हैं ?

**योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) :** (क) छठी पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक (सेकेण्डरी) शिक्षा पर 398 करोड़ रु० के परिव्यय और 700 करोड़ रु० के अनुमानित व्यय

के मुकाबले, सेकेण्डरी शिक्षा से संबंधित कार्यकारी दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1828 करोड़ रु० के परिव्यय की सिफारिश की है ।

(ख) सेकेण्डरी शिक्षा प्रणाली (पैटर्न) के विस्तार के लिए कार्यकारी दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें ये हैं—

(1) उन राज्यों को जिन्होंने अभी तक 10+2 प्रणाली की शुरुआत नहीं की है, कम से कम सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में इसकी शुरुआत करनी चाहिए ।

(2) सेकेण्डरी स्कूल केवल उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिएं जहां वास्तविक स्थानीय आवश्यकताएं सिद्ध की जा सकती हैं और जहां नये स्कूल का लगभग पांच वर्ष के भीतर व्यवहार्य आकार तक विकास करने का उपयुक्त अवसर है ।

(3) सेकेण्डरी शिक्षा के विस्तार के लिऐ 1347 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की गई है ।

(4) जहां तक सम्भव हो, +2 चरण में सभी नए स्कूलों में स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित व्यावसायिक पाठ्क्रम होने चाहिएं ।

कार्यकारी दल की अन्य सिफारिशों में, भाषा शिक्षण को सुदृढ़ करना, विज्ञान की शिक्षा में सुधार करना, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादनकारी कार्य का पाठ्चर्या से एकीकरण, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक कार्यक्रम का सुदृढ़ करना तथा विस्तार करना शामिल है ।

**दक्षिण बिहार के सिंहभूम जिले के कोल्हन क्षेत्र में कोल्हानिस्तान आन्दोलन**

7511. **प्रो० अजित कुमार मेहता**
**श्री रशीद मसूद**
**श्री के० प्रधानी** } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार के सिंहभूम जिले के कोल्हन क्षेत्र में "कोल्हानिस्तान" आन्दोलन जोड़ पकड़ रहा है और दिसम्बर, 1983 में किसी समय कोल्हानिस्तान सरकार के नाम से एक तथा, कथित सरकार बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) और (ख) बिहार सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, कोल्हन रक्षा संघ नामक एक संगठन, जिसे अक्तूबर 1978 में गठित किया गया था, सिंहभूम जिले में लगभग 1400 गांवों की कोल्हन जनजाति क्षेत्र की आजादी

की मांग करता रहा है। संघ ने दावा किया है कि क्षेत्र, विलकिनसन द्वारा शासित किया जाता था, जिसके अन्तर्गत जनजाति ग्रामीण तन्त्रों जैसे मनकी और मुंडास को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, उनको स्वायतत्ता प्रदान करना है।

श्री नारायण जोनको को संघ का अध्यक्ष, श्री कृष्णचन्द्र हेमब्राम को महामन्त्री और श्री क्राइस्ट आनन्द टोपो को कानूनी सलाहकार बताया जाता है। संघ मूल्यवान वनों के कटान में अन्तर्गस्त है। यह सिंहभूम जिले के दूर-दराज के जनजाति क्षेत्रों में अपनी मांग के लिए समर्थन जुटाने में सक्रिय हैं। वे उन आदिवासियों पर हमले करते रहे हैं और उनकी हत्या भी करते रहे हैं जो अलग कोल्हन राज्य के लिए उनकी मांग का समर्थन नहीं करते हैं।

रिपोर्ट से पता चलता है कि संघ ने मार्च, 1981 में एक जनसभा में घोषणा की थी कि कोल्हन क्षेत्र भारत का स्वतन्त्र क्षेत्र था, कर वसूली कोल्हन सरकार द्वारा की जाएगी और संघ कोल्हन सरकार के सही ढंग से कार्य करने के लिए कार्यक्रम बनाएगा और कोल्हन सरकार का स्वतंत्रता दिवस 2 दिसम्बर, 1982 को मनाया जाएगा। तथापि अभी तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं की गई है।

(ग) सरकार संग की गतिविधियों के बारे सतर्क है। बिहार पुलिस द्वारा भा० दं० सं० की धारा 124-क और 120-ख के अन्तर्गत राजविद्रोह के अपराध के लिए संघ के 16 सदस्यों के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया गया है। उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था प्रवर्तन तन्त्र को सुदृढ़ कर दिया गया है। क्षेत्र में विकास गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं, विशेष रूप से पेय जल, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा और उचित दर दुकानों की सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। बिहार सरकार के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 1983-84 में 15.66 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1984-85 में 18.23 करोड़ रुपए कर दी गई है। बिहार सरकार आदिवासी व्यक्तियों द्वारा स्थानीय प्रशासन के विकास तथा नियामक दोनों प्रकार के कार्य क्षेत्रों में अधिक भाग लेने के लिए कदम उठा रही है। अवैध रूप से वनों की कटाई को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में मजिस्ट्रेटों सहित सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की गई हैं। स्थानीय प्रशासन को लोगों की शिकायतों की जांच करने और उनको दूर करने के लिए तुरन्त निवारक कदम उठाने के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

## योजना आयोग के कार्य बल की सिफारिशें

2512. **श्री के० राममूर्ति** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के कार्य दल द्वारा जनवरी, 1983 में प्रस्तुत किए गए अपने प्रतिवेदन में क्या-क्या प्रमुख सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

**योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में कौन से कार्यकारी दल के बारे में कहा गया है।

**खरगौन जिले से सीमा सुरक्षा बल का स्थानांतरित किया जाना**

2513. **श्री सुभाषचन्द्र यादव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खरगौन जिले के बोरवाह तहसील में बहुत समय से सीमा सुरक्षा बल का एक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार उस सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केन्द्र को वहां से हटाने का है;

(ग) क्या सरकार ने सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षणकर्मियों के लिए भवन आदि के निर्माण पर 4 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की है; और

(घ) उस केन्द्र को स्थानान्तरित किए जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) खरगौन जिले (म०प्र०) के बोरवाह तहसील में सीमा सुरक्षा बल का कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं चला रहा है।

(ख) से (घ) लागू नहीं होते।

**धनराशि के अभाव में अधूरी पड़ी योजनाएं**

2514. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में बहुत सी योजनाएं धनराशि की कमी के कारण अधूरी पड़ी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में अधूरी योजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा और यदि हां, तो कब तक ?

**योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय धनराशियों का आवंटन खंड ऋण और खंड अनुदानों के रूप में किया जाता है न कि विभिन्न/विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए। राज्यों के लिए अनुमोदित योजना परिव्ययों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, राज्य सरकारों को धनराशियों की व्यवस्था

करनी होती है। केन्द्रीय सरकार के पास अपूर्ण राज्य परियोजनाओं की पूर्ण सूची तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

**कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुवादकों की सेवा को नियमित करना**

2516. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा (वर्ग-ग) पद सेवा अधिसूचित कर दी गई है और वरीयता सूची तैयार कर ली गई है ;

(ख) क्या कुछ मंत्रालयों/विभागों ने तदर्थ/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ-वरिष्ठ अनुवादकों की सेवाओं को नियमित नहीं किया है ;

(ग) क्या उन अनुवादकों को सामुहिक रूप से ऐसे अनुवादकों से कनिष्ठ रखा गया है, जिनकी सेवाओं को उनके मंत्रालयों/विभागों द्वारा निमित्त कर दिया गया था ;

(घ) क्या ऐसे मंत्रालयों/विभागों ने जिन्होंने अपने अनुवादकों की सेवाएं नियमित नहीं की हैं, उन अनुवादकों की वरियता के पुर्निर्धारण के मामलों पर विचार करना शुरू कर दिया है ;

(ङ) क्या राजभाषा विभाग उस संगति को ठीक करने के लिए राजी हो गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समुह "ग" पद में भागीदार मंत्रालय/विभागों/कार्यालयों में दो श्रेणियों के विभागीय अभ्यर्थी थे अर्थात् नियमित आधार पर नियुक्त तथा तदर्थ/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह "ग" पद नियम, 1981 के नियम 6 के अनुसार, नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को सामूहिक रूप से तदर्थ/प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ रखा गया है।

(घ) से (च) वरीयता के पुनर्निर्धारण के लिए तदर्थ/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से कुछ प्रतिवेदन संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं।

**मेघालय आवासीय अनुज्ञा अधिनियम को मंजूरी**

2517. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय विधान सभा ने वर्ष 1973 में किसी समय कोई आवासीय अनुज्ञा अधिनियम अथवा इसी किस्म का अधिनियम पारित किया था। जिसमें बाहर से आने वालों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाए जाने की व्यवस्था थी और उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली ;

(ख) यदि हां, तो विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करने में विलम्ब के क्या कारण थे ;

(ग) क्या वहां पर एक वास्तविक आशंका यह है कि मेघालय में अन्य राज्यों के लोग भरे जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार दूसरे राज्यों के नागरिकों के प्रवेश पर तर्क संगत प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या, कैसे और अब ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मेघालय आवासीय अनुज्ञा विधेयक, 1973 पर राष्ट्रपति की मंजूरी रोक ली गई थी क्योंकि राज्य विधानमण्डल इस विषय पर विधान बनाने के लिए सक्षम नहीं था।

(ग) प्रैस समाचारों के अनुसार मेघाय के मुख्यमन्त्री ने बाहर से अधिक संख्या में लोगों के बारे में आशंका व्यक्त की है। तथापि मेघालय में आदिवासियों का प्रतिशत 1971 में 80.42 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 81.02 प्रतिशत हो गया है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## गणेश नगर, दिल्ली में अग्निकाण्ड के कारण हुई मौतों की जांच

2518. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी**
**श्री उत्तम भाई चच० पनेल** } : क्या गृह मंत्री गणेश नगर, दिल्ली में हुए अग्निकांड में हुई मौतों के बारे में 2 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9511 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त मामले में जांच पूरी कर ली गई है।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गए अपराधियों का ब्यौरा क्या है तथ उनके विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है ;

(ग) इस अग्निकाण्ड में मरने वालों के लिए कितना मुआवजा दिया गया है ; और

(घ) सरकार का विचार इस अग्निकाण्ड के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए क्या सहायता देने का है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या )** : (क) जांच-पड़ताल अभी पूरी नहीं की गई है।

(ख) इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) मुआवजा देने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन देना**

2519. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अनुसूचित जातियों के प्रभाग की अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धन देने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और यह कौन-सी तारीख से शुरू की गई है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक जिन विभिन्न एजेंसियों और विद्वानों की गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष जो वित्तीय सहायता दी गई उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण सहित उस कार्य के लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन में वास्तव में शामिल अनुसूचित जाति की एजेंसियों और शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अनुसंधान और प्रशिक्षण को केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के शैक्षिणिक तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्योन्मुख अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं और संगठनों को सहायता अनुदान दिए जाते हैं। यह योजना 1981-82 में शुरू की गई थी ।

(ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(घ) ऐसी कोई सूचना एकत्र नहीं की जाती ।

**विवरण**

**पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के शैक्षिणिक तथा आर्थिक विकास के अनुसंधान कार्य करने के लिए जिन अनुसंधान एजेंसियों के संबंध में वित्तीय सहायता के लिए विचार किया, उनके नाम**

| क्र० सं | संस्था का नाम | परियोजना का शीर्ष | अध्ययन का क्षेत्र | अध्ययन की कुल अनुमानित लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1981-82 और 1982-83 | दिल्ली | 47,600 रु० |
| 1. | दिल्ली विश्वविद्यालय, वयस्क शिक्षा तथा निरन्तर शिक्षा कक्ष, दिल्ली | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित पूर्व-स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को प्रतिमान और शैक्षिक सहायता के उपयोग की सीमा के अध्ययन की व्यवस्था की गई। | | |
| 2. | राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संस्था, नई दिल्ली। | अनुसूचित जातियों का शैक्षिक विकास संबंधी अध्ययन एकक। | समस्त भारत | 1,20,000 रु० |
| 3. | गांधी अध्ययन, संस्था, वाराणसी। | आर्थिक समस्याओं में अनुसूचित जातियों के भाग लेने और भाग न लेने का तुलनात्मक अध्ययन। | चिराई गांव और नौगढ़ ब्लाक | 80,000 रु० |
| 4. | जोधपुर का विश्वविद्यालय, समाज शास्त्र विभाग, जोधपुर। | "राजस्थान की अनुसूचित जातियां" | राजस्थान के जिले | 51,650 रु० |
| 5. | जयप्रकाश नारायण सामाजिक तथा औद्योगिक अध्ययन संस्था, रांची। | "बिहार में अनुसूचित जातियां वर्तमान स्थिति और समस्याएं" | बिहार के जिले | 79,200 रु० |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | सामाजिक अनुसंधान के लिए केन्द्र, त्रिवेन्द्रम । | "अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम एक कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम" | वडवकामला पुनर्वास कालोनी, वट्टाकुलम हरिजन कालोनी और पेरूमला हरिजन कालोनी । | 65,835 रु० |
| 7. | सार्वजनिक उद्यम संस्था, हैदराबाद । | "आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम का कार्यप्रणाली संबंधी अनुसंधान अध्ययन हैदराबाद ।" | आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त निगम, इलाहाबाद । | 65,100 रु० |
| 8. | महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय समाज शास्त्र विभाग, रोहतक । | हरियाणा में अनुसूचित जातियों की समस्याएं । | सम्पूर्ण हरियाणा राज्य । | 67,300 रु० |
| 9. | गिरि विकास अध्ययन संस्था, लखनऊ । | उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का सामाजिक-आर्थिक बिकास । | उत्तर प्रदेश के जिले । | 76,300 रु० |
| 10. | राष्ट्रीय सामजिक कार्य और सामाजिक विज्ञान संस्था, भुवनेश्वर । | उड़ीसा में हरिजनों पर अत्याचारों की हाल की घटनाओं के विशेष संदर्भ में अस्पृश्यता की समस्या सम्बन्धी अध्ययन । | अटक, सुन्दरगढ़ पुरी जिले । | 52,600 रु० |
| 11. | भारतीय प्रबंध संस्था, बंगलौर । | अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए पुनर्वास परियोजना का अध्ययन । | भागलपुर रोड, बन्नेरघाटा रोड, तमकुर रोड, मैसूर रोड और ओल्ड मद्रास रोड । | 74,300 रु० |
| 12. | केरल विश्वविद्यालय, जनसांख्यिकी विभाग, कारोवट्टम । | अनुसूचित जातियों द्वारा आर्थिक समानता के लिए अवसरों के उपयोग का अध्ययन । | त्रिवेन्द्रम | 33,000 रु० |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | गोविन्द बल्लभ पन्त समाज विज्ञान संस्था, इलाहाबाद। | उत्तर प्रदेश के बुन्देल खंड क्षेत्र के अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का नैदानिक सर्वेक्षण। | मिरजापुर जिला | 58,250 रु० |
| | | 1983-84 | | |
| 14. | रायल-सीमा सेवा समिति, निरूपति | "शेलटर" | चित्तर जिला | 70,100 रु० |
| 15. | भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे। | महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की शिक्षा समस्याओं सम्बन्धी अनुसंधान सम्बन्धी परियोजना। | महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र | 46,450 रु० |
| 16. | सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली। | संचलनात्मक जोत क्षेत्रों के आकार वर्ग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों में कृषि संबंधी प्रणालियों और अनुसूचित जाति संगठन योजनाओं के कार्यान्वयन की समस्याओं पर अध्ययन। | राजस्थान और प० बंगाल | 79,800 रु० |
| 17. | सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली। | हैदराबाद और सिकन्दराबाद के कुछ चुने हुए इलाकों में रोजगार और बेरोजगार प्रतिमान संबंधी अध्ययन। | हैदराबाद और सिकन्दराबाद | 50,000 रु० |
| 18. | संजीवय्या सामाजिक आर्थिक अध्ययन संस्था, दिल्ली। | उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में कार्य और विशेष संगठक योजना के प्रभाव का अध्ययन। | उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला | 60,000 रु |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद, नई दिल्ली। | गुजरात में अनुसूचित जातियों की आर्थिक दशा, खेती के लिए भूमि तथा मकान-स्थलों की समस्याओं पर अध्ययन। | गुजरात | 80,000 रु० |
| 20. | पूना का विश्वविद्यालय, पुणे। | परिवर्तन एजेंटों के रूप में अनुसूचित जाति की रोजगार प्राप्त महिलाएं जाति को वर्ग में बदलने के विशेष संदर्भ में। | नागपुर, बम्बई और औरंगाबाद। | 62,300 रु० |
| 21. | एकीकृत, योजना विस्तार, शिक्षा संचार, एजेंसी, लखनऊ। | हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास संबंधी विशेष संगठक योजना का प्रभाव-मूल्यांकन अध्ययन में। | हिमाचल प्रदेश | 80,000 रु० |
| 22. | राष्ट्रीय शैक्षिक तथा प्रशासन संस्था, नई दिल्ली। | अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास संबंधी अध्ययन एकक का जारी रखना। | समस्त भारत | 4,45,731 रु० |
| 23. | क्षेत्र विकास तथा कार्रवाई अनुसंधान अध्ययन के लिए केन्द्र, नई दिल्ली। | अनुसूचित जातियों के लिए परियोजनाओं और विशेष संगठक कार्यक्रमों के लाभों का मूल्यांकन अध्ययन, पश्चिम बंगाल कूच बिहार। | कूच बिहार पश्चिम बंगाल | 66,000 रु० |

**नये इस्पात संयंत्रों का निर्माण**

2520. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी योजना की समाप्ति से पूर्व कुछ नये इस्पात संयंत्रों का निर्माण प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन नये इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने के लिए चुने गये स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) उन नये इस्पात संयंत्रों की अनुमानित लागत क्या है तथा सरकार द्वारा उनके लिए कितनी विदेशी सहायता मागी गई है; और

(घ) छठी योजना में नये इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने के लिए सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे)** (क) और (ख) सरकार ने कर्नाटक में विजयनगर और उड़ीसा में दैतारी में इस्पात के कारखाने स्थापित करने के बारे में सिद्धान्त रूप से निर्णय ले लिया है। सरकार के इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) इन दोनों परियोजनाओं के बारे में अभी तक कोई पूंजी-निवेश संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है। यहां तक की इन परियोजनाओं के बारे में अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी के बारे में भी निर्णय नहीं लिया गया है। अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इन कारखानों की अनुमानित लागत क्या होगी।

ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और रूमानिया के कुछ अभिकरणों ने विजयनगर और दैतारी के इस्पात कारखानों के लिए संयंत्रों और उपस्करों की सप्लाई करने/वित्तीय सहायता देने में अभिरूचि दिखाई है। यह अभिरूचि मात्र समन्वेषण सम्बन्धी है।

**सरकारी कर्मचारियों को किसी अन्य जाति की लड़की से विवाह करने के लिए विशेष सुविधाएं**

2521. **श्री निहाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी अन्य जाति की लड़की से विवाह करता है, तो उसे सरकारी सेवा में विशेष सुविधा दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बाय्या)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**देश में पृथक राज्य की मांग**

2522. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ऐसे भागों का विवरण क्या है, जो पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं; और

(ख) इस संबंध में सरकार की नीति और प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) :** (क) तथा (ख) कुछ राज्यों मुख्यत: उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के विशेष क्षेत्रों को मुख्यत: इस तर्क पर अलग राज्य बनाने के लिए अभ्यावेदन दिए गए हैं कि उनको विकास संबंधी आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । भारत सरकार का विचार है कि आर्थिक विकास में अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने मामला आवश्यक रूप से नियोजन के तंत्र द्वारा हल किया जाना है और अलग राज्य बनाना समस्या का कोई समाधान नहीं है । किसी राज्य को पुनर्गठित करने के लिए इस समय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कुछ संघ शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के लिये भी समय-समय पर सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और उन पर परिस्थितियों की समग्रता और अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है ।

**पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के नेताओं द्वारा दी गई कथित धमकी**

2523. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "ओकुपाइड काश्मीर लीडर्स थ्रेट" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें फारूख अब्दुल्ला सरकार के अपदस्थ किए जाने के कारण जम्मू और काश्मीर में युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन करने की कथित धमकी दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ऐसी घटनाओं पर निरन्तर निगाह रखे हुए है । जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो ।

**समेकित पुलिस अधिनियम लाने का प्रस्ताव**

2524. **श्री डी० के० नायकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की समस्त पुलिस के लिए एक जैसे मार्गनिर्देश देते हुए, पूर्ण राष्ट्र के लिए एक समेकित पुलिस अधिनियम बनाने का है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में विभिन्न अधिनियम होने के कारण पुलिस बल में अनुशासन बनाए रखने में कुछ कठिनाइयां होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा एक समेकित अधिनियम कब लाया जाएगा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) से (ग) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में समेकित आधार पर देश में पुलिस बलों के कार्यकरण को संचालित करने के लिए पुलिस अधिनियम के एक माडल का सुझाव दिया है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को उचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। संविधान के अधीन "पुलिस" राज्य का विषय है और पुलिस बलों में अनुशासन बनाए रखने सहित उनके बलों के कार्यकरण और प्रशासन के लिए कानून बनाना राज्य सरकारों का कार्य है।

**दिल्ली में क्षेत्र कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति**

2525. **श्री गुफरान आजम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिल्ली के उन क्षेत्रों में जहाँ सरकारी कर्मचारी रहते हैं क्षेत्र कल्याण अधिकारी नियुक्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सौंपे गए कार्यों के निष्पादन हेतु क्या सुविधाएं अपेक्षित हैं और उन्हें वास्तव में क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) क्या ऐसे अधिकारियों के नाम और अन्य विवरण संबंधित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक) औषधालयों, केन्द्रीय लोक निर्माण पूछताछ कार्यालयों और पुलिस स्टेशनों चौकियों आदि में सूचनार्थ प्रदर्शित किए जाने आवश्यक हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभाग द्वारा इस संबंध में दिए गए अनुदेशों का उपर्युक्त सभी एजेन्सियों द्वारा पालन हो; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) जी, हाँ।

(ख) क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों को कार्यालय समय के दौरान भी कल्याण से संबंधित कार्य की अनुमति होती है। उन्हें कल्याण से सम्बन्धित कार्य का पत्राचार करने के लिए सरकारी लेखन सामग्री, सरकारी डाक टिकट और टाइपिंग की सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति दी जाती है।

(ग) जी, हां। क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों के नाम तथा अन्य ब्यौरे पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों को छोड़ प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित सभी स्थानों पर प्रदर्शित किये जाते हैं।

पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे क्षेत्रीय कल्याण अधिकारियों को अपने कार्यों के निष्पादन में पूरा सहयोग प्रदान करें।

(घ) और (ङ.) इस संबंध में अनुदेशों का अनुपालन न किए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है।

**केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों के पदों पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत चयन सूची से बाहर के अधिकारी**

2526. **श्री शिबु सौरन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1984 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सभी वर्गों में गैर-चयन सूची से बाहर के कितने अधिकारी अनुभाग अधिकारी के पदों पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे;

(ख) उन अधिकारियों को छोड़कर जिनके नाम वर्ष 1983 की चयन सूची में शामिल हैं, चयन सूची के बाहर के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी 1 जुलाई, 1984 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे; और

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी के पदों पर ऐसे कितने सहायक स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे जिनकी 1 जुलाई, 1984 को सभी संवर्गों में सहायक के रूप में सेवावधि 8 साल से कम थी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) से (ग) सहभागी संवर्गों से सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

**भारत-इन्डोनेशिया सहयोग**

2527. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारत और इन्डोनेशिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां; तो इस दिशा में उठाए कदमों का ब्यौरा क्या है उनके प्रत्युत्तर में इण्डोनेशिया ने क्या कदम उठाए हैं।

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत और इण्डोनेशिया के बीच सहयोग एक निरन्तर प्रक्रिया है। दोनों देशों के बीच कई करार सम्पन्न हुए हैं जिनमें 1981 में हस्ताक्षरित तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग करार, 1978

में हस्ताक्षरित व्यापार करार और 1955 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार शामिल हैं। इण्डोनेशिया में भारतीय कम्पनियों द्वारा स्थापित कुछ संयुक्त उद्यम हैं और इंडोनेशिया के बहुत से लोगों को भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया है।

**पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र में बांध परियोजना**

2528. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र में बांध परियोजना के कार्याकाल का हाल ही में कोई मूल्यांकन किया गया था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय और अन्य सहायता दिए जाने का विचार है ?

**पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) तथा (ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा किये गये क्षेत्र निरीक्षणों तथा शाब्दिक प्रगति रिपोर्टों के पर आधार बाघ परियोजना' के अन्तर्गत आने वाले सभी रिजर्वों के कार्य का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है। सुन्दरवन बाघ रिजर्व में क्रियान्वयन की प्रगति सामान्यतः सन्तोषजनक है।

(ग) चालू वर्ष के लिए कुल परिव्यय का 500,0 भाग होने के कारण, वर्ष 1984-85 के दौरान सुन्दरवन रिजर्व के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप 10.00 लाख रुपये की राशि अलग से रखी गई है।

**साधु बेला और प्रमाणी मन्दिरों की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को अनुमति देने के लिए पाकिस्तान से अनुरोध**

2529. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से भारतीय भक्तों को पाकिस्तान में "साधु बेला" और "प्रमाणी मंदिरों" की यात्रा की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान सरकार से हमें कोई स्वीकारात्मक उत्तर नहीं मिला है।

## राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विभिन्न मामलों के लिए गठित समितियां

2530. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी हाल की बैठक में (जो नई दिल्ली में 12 और 13 जुलाई, 1984 को आयोजित हुई थी) विभिन्न क्षेत्रों से पांच विशेषज्ञ समितियां गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य विषयों को लेकर इन समितियों का गठन किया गया है और प्रत्येक समिति के सदस्यों का नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक समिति को किस संभावित तारीख तक अपना-अपना प्रतिवेदन भेज देने को कहा गया है ?

**योजना और सिंचाई मंत्री** (**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी**) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 12 और 13 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में हुई बैठक में सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संबंध में कुछ विशिष्ट मामलों से संबंधित विशेषज्ञ दल स्थापित करने का निर्णय किया ।

(घ) और (ग) वे मामले जिनके संबंध में ये विशेषज्ञ दल स्थापित किए जाने हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं । इन दलों के गठन के संबंध में योजना आयोग इस समय कार्रवाई कर रहा है ।

### विवरण

**राष्ट्रीय विकास परिषद् की 12 और 13 जुलाई, 1984 को हुई बैठक में किए गए निर्णय के अनुसार वे विशिष्ट मामले जिनके संबंध में विशेषज्ञ दल स्थापित किए जाने हैं ।**

(1) क्या सातवीं योजना में मुद्रा स्फीति के संसाधनों और लागत दोनों ही पर प्रभाव के लिए इसकी औपचारिक संरचना में व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(2) क्या योजना में योजना परिव्ययों के भाग के रूप में राजस्व इतर अर्जक परिसम्पत्तियों के अनुक्षण पर व्यय के लिए व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की परिसम्पत्तियों का उपयुक्त रूप से अनुरक्षण किया जा सके ।

(3) क्या विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम की संकल्पना का, जिसमें इस समय पहाड़ी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र आते हैं, रेगिस्तान क्षेत्रों, बीहड़, क्षेत्रों तटीय क्षेत्रों, बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों जैसे अन्य क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से विशेष हित और महत्व वाले हैं ।

(4) सातवीं योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की भूमिका स्थान । और

**राज्यों द्वारा राज्य संवर्ग के बाहर के आई०एस०एस०, आई०पी०एस० अधिकारी तैनात किए जाने संबंधी निर्णय का क्रियान्वित न किया जाना**

2531. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी राज्य में 50 प्रतिशत आई० ए० एस०, आई० पी० एस० अधिकारी राज्य संवर्ग से बाहर के होने चाहिएं ;

(ख) यदि किन्हीं राज्य सरकारों ने इस निर्णय के क्रियान्वयन का विरोध किया है, तो उनके नाम क्या हैं और इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताए हैं ; और

(ग) इस निर्णय का समान रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) से (ग) सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय एकता तथा प्रशासन में बेहतर कार्यकुशलता के हित में अखिल भारतीय सेवाओं में सीधी भर्ती के कोटे में बाहरी व्यक्तियों के कोटे को बढ़ाया जाना जाहिए ताकि प्रत्येक राज्य संवर्ग में पदोन्नति अधिकारियों सहित "भीतरी व्यक्तियों" तथा "बाहरी व्यक्तियों" का समग्र अनुपात प्रायः 1 : 1 बना रहे। दिनांक 30 जुलाई, 1984 के एक पत्र द्वारा राज्य सरकारों को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है जो इसके बाद सीधी भर्ती किए जाने वाले अधिकारियों के आबंटन पर लागू होगा।

**पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति विकास निगम को केन्द्रीय सहायता**

2532. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति विकास निगम को वर्ष 1983-84 में सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई और वर्ष 1984-85 के लिए प्रस्तावित परिव्यय क्या है ;

(ख) इन आवंटनों का राज्य-वार किस प्रकार निर्धारण किया जाता है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में बंगला देश से भारी संख्या में आये लोगों के आगमन के कारण इस राज्य को होने वाली विशिष्ट कठिनाइयों को देखते हुए सरकार इस योजना के अन्तर्गत उस राज्य को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की वांछनीयता पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) वर्ष 1983-84 में पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति विकास निगम को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 2.00 करोड़

रुपए की धनराशि दी गई है। 1984-85 के लिए राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निगम की शेयर पूंजी में निवेश के लिए अनुदान दिया जाता है जिसका अनुपात 51% अंशदान राज्य सरकार द्वारा और 49% अंशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है।

(ग) और (घ) राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए सम्बद्ध योजनाओं की जांच और विचार करना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का कार्य है। वर्ष 1984-85 के लिए बजट संबंधी सीमा के अधीन बराबर का अनुदान दिया जा सकता है।

**इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात**

2533. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विदेशी प्रौद्योगिकी के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटरोनिक्स नीतियों को उदार बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इन क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी का किन-किन देशों से आयात किया जाता है?

**इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव)** : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रॉनिकी आयोग के गठन से संबंधित संकल्प के प्रावधानों के अनुसार (जिसमें यह बताया गया है कि सरकार कम से कम समय में अधिकाधिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बचनबद्ध है) तथा जनवरी, 1983 में घोषित सरकार की प्रौद्योगिकी नीति से संबंधित वक्तव्य के अनुसार, नीति यह रही है और यह अभी भी जारी है कि इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी की खरीद चुनिंदा तौर पर की जाए।

(ग) जिन देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध है उन सभी देशों से प्रौद्योगिकी की खरीद की अनुमति मामले के गुण-दोष पर विचार करके दी जाती है। इनमें से कुछ देश इस प्रकार हैं : संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, पूर्वी यूरोप तथा जापान।

**दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण**

2534. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन, वर्ष-प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है ;

(ग) क्या भारतीय इस्पात लिमिटेड के कहने पर "मेकन" द्वारा तैयान की गई लगभग 1500 करोड़ रुपये लागत की दो चरणों की एक आधुनिकीकरण योजना सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) से (घ) ! दुर्गापुर इस्पात कारखाने के नवीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन की योजना पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और इस काम में काफी प्रगति हो चुकी है। इस योजना से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होने की आशा है :

—कच्चे माल, मध्यवर्ती तथा तैयार उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिक उन्नयन,

—कच्चे माल तथा ऊर्जा की यूनिट कंजम्पशन में कमी,

—धातुकर्म कोयले जैसे दुर्लभ कच्चे माल का संरक्षण,

—उत्पादकता में सुधार, और

—अधिक मूल्यवान किस्म के इस्पात का उत्पादन तथा इस्पात कारखानों की अर्थक्षमता में सुधार।

इस योजना को सरकार की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही इस बात का पता चल सकेगा कि यह योजना कितने समय में कार्यान्वित की जाएगी तथा इस पर कितनी लागत आएगी।

(ख) जी, नही। पिछले 5 वर्षों के दौरान तप्त धातु, इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात का उत्पादन इस प्रकार है :

| वर्ष | तप्त धातु | इस्पात पिण्ड | विक्रेय इस्पात |
|---|---|---|---|
| 1979-80 | 985 | 882 | 605 |
| 1980-81 | 821 | 741 | 598 |
| 1981-82 | 1023 | 930 | 782 |
| 1982-83 | 1056 | 952 | 812 |
| 1983-84 | 977 | 806 | 602 |
| 1984-85 (आयोजना) | 1100 | 900 | 680 |

**भारत में एक अंतरिक्ष प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना**

2535. **श्री चिंतामणि जेना**
**श्री मोहन लाल पटेल** } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारत में अन्तरिक्ष प्रशिक्षिण केन्द्रों की स्थापना में भारत की सहायता करने के लिए इच्छुक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है !

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) जबकि भारत और सोवियत संघ के बीच अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग है, भारत में अन्तरिक्ष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**मध्य प्रदेश की डोलोमाइट खानों के श्रमिक**

2536. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में राउरकेला इस्पात कारखाने की डोलोमाइट खानें हैं ; यदि हां, तो इन खानों के नाम क्या हैं तथा उनमें कितने श्रमिक काम करते हैं ;

(ख) क्या राउरकेला इस्पात कारखाने के स्वामित्व वाली इस्पात डोलोमाइट क्वारी में ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों को कारखाने के विभागीय श्रमिकों के रूप में खपाने के बारे में समझौता हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पो० साल्वे)** : (क) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के राउरकेला इस्पात कारखाने की मध्य प्रदेश में बड़ा द्वार में "इस्पात डोलोमाइट खदान" नाम से डोलोमाइट की खान है। इस खान में कुल मिलाकर 67 विभागीय कर्मचारी हैं और 1350 ठेका श्रमिक हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। रालरकेला इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों तथा उसके ठेकेदारों और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली बड़ा द्वार डोलोमाइट मजदूर यूनियन और आदर्श श्रमिक संघ के बीच 23 जनवरी, 1981 को एक समझौता हुआ था जिसमें परिवहन, दलन और रेल के डिब्बों में माल के लदान के कार्यों को छोड़कर अन्य बातों के साथ-साथ खनन कार्यों का दो से तीन वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से विभागीयकरण करने की व्यवस्था है।

राउरकेला इस्पात कारखाने ने इस समझौते के इस प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही शुरू की थी लेकिन ठेका-श्रमिकों द्वारा आंदोलन और कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल

स्थिति के कारण इस प्रक्रिया में बाधा आ गई । कई बार बातचीत करने के बाद क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने श्रम मंत्रालय को "असफलता रिपोर्ट" प्रस्तुत कर दी । श्रम मंत्रालय ने दिनांक 1 नवम्बर, 1983 के आदेश के द्वारा इस मामले को न्याय निर्णय के लिए भेज दिया है । स्थिति सामान्य हो जाने और कार्य पुन: शुरू हो जाने पर ही विभागीयकरण की प्रक्रिया पुनः शुरू की जा सकती है ।

**स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल टेलीफोन स्विचिंग सिस्टम तैयार करना**

2537. **श्री एन० डेनिस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि टेलीमेटिक्स विभाग को केन्द्रीय संचार मंत्रालय से इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में हस्तान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अमरीका में एक भारतीय अप्रवासी की सहायता से 40 भारतीय दूर-संचार, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञों ने 36 करोड़ रुपये की लागत सीमा में और 36 महीने की अवधि में एक स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल टेलीफोन स्विचिंग (एक्सचेंज) सिस्टम तैयार करने की दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया है, यद्यपि अनेक साथी विशेषज्ञों को इसकी सम्भाव्यता पर काफी सन्देह है; और

(घ) यदि हां, तो इस दल की कार्य निष्पादन संबंधी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

**इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) :** (क) जी, हां ।

(ख) सरकार का निर्णय यह है कि टेलीमैटिक्स (दूरसंचार एवं कम्प्यूटर की समन्वित सुविधा विषयक) विकास केन्द्र को इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत रखा जाए । समाचार-पत्रों में प्रकाशित यह समाचार कि इस केन्द्र को आरम्भत: संचार-मंत्रालय के अन्तर्गत स्थापित किया गया था, सही नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस परियोजना पर 33 इंजीनियरों के एक दल ने हाल ही में अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यकलाप शुरू कर दिया है और इस संगठन को स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है । प्रणाली का मूलभूत वास्तु शिल्प तैयार कर लिया गया है और शीघ्र ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा । श्री एस० जी० पित्रोडा नामक एक अनिवासी भारतीय इस परियोजना के परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

**देश में सोने के भण्डार**

2538. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग ने देश के कई भागों में सोने के विशाल भण्डारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो हाल ही के सर्वेक्षण के दौरान सोने की कितनी नई खानों का पता लगाया गया है; और

(ग) उन स्थानों और राज्यों के नामों का ब्यौरा क्या है जहां पर सोने के भंडारों की खोज का कार्य तेज कर दिया गया है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में चिगारगुंटा तथा मालप्पाकोंडा में प्रचुर स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है। कर्नाटक के हट्टी तथा गदाग स्वर्ण क्षेत्रों के विस्तार में भी स्वर्ण खनिजीकरण पाया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के जिला अनन्तपुर में, रामगिरि के येप्पानाना में एक नई परियोजना पूरी की गई है। हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी हट्टी खान के विस्तार क्षेत्र में गवेषण कर रही है तथा जिला गुलबर्गा की पुरानी मंगलूर स्वर्ण खान को, उससे साध्यता अध्ययन के लिए, पुन: चालू किया है।

(ग) बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, केरल के भू-भागों तथा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पट्टी में, जहां भी स्वर्ण खनिजीकरण की जानकारी मिली है, स्वर्ण खोज शुरू की गई है। इन क्षेत्रों में काम जारी है। उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्योंझर जिले से प्रतिटन मामूली से लेकर 4 ग्राम प्रति टन स्वर्ण अंश वाले अनियमित स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है। मयूरभंज जिले के सोरादा-जोशीपुर क्षेत्र में भी स्वर्ण की खोज शुरू की गई है।

**नागा विद्रोहियों के साथ वार्ता**

2539. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में नागा विद्रोहियों के साथ किसी वर्ता का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) 1984 के दौरान अभी तक ऐसी वार्ता का कोई आयोजन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**उड़ीसा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां**

2540. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोचित मैट्रिकोतर छात्र-वृत्तियों की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता जारी की है और उड़ीसा राज्य को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों को ऐसे मामलों में सहायता आवंटित करने में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 (अब तक) के दौरान राष्ट्रीय विदेश छात्रवृति योजना (नेशनल ओवरसीज स्कालरशिप स्कीम के अन्तर्गत उड़ीसा की विभिन्न अनुसूचित जनजातियों को विदेशों में अध्ययन के लिए कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु केन्द्रीय सहायता की अपेक्षा से सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। परन्तु वर्ष 1983-84 के दौरान इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि 110.21 लाख रुपए थी। उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 18411 है, जिनमें से 8167 अनुसूचित जनजातियों को दी गई है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता हर वर्ष अपेक्षा के अनुसार पूर्वानुमानित व्यय के आधार पर निर्धारित की जाती है और प्रतिबद्ध व्यय (अर्थात् पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक हुआ कुल खर्च, जो सरकार को वहन करना है) के अतिरिक्त शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता सम्बन्धित राज्य सरकार को दी जाती है।

(ग) 1983-84 के दौरान-शून्य ।

(क्योंकि अनुसूचित जनजाति के किसी छात्र ने आवेदन नहीं किया था)

वर्ष 1984-85 के लिए छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र यथा समय अर्थात् सितम्बर, 1984 में आमंत्रित किए जाएंगे।

**आदिम जनजाति ग्रुपों के लिए विशेष कार्यक्रम**

2541. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जनजाति ग्रुपों के लिए उपयुक्त उन विशेष कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा क्या है, जो उड़ीसा राज्य के विशेष संदर्भ में, छटी योजना के दौरान अब तक क्रियान्वित किए गए हैं;

(ख) आदिम-जनजातियों ग्रुपों सम्बन्धी उन परियोजना रिपोर्टों (कार्यवाही कार्यक्रम) का ब्यौरा क्या है, जो उड़ीसा राज्य में क्रियान्वित किए जा रहे हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए किस प्रकार की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई है अथवा दी जाएगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) उड़ीसा में छठी योजना अवधि के दौरान, कार्यान्वियन के अन्तर्गत आदिम जनजाति समुदायों के लिए उपयुक्त कुछ चुने गए विशेष कार्यक्रम संलग्न विवरण-1 में दिए जाते हैं।

(ख) डोगरिया कोंध, लनजिया सोरा, लोधा और पोदी भुयान समुदायों के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। उपर्युक्त समुदायों सहित पता लगाए गए सभी 12 समुदायों के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं, जिसके ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में आदिम जनजाति समुदायों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का परिव्यय 52 लाख रुपए का है।

**विवरण-1**

1. भू-संरक्षण, भूमि विकास और बांध रूपरेखा और सरकारी बंजर भूमि का सुधार।
2. आगवानी और वृक्षारोपण।
3. स्थानांतरित खेती-स्टोन टेरेसिंग, खेती के लिए उन्नत बीज और उर्वरक की आपूर्ति।
4. लघु सिंचाई योजना जैसे कुएं, तालाबों और पहाड़ी झरनों पर बनाए गए पोखरों का नवीकरण।
5. दुधारू पशुओं, बकरियों, सांडों, भेड़ एककों और मुर्गी पालन एककों, नस्ल सुधारक सांडों, नस्ल सुधारक सांडों के लिए राशन, नस्ल सुधारक सांडों के लिए शैड और परिचारकों की आपूर्ति।
6. पेयजल आपूर्ति।
7. सहकारिता-कार्य पूंजी, ऋण विमोचन, सदस्यता शुल्क, स्वदेशी धानी को खरीद।
8. चिकित्सा-औषधि और खुराक, सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति।
9. शिक्षा-हाई स्कूल का निर्माण, बच्चों को दोपहर का भोजन, बच्चों को वर्दी, पढ़ने और लिखने के सामान की आपूर्ति, सामुदायिक मनोरंजन केन्द्र।
10. स्वयं रोजगार योजनाएं—सिलाई में प्रशिक्षण, प्रशिक्षार्थियों को वजीफा, सिलाई मशीनों की आपूर्ति, खड्डियों की आपूर्ति, बढ़ई-औजारों की आपूर्ति।
11. मधुमक्खी पालन योजना।
12. शहतूत विकास योजना।

**विवरण-2**

| क्र० सं० | पता लगाए गए आदिम जनजाति समुदाय |
|---|---|
| 1. | बोन्डो (पोरोजा) |
| 2. | डोंगरिया कोंध |
| 3. | कुटिया कोंध |
| 4. | जुआंगस |
| 5. | खरियास (हिल) |
| 6. | लांजिया सौरस |
| 7. | मांकिडियाज |
| 8. | पौदी भूयानस |
| 9. | सौरस (जार) |
| 10. | बिरहोर |
| 11. | दिदायी |
| 12. | लोधा |

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आई० ए० एस०/आई० पी० एस० और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग सैन्टर**

2542. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और अन्य सम्बद्ध योजनाओं के अन्तर्गत गठित केन्द्रों की कार्यप्रणाली का इस आशय से कोई मूल्यांकन किया गया है कि इन्होंने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक स्तर सुधारने और उन्हें आई०ए० एस०/ आई० पी० एस० और अन्य केन्द्रीय सेवाओं में जाने के अधिक अवसर प्रदान करने में उनकी कितनी सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इन केन्द्रों का राज्य-वार विवरण क्या है; और

(घ) क्या उड़ीसा में आदिवासियों के लिए कोई केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब और कहां ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा):** (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान। सिविल सेवाओं की परीक्षाओं हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के

लिए स्थापित किए गए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है और यह मालूम हुआ है कि इस योजना से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाने और भा० प्र० से०/भा० पु० से० तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगिता करने के लिए उनको अधिक अवसर देने में सहायता मिली है।

(ग) ऐसे केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) बरहामपुर, उत्कल, सम्बलपुर और उड़ीसा (भुवनेश्वर) विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए हाल में चार नए केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है।

**विवरण**

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय सेवाएं परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची।

| क्र० सं० | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 |
| 2. | असम | 1 |
| 3. | हरियाणा | 1 |
| 4. | जम्मू व कश्मीर | 1 |
| 5. | कर्नाटक | 1 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 1 |
| 7. | महाराष्ट्र | 2 |
| 8. | मेघालय | 1 |
| 9. | उड़ीसा | 4* |
| 10. | पंजाब | 2 |
| 11. | राजस्थान | 1 |
| 12. | तमिलनाडु | 1 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 2 |
| 14. | दिल्ली | 1 |
| | जोड़ : | 21 |

*भा० प्र० से०/भा० पु० से० तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं के अतिरिक्त ये केन्द्र अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी हैं।

**दर्रा खुंजराव और गिलगित के बारे में चीन-पाक वार्ता**

2543. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 अप्रैल, 1984 के 'डेकन क्रोनिकल' में 'पाक चाइना होल्ड टाक्स' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से दर्रा खुंजराव और गिलगित के संदर्भ में इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) पाकिस्तान तथा साम्यवादी चीन दोनों के द्वारा गिलगित और काशगर को युगलनगर घोषित किए जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर का समूचा राज्य भारत का अभिन्न अंग है। अगर पाकिस्तान और/अथवा चीन जिनकी जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रदेश पर कोई कानूनी अधिकारिता नहीं है, अकेले अथवा मिलकर अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो वह गैर-कानूनी और आपत्तिजनक होगी।

चीन सरकार से गिलगित और कांशगार को युगल शहर घोषित करने से सम्बद्ध कथित समझौते के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

**भारत-चीन सीमा वार्ता**

2544. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के साथ सीमा विवाद संबंधी मामला अभी भी लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समय यह मामला किस चरण में हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी, हां।

(ख) भारत और चीन की सरकारों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के सम्बन्ध में, जिसमें सीमा का सवाल भी शामिल है, अधिकारी स्तर की वार्ता दिसम्बर, 1981 में शुरू हुई थी, अब तक इस बातचीत के चार दौर हुए हैं। अक्तूबर, 1983 में नई दिल्ली में इस बातचीत के चौथे दौर में दोनों पक्षों ने कुछ ऐसे सामान्य सिद्धांत तय करने की कोशिश की थी जो सीमा के सवाल पर भावी विचार-विमर्श में एक आधार का काम कर सके। कुछ पहलुओं पर तो सहमति हो गई थी लेकिन कुछ पर मतभेद बने रहे। बातचीत का अगला दौर 17 सितम्बर, 1984 से पीकिंग में शुरू होने वाला है।

**पाकिस्तान के साथ प्रत्यर्पण अपराधियों के आदान-प्रदान संबंधी सन्धि**

2545. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
**श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ कोई प्रत्यर्पण सन्धि कर रखी है;

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय एअर बस के अपहरण के लिए जिम्मेदार लोगों को हमारे देश में दण्ड देने के लिए किस प्रकार वापिस लाया जाएगा;

(ग) किन-किन देशों के साथ हमारी प्रत्यर्पण सन्धि है और क्या हमें ब्रिटेन कनाडा और ऐसे सभी देशों से ऐसी सन्धि रखनी चाहिए जहां बसे हुए भारतीय पंजाब में उग्रवादियों को अभी भी अपनी गतिविधियां जारी रखने के लिए धन भेज रहे हैं और उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। लेकिन दोनों देश द हेग, टोकियो और मान्ट्रियल अभिसमयों के पक्षकार हैं जिनके अन्तर्गत पाकिस्तान का यह दायित्व है कि वह अपराधियों को या तो लौटा दे या उन्हें सजा दे। अपहरणकर्ताओं को लौटाने के हमारे अनुरोध के उत्तर में पाकिस्तान सरकार ने हमें बताया है कि उन्होंने यह फैसला किया है कि "इण्डियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरणकर्ताओं पर पाकिस्तान के संगत कानूनों के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाएगा जिसे वे 5 जुलाई, 1984 को अपहरण करके लाहौर ले गए थे।"

(ग) और (घ) नेपाल, संयुक्त राज्य अमरीका, भूटान, बेल्जियम और उगांडा के साथ भारत की प्रत्यर्पण सन्धियां हैं। हमने 1962 का अपना प्रत्यर्पण अधिनियम भी लागू किया है जो अपराधियों को भारत से विदेशों को यानी स्विटजरलैंड, स्वीडन, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, आस्ट्रेलिया, युनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, पपुआ न्यू गिनी, श्रीलंका, फिजी, थाईलैण्ड और तंजानिया तथा इन देशों से भारत को लौटाने के मामलों को नियमित करता है; हालांकि इन देशों के साथ हमारी कोई प्रत्यर्पण संधियां नहीं हैं।

**बंगाल की खाड़ी में अमरीकी गतिविधियां**

2546. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत राजनीतिक क्षेत्रों में अमेरिका बंगला देश सैनिक सांठ-गांठ से संबंधित बंगाल की खाड़ी में पैण्टागन की गतिविधियों पर तथा एशिया में चारों ओर अपने पैर जमाने के उदेश्य से उक्त खाड़ी में अमेरिका द्वारा अपने अड्डे स्थापित करने पर चिन्ता व्यक्त की गई है (दिनांक 9 जुलाई, 1984 का "स्टेट्समैन" नई दिल्ली।)

(ख) क्या इससे भारत की सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान और बंगला देश के माध्यम से भारत पर दबाव डालने संबंधी अमेरिका की इस गतिविधि को निष्फल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) और (ख) सरकार ने 9 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली के 'स्टेट्समैन' समाचार पत्र में इस विषय पर छपी खबर देखी है। बंगला देश और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों ने इस बात का खंडन किया है कि अमरीकी अड्डे स्थापित करने की कोई योजना है।

(ग) सरकार देश के सुरक्षा सम्बन्धी हितों के लिए अपेक्षित सभी कदम निरन्तर उठा रही है। हिन्द महासागर के अन्य तटवर्ती और पश्च गुट-निरपेक्ष राज्यों के सहयोग से शांति-क्षेत्र के रूप में हिन्द महासागर पर 1971 के संयुक्त राष्ट्र संकल्प के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए भी हमारे प्रयत्न जारी हैं। चूंकि हमारे पड़ोसी देश गुट-निरपेक्ष देश हैं इसलिए सरकार को उम्मीद है कि आन्दोलन की सदस्यता के मानदण्ड के अनुसार विदेशी शक्तियों को किसी सैनिक अड्डे अथवा सुविधाओं की अनुमति देने पर उनके द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

**ईरान-इराक युद्ध को समाप्त करने के लिए किए गए उपाय**

2547. **श्री माधव राव सिंधिया**
**श्री अमर राय प्रधान**
**श्री मोहम्मद असरार अहमद**
**श्री उत्तम राठौर**
**श्री आनन्द सिंह**
} : **क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सुरक्षा परिषद् में मई के अन्त में ईरान-इराक युद्ध पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा के दौरान सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत की गई फारस की खाड़ी के संकट का ब्यौरा क्या है;

(ग) चर्चा के क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार ने उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष में फारस की खाड़ी में शांति बहाल करने में सहायता करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, तो वह क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी, हां।

(ख) खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य राज्यों ने अपने-अपने पत्तनों की ओर तथा वहां से

नौपरिवहन की स्वतंत्रता पर उनके शब्दों में ईरानी आक्रमण पर विचार करने के लिए सुरक्षा परिषद की एक तुरन्त बैठक बुलाने का अनुरोध किया।

(ग) सुरक्षा परिषद ने संकल्प 552 स्वीकार किया जिसके पक्ष में 13 और विपक्ष में कोई मत प्राप्त नहीं हुआ तथा दो सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। भारत ने इस संकल्प के पक्ष में मत दिया।

सुरक्षा परिषद के संकल्प 552 में उन तटवर्ती राज्यों के सभी पत्तनों और संस्थापनों की ओर तथा वहां से अन्तर्राष्ट्रीय सागर और समुद्री मार्गों में निर्बाध नौपरिवहन के अधिकार की पुन: पुष्टि की गई है, जो कि ईरान-इराक युद्ध के पक्षकार नहीं हैं, ऐसे राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के लिए सभी राज्यों से आग्रह किया गया है तथा कोई ऐसी कार्रवाई न करने के लिए कहा गया है जिससे ईरान-इराक युद्ध और भी भड़क सकता है। इस संकल्प में कुवैत और सऊदी अरब के पत्तनों की ओर जाने वाले तथा वहां से आने वाले वाणिज्य पोतों पर हमले की भी निन्दा की गई है, और इस बात की मांग की गई है कि ऐसे हमले बंद किए जाएं तथा उक्त संघर्ष में भाग न लेने वाले राज्यों की ओर जाने वाले तथा वहां से आने वाले जहाजों से कोई छेड़छाड़ न की जाए।

(घ) ईरान-इराक संघर्ष को समाप्त कराने के लिए सरकार ईरान और इराक दोनों ही से तथा अन्य देशों से भी संपर्क बनाए हुए है।

**राष्ट्रमंडल देशों की बैठक**

2548. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1984 के अंतिम सप्ताह में लन्दन में ऋणप्राप्तकर्ता देशों द्वारा वाणिज्यिक ऋणों की विद्यमान संभावनाओं के बारे में राष्ट्रमंडल देशों की कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) जी, नहीं। इस तरह की किसी बैठक के बारे में हमें जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**भारत-लीबिया सहयोग**

2549. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री की लीबिया की गत यात्रा के दौरान भारत और लीबिया ने अपने आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने तथा राजनीतिक संबंधों के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने के तरीके खोजने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो उस देश के साथ प्रति वर्ष निर्यात-आयात व्यापार का वर्तमान स्तर क्या है और इसे कहां तक बढ़ाने का विचार किया गया है; और

(ग) उस देश के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) और (ग) जी, हां। प्रधान मन्त्री की लीबिया समाजवादी लोक अरब गणराज्य की यात्रा के दौरान भारत और लीबिया ने राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का फैसला किया। इसी उद्देश्य से दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आपसी हितों के विषयों पर अधिक सम्पर्क और विचार-विमर्श किए जाने चाहिएं।

(ख) 1982-83 के आंकड़ों के अनुसार, लीबिया को कुल 8.07 करोड़ रुपए मूल्य का माल निर्यात किया गया और वहां से 3.90 करोड़ रुपये मूल्य का माल आयात किया गया। 1983-84 के अनन्तिम अनुमानों से संकेत मिलता है कि लीबिया को भारत से 5.15 करोड़ रुपये का सामान निर्यात किया जाएगा और वहां से 4.90 करोड़ रुपये का सामान आयात किया जाएगा।

**श्री विल्ली ब्रांट से हुई बातचीत**

2550. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र उत्तर दक्षिण आयोग के चेयरमैन श्री विल्ली ब्रांट के हाल ही के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने उनके साथ (एक) विश्व शांति और सुरक्षा और उत्तर दक्षिण वार्ता; और (दो) सात औद्योगिक देशों के आगामी शिखर सम्मेलन के बारे में विस्तृत बातचीत की थी;

(ख) क्या इन विषयों से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विचार-विमर्श के दौरान विश्व शांति एवं सुरक्षा के मामलों का व्यापक तौर पर जिक्र हुआ। पूर्व-पश्चिम संबंधों पर गतिरोध, निरस्त्रीकरण में पहलकदमी और पूर्व-पश्चिम एवं उत्तर-दक्षिण मसलों के बीच संबंध पर चर्चा हुई। जहां तक उत्तर-दक्षिण वार्ता का संबंध है; विश्व वार्ता की संभावनाएं, विकास संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्त सम्मेलन के लिए गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के प्रस्ताव और मुद्रा एवं वित्त के विशेषज्ञों के दल के गठन के लिए प्रधान मन्त्री द्वारा की गई पहलकदमी पर विचार-विमर्श हुआ। एक अन्य महत्वपूर्ण मसला यह सुनिश्चित करने की संभावना थी कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के पास सातवीं पुनः पूर्ति अवधि के दौरान पर्याप्त संसाधन हों। अंतर्राष्ट्रीय ऋण संकट पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह समझा गया और उम्मीद है कि इससे यूरोपीय जनता के एक महत्वपूर्ण वर्ग में इन मसलों पर भारत के विचार को ज्यादा अच्छी तरह समझने में मदद मिलेगी।

**राज्यों में जन्म और मृत्यु के अनंतिम आंकड़ों के बारे में सर्वेक्षण**

2551. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों के अनंतिम जन्म-दर आंकड़ों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनकी जन्म दर प्रति हजार सबसे अधिक है;

(ग) क्या सरकार के पास राज्यवार अनंतिम मृत्यु-दर आंकड़े भी उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) :** (क) से (घ) नमूना पंजीकरण प्रणाली के नाम से ज्ञात जन्म और मृत्यु के सम्बन्ध में एक नमूना सर्वेक्षण राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु दर के विश्वसनीय प्राक्कलन उपलब्ध कराने के विचार से आकस्मिक रूप से चुनिंदा गांवों और शहरी क्षेत्रों में नियमित रूप से किया जा रहा है। जन्म और मृत्यु-दर के नवीनतम प्राक्कलन जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, वर्ष 1982 के संबंध में हैं तथा वे संलग्न विवरण में दिए गए है। उत्तर प्रदेश में जन्म और मृत्यु दर सबसे अधिक है।

**विवरण**

**नमूना पंजीकरण प्रणाली, 1982 के अनुसार राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में प्रति हजार जनसंख्या को अनुमानित वार्षिक जन्म और मृत्यु दरें**

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | क्षेत्र | जन्म दर | मृत्यु दर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **राज्य** | | | |
| 1. आंध्र प्रदेश | संयुक्त | 31.2 | 10.6 |
| | ग्रामीण | 32.0 | 11.8 |
| | शहरी | 28.0 | 6.5 |
| 2. असम | संयुक्त | 34.2 | 12.4 |
| | ग्रामीण | 35.1 | 12.8 |
| | शहरी | 23.9 | 7.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. बिहार | संयुक्त | 37.3 | 14.1 |
| | ग्रामीण | 37.8 | 14.8 |
| | शहरी | 32.5 | 7.2 |
| 4. गुजरात | संयुक्त | 34 3 | 11.7 |
| | ग्रामीण | 35.6 | 13.2 |
| | शहरी | 31.2 | 8.3 |
| 5. हरियाणा | संयुक्त | 36.7 | 9.2 |
| | ग्रामीण | 38.4 | 10.2 |
| | शहरी | 30.1 | 5.7 |
| 6. हिमांचल प्रदेश | संयुक्त | 32.5 | 9.5 |
| | ग्रामीण | 33.2 | 9.8 |
| | शहरी | 22.9 | 4.5 |
| 7. जम्मू व कश्मीर | संयुक्त | 30.7 | 8.4 |
| | ग्रामीण | 33.2 | 9.1 |
| | शहरी | 22.8 | 6.5 |
| 8. कर्नाटक | संयुक्त | 27.9 | 9.2 |
| | ग्रामीण | 28.8 | 10.2 |
| | शहरी | 25.7 | 6.3 |
| 9. केरल | संयुक्त | 26.2 | 6.6 |
| | ग्रामीण | 26.4 | 6.6 |
| | शहरी | 25.1 | 6.6 |
| 10. मध्य प्रदेश | संयुक्त | 38.5 | 14.9 |
| | ग्रामीण | 39.9 | 16.3 |
| | शहरी | 32.4 | 9.0 |
| 11. महाराष्ट्र | संयुक्त | 29.8 | 8.8 |
| | ग्रामीण | 31.3 | 9.9 |
| | शहरी | 26.3 | 6.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. मणिपुर | संयुक्त | उ०न० | उ०न० |
| | ग्रामीण | 23.3 | 7.1 |
| | शहरी | उ०न० | उ०न० |
| 13. मेघालय | संयुक्त | 31.1 | 8.9 |
| | ग्रामीण | 32.9 | 9.9 |
| | शहरी | 23.1 | 4.4 |
| 14. उड़ीसा | संयुक्त | 33.4 | 13.0 |
| | ग्रामीण | 33.7 | 13.5 |
| | शहरी | 30.9 | 8.0 |
| 15. पंजाब | संयुक्त | 30.4 | 8.4 |
| | ग्रामीण | 30.9 | 9.1 |
| | शहरी | 28.7 | 6.4 |
| 16. राजस्थान | संयुक्त | 38.0 | 12.1 |
| | ग्रामीण | 39.3 | 13.3 |
| | शहरी | 33.1 | 7.8 |
| 17. सिक्किम | संयुक्त | 31.6 | 9.5 |
| | ग्रामीण | 32.2 | 9.9 |
| | शहरी | 29.2 | 8.0 |
| 18. तमिलनाडु | संयुक्त | 27.7 | 11.2 |
| | ग्रामीण | 29.2 | 13.4 |
| | शहरी | 24.9 | 7.4 |
| 19. त्रिपुरा | संयुक्त | 24.4 | 7·7 |
| | ग्रामीण | 25.1 | 8.0 |
| | शहरी | 18.5 | 5.7 |
| 20. उत्तर प्रदेश | संयुक्त | 38.6 | 15.1 |
| | ग्रामीण | 39.9 | 16.3 |
| | शहरी | 32.5 | 9.4 |
| 21. पश्चिम बंगाल | संयुक्त | 32.3 | 10.4 |
| | ग्रामीण | 37.0 | 12.0 |
| | शहरी | 20.4 | 6.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **संघ शासित क्षेत्र** | | | |
| 1. अंडमान और निकोबार | संयुक्त | 36.4 | 6.1 |
| द्वीप समूह | ग्रामीण | 38.4 | 6.7 |
| | शहरी | 29.0 | 3.9 |
| 2. अरुणांचल प्रदेश | संयुक्त | 34.2 | 15.9 |
| | ग्रामीण | 35.1 | 17.0 |
| | शहरी | 22.4 | 2.6 |
| 3. चंडीगढ़ | संयुक्त | 26.0 | 3.7 |
| | ग्रामीण | 31.9 | 9.5 |
| | शहरी | 25.6 | 3.4 |
| 4. दादरा और नगर हवेली | ग्रामीण | 41.7 | 13.2 |
| 5. दिल्ली | संयुक्त | 28.7 | 7.6 |
| | ग्रामीण | 35.5 | 8.4 |
| | शहरी | 27.8 | 7.5 |
| 6. गोवा दमन और दीव | संयुक्त | 21.4 | 7.2 |
| | ग्रामीण | 22.0 | 7.8 |
| | शहरी | 20.4 | 6.0 |
| 7. लक्षद्वीप | ग्रामीण | 29.3 | 7.5 |
| 8. पांडिचेरी | संयुक्त | 23.8 | 6.5 |
| | ग्रामीण | 23.5 | 7.3 |
| | शहरी | 23.9 | 6.1 |
| भारत | संयुक्त | 33.8 | 11.9 |
| | ग्रामीण | 35.5 | 13.1 |
| | शहरी | 27.6 | 7.4 |

टिप्पणी—

(i) नागालैंड के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ii) मिजोरम में नमूना पंजीकरण प्रणाली नहीं है।

(iii) उ०न० का अर्थ उपलब्ध नहीं है।

**खाड़ी युद्ध का अध्ययन करने के लिए बगदाद में आयोजित हुआ विश्व सम्मेलन**

2552. **श्री रामविलास पासवान**
**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, खाड़ी युद्ध और विश्व के देशों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बगदाद में जुलाई, 1984 के दूसरे सप्ताह में आयोजित हुए एक विश्व सम्मेलन के बारे में जानकारी है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कौन-कौन से देशों ने भाग लिया था;

(ग) क्या भारत ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था;

(घ) सरकार की दृष्टि से इस सम्मेलन का विश्व के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ङ) सम्मेलन में भारत के शामिल होने के क्या परिणाम निकले ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी, हां। "विश्व शान्ति और सुरक्षा पर खाड़ी के युद्ध का प्रभाव" विषय पर बगदाद में 8 से 10 जुलाई तक एक सम्मेलन आयोजित हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में जिन राजनीतिक दलों, आन्दोलनों, संगठनों और देशों के प्रतिनिधियों या राष्ट्रिकों ने भाग लिया था, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस सम्मेलन में भारत सरकार ने भाग नहीं लिया। लेकिन कुछ भारतीयों ने निजी हैसियत से इसमें हिस्सा लिया था।

(घ) इस सम्मेलन से इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली कि अगर यह लड़ाई जारी रहती है तो शांति और स्थायित्व के लिए इसके परिणाम कितने गम्भीर होंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**विश्व शांति और सुरक्षा पर खाड़ी युद्ध के प्रभाव सम्बंधी सम्मेलन में जिन देशों/संगठनों के राष्ट्रिकों/सदस्यों ने भाग लिया उनकी सूची**

1. इंटरनेशनल एसोसियेशन फार पीस एंड डेमोक्रेसी
2. विश्व शान्ति परिषद
3. विश्व प्रगति संगठन

4. अरब स्काट मैत्री संघ
5. मध्य पूर्व शान्ति के लिए समिति
6. यू०के० फिलीस्तीन सर्वदलीय संसदीय दल का अध्यक्ष और अरब ब्रिटिश अंडरस्टैंडिंग काउंसिल का सदस्य
7. छात्रों और युवाओं का विश्व संघ
8. एशियाई छात्र संघ
9. लन्दन स्थित अरब अध्ययन केन्द्र
10. अरब महिला परिसंघ
11. वियना आस्थानी अन्तर्राष्ट्रीय प्रगति संगठन
12. अरब मजदूर संघों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ के श्रम शिक्षा निदेशक
13. नेशनल प्रोग्रेसिव यूनियनिस्ट पार्टी
14. अल्जीरिया
15. अफ्रीका (व्यापार संघ) (ए० एल० एफ०)
16. आस्ट्रिया
17. बेल्जियम
18. ब्राजील
19. ब्रिटेन
20. कनाडा
21. क्यूबा
22. डिजीबूटी
23. इक्वाडोर
24. मिस्र
25. अल सल्वाडोर
26. इरीट्रियन रेवोलूशन
27. संघीय जर्मन
28. फ्रांस
29. यूनान
30. भारत
31. ईरान
32. आयरलैंड

33. जापान
34. जोर्डन
35. कीनिया
36. कुवैत
37. लीबिया
38. मैक्सिको
39. मारीतानिया
40. मोरक्को
41. नाइजीरिया
42. फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन
43. पनामा
44. पेरू
45. पोलैण्ड
46. फिलीपीन्स
47. पुर्तगाल
48. रूमानिया
49. सेनेगल
50. सोमालिया
51. श्रीलंका
52. स्विटजरलैंड
53. स्पेन
54. सूडान
55. सीरिया
56. तन्जानिया
57. तूनीशिया
58. अमरीका
59. सोवियत संघ
60. यूगोस्लाविया
61. जाम्बिया

**माल भाड़ा समानीकरण योजना को चरणबद्ध रूप में वापसी लेने की पांडे समिति की सिफारिशों का अस्वीकार किया जाना**

2553. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माल भाड़ा समानीकरण योजना को चरबणद्य रूप में वापस लेने की पांडे समिति की सिफारिश अस्वीकार कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो पांडे समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

**योजना और सिचाई मंत्री (प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी नहीं। लौह, इस्पात और सीमेंट जैसी वस्तुओं से सम्बन्धित विद्यमान भाड़ा समकरण स्कीम को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए सरकार ने, सिद्धांत रूप से, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पांडे समिति) द्वारा दी गई सिफारिशें पहले से ही स्वीकार कर ली हैं बशर्ते कि दूरस्थ अगम्य और अलग-अलग क्षेत्रों को परिवहन संबंधी राज सहायता दी जाए।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**प्रदेश-शुल्क के संबंध में पश्चिम बंगाल के एक बिल को अनुमोदित न किया जाना**

2554. **प्रो० रूप चन्द्र पाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवेश शुल्क के संबंध में पश्चिम बंगाल के एक बिल को केन्द्र द्वारा समय पर अनुमोदित नहीं किया गया था; और

ख यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)** : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल स्थानीय क्षेत्रों में सामान के प्रवेश पर कर विधेयक, 1984 राज्य विधान-मंडल में पुर: स्थापित किए जाने से पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के अधीन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लिए 27 मार्च, 1984 को प्राप्त हुआ। राज्य विधान-मंडल में इस विधेयक के पुर:स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश 4 मई, 1984 को राज्य सरकार को भेज दिए गए।

**घड़ियालों का सर्वेक्षण**

2555. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में घड़ियालों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या पिछले कुछ बर्षों से घड़ियाल लुप्त होते जा रहे हैं;

(ग) क्या देश में कुछ घड़ियालों की खोज की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी नदियों आदि के नाम क्या हैं ?

**पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रजाति (स्वीशीज) की स्थिति अभी खतरे में है। फिर भी हाल के वर्षों में संरक्षण की कार्यवाही से यह अब समाप्त होने की हालत में नहीं है।

(ग) भारत "घड़ियालों" का विशेष क्षेत्र है। अत: देश में उनकी खोज का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अब ये अपने मूल प्राकृतिक-वासों के क्षेत्रों में फैल गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**सुल्तानपुर माजरा में विकास सम्बन्धी कार्य**

2556. **श्री रामसिंह शाक्य**
**श्री जयपाल सिंह कश्यप** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर माजरा के अनुसूचित जनजातियों की स्थिति सुधारने और उनकी बस्ती के विकास संबंधी कार्य में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : दिल्ली संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त सूचना अनुसार अनुसूचित जाति बस्ती सुलतानपुर माजरा में भूमिगत पेयजल पाइप के लाइन, स्ट्रीट लाइटों, सार्वजनिक शौचालयों, सड़क तथा नालियों की व्यवस्था पहले ही कर दी गई हैं। मरम्मत रख-रखाव के कार्य को इस बस्ती में चालू वर्ष के दौरान आरम्भ के किए जाने का प्रस्ताव है।

**बम्बई में मोटर वाहनों द्वारा उत्पन्न वातावरण प्रदूषण की रोकथाम**

2557. **श्री आर० आर० भोले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर निगम के पर्यावरण कक्ष द्वारा किये गये एक अध्ययन से यह पता चला है कि वातावरण में प्रतिदिन होने वाले 1730 टन प्रदूषण में से 67.48 प्रतिशत प्रदूषण अकेले मोटर वाहनों से होता है; और

(ख) पर्यावरण में सुधार करने के लिए सरकार, का क्या कदम उठाने का विचार है और क्या वह दक्षिणी बम्बई में भीड़भाड़ कम करने के लिए नए व्यवसाय और व्यापार कार्यालय स्थापित करने पर प्रतिबन्ध लगाएगी ?

**पर्यावरण विभाग में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में नए मालगोदाम तथा थोक व्यापारिक गतिविधियों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके अलावा वर्तमान थोक बाजारों तथा परिवहन गोदामों को अन्य क्षेत्रों में हस्तांतरित करने की योजना है। नगर पालिका प्राधिकरणों द्वारा एक सीमा तक विकास नियंत्रण नियमों में संशोधन किया गया है तथा राज्य अरकार द्वारा इस क्षेत्र में अब नए उद्योगों को अनुमति नहीं दी जा रही है।

**छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पिछड़े आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास**

2558. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पिछड़े, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अपनाई गई संकल्पना और नीति क्या है ;

(ख) उन योजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को वर्ष 1980 से 1983-85 तक, राज्यवार, कितना धन दिया गया है;

(ग) केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों ने इन क्षेत्रों में कौन-कौन से आर्थिक उत्थान कार्यक्रम शुरू किये हैं और उनके लिए वर्ष 1984-85 तक कितना धन उपलब्ध कराया गया है; और

(घ) उक्त कार्यक्रमों और योजनाएं लोगों के बीच आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय असन्तुलन को किस हद तक समाप्त कर सकी है ?

**योजना और सिंचाई मंत्री** (**श्री प्रकाश चन्द्र सेठी**) : (क) सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे कुछ क्षेत्रों को विशेषकारणों से पिछड़ा हुआ निर्धारित किया है। पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निम्नलिखित सामान्य उपाय अपनाए गए हैं :—

1. संसाधन अन्तरण जो पिछड़े राज्यों के पक्ष में है ;

2. विशेष पिछड़े/समस्या क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम ; और

3. पिछड़े क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन उपाय।

चार राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग उपयोजनाएं तैयार की जा रही हैं और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में स्कीम-नीति का अनुपालन किया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यनीति का मुख्यबल इन बातों पर है—(1) परिस्थितिकी के अनुरूप विकास और (2) पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार।

17 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों की जनजातीय उपयोजनाओं में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए त्रिअंगीय नीति का अनुपालन किया जा रहा है : आधार संरचना विकास, परिवार के लाभ के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम तथा मानव संसाधन विकास ; स्थानीय प्राकृतिक संसाधन सम्पन्नता, लोगों की कुशलता तथा व्यवसाय और अभिरुचि पर आधारित एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं तैयार की जाती हैं और जनजातीय उप क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख) निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों की अनुपूर्ति के वास्ते छठी योजना में उपलब्ध कराई गई विशेष केन्द्रीय सहायता नीचे बताई गई है :—

| | ( करोड़ रु० ) |
|---|---|
| 1 पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (प० क्षे० वि० का०) | 562.08 |
| 2. जनजातीय क्षेत्र | 485.00 |
| 3. सूखाप्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम | 175.00 |
| 4. रेगिस्तान विकास कार्यक्रम | 50.00 |
| 5. उत्तरी पूर्वी परिषद | 413.90 |
| 6. औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र | 100.00 |

राज्यावार विवरण संलग्न है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित कार्यक्रमों के अलावा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जो आर्थिक विकास कार्यक्रम हैं देश में कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनमें ये क्षेत्र भी शामिल हैं। छठी योजना में इन कार्यक्रमों के लिए आवंटित लघु धनराशियां निम्नलिखित हैं :—

| | |
|---|---|
| 1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए० ग्रा० वि० का०) | 998.55 करोड़ रु० |
| 2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा० ग्रा० रो० का०) | 981.00 करोड़ रु० |
| 3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ग्रा० भू० रो० गा० का०) | 500.00 करोड़ रु० |

(घ) उयर्युक्त प्रश्न के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर में उल्लिखित कार्यक्रम पांचवीं और छठी योजना की अवधि में विभिन्न चरणों में शुरू किए गए थे। वास्तव में, राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983-84 में शुरू किया गया था। लोगों में आर्थिक असमानता तथा

क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने में इन कार्यक्रमों को मिलाकर कुल प्रभाव का मूल्यांकन करने में कुछ समय लगेगा।

**विवरण**

**छठी योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा आवंटित धनराशि**

करोड़ रु०

| क्र० सं | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पहाड़ी क्षेत्र 1980-85 | उत्तर-पूर्वी परिषद 1980-85 | जनजातीय क्षेत्र* 1980-85 | सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम 1980-84 (जारी) | रेगिस्तान विकास कार्यक्रम 1980-84 (जारी) | औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय निवेश सहायता 1980-84 जारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 71.89 | | 22.44 | 18.86 | | 12.92 |
| 2. | असम | | | 21.08 | | | 2.79 |
| 3. | बिहार | | | 69.26 | 10.90 | | 1.10 |
| 4. | गुजरात | | | 40.72 | 9.38 | 2.30 | 15.09 |
| 5. | हरियाणा | | | | 2.95 | 5.09 | 4.90 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | | | 7.00 | | 1.47 | 7.03 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | | | | 2.76 | 1.68 | 4.25 |
| 8. | कर्नाटक | 15.14 | | 3.45 | 12.95 | | 11.63 |
| 9. | केरल | 18.65 | | 2.86 | | | 3.47 |
| 10. | मध्य प्रदेश | | | 137.44 | 10.17 | | 10.39 |
| 11. | महाराष्ट्र | 24.19 | | 33.20 | 13.51 | | 8.69 |
| 12. | मणिपुर | | | 8.65 | | | 0.52 |
| 13. | मेघालय | | | | | | 0.47 |
| 14. | नागालैंड | | | | | | — |
| 15. | उड़ीसा | 66.32 | | 5.60 | | | 3.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | पंजाब | | | | | | 6.63 |
| 17. | राजस्थान | | | 32.99 | 12.67 | 21.19 | 15.33 |
| 18. | सिक्किम | | | 1.22 | | | 0.34 |
| 19. | तमिलनाडु | 35.60 | | 5.36 | 10.47 | | 19.09 |
| 20. | त्रिपुरा | | | 8.09 | | | 0.10 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 351.50 | | 1.02 | 14.46 | | 3.90 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 29.98 | | 21.73 | 6.90 | | 2.23 |
| 23. | अंडमान और निकोबार | | | 1.82 | | | 0.66 |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश | | | | | | 0.30 |
| 25. | दादर और नागर हवेली | | | | | | 0.63 |
| 26. | गोवा, दमन और दीव | 3.83 | | 0.35 | | | 6.32 |
| 27. | मिजोरम | | | | | | 0.53 |
| 28. | पांडिचेरी | | | | | | 1.75 |
| 29. | सर्वेक्षण और अध्ययन | 11.31 | | | | | |
| | जोड़ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र | 562.08 | 413.90 | × 485.00 = | 131.58 | 31.73 | 143.64 |

*पहले चार वर्षों के लिए जारी किए गए आंकड़े और छठी योजना के अन्तिम वर्ष के लिए आवंटन।

× स्रोत : गृह मंत्रालय।

= राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कुछ योजनाएं राज्य सीमाओं के बाहर हैं।

**जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए राज्यों द्वारा पृथक बजट और मांग अपनाना**

2559, **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के लिए पृथक बजट और मांग तथा प्रत्येक समेकित जनजाति विकास क्षेत्र (आई० टी० डी० ए०) में कार्यान्वियन और निष्पादन हेतु एकस्तरीय प्रशासन अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उनके बजट बनाने की प्रक्रिया क्या है और तत्सम्बन्धी प्रशासन का विस्तृत ढांचा क्या है;

(ग) अन्य राज्यों द्वारा मार्गनिर्देशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने बजट तथा माँग सम्बन्धी मौजूदा प्रणाली तथा परिवर्तित प्रणाली की जाँच की हैं, और

(ङ) यदि हाँ, तो नई कार्य विधि, यदि कोई हैं, अपनाने के लिए राज्यों को समझाने और उन पर जोर डालने के लिए उनके मन्त्रालय के जनजाति विकास मंडल (टी० डी० डिवीजन) द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) से (ङ) राज्यों ने जनजाति उपयोजना निधियों को अलग से दिखाने के सिद्धान्त को अपनाया है और वे उपयुक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए निधियाँ निर्धारित कर रहे हैं। यहाँ दो पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। एक पद्धति में प्रत्येक कार्यात्मक शीर्ष दो भागों में विभक्त हैं—एम में जनजाति उप-योजना क्षेत्र के हिस्से को दिखाया जा रहा है और दूसरे में शेष प्रावधान को दियाया जा रहा है। दूसरी पद्धति में सभी क्षेत्रीय विभागों के लिए निर्धारित निधियाँ विभागवार, राज्य के जनजातीय विकास विभाग द्वारा नियन्त्रित केवल एक माँग शीर्ष के अन्तर्गत दिखाई जाती हैं। पहली पद्धति आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और दूसरी पद्धति गुजरात हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा अपनाई गई है, गृह मन्त्रालय द्वारा की गई समीक्षा से मालूम होता है कि बजट में अलग से जनजातीय उप-योजना आबंटनों को दिखाने की नई पद्धति निधियों के आबंटन और उपयोग के प्रबोधन के मामले में पुरानी पद्धति से अधिक सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। जनजातीय उपयोजना वाले सभी राज्यों सिद्धान्ततः एकल पद्धति प्रशासन की आवश्यकता को महत्व दिया गया है और अपनाया गया है। समेकित जनजाति विकास परियोजना और विशेष परियोजनाओं के माध्यम से उपयुक्त ढांचे की व्यवस्था की गई है। समेकित जनजाति विकास परियोजनाओं में सामान्यतः श्रेणी-I पद के परियोजना प्रशासक अथवा परियोजना अधिकारी हैं और एम० ए० डी० ए० क्षेत्रों और आदिम जनजाति परियोजनाओं के प्रभारी विशेष अधिकारी तैनात किए गए हैं। उपयुक्त सहायक कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है।

**आदिवासी क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए मास्टर प्लान**

2560. **श्री गिरिधार गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्यों से आदिवसी क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और भारत सरकार को सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों ने सहायता हेतु किन-किन सड़कों और पुलों का, राज्यवार सुझाव दिया है;

(ग) उनके मन्त्रालय ने सड़कों और पुलों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया है और केन्द्रीय सहायता के लिये नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय की मंजूरी और सहायता हेतु राज्यों के कितने प्रस्ताव की सिफारिश की गई है; और

(घ) क्या इन प्रस्तावों में से कुछ अपरिहार्य और महत्वपूर्ण सड़कें और पुल छोड़कर किए गए हैं; और यदि हां, तो मन्त्रालय की स्वीकृति हेतु उन्हें किस तरह शामिल किया जाएगा ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए विशिष्ट मास्टर प्लान करने के लिए नहीं कहा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रस्ताव के चयन का मानदण्ड अप्राप्य सड़क सम्पर्क और पुल थे। राज्यों के 18 प्रस्तावों के लिए नौवहन और परिवहन मन्त्रालय को सिफारिश की गई है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

**समुद्र-तल अयस्क परियोजना में निवेश लिए भारत और सोवियत संघ के बीच करार**

2561. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आर सोवियत संघ दोनों समुद्र तल अयस्क परियोजना में निवेष करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई संयुक्त सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) समुद्र अभिसमय सम्बन्धी कानून पर अन्तिम बातचीत के लिए तैयार की गई विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) कोई विशिष्ट परियोजना नहीं है। तथापि, 1983 में भारत और सोवियत संघ, दोनों अग्रगामी निवेशकों ने बातचीत की और आपस में यह तय किया कि दोनों देश, जो अग्रगामी क्षेत्र के लिए पंजीकरण के इच्छुक हैं, उनके क्षेत्र आपस में न टकराएं ।

**नई दिल्ली में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार**

2562. **श्री राम विलास पासवान**
**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** ] : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10, जुलाई 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिहार की एक 17 वर्षीय लड़की के साथ 9 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में तीन व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या)** : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) बिहार की एक लड़की, आयु 16 वर्ष, जो नई दिल्ली, हौज खास क्षेत्र में घरेलू नौकर के रूप में कार्य कर रही थी । 8 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरी और हौज खास जा रही थी । नेत्र पाल नामक एक व्यक्ति उसे फुसलाकर दूर ले गया और उसने और अन्य दो व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया । घटना के बाद रूट संख्या 505 की बस में यात्रा करते हुए लड़की ने चीख पुकार की और अभियुक्त नेत्रपाल को दबोच लिया गया और हौज खास पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया ।

(ग) और (घ) थाना कनाट प्लेस और थाना यमुनापुरी में 8 जुलाई, 1984 को दो मामले, एक मामला भा० दं० सं० की धारा 363/366/376 और दूसरा मामला भा० दं० सं० की धारा 368/376/34 के अन्तर्गत दर्ज किए गए और इनकी जांच-पड़ताल की जा रही है । तीन अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

**फास्ट ब्रीडर परमाणु संयंत्रों की स्थापना करना**

2563. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार फास्ट-ब्रीडर परमाणु संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के फास्ट ब्रीडर परमाणु संयंत्र किस वर्ष तक स्थापित किए जाने की सम्भावना हैं;

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम को लागू करने के लिए वित्तीय व्यवस्थाएं की गई हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

**विज्ञान और औद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : क) (ख) जी, हां। परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी विकास-कार्यक्रम के दूसरे चरण में, फास्ट ब्रीडर परमाणु बिजलीघरों की स्थापना 21वीं शताब्दी के पहले दशक में की जाएगी।

(ग) तथा (घ) रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र, कलपाक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर को दिसम्बर, 1984 में चालू करने का कार्यक्रम है। 500 मेगावाट क्षमता वाले एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन तैयार करने और उसका निर्माण करने के बारे में संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है। इस रिएक्टर के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट सातवीं योजना की अवधि के पहले भाग में तैयार की जाएगी। आशा है कि इस रिएक्टर का निर्माण सन् 1990 के बाद के दशक के मध्य तक किया जाएगा। प्रौद्योगिकी का विकास करने और ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सातवीं योजना की अवधि में आवश्यक धनराशि का प्रावधान मांगा जा रहा है।

**विदेशों से विभिन्न संस्थाओं को मिली आर्थिक सहायता**

2564. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री विदेशों से विभिन्न संस्थानों को मिली आर्थिक सहायता के बारे में 23 मार्च, 1983 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3999 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) और (ख) में पूछी गई सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि इन संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त अनुदान/ऋण या किसी अन्य रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता को उन्हीं प्रयोजनों पर खर्च किया गया है, जिनके लिए उन्हें ये प्राप्त हुई थी;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार जांच की गई है और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या ऐसी कोई जांच शीघ्र कराई जाएगी, ताकि विदेशों से प्राप्त धनराशि का कोई दुरुपयोग न हो सके ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) 1979 और 1980 वर्षों के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं और इन दो वर्षों की विवरणियों के संकलित होने के बाद ही परिणाम उपलब्ध होंगे ।

(ग) से (ङ) प्राप्तकर्ता संगठन को कलैण्डर वर्ष प्राप्त किए गए और उपयोग किये गए धन का किसी चार्टर्ड एकाउंटेण्ट द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा भेजना होता है । कई हजार ऐसे संगठन है, जो विदेशी धन प्राप्त होने की सूचना देते हैं । सभी मामलों में उपयोग का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता । जहां अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन की सूचना मिलती है, मामलों की जांच-पड़ताल की जाती है ।

**कम्पनी में स्वयं की अनुसंधान एवं विकास यूनिटों पर लगाई गई शर्तों का पालन न किया जाना**

2565. **श्री मूलचन्द डांगा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क क्या सरकार द्वारा लागू की गई शर्तों का संबद्ध यूनिटों द्वारा पालन न करने पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंपनी में स्वयं की अनुसंधान और विकास यूनिट के लिए मंजूरी वापस लेने की कोई घटनाएं प्रकाश में आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्ष के दौरान ऐसी कितनी यूनिटों को दी गई अनुमति वापस ली गई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** (क) और (ख) संस्थानान्तर्गत अनुसंधान और विकास एककों को एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्यता दी जाती है । मान्यता की अवधि अनुसंधान और विकास एककों के कार्य की समीक्षा करने के पश्चात ही बढ़ाई जाती है । पिछले दो वर्षों के दौरान, तीन मामलों में इसी प्रकार की समीक्षा के आधार पर मान्यता की अवधि बढ़ाई नहीं गई थी ।

**अंटार्टिका अभियान**

2566. **श्री मूलचन्द डांगा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक अंटार्टिका भेजे गए अभियानों की संख्या कितनी है और प्रत्येक अभियान पर अब तक अलग-अलग खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अंटार्टिका के प्रत्येक अभियान के लिए कितने उम्मीदवारों ने स्वेच्छा से अपने नाम प्रस्तुत किए/आवेदन किया और कितने व्यक्तियों का विदेश भेजने के लिए चयन किया गया;

(ग) इस क्षेत्र में अब तक अनुसंधान के लिए किए गए हमारे प्रयास से क्या लाभ हुआ है या उनके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) अब तक वहां कितने मूल्य के उपकरण लगाये गये हैं ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) अब तक अंटार्टिका पर तीन अभियान भेजे जा चुके हैं। उन पर 9.55 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम अभियान (1981-82) | — | 1.90 करोड़ रुपये |
| द्वितीय अभियान (1982-83) | — | 1.95 करोड़ रुपये |
| तृतीय अभियान (1983-84) | — | 5.70 करोड़ रुपये |

(ख) विवरण नीचे दिए गए हैं—

| | प्रथम अभियान (1981-82) | द्वितीय अभियान (1982-83) | तृतीय अभियान 1983-84 |
|---|---|---|---|
| (i) स्वेच्छा से अपने नाम देने वाले उम्मीदवारों की संख्या | कोई नहीं। इस अभियान के संगठन के बारे में पहले से सूचना प्रकाशित नहीं हुई थी। | 17 | 10 |
| (ii) विदेश भेजने के लिए चयन किए गए व्यक्तियों की संख्या | 21 | 28 | 81 |

(ग) भारत को इन प्रयोगों से होने वाले लाभों को संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत रखा जा सकता है—

(क) **वैज्ञानिक** : अंटार्टिक अभियानों के दौरान प्राप्त की गई वैज्ञानिक जानकारी से अंटार्टिका में भारत के क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है, इसमें वहां पर एक भारतीय स्थायी केन्द्र का स्थापित करना भी शामिल है। इन अभियानों के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के नमूनों और जानकारी का देश की 20 से अधिक विभिन्न संस्थाओं द्वारा विश्लेषण किया गया है और यह कार्य

अभी भी जारी है। वैज्ञानिक दृष्टि से अंटार्टिका महाद्वीप अद्वितीय है, क्योंकि वैज्ञानिक किस्म के प्रयोग जो अंटार्टिका पर किए जा सकते हैं, वे कहीं और नही किए जा सकते।

(ख) **आर्थिक** : भारत को तत्काल आर्थिक लाभ क्रिल स्टाक की जानकारी से और क्रिल के उपयोग में आने वाले संसाधनों से मिल सकता है। एक मत्स्य और समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान शीघ्र ही प्राप्त किया जा रहा है। यह जलयान 60° दक्षिण अक्षान्त (साउथ लेटिट्यूड) तक कार्य करने में सक्षम होगा। निकट भविष्य में क्रिल के कुछ उपयोगों को हाथ में लेना सम्भव हो सकेगा। अंटार्टिका में खनिज संसाधनों के उपयोग करने के लम्बी अवधि के लाभ भी हो सकते हैं जिनके लिए अंटार्टिका संधि के सलाहकार सदस्यों द्वारा एक रिजीम समझौता किया जा रहा है।

(ग) **राजनीतिक** : भारत द्वारा किए गए तीन सफल वैज्ञानिक अभियानों और मानव सहित भारतीय स्थायी केन्द्र के स्थापित करने से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में देश की ख्याति में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(घ) 1.85 करोड़ रुपये।

**देश में उपलब्ध खनिज भण्डार**

2567. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फ्लोर-स्पार टंगस्टेन, चूने का पत्थर, सीसा, तांबा, कैल्सियम आदि विभिन्न खनिज पदार्थों की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन खनिज पदार्थों की उपलब्ध मात्रा का अनुमान लगाया है ;

(ग) इन खनिज पदार्थों के उपयोग के लिए छठी योजना में क्या कदम उठाये गये हैं तथा सातवीं योजना में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) और (ख) छठीं योजना के दौरान अब तक निम्नलिखित खनिजों के भण्डारों का अनुमान लगाया गया है—

| खनिज | भंडार (मि० टनों में) | राज्य जहां मुख्यतः प्राप्त |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| सीसा-जस्ता अयस्क | 119 | राजस्थान, महाराष्ट्र तथा पश्चिमी बंगाल |
| तांबा अयस्क | 24.77 | राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| टंगस्टन अयस्क | 3.07 | राजस्थान और महाराष्ट्र |
| फलूरस्पार | 11.8 | गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान |
| (फ्लूराइट) | (अनुमानित) | तथा महाराष्ट्र |
| चूनापत्थर | 73198.85 | देश के लगभग सभी राज्यों में |
| (कैल्सियम लाइमस्टोम का ही एक उत्पाद है) | | |

(ग) और (घ) खनिज आधारित उद्योगों जैसे लोहा इस्पात, सीमेंट, रसायन तथा सीसा, जस्ता और तांबा धातु निर्माण उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए इन खनिजों का पहले से खनन हो रहा है। छठी योजना के दौरान विकासगत या विकास के लिए प्रस्तावित निक्षेप ये हैं—

मध्यप्रदेश (मलखंड) बिहार (रा खा)आन्ध्र प्रदेश(मेलारम) तथा राजस्थान (चांदमारी) में ताम्र अयस्क; राजस्थान (जावर, रामपुर-अगुजा और राजपुरा दरीबा), उड़ीसा (सरगीपल्ली) तथा गुजरात (अम्बेजी) में सीसा-जस्ता। अनेक राज्यों में अनेक सीमेन्ट संयंत्रों का अनुमोदन किया गया है, जिनमें चूनापत्थर का उपयोग होगा।

**कोचीन में सरकारी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में हिन्दी के पद**

2568. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा के रूप में हिन्दी के क्रियान्वयन हेतु राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिंदी के कितने न्यूनतम पद होने चाहिए;

(ख) क्या कोचीन के सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में हिन्दी के उतने अपेक्षित न्यूनतम पद हैं;

(ग) किन कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में हिन्दी के अपेक्षित न्यूनतम पद नहीं हैं;

(घ) इसके कारण क्या हैं, और

(ङ) इन कार्यालयों में अपेक्षित न्यूनतम पद उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 में हिन्दी पदों के सृजन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**कोचीन में केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन समितियों का गठन**

2569. **श्री ए० नीलालोहितदासन नाडर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में कितने केन्द्रीय सरकारी प्रतिष्ठान और कार्यालय हैं ;

(ख) उनमें से कितने कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में हिन्दी कार्यान्वयन समिति बनाई गई है ;

(ग) कितने कार्यालयों में हिन्दी कार्यन्वयन समिति नहीं बनाई गई है ;

(घ) उन कार्यालयों में हिन्दी कार्यान्वयन समिति न बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राज दुलारी सिन्हा** : (क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के अवसर पर उस नगर में स्थित सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के प्रतिनिधि प्राय: भाग लेते हैं। कोचीन की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची के अनुसार वहां 36 कार्यालय हैं।

(ख) तथा (ग) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। सरकार के आदेशों के अनुसार जिस कार्यालय में 25 या इससे अधिक कर्मचारी समूह (घ) कर्मचारियों को छोड़कर, कार्य करते हैं वहां राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।

(घ) प्रश्न के (ख) तथा (ग) भाग के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

**देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा बिजली का उत्पादन**

2570. **श्री मोहम्मद असरार अहमद**
**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में कोई भावी योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो आगामी 10 अथवा 15 वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा बिजली के उत्पादन के लक्ष्य क्या हैं ; और

(ग) इसके लिए प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) तथा (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार की गई भावी योजना में सन् (ख) 1995 तक लगभग 4,400 मेगावाट और

सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट क्षमता के परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का कार्यक्रम है ।

(ग) सातवी, आठवीं और नवीं पंचवर्षीय योजनाओं में परमाणु विद्युत रिऐक्टरों के लिए क्रमशः लगभग 2000 करोड़ रुपये, 5000 करोड़ रुपए और 1800 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है।

**दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में फ्रांस द्वारा प्रौद्योगिकी का अन्तरण**

2571. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस भारत को प्रौद्योगिकी, विशेषरूप से दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिए उत्सुक है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) :** (क) जी, हां।

(ख) पिछले 10 वर्षों के दौरान फ्रांस की विभिन्न इलेक्ट्रॉनिकी कंपनियों के साथ 24 से अधिक सहयोग विषयक करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सहयोग और आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी कम्प्यूटरों तथा सूचना-विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग के लिए हाल ही में एक नयाचार (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर किए थे। सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इस भारत-फ्रांस नयाचार के अन्तर्गत तीन कार्य-दल स्थापित किए गए थे। कार्य-दलों की प्रथम बैठक दिसम्बर, 1983 में हुई थी तथा उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए 30 परियोजनाओं का पता लगाया था। इस क्षेत्र में सहयोग की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए इन कार्य-दलों की वर्ष में एक बैठक बारी-बारी से पेरिस तथा नई दिल्ली में होती है।

**बम्बूफ्लैट में मोटर लांचों के बीच दुर्घटना**

2572. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन की दो मोटर-लांच, "प्रभा" के एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई, यदि हां तो क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त मृतक की विधवा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत सरकार को कोई नोटिस भेजा गया है तथा इस मामले में क्या कार्रवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने यान्त्रिक जल पोतों के प्रयोग से होने वाली लोगों की मृत्यु से सम्बद्ध दुर्घटनाओं में मुआवजे के दावों का निपटारा करने के प्रयोजन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में "इन्लैंड वैसल्स एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल" का गठन किया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राजदुलारी सिन्हा)** : (क), (ख), (ग) और (घ) :— अण्डमान व निकोबार प्रशासन से सूचित किया है कि 13 जनवरी, 1984 को वम्बूफ्लैट घाट पर एम० एल० प्रोवा और एम० एल० बड़ाकुड़ा में टक्कर हुई। एम० एल० प्रोवा का एक चालक कर्मचारी समुद्र में गिर गया और डूब गया। स्थानीय पुलिस ने दुर्घटना की जांच पड़ताल की और दोनों जलयानों के मास्टरों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र फाइल कर दिए गए हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन मृतक की विधवा से अण्डमान व निकोबार प्रशासन को नोटिस प्राप्त हुआ है और उसे श्रमिक मजदूरों के मुआवजा आयुक्त को भेजा गया है। अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र में अन्तर-भूमि न्यायाधिकरण के गठन की अभी तक आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

**मध्य प्रदेश में डकैतों से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क विकास कार्यक्रम**

2573. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने डकैती गतिविधियों के विरुद्ध मुरैना भिण्ड, ग्वालियर शिवपुर, गुना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह तथा सागर के डकैत प्रभावित क्षेत्रों हेतु 104.09 करोड़ रुपये का सड़क विकास कार्यक्रम तैयार किया है तथा इसको अनुमोदित हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों से प्राप्त इसी प्रकार के प्रस्तावों पर, इन राज्यों के डकैती-प्रवृत्त क्षेत्रों का त्वरित विकास करने के लिए दीर्घावधि कार्यनीति तैयार करने के लिए योजना आयोग में गठित कार्यकारी दल द्वारा विचार किया गया था। परिवहन मंत्रालय से सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके, सड़क निर्माण के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया था और उनकी शिफारशों को जो अभी प्राप्त हुई हैं, कार्यकारी दल के समक्ष उसकी अगली बैठक में रखा जाएगा।

**मध्य प्रदेश द्वारा भेजी गयी आदिवासी क्षेत्र सड़क विकास परियोजना**

2574. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास आदिवासी क्षेत्र सड़क विकास परियोजना, जिसमें 119.22 करोड़ की लागत आने का अनुमान है, भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :** (क), (ख) और (ग) राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में 6050 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 119.22 करोड़ रुपए की वित्तीय आवश्यकता का संकेत दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 4.09 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है।

**आदिवासी लड़कियों के होस्टल भवन के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश से प्रस्ताव**

2575. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की आदिवासी लड़कियों के होस्टल भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) :** (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रदूषण रोकने और पारिस्थितिकी के विकास हेतु वनस्पति जीवन का महत्व**

2576. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनस्पति क्षेत्र कम होता जा रहा है जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिक स्थिति खतरनाक होती जा रही है;

(ख) देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में अनुमानतः कितने क्षेत्र में वनस्पति है और विश्व के दूसरे देशों की तुलना में यह स्थिति कैसी है; और

(ग) क्या सरकार प्रदूषण रोकने और पारिस्थितिकी के विकास के लिए वनस्पति जीवन की भूमिका और महत्व पर जोर देने हेतु सम्मेलनों और गोष्ठियां प्रायोजित करेंगे ?

**पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) से (ग) प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण जिसमें वन तथा चरागाह जहां पुनः उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं है, के कारण पर्यावरणीय निम्नीकरण हुआ है।

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के 33 प्रसिशत को वन के अन्तर्गत होन चाहिए। देश में 328.8 मिलियन हेक्टेयर के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 74.8 मिलियन हेक्टेयर को वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। केन्द्रीय वानिकी आयोग 1980 की रिपोर्ट के अनुसार भूमि प्रयोग का ब्यौरा निम्न प्रकार से है;

| भूमि प्रयोग | क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर | कुल का प्रतिशत |
|---|---|---|
| कृषि (कृषि भूमि) | 154.7 | 47 |
| वन | 74.8 | 22.7 |
| अन्य गैर-कृषि भूमि | 43.6 | 13.3 |
| गैर-कृषि उपयोग के अन्तर्गत भूमि | 17.4 | 5.3 |
| गैर-कृषि उपयोग के अन्तर्गत बंजर तथा खेती अयोग्य भूमि | 38.3 | 11.7 |
| योग : | 328.8 | 100.0 |

विश्व में वन भूमि का प्रतिशत कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30.99 प्रतिशत है। 2000 विश्व के अनुसार दुनिया के विभिन्न क्षेत्र में वन के अन्तर्गत भूमि का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

| देश | वन भूमि | कुल भूमि क्षेत्र (मिलियन हेक्टेयर) | वन भूमि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| उत्तरी अमेरिका | 630 | 1841 | 34.22 |
| केंद्रीय अमेरिका | 65 | 272 | 23.89 |
| दक्षिणी अमेरिका | 730 | 1760 | 41.47 |
| अफ्रीका | 800 | 2970 | 26.93 |
| यूरोप | 170 | 474 | 35.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| सोवियत रूस | 915 | 2144 | 42.67 |
| एशिया | 530 | 2700 | 19.62 |
| प्रशान्त क्षेत्र | 190 | 842 | 22.56 |
| विश्व | 4030 | 13003 | 30.90 |

विभिन्न अनुसंधान तथा विकासात्मक गतिविधियां, जिसमें पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के के बारे में सम्मेलन तथा गोष्ठियां तथा वनस्पति जीवन के महत्व पर बल देने के लिए वन विभागों के साथ सुदृढ़ पारस्परिक प्रभाव शामिल है, को पर्यावरण विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया है।

**हिमालय में काफी ऊंचाई पर पैदा होने वाले पौधों का सर्वेक्षण**

2577. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय में काफी ऊंचाई पर पैदा होने वाली वनस्पति और पौधों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या चिकित्सीय गुणों वाले पौधों के सम्बन्ध में भी अनुसंधान कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) कौन-कौन से संस्थान इस कार्य में लगे हुए हैं ?

**पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) काफी ऊंचाई पर वनस्पति और पौधों का पहले ही भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, हावड़ा के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है;

(ख) वनस्पति सर्वेक्षण विशेष औषधीय पौधों पर कुछ कार्य कर रहा है।

(ग) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कलकत्ता, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रयोगशालाएं (केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, केन्द्रीय मेडिकल व एरोमेटिक पौधे संस्थान, लखनऊ, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू तवी, जम्मू व काश्मीर आदि)

**आरक्षण/पदोन्नति नीतियों के अनुपालन पर निगरानी रखने लिए एक अलग स्कन्ध की स्थापना**

2578. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने राज्यों को "आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका" की नवीनतम प्रवृत्तियों की जानकारी देने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की "आरक्षण सम्बन्धी पुस्तिका" भेजी है;

(ख) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय यह देखभाल करने के लिए मूल अभिरक्षक है कि क्या अन्य मंत्रालयों/उन सार्वजनिक क्षेत्र के उमक्रमों में आरक्षण और पदोन्नति नीतियों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं; और

(ग) क्या सरकार का विचार आरक्षण/पदोन्नति नीतियों के अनुपालन की निगरानी और संवीक्षा करने के लिए एक अलग स्कन्ध बनाने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विवरणिका में केन्द्रीय सरकार के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी निर्देश तथा अनुदेश दिए गए हैं। राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य प्रशासनों के अधीन आने वाली सेवाओं और पदों के मामले में विवरणिका में दिए गए निर्देश स्वमंमेव ही लागू नहीं हो जाते। तदनुसार विवरणिका की प्रतियां राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए संगत न होने के कारण उन्हें नहीं भेजी गई हैं।

(ख) भारत सरकार (कार्य का आबंटन नियमावली) की शर्तों के अनुसार "कतिपय श्रेणियों के नागरिकों के लिए सेवाओं में पदों के आरक्षण" से सम्बन्धित मद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय को आबंटित की गई है। मोटे तौर पर, यह विभाग केन्द्रीय सरकार के अधीन आरक्षण नीति के कार्यान्वियन पर निगरानी रखता है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, वित्त मंत्रालय का लोक उद्यम ब्यूरो तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विशेष से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय अपने अधीन अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में नीति का निर्धारण तथा उसके कार्यान्वियन पर भी निगरानी रखता है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के लिए निदेशपद**

2579. **श्री भोखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त दोनों के निदेशपद किया है;

(ख) इन दोनों निकायों में से किसकी सिफारिशें सरकार के लिए अधिक बाध्य हैं; और

(ग) क्या इन निकायों द्वारा की गई और सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट में शामिल की जाती है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) विशेष अधिकारी जिस सामान्यत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के नाम से जाना जाता है, और

संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है के कार्य संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के संकल्प सं० 13013/9/77—एस० सी० टी० (I) तारीख 21 जुलाई, 1978 के तहत नियुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ख) सिफारिशें उसी रूप में मनाने के लिए सरकार वाध्य नहीं है।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

**विवरण 1**

**विशेष अधिकारी जिस सामान्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के नाम से जाना जाता है, के कार्य**

विशेष अधिकारी का कार्य संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध संरक्षण से सम्बन्धित सभी मामलों की जांच करना और ऐसे अन्तरालों में जैसा भी राष्ट्रपति निदेश दें, इन संरक्षणों के कार्यकरण पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना होगा और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखवाएंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अर्थ इस प्रकार के अन्य पिछड़ी जातियों सहित होगा, जो अनुच्छेद 340 की धारा (1) के तहत नियुक्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट हो और इसमें एग्लों-इंडियन समुदाय भी सम्मिलित होगा।

**विवरण 2**

**अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग के विचारार्थ विषय**

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य, संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत विशेष अधिकारी को इस समय सौंपा गए कार्यों के समान हैं और निम्न से हैं :—

(i) संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। इसमें, अन्य बातों के साथ सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस तरीके से आरक्षण अनुबद्ध किया जाता है, जो व्यवहार में लिया जाता है, कार्यान्वयन किया जाता है, उसकी पुनरीक्षा करना।

(ii) छूआछूत और इससे उत्पन्न होने वाले घृणित भेदभाव को पांच वर्ष की अवधि के

दौरान दूर करने के उद्देश्य के विशेष संदर्भ में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।

(iii) वर्तमान कानूनों में बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के प्रति अपराध करने के लिए जिम्मेवार सामाजिक-आर्थिक और अन्य सम्बन्धित परिस्थितियों का पता लगाना और अपराधों की तत्काल जांच को सुनिश्चित करने सहित उपयुक्त निवारात्मक उपाय सुझाना।

(iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई संरक्षण न दिए जाने के विषय में व्यक्तिगत शिकायत की जांच करना।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयोग अपने कार्य निष्पादन के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा। आयोग राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें इसकी गतिविधियां और सिफारिशों का विवरण होगा। तथापि यह, आयोग को अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत मामलों पर जब वह आवश्यक समझता हो किसी भी समय पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से प्रतिवांछित नहीं करेगा।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति**

2580. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-बार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इस मद में से कितनी धनराशि खर्च की गई तथा कितनी धनराशि खर्च नहीं की गई ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : (क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए क्रमशः 36.00 लाख रुपए, 44.00 लाख रुपए और 45.00 लाख रुपए की कुल धनराशि आबंटित की गई थी।

(ख) गत तीन वर्षों अर्थात 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान इस योजना पर क्रमशः 39.10 लाख रुपए, 44.00 लाख रुपए और 45.00 लाख रुपए खर्च किए गए थे और बाद में कोई धनराशि बिना खर्च किए शेष नहीं रही थी।

**हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा परीक्षा के लिए निर्धारित विषय**

2581. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मंत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयोग की प्रथमा परीक्षा के

विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में 17 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न 3768 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से इस बीच कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बय्या** (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा परीक्षा देश में मान्यता प्राप्त बोर्डों द्वारा ली जाने वाली मैट्रिकूलेशन परीक्षा और हाई स्कूल परीक्षा के समतुल्य नहीं मानी जा सकती क्योंकि इसमें सामान्य विज्ञान और भारतीय भाषाओं का एक अन्य अनिवार्य विषय नहीं होता।

**इस्पात और संयंत्रों के लिए कोकिंग कोयले का आयात**

2582. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जुलाई, 1984 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड 95 प्रतिशत के अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्ड के मुकाबले 20 प्रतिशत राख वाले औसत भार कोकिंग कोयले की पूर्ति का कोल इंडिया का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो भारत को चालू वित्त वर्ष से अपने इस्पात संयंत्रों के लिए कोकिंग कोयले के आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे):** (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि० से परामर्श करके यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1984.85 के लिए "सेल" के इस्पात कारखानों की बढ़िया किस्म के कोककर कोयले की प्रक्षिप्त मांग तथा इसकी अनुमानित आंतरिक उपलब्धि में 6.63 लाख टन का अन्तर रहेगा। इसका इतनी मात्रा में आयात करना होगा।

**अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता**

2583. **श्री अनादि चरण दास :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपाक रेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अनुसूचित जाति डिवीजन ने अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी है;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर और समुचित ऐजेंसियों और अध्येताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए योजना के बारे में कोई प्रचार किया गया है अथवा इस बात पर कोई ध्यान दिए बिना

केवल कुछ एजेंसियों को, कि क्या वे अनुसूचित जातियों के कल्याण कार्य से नियमित रूप से जुड़े हैं और वास्तव में उससे सम्बद्ध है, चुन लिया गया है;

(ग) प्रचार प्रक्रिया अथवा की गई अन्य कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के लिए कोई अनुसंधान सलाहकार समिति है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उनमें अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती (रामदुलारी सिन्हा)** : (क) विख्यात समाज विज्ञान अनुसंधान संस्थानों/संगठनों से इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए शैक्षिक और आर्थिक विकास पर कार्योन्मुख अनुसंधान अध्ययन के लिए अपने अनुसंधान प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है।

ख और ग समाचार पत्र या किसी अन्य संचार माध्यम से कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) एक अनुसंधान सलाहकार समिति है, जिसके प्रमुख इस मंत्रालय के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग प्रभाग के संयुक्त सचिव हैं और शिक्षा मंत्रालय, योजना आयोग, इस मंत्रालय के जनजाति विकास प्रभाग का, प्रत्येक का एक प्रतिनिधि, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासकीय राष्ट्रीय अकादमी, मसूरी का प्रतिनिधि, एक गैर सरकारी सदस्य और एस० सी० और बी० सी० डी० प्रभाग के संबंधित अधिकारी होते हैं। कुछ अधिकारी अनुसूचित जाति के हैं।

**मथुरा में यमुना के जल का प्रदूषण**

2584. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साड़ी उद्योग के मालिक तथा रंगरेज साड़ियों को मथुरा में यमुना नदी में धोते और रंगते हैं और यदि हां, तो प्रतिदिन औसतन कितने व्यक्ति वहां पर अपना कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या साड़ियों को रंगने की प्रक्रिया में ऐसे रंग और रसायन प्रयोग किए जाते हैं, जो यमुना नदी के जल को प्रदूषित कर देते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार यमुना नदी में जल को प्रदूषित होने से रोकने के उद्देश्य से उसमें साड़ियो आदि को धोने और रंगने पर प्रतिबंध लगाने वाले निदेश जारी करने का है; और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)**: (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय**

2585. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत है;

(ख) ये कार्यालय किन-किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास वर्ष 1984-85 के दौरान भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग के कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में ऐसा एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के इस समय छः क्षेत्रीय कार्यालय है, जो निम्नलिखित है :—

| क्षेत्र का नाम | मुख्यालय |
|---|---|
| 1. उत्तरी क्षेत्र | लखनऊ |
| 2. उत्तर, पूर्वी क्षेत्र | शिलांग |
| 3. पश्चिमी क्षेत्र | जयपुर |
| 4. पूर्वी क्षेत्र | कलकत्ता |
| 5. दक्षिणी, क्षेत्र | हैदराबाद |
| 6. केन्द्रीय क्षेत्र | नागपुर |

(ग) से (ङ) 1984-85 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**दैतारी इस्पात संयंत्र का निर्माण**

2586. **श्री अनादि चरण दास :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा दैतारी इस्पात संयंत्र के निर्माण की परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और क्या उसके लिए सरकार द्वारा भूमि भी अभिग्रहीत कर ली गई है;

(ख) परियोजना का ब्योरा क्या है;

(ग) परियोजना के निर्माण कार्य को कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस्पात संयंत्र के निर्माण हेतु कितनी अवधि निर्धारित की गई है?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे)**: (क) और (ख) दैतारी इस्पात कारखाने की स्थापना का प्रारम्भिक कार्य शुरू हो गया है। इस कारखाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है। किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि परम्परागत धमन भट्टी प्रक्रिया पर आधारित इस्पात कारखानों की स्थापना पर बहुत ज्यादा लागत आएगी और इससे भारी हानि होगी। इसलिए प्रस्तावित इस्पात कारखाने में इस्पात का उत्पादन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और लागत की दृष्टि से मितव्ययी प्रौद्योगिकी और प्रॉडक्ट-मिक्स का निर्धारण करने के लिए कई वैकल्पिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे ही लागत की दृष्टि से मितव्ययी प्रौद्योगिकी तथा प्रॉडक्ट-मिक्स के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया जाएगा, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने कारखाने और बस्ती के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं।

(ग) सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित परियोजना रिपोर्ट के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने तथा इसका अनुमोदन हो जाने के पश्चात् ही इस्पात कारखाने के निर्माण का काम हाथ में लिया जाएगा।

(घ) इस समय इस बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इस इस्पात कारखाने के निर्माण में कितना समय लगेगा।

**सोने के खनन के लिए आधुनिक तकनीकी**

2587. **श्री निहाल सिंह**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोने की खानों से वर्ष-वार कुल कितना और कितने मूल्य का सोना निकाला गया;

(ख) इसी अवधि के दौरान सोने के खनन पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या सरकार ने सोने के खनन को सरल बनाने के लिए कोई नई तकनीकी विकसित की है?

**इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन०के०पी०साल्वे)**: (क) देश में दो मुख्य स्वर्ण उत्पादक हैं—भारत गोल्ड माइन्स लिमटेड (भारत सरकार का उपक्रम) तथा हट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड (कर्नाटक सरकार का उपक्रम) इसके अलावा भारत सरकार का एक अन्य

उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लि० भी उपोत्पाद के रूप में कुछ स्वर्ण का उत्पादन करता है। सम्मिलित स्वर्ण उत्पादन निम्नलिखित हैं :—

| वर्ष | स्वर्ण कि०ग्रा० में |
|---|---|
| 1981-82 | 2461 |
| 1982-83 | 2241 |
| 1983-84 | 2088 |

उपर्युक्त स्वर्ण का कुल अनुमानित मूल्य लगभग 112.17 करोड़ रुपए है।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लि० और हट्टी गोल्ड माइन्स लि० के स्वर्ण उत्पादन पर सम्मिलित व्यय निम्नलिखित है :—

| वर्ष | किया गया व्यय |
|---|---|
| 1981-82 | रु० 32,62,41,000 |
| 1982-83 | रु० 35,78,95,000 |
| 1983-84 | रु० 38,24,86,000 |

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी स्कीमों के रूप में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके अलावा, चट्टान विन्यास गहरी खनन की अधुनातन समस्याओं भूमिगत खनन स्तम्भ तथा स्वर्ण वसूली में सुधार के अध्ययन द्वारा कम्पनी की खनन क्षमता में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

अयस्क उत्पादन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से अधिकतम यांत्रिकरण के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से खनन और स्वर्ण अन्वेषण की आधुनिक विधियों का उपयोग करने के लिए परियोजना पर अमल किया जा रहा है।

**सरकारी क्षेत्र द्वारा डिजिटल घड़ियों की बिक्री**

2588. **श्री आर०पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अच्छी किस्म की प्लास्टिक डिजिटल घड़ियां, जिनकी कीमत लगभग 40 रु० होगी, सरकारी उपक्रम अर्थात् सेमीकण्डक्टर्स लिमिटेड से उपलब्ध हो सकेंगी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की डिजिटल घड़ियों की बिक्री हेतु बाजार में कब तक उपलब्ध होने की संभावना ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**कोचीन केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन समिति में हिंदी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व**

2589. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों में विशेषकर कोचीन क्षेत्र के कार्यालयों में हिन्दी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यान्वयन समिति में प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ग) क्या हिंदी कार्यान्वयन समिति हिंदी कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करने में सहायता मिलेगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के बारे में जो आदेश जारी किए गए हैं उनके अनुसार विभागाध्यक्ष समिति का अध्यक्ष होगा तथा विभिन्न प्रभागों अनुभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी समिति के सदस्य होंगे । हिंदी अधिकारी या हिंदी का काम देखने वाला अधिकारी इस समिति का सदस्य सचिव होगा । सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि केन्द्रीय सरकार, के विशेषकर कोचीन क्षेत्र के कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में हिंदी कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है अथवा नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में हिंदी अधिकारी या हिंदी स्टाफ को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान पहले से ही रखा गया है । ऐसा करने से हिंदी के कार्यान्वयन में अवश्य ही सहयोग मिलता है ।

**केन्द्रीय सिविल सेवा [वर्गीकरण नियंत्रण, और अपील] नियम 1965 में अनुसूची के भाग पांच का बदला जाना**

2590. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
**श्री हरीश कुमार गंगवार** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकर, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 की अनुसूची के भाग पांच में कुछ परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या अनुसूची के भाग एक में परिवर्तन न करके रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) जी, हां।

(ख) यह संशोधन दिनांक 12-5-84 के भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (II) में सांविधिक आदेश 1535 के रूप में प्रकाशित किया गया है। रक्षा सेवाओं में सिविल पदों (समूह "क" को छोड़कर) से संबंधित अनुसूची के भाग v का संशोधन मुख्यतः इस उद्देश्य से किया गया है कि जो शक्तियां संशोधन से पूर्व राष्ट्रपति को प्रदत्त की गई थीं, उन्हें समुचित अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रदान किया जा सके तथा रक्षा संबंधी सभी रिकार्ड कार्यालयों के, संशोधन में उल्लिखित कुछ कर्मचारियों को छोड़कर समूह "ग" के सभी कर्मचारियों के मामले में एडजूटेंट जनरल की नियोक्ता/अनुशासनिक अधिकारता को लागू किया जा सकें।

(ग) अनुसूची का भाग-1 में केवल केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के समूह "क" की सूची दी गई है, जबकि भाग-V रक्षा सेवाओं के सिविल पदों (समूह "क" के पदों को छोड़कर) से संबंधित है और इसमें नियोक्ता और अनुशासनिक प्राधिकारि के विस्तृत ब्यौरे दिए गए हैं। चूंकि भाग-V में किए गए परिवर्तन रक्षा सेवाओं के किन्हीं विशिष्ट सिविल वर्गों के लिए थे, इसलिए भाग-1 में इस प्रकार के कोई परिवर्तन किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था, और इसलिए कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवा सम्बन्धी मामलों में बाहरी राजनीतिक दबाव डाला जाना**

2591. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
**श्री हरीश कुमार गंगवार** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ मंत्रालयों और कार्यालयों में सेवा संबंधी मामलों बाहरी राजनीतिक दबाव डालने के कारण कुछ सरकाही कर्मचारियों के विरुद्ध तो कार्यवाही की जा रही है जबकि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को छोड़ दिया जा रहा है, जैसा कि 23 जुलाई, 1984 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'पेनल, मिनिस्ट्री टसल ओवर फाइल्स 'शीर्षक' के अंतर्गत प्रकाशित समाचार से स्पष्ट है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में आदेश क्या हैं और क्या इसलिए किसी एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है;

(ग) सेवा संबंधी मामलों में बाहरी राजनीतिक दबाव' की परिभाषा क्या है और क्या अनुशासनिक प्राधिकारी को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह एक व्यक्ति के विरुद्ध तो कार्यवाही करे अन्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही करे; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएंगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया)** : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 20 में यह व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी नौकरी संबंधी मामलों में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी उच्च प्राधिकारी पर राजनैतिक या किसी दूसरे प्रकार का बाहरी दबाव नहीं डलवाएगा न ऐसा दबाव डलवाने का प्रयास ही करेगा। उपर्युक्त नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होता है। उल्लिखित समाचार से यह निष्कर्ष निकलता प्रतीत नहीं होता कि इस नियम के उल्लंघन के बारे में कार्रवाई करने के प्रयोजन से सरकारी कर्मचारियों में से किन्हीं को छोड़ दिया जाता हो और किसी कर्मचारी विशेष के विरुद्ध कार्रवाई की जाती हो।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त नियम 20 में 'बाहरी राजनीतिक दबाव' यह वाक्यांश प्रयुक्त नहीं हुआ है। चूंकि सरकारी से यह आशा की जाती है कि वे राजनैतिक तटस्थता बनाए रखें और उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सामान्य विभागीय माध्यमों का प्रयोग करें, किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी उच्च प्राधिकारी पर किसी प्रकार का दबाव डालना या डलवाने का प्रयास करना, उपर्युक्त आचरण नियम का उल्लंघन समझा जाएगा तथा इसके लिए सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई की जा सकती है जो उचित समझी जाए।

## राष्ट्रविरोधी संगठनों को समाप्त करना

2592. **प्रो० अजीतकुमार मेहता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों और उनके विदेशों में सम्पर्कों का पता लगाने के लिए कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यकलापों के क्षेत्रों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन राष्ट्रविरोधी संगठनों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**6500--1200 रुपए वेतनमान की श्रेणी में अपने से कनिष्ठ लोगों से कम वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विसंगति के मामले**

2593. **श्री के० लकप्पा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कार्यालयों में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी 650-1200 रु० के वेतनमान की श्रेणी में पदोन्नति पर अपने से बाद में पदोन्त कनिष्ठ लोगों से कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 1983-84 के दौरान उनके मंत्रालय के कार्मिक विभाग को विसंगति के ऐसे कुल कितने मामले निर्देशित किये गए और उन पर क्या निर्णय लिया गया;

(ग) क्या कुछ मामलों में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग इस शर्त पर कि पिछले बकाया अदादगी नहीं की जाएगी और केवल पहले अदा की गई राशि की वसूली ही प्रभावित होगी सैद्धांतिक आधार पर प्रभावित कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण करने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और इस प्रकार के सशर्त निर्णय का क्या औचित्य है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) :** (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि ऐसे मामलों के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते, इसलिए इस संबंध में ब्यौरे देना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) कतिपय परिस्थितियों में पदोन्नति पर वेतन के निर्धारण के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए सामान्य आदेश पहले ही विद्यमान हैं। केवल सामान्य आदेशों के अंतर्गत न आने वाले इक्के-दुक्के मामले ही कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजे जाते हैं। जहाँ मामले के गुणावगुण के आधार पर दावे न्यायोचित पाये जाते हैं, वहां केवल आदेशों के जारी होने की तारीख तक, काल्पनिक लाभों सहित वेतन में वृद्धि मंजूर कर दी जाती है। ब्यौरों के अभाव में वे परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकती जिनमें वसूलियों का प्रश्न उत्पन्न होगा।

**सातवीं योजना के दौरान आय तथा भूमि के न्यायोचित वितरण हेतु नीति**

2594. **श्री चित्त महाटा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आय के न्यायोचित वितरण तथा भूमि सुधारों हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, त उसके क्या कारण हैं ?

**योजना और सिंचाई मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) योजना का उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय से संवृद्धि करना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के नीति-पत्र में इस मार्गदर्शी सिद्धांत को दोहराया गया है और गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रमों से अनियमित काश्तकारों को काश्तकारी की सुरक्षा और पुनर्वितरणात्मक भूमि सुधार के एकीकरण की परिकल्पना की गई है।

(ग) ब्यौरे, योजना तैयार करते समय, तैयार किए जाएंगे।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों और ग्रेड-1 अधिकारियों में अनुसूचित जनजातियों कप्रतिनिधित्व**

2595. **श्री हरिहर सोरन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1984 को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सभी संवर्गों में अनुभाग अधिकारी ग्रेड और ग्रेड=1 के अधिकारियों में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी ग्रेड और ग्रेड-1 के अधिकारियों में अनुसूचित जनजातियों को निर्धारित म्यूनतम प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अनुभाग अधिकारी और ग्रेड-1 के अधिकारियों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए अपेक्षित न्यूनतम सेवा अवधि को घटा कर 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है ; और

(घ ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इन वर्गों में अनुसूचित जनजातियों का निर्धारित न्यूनतम प्रतिनिधित्व किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) तथा (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा ग्रेड-1 में अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के उद्देश्य से पहले ही उपाय किए गए हैं। इन उपायों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में पदोन्नति के उद्देश्य से अनुसूचित

जातियों/जनजातियों के लिए मानकों में छूट देकर विशेष परीक्षाएं आयोजित करना, फीडर ग्रेडों में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों को उपलब्ध सुविधाओं का व्यापक प्रचार करना शामिल है। फिर भी, फीडर ग्रेडों में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिकारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण अभी तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ग जी, नहीं।

**भाखड़ा मुख्य नहर की मरम्मत का काम करने वाले इंजीनियरों को धमकी**

5596. **श्री मनोहर लाल सैनी**
**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों ने भाखड़ा मुख्य नहर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का काम करने वाले वरिष्ठ इंजीनियरों को दीवारों पर चिपकाए गए पोस्टरों के माध्यम से भयंकर परिणामों की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आतंकवादियों का पता लगा लिया गया है और उन्हें पकड़ लिया गया हैं तथा भाखड़ा मुख्य नहर की मरम्मत का काम करने वाले लोगों को आवश्यक संरक्षण प्रदान कर दिया गया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया)** : (क) और (ख) सरकार ने इस संबंध में प्रैस में प्रकाशित समाचार देखा है। आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

**कर्नाटक शिक्षा विधेयक को सहमति**

2597. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक शिक्षा विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया है ;

(ख) क्या उक्त विधेयक के प्रावधानों पर आपत्तियां उठाई गई थीं ;

(ग) यदि हां, तो वे आपत्तियां किस प्रकार की हैं; और

(घ) क्या उक्त विधेयक को सहमति प्रदान कर दी गई है अथवा रोक ली गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० वेंकट सुब्बया)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी, हां, श्रीमान। विधेयक के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) ये आपत्तियां इस आधार पर हैं कि इस विधेयक से भारत के संविधान द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को प्रत्याभूत मूल अधिकारों का हनन होता है।

(घ) विधेयक संघ सरकार के विचाराधीन है।

**गिर अभयवन में शेरों की संख्या में वृद्धि न होना**

2598. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिर जो कि भारत में एकमात्र एशियाई शेर अभयवन हैं, के आस पास के क्षेत्र के किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए बहुत से बन्दूक लाइसेंस जारी किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है, कि गिर अभयवन की नदियों के साथ साथ सदा हरे रहने वाले वृक्ष बुरी तरह से छिद्रित हो गए हैं ;

(ग) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान अब बहुत खराब हालत में हैं तथा स्थानीय दबाव के आघात के कारण अभयवन में शेरों की संख्या में वृद्धि होना रुक गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सुरक्षा के लिए एक प्रभावी शक्तिशाली युवा संरक्षक को लगाकर तथा समूचे गिर को प्रोजेक्ट टाइगर ग्रुप अभयवन के अन्तर्गत सम्मिलित कर के एशियाई शेर एक मात्र अभयवन को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

**पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह)** : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**उड़ीसा में "वोनाडियम परियोजना"**

2599. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज जिले में रायरंगपुर स्थान में "फेटो बोनाडियम" परियोजना प्रारम्भ गई हैं;

(ख) यदि हां तो उड़ीसा के रायरंगपुर स्थान पर "फेटो बोनाडियम" संयंत्र कब प्रारम्भ किया गया था;

(ग) इसके कब तक पूरा किये जाने की आशा है; और

(घ) उपर्युक्त परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे)** (क) से (घ) उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर नामक स्थान में स्थापित किये जाने वाले एक नये उपक्रम में फेरो वेनोडियम और फास्फोरस की कम मात्रा वाले कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए 30 दिसम्बर, 1978 को भुवनेश्वर स्थित मैसर्स इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड को एक आशयपत्र दिया गया था । चूंकि यह कारपोरेशन इस आशयपत्र को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में असफल रहा इसलिए यह मान लिया गया कि इस आशय-पत्र की अवधि समाप्त हो गई है । तदनुसार 3 जनवरी, 1983 को कारपोरेशन को सूचित कर दिया गया और उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वे उपर्युक्त आशय-पत्र के अन्तर्गत क्षमता स्थापित करने के लिए आगे कोई कार्यवाही न करें ।

**विदेशों में अर्हता प्राप्त भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों का बेरोजगार होना**

2600. **श्री ए० के० राय** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास 1 अप्रैल, 1984 तक के उन बेरोजगारों, वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, इंजीनियरों, खान विशेषज्ञों के बारे में कोई अनुमानित आंकड़े उपलब्ध है जिन्होंने विदेशों में अर्हता प्राप्त की है; यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनके लिए कोई विशेष रजिस्टर रखा गया है; और

(ग) देश में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करने हेतु उनके लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

**विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल)** : (क) और (ख) विदेशी योग्यताएं रखने वाले और देश में कार्य करने के इच्छुक वैज्ञानिक, तकनीशियन, इंजीनियर (खनन विशेषज्ञ) इत्यादि को सामान्यत: रोजगार मिल जाता है । ऐसे वैज्ञानिकों का कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है, जो देश में ही रोजगार की तलाश कर रहे हैं ।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों को लाभप्रद रोजगार दिलाने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विनियोजन पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है । क्षेत्रीय परिष्कृत यन्त्र केन्द्रों के तंत्र द्वारा परिष्कृत यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अभिनिर्धारित थ्रूस्ट क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं का निधीयन किया जाता है । अपनी अनुसंधान अभिरुचियों को स्वतंत्र रूप से जारी रखने के लिए युवा वैज्ञानिकों को अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता दी जाती है उपयुक्त नियमित समनुदेशन प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों के लिए अल्पकालीन रोजगार की व्यवस्था है। औद्योगिक एककों में संस्थानन्तर्गत अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

**भारतीय राजनयिक की हत्या की जांच**

2601. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली फरवरी में भारतीय राजनयिक श्री म्हात्रे के उपहरण और उनकी हत्या के संबंध में ब्रिटेन सरकार द्वारा किया जा रहा जांच कार्य पूरा हो गया है अथवा अभी भी चल रहा है;

(ख) क्या वे चार लोग जो ब्रिटेन से भाग गए बताए जाते हैं, पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री राम निवास मिर्धा)**: (क) जांच पूरी कर ली गई है और बर्मिघम में 6 व्यक्तियों के खिलाफ हत्या और अपहरण का एक मामला दर्ज किया गया है। अभियुक्तों पर अभियोग लगाने के बाद मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुपुर्दगी की कार्रवाई 23 जुलाई, 1984 को पूरी कर ली गई थी। इन छहों अभियुक्तों को क्राउन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया है जहां उन पर मुकदमा चलेगा।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार यह बताया जाता है कि जिन तीन अन्य व्यक्तियों पर स्वर्गवासी श्री म्हात्रे के अपहरण और हत्या से संबद्ध होने का संदेह है वे यूनाइटेड किंगडम से भाग कर पाकिस्तान पहुंच गए हैं।

(ग) जो मजिस्ट्रेट श्री म्हात्रे के मामले की सुनवाई कर रहा है उसने इन तीन अभियुक्तों को पेश किये जाने के वारंट जारी किए हैं : मोहम्मद मिर्जा असलम, मोहम्मद मुशरत इंक्बाल और अजर मोहम्मद शकी।

**उग्रवादी सिखों तथा पाकिस्तानियों द्वारा विदेशों में भारत विरोधी संयुक्त प्रदर्शन**

2602. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिख उग्रवादियों और पाकिस्तानियों द्वारा कुछ बाहरी देशों में भारत विरोधी संयुक्त प्रदर्शन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी, हां।

(ख) 10 जून, 1984 को सिखों ने लंदन में जो प्रदर्शन आयोजित किया था उसमें तथा-कथित जम्मू एवं काश्मीर लिबरेशन फ्रंट तथा जम्मू एवं काश्मीर मुस्लिम कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भी हिस्सा लिया था। इसी तरह 10 जून को कोपनहेगन में जो प्रदर्शन किया गया था उसमें भी कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने हिस्सा लिया था।

(ग) जनता तक सही सूचना पहुंचाने और भ्रांतियों को दूर करने के इरादे से प्रचार के लिए व्यापक उपाय किये गए हैं और किये जा रहे हैं। संबद्ध सरकारों से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इस प्रकार के प्रदर्शनों में किसी प्रकार की हिंसा न हो अथवा उनसे हिंसा को प्रोत्साहन न मिले।

**राज्य लघु उद्यम क्षेत्र में बिजली संयंत्रों और डाक तथा तार उपकरणों का पंजीकरण**

2603. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य लघु उद्यम क्षेत्र में बिजली संयंत्रों और डाक तथा तार से संबद्ध उपकरणों को शामिल करने के संबंध में पश्चिमी बंगाल राज्य इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधिकारियों के साथ 6 जून, 1984 को कोई चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर यदि कोई निर्णय लिया गया है और कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

**इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा०एम०एस० संजीवी राव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**राष्ट्रीय पुरस्कारों का वापस किया जाना**

2604. **श्री जी० एस० निहालसिंहवाला** : क्या गृह मन्त्री राष्ट्रीय पुरस्कारों को वापस किये जाने के बारे में 10 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2933 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी व्यक्तियों को पद्मश्री और इसी प्रकार के अन्य पुरस्कार देने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या कुछ पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं ने 10 अगस्त, 1983 के बाद अपने पुरस्कार लौटाए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उनके नाम क्या हैं, और क्या वे किन्हीं सरकारी पदों पर हैं;

(घ) क्या एक बार दिये गये पुरस्कार को लौटाने की कोई प्रक्रिया या पूर्वोदाहरण है; और

(ङ) यदि नहीं, तो लौटाए गए पुरस्कारों को स्वीकार करने के क्या कारण हैं, और इस आशय के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि भविष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने पुरस्कारों को न लौटाए ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा)** : (क) पदकों की पदम शृंखला पुरस्कार हैं और उपाधि नहीं है। राष्ट्रपति, तारीख 8-1-1955 की अधिसूचना संख्या 2-प्रेस/55, 3-प्रेस/55 और 4-प्रेस/55 के अधीन राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी किये गये संविधि और नियमों में यथा निर्धारित किसी क्षेत्र अर्थात कला, साहित्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, खेल और लोक सेवा आदि में किसी व्यक्ति द्वारा की गई असाधारण और विशिष्ट सेवा/उच्च कोटि विशिष्ट सेवा/विशिष्ट सेवा के सम्मान में पद्म विभूषण/पद्म भूषण/पद्मश्री पुरस्कार देते हैं। फिर भी इन पुरस्कारों हेतु व्यक्तियों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति को प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा।

(ख) और (ग) श्री खुशवन्त सिंह ने एक पत्र भेजकर पुरस्कार को त्याग दिया है। श्रीसाधु सिंह हमदर्द ने सनद और पदक को लौटा दिया है।

(घ) और (ङ) : इसके प्राप्तकर्ता द्वारा पुरस्कार को लौटाने के लिए कोई पद्धति निर्धारित नहीं की गई है।

**श्री लंका में अमरीकी दूतावास में इजरायली हित अनुभाग का खोला जाना**

2605. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका में अमरीकी दूतावास में इजरायली हित अनुभाग के खोले जाने संबंधी जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने श्रीलंका में तमिलों पर इसके प्रभाव के बारे में विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अनुभाग के खोले जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोलम्बो और श्रीलंका में अमरीकी दूतावास में ऐसे अनुभाग खुल गये हैं जो इस्रायल के हितों की देखभाल करते हैं।

(ख) और (ग) सरकार का मत यह है कि इसकी वजह से श्रीलंका की जातीय स्थिति में और इस क्षेत्र की आम स्थिति में एक अनावश्यक और परिहार्य जटिलता आ जायेगी।

**मांडवी पैलेट्स लिमिटेड वर्कर्स यूनियन गोआ द्वारा ज्ञापन**

2606. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मांडवी पैलेट्स लिमिटेड वरकर्स यूनियन गोआ की ओर से दिनांक 14 जून, 1984 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में मन्डोवी पैलेट परियोजना के बारे में और उन कारणों का, जिनसे मन्डोवी पैलेट परियोजना बन्द हो गयी है, संक्षेप में ब्यौरा दिया गया है। ज्ञापन में परियोजना के बन्द होने से रोजगार के मामले में तथा खनन उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। ज्ञापन में यह सुझाव दिया गया है कि लौह अयस्क से पैलेट बनाने में फर्नेस आयल के स्थान पर कोयला इस्तेमाल किया जा सकता है और पैलेट के बजाय कच्चा लोहा अथवा स्पंज लोहे का उत्पादन किया जाए। ज्ञापन में गोआ में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है।

(ग) मंडोवी पैलेट्स लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का कारखाना है जो घमर भट्टी ग्रेड के पैलेटों का उत्पादन करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका कुल उत्पादन निर्यात किया जाना था। इस संयंत्र ने सितम्बर 1979 में उत्पादन शुरू कर दिया था। इस संयंत्र को परिचालन में तीन प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये थीं : विदेशों में पैलेट के मूल्यों में गिरावट आना, फर्नेस आयल के मूल्यों में वृद्धि होना और बिजली की सप्लाई से संबंधित कठिनाइयां। इन कठिनाइयों के कारण संयंत्र का परिचालन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद न रहा और सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद संयंत्र अप्रैल, 1981 में बन्द कर दिया गया।

इस बात का अनुमान लगाने के लिए कि क्या इस संयंत्र में पुनः काम शुरू करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होगा, इस्पात विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के परामर्शदात्री संगठन "मेकन" को एक अध्ययन करने के लिए कहा गया। अध्ययन से यह पता चला है कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पैलेटों के मूल्य कम होने के कारण इस ससय इस संयंत्र में पुनः काम शुरू करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। इस सम्बन्ध में भी अध्ययन किये गये हैं कि क्या फर्नेस आयल के स्थान पर कोयले का इस्तेमाल करने से इस संयंत्र को अर्थक्षम बनाया जा सकता है। इस अध्ययन से यह पता चला है कि कोयले का शतप्रतिशत इस्तेमाल करने पर भी घमन भट्टी ग्रेड के पैलेटों के मूल्यों के वर्तमान स्तर पर इस संयंत्र में काम पुनः शुरू करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा।

तकनीकी दृष्टि से इस संयंत्र को तत्काल कच्चे लोहे अथवा स्पंज लोहे के संयंत्र में बदलना संभव नहीं है।

**पंजाब की स्थिति के बारे में विदेशों को भेजे गए दूरदर्शन कार्यक्रमों का ब्यौरा**

2607 **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विदेशों में रह रहे सिक्खों की भारी संख्या प्रमाणिक जानकारी न मिलने के कारण व्यथित है, क्योंकि उनको पंजाब की स्थिति के बारे में पाकिस्तान तथा बी० बी० सी० से तोड़ी-मरोड़ी तथा शरारतपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे दूरदर्शन कार्यक्रम जिनमें स्वर्ण मन्दिर के ठीक स्थिति में होने, हथियारों के मिलने, वहां पर की गई किलाबन्दी, स्वर्ण मन्दिर की राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की यात्रा को भारत में प्रसारित किया गया है विदेशों में भेजे गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है और यदि इसका उत्तर हां में हो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)**: (क) से (ग) सरकार यह जानती है कि पंजाब की हाल की घटनाओं के सम्बन्धों में विदेशों में प्रामाणिक जानकारी की जरूरत और मांग है। सरकार को यह मालूम है कि पाकिस्तान का प्रचार माध्यम झूठा, द्वेषपूर्ण और शरारतपूर्ण प्रचार कर रहा है तथा बी० बी० सी० ने कुछ विकृत और उत्तेजनात्मक कार्यक्रम दिए हैं।

सरकार ने इन घटनाओं के संबंध में विदेशों में सही सूचना प्रसारित करने के लिए खासतौर से भारतीय मूल के समुदायों के बीच, विशेष प्रयास किए, इसके लिए उसने समाचार-बुलेटिन, आडियो-टेप्स और वीडियो टेप्स वितरित करवाए। इस सभी सामग्री का वितरण अलग-अलग व्यक्तियों में, भारतीय क्लबों और एशोसिएशनों में तथा विदेशों के जातीय भारतीय इलैक्ट्रानिक तथा मुद्रण-माध्यमों के बीच काफी व्यापक रूप से किया गया है।

इस प्रकार जो सामग्री उपलब्ध कराई गई है, उसमें स्वर्ण-मन्दिर के सम्बन्ध में दूरदर्शन के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री स्वर्ण-मंदिर की यात्रा, हथियारों की बरामदगी किलेबंदी-इंटरव्यू, पेनल-चर्चा और अभी हाल ही में कार सेवा तथा तमाम चीजें शामिल हैं।

सरकार के पास इस आशय की सूचना है कि इन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार हुआ है और इनका अच्छा प्रभाव पड़ा है।

**देश में एक "टेलीमैटिक्स केन्द्र की स्थापना**

2608 **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक टेलीमैटिक केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां तो, इसके कार्यों और प्रबन्ध व्यवस्था की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह केन्द्र कब से कार्य करना आरंभ करेगा ?

**इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवा राव)** : (क) जी, हां ।

(ख) इसके कर्तव्यों तथा प्रबंध-व्यवस्था की संक्षिप्त रूपरेखा **संलग्न विवरण** में दी गई है ।

(ग) : केंद्र ने पहले ही अपना कार्य करना शुरू कर दिया ।

**विवरण**

**टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र के कर्तव्यों तथा उसकी प्रबंध-व्याख्या की संक्षिप्त-रूपरेखा**

1. **कर्तव्य** :

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र के प्रमुख उद्देश्य नीचे दिए अनुसार हैं :-

(i) आरम्भत: अंकीय इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणालियों (एक्सचेंजों) के डिजाइन विकास तथा इंजीनियरी कार्य शुरू करना तथा तत्पश्चात टेलीमैटिक्स प्रणालियों व सेवाओं की नीचे दिए अनुसार व्यवस्था करना :—

(क) राष्ट्रीय स्तर पर सीधे इसके स्वयं प्रयासों से;

(ख) देश तथा विदेश दोनों ही स्रोतों से सलाह, परामर्श-सेवाएँ एवं मूल प्रौद्योगिकी आदि प्राप्त करना; और

(ग) स्वदेश तथा विदेश स्थित अनुसंधान तथा विकास के अन्य संस्थानों, विश्व-विद्यालयों तथा उद्योगों के साथ सहयोग करना तथा संबन्धित क्षेत्रों में हो रहे कार्यकलापों का उपयोग करना ।

(ii) टेलीमैटिक्स उद्योग के लिए अपेक्षित कार्यनिष्पादन के मानकों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संघटक-पुर्जों उप-संयोजनों तथा उपस्कारों के उत्पादन के क्षेत्र में लगे सहायक उद्योगों को बढ़ावा तथा सहायता देना ।

(iii) हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा उपयुक्त अद्यतन संकल्पनाओं का उपयोग करते हुए तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में ठहर सकने योग्य हमारी आवश्यक-ताओं को पूरा करने वाली अंकीय इलैक्ट्रानिक स्विचन प्रणालियों के अगले सोपान विकास कार्य हाथ में लेना ।

(iv) एकीकृत सेवा अंकीय नेटवर्क आरम्भ करने के लिए और आगे अनुसंधान तथा विकास कार्य करना ।

2. **प्रबंध व्यवस्था**

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र के प्रशासन तथा प्रबंध का उत्तरदायित्व एक में निहित होगा, जिसके अध्यक्ष संचार-मंत्री तथा उपाध्यक्ष इलैक्ट्रॉनिकी उपमंत्री होंगे ।

इस प्रबन्ध-निकाय की सहायता निम्नलिखित द्वारा की जाएगी :

(क) उक्त केंद्र के कार्यकलापों की सर्वाधिक रूप से समीक्षा करने तथा केंद्र के लक्ष्यों तथा उद्देश्य को पूरा करने के लिए यथा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से एक संचालन समिति सहायता करेगी; किन्तु यह प्रबंध निकाय के संपूर्ण नियन्त्रण तथा मार्गदर्शन में कार्य करेगी। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के सचिव महोदय उक्त संचालनसमिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

(ख) संचालन समिति तथा प्रबंध-निकाय के व्यापक मार्गदर्शन में उक्त केन्द्र के प्रशासनिक, तकनीकी तथा वित्तीय प्रबंध के लिए एक परियोजना बोर्ड सहायता प्रदान करेगा।

**कस्तूरी का व्यापार बंद करना**

2609. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन सोसाइटी आफ नेचुरेलिस्ट्स ने कस्तूरी का व्यापार रुकवाने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की माँग की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस बारे में कुछ कार्यवाही पहले की जा चुकी है;

(घ) यदि हाँ, तो उन उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि यह अनुकूल नहीं है, तो उनके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्वजय सिंह)** : (क) से (घ) भारतीय प्रकृति वैज्ञानिक समाज ने प्रधान मंत्री जी को वनस्पति तथा जीव जन्तु के संकटापन्न प्रजापति (स्पीशीज) के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में समझौते के परिशिष्ट में कस्तूरी मृग की सूचीकरण के खिलाफ जापान के विशेष अधिकार के बारे में लिखा था जिसका वस्तुतः अर्थ है कस्तूरी के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कड़ा प्रतिबन्ध। जापान द्वारा विशेषाधिकार का प्रयोग करके प्रजाति (स्पीशीज) की स्थिति को और खतरा हो गया है। अतः इस मामले को जापान सरकार के साथ राजनयिक माध्यम से उठाया गया है। देश के भीतर कस्तूरी का व्यापार वर्जित है तथा निर्यात नीति के अन्तर्गत इसके निर्यात की अनुमति नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**सातवीं योजना के दौरान कृषि उत्पादन**

2610, **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन में त्वरित विकास सातवीं योजना की मुख्य नीति है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी क्षेत्रों और दक्षिण के राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाने संबन्धी योजना के प्रारूप का प्रस्तावित दृष्टिकोण क्या है ;

(ग) यदि हां, तो क्या दालों और तिलहनों को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है और इस बारे में प्रगति के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कृषि उत्पादन का कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा ?

**योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) की नीति संबंधी दस्तावेज जिसमें कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रकों के विकास के लिए कार्यनीति की विस्तृत रूपरेखा बताई गई है, सभा पटल पर रखा जा चुका है। योजना अभी तैयार की जानी है।

(ङ) इस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि उत्पादन अवधि के दौरान कृषि उत्पादन की संभावित उपलब्धि बताना असामयिक होगा।

12.00 **बजे**

**डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व)** : श्री लंका में हुए जातिसंहार के विषय में आप क्या कहेंगे ? नौसेना वहां तमिल लोगों पर बम वर्षा कर रही है।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : मैं भी यही कह रहा था कि श्री लंका में फिर नरसंहार शुरू कर दिया गया है.....

**अध्यक्ष महोदय** : मैं देख रहा हूं। मैं इसका पता लगाऊंगा। मैं तत्संबंधी तथ्य मंगा रहा हूं।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : महोदय यह जातिसंहार है। नौसेना अपने ही लोगों पर बम वर्षा कर रही है। भारत खामोश कैसे रह सकता है ? यदि यह जातिसंहार एक दिन और जारी रहता है तो तमिलनाडु में क्या होगा ?

**श्री रामावतार शास्त्री** : वहां जातीय नरसंहार हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं तथ्यों का पता कर रहा हूं। मैंने सरकार से कुछ तथ्य प्राप्त करने के लिए कहा है बाद में अपेक्षित कार्यवाही करूंगा।

**डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी** : प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं·····

**(व्यवधान)****

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण)** : मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि त्रिपुरा में आतंकवादी सक्रिय हैं·····

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : यह उनकी समस्या है। आप इस विषय को क्यों उठा रहे हैं ? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने उन्हें रोक दिया है। मैं न तो प्रो० के० के० तिवारी को और न ही उन्हें इसकी अनुमति दूंगा। यह राज्य का विषय है। वे इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। इसका मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अनुमति नहीं दी जाती।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा। यह सीधी सी बात है। इस विषय का मुझसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझ पर दबाव नहीं डाला जा सकता। मुझे स्वयं निर्णय लेना है।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : हां प्रोफेसर साहिब।

**प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अशुद्धि के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रोफेसर साहिब, इस विषय को उठाने की पहले ही मनाही की जा चुकी है। यह मामला कुछ भी नहीं है। हम आपको पहले ही सूचित कर चुके हैं।

**प्रो० मधुदण्डवते** : महोदय, वह विवरण·····**(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : कोई विवरण नहीं है । आप क्यों अनावश्यक रूप से इस मामले के पीछे पड़े हैं ?

**प्रो० मधु दण्डवते** : यदि आप मुझे बोलने से मना करते हैं तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आप मेरी आवाज को बन्द कर रहे हैं·····

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं दी जाती । मामला मेरे पास है । इसमें कोई तथ्य नहीं है। मुझे आश्चर्य है·····

**प्रो० मधु दण्डवते** : आश्चर्य क्यों है ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसलिए हैरान हूं कि यह बेबुनियाद है। पहले ही इसकी मनाही की जा चुकी है। अनुमति नहीं दी जाती। इसका प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इन्हें बिल्कुल भी अनुमति नहीं दूंगा।

**(व्यवधान)****

**श्री मनीराम बागड़ी (हिसार)** : अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको·····

**अध्यक्ष महोदय** : यह आपको शोभा नहीं देता है। कल वह कर रहे थे, आज आप कर रहे हैं।

**श्री मनीराम बागड़ी** : कम-से-कम एक करोड़ आदमी इस तरह का पानी पीते हैं।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा मत करिये ।

**श्री मनी राम बागड़ी** : मेरी बात तो सुन लीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : बात क्या सुनूं, आप ग़लत बात कर रहे हैं ।

**श्री मनी राम बागड़ी** : मैंने चेम्बर में जाकर दिखाया था ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने खुद देखा है । मैंने खुद जाकर पानी पिया भी है। जिन्होंने नहीं देखा, उनको दिखाओ, मुझे क्या दिखाते हो।

**(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने कल भी कहा। मैंने कल औबजर्व किया भी था इसके बारे में। आप 377 दे दीजिए, मैं एलाऊ कर दूंगा।

**श्री मनी राम बागड़ी** : कम-से-कम मंत्री भी तो इसको पी कर देखें।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर)** : इस पर आप कालिंग एटैंशन एलाऊ कर दीजिए।

**श्री मनी राम बागड़ी** : जरा प्रेस वालों को भी इसको पिला दो ताकि उनको पता लगे।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रेस वालों में उन को पिलाओ, जिन्होंने संसद समीक्षा दी।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैंने अपनी टिप्पणी इसलिए दी थी क्योंकि मैं वहां गया था।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : अब इस तरह से समय बरबाद करते हो, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैंने कहा है कि मैंने स्वयं इसको देखा है। मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूं, जहां मैंने ऐसे पानी को चखा भी है। आप तो इसको अब लाये हैं। यह पानी उनको पिलाओ जिन्होंने देखा नहीं है। संसद समीक्षा लिखने वाले हरियालो में पैदा हुए हैं और उन्होंने टोंटी का पानी पिया है। उन्होंने नहीं देखा, तो मैं क्या कर सकता हूं। यह तो भावना की बात है। मैंने कल भी इसके बारे में कहा था और वे इस को सुन लेंगे। मैंने भगत जी को कह दिया था आपके सामने। **(व्यवधान)**

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : महोदय, मैं पुनः आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। चक्रवर्ती जी, मैं यह मामला उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। **(व्यवधान)****

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। जो खेती नहीं करता है, क्या वह खेती से सम्बन्धित मामला नहीं उठा सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : कौन कहता है ? किसने ऐसा कहा है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : कल बागड़ी जी ने जब पानी का मामला उठाया था, तो मैंने इसका समर्थन किया था और आपने कहा था कि आप खेती नहीं करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। हमदर्दी जरूर आप हमसे कर सकते हैं खेती करें या न करें, यह आपकी इच्छा है। हमारे साथ आपकी सहानुभूति हो सकती है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। **(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मगर आपन कहा था कि पानी की बात मत करिये क्योंकि आप खेती नहीं करवाते ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने और कुछ कहा होगा । किसी और बात पर किसी को कहा होगा ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आपने उधर के लिए ऐसा कहा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : यह ग़लत बात होगी ।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

(**व्यवधान**)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इधर ही आ रहा हूं, आप चिन्ता क्यों करते हैं । आप तो रूलिंग पार्टी के हैं, आप जरा शान्ति रखिये ।

**श्री हरिकेश बहादुर** : महोदय, एक स्पष्टीकरण ।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : त्रिपुरा की घटनाएं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । मैं चाहता हूं कि आप इस पर टिप्पणी करें ।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी टिप्पणी यह है कि मैं इस विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा ।

(**व्यवधान**)**

**अध्यक्ष महोदय** : यह बहुत सीधी बात है; आप इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते ।

(**व्यवधान**)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपका क्या कर सकता हूं । यदि कोई प्रोफेसर अपना कर्तव्य त्याग देता है तो मैं क्या कर सकता हूं ।

(**व्यवधान**)**

**श्री मनी राम बागड़ी** : वाजपेयी जी के बारे में जो कहा है, उसकी शुद्धि करवा दीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कह तो दिया है "एण्ड आई एम आन रिकार्ड" कि उनके प्रति ऐसा नहीं कहा । (**व्यवधान**)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब इसकी रजिस्ट्री थोड़ी होगी। मैंने जो कहा है, वह लिखा गया है।

**श्री हरिकेश बहादुर** : फिर इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल क्यों किया जाता है।

**श्री के० मायातेवर (डिंडीगलो)** : महोदय, श्री लंका में जाफना जल रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर पहले ही टिप्पणी कर चुका हूं ।

**श्री के० मायातेवर** : सदन में इस बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैंने सर्व श्री राममूर्ति, मायातेवर को अनुमति दे दी है। मैं अब उनका भाषण सुनूंगा। यदि आप दूसरों को नहीं सुन सकते तो मैं आप ही बात नहीं सुनूंगा।

**श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि)** : श्री लंका में तमिलों के नरसंहार के बारे में कल और आज समाचार पत्रों में बहुत कुछ छपा है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं तथ्यों का पता कर रहा हूं।

**श्री के० राममूर्ति** : मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे।

**अध्यक्ष महोदय** : आप भी वही बात कह रहे हैं। मैं पहले ही सरकार से कह चुका हूं कि वह तथ्यों का पता कर, वक्तव्य दें।

**श्री के० मायातेवर** : भारत में लगभग सभी समाचारपत्रों ने इस विषय पर सम्पादकीय लिखे हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मायातेवर जी, सरकार आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकती। इसे कुछ अन्य बातों को भी ध्यान में रखना होता है। इस बारे में उचित कार्यवाही की जायेगी।

**श्री के० मायातेवर** : आप और कौन से तथ्यों का पता करना चाहते हैं ?

**(व्यवधान)**

---

12.10 म० प०

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

**इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) अनुसन्धान सहायक (कार्य अध्ययन) (संशोधन) नियम, 1984**

**इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : मैं संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत जारी किये गये इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग)

अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 2 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 544 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 8542/84]**

## भारत संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा इसके उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के कार्यक्रम और इसके क्रियान्वयन के बारे में वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : मैं भारत के संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास तथा हिन्दी के इसके उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा देने के कार्यक्रम और उसके क्रियान्वयन के बारे में वर्ष 1982-83 से सम्बन्धित वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

**[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 8543/84]**

## भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1984

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या संख्या सा० का० नि० 770 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सं० एल० टी० 8544/84]**

---

12.11 म० प०

## राज्य सभा से सन्देश

**महासचिव** : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियम के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार, मुझे पांडिचेरी विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1984, जिसे लोक-सभा ने 2 अगस्त, 1984 की अपनी बैठक में पारित कर राज्य सभा को

अपनी सिफारिशें भेजने के लिए प्रेषित किया था, को वापस करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सदन को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के कार्य संचालन तथा प्रक्रिया नियम के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 अगस्त, 1984 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 जुलाई, 1984 पारित सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

———

12.12 म०प०

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### 79वां प्रतिवेदन

**श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर)** : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 79वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

**श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची)** : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते।

**(व्यवधान)**

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : आप श्रीलंका सरकार के विरुद्ध, चाहे यह कुछ भी हो, वक्तव्य पर चर्चा स्थगित कर दें·····लेकिन·····

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : हम यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि इस विषय में क्या किया जा सकता है। यदि आप उत्तेजित होते हैं तो हमें कुछ हासिल न होगा। इस स्थिति में हमें बहुत खामोश रहना चाहिए। मैंने सरकार को इस विषय में अवश्य कार्यवाही के लिए कहा है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं क्या कर सकता हूं ? आप इसे कैसे निबटाएंगे ?

**(व्यवधान)**

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : क्या यह केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य नहीं है ? **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : हम कार्य मंत्रणा समिति में इस बारे में निर्णय करेंगे।

**श्री के० मायातेवर (डिंडीगल)** : सरकार तमिलों के जान-माल की रक्षा करने में असमर्थ रही है····· **(व्यवधान)**

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : भारत सरकार की ओर से इसका विरोध किया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : यह स्वाभाविक है। भारत सरकार विरोध-पत्र भेज रही है।

**(व्यवधान)**

**संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : श्री राममूर्ति द्वारा उठाये गये श्रीलंका के मसले पर आपने बिल्कुल सही टिप्पणी की है। मैं माननीय सदस्यों की इच्छा से प्रधान मंत्री जी को अवगत करा दूंगा। जैसा कि मैंने निवेदन किया, सरकार निश्चित रूप से, इस मामले में वक्तव्य देगी और हम आपके निदेशानुसार कार्यवाही करेंगे।

**(व्यवधान)**

**श्री के० मायातेवर** : हम इस विषय पर कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं चाहते बल्कि पूर्ण चर्चा करना चाहते हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन आप इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते।

**श्री के० मायातेवर** : हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पूर्ण चर्चा में बदल दें।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी इस विषय से चिंतित हूं; मैं भी उत्तेजित हूं। मेरा भी दिल है। परेशान मत होइए। मैं आपके विचारों से सहमत हूं।

**(व्यवधान)**

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : मैंने आज जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामला उठाया है उस पर चर्चा होनी चाहिए·····

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मायातेवर, हम कुछ करेंगे । कृपया बैठ जाइये ।

**श्री के० मायातेवर** : हम चाहते हैं कि पिछले महीने प्रधान मंत्री की राष्ट्रपति जयवर्द्धन के साथ हुई बातचीत पर एक वक्तव्य दिया जाये·····

**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिए अत्यन्त व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा)** : कई सदस्यों ने केरल में हुए सीमेंट घोटाले के बारे में सूचनाएं दी हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं तथ्यों का पता कर रहा हूं। उसके बाद मैं यह निर्णय करूंगा कि क्या मैं सदन में ऐसा कर सकता हूं या नहीं । फिर मैं आपसे मिलूंगा ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री दंडपाणि, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इससे चिंतित हैं और सरकार को भी इसकी चिंता है । सरकार ने मुझे अपनी चिंता से अवगत किया है और हम इस बारे में कदम उठा रहे हैं। सरकारी कार्यवाही करेगी । आप परेशान न हों । यह एक राष्ट्रीय मसला है ।

**(व्यवधान)**

**श्री सी० टी० दंडपाणि** : सरकार को कल ही कर देना चाहिए था ।

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से समुचित कार्यवाही करनी होती है। कृपया उत्तेजित न हों । कुछ मामलों में समय लगता ही है ।

**(व्यवधान)**

**श्री के० मायातेवर** : आप समाचार-पत्रों को पढ़िये । सभी समाचार-पत्रों में यह मुख्य समाचार है ।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती दण्डवते, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं ?

**(व्यवधान)**

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : यदि पजाब के बारे में चर्चा हो सकती है तो इस मसले पर हम चर्चा क्यों नहीं कर सकते ? यह आतंकवाद का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने यह कभी नहीं कहा है कि हम आतंकवाद पर चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति में समय निर्धारित करना होगा, तत्पश्चात् इस पर चर्चा होगी ।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्यों नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कभी 'इंकार' नहीं किया। आप फैसला कर लीजिए। मैं सहमत हूं। यह बहुत सरल बात है। सदैव ऐसा ही होता है। निर्णय आप लेते हैं और मैं आपके आदेशों का पालन करता हूं। मैंने इस सम्मानीय सदन के आदेशों का कभी भी उल्लंघन नहीं किया।

**श्री के० मायातेवर** : हम संतुष्ट नहीं हैं। हम खुश नहीं हैं। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। लंका में हो रहे आन्दोलन के बारे में अथवा तमिलों या वहां की घटनाओं के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः इसकी भर्त्सना करते हुए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

**12.16 बजे**

**(तब श्री के० मायातेवर तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये।)**

**श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार (त्रिवेन्द्रम)** : हम भी उनके समर्थन में सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

**(तत्पश्चात् श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार सदन से बाहर चले गये।)**

**श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य)** : दहेज प्रतिषेध संशोधन विधेयक अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : हम देखेंगे।

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : महोदय, यह महत्वपूर्ण है **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सत्यनारायण जटिया।

---

## नियम 377 के अधीन मामले

**12.17 म० प्र०**

**(एक) नर्मदा-क्षिप्रा-चम्बल परियोजना का कार्यान्वयन**

**श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन)** : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत निम्न-लिखित विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

विगत वर्षों में प्रायः पानी की कमी के कारण चम्बल नदी पर बनाए गये गांधी सागर, राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर पन बिजलीघरों से पूरी क्षमता से विद्युत उत्पादन तो नहीं

ही किया जा सका है, इस चम्बल परियोजना में कोटा बैराज से राजस्थान और मध्य प्रदेश को सिंचाई जल की आपूर्ति भी नहीं की जा सकी है। मध्य प्रदेश से उद्गमित नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जिसकी प्रवाहित जल क्षमता 40 एम० ए० एफ० टी० से भी अधिक है। मध्य प्रदेश को नर्मदा की कुल उपयोगी जल क्षमता 28 मिलियन एकड़ फीट में 18.25 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोगाधिकार प्राप्त है। इस क्षमता का 5 मिलियन एकड़ फीट पानी क्षिप्रा के माध्यम से चम्बल में पहुंचाया जा सकता है। उक्त 5 मिलियन एकड़ फीट पानी का दो मिलियन एकड़ फीट पानी को इन्दौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, मन्दसौर जिलों में जल प्रदाय और सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सका है, जिससे पेय जल प्रदाय के अतिरिक्त इस क्षेत्र की 5 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि को सिंचित किया जा सकता है। शेष 3 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग चम्बल नदी पर बने बिजलीघरों से विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए किया जा सकेगा।

नर्मदा का पानी बड़वाह से नदी के बहाव की विपरीत दिशा में 10 कि० मी० दूरी पर स्थित गोदरपुरा से क्षिप्रा के उद्गम क्षुडेवकलां जिसकी दूरी लगभग 35 कि०मी० हैं, पहुंचाया जा सकता है। कम्पेल पर सुरंग बनाकर पानी को ऊंचा चढ़ाने की ऊंचाई को भी कम किया जा सकता है।

नर्मदा-क्षिप्रा-चम्बल लिंक प्रोजेक्ट से चम्बल नदी पर बनाये गये बिजली घरों से 386 मेगावार बिजली उत्पादन के साथ ही 15 लाख एकड़ सिंचाई 200 करोड़ के अनुमानित व्यय से पूरी की जा सकती है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उक्त योजना को क्रियान्वित कर पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय किये जावें।

**(दो) पर्यटकों की संख्या में कमी होने के कारण प्रभावित हुए जम्मू और काश्मीर के लोगों को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दिये जाने की आवश्यकता**

**श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर)** : जम्मू-कश्मीर में राजनैतिक और आर्थिक गति-विधियों के कारण पर्यटन को भारी आघात पहुँचा है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है और लाखों लोग अपनी आजीविका कमाने से वंचित हो गये हैं। प्रभावित लोगों में दस्तकार शिकारा मालिक, टैक्सी ड्राइवर, होटलवाले, ट्रांसपोर्टर, छोटे व्यापारी और दैनिक मजदूर शामिल हैं। लगातार दो वर्षों से लोगों ने हिंसात्मक आन्दोलन देखें है जिनके परिणामस्वरूप 1983 से पर्यटक कश्मीर आने में कतराते हैं और यहाँ छुट्टी व्यतीत करने आने वाले लोग अपना दौरा-कार्यक्रम त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं।

जुलाई में श्रीनगर तथा कश्मीर घाटी के कुछ अन्य भागों में कर्फ्यू लगाया गया था। इस घटना से वहाँ पर्यटन का भविष्य बिल्कुल ही नष्ट हो गया है।

कश्मीर घाटी में रहने वाली जनता को आजीविका से वंचित किया गया है। वर्तमान परिस्थिति में भारत सरकार को समय पर कार्यवाही करनी चाहिये और उन्हें ऐसी स्थिति से उबारने तथा बेरोजगार एवं भूखों मरने वाले लाखों लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिये। सहायता देने के अतिरिक्त, संकट को दूर करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ; उन्हें विभिन्न योजनाओं में कार्य दिया जाना चाहिये और प्रभावित लोगों से करों और ऋणों की वसूली रोक दी जानी चाहिये।

**12.20 म०प०**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**(तीन) गोरखपुर में प्रस्तावित रेल सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना**

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर): मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है जिससे उक्त क्षेत्र में भीषण बेरोजगारी फैली हुई है। लाखों की संख्या में मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार आदि स्थानों से बम्बई, कलकत्ता अहमदाबाद और पंजाब जाकर रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पंजाब की स्थिति खराब हो जाने के कारण वहां से मजदूर आतंक के परिणामस्वरूप वापस आ गये हैं। इन परिस्थितियों के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश भीषण बेरोजगारी की चपेट में आ गया है। अतः सरकार से मेरी मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना गोरखपुर में की जाय ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की बेरोजगारी दूर हो सके।

**(चार) हिमाचल प्रदेश में एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की मांग**

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** (हमीरपुर) : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों ने संस्कृत भाषा के संवर्द्धन हेतु बेहतर सेवा प्रदान की है। अब तक हिमाचल प्रदेश में कोई भी विद्यापीठ स्थापित नहीं की गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि शिक्षा मंत्रालय चालू वित्तीय वर्ष (1984-85) के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में ऊना जिला में अम्ब पर एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना करे।

**(पांच) त्रिवेन्द्रम-बोंगाईगांव एक्सप्रेस रेलगाड़ी को गोहाटी तक बढ़ाया जाना**

**श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट)** : जनता की लगातार मांग पर त्रिवेन्द्रम से असम तक एक नई रेलगाड़ी शुरू की गई थी। इस गाड़ी के लिए स्वयं मैंने इस सदन में कई बार मांग की थी। अतः मैं यह गाड़ी शुरू करने के लिए माननीय रेल मंत्री को मुबारकबाद देता हूँ।

---

**मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह रेलगाड़ी त्रिवेन्द्रम से चल कर न्यू बोंगाईगांव तक जाती है। चूंकि न्यू बोंगाईगांव स्टेशन अभीतक अविकसित है, वहाँ यात्रियों को रात को ठहरने तथा भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। त्रिवेन्द्रम और केरल के अन्य भागों के बहुत से लोग असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि में रह रहे हैं। इस समय उन्हें आगे के लिये अपनी यात्रा शुरू करने से पूर्व पूरी रात न्यू बोंगाईगांव में रहना पड़ता है। रात में ठहरने अथवा भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं के अभाव में उन्हें भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि इस रेलगाड़ी को गोहाटी तक बढ़ा दिया जाये तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। गोहाटी तक ब्राडगेज लाइन बिछा दी गई है। इसलिए न्यू बोंगाईगांव त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस को गोहाटी तक बढ़ा दिया जाना चाहिये।

इसी प्रकार, चूंकि यह गाड़ी सप्ताह में एक बार ही चलती है, इस मार्ग के यात्रियों की समस्या संतोषजनक ढंग से हल नहीं हो सकती। इस बात को देखते हुये कि यह गाड़ी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मार्ग पर चल रही है और इस मार्ग पर यातायात बहुत अधिक है, इसे सप्ताह में दो बार चलाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये।

अत: मैं सरकार से इस बारे में उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

## (छः) उड़िसा में पर्यटन का विकास

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (भुवनेश्वर): उड़िसा में मनोरम समुद्रतट, गर्म पानी के चश्मे, प्राचीन स्मारक जिनमें वस्तुकला का महान वैभव है, प्रचुर वन एवं वन्य जीवन तथा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर्यटन का आकर्षक हैं। लेकिन खेद की बात है कि भारत सरकार से पर्याप्त सहायता न मिलने के कारण उड़िसा की पर्यटन क्षमता का विकास नहीं हुआ है। उड़िसा की पर्यटन क्षमता का विकास न केवल राज्य के हित में बल्कि देश के हित में भी आवश्यक है। इससे व्यापार का एक नया एवं आकर्षक मार्ग प्रशस्त होगा। और इससे देश में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में मदद मिलेगी। अत: मैं पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि उड़िसा में पर्यटन को अत्यधिक बढ़ावा देने के लिए तुरन्त निम्नलिखित उपाय किये जायें :—

1. भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच दैनिक बोइंग विमान सेवा शुरू की जानी चाहिये।

2. विदेशी पर्यटिकों ने इस की आवश्यकता पर बल दिया है कि कलकत्ता और मद्रास जाने वाला विमान भुवनेश्वर रुक कर जाये ताकि भुवनेश्वर मद्रास से वायु सेवा से जुड़ जाये जहाँ कि विदेशी पर्यटन एवं व्यापारी भारी संख्या में उतरते हैं।

3. उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को संबलपुर, राउरकेला, जेपुर, जाशीपुर और कोर्णाक जैसे इलाकों से मध्यस्तर की दैनिक विमान सेवा से जोड़ा जाना चाहिये।

4. भुवनेश्वर हवाई अड्डों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

5. राज्य के चुने हुये पुरातत्व स्मारकों पर 'फल्ड़-लाइट' व्यवस्था की जानी चाहिये।

6. खांडागिरी और उदयगिरि के बीच रज्जु-मार्ग बनाया जाना चाहिये।

## (सात) इलाहाबाद—मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में वर्षा न होने के कारण पैदा हुई सूखे की स्थिति

**श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब देश के अनेक भाग बाढ़ की विभीषिका से त्रस्त हैं, तो देश के कई हिस्सों में सूखे से स्थिति भयावह हो रही है। वैसे तो पर्याप्त वर्षा देश के कई क्षेत्रों में नहीं हुई है, परन्तु उत्तरप्रदेश के जनपद इलाहाबाद तथा समीपवर्ती जनपदों मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, फतेहपुर, बांदा आदि में अब तक नाममात्र की ही वर्षा हुई है, जिससे इन जनपदों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खरीफ की फसलें, विशेषकर धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विडम्बना यह है कि कहीं-कहीं नहरों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे धान की रोपाई नहीं हो पा रही है। दो-तिहाई सरकारी नलकूप खराब पड़े हैं। शेष में अधिकांश नालियाँ अस्त-व्यस्त पड़ी हैं। विद्युत् आपूर्ति नितान्त अपर्याप्त एवं अनियमित है। ऐसी स्थिति में किसान बहुत ही क्षुब्ध है।

मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अविलम्ब उत्तरप्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में सम्पर्क करके इलाहाबाद तथा समीप के जिले में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई तंत्र की पूरी क्षमता को उपलब्ध करायें तथा आवश्यक राहत कार्य प्रारम्भ किये जायें।

## (आठ) पटना में खाना पकाने की गैस की कमी

**श्री रामावतार शास्त्री (पटना)** : उपाध्यक्ष महोदय, पटना में हजारों व्यक्ति रसोई बनाने की गैस के चूल्हों का इस्तेमाल करते हैं। इधर कुछ महीनों से गैस सिलैंडरों की कमी के कारण पटना के नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी के कारण कोयला डिपुओं ने भी कोयले का मूल्य बढ़ा दिया है और जलावन लायक कोयला आसानी से मिलता भी नहीं। ऐसी स्थिति में नागरिकों के कष्टों का अनुमान आसानी के साथ लगाया जा सकता है।

पटना अब काफी बड़ा शहर हो गया है, परन्तु बांकीपुर क्षेत्र को छोड़कर, पटना सिटी में केवल एक विक्रेता है, जिससे लोगों को गैस सिलैंडर मिलने में बहुत दिक्कत होती है। अतः जरूरत है कि पटना सिटी और पटना दक्षिण में गैस सिलैंडर विक्रेताओं की संख्या बढ़ाई जाये ताकि लोगों को सिलैंडर आसानी के साथ उपलब्ध हो सकें।

पटना के गैस-सिलैंडर उपभोक्ताओं को सिलैंडरों की सप्लाई सुदूर बोंगाई गांव से की जाती है जबकि, पटना से थोड़ी दूरी पर ही बरौनी तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। यह अजीब बात है कि बरौनी से गैस-सिलैंडर अन्य स्थानों को भेजे जाते हैं और पटना को बोंगाईगांव के रहमो-करम पर छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में पटना के नागरिकों को कष्ट होना अवश्यम्भावी है।

अतः मेरा ऊर्जा मंत्री से अनुरोध है कि वह पटना के नागरिकों को गैस-सिलैंडरों की बरौनी से सप्लाई करने की व्यवस्था करें और पटना सिटी में एक से अधिक विक्रय केन्द्र खोले जायें। ऐसा कर के ही उन्हें परेशानियों से बचाया जा सकता है।

## (नौ) पाली (राजस्थान) में एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित करने की आवश्यकता

**श्री मूलचन्द डागा (पाली)** : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल भारत में जगह-जगह महत्त्वपूर्ण स्थानों पर पावर टी वी ट्रांसमीटर लग रहें हैं, परन्तु कई बड़े शहर इनसे वंचित रह रहे हैं।

आज राजस्थान के कई शहरों में टी वी ट्रांसमीटर लग रहे हैं और लगने वाले हैं परन्तु राजस्थान का पाली जैसा महत्त्वपूर्ण शहर, जहां म्युनिसिपल कार्पोरेशन काम कर रही है, जहां की आबादी एक लाख से ऊपर है, बड़ा उद्योग है, महाराजा उम्मेद मिल वहाँ लगा हुआ है, तथा 800 से अधिक लघु उद्योग वहां काम कर रहे हैं, जो श्रम शक्ति पर ही चल रहे हैं, टी वी ट्रांसमीटर लगाये जाने से छूट गया है।

इसके अलावा पाली शहर में बड़ा कालेज है और सभी विषय उस कालेज में पढ़ाये जाते हैं। कालेज के साथ-साथ 9 उच्च विद्यालय हैं और लड़कियों का उच्चतम माध्यमिक विद्यालय है। अन्य स्कूल भी काफी बड़ी संख्या में हैं। पाली के वस्त्रों की छपाई और रंगाई का काम हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध है और इसका छपा हुआ कपड़ा निर्यात भी होता है।

आज पाली जिले में बड़े-बड़े सिंचाई के बांध हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यु राजस्थान में पाली जिला केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को देता है। खेलों में भी लोगों की रुचि है। लाखों रुपये खुद जनता ने लगा कर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की है। सभी तरह से और सभी दृष्टि से विकसित पाली जिला, इसमें सिंचाई की व्यवस्था है, 3, 3 फसलें होती हैं, उद्योग का केन्द्र बन चुका है। यह राजस्थान के किसी भी जिले से पीछे नहीं है, उसको दूरदर्शन से वंचित करके आम जनता के मन में एक बड़ी निराशा पैदा कर दी है।

आशा और विश्वास है कि सरकार सारी बातों का तुरन्त सर्वेक्षण कराकर पाली में शीघ्रातिशीघ्र हाई पावर टी वी ट्रांसमीटर लगवाने की व्यवस्था करेगी।

## (दस) कलामंडलम को पर्यटक केन्द्र घोषित करने और वहां पर एक सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

**श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम्)** : अनंत काल से चेरूथुरिथी केरल की सांस्कृतिक विकास का उद्गम स्थल रहा है। केरल की मुख्य सांस्कृतिक धारा रूपी आकाश गंगा में 'केरल कलामंडलम' के तारे की तरह चमचमाने के कारण इस विशिष्टता का उपाय और विस्तृत हो जाता है।

इसी भूमि पर सुविख्यात और प्रतिष्ठित राजकवि वल्लनोल नारायण मेनन का जन्म हुआ था। जिसने उन देशभक्ति पूर्ण छन्दों से मलयालम भाषियों को प्रेरित किया था जिसमें भारत की आजादी के संघर्ष का प्रभावशाली विवरण है और राष्ट्रीय एकता की भावना का पोषण किया गया है।

साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में उनके योगदान की स्मृति में चेरूथुरिथी का नाम बदल कर वल्लनोल नगर रख दिया गया था। राजकवि द्वारा स्थापित केरल कलामंडलम ने प्राचीन केरल की लुप्तप्राय शास्त्रीय ललित कलाओं का उद्धार किया है। यदि ऐसी कोई संस्था होती तो कथक्कली मोहिनीअट्टम, कूडिअट्टम आदि का नाम ही मिट जाता।

यह संस्था समस्त विश्व के शास्त्रीय कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। 'कलामंडलम' समस्त विश्व में केरल की सांस्कृतिक विरासत का प्रचार करता रहा है।

सैकड़ों विख्यात छात्रों और अनुभवी शिक्षकों ने इन कलाओं के विकास और प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि यहां शिक्षा की गुरूकुल प्रणाली विद्यमान है। माननीय प्रधान मंत्री ने इस संस्था का दौरा किया था और उत्कृष्ट कार्य के लिए यहां के छात्रों आदि को उन्होंने बधाई भी दी थी।

किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य और केन्द्र दोनों ही इस सांस्कृतिक केन्द्र पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संस्था को फलने-फूलने देने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया थोड़ा-सा अनुदान प्रर्याप्त नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र से विनम्र निवेदन है कि कलामंडलम को पर्यटक-केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए और केन्द्रीय सरकार के तत्त्वावधान में एक सांस्कृतिक केन्द्र खोला जाए।

## (ग्यारह) क्षय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि तथा और अधिक क्षय रोग चिकित्सालय स्थापित करने की आवश्यकता

**श्री भीखाभाई (बांसवाड़ा)** : महोदय निवेदन है कि वन-क्षेत्रों में खासतौर से जनजातियों में कुपोषण, वस्त्राभाव और अनुरक्षित परिस्थितियों के कारण क्षय रोग के मरीज बढ़ रहे हैं। यह रोग दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है तथा पर्वतों और घाटियों के दूर-दराज इलाकों में रहने वाली गरीब जनजातियां हस्पताल में भरती होने जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यहां तक कि हस्पताल के वाहन भी वहां तक नहीं जा सकते हैं।

चूंकि यह छूत का रोग है इसलिए बाद में पूरे परिवार के सदस्यों को यह बीमारी हो जाती है। गरीबी के कारण न तो वे क्षय रोग के हस्पताल जा पाते हैं और न ही विभिन्न जांचों तथा फेफड़ों के एक्सरे आदि के लिए खर्च कर सकते हैं।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि गरीब ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए दूर-दराज के जनजातीय, पर्वतील और पिछड़े इलाकों में क्षय रोग के सैनिटोरियम स्थापित किए जाएँ।

**संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : माननीय सदस्यों ने आज सुबह श्रीलंका की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया था और वक्तव्य दिए जाने की मांग की थी। अध्यक्ष महोदय ने भी कुछ टिप्पणी की थी। अतः सरकार आज सायं 4.30 बजे एक वकतव्य देगी।

12.35 **म० प०**

## आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और उस पर की गयी कार्यवाही सम्बन्धी ज्ञापन के बारे में प्रस्ताव—जारी

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 1 अगस्त, 1984 को पेश किये गए आठवें वित्त आयोग के बारे में प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। इसके लिये नियत समय छः घंटे है। मंत्री महोदय 60 सैकेंड का समय ले चुके हैं। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

**वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी)** : उपाध्यक्ष महोदय।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : आप शुरू में बोलना चाहते हैं या बाद में ?

**श्री प्रणब मुखर्जी** : दोनों ही बार बोलूंगा। महोदय ऐसे प्रस्ताव को पेश करना जरा एक नयी बात है क्योंकि सामान्यतः सभा वित्त आयोग की सिफारिशों पर सभा में विभिन्न विधेयकों या विधेयकों पर संशोधनों पर विचार करने के साथ-साथ चर्चा की जाती रही है। किंतु इस बार सामान्य प्रथा में थोड़ी भिन्न पद्धति अपनायी गई है और वह यह है कि हम आठवें वित्त आयोग की अंतरिम सिफारिशें पहले ही लागू कर चुके हैं। अपने बजट प्रस्तावों में उन्हें प्रभावी कर चुके हैं और इसके लिए विधियों के विभिन्न उपबन्धों में संशोधन किया जा चुका है और राष्ट्रपति के आदेश जारी किए जा चुके हैं। और जब आठवें वित्त आयोग की अंतिम सिफारिशें हमें उपलब्ध कराई गईं तो यह सोचा गया कि उसे 1985-86 के बजट में ही लागू किया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि सभा के सदस्यों की मुख्य सिफारिशों के बारे में राय देने का अवसर मिलेगा क्योंकि सभा-पटल पर आठवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन रखे जाने और अगले वर्ष बजट प्रस्तावों में

इनके वास्तविक कार्यान्वयन के बीच काफी समय का अन्तराल होगा। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही इस आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विभिन्न महत्त्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करने और इस बारे में सिफारिशें करने के लिए जिसके दूरगामी परिणाम निकलेंगे, आठवें वित्त आयोग के चेयरमैन और सदस्यों ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

मैं यह बात कहूंगा कि हम परवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों और राज्यों का विकास करके जो लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, आठवें वित्त आयोग ने इस पर ध्यान दिया है। विस्तृत फार्मूलों में प्रति व्यक्ति आय उच्चतम से लेकर निम्नतम प्रतिव्यक्ति आय तक को अधिक महत्त्व देते हुए और इसे उच्च महत्त्व के आधार पर अन्तरण की सिफारिश करते हुए इस विस्तृत फार्मूला के आधार पर अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो गया है और इसके परिणामस्वरूप उनको केन्द्रों के अन्तरण योग्य स्रोतों से अधिक हिस्सा मिलेगा।

स्पष्ट है कि इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप कुछ अन्य राज्यों को निश्चयतः कम भाग मिलेगा। ये राज्य वे हैं जो हमारी दृष्टि में दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा समृद्ध हैं। मुझे आशा है कि वित्त आयोग के जो यथार्थ मानदंड अपनाए हैं उनके लिए उन पर कोई क्षेत्रीय दबाव नहीं पड़ा है वरन् मौजूदा स्थिति में जो भी उचित था उन्होने उसी पर ध्यान दिया है। उन्होंने उस तथ्य पर ध्यान दिया और उसे कार्य रूप भी दिया।

महोदय मैं उन मुद्दों का जिक्र नहीं करूंगा जिन्हें माननीय सदस्य पेश करने जा रहे हैं कि—इसे 1984-85 में लागू क्यों नहीं किया गया था। क्या केन्द्रीय सरकार को इसके लागू करने के निर्णय में फायदा होगा या नहीं। ये मुद्दे माननीय सदस्य ही उठाएंगे और बहस के बाद मैं उसका उत्तर दूंगा। किंतु मैं एक मुद्दे पर बल देना चाहता हूं। शायद माननीय सदय मुझसे सहमत भी होंगे कि वित्त आयोग कोई संसाधन पैदा नहीं करता है। संसाधन वही हैं। वित्त आयोग उपलब्ध कर संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही सिफारिश करता है कि उन्हें कैसे वितरित किया जाए।

मैंने दस्तावेजों के साथ जारी किए गए व्याख्यात्मक ज्ञापन में स्पष्ट कर दिया था कि वित्त आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 1984-85 से लागू करने में क्या अन्तर्निहित कठिनाइयां हैं। मैं एक अन्य मुद्दे का भी उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि एक राज्य के प्रतिनिधि ने इस बात का उल्लेख किया था कि ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। इससे पहले के एक आयोग, जहां तक मुझे ठीक-ठीक याद है —पांचवें वित्त आयोग ने जुलाई में अपनी सिफारिशें दी थीं और भारत सरकार ने उन्हें मंजूर कर लिया था। मैं माननीय सदस्यों और राज्य सरकारों के माननीय प्रतिनिधियों को सविनय याद दिलाना चाहता हूं कि पांचवें वित्त आयोग की वित्तीय सिफारिशों की क्रियान्विति

में 44 करोड़ रुपए से थोड़ी ही अधिक राशि शामिल थी। इस समय सिफारिशों को लागू करने पर अब 1400 करोड़ से भी अधिक राशि अन्तर्निहित है। यह अन्तर भी बहुत ज्यादा है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : किंतु धन का मूल्य तो समान ही है।

**श्री प्रणब मुखर्जी** : यदि आप पांचवें वित्त आयोग के कार्यचालन की अवधि को ध्यान में रखें तो पता लगेगा कि ऐसा नहीं है। इसीलिए यह सम्भव नहीं था।

दूसरी बात यह है कि मैंने इस पर सविस्तार चर्चा की है और मैं एक उदाहरण देता हूं और चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की यह गलतफहमी दूर कर दूं कि केन्द्रीय सरकार ने इसमें से कुछ बचत की है और खुद अपनी जेब में डाल लिया है। माननीय सदस्यों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि केन्द्रीय सरकार से राज्यों को तीन मुख्य चैनलों से संसाधन अंतरित किये जाते हैं। एक चैनल तो स्पष्टत: वित्त आयोग की सिफारिश पर ही निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार करों के विभाज्य पूल के भीतर राज्यों को हिस्सा दिया जाता है। एक अन्य योजना आयोग के माध्यम से किया जाता है। यदि तर्क के लिए ही यदि मैं यह मान लूं कि यदि 1 अप्रैल, 1984 को आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू कर ली जातीं तो उसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को 1400 करोड़ रुपए मिल जाते, तो भी मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि बजट बनाते समय नवम्बर और दिसम्बर में ही ये सिफारिशें हमें प्राप्त हो जातीं तो हमने इन तथ्यों को नोट किया होता और उसी तरह से समायोजन किया होता और हमने उस पर ध्यान भी दिया होता। किंतु ऐसा होने पर 600 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि जो मैंने राज्यों को योजना आयोग के माध्यम से 1983-84 की राशि में 10% की वृद्धि कर दी है वह न हो पाती दिनांक 31 मार्च, 1982 को समायोजन के फलस्वरूप दी गई 499 करोड़ रुपए की राशि नहीं दी जाती। मैं केवल काल्पनिक स्थिति की ही बात कर रहा हूं। चूंकि संसाधन वही हैं, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूं—वित्तआयोग संसाधनों को पैदा नहीं करता, वित्त आयोग इसी बात की सिफारिश करता है कि उसको कैसे विभाजित किया जाए और यदि मुझे मालूम होता कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बंध है सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क का भाग 60% से घटा कर 55% कर दिया जाएगा, तो योजना आयोग के अपने साथियों को वार्षिक योजना के लिए राशि बढ़ाने के बारे में सिफारिश करते समय उस तथ्य को ध्यान मे रखता क्योंकि उस समय समग्र संसाधनों की स्थिति पर ध्यान दिया जा सकता था। इसलिए यह बात सही नहीं है कि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों से हमें लाभ मिला है और हमने कुछ बचा कर रख लिया है। जितने संसाधन विभाज्य हैं और जितने स्रोतों से राशि एकत्र की जा सकती थी उनके बार में बजट में उल्लेख कर दिया गया है। मैंने भी इसे नोट कर लिया है और मैंने उसे वितरित भी कर दिया है।

अब यदि मुझे 1 अप्रैल 1984 से आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करनी होतीं तो सम्भवत: मेरे सामने तीन विकल्प होते। मैं सभा के समक्ष एक अन्य कराधान प्रस्ताव पेश करता

और मेरा खयाल है कि कोई भी इससे सहमत नहीं होता। मैं सभा के समक्ष एक और भारी राशि वाले घाटे के बजट को पेश करता। प्रस्तुत घाटा पहले से ही 1500 करोड़ रुपए का है और यह 3000 करोड़ रुपए तक का हो जाता और फिर कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े होते और कहते कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको चाहिए था कि इस खर्च को कम करते या केन्द्रीय सरकार के खर्च को कम करते। इस स्थिति में भी मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा कि जिस तरह से राज्य सरकारों के लिए कुछ खास क्षेत्रों में खर्च कम करना कठिन है उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए यह और भी मुश्किल है।

जैसाकि आप सभी जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार के गैर-विकासीय खर्च तीन शीर्षों के अंतर्गत आता है। डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने रक्षा बजट पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए सिफारिश की थी कि इसमें काफी वृद्धि होनी चाहिए और उनका सुझाव मंजूर न करने के बावजूद केन्द्रीय सरकार योजनेतर खर्च के लिए निर्धारित राशि में से रक्षा, ब्याज की अदायगी और विभिन्न राजसहायता—इन तीन शीर्षों पर 70 प्रतिशत खर्च हो चुका है। मुझे तो कम से कम नहीं मालूम कि कोई भी रक्षा की मद में होने वाले खर्च को कम करने के लिए कहेगा केवल मार्कसवादी मित्र ही इसका विरोध करेंगे, यदि राजसहायता में कमी की जाए तो उससे आप सहमत नहीं होंगे बल्कि राजसहायता बढ़ाने का ही सुझाव देंगे और ब्याज की अदायगी तो हमें करनी ही है। अन्यथा योजना खर्चों के लिए संसाधन प्राप्त नहीं होंगे।

कुछ ऐसी अड़चनें थीं जिनके परिणमस्वरूप सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हो गई कि हम आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें 1984-85 में लागू नहीं कर सकते हैं। मैं उससे सविस्तार चर्चा नहीं करूंगा। एक तर्क यह दिया गया है कि सिफारिशें सरकार को 30 अप्रैल को मिल गई थीं और संसद का सत्र 10 मई तक चला फिर भी सरकार ने इसे लागू क्यों नहीं किया। यह तर्क इस अर्थ में बड़ा विचित्र है कि सभी सदस्य यह जानते हैं कि 30 अप्रैल को आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष पेश की गयी थी और जहां तक मुझे याद है राष्ट्रपति महोदय मैक्सिको से 3 या 4 मई को वापिस आए थे और उसके बाद मुझे वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इन दिनों में सभी सिफारिशों को सभी प्रक्रियाओं से गुजारने की मेरे खयाल से कोई भी सिफारिश नहीं करेगा। मैं सरकार का निर्णय जानूंगा और मंत्रिपरिषद् की राय जानूंगा और उसके बाद ही उनको लागू करूंगा।

इसी बीच सभी राज्य सरकारों की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका था। राज्य विधान मंडलों ने केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को धन के हस्तांतरण के संदर्भ में और अपनी योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के संदर्भ में अपने भाग को ध्यान में रखते हुए अपने वार्षिक बजट पास कर लिये थे। वस्तुतः वर्तमान वित्त वर्ष से आठवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती जिसमें केन्द्रीय सरकार को नए सिरे से बजट पेश करना पड़ता और लगभग सभी

22 राज्य सरकारों को जो कि इन सिफारिशों से प्रभावित होती हैं बजट दुबारा तैयार करना पड़ता जो कि मेरे खयाल से अव्यवहारिक और अवांछनीय है।

ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल से माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा शुरु किए जाने से पहले उनके ध्यान में लाई जानी चाहिए थी। मैं इस आरम्भिक चरण पर सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : क्योंकि आप धन लेने में दिलचस्पी लेते हैं समय लेने में नहीं।

**श्री प्रणब मुखर्जी** : जितना कुछ सम्भव था उतना हम आपको दे चुके हैं। किंतु कुछ लोग सोचते हैं कि जिम्मेदारी केवल हमारी है उन पर नहीं है। यही तो समस्या है। अनेक असम्बद्ध मुद्दे उठाए गए हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमने संविधान का उल्लंघन किया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमने संविधान के किस उपबंध का उल्लंघन किया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं आपको बताऊंगा।

**श्री प्रणब मुखर्जी** : दूसरी ओर शायद मैं कह सकता हूं कि खासतौर पर जो राज्य सरकार इतना शोर मचा रही हैं वही 1977-78 से आज तक ओवरड्राफ्ट करके संविधान के अनुच्छेद 293(3) का उल्लंघन कर रही हैं। क्या आपने ऐसे किसी राज्य के बारे में सुना है जो वर्ष के 365 दिनों में से 364 दिन मार्गोपाय अग्रिम राशि पर ही निर्भर रहे और रिजर्व बैंक से 40 करोड़ रुपए की स्थायी स्रोत ही मान ले ? क्या वित्तीय योजना को लागू करने के पीछे यही भावना है ? संविधान के निर्माताओं ने यह व्यवस्था की थी कि रिजर्व बैंक के पास कुछ राज्यों के लिए एक निश्चित राशि होती हैं ताकि वे राज्य अपने वित्तीय दायित्वों का अस्थायी रूप से वहन न कर पाने पर उसमें से धनराशि ले सकें। किंतु क्या इसका यह अर्थ है कि 365 दिनों में से 364 दिनों में वे मार्गोपाय अग्रिम राशि से ही काम चलाएं और अपने खर्चों के लिए इसे स्थायी स्रोत माने ? परंतु इस प्रकार की गलत बात हुई है और इसलिए यह सही और उचित है कि वित्त आयोग ने इन पहलुओं पर विचार किया है और यह पाया है कि उन्हें राहत नहीं देनी चाहिए और ऋण राहत में दिए गए सारे ओवरड्राफ्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने अकाट्य तर्क दिए हैं और मैं उन तर्कों से पूरी तरह सहमत हूं।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। इनमें से कुछ बातें वाद-विवाद का उत्तर देते समय सामने आयेंगी और मैं उनका उत्तर दूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाए। धन्यवाद।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव हुआ :

"कि यह सभा 24 जुलाई, 1984 को सभापटल पर रखे गए आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले ज्ञापन पर विचार करती है।"

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए—

"और सरकार से आग्रह करती है कि वित्त आयोग की सिफारिशों को अप्रैल 1984 से प्रभावी करे।" (7)

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाए,—

"और खेद व्यक्त करती है कि आयोग की सिफारिशों को अप्रैल, 1985 से लागू करने के सरकार के निर्णय से बहुत से राज्य बड़ी मात्रा में संसाधनों से वंचित रह जायेंगे और इसलिए सरकार से आग्रह करती है कि वह अपने निर्णय को बदल कर इन्हें अप्रैल, 1984 से लागू करे।"(6)

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब प्रो० मधुदण्डवते।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई संशोधन नहीं पेश कर रहा हूं, परन्तु पहले मैं बोलना चाहूंगा।

मैं अपने साथी श्री सोमनाथ चटर्जी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे चर्चा शुरू करने की इजाजत दी है क्योंकि मुझे दोपहर में जाना है।

मैंने वित्त मंत्री की टिप्पणियों को बड़े ध्यान-पूर्वक सुना है और संक्षेप में उनका तर्क यह है कि अंतरिम प्रतिवेदन का कार्यान्वयन पहले ही हो चुका है। उन्होंने इसी टिप्पणी के साथ अपनी बात कहनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने यह कहा कि इसमें कुछ अंदरुनी कठिनाईयां हैं। बजट-प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी थी। हम कम से कम वर्ष 1984-85 के लिए सिफारिशों के माध्यम से रुकावट पैदा करने की अनुमति देकर पूरी बजट प्रक्रिया को भंग नहीं करना चाहते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ अन्तर्निहित कठिनाईयां हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि सुरक्षा,

राज-सहायता और ब्याज के भुगतान पर होने वाले गैर-विकासीय व्यय कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिनके कारण वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रथम वर्ष में ही कार्यान्वयन सीमित हो गया। उनका यह भी तर्क है कि इन सभी रुकावटों के होते हुए कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन और इसके परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्यवाही इतनी जल्दी कैसे हो सकती है। उन्होंने यह महत्त्वपूर्ण बातें की हैं।

जहां तक आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन का संबंध है, हमें कुछ संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार काम करना होता है और कानूनी ढांचे के भीतर ही कार्यान्वयन करना होता है। अनुच्छेद 280 और 281 के अंतर्गत कुछ ऐसी स्थितियां बताई गई हैं कि प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् वित्त आयोग नियुक्त किया जाता है और वह अपनी सिफारिशें करता है। मैंने विशेष तौर पर बता दिया है और यह बात संविधान में भी मोटे तौर पर कही गई है कि वित्त आयोग के दो प्रकार के कार्य होते हैं। पहला, केन्द्र तथा राज्यों के बीच आय-कर तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के कुल आय का बंटवारा तथा विभिन्न राज्यों के बीच पारस्परिक आवंटन। दूसरा, ऐसे राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देना जिन्हें इसकी जरूरत है। वह ऐसी सूची तैयार करते हैं जिसमें यह देखा जा सके कि घाटे वाले राज्यों की संख्या में कमी हुई है अथवा वृद्धि। वह सिफारिशें भी करते हैं जिनके अनुसार कुछ साधनों का वितरण और आंवटनों की सिफारिशें की जाती हैं।

दुर्भाग्यवश, दो ऐसे महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात यह है कि आठवें वित्त आयोग की कुछ सिफारिशें स्वागत योग्य हैं लेकिन कुछ सिफारिशों में कमियां हैं। यह पूरे प्रतिवेदन का एक पक्ष है। परंतु यदि आप इस समय वित्त आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों की कुछ कमियों पर ध्यान न भी दें, दूसरा पक्ष प्रतिवेदन के कार्यान्वयन का है और उसमें पूरे प्रतिवेदन की प्रगति तथा उसके लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का ध्यान रखना पड़ता है। आठवें वित्त आयोग की नियुक्ति 20 जून, 1982 को राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। आयोग ने 14 नवम्बर, 1983 को अपना अन्तरिम प्रतिवेदन, न कि अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और अंतिम सिफारिशें किये जाने तक उसमें कुछ सिफारिशें कीं। उदाहरण के लिए उन नौ राज्यों के लिए 494.83 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान की सिफारिश की गई थी जिन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। मैं मानता हूं कि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह सिफारिशें अस्थायी हैं और अंतिम सिफारिशें बाद में की जायेंगी। इसमें संदेह नहीं कि यह बात स्पष्ट कर दी गई थी।

कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ सिफारिशें की गई हैं और उनका कार्यान्वयन होना है। जहां तक राज्यों का संबंध है, दुर्भाग्यवश राज्यों का ऐसा अनुभव रहा है कि यहां तक पहले ही की गई सिफारिशों के आधार पर कहा कुछ गया है और किया कुछ गया है। दूसरे कुछ महत्त्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी इसमें अंतर्ग्रस्त हैं। मैं इस बारे में

कह नहीं सकता हूं कि कुछ संवैधानिक तथा कानूनी उपबन्धों के उल्लंघन के बारे में कुछ राज्य सरकारें न्यायपालिका में जा कर मार्गनिर्देश तथा उनकी व्याख्या प्राप्त करेंगी क्योंकि यद्यपि कानूनों को अधिनियमित करने, कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने के लिए संसद सर्वोच्चउच्चतम है, न्यायालय यह निर्णय करने में सर्वोच्च है कि क्या संसद द्वारा अधिनियमित कानून तथा संशोधन संविधान की सीमाओं के भीतर हैं अथवा नहीं। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

आयोग ने अपना अंतिम प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1984 को प्रस्तुत किया था। मैं अंरितम प्रतिवेदन की बात नहीं कर रहा, अंतिम प्रतिवेदन की बात कर रहा हूं, जो 30 अप्रैल, 1984 को प्रस्तुत किया गया था। यद्यपि 15 दिन तक संसद का सत्र चलता रहा परंतु आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार की किसी भी सिफारिश को संसद के समक्ष नहीं रखा गया। इन सभी सिफारिशों के बारे में सरकार की राय को सामने रखना शायद संभव न होता परंतु मोटे तौर पर राय बताई जा सकती थी और उसे संसद के समक्ष रखा जा सकता था। परंतु न केवल इस बार बल्कि कई अवसरों पर इस सरकार के काम करने का तरीका ऐसा ही रहा है। इस संबंध में कानून के कुछ आदेशात्मक उपबंध हैं परन्तु अतीत में उनका उल्लंघन हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण है। जहाँ तक कम्पनी नियम, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम का संबध है, धारा 62 के अनुसार जब भी एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग द्वारा सरकार को प्रतिवेदन दिया जाता है तो प्रतिवेदन देने से छह माह की अवधि के भीतर प्रशासनिक प्रतिवेदन तथा की गई कार्यवाही प्रतिवेदन सहित सभी प्रतिवेदनों को संसद की दोनों सभाओं के सभा-पटल पर रखना होता है। मैंने देखा है कि पांचवी लोक सभा में यह प्रतिवेदन वर्षों तक संसद के सभा-पटल पर नहीं रखे गए। तब मेंने वास्तव में तत्कालीन विधि, न्याय तथा कंम्पनी कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का मामला उठाया था और मंत्री महोदय को महान्यायवादी के साथ परामर्श करने के बाद बिना शर्त क्षमा-याचना करनी पड़ी। जब उन्होंने महान्यायवादी के साथ इस मामले पर बात की तो महान्यायवादी ने कहा कि उन्होंने एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के आदेशात्मक उपबंधों का उल्लंघन किया है। सौभाग्य से, उस समय से एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग द्वारा दिए जाने वाले प्रशासनीय प्रतिवेदनों सहित सभी प्रतिवेदन सदन में रखे जाते हैं। लेकिन ऐसा हमारे द्वारा सतर्कतापूर्वक यह मामला उठाने के कारण हुआ है।

हम नकारात्मक आलोचना नहीं करना चाहते। प्रश्न यह है कि यदि सरकार के पास कुछ सिफारिशें हैं तो वे यह बता सकते हैं कि विलम्ब क्यों हुआ है। उन्हें अपने विचार स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। प्रतिवेदन 24 जुलाई, 1984 को संसद के समक्ष रखा गया था—मैं सिफारिशों पर सरकार के प्रतिवेदन की बात कर रहा हूं। सरकार 1984-85 के लिए प्रतिवेदन का कार्यान्वयन इस तर्क पर करने से इन्कार करती है कि यदि वे 1984-85 में

प्रतिवेदन को क्रियान्वित करते हैं तो संम्पूर्ण बजट प्रक्रिया, जो कि पहले से ही तैयार हो चुकी है, भंग हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में अत्याधिक गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिये वे यह कहते हैं कि इसको 1984-85 में क्रियान्वित नहीं किया गया। हमें यह देखना चाहिए कि वित्त आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन को 1984-85 में क्रियान्वित न करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें कुछ संवैधानिक तथा कानूनी समस्यायें हैं। यदि आप संविधान के उपबंधों को पढ़े तो पायेंगे कि कुछ बातें पहले से ही सरकार के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य हैं। अनुच्छेद

1.00 म०प०

280 और 281 को पढ़ने से पता चलेगा कि वास्तव में स्वयं वित्त आयोग, उनका निदेश पद, कार्य करने का तरीका सभी कुछ संविधान के इन अनुच्छेदों से शासित होता है। संविधान के इन कुछ अनुच्छेदों में कहा गया है कि जब वित्त आयोग की सिफारिशें तथा की गई कार्यवाही प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाता है तो यह मान लिया जाता है कि अपेक्षित सामंजस्य करने के बाद सरकार के लिए आवश्यक सामंजस्य करना सम्भव होना चाहिए ताकि संविधान की भावना का आदर किया जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करना कठिन होगा लेकिन जहां तक साधनों के आवंटन और केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का संबंध है, अर्थव्यवस्था के हित में तथा राज्यों के साथ न्याय करने के लिए, ताकि वह 1984-85 के एक वर्ष के लिए भी नुकसान में न रहें, यह आवश्यक है कि बजट प्रक्रिया में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाए हालांकि इसमें कुछ अड़चनें और तकनीकी कठिनाईयाँ हैं।

मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूं कि यह मामला यहां पर खत्म नहीं होगा। मेरा विचार है कि संबंधित राज्य सरकारें न्यायालय का दरवाजा खट-खटायेंगी और इस मामले के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जांच करवायेंगी। केन्द्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों के प्रति किसी द्वेष भावना के बिना मेरा विचार है कि इन मुद्दों को सदा के लिए स्पष्ट करने के लिए आगामी वर्षों में वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सामान्य आदेश तथा निदेश प्राप्त करने के लिए इस मामले पर न्यायपालिका से मार्गनिदेश प्राप्त करना बेहतर होगा। मंत्रियों या विपक्षी दलों के सदस्यों के कुछ कहने से मामला स्पष्ट हो जाएंगी और एक बार निदेश प्राप्त होने के पश्चात इस झगड़े को सदा के लिए निपटाना सम्भव होगा।

आय-कर के राज्य-वार हिस्से में परिवर्तन अत्यंत दिलचस्प है। कुछ मामलों में तो यह सीमांत हैं और कुछ राज्यों में आप देखेंगे की प्रतिशतता इस प्रकार है कि आठवें वित्त आयोग ने सातवें वित्त आयोग की अपेक्षा कोई सुधार नहीं किया बल्कि संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं और दावों से भी कम राशि मिली। मैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसा जानबूझकर अथवा किसी राजनैतिक उद्देश्य से किया गया था। लेकिन जब मैं कुछ राज्यों में स्थिति देखता हूं, उदाहरण के लिए कर्नाटक को लीजिए तो मैं पाता हूं सातवें वित्त आयोग में कर्नाटक के लिए आय कर का भाग 5.442 प्रतिशत था जबकि आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों में यह 4.198

प्रतिशत है। यह 5.442 प्रतिशत से कम होकर 4.198 प्रतिशत रह गया है। पश्चिम बंगाल के मामले में.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको पश्चिम बंगाल की बात कर्नाटक से पहले करनी चाहिए थी।

**प्रो० मधु दंडवते** : यदि आपका ऐसा निदेश है तो मैं इसे बुरा नहीं समझता। रिकार्ड को बदल दिया जाए लेकिन इसमें से कुछ काटा नहीं जाये।

जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, बहुत से चार्टस में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल वित्त आयोग तथा केन्द्रीय सरकार का कोपभाजन बना है। उदाहरण के लिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल का संबंध है सातवें वित्त आयोग में आय-कर में उसका हिस्सा 8.018 प्रतिशत था और हम देखते हैं कि आठवें वित्त आयोग में यह 7.803 प्रतिशत था। और न केवल आय-कर के वितरण के बारे में बल्कि सभी चार्टस में पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय-पूर्ण व्यवहार हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। यह एक ऐसा निष्कर्ष है जिस पर चार्ट्स पढ़ने वाले और प्रतिशतता निकालने वाले सभी व्यक्ति पहुंच सकते हैं। वास्तव में ऐसा ही देखा गया है। आगामी पांच वर्षों में उत्पादन शुल्क के कुल आय का 40 प्रतिशत राज्यों के बीच बांटा जाना है। यही सीमांत परिवर्तन हैं। सामान्य आर्थिक पद्धति में फेर-बदल किए बिना आवश्यक सामंजस्य स्थापित करना सम्भव हो सकता था। परंतु मैं नहीं जानता कि ये सीमांत परिवर्तन भी क्यों नहीं किए गए। राजस्व के घाटे वाले राज्यों की संख्या 9 से बढ़ कर 11 हो गई। मेरे विचार में यह सही अनुमान है। उन्होंने विभिन्न मानदंडों और सुस्थापित मानकों के अनुसार अनुमान लगाया है कि घाटे वाले राज्यों की संख्या 9 से बढ़कर 11 हो गई है और तदनुसार 1984 से 1989 के बीच के पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान उत्पाद-शुल्क की कुल आय का पांच प्रतिशत घाटे वाले राज्यों में बांटा जाना है। महोदय, 9000 करोड़ रुपयों पर अनुमानित 5 प्रतिशत की दर से उत्पादन शुल्क 450 करोड़ रूपए बैठता है। अतएव राज्यों को यह धनराशि देने से इन्कार किया जाता है। एक साल अर्थात् 1984-1985 में आपको पता चलेगा कि राज्यों को यह हानि होगी और राज्यों को यह बताया जा रहा है कि हमें इन अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात् बजट सम्बन्धी प्रक्रियाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और इसे छेड़ना सम्भव नहीं है क्योंकि उससे राज्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी।

महोदय, जहाँ तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है, 1984-85 में यह हानि 89 करोड़ रुपए बैठती है।

**श्री सुनील मैत्रा** (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : केवल इसी कारण से।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मैं केवल 9000 करोड़ रुपए पर अनुमानित 5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क का उल्लेख कर रहा हूं और जब इसका वितरण किया जायेगा तो आप यह पाएंगे कि 1984-85

में अकेले पश्चिम बंगाल के लिए यह हानि 90 करोड़ रुपए है। मैं नहीं जानता कि प्रत्येक बार पश्चिमी बंगाल को ही क्यों छोड़ दिया जाता है। लेकिन यह एक तथ्य है। (**व्यवधान**) यह तो ऐसा है कि किसी से प्यार किया जा रहा है और किसी से घृणा।

इसके बाद मैं सिफारिश की गई सहायता अनुदान की बात करता हूं। पाँच वर्षों—1984-1989 तक 11 राज्यों के लिए सहायता अनुदान की कुल धनराशि 2200.49 करोड़ रुपए है और 1984-85 के लिए 644.39 करोड़ रुपए है। यह कोई थोड़ी धनराशि नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिए अकेले 1984-85 में यह 142.11 करोड़ रुपए बैठती है। वह उसे युक्तिपूर्ण बता सकते हैं परंतु जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। जनता को केवल इस तर्क को स्वीकार करके मनाया नहीं जा सकता है कि इसमें ये अड़चने अन्तर्ग्रस्त हैं और ये तकनीकी कठिनाइयां अन्तर्ग्रस्त हैं और ये प्रशासनिक समस्याएं अन्तर्ग्रस्त हैं और उसके परिणामस्वरूप आपको 1984-85 में नुकसान उठाना पड़ेगा। जहां तक इस विशेष सहायता अनुदान का सम्बन्ध है यह 142.11 करोड़ रुपए बैठती है। उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता है।

इसके बाद दर्जा बढ़ाने की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विशेष समस्याओं से निपटने हेतु 5 वर्षों के लिए 967 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है। रेल यात्री भाड़े के बदले में अनुदान की वार्षिक मात्रा 1984-85 से 1988-89 तक प्रत्येक वर्ष 23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपये की जानी है। अब इससे इन्कार किया गया है। यह वास्तव में एक वह पहलू है जिसे नोट किया जाना चाहिए। जब मैं इस पद पर था तब का मुझे याद है कि यह एक जटिल समस्या है और यह हमेशा ही एक विवादास्पद विषय रहा है लेकिन आप पाएंगे कि इस धनराशि को देने के लिए भी इंकार किया गया है।

तत्पश्चात्, महोदय, 234 करोड़ रुपए की कुल धन राशि राहत खर्च को पूरा करने के लिए सीमान्त धन हेतु निर्धारित की जानी है और इस धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। राज्यों को यह धनराशि भी देने से इन्कार किया गया है। राज्य को इतनी बड़ी धनराशि अर्थात राहत खर्च को पूरा करने के लिए सीमान्त धन के रूप में 234 करोड़ रुपए देने से इंकार करना तथा इसका 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है—अब राज्यों को यह हानि एक बहुत बड़ी हानि है।

जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है संसाधनों को जुटाने में कतिपय सीमाएं हैं। अनेक राज्यों में यह स्थिति चरम सीमा तक पहुंच गई है। पुनः केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर पुनर्विचार किया जाना है; वित्तीय प्रक्रियाओं की जांच की जानी है। सरकारिया आयोग समस्या की जांच कर रहा है। और प्रारम्भ में जब सरकारिया आयोग स्थापित किया गया था अधिकांश पार्टियों ने सरकारिया आयोग के गठन का स्वागत किया था लेकिन हम में से कुछ लोगों, जो गैर-कांग्रेस (इ) राज्यों के

हैं, ने एक स्पष्ट सुझाव दिया था कि जांच करने के बाद केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, वित्तीय संसाधनों का हस्तान्तरण और राज्यों एवं केन्द्र की वित्तीय शक्तियों के बारे में यह पाया जाता है कि यदि कुछ संवैधानिक संशोधन करने आवश्यक हैं तो सरकारिया आयोग के विचारार्थ विषयों को और व्यापक बनाया जाना चाहिए और सरकारिया आयोग को संवैधानिक संशोधनों के लिए सिफारिश करने हेतु आवश्यक शक्तियां भी दी जानी चाहिए। हमारी यह मांग थी। यदि आपको सही-सही याद हो और यदि आपको गैर-कांग्रेस (इ) राज्यों के विरुद्ध की गई सभी आलोचनाएँ याद हों तो हमें यह बताया गया था कि आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। सरकारिया आयोग की स्थापना करने सम्बन्धी आपकी मांग स्वीकार किए जाने पर आप और रुकावटें पैदा करना चाहते हैं लेकिन जब विशेषज्ञों ने विचारार्थ विषयों की वास्तव में गहराई से जांच की तब उन्होंने स्वयं यह अनुभव किया कि यदि राज्य केंद्र सम्बन्धों की, विशेष रूप से वित्तीय शक्तियों तथा मूल संसाधनों के आवंटन के अनुसार, आमूल-चूल रूप से पुनः संरचना की जानी है तो, उस मामले में कतिपय संवैधानिक संशोधन आवश्यक होंगे जब विशेषज्ञों ने यह सलाह दी थी तब उन्होंने विरोधी दलों पर किए जाने वाले राजनीतिक आक्रमण के स्वरूप में भी परिवर्तन कर दिया और कहा "हम सरकारिया आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन को स्वीकार करते हैं" और अब सरकारिया आयोग के विस्तृत विचारार्थ विषयों में यह स्वीकार किया गया है कि उन्हें, यदि आवश्यक हों और संवैधानिक संशोधन करने की सिफारिश करने के अधिकार दिए गए हैं ताकि संसाधनों का आवंटन किया जा सके और केन्द्र राज्यों के बीच बेहतर सम्बन्ध बनाए जा सकें तथा वित्त-संबन्धी शक्तियों का बंटवारा भी किया जा सके।

अपना मुद्दा ऋणों को बट्टे खाते डालने तथा पुनः अदायगी की नई अनुसूची तैयार करने के बारे में है। इसे वास्तव में राज्यों को प्रदान किया जाना है। अब पांच वर्षों के लिए सिफारिश की गई कुल धनराशि 2,285 करोड़ रुपए है और अदि आप प्रत्येक राज्य का प्रति वर्ष का औसत निकालते हैं तो यह 450 करोड़ रुपए है। अब आप महसूस करेंगे कि इन पहलुओं की कुछपेचदगियां कितनी महत्त्वपूर्ण हैं और जब तक उसकी जांच नहीं कर ली जाती तथा कतिपय अड़चनों के बावजूद किसी प्रकार का समायोजन नहीं कर लिया जाता तथा किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित नहीं किया जाता है तब तक राज्यों के लिए आर्थिक स्थिरता बने रहने तक अपने वित्तीय बोझ को प्रभावकारी ढंग से वहन करना सम्भव नहीं होगा।

अब, इन सभी कारकों, जिनमें विशेष रूप से वर्ष 1984-85 के दौरान पुनः आवंटन करने के लिए कुछ संवैधानिक, कुछ कानूनी तथा कुछ तकनीकी कठिनाईयां हैं। की पृष्ठभूमि तथा अन्य सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्या अन्तिम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, प्रथमतया 1984-85 में आयोग की सिफारिश कोकार्यान्वित न करने से राज्य को वित्तीय वर्ष में पर्याप्त हानि होगी। मैंने केवल थोड़े-से उदाहरण दिए हैं यदि आप पहले ही दिए गए विभिन्न चार्टों को पढ़े तो आपको तथ्यों का पता लग जाएगा। जहां तक आयकर की प्रतिशतता के वितरण का संबंध है प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी हानि

उठाई गई थी। कतिपय उदाहरण देते हुए मैंने संकेत दिया है कि राज्यों को कितनी हानि होगी। तब वहां पर्याप्त वसूली नहीं हो रही है। दुर्भाग्यवश 8वें वित्त आयोग के पूरे प्रतिवेदन में केवल राज्यों को आर्थिक तथा वित्तीय विकास की वर्तमान स्थिति से ऊपर नहीं उठाया जाना है, बल्कि राज्यों के बीच बड़ी भारी असमानता है और गरीब राज्यों और अपेक्षाकृत सम्पन्न राज्यों के बीच असमानता है और उस असमानता को दूर किया जाना चाहिए। इसलिए यही समस्या है जिसका न केवल हमारे देश के राज्यों को ही सामना करना पड़ता है, बल्कि यह वह समस्या है जिसका विकसित तथा अर्द्ध-विकसित देशों को भी सामना करना पड़ता है। कोई भी विश्वव्यापी समस्या हो छोटे स्तर पर वह समस्या हमारे देश में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वित्त आयोग के प्रतिवेदन में पर्याप्त वसूली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि सम्पन्न राज्यों तथा गरीब राज्यों के बीच के अन्तर को भारी प्रयास के साथ दूर किया जाना है। यद्यपि बजटों को पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, सामंजस्य स्थापित किया जाना संभव हो सकता था और की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वे ऐसा करेंगे।

अब इस्पात तथा कोयले के भाड़े को समान बनाने को चरणाबद्ध बनाने के प्रश्न को लीजिए। यह वह समस्या है जिस पर अनेक समितियों ने विचार किया था अन्तरमंत्रालयीय समितियों ने विचार किया था और विशेषरूप से इस्पात तथा कोयले जैसी वस्तुओं के लिए 5वीं, छठी तथा सातवीं लोक सभा में पर्याप्त वाद-विवाद हुआ है। वास्तव में इस समस्या पर इस सभा में वाद-विवाद हुआ है। अन्तर-मंत्रालयीय समितियां गठित की गई थी। कतिपय प्रतिवेदन उपलब्ध थे और आप यह देखें कि जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है इस्पात तथा कोयले के माड़े को चरणाबद्ध-ढंग से समान बनाने के बारे में आप यह पाएंगे कि पूर्वी राज्यों को अधिक हानि उठानी पड़ रही है। पूर्वी राज्यों ने पर्याप्त हानि उठाई है और इसलिए आप पाएंगे कि इस्पात तथा कोयले जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में भाड़े को समान बनाने की इस समस्या की गहराई से समीक्षा की जाती है और मुझे खेद है कि जहां तक इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध है पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। घाटे वाले राज्य जिन्होंने केन्द्र से अधिक हिस्से की मांग की थी, एक तरफ असंतुष्ट हैं और सम्भवत, राज्यों के बीच कतिपय परम्परागत मतभेद हैं। अर्द्ध-विकसित राज्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह महसूस करते हैं कि उन्हें पर्याप्त हिस्सा नहीं मिला है और जहां तक विकसित राज्यों का सम्बन्ध है वे यह महसूस करते हैं कि उन्हें उनके कार्य-निष्पादन के लिए प्रीमियम दिए जाने की बजाए संम्भवत: उन्हें उनके अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए दण्डित किया जा रहा है। जिन राज्यों ने वित्तीय तथा आर्थिक दृष्टि से बेहतर कार्य-निष्पादन दिखाया है वे यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए दण्डित किया जा रहा है। जहां तक अर्द्ध-विकसित तथा पिछड़े राज्यों का सम्बन्ध है वे वह महसूस करते हैं कि उन्हें पर्याप्त हिस्सा नहीं मिला है। अतएव, दोनों तरह के राज्यों के बीच संतुलन रखा जाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक हिस्सा पाने वाले राज्य यह महसूस करते हैं कि उन्हें दण्डित किया जा रहा है और अर्द्ध-विकसित राज्य भी यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें दण्डित किया जा रहा है।

अब, इसका निराकरण क्या है ? वर्ष 1985-86 से अधिकार को मूल आयकर के साथ मिला दिया जाए; संविधान के अनुच्छेदों 268 तथा 269 के अन्तर्गत वर्णित शुल्कों तथा करों से राजस्व की वृद्धि की जाए; भयंकर संकट के समय में राहत खर्च का निधीयन करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाएं और तब एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू अर्थात वित्त आयोग की अवधि और पंचवर्षीय योजनावधि का समकालीकरण किया जाना है। इन पहलुओं पर ध्यान दिया जाना होगा और एक निश्चित दिशा अपनानी होगी।

मुझे आशा है कि इस सदन में की जाने वाली विभिन्न टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री महोदय, जो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत कठोर रवैया नहीं अपनाएंगे। उन्हें और अधिक उदार रवैया अपनाना चाहिए, उन्हें विभिन्न राज्यो के दावों तथा मंत्री के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मैं राजनीतिक समस्याओं के बारे में कठोरता अपनाने की बात समझ सकता हूँ, किन वित्तीय मामलों में यदि वे इस देश में कठोरता अपनाने का पर्यास करते हैं तो उस मामले में उसका प्रभाव केवल विभिन्न राज्यों में चल रही विकासशील गतिविधियों पर पड़ेगा। मेरे लिए यह बात सारहीन है कि किस राज्य में कौन-सा राजनीतिक दल सत्ता में है; वास्तव में, हमारे देश में, यहाँ तक कि इस सभा में लगभग प्रत्येक दल आंशिक रूप से सत्ताधारी दल है और आंशिक रूप से विरोधी दल है। कुछ राज्यों में वे शासन कर रहे हैं और कुछ राज्यों में तथा केन्द्र में आप शासन कर रहे हैं। अनेक राज्यों में आप विरोधी दल हैं। इस देश में राजनीतिक स्वरूप को भूल जाइए; यह देश में सन्तुलित आर्थिक विकास का प्रश्न है। और इसलिए मैं आशा करता हूँ कि केन्द्रीय वित्त मंत्री महोदय इस वाद-विवाद के दौरान जो भी टिप्पणियां तथा रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं उन पर ध्यान देंगे।

जहां तक आठवें वित्त आयोग का सम्बन्ध है यह अंतिम वित्त आयोग नहीं है; वित्त आयोग स्थापित होते रहेंगे और समय-समय पर इसका कार्यकाल योजना अवधि के अनुरूप होना चाहिए। और यदि वास्तव में ऐसा होता है तो उस मामले में बेहतर यही होगा कि वे भी इस सभा में की गई विभिन्न आलोचनाओं तथा टिप्पणियों को ध्यान में रखें ताकि हमारी आवाज अनसुनी न रह जाएं बल्कि हमारी आवाज ऐसी होनी चाहिए जो राज्यों और देश के विकास को दिशा प्रदान करने में सहायता करे।

यदि राज्य शक्तिशाली बनते हैं तो केन्द्र शक्तिशाली बनता है। यह एक गलत धारणा है; कि केन्द्र केवल तभी मजबूत बन सकता है यदि राज्य शक्तिशाली हों। अन्ततोगत्वा केन्द्र केवल एक शीर्ष बिन्दु है और राज्य आधार हैं। यदि केवल केन्द्र मजबूत है और आधार केन्द्र के अचल भार के नीचे कमजोर है तो केन्द्र गिर जाएगा और राज्य भी गिर जाएंगे। यदि उनके राज्य मजबूत हैं, उनका आधार और नींव मजबूत है तो एक मजबूत केन्द्र का निर्माण किया जा सकता है।

मुझे आशा और विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय हमारी रचनात्मक आलोचना पर ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** (नरसारावपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी कारण से यह मेरा अच्छा भाग्य है कि जब कभी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो आप अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान होते हैं और स्वाभाविक रूप से आप मेरा बहुत ही लिहाज रखते हैं तथा मेरे प्रति मेहरबान हैं और मुझे विश्वास है कि आप आज भी उसी तरह मेहरबान बने रहेंगे।

वित्त मंत्री महोदय श्री मुखर्जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने प्रस्ताव पेश करके पहली बार वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए इस सभा को मौका दिया। अन्यथा जैसा कि हम सभी जानते हैं वित्त आयोग की कुछ सिफारिशें विधेयकों के रूप में रखी जाती हैं और उनमें से कुछ राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा स्वीकार की जाती हैं। फिर भी मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने वित्त आयोग के प्रतिवेदन को सभा के समक्ष रख कर एक जोखिम उठाया है और इस प्रकार सभी पक्षों, जिसमें उनके पक्ष के सदस्य भी हैं, की ओर से लगाए जा रहे आक्षेपों के कारण उन्होंने अपनी स्थिति नाजुक बनाली है जिसे कि आप देख रहे हैं। निस्सन्देह यह अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसा कहने के मेरे अपने निजी कारण हैं।

**प्र० मधु दण्डवते** : आक्षेप नहीं, सुझाव कहिए।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : महोदय, मैं यह कहूंगा विचारों में स्वभाविक रूप से बहुत अधिक अन्तर हो सकता है। वास्तव में यदि सदन के सभी सदस्य यहां मौजूद हैं तो आमतौर पर वित्त आयोग को उल्लिखित प्रत्येक विचारार्थ विषयों पर जितने सदस्य मौजूद हैं उतने ही अधिक विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। इसलिए यह बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। वह सही सही मौलिक कारण है कि हमारा संघीय ढांचा इतना ढीला क्यों है और हमारा संविधान संघीय होने की बजाए अधिक एकात्मक क्यों है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बुद्धिमानी से यह सोचा था कि अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत विशिष्ट व्यक्तियों का एक स्वतन्त्र आयोग प्रतिष्ठापित किया जाए जो समय-समय पर राज्यों और केन्द्र के वित्तों की जांच करे और आवश्यक समायोजन करने की सिफारिश करे ताकि राज्यों और केन्द्र के बीच मतभेद अथवा विरोध उत्पन्न न हो सके। आप जानते हैं संविधान के अन्तर्गत केवल एक आयोग स्थापित करने की व्यवस्था है और वह है वित्त आयोग। भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश मुझे छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनना पड़ा था और देखिए, मुझे श्री वाई० बी० चौहान द्वारा नियुक्त किया गया था जब वे वित्त मंत्री थे। श्री वाई० बी० चौहान इस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जिस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, यदि आपने विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदन को पढ़ा है तो आप यह पाएंगे कि कई मामलों पर यहां तक कि सदस्यों की राय भी भिन्न-भिन्न है।

**श्री सतीश अग्रवाल** (जयपुर) : जिनमें अध्यक्ष भी शामिल है।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : जी हां, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल है।

**श्री सतीश अग्रवाल** : यह एक अच्छा शकुन है।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : भाग्यवश, मेरे नेतृत्व वाले वित्त आयोग का प्रतिवेदन एकमत से तैयार किया गया था। किन्तु वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करते समय उसकी आलोचना करना वित्त विभाग का काम है ; लेकिन अन्ततोगत्वा वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री के दबाव के नीचे वे आमतौर पर सिफारिशों से सहमत हो जाते हैं।

अब सबसे पहले मैं श्री वाई० बी० चौहान तथा उनके साथियों को वित्त आयोग के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करों में कमी करने और सहायता अनुदानों आदि में उदारपूर्वक वृद्धि करने के लिए अपनी शुभ कामनाएं देता हूं। यदि आप इसे व्यापक रूप में लें तो सातवें वित्त आयोग द्वारा करों आदि में की गई कुल कमी लगभग 20,800 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक है। इस आयोग द्वारा करों, सहायता अनुदानों आदि में 39,000 रुपए तथा इससे अधिक मोटे तौर पर 49,000 करोड़ रुपए की कुल कमी करने की सिफारिश की गई है जो मोटे तौर पर उस धनराशि से दुगनी है जिसकी सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह धनराशि 38,500 करोड़ रुपए है।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : मेरे विचार में यह धनराशि ठीक-ठीक 39,452 करोड़ रुपए है। बहरहाल, कुछ सौ की कोई बात नहीं है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिशें छठे वित्त आयोग की सिफारिशों में दुगुनी थीं (**व्यवधान**)। मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखते हुए भी यह अधिक है। यदि 1979-84 के दौरान मुद्रा स्फीति 60 प्रतिशत हो तो अन्तरण 90 प्रतिशत है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : आपके जाने के पश्चात् मुद्रा-स्फीति काफी बढ़ गई।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : इसकी बात मैं बाद में करूंगा। 1984-85 के लिए सिफारशें स्वीकार न करने के इस प्रश्न पर वित्त मंत्री का समर्थन करना मेरे लिए कठिन है। (**व्यवधान**) यह मत सोचिए कि आपकी तारीफ के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं।

**कुछ माननीय सदस्य** : तारीफ तो हो रही है।

**श्री० के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : धन्यवाद। निःसन्देह, वित्त मंत्री ने कुछ कारण बताये हैं जो काफी ठोस हैं। फिर भी, मैं समझता हूं कि जहां तक इस प्रश्न का सवाल है, इनकी दलील कमजोर है। (**व्यवधान**)। वित्त आयोग की नियुक्ति कुछ पहले की जानी चाहिए थी। केन्द्रीय सरकार

की भविष्यवाणी आदि कुछ पहले की जानी चाहिए थी। राज्यों के ज्ञापन भी कुछ समय पहले मिलने चाहिए थे। इसलिए, यह साधारण दलील कुछ कमज़ोर है कि इसमें बजट प्रस्तुत करने के बाद से 2 माह का विलम्ब हो गया है और केन्द्र के तथा राज्यों के लक्ष्यों में कुछ परिवर्तन किये जाने हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह बात बिल्कुल अस्वीकार्य है।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : मैं यह नहीं कहता। लेकिन, मैं पश्चिम बंगाल की बात बाद में करूंगा। जल्दी न करें। जब मैंने यह कहा कि कुल अन्तरण लगभग 39,400 करोड़ रुपये हैं तो मैंने ऋणों के पुनर्निधारण को और बट्टेखाते डाली गयी 2285 करोड़ रुपये की राशि को शामिल नहीं किया था। यदि आप इसे भी शमिल कर लें तो यह 41,000 करोड़ रुपये से भी अधिक बनेगी।

अब राज्यों को शिकायत है कि, जैसा कि इन्होंने बताया, उन सभी राज्यों ने लगभग 1400 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया, क्योंकि उन्होंने 1984-85 की अन्तिम रिपोर्ट लागू नहीं की।

मैं वित्त मंत्री के समक्ष एक और बात रखना चाहूंगा। एक सिफारिश है, जिसका चेयरमैन न्यायाधीश सदस्य योजना आयोग के सदस्य और एक अन्य सदस्य ने समर्थन किया है। रिपोर्ट अल्पमत है, जो सरकार ने स्वीकार कर ली है और जो मेरी राय में सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है।

मैं केवल यह पूछता हूं कि क्या आप इस पर पुनर्विचार करेंगे ? यदि आप इस पर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो ये सब बातें बेकार है। यदि इस पर पुनर्विचार नहीं करना है और यदि आप इस सबको सही मानते हैं, अर्थात् 1985-89 के लिए रिपोर्ट को स्वीकार करना, और यह कहते हैं कि अन्तरिम रिपोर्ट का स्वीकार किया जाना सही है तो इसका कोई लाभ नहीं हैं। मैं वित्त मंत्री से यह बात नोट करने का अनुरोध करूंगा कि जब अन्तरिम रिपोर्ट स्वीकार की गयी थी तो उसमें यह विशिष्ट रूप से कहा गया था, मेरा विचार है उस अनुबंध के पैरा 1 में यह बात कही गयी है, कि यह अन्तिम सिफारिश के अध्यधीन है और इस बयान को आपने स्वीकार कर लिया है या कम से कम इसे स्वीकार समझा जाना चाहिए, क्योंकि आपने अन्तरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। इसलिए अगर आप अनुमति दें तो मेरा अनुरोध है कि इसकी लागत चाहे 1400 करोड़ हो या 1000 करोड़ रुपये, इसमें कोई अधिक अन्तर नहीं है। कृपया आप इस पर पुनर्विचार करें। यह न सोचें कि मैं किसी राज्य का पक्ष ले रहा हूं। निःसंदेह, अनेक कारण हैं, जिनके आधार पर मैं किसी राज्य का पक्ष ले सकता हूं और इसके बावजूद मैं कहता हूं कि राज्य भी ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं।

मेरी राय में प्रत्येक राज्य में राजस्व घाटे की पूर्ति करने की यह प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। राज्य के एक मुख्य मंत्री के रूप में मैं यह बात जानता हूं

और मैंने अन्य मुख्य मंत्री और राज्य भी देखे हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति करना राज्यों को और शायद केन्द्र को भी हर तरह का खर्चा करने का निमंत्रण देना है, जिससे उनका गैर-उत्पादक व्यय बढ़ जायेगा। यह बात पूरे देश के लिए अच्छी नहीं है। यदि कोई राज्य उत्पादन शुल्क में से ज्यादा हिस्सा मांगता है, किसी अन्य चीज का ज्यादा हिस्सा मांगता है तो कोई बात नहीं—यह बात समझ में आती है, लेकिन वित्त आयोग पर धन खर्च करना या केन्द्रीय सरकार से यथासम्भव अधिकतम धनराशि प्राप्त करने के लिए केन्द्र के साथ झगड़ा करना, अनावश्यक, गैर-उत्पादक और गैर-योजना व्यय करना पूरे देश के लिए बिल्कुल व्यर्थ है। मैं कहता हूं कि हम सभी दलदल में फंसे हैं। केन्द्र के पास अधिक संसाधन नहीं हैं और न ही राज्यों के संसाधन ज्यादा हैं। इसलिए, संसाधन सीमित होने के कारण हम एक दूसरे को दोष देते हुए मौके का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन, आप इस बात पर विचार क्यों नहीं करते, यह सदन इस बात पर विचार क्यों नहीं करता कि संसाधनों को यथासम्भव अधिकतम बनाना है। मैं वाकई महसूस करता हूं और प्रसिद्ध लोगों, अर्थशास्त्रियों और अन्य लोगों ने भी कहा है कि केन्द्रीय राजस्व या राज्यों के राजस्व से लगभग 30-40 प्रतिशत की चोरी होती है। मेरे मित्र बीजू पटनायक का कहना है कि चोरी इससे भी कहीं अधिक है। चाहे यह ज्यादा है या कम, लेकिन यह बात तमाम विश्व मानता है कि लगभग 40 प्रतिशत चोरी होती है, चाहे आपका सीमा-शुल्क हो, आयकर हो या उत्पादन शुल्क। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, राजस्व के दो महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। एक है बिक्री कर और दूसरा उत्पादन शुल्क ताड़ी। ये ऐसी बड़ी चीजें हैं जिनमें राज्यों को काफी धनराशि प्राप्त होती है। यदि चोरी का आधा हिस्सा भी बन्द कर दिया जाता है और यदि केन्द्र किसी तरीके से इस चोरी को रोक पाता है तो निश्चय ही राज्यों के बीच और केन्द्र तथा राज्यों के बीच कोई विवाद नहीं होगा। हमें यह देखना है कि कैसे टकराव रोका जाये, केन्द्र और राज्य—दोनों कैसे खुश रह सकते हैं।

बजट पर विचार-विमर्श के दौरान मैंने इस सदन में दो बार कहा है कि हमारे पास ऐसा प्रशासन है, हमें ऐसा प्रशासन मिला है, जो परिवर्तन-रोधी है, जो नियमों से बंधा है और वित्त आदि में आपकी प्रशासन प्रणाली में परिवर्तनों के बारे में आयोगों की जो भी सिफारिशें रही हों, हमारी प्रशासन प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया है, अब तक कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया है। मैं वित्त मंत्री महोदय से, जो बहुत समझदार हैं, जो अपना काम जानते हैं, जो जानते हैं कि ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाता है, अनुरोध करूंगा कि वह इन चीजों के बारे में सोचें। आखिरकार, यदि अपको इस वर्ष उत्पादन शुल्क के रूप में 1000 करोड़ रुपये मिलते हैं और अगले वर्ष 1100 करोड़ रुपये मिलते हैं तो आपको बहुत प्रसन्नता होती है। किसी ने कहा है कि 1950-51 में उत्पादन शुल्क 100 करोड़ रुपये से भी कम था और अब 10,000 करोड़ रुपये है और इस बात से वह बहुत प्रसन्न था। यह कोई सन्तोष की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि केन्द्र में राज्यों में करों की 30-40 प्रतिशत चोरी होती है और यदि आप इस चोरी का 50 प्रतिशत भी रोक सकते हैं तो राज्यों और केन्द्र के बीच कोई विवाद नहीं होगा।

**श्री सतीश अग्रवाल** : बिक्री कर में तो शत प्रतिशत चोरी होती है।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : जी, नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जब हम आलोचना करें तो यह आलोचना ऐसी होनी चाहिए जिसकी आलोचना की जा रही हो उसे महसूस हो कि आलोचना में कुछ तथ्य है और उसे सुधारने की कोशिश करे। मैं किसी की निन्दा या केवल आलोचना के लिए ही आलोचना नहीं करूंगा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप न्यायालयों में उलझ जाते हैं।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : मैंने पहले ही आपको गैर-योजना व्यय में वृद्धि के बारे में और जिस गति से हम चल रहे हैं उसके बारे में बताया है। आज अखबारों में मैंने देखा है कि जून, 1984 के महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 12 अंकों की वृद्धि हुई है। जून, 1983 से जून, 1984 तक 41 अंकों की वृद्धि हुई। मुझे विश्वास है कि इस बात से वित्त मंत्री को नाराजगी हुई होगी।

अब मैं आठवें वित्त आयोग से कुछ हटकर बात करूंगा और अनुरोध करूंगा कि आगे से वित्त आयोग के विचारणीय विषयों में अन्तरण में उन्हें प्रत्येक राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों को एक निश्चित आबंटन करना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मामला केन्द्र और राज्यों के बीच का मामला नहीं है। आखिरकार, हम सब ने बृहत् स्तर की योजनाएं देखी हैं और प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम को छोड़कर, ये ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए बनाया गया है, अब तक वास्तव में केवल बृहत् स्तर की योजनाएं ही रही हैं। वास्तव में, यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यह किसी दल का कार्यक्रम नहीं है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसलिए यही एक ऐसी चीज है जो ग्रामीण लोगों या समाज के निर्धन वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और इसलिए इस पर बल दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं यह कहूंगा कि "कृपया इस कार्यक्रम को राज्यों की मर्जी पर न छोड़ दें।" केवल मेरे राज्य में ही नहीं बल्कि अनेक राज्यों में मैं जानता हूं कि स्थानीय निकास कैसे भूखे मर रहे हैं। यदि श्री बीजू पटनायक किसी स्थानीय निकाय से सन्तुष्ट नहीं हैं तो ये एक रुपया भी उसे नहीं देते। मैं इस तरह नहीं करता। किन्तु मैं आप से यह याद रखने का इस अनुरोध करूंगा कि आगे से छोटे स्तर की योजना होनी चाहिए, जिसमें ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वास्तव में धन की वृद्धि हो। जब तक योजना आयोग द्वारा निश्चित अन्तरण नहीं होता आप ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की कारगर तरीके से पूर्ति नहीं कर सकते, जो हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इस बात को ध्यान में रखें।

चूंकि मैं कभी राज्य प्रशासन से सम्बद्ध था, इसलिए उनसे मेरी सहानुभूति होना स्वभाविक है। जैसा की आप जानते हैं, राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण, आदि, आदि से सम्बन्धित हैं, जिनसे एक पाई

का भी राजस्व नहीं मिलता। क्योंकि उन्हें यह खर्च वहन करना होता है, इसलिए मेरा विचार है कि वित्त आयोग को प्रशासनिक अपग्रेडेशन तथा स्थानीय समस्याओं के अन्तर्गत बहुत कुछ करना चाहिए था। मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि श्री वाई० बी० चव्हाण यहां उपस्थित हैं। राज्यों ने इस शीर्ष के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपये से भी अधिक मांगे हैं और जो राशि दी गयी है वह 1000 करोड़ रुपये से भी कम है। अतः, इस ओर आप सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपना सकते हैं, क्योंकि इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्यों का यह ऐसा व्यय है, जिससे कोई राजस्व नहीं मिलता। स्वाभाविक है कि इस शीर्ष या किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत आप अधिक राशि देने की बात सोचें, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों सहित निर्धन राज्य अथवा असम, राजस्थान और उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों का, जो अपेक्षाकृत कमजोर है, ध्यान रखा जा सके।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या राज्य यह महसूस नहीं करेंगे कि वित्त आयोग उनके अधिकारों का आतिक्रमण कर रहा है ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : ऐसा एक भी राज्य नहीं होगा। बल्कि वे आपको बधाई देंगे।

मुझे खेद है कि मैं एक बात में आठवें वित्त आयोग से सहमत नहीं हूं। इन्होंने उत्पादन शुल्क में 5 प्रतिशत अधिक अन्तरण दिया है। अब तक सातवें वित्त आयोग ने 40 प्रतिशत दिया था। अब इन्होंने 45 प्रतिशत की सिफारिश की है। बहुत अच्छा। यहां तक तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन, 5 प्रतिशत अतिरिक्त का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि योजना अवधि में बढ़ता हुआ उत्पादन राजस्व 5500 करोड़ रुपये होगा। यह कोई थोड़ी राशि नहीं है। दुर्भाग्यवश, मैं नहीं जानता कि इस आयोग ने केवल घाटे वाले राज्यों के लिए ही यह सिफारिश क्यों की है। मेरी राय में जहां तक करों के अन्तरण का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य का यह अधिकार है कि उसे अपने हक का प्रतिशत मिले। अनुदान राशि के बारे में जैसा आप चाहें करें। किन्तु, जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, आयकर तथा अन्य चीजों के बंटवारे का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि राज्य का जितना भी हिस्सा हो, उसे प्राप्त करना उसका अधिकार होना चाहिए।

उदाहरणार्थ मैं जानता हूं, और श्री सोमनाथ चटर्जी, आपको भी मालूम होना चाहिए कि राशि के अन्तरण के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आय को देखते हुए राज्यों में पश्चिम बंगाल का स्थान पांचवां है और वह घाटे वाले राज्य के रूप में वह राशि का कुछ भाग प्राप्त करने का अधिकारी है। मेरी समझ में यह बात तो आती है कि यह राशि आसाम को क्यों मिलती है, उड़ीसा को क्यों मिलती है, राजस्थान को क्यों मिलती है, और निश्चय ही नागलैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर आदि राज्यों का पूर्ण भार हमेशा सरकार पर रहता है, सरकार को इसका पूर्ण खर्च वहन करना होता है चाहे वह राजस्व लेखा हो अथवा पूंजी लेखा हो।

अतः जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, कि कितनी राशि किस राज्य को मिले मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यह सभी राज्यों को दिया जाना चाहिए। क्या मैं आप को बता सकता हूं कि आंध्र प्रदेश, जो, जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल राज्य के बराबर है, वहां कलकत्ता में विशेष समस्याएं हैं और हमारे यहां हैदराबाद एक अलग प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। पश्चिम बंगाल को आन्ध्र प्रदेश की तुलना में 600 रुपए अधिक दिए जाते हैं। श्री अशोक मैत्रा यहां नहीं हैं, मैं उनकी आलोचना करना नहीं चाहता। वह बहुत हठी इन्सान हैं, मैं उनके साथ विवाद नहीं करना चाहता···(**व्यवधान**)

**श्री वाई० एस० महाजन** (जलगांव) : क्या आपने कहा है कि वे हठी व्यक्ति हैं ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : हठी व्यक्ति इस दृष्टि से कि वह अक्सर प्रेस में जाते हैं और सम्भाव्यतः जन-साधारण के विचारों की उपेक्षा होती है और प्रेस में उनकी आलोचना का मुझे अवसर नहीं प्राप्त होता। मैं किसी भी ख्याति के लिए इच्छुक नहीं हूं। परन्तु मैं नहीं जानता कि वह श्री प्रणब मुखर्जी जो उसी राज्य के हैं को धमका रहे हैं अथवा उन दोनों के बीच कोई अन्तर्सम्बन्ध है। मेरा ख्याल है कि वित्त मंत्री इस बात का बुरा नहीं मानेंगे।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या इस निर्णय का कारण उनके अच्छे सम्बन्धों का न होना है ?

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : राशि के अन्तरण के अधीन एक भी ऐसा विषय दिखाएं जिसके अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को राशि न मिली हों। क्या मैं आप को बताऊं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को प्रस्तावित राजस्व की कितनी कमी है ? यह 600 करोड़ रु० से कम है। इस योजना में कितने राजस्व का घाटा दिखाया गया ? यह 3,034 करोड़ रु० हैं। यह क्या है ? मैं जानना चाहता हूँ ? पश्चिम बंगाल को इसे स्पष्ट करने दें, श्री अशोक मैत्रा को यहां आने दें, तथा स्पष्ट करने दें। यदि 1979 से 1984 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के राजस्व का घाटा 660 करोड़ रु० के लगभग है ; 1984 से 1989 तक के राजस्व का घाटा 3,034 करोड़ रुपए है। क्या यह अतिश्योक्ति है; क्या यह बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है ? मैं कदाशयता के लिए राज्य सरकार पर दोष नहीं लगा सकता परन्तु मैं किसी व्यक्ति पर दुर्भावना रखने का दोष लगा सकता हूं। अतः आपको इसे अवश्य स्पष्ट करना चाहिए ? इतनी अधिक राशि दिए जाने के बावजूद अभी भी वहाँ 213 करोड़ रु० की कमी है। कैस राज्य है, कैसा प्रशासन है तथा कैसे आँकड़े हैं ! मैं नहीं जानता, केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री इसके बारे में जानते हैं और मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहता। प्रशासनिक उन्नयन (अपग्रेडेशन) के अन्तर्गत आपको धन मिलता है, सहायता अनुदान के अन्तर्गत भी आपको धन मिलता है, घाटे

वाले राज्यों को दी जाने वाली 5% अतिरिक्त सहायता के अन्तर्गत भी पश्चिम बंगाल को धन दिया जाता है···(**व्यवधान**)

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : उत्तरोत्तर यह राशि कम होती जा रही है।

**श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी** : श्री चक्रवर्ती स्वयं जानते हैं। मैं कभी-कभी अनुभव करता हूँ कि केन्द्र अपने लिए ऐसी स्थिति क्यों पैदा करता है जिसमें के प्रत्येक राज्य उसकी आलोचना करे अन्य राज्यों को थोड़ा अधिक हिस्सा क्यों नहीं देती, उनका हिस्सा थोड़ा अधिक बढ़ा कर उन्हें राज्यों को उससे कार्य पूरा करने दे ? वह राज्य स्वयं अपने काम करे। अब उन्हें धन दिया जाता है तथा फिर भी वह केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते हैं।

प्रत्येक योजना अवधि में उन्हें कुछ धन अवश्य दिया जाता है और फिर भी वह राज्य ओवर ड्राफ्ट लेते हैं। क्या श्री सोमनाथ चटर्जी जानते हैं कि कितनी केन्द्रीय सहायता पश्चिम बंगाल को दी जाती है ? छठी पंचवर्षीय योजना के पिछले वर्ष तथा इससे पहले यह 400 करोड़ रुपए के लगभग थी। यदि मैं ठीक कह रहा हूं तो कृपया मुझे सुने; यदि मैं ठीक नहीं कह रहा तो मेरा विरोध करें। अत: इस प्रकार की धमकी देने का प्रयास करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव देता हूं कि उनकी सिंचाई योजनाओं, बिजली तथा मोटर यातायात योजनाओं के लिए उन्हें कुछ योजना सहायता, ऋण सहायता देना उनके हित में होगा, जिससे उन्हें कुछ राजस्व की प्राप्ति होगी। अन्यथा 40 प्रतिशत राशि अन्तरण के स्थान पर इसे 50 अथवा 55 प्रतिशत कर दिया जाए और इसी में वे अपने कार्य पूरे करें, बेशक उन्हें राज्य सरकारों से इस प्रकार की शिकायतें मिलती रहे कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। इस प्रकार के झगड़े लगातार क्यों होते हैं ?

अब आप निडरता से इन प्रस्तावों को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आप बताएं, कि किस राज्य का कौन-सा सदस्य राशि के अन्तरण मे सन्तुष्ट है ? पश्चिम बंगाल के साथ-साथ अन्य राज्य भी इससे सन्तुष्ट नहीं हैं।

मैं नहीं जानता कि क्या श्री चव्हाण को याद है अथवा नहीं, घाटे वाले राज्यों को 5% राशि का अन्तरण करने से, महाराष्ट्र को 50 करोड़ रुपए से अधिक की हानि हुई है। परन्तु उनके लिए इसका कोई महत्त्व नहीं है क्योंकि वे सिद्धान्तों के अनुसार चलते हैं, चाहे मेरे विचारानुसार वह गलत सिद्धान्त हों।

उन्होंने एक अन्य सिफारिश की जो कि बहुत अच्छी है। घाटे वाले राज्यों को शिकायत है कि सहायता-अनुदान निश्चित धनराशि है, यह उत्तरोत्तर बढ़ने वाली राशि नहीं है, अत: इसके

अलावा 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि उन राज्यों को दी जानी चाहिए। मेरी इससे कोई असहमति नहीं है। यह अच्छी बात है। यदि आप उदारतापूर्वक और अधिक देते हैं मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि उन राज्यों के मामलों में, जो इस श्रेणी में आते हैं, आपको हर हालत में चपरासी के वेतन से लेकर राज्य का पूरा खर्च वहन करना है। अत: इस प्रकार आपको अधिक हानि नहीं होगी।

प्रो० मधु दण्डवते ने केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों का उल्लेख किया, जो कि एक विस्तृत पहलू है। इसमें केवल वित्त ही शामिल नहीं है अपितु अनेक अन्य पहलू आते हैं। महोदय, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु हमें एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे संविधान के निर्माता प्रसिद्ध व्यक्ति थे, महान् देश भक्त थे। वे जानते थे कि इस स्वतन्त्र संघ स्थापना में, प्रसिद्ध लोगों के एक स्वतन्त्र आयोग की स्थापना समय-समय पर स्थिति की जांच करने के लिए की जानी चाहिए; हर पांच वर्ष पश्चात् इसका होना आवश्यक नहीं है, यह पांच वर्ष से कम अवधि के लिए भी हो सकती है; यदि आप अनुच्छेद 280 की परिभाषा को देखें। जब तक केन्द्र-राज्यों के आपसी सम्बन्धों पर हमें आयोग की रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि आयोग की स्थापना के बाद से हम केवल आलोचना के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। अत: मैं ईमानदारी से यह कहना चाहूंगा कि उनसे सलाह करके आप इसे देखें कि केन्द्र-राज्य के सम्बन्धों के बारे में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तथा भ्रामक आलोचना द्वारा जनता में भ्रम पैदा न हो। हमारे जैसे देश में यह एक आवश्यक तथ्य है। राज्यों को यह महसूस करायें कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाता है। इसके साथ ही हम जानते हैं कि केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बहुत अधिक है। आप जानते हैं कि आयोग केवल राज्यों की वित्तीय व्यवस्था की ही जांच नहीं करता अपितु केन्द्र की वित्तीय व्यवस्था की भी जांच करता है। और मैं आठवें वित्त आयोग को, केन्द्रीय सरकार के रक्षा व्यय को केन्द्रीय रक्षा विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों को सही न मानते हुए जांच करने के लिए बधाई देता हूं। अत: उन्होंने न्याय करने का प्रयास किया। हम उन्हें बधाई देते हैं। अन्त: में यह कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं कि यदि मेरी टिपण्णीयां संगत हैं, तो कृपया उन पर विचार करें।

**1.56 म० प०**

**(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर है कि सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों पर सदन में विचार करना स्वीकार किया है। ऐसा करने का स्पष्ट कारण सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिशों को बदलने की अभूतपूर्व कार्यवाही पर वाद-विवाद करने की विपक्ष की मांग है।

महोदय, मैं चर्चा में न तो विरोध की भावना से, न लड़ाई झगड़ा करने या वाद-विवाद के मुद्दों पर जोर देने की दृष्टि से भाग नहीं ले रहा, अपितु अत्यधिक दुख और वेदना के साथ यह

चाहता हूं कि जैसा कि हम चाहते हैं कि वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यकारी निर्णय से कई राज्यों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के साथ घोर अन्याय हुआ है, और यह भी चाहते हैं कि सभा इसका उल्लेख करे।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह भविष्य में संवैधानिक तंत्र तथा उसके अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए तथा हमारे देश के समन्वित, सन्तुलित तथा सम्पूर्ण विकास के लिए न कि चुनाव राजनीति की दृष्टि से, इन मामलों को अधिक महत्त्व दें।

महोदय, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी नियुक्ति केन्द्र द्वारा की जाती है और केन्द्र द्वारा चुने गये व्यक्ति ही इसके सदस्य होते हैं। राज्य सरकारों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। महोदय हमारे यहां आठ वित्त आयोग नियुक्त हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहले तथा अब भी हमारे देश के अर्ध संघीय ढांचे के कार्यकरण के लिए संसाधनों के वितरण में वित्त आयोग की सिफारिशें पूर्णतया सन्तोषजनक होती हों।

लगभग सभी वित्त आयोगों की अधिकांश सिफारिशों का सार मूल केन्द्र के पक्ष में रहा है। परन्तु आयोग के दर्जे के साथ जो ऊलंघनीयता और अनिवार्यता जुड़ी हुई है उसके अलावा हमारे संवैधानिक ढांचे में वित्त आयोग को एक महत्त्व की स्थिति प्रदान की हुई है।

महोदय, हमारी संवैधानिक पद्धति में, जैसाकि ब्रह्मानन्द रेड्डी ने बताया है कि केन्द्र सरकार का कराधान के क्षेत्र में तथा राजस्व एकत्रित करने में करीब-करीब एक मात्र अधिकार है। बिक्री-कर तथा उत्पाद शुल्क के अलावा शायद ही राजस्व का कोई मुख्य साधन राज्य सरकारों के पास है। चूंकि समूचे देश में कराधान तथा संसाधन जुटाने के क्षेत्र में केन्द्र का बड़ा भाग मान लिया गया था, इसलिए संविधान निर्माताओं को उस समय स्थापित शासन प्रणाली के कारण संघ और राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण और बंटवारे के लिए अनिवार्य रूप से प्रावधान करना पड़ा।

**2.00 म०प०**

महोदय हमारी अर्धसंघीय शासन पद्धति में कोई भी राज्य सरकार केन्द्र द्वारा एकत्रित किये गये संसाधनों के वितरण के बिना न तो कार्य कर सकती है और न ही उनके अस्तित्व में रहने की आशा की जा सकती है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा—उन्होंने उन वाद-विवादों को पहले ही पढ़ लिया होगा जो संविधान सभा में इस समय के अनुच्छेद 270 से 281 के बारे में हुए थे—कि वह यह देखें कि केन्द और राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण अथवा बंटवारे के मामले में सुप्रसिद्ध व्यक्तियों से गठित प्रारूप समिति के क्या विचार थे।

जब संविधान तैयार किये जाने की प्रक्रिया में था तब संविधान सभा के समक्ष एक विशेष

प्रस्ताव यह आया था कि निर्णय के लिए इस मामले को राष्ट्रपति के स्वविवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, इसका यह अर्थ हुआ कि कार्यपालिका को निर्णय करना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव यह था कि इसको कानून के द्वारा निर्णय करने के लिए संसद पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

इन दो प्रस्तावों में से एक को कार्यपालिका पर छोड़ दिया जाना था तथा दूसरे को विधानमण्डल पर छोड़ दिया जाना था। प्रारूप समिति का एकदम भिन्न प्रस्ताव था, उन्होंने कहा "हम इसमें से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते" तथा उन्होंने कहा "कि हम चाहते हैं कि संसाधनों के वितरण के सिद्धांत पर निर्णय लेने के लिए संवैधानिक दर्जे वाला एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए।" यदि हम डा० अम्बेडकर के भाषण को देखें, जब ये अनुच्छेद विचाराधीन थे या जब संविधान सभा में तदनुरूपी अनुच्छेद विचाराधीन थे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा था कि यदि राष्ट्रपति, क्योंकि उसे केवल प्रतिशतता निर्धारित करनी होती है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारशों को ध्यान में रखें, जो उचित है, तो इससे उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है, और वित्त आयोग राष्ट्रपति और प्रान्तों जो अधिक राजस्व के लिए शोर मचाते हैं, के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा।

डा० अम्बेडकर द्वारा दिये गये सुझाव का उद्देश्य यही था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब तक आयोग की स्थापना नहीं की जाती तब तक राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका प्रतिशतता के बारे में निर्णय करेगी लेकिन आयोग की स्थापना के पश्चात् सरकार आयोग की सिफारिशों पर उचित रूप से विचार-विमर्श करने के बाद कार्य कर सकती है।

महोदय, 10 अगस्त 1949 को, आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी वर्तमान अनुच्छेद 281 पर वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा था :

> "संविधान में इस प्रकार के निकाय की स्थापना की जो बात कही गई है उसके पीछे राज्यों को यह आश्वासन देना था कि अनुदानों के वितरण के प्रयोजन के लिए एक निष्पक्ष तंत्र की स्थापना की जाएगी"

संविधान के निर्माताओं द्वारा इस देश के लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि अनुदान के वितरण के लिए एक निष्पक्ष तंत्र की स्थापना की जा रही है, उन्होंने आगे बताया :—

> "संसद को इसका उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहिए तथा इसे किसी स्वतन्त्र निकाय जैसे वित्त आयोग को सौंप दिया जाना चाहिए और यह देश के भविष्य के हित में होगा।"

उनका कहना है कि संसद को भी इसका दायित्व नहीं लेना चाहिए और जो यह मांग उठाई गई थी कि या तो संसद अथवा कार्यपालिका को इस जिम्मेदारी को वहन करना चाहिए, उसका यह

उत्तर उन्होंने प्रारूप समिति की ओर से दिया था। किसको यह अधिकार होगा ? क्या कार्यपालिका को अधिकार होगा ? उन्होंने कहा, नहीं, इसके लिए एक निष्पक्ष प्राधिकारी होना चाहिए। एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए। और उन्होंने राज्यों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं तथा मागों पर इस महत्त्वपूर्ण निकाय के द्वारा उचित रूप से विचार किया जाएगा। कार्यपालिका को बीच में मत लाइये। विधानमंडल को भी बीच में मत लाइये जो कि स्वाभाविक रूप में किसी राजनैतिक दल द्वारा नियन्त्रित होते हैं। महोदय, यही वह दर्जा था जो संविधान के निर्माताओं द्वारा वित्त आयोग को दिया गया था।

हमें श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी जी को उनके आज के विषयपरक भाषण पर बधाई देनी चाहिए। उन्होंने यह सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अपने व्यापक अनुभव से बताया है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ क्षेत्रीय असन्तुलन तथा विषमताएँ विद्यमान हैं। कितने ही राज्य हैं। कुछ बहुत अच्छी स्थिति में हैं और कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि राज्यों के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए बहुत कम गुंजाइश की संभावना है। इसीलिए उन्होंने यह कहा है कि हर बार जब भी वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, तो सभी राज्य सरकारें उसे अधिक से अधिक मागें प्रस्तुत करती हैं। ऐसा क्यों होता है ? क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए ? यह इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक राज्य अपनी नीतियों को लागू करने, दशकों से दुख भोग रहे लोगों की स्थितियों को बदलने के लिए संसाधन प्राप्त करने का इच्छुक होता है। हमारे रास्ते भिन्न हो सकते हैं। हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है। लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक सरकार कुछ मामलों में अपनी ओर से ठीक काम करने का भरसक प्रयत्न करेगी। आप मेरे विचारों सेसहमत न हो। मैं आपके विचारों से सहमत न हूं। लेकिन, महोदय, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि प्रत्येक राज्य द्वारा वित्त आयोग को दिये गये ज्ञापनों में उस राज्यों का अधिक से अधिक संसाधन देने के लिए कहा गया है ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसने वित्त आयोग को दिये गये ज्ञापन में कहा हो कि जो कुछ उसको मिल रहा है उससे वह खुश है। अत: ऐसा मत सोचिये कि किसी विशेष सरकार या विशेष राज्य ने ऐसा करके गलत काम किया है।

अत: महोदय हम महसूस करते हैं कि इस प्रकार संसाधनों की असमानताओं, असन्तुलनों तथा अपर्याप्तताओं के परिणामस्वरूप हमारा सम्पूर्ण देश कमजोर हुआ है तथा कठिनाइयां स्थायी बन गई हैं। यहां पिछड़ापन बना हुआ है तथा इसके लिए ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनैतिक कारण है जो सबको मालूम हैं। मैं इसके अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। इस पृष्ठ भूमि में वित्त आयोग को अपनी भूमिका निभानी है और सरकार को इस मामले में अपनी गौण भूमिका निभानी है।

विभाज्य पूल या केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के वितरण का मामला कोई उदारता या दान का मामला नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है। संविधान में कहा गया है कि केन्द्र राज्यों में संसाधनों का समान वितरण करे। यह केन्द्र सरकार के लिए कर्तव्य निर्धारित करता है तथा साथ ही साथ संविधान में केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली मनमानी कार्यवाही को रोकने लिए अन्तर्निहित संरक्षण की व्यवस्था है। संविधान ने कार्यपालिका के अनियंत्रित विवेक पर इस मामले को नहीं छोड़ा है। और न ही उसने संसद पर यह छोड़ा है कि वह संसाधनों के वितरण के लिए तरीका निर्धारित करे। संविधान में इस बात का प्रावधान है कि या तो जब कार्यपालिका द्वारा कार्यवाही की जाए या संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा। यह मेरी भाषा नहीं अपितु संविधान की भाषा है। संविधान में यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह धन के वितरण के प्रस्तावों को सही ढंग से क्रियान्वित करे और यह कर्तव्य है जो विश्वास के रूप में है। इस पर उचित विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने यह व्याख्या की है कि यह केन्द्र सरकार के पूर्ण अनियंत्रित अधिकार पर नहीं छोड़ा जायेगा। मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सांवैधानिक मान्यता या औचित्य का प्रश्न उठाया गया है और मैं इसे उठा रहा हूं। "विचार करने" का अर्थ यह नहीं है कि "मनमाने रूप में कार्य किया जाये" या सबके अनुसार कार्य किया जाये। यह ऐसा नहीं है कि आप अपना मुंह खोलें और कहें कि "मैं यह निर्णय लेता हूं।" उच्चतम न्यायालय का कहना है कि विचार-विमर्श का अर्थ निश्चय से भी कहीं अधिक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विचार करने का अर्थ यह है—विषयपरक सामग्री पर आधारित सम्पूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सक्रिय तथा वास्तविक रूप से विचार करना।

संविधान वित्त आयोग की सिफारिशों पर अपनी मर्जी से या राजनैतिक या टकराव वाली नीति के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं देता है। यदि इस प्रकार की शक्ति केन्द्र सरकार को दे दी जाये तब संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 तक किये गये सम्पूर्ण उपबन्ध केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। वे संविधान में निष्प्रभावी हो जाऐंगे। तथा और अधिक मनमानी और निरंकुश कार्यवाही का साधन बनेंगे और हमारी जानकारी के अनुसार इसंविधान सकी अनुमति नहीं देता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि संवैधानिक उपबन्धों का अतिक्रमण किया जा रहा है।

हमारे अनुसार संविधान का यह अर्थ नहीं कि आप हाथ में चाबुक लेकर फरमान जारी करें और उनमें कुछ राज्यों को सबक सिखायें जिन्हें आप पसन्द नहीं करते हैं। इस सभा में बहुमत दल का यह काम नहीं है कि वह ऐसा करने के लिए संविधान के उपबन्धों को कार्यरूप देने के नाम पर कुछ कानून बनाएं। यह बड़े भाई का परपीड़कवादी रवैया नहीं होना चाहिए। वित्त आयोग जैसे निकाय की सिफारिशों में परिवर्तन करने अथवा जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है, उन्हें निष्प्रभावी

करने से पूर्व संगत, इमानदारी से, उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। हम काफी प्रयास तथा समझाने के पश्चात् बड़े दुःख के साथ ऐसा कह रहे है। हम ऐसा इसीलिए नहीं कह रहे हैं कि इस वित्त आयोग का चयन हमारे द्वारा किया गया है बल्कि कुछ सिफारिशें की गई हैं तथा उन सिफारिशों पर विचार करने के नाम पर कार्यपालिका द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है जिससे वित्त आयोग के प्रस्ताव पूरे एक वर्ष के लिए निष्प्रभावी हो जाते हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि राज्यों की स्थिति पर संकीर्ण पक्षपात या राजनैतिक दृष्टि से विचार न किया जाये। केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह विकास तथा प्रगति की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को अपना साथी बनाए। असाधारण तरीके का सहारा लेकर समूचे देश का राजनैतिक नेतृत्व करने के लिए राज्य सरकारों का उपयोग पहिए के दांतें के रूप में न किया जाये। ऐसा इस देश में आयोग की पांच वर्ष की अवधि को चार वर्ष की अवधि में सीमित करने के लिए प्रथम बार किया गया है। आप एक ही बार में आयोग की सिफारिशों का मजाक उड़ा रहे हैं जिसमें विशेषरूप से यह कहा गया है कि सिफारिशों को 1 अप्रैल 1984 से लागू किया जाये।

मुझे विश्वास है कि वित्त आयोग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को नकार कर केन्द्रीय सरकार और वित्त मंत्री केवल राज्य सरकार को ही राजस्व से वंचित नहीं कर रहे हैं। आप राज्य की जनता को वित्त आयोग द्वारा दी गई राजस्व की सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं। इसीलिए आपका निशाना राज्य सरकारें नहीं हैं। आपका शिकार तो जनता बन रही है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के सामने जो भी अड़चनें हों, राज्य सरकारों की अड़चनें भी कम नहीं हैं। आप जिस तरह से सोचते हैं, उस तरह से आप केवल अपनी कठिनाइयों को प्रमुखता नहीं दे सकते। केन्द्रीय सरकार ने सत्ताधारी दल के एक प्रमुख सदस्य श्री केदारनाथ आठवें वित्त आयोग का गठन किया था। हमें उस प्रख्यात व्यक्ति के बारे कुछ नहीं कहना है। हम श्री चव्हाण का आदर करते हैं। किन्तु मेरा मुद्दा यह है कि सरकार के अपने मनोनीत व्यक्ति —हो सकता है उन्हें वैध आधारों पर चुना गया हो आयोग में थे, संविधान ने निर्धारित किया हुआ है कि प्रत्येक पांच वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और यह आयोग स्रोतों के वितरण के लिए अनुपात निर्धारित करेगा। कृपया 'पांच वर्ष की अवधि के लिए' और सरकार सिफारिशों से मार्ग-निर्देशित होगी, को नोट करें।

मैंने पिछले आयोगों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है, यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मंत्री महोदय इसे ठीक करें।

किन्तु इस देश के इतिहास में पहले कभी आयोग की सिफारिशों पर कभी भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था, हालांकि आयोग ने 'पांच वर्ष' का उल्लेख किया है फिर भी सरकार कहती है 'चार वर्ष'।

**श्री राम सिंह यादव** (अलवर) : क्या पिछले किसी आयोग ने इतनी देर से रिपोर्ट पेश की थी ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह जिन्दगी और मौत का मामला है। हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं।

इस देश के इतिहास में इससे पहले वित्त आयोग जैसे किसी आयोग के प्रति कभी भी इतनी लापरवाही नहीं बरती गई, इसे इतना तुच्छ और घृणा की नजर से नहीं देखा गया जितना वर्तमान मामले में देखा गया है।

सिफारिशें चार वर्षों तक के लिए सीमित कर दी गई हैं, हम इस कार्यवाही का विरोध ही नहीं कर सकते हैं जो कि संविधान की भावना और सरकार के व्यवहार के मापदण्डों के विरुद्ध है। यह गैर-जिम्मेदाराना कार्य है और यह संकीर्ण राजनैतिक विचारों से प्रेरित है। मुझे अफसोस है कि मुझे यह आरोप लगाना पड़ रहा है।

कुछ तारीखें महत्त्वपूर्ण है। राष्ट्रपति महोदय ने आठवें वित्त आयोग का 20 जून, 1982 को गठन किया था और उसे पूर्वोक्त मामलों में से प्रत्येक के बारे में 31 अक्तूबर, 1983 तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था, मैं संदर्भ-आदेश से उद्धृत कर रहा हूं और एक अप्रैल, 1984 से शुरू होने वाले वर्ष से पांच वर्ष तक की अवधि को इसमें शामिल किया गया था।

विचारार्श विषय यह था :

> 'आयोग के समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कारण बताए हैं। राष्ट्रपति ने 29 अक्तूबर को अन्तिम रूप में रिपोर्ट तैयार करने के लिए 29 फरवरी, 1984 तक का समय प्रदान किया और 15 नवम्बर, 1983 तक अन्तरिम रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। ये तारीखें महत्त्वपूर्ण हैं। यह सब जानते हैं कि यदि अन्तिम रिपोर्ट 29 फरवरी, तक प्रस्तुत कर दी जाती है तो उस समय तक बजट पेश कर दिया जायेगा। आयोग से अपनी रिपोर्ट चार वर्षों तक सीमित रखने के लिए नहीं कहा गया था। उनसे 1 अप्रैल, 1984 से प्रभावी पांच वर्षों के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था।'

अब तक बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। किन्तु वित्त आयोग ने समय सम्बन्धी अपने अनुरोध के बारे में जो कहा है, आइये उसे देखें; मैं वित्त आयोग की रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं। इसके पृष्ठ 3 पैरा 1.6 में बताया गया है :

> "फरवरी 1984 के शुरू में हमारे काम की प्रगति की पुनरीक्षा की गई थी और यह महसूस किया गया था कि हमारे नियन्त्रण के बाहर की परिस्थितियों के कारण हुए विलम्ब

के परिणामस्वरूप हमारे लिए 29 फरवरी, 1984 तक अपनी रिपोर्ट पूरी कर पाना सम्भव नहीं होगा। परिणामस्वरूप हम 30 अप्रैल, 1984 तक समय बढ़ाए जाने का अनुरोध करने के लिए मजबूर हो गए थे। राष्ट्रपति ने दिनांक 29 फरवरी, 1984 के आदेश में इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।"

स्पष्टत: यह मालूम ही था कि बजट सम्बन्धी प्रक्रियाएं समाप्त होने के बाद ही पूरी हो पाएगी। दिनांक 30 अप्रैल, 1984 तक ही समय बढ़ाया गया था। फिर भी आयोग को अपने निष्कर्षों को चार वर्षों तक सीमित रखने के लिए नहीं कहा गया था। समय बढ़ाए जाने की मांग के क्या कारण थे ? कृपया पैरा 1.8 देखिये :

"आयोग बहुत धीमी-गति से काम की शुरूआत कर पाया क्योंकि इस आयोग के गठन से पहले विशेष ड्यूटी पर कोई अधिकारी तैनात नहीं किया गया था जबकि पिछले आयोग के गठन के समय ऐसा किया गया था....."

किसी तरह की सुविधाएं नहीं दी गई थीं।

आयोग के गठन से पहले उसके लिए स्थान की व्यवस्था नहीं की गई थी और उसके गठन की बात भी काफी लम्बे समय तक पदों के नियतन की मंजूरी की प्रक्रिया तथा इन पदों के भरने के लिए उपयुक्त कार्मिकों की भरती की प्रक्रिया जारी रही....." केन्द्रीय सरकार की असफलता के कारण आज विभिन्न राज्यों की जनता परिणाम भुगत रही है। अब मैं पढ़ता हूं :

"आयोग ने विज्ञान भवन एनैक्सी कुछ कमरों में काम करना शुरू किया किन्तु उन्हें भी किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की ज़रूरत के कारण जल्दी ही खाली कर देना पड़ा।

आप एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयोग के प्रति ऐसा रुख अपनाते हैं।

"तत्पश्चात आयोग को लगभग दो कि०मी० दूरी पर स्थित दो भवनों में स्थान आवंटित किया गया और जिसमें वे सितम्बर, 1982 में ही जा पाए थे। कार्यालय के उपकरणों की खरीदारी, पदों की रचना, उपयुक्त व्यक्तियों के चयन में समय लगा और 1982 के अन्त में जाकर ही आयोग के कार्यालय ने समुचित रूप में काम करना शुरू किया।"

इसका अर्थ यह है कि छ: माह की अवधि तक वे कोई काम नहीं कर सके, अपना काम करने के लिए उनके पास कोई जगह ही नहीं थी।

"हमने इन समस्याओं पर विचार किया है ताकि आयोग के गठन के बाद समय की बचत के लिए अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके।"

अब मैं पैरा 1.12 पढ़ता हूं :

"कुछ राज्यों के समान केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमान भी देर से प्राप्त हुए। चेयरमैन ने 20 जुलाई 1982 को केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि भारत सरकार की पावतियों और खर्चों का पूर्वानुमान भेजें तथा आयोग के विचारार्थ नियमों के बारे में भी अपने विचार भेजें। केन्द्र द्वारा भेजा गया पूर्वानुमान हमें 18 अगस्त, 1983 को प्राप्त हुआ। केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमान की जांच में काफी समय लगता है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर सविस्तार चर्चा आवश्यक होती है। उसके बाद जो थोड़ा समय बचा था उसमें आयोग को 31 अक्तूबर, 1983 को रिपोर्ट पेश करनी थी, इतने थोड़े समय में केन्द्र के पूर्वानुमान की समुचित जांच असम्भव थी और परिणामस्वरूप आयोग के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था।"

अब आयोग को ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है कृपया सरकार द्वारा मांगे गए अंतरिम रिपोर्ट के पृष्ठ 161 के अन्तिम पैरा को भी देखें। आयोग से एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

पृष्ठ 161, अन्तिम पैरा :

पहली अप्रैल, 1984 से शुरू वित्तीय वर्ष के लिए अन्तरिम सिफारिशें देने के पश्चात्, हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि ये सिफारिशें अनन्तिम हैं और अन्तरिम किस्म की हैं और हमारी अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर इनमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा।"

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अन्तिम रिपोर्ट के बाद यह अन्तिम रिपोर्ट निष्प्रभावी हो जायेगी।

"अतः इस रिपोर्ट में की गई अन्तरिम सिफारिशों से यह आशय नहीं लिया जाना चाहिए कि ये हमारे अन्तिम विचार या सिफारिशें हैं अथवा इनसे हम संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत करों और शुल्कों अथवा सहायता अनुदान के अन्तरण के सिद्धांत अथवाइस विषय में हमें भेजे गए किसी अन्य मामले में किसी प्रकार से बाध्य हैं।"

अतः उन्होंने सहमत होकर कहा है कि यह अनन्तिम रिपोर्ट है न कि हमारे अन्तिम विचार। आपने अन्तरिम रिपोर्ट की इच्छा व्यक्त की थी और हम अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।"

महोदय, कृपया पृष्ठ 161 पर तालिका देखिये। वर्ष के लिए सहायता अनुदान के रूप में 494.83 करोड़ रुपये वितरित करने की सिफारिश की गई थी। यह व्यवस्था अनन्तिम आबंटन

द्वारा की गई थी। अन्तिम रिपोर्ट तैयार करते समय—यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है जैसा कि श्री रेड्डी ने भी उल्लेख किया है—एक सदस्य, श्री शिराली ने विमत टिप्पण दे दिया। उन्होंने कहा कि 1984-85 के लिए सातवें वित्त आयोग और अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिये तथा आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उनका यह मत था। अधिसंख्य सदस्यों ने इस विचार को स्पष्टत: नामंजूर कर दिया था। इसलिए, वित्त आयोग, जैसा कि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी जी से स्पष्टत: हमें बताया है, अध्यक्ष, श्री चव्हाण, न्यायिक सदस्य, योजना आयोग के सदस्य, डा० हनुमन्त राव और वित्त मंत्रालय के सचिव सभी सहमत थे। केवल भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक कार्यालय का सदस्य इससे सहमत नहीं था। सभी ने विमत टिप्पण को अस्वीकार कर दिया है और विशेषतौर पर यह व्यवस्था की गई है—यदि आप कृपा करके पृष्ठ 125 देखें। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सिफारिशों का सार यह है :

> "राष्ट्रपति के लिए हमारी सिफारिशें निम्नलिखित हैं। यदि अन्यथा कोई बात न कही हो, ये सभी सिफारिशें 1984-85 से 1988-89 तक प्रत्येक वित्त वर्ष के बारे में है।"

अत: ये 1984-85 से पांच वर्षों के लिए विशेष सिफारिशें हैं। अधिसंख्य सदस्यों ने इस मुद्दे पर विशेष तौर पर विचार कर अल्पसंख्य सदस्यों के मत को अस्वीकार कर स्पष्टत: कहा है कि "हमारी सभी सिफारिशें 1984-85 से लागू होनी चाहिए।"

इससे एक और बात सिद्ध होती है—वित्त आयोग यह कार्य उस समय कर रहा था जबकि उन्हें केन्द्र सरकार के लेखाओं, परियोजनाओं तथा अन्य बातों की पूर्ण जानकारी थी। केन्द्र सरकार की लेखा संबंधी स्थिति, बजट नियतन, योजना सम्बन्धी नियतन तथा वार्षिक लेखा प्रावधान और बजट प्रावधान, योजना सम्बन्धी वचनबद्धता पर विचार करने के बाद उन्होंने 1984-85 से विशेषतौर से ये सिफारिशें की हैं। ऐसा केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर ही किया गया था। इस पर गम्भीरता से विचार किया गया क्योंकि आयोग के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, वित्त आयोग की इस स्पष्ट मंशा के बावजूद कि यह सिफारिश पहली अप्रैल, 1984 से लागू की जानी चाहिए, राष्ट्रपति के नाम पर कार्य करने वाली भारत सरकार ने 1985-86 से चार वर्षों के लिए ही इसे सीमित रखने का यह अद्वितीय निर्णय किया है। इसे संवैधानिक निकाय-वित्त आयोग की सुविचारित सिफारिशें केवल कागजों में ही बन्द रह गई हैं और ये अभिलेखागार में मात्र महत्वपूर्ण इच्छाओं के रूप में ही रह जायेंगी। मैं यह कहूंगा कि यह निर्णय न केवल अद्वितीय है बल्कि सन्दिग्ध भी है।

महोदय, विगत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से हमने केन्द्र सरकार की अनेक गलतियां देखी हैं। हमने आपतकाल देखा है। हमने कुछ व्यक्तियों के हाथ में अधिकाधिक शक्तियां केन्द्रित

किये जाने के लिए संविधान से खिलवाड़ होते देखा है। लेकिन मेरे विचार में हमारे देश के इतिहास राजनतिक लूट का ऐसा भौंडा प्रदर्शन नहीं देखा। विगत में कभी ऐसा नहीं हुआ और अब यह प्रशासनिक सुविधा का तर्क देकर किया जा रहा है। आप वित्त आयोग जैसे निकाय की सिफारिशों का मजाक उडाते हैं और कहते हैं : मैं क्या कर सकता हूं ? राज्य कठिनाई में है। केन्द्र भी कठिनाई में है। (**व्यवधान**)

महोदय, यह कदम न केवल अद्वितीय है बल्कि यह सन्दिग्ध भी है और राजनैतिक मान्यता के आधार पर किया गया है। मैं आपसे इसका ध्यान रखने का अनुरोध करता हूं। केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ? महोदय, क्या आपके समक्ष व्याख्यात्मक ज्ञापन रखा है। उस ज्ञापन का पैरा 2 यह है :

> "जैसा कि विचारार्थ विषय से वांछित है, आयुक्त की सिफारिशें पहली अप्रैल, 1987 से शुरू होकर पांच वर्ष की अवधि तक लागू होंगी·····

उस पैरा के अन्तिम वाक्य में कहा गया है।

> "आयोग की रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1984 को राष्ट्रपति को भेजी गई थी। उस समय तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के 1984-85 के बजट और वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान किया जा चुका था।"

अतः आपने जानबूझ कर समय बढ़ाया था। पैरा 4 में तथाकथित कारण दिया गया है जो इस प्रकार है :

> "चूंकि चालू वर्ष के लगभग 4 महीने व्यतीत हो चुके हैं और वर्ष का बजट एवं वार्षिक योजनाएं लागू की जा रही हैं, इसलिए यदि अब चालू वर्ष के शेष भाग के बजट और योजनाओं में परिवर्तन किया जायेगा तो इससे अर्थव्यवस्था में अनावश्यक व्यवधान आ जायेगा।"

श्री मुखर्जी साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपना दिल टटोलें, यदि कहीं और आपने उसे नहीं रख दिया है तो। भावी पीढ़ी आपकी दलील की विशालता से आपके बारे में अनुमान लगा लेगी। इसमें यह भी कहा गया है :

> "इन बातों को ध्यान में रखते हुये, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अन्तरिम रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट वित्त आयोग की सिफारिशों को बरकरार रखने का निर्णय किया है।"

महोदय, यह दलील न केवल बेबुनियाद है बल्कि यह यथार्थपरक एवं समर्थनीय भी नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा, वित्त आयोग ने यह स्पष्ट कहा है कि ये सिफारिशें पहली अप्रैल, 1984-85 से लागू हैं। परन्तु केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बजट एवं वार्षिक योजनाओं की स्थिति जानकर और यह जानकर कि उनकी अन्तरिम रिपोर्ट केवल अनन्तिम थी और इन बजटों तथा वार्षिक योजनाओं के अध्ययन के बाद उन्होंने प्रस्ताव दिया और यह आशा व्यक्त की कि इसे पहली अप्रैल, 1984-85 से लागू किया जाये। अब यह दलील दी गई है कि अर्थ-व्यवस्था में व्यवधान आ जायेगा। मैं यह सिद्ध करूँगा कि यह दलील बेबुनियाद है। लेकिन इस दलील पर उन्होंने क्या किया

है ? उन्होंने सिफारिश के उस भाग को नामजूंर करदिया है जो एक पूरे वर्ष पर लागू होता है, किसी विषय विशेष अथवा नियतन विशेष पर नहीं। मैं यह कहूँगा इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने आयोग की सिफारिश का निरादर किया है और अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। उनका कहना है कि उन्होंने दिमाग लगाया है। लेकिन केन्द्र सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था में अनावश्यक व्यवधान पर विचार क्यों नहीं करती ? जैसे कि वित्त आयोग के सभी व्यक्ति दिमाग का इस्तेमाल किये बिना कार्य कर रहे थे और जैसे वे भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त करना चाहते थे और केन्द्र सरकार अब उसे सुधारने का प्रयास कर रही है। मेरा निवेदन है कि ऐसा दृष्टिकोण किन्ही प्रयोजन से अपनाया गया है और मैं उस प्रयोजन को भी सिद्ध करना चाहता हूँ। मैं यह कहूँगा कि उनका लक्ष्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ राज्यों को उनके न्याय-संगत हिस्से से वंचित करना है। हमारी मांग यह नहीं है। कृपया इस बात को नोट करें। हम माननीय सदस्यों से यह आग्रह करना चाहते हैं कि हम आपके द्वारा नियुक्त वित्त आयोग की सिफारिश से एक भी पेसा अधिक नहीं चाहते हैं। में अधिक के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरी और माँगे हो सकती हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि : कृपया वित्त आयोग की सिफारिश को लागू कीजिये। यदि मैं यह कहूँ कि राजनैतिक अनैतिक निर्णय तथा हेराफेरी से चलाया गया 'हडप करो अभियान' है। (व्यवधान)

श्री रंगा जी, आप जानते हैं कि पूरक बजट इस देश में कोई नई बात नहीं है। पिछले ही बिनों आपने अनुदानों की अनुपूरक माँगें पेश की थीं। इस देश में नए कराधान प्रस्तावों से कोई अनभिज्ञ नहीं है। आपने नियंत्रित मूल्य प्रणाली तैयार की है जिससे मूल्य बढ़े हैं। आज पहली बार आप कराधान और धनराशि के नियतन के बारे में इतने चिंतित हुये हैं। आपकी दलील यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायेगी। वित्त आयोग के सदस्य अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त करना चाहते थे इसलिए आपने इन सिफारिशों का कार्यान्वियन रोक दिया है। महोदय, यह पहला अवसर नहीं है जबकि वित्त आयोग ने अन्तरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट दी है। पहली बार, दूसरे वित्त आयोग ने, जिसके अध्यक्ष श्री सन्थानम थे, नवम्बर, 1958 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दी थी। इस अवसर पर श्री सन्थानम ने कहा था "अभी हमने उपलब्ध सामग्री का प्रारम्भिक अध्ययन किया है। कई राज्यों, विशेषतौर पर, पुनर्गठित राज्यों ने अभी अपेक्षित ज्ञापन तथा सांख्यिकीय आँकड़े नहीं भेजे हैं। हमने केवल असम, परिचय बंगाल और उड़ीसा राज्यों से विचार-विमर्श किया है। सभी ज्ञापन एवं विवरण प्राप्त होने के बाद ही हम सिफारिशों को अंतिम रूप दे पायेंगे। चूंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करने के लिए यह सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पायेगी इसलिए बजट के आधार पर अन्तरिक सिफारिशें तैयार करना वांछनीय समझा जाता है ताकि अनन्तिम भुगतान किया जा सके।" और दूसरे पैरा में—"हम भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन करते हैं और हमारी अंतिम रिपोर्ट को पहली अप्रैल, 1957 से लागू किया जाना चाहिये।" अगले वर्ष से नहीं। "और इस रिपोर्ट अर्थात अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर किए गए भुगतानों को अंतिम भुगतान में पुनः समायोजित किया जाना चाहिये। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अन्तरिम सिफारिशों को आयोग के दृष्टिकोण का परिचायक नहीं समझा

जाना चाहिए। दूसरे वित्त आयोग ने अपने अंतरिम प्रतिवेदन में कहा कि··· "हम केन्द्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का पुनः अनुमान लगाने आदि···का काम कर रहे हैं" अब इस अंतरिम प्रतिवेदन की अस्थायी सिफारिशें तीन राज्यों का दौरा करने के बाद की थी । इन्हें स्वीकार कर लिया गया था। अंतिम प्रतिवेदन में कुछ परिवर्तन किए गए थे। उन्हें भी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और अंतिम प्रतिवेदन सितम्बर 1957 में प्रस्तुत किया गया था। प्रथम प्रतिवेदन नवम्बर, 1956 में दूसरा सितम्बर 1957 में और अंतिम प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 1957, जो कि पंचवर्षीय योजना के शुरू होने का वर्ष था, मे लागू किया गया था। तब अर्थव्यवस्था के भंग होने जैसा कोई कारण नहीं माना गया था। और तब वे दिन थे जब देश की अर्थव्यवस्था को अन्य कई कठिनाईयों का भी सामना करना था। लेकिन, महोदय उनका कार्यान्वयन हुआ था।

जहां तक पांचवें वित्त आयोग का संबंध है, जो कि श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में था, अंतरिम प्रतिवेदन 31 अक्तूबर, 1968 को दिया गया था। मेरे पास उसकी एक प्रति है। उसमें यह कहा गया था कि सिफारिशें अंतरिम आधार पर अस्थायी थी और अंतिम सिफारिशों के आधार पर उनका समायोजन करना था। सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया था। अंतिम प्रतिवेदन 31 जुलाई, 1969 को दिया गया था और अप्रैल 1969 से क्रियान्वित किया था। यह किस प्रकार हुआ ? इन सभी मामलों में अंतरिम प्रतिवेदन अस्थायी होते हैं और आठवें वित्त आयोग के मामले में भी यह अस्थायी है। वह काम शुरू नहीं कर सके। आपने उन्हें कोई आफिस नहीं दिया है। आपने उन्हें कर्मचारी नहीं दिए। वित्तीय अनुमान नहीं दिए। वह काम नहीं कर सके। और ये आपकी गलती के कारण हुआ और अब आप 'भारत की अर्थव्यवस्था भंग होने' का कारण देते हैं। महोदय, स्थिति क्या है ?

यदि आप अनुमति दें तो मैं उस मामले पर यथासम्भव शीघ्र अपने विचार रखूंगा क्योंकि यह मामला न केवल मेरे अपितु अन्य राज्यों के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। प्रो० मधु दंडवते ने उनमें से कुछ के बारे में बताया है और मैं उनकी बात नहीं करूंगा। जहां तक आय कर तथा उत्पाद शुल्क आदि के आबंटन का संबंध है, वह बहुत कम हैं। इसका विभिन्न राज्यों पर प्रभाव भी बहुत कम है। इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। परन्तु पांच प्रतिशत उत्पाद शुल्क के आबंटन के बारे में श्री ब्रह्मानद रेड्डी ने कहा है कि इसे पहली अप्रैल 1984 से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। घाटे वाले राज्यों को इस पांच प्रतिशत उत्पाद शुल्क के आबंटन में से पश्चिम बंगाल को इस वर्ष 90 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। प्रावधान यह किया गया है इस वर्ष का 19 प्रतिशत आबंटन अगले वर्ष कम होकर 16% उससे अगले वर्ष 11 तथा उससे अगले वर्ष 7 प्रतिशत और 1988-89 में 0.5% हो जाएगा। अतः जबकि इस से पहले वर्ष अर्थात 1934-85 के लिए क्रियान्वित नहीं किया जा रहा, हमें सीधे-सीधे लगभग 90 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है।

जहां तक सहायता अनुदान का प्रश्न है, पृष्ठ 126 पर आंकड़े दिए गए हैं। इस वर्ष में जबकि 644 करोड़ रुपये दिए जाने थे, हमें 142 करोड़ रुपये मिलेंगे; और अंतरिम प्रतिवेदन के

अनुसार हमें जो वास्तव में मिला है वह लगभग 7 करोड़ रुपये है। जहां तक इस वर्ष की बात है मैंने अपने घाटे के बारे बता दिया है।

जहां तक पश्चिम बंगाल की श्रेणी बढ़ाने (अपग्रेडेशन) तथा विशेष समस्याओं का संबंध है हमारा घाटा 21 करोड़ रुपये है—केवल इसीलिए क्योंकि वह 1984-85 के लिए इसे क्रियान्वित नहींकर रहे। इस वर्ष रेलयात्री भाड़े में हमें 6 करोड़, राहत व्यय आदि में 1190 करोड़ और ऋण-राहत तथा पुन: अनुसूची बनाने में 24 करोड़ का घाटा हो रहा है। हमने इसकी गणना की है और स्थिति यह है कि 1984-85 के लिए सिफारिशों का कार्यान्वयन न किए जाने के कारण हमारा घाटा 300 करोड़ रुपये हो गया है क्योंकि श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने अपने विशाल अनुभव और देश के समेकित विकास को ध्यान में रखते हुए कहा है कि इसका कार्यान्वयन पहली अप्रैल 1984 से होना चाहिए। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। यह सिफारिश आपके वित्त आयोग ने की है; और आप इसे मान नहीं रहे, 300 करोड़ रुपये की राशि एक वर्ष में कम और वह भी इस आधार पर क्योंकि आपकी प्रशासकीय समस्यायें ऐसी है कि आप समायोजन नहीं कर सकते। सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि जहां अंतर्राज्यीय पारस्परिक प्रबंधों का प्रश्न है, गड़बड़ी यदि कोई हो तो आयकर और उत्पाद शुल्क में हो सकती है। लेकिन वह बहुत कम होती है। इस देश में राज्यों के लिए 36000 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से एक मोटे अनुमान के आधार पर भी ऐसी गड़बड़ी 200 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन रोका इसलिए जा रहा है कि यह केन्द्र के खजाने से राज्यों के खजाने में न जाए।

सहायता अनुदान के बारे में सरकारों का परस्पर कोई संबंध नहीं है। वह एक राज्य से दूसरे राज्य को नहीं जाता। केन्द्र से जाता है। इस वक्त न तो मेरे पास समय है और न ही यह आवश्यक है। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था ठीक तरह से नहीं चलाई गई है। आपको डा० अशोक मित्रा से एलर्जी हो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है आपको उनके विचार, टिप्पणियां या उनका अखबारों में लिखना पसंद ना हो। लेकिन वित्त आयोग पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया है।

यदि वित्त मंत्री यह कहते कि हमने गुणावगुणों को ध्यान में रखते 1984-85 के लिए की गई सिफारिशों को नामंजूर कर दिया है तो मैं समझ सकता था। यह नहीं कहा जा रहा कि उनके विचार में पश्चिम बंगाल को विशेष आबंटन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा। वह यह कहते हैं कि 1984-85 की सिफारिशें अच्छी हैं परंतु प्रशासकीय कारणों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के तथाकथित रूप से भंग होने के कारण वह राशि नहीं दे रहे। अत: मैं कहूंगा कि यह सबसे बड़ा अन्याय है जो इस देश में किसी राज्य के साथ हो रहा है। त्रिपुरा को 30 करोड़ का घाटा हो रहा है। उड़ीसा को भी घाटा हो रहा है। बहुत से ऐसे मामले और अखबारों की खबरें हैं जिनकी पुष्टि करने के बाद उनसे इन्कार कर दिया जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि श्री मुखर्जी इस मामले

में ऐसा करेंगे। 22 अगस्त, 1983 को स्टेट्समैन में एक खबर छपी थी जिसमें श्री मुखर्जी का कथन उद्धृत किया गया था। श्री मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री श्री अशोक मित्रा के दावे को स्वीकार किया था कि पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाले साधन लगभग सभी राज्यों में अधिकतम रहे। मैंने इस बात के लिए उनकी प्रशंसा की है। लेकिन वह कहते हैं कि हमारे द्वारा साधन दिए जाने के बाद।

**(व्यवधान)**

**श्री प्रणब मुखर्जी :** इसके बाद वह बता नहीं रहे हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** यदि वह नर्मी से काम लें तो मैं अगली बात कहूं। संसाधन जुटाना एक अच्छी बात है। तब आप कहते हैं कि जो वृद्धि हुई वह कहां गई। यदि आप मुझे समय दें तो मैं पढ़ता हूं। यह किस प्रकार हो सकता है कि कुछ वर्षों के दौरान साधनों में वृद्धि होने के बावजूद राज्य योजना व्यय वांछित स्तर तक नहीं पहुंचा है ? यह उनका विचार है।

**श्री प्रणब मुखर्जी :** एक भाग मेरे विचार हैं तथा दूसरा भाग प्रमाण पत्र है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने साधनों की गतिशीलता की कठिनाई के बारे में कहा और आपने कहा कि यह व्यक्ति क्या करता है मुझे नहीं मालूम मैं यह जानने के लिए उनसे बात करना चाहता हूं कि वह क्या करते हैं। लेकिन आपके वित्त मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी, जिनकी आप प्रशंसा करते रहते थे, मुझे नहीं मालूम आप उनकी किसलिए प्रशंसा करते थे।

**श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी :** जब आपको धन की आवश्यकता होती है आप उनकी प्रशंसा करते हैं। मुझे यह मालूम है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** मैं दोनों बातें कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि वह इस बात पर असहमत नहीं हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने विभिन्न स्रोतों से लगभग सभी राज्यों से अधिक धनराशि एकत्रित की है। मैंने इस बात के लिए उनकी प्रशंसा की है। उसके बाद आप कहते हैं कि शायद हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं। परंतु हम प्रयास कर रहे हैं और हम संसाधन जुटाने में सफल भी हैं किन्तु विचारों में कुछ भिन्नता है। वे कहते हैं कि नि:शुल्क शिक्षा अपव्यय है, मैं कहता हूं कि यह सही व्यय है। वह कहते हैं कि रोजगार-भत्ता अपव्यय है, मैं कहता हूं कि यह आवश्यक है। मैं इसी तरह और उदाहरण दे सकता हूं।

**2.54 म०प्र०**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

इसका परिणाम यह है कि 450 करोड़ में से, जो कि इस वर्ष वितरित किए जाने थे। 800

करोड़ रुपये की पश्चिम बंगाल सरकार को हानि होगी जो कि किसी भी राज्य के लिए अधिकतम है। क्या ऐसा संयोगवश है ? क्या ऐसा किसी घटना के कारण है ? क्या यह परिस्थितियों के कारण है ? इसीलिए मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि यह देश तथा प्रभावित राज्यों, विशेषकर देश के 11 राज्यों के हित को ध्यान में रखते हुए ,जानबूझकर किया गया राजनैतिक निर्णय है और सब लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है।

हमारे वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है। मुझे नहीं मालूम कि यह वित्त मंत्री तक पहुंचा है अथवा नहीं और इसे पढ़ने के लिए उनकी इच्छा तथा उनके पास समय है या नहीं। आज तक मैंने वित्त मंत्री के किसी प्रवक्ता को ज्ञापन में दिए गए आंकड़ों से असहमति व्यक्त करते नहीं देखा, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को छोड़कर जो कि अब सत्ता से बाहर हैं। मेरे विचार में श्री जानकी बल्लभ पटनायक जो कि सत्ता पक्ष के इतने नजदीक हैं, उन्होंने भी विशेष रूप से 1 अप्रैल, 1984 से कार्यान्वयन के लिए कहा है। आपका क्या अन्तर है ? आपने उन्हें क्या जवाब दिया है ? मैं नहीं जानता।

हमने त्रिपुरा को तथा अन्य राज्यों को होने वाले नुकसान के बारे में बता दिया है। जहां तक हमारे राज्य की बात है, आपको हमारी चिंता का अहसास नहीं है, लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में एक ही बात लाऊंगा और वह यह है·····(**व्यवधान**)

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती**—इतना सब होने के बाद भी हम यह कहते हैं कि आप सम्माननीय हैं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी**—जहां तक वित्त आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है—मैं केवल पश्चिमी बंगाल की ही बात नहीं करना चाहता—क्या आप खुले दिमाग से बात करेंगे ? यदि आप ऐसा करें तो हमारे प्रयास आपके लिए सहायक अथवा उपयोगी हो सकते हैं। यदि आपने संकीर्णता से काम लेना है तो कोई सुझाव देने का फायदा नहीं होगा लेकिन मैं आप से आग्रह करता हूं कि वित्त मंत्री की तरह आप वित्त आयोग जैसे संवैधानिक निकाय के साथ खिलवाड़ न करें। ऐसा करना लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। आप इस परामर्श को गम्भीरता से लें। हम इस भारी काम में आपकी सफलता की कामना करते हैं।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती**—चुनाव के अतिरिक्त।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वह कोई बड़ा काम नहीं है। वह एक असम्भव कार्य है। मैंने कष्टप्रद कार्य का उल्लेख किया है। मैं जानता हूं, श्री चक्रवर्ती हंसी-मजाक कर सकते हैं। मेरा पहलू भिन्न है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को इस वर्ष 538.38 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान करना है और इसमें से 218.71 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान अग्रिमों अथवा

योजना सहायता के माध्यम से किया जाना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया कम-से-कम यह देखें कि इस वर्ष इस बात पर बल नहीं दिया जाये। यदि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार नहीं करते, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप ऐसी सिफारिशें करें जो 1 अप्रैल से लागू हों और मुझे दूसरा अनुरोध यह करना है कि विशेष मध्यम अवधि गैर-योजनागत सहायता, जिसका इस वर्ष भुगतान किया जाना है, और पिछले वर्ष का घाटा 100.83 करोड़ रुपये है, उन्हें इस वर्ष इसका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि आपने अपना निश्चित विचार बना लिया है तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह एक समझौता फार्मूला है ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं ऐसा नहीं कह सकता। यह एक अनुरोध है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय से हमारा अनुरोध है कि वे इस बात को याद रखें कि इस प्रक्रिया में यदि वे हमारी बात नहीं सुनते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा उनका दल यह सोचता है कि इसे पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक आधार नहीं मिल सकता है, इस प्रकार के आर्थिक दबाव के माध्यम से यदि वे यह समझते हैं कि वे वहां कोई आधार बना सकते हैं तो वे गलती पर हैं क्योंकि पश्चिमी बंगाल की जनता स्वतन्त्रता तथा संविधान का गला घोंटने वालों के आगे कभी नहीं झुकेगी। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव है कि 3 बज चुके हैं और अन्य पहलू भी मौजूद हैं, लेकिन मैं उनकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आयोग की संवैधानिक भूमिका के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारा अनुरोध केवल आयोग के सिफारिशों को कार्यान्वित कराने के बारे में है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यहां तक कि उस अधिक धनराशि, जिसकी सिफारिश की गई है, पिछले पांच वर्षों के दौरान हुई मुद्रा-स्फीति के कारण की लगभग 69 प्रतिशत मात्रा खत्म हो जाएगी और हमारी कठिन स्थिति, जिसकी वित्त आयोग द्वारा सराहना की गई है, को ध्यान में रखते हुए हमें यह सब कुछ दिया गया है, उन्हें हमारे इस अनुरोध को ही स्वीकार कर लेना चाहिए।

3.00 म० प०

हम इसी बात पर बल दे रहे हैं। इस बात की वित्त आयोग द्वारा सराहना की गई है और उन्होंने इसे दिया है। आप इस राज्य तथा अन्य राज्यों, जिन्हें यह धनराशि प्रदान की गई है, को इससे क्यों वंचित रखना चाहते हैं ? अतएव श्री मुखर्जी मेरा आपसे पुनः हार्दिक अनुरोध है कि आपके अन्य खर्चे मौजूद हैं, लेकिन राज्यों का खर्च किसी अन्य स्रोत से पूरा नहीं किया जा सकता है; आपके पास अन्य स्रोत मौजूद हैं, राज्यों के पास कोई अन्य स्रोत नहीं है—समस्त भारत के नाम पर आपको वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 1984 से स्वीकार कर लेनी चाहिए।

3.01 म० प०

## देश के विभिन्न भागों में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों में उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू करेंगे।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल में देश के विभिन्न भागों में जो साम्प्रदायिक उपद्रव हुए हैं, मैं उन के बारे मैं चर्चा आरम्भ कर रहा हूं। बैलेट में मेरा नाम निकला है। यद्यपि यह समय साम्प्रदायिक स्थिति पर बहस करने का कोई बहुत अच्छा ससय नहीं है। यह लोक सभा की आखरी बैठक है। चुनाव हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। क्या यह सम्भव होगा कि राजनीति से अलग रह कर, दलगत हानि-लाभ की चिन्ता किये बिना, हम इस नाजुक लेकिन गम्भीर विषय पर चर्चा कर सकें ?

हाल में भिवंड़ी, थाना, बम्बई और हैदराबाद में उपद्रव हुए हैं। उनको किसी न किसी रूप में सदन में उठाया गया है। एक बान तो स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हो रही है। में दोषारोपण की दृष्टि से यह नहीं कह रहा हूं, मैं वस्तुस्थिति को सामने रखना चाहता हूं। आंकड़े जो कहानी कहते हैं वह कहानी चिन्ताजनक है।

| वर्ष | घटनाओं की संख्या | मारे गए व्यक्तियों कि संख्या | घायल हुए व्यक्तियों कि संख्या |
|---|---|---|---|
| 1981 | 162 | 87 | 2613 |
| 1982 | 474 | 238 | 3025 |
| 1983 | 404 | 102 | 3478 |

1984 के अभी पूरे आंकड़े नहीं आये हैं, क्योंकि वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जो समय गुजरा है उस में

| घटनाओं की संख्या | मारे गए व्यक्तियों की संख्या | घायल हुए व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|---|
| 156 | 297 | 1858 |

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें असम में जो उपद्रव हुए वे शामिल नहीं किये गये हैं। सरकार का कहना है कि ये उपद्रव विदेशियों की समस्या सम्बन्धित थे। इसलिये उन्हें हिन्दू-मुल्लिम संघर्ष के रूप में पेश नहीं किया गया है। अगर उन आंकड़ों को भी हम जोड़ लें तो जो तस्वीर सामने आती है यह बड़ी भयावह है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि साम्प्रदायिक उपद्रव हमारे देश के लिए कलंक हैं। ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ हैं। वे मान्यतए धार्मिक हों, सांस्कृतिक हों, राजनीतिक हों, संवैधानिक हों, उन सब के खिलाफ हैं। देश में साम्प्रदायिक हिंसा और हत्या का बढ़ना हर देश-भक्त व्यक्ति के लिए गंभीर चिन्ता का विषय होना चाहिए। लेकिन शुरू में जैसा मैंने कहा, क्या हम इस प्रश्न को एक राष्ट्रीय

प्रश्न के रूप में देखने के लिए तैयार हैं ? हाल में भिवंडी, थाणे और बम्बई में दंगे हुए । हैदराबाद में भी दंगे हुए । क्या यह सच नहीं है कि उन दंगों के बारे में हमारी प्रतिक्रिया अलग-अलग थी ? दूसरे सदन में एक दिन हंगामा मच गया कि हैदराबाद के दंगों के बारे में तत्काल बहस होनी चाहिए और आन्ध्र प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री इलाज के लिए अमेरिका गये हैं कि उन पर भी आक्षेप करने में संकोच नहीं किया गया। एक व्यक्ति बीमार है, अल्पताल में पड़ा है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, क्या उसके बारे में हम करुणा, ममता और अपनत्व की भावना प्रकट नहीं कर सकते। अगर हैदराबाद के दंगों के लिए, जिस में 11 लोग मरे हैं, आन्ध्र की सरकार को बर्खास्त दिया जाना चाहिए, तो क्या महाराष्ट्र की सरकार को छोड़ दिया जाना चाहिए महाराष्ट्र की सरकार के दंगों में मरने वालों की संख्या 293 है।... (व्यवधान) ... मैं आफिशियल आंकड़ों की बात कर रहा हूं।

**श्रीमती विद्या चैन्नुपति** (विजयवाड़ा) : मैं यह पूछना चाहती हूं कि आप स्टेट्स के बारे में बोल रहे हैं या कम्युनल रायट्स के बारे में बोल रहे हैं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक उपद्रव कहीं न कहीं हो रहे हैं। जो स्थान हैं, वे किसी न किसी राज्य में हैं, मैं राज्य का उल्लेख किये बिना कैसे बोल सकता हूं।

**गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : आप इस प्रश्न को राष्ट्रीय दृष्टि से देखना चाहते हैं, तो उसी दृष्टि को ध्यन में रख कर कुछ कहिये।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : देखना तो चाहता हूं मगर ऐसा करने में जो बाधाएं हैं, मैं उन्हें समझा रहा हूं।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात राष्ट्रीय दृष्टि से कहिये।

**श्रीमती विद्या चैन्उपति** : आप कहते हैं कि एन० टी० आर०के लिए हमने वैसा किया लेकिन वैसा कोई नहीं करता है हमारे देश में जैसा उन्होंने किया।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आप मांग कर दीजिए कि महाराष्ट्र की सरकार अपने पद पर रहने लायक नहीं है, उस को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस (आई) के सदस्यों में यह का कहने साहस है ? क्या महाराष्ट्र की सरकार भिवंडी में, थाणे में, बम्बई में दंगे रोकने में विफल नहीं हुई। महाराष्ट्र की सरकार ने जिन को दंगों के आरोप में, पकड़ा था जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने हथियार-बांटे, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से हथियार लाने के लिए पैसा दिया और फिर जिन्हें नजरबन्द किया था, महाराष्ट्र की सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। मेरे पास डिटेंशन आर्डस की नकलें हैं। क्या मतलब है इस का ? जो कांच के घरों

(श्री अटल बिहारी वाजपेयी

में बैठे हैं, वे औरों के घरों पर पत्थर न फैंकें। हैदराबाद के दंगे निन्दनीय हैं और उन के लिए भी जिम्मेवार ठहराना चाहिए मगर सरकारों को नापने के अलग-अलग गज नहीं हो सकते।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : सरकार की तरफ से कुछ हुआ ही नहीं। आप क्या बातें कर रहे हैं? ... (**व्यवधान**)···

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अगर इस तरह से टोका-टाकी होगी, तो आज में कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) के सदस्यों को बोलने नहीं दिया जायगा। जब पंजाब पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त जब मैंने जम्मू व काश्मीर का नाम लिया, तो एक बावेला खड़ा हो गया। आप उस दिन की कार्यवाही देख लीजिए, आधा घंटा बरबाद हो गया और जब श्री राजीव गांधी बोले, तो वे पश्चिम बंगाल की तरफ चले गये। तब न अध्यक्ष ने रोका और न कांग्रेस वालों का मुंह खुला। आप बाहर ही दो गज नहीं अपना रहे हैं बल्कि इस सदन में भी अपना रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

**आचार्य भगवान देव** (अजमेर) : ये चैलेन्ज दे रहे हैं और हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं। ये सदन में बैठें और इन को हमारी बात भी सुननी पड़ेगी।

**श्री अटल बिहारी वजपेयी** : उपाध्यक्ष महोदय, टोका मुझे जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मैं प्रोवोक मैं कर रहा हूं···

**आचार्य भगवान देव** : आप बोलिये···

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : हां, मैं बोलूंगा। मैं आपकी दया पर नहीं आया हूं और न प्रधान मंत्री का पल्लू पकड़ कर आया हूं···

(**व्यवधान**)

आचार्य भगवान देव : हां, हां हमें आपका चैलेंज स्वीकार है।···

(**व्यवधान**)

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : आप जो कहना चाहते हैं वह कहिये।

**आचार्य भगवान देव** : एन० टी० आर० की वकालत करने के लिये यहां खड़े हुए हैं। आपको नियम 193 के अधीन चर्चा करनी चाहिये। एन० टी० आर० की ममता है, वह बीमारी के कारण अस्पताल में हैं। क्या मतलब है वकालत करने का ? यह उनके हाथों में खेल रहे हैं।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : इस विषय पर पूर्ण गंभीरता के साथ श्री वाजपेयी की बात सुनना चाहूंगा हमें अन्य बातों की ओर ध्यान नहीं बांटना चाहिए।

**श्री सतीश अग्रवाल** (जयपुर) : वे पांच मिनट के लिए भी नहीं बोले हैं और उनके भाषण में किस प्रकार व्यवधान डाला जा रहा है। क्या भाषण सुनने का यही तरीका है। हम कैसे अपना भाषण जारी रख सकते हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी भी व्यक्ति को श्री वाजपेयी का बचाव करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। वे एक शक्तिशाली वक्ता हैं जो अपना स्वयं ख्याल रख सकते हैं।

**आचार्य भगवान देव** : यह चैलेंज कर रहे हैं, हमें स्वीकार है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : उपाध्यक्ष महोदय, कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि बढ़ती हुई सम्प्रदायिकता और बढ़ती हुई सांप्रदायिक हिंसा यह हमारे सैरक्यूलर आदर्श के लिये भी एक चुनौती है। हमने समझ-बूझ कर भारत को एक सम्प्रदाय निरपेक्ष राज्य बनाने का फैसला किया है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। विभिन्न धर्म को मानने वाले इस देश में रहते हैं और सब के साथ राज्य को बराबरी का व्यवहार करना है। यह ठीक है कि सैरक्यूलर का अर्थ हमारे देश में धर्म-विरोधी या अधार्मिक नहीं है। सर्वधर्म सद्भाव की बात इस देश में रही है। यह दंगे, यह हिंसा लोगों को जिन्दा जलाया जाना—दुनिया वाले हमारे सेक्यूलरवाद पर अगर भरोसा न करें तो हम दुनियां वालों को दोष नहीं दे सकते।

दंगों के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप है प्रशासन का। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह कहता हूं कि तस्वीर भयावह है तो मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि इस भयावह तस्वीर में भी आशा के और विश्वास के कुछ-कुछ दिये ऐसे टिम-टिमा रहे हैं, हम अगर चाहें तो उनकी रोशनी में रास्ता निकाल सकते हैं। मैंने आंकड़े इकट्ठे किये हैं, उन शहरों के नाम इकट्ठे किये हैं जिनमें पिछले 4 साल में दंगे हुए। में सदन को बताना चाहता हूं कि ऐसे 35-40 शहर से ज्यादा नहीं हैं। यद भी ध्यान रखना चाहिये कि इन 30-40 शहरों में एक साथ दंगे नहीं होते। एक शहर में दंगा होता है, पड़ोस में शान्ति रहती है, अलग-अलग धर्म को मानने वाले अपना काम करते रहते हैं, भाई चारे का बन्धन टूटता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृहमन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन जिलों को सेन्सिटिव डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में छांटा गया था और यह कहा गया था उन जिलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये, थोड़ा सा वहां तनाव पैदा हो तो उनकी रोकथाम की जानी चाहिये, अगर दंगा भड़क जाय तो उसका कड़ाई से दमन किया जाना चाहिये, दंगा करने वाले हिन्दू हों या मुसलमान उनके साथ रियायत नहीं बरती जा सकती वहां क्या हुआ। आज प्रशासन कहां पहुंच गया है, इसका मैं उल्लेख बाद में करूंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जहां बराबर दंगे होते हैं···

हैदराबाद, बड़ौदा, अहमदाबाद में भी 1982 में हुआ है, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, मालगांव, खुर्जा, टांडा बहराइच।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : बार बार कहां हुआ है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : हैदराबाद में 1980 में हुआ । मेरे पास 1982-83 के आंकड़े हैं । उसके बाद 1983 में फिर हैदराबाद में हुआ है, जनवरी में हुआ, मई में हुआ, फिर सितम्बर में हुआ । इसी तरह से वड़ौदा में हुआ । 1982 में मार्च में हुआ, अक्तूबर में हुआ फिर दिसम्बर में हुआ ।

कुछ जिलों में, और उनमें भी कुछ स्थान, जिन्हें अंग्रेजी में सैंस्टिव कहते हैं, जहां दंगा भड़क सकता है और छोटी-सी बात को लेकर भड़कता है । स्पष्ट है कि पहले थोड़ा सा तनाव रहता है, सद्भाव का अभाव रहता है, कुछ स्थानों में आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा भी बढ़ रही है, निहित अस्वार्थ दोनों तरफ से दंगों को भड़काने में रुचि लेते हैं, बात बिगड़ जाती है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बार-बार उन्हीं स्थानों पर दंगों का होना, मैं इस सम्बन्ध में भिवन्डी का भी उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि 10 साल पहले वहां भारी दंगा हुआ था, सरकार ने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाये कि दंगा होने से पहले ही उसकी रोकथाम की जा सके ?

प्रधान मंत्री जी ने गाइड लाइन्स दी थी । श्री वेंकटसुब्बैय्या सदन में होते और वह जवाब देते तो पूरी गाइउ पढ़कर सुना देते, मगर यह नहीं बताते कि उन पर अमल क्यों नहीं हुआ ।

मैं एक ही गाइड लाइन बताना गाहता हूं

> "राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों को साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील तथा दंगा ग्रस्त जिला स्वीकार किया गया है तथ ऐसे क्षेत्रों में अधिक कार्यकुशल, निष्पक्ष तथा धर्म- निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए और अन्य स्थानों में भी सामप्रदायिक तनाव को रोकना जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक का प्राथमिक कर्त्तव्य होना चाहिए ।"

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री के इस निर्देश का पालन किया गया है, यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ? क्या हमने किसी भी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिन्टेंडेट को दंगा भड़काने के लिये उत्तरदायी ठहराया है ? क्या इसके लिये किसी बड़े अफसर के खिलाफ कार्यवाही हुई है ? क्या प्रधान मंत्री के निर्देश केवल कागज के लिये है या सिर्फ जनता को बताने के लिये, बहलाने के लिये हैं, क्या अमल के लिये नहीं हैं ?

हाइएस्ट एफीशियेन्सी के अफसर; जिनका दृष्टिकोण असाम्प्रदायिक है, नियुक्ति में यह क्यों ध्यान नहीं रखा जा सकता है, या आफिसरों की नियुक्ति सिफारिश के आधार पर होगी ?

क्या यह सच नहीं कि जब दंगा होता है तो उसकी चर्चा होती है, जांच कमीशन बैठता है, शोर मचता है, हम सब बहस करते हैं, लेकिन एक बार दंगा समाप्त हो गया तो फिर रिपोर्ट अलमारी में पड़ी रहती है और प्रशासन फिर अपने ढंग से चलने लगता है, राजनीतिक नेतृत्व भी इस बारे में जितना जागरूक होना चाहिये, नहीं रह पाता है ?

दंगे का एक नया स्वरूप सामने आ रहा है कि अब पुलिस के साथ मुठभेड़ें बढ़ गई हैं। पुलिस पर खुलेआम पक्षपात के आरोप लगाये जा रहें हैं। पहले मेरठ में हुआ, मुरादाबाद में भी शिकायतें हुई थीं। पंजाब का मामला साम्प्रदायिक उपद्रव के अन्तर्गत नहीं आता, लेकिन पंजाब में भी राज्य पुलिस के खिलाफ लोगों को गंभीर शिकायतें हैं। अब भिवंड़ी में हैं। पुलिस किधर जा रही है? पुलिस का पुनर्गठन क्यों नहीं हो रहा है? पक्षपात से भरी हुई पुलिस न तो कानून और व्यवस्था का पालन कर सकती है और न दंगा होने पर निष्पक्षता से व्यवहार कर सकती है।

महाराष्ट्र की पुलिस का तो यह हाल है, मैं जानता हूं कि पुलिस में सब लोग खराब नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे अफसर भी हैं, मगर महाराष्ट्र की पुलिस का भी हमें एक अनुभव है। लातूर जिले में ढेवणी नामक ग्राम में पंचायत के चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई। कांग्रेस चार सीटें जीत गई। जो पुलिस अफसर वहां मौजूद था वह नाचने लगा, नारे लगाने लगा। वह अपनी खुशी को छिपा नहीं सका। उस के बाद कांग्रेस हारने लगी। कुल मिला कर चुनाव में कांग्रेस हार गई। भारतीय जनता पार्टी उस पंचायत में जीत गई। जीते हुए लोगों ने जुलूस निकाला। गांव में लाठी चार्ज हुआ। घरों में घुस कर लोगों को मारा गया, औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। ...(**व्यवधान**)...अगर राजनीतिक पक्षपात हो सकता है तो फिर आप साम्प्रदायिक पक्षपात कैसे रोकेंगे पीयूष कषुण जी? यह दूसरी प्रतिभूति आ गई।...(**व्यवधान**)...

अच्छा, मैं हैदराबाद पर बोलता हूं तब आपको पसंद आएगा। मैं पूछना चाहता हूं जिस तरह से महाराष्ट्र में जिन्हें नजरबन्द किया गया था और अमेंडेड नेशनल सेक्यौरिटी ऐक्ट के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया था उन्हें जिस तरह से छोड़ दिया गया उस से क्या पुलिस की प्रतिष्ठा रह गई? क्या पुलिस कमिश्नर की इज्जत रह गई? मेरे पास डिटेंशन आर्डर्स हैं, पुलिस कमिश्नर के दस्तखत हैं। मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहता, समय कम है। निश्चित आरोप हैं हथियार इकट्ठा करने के, हथियार इकट्ठा करने के लिए पैसे देने के। अब जो नया अमेंडेड नेशनल सैक्योरिटी ऐक्ट है उस के अन्तर्गत अगर एक अपराध भी अस्तित्वहीन हो या अस्पष्ट हो तो नजरबन्दी अवैध घोषित नहीं की जायगी। फिर छोड़ा क्यों गया? क्या राजनैतिक सौदा हुआ है? थोड़े शिव सेना के छोड़ने हैं...

**श्री पी० वी० नरसिंह राव**: वह अभी पास कहां हुआ है?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी**: पास नही हुआ है मगर उस पर अमल हो रहा है। गृह मंत्री महोदय को पता नहीं है। ये डिटेंशन आर्डस उसी के अन्तर्गत निकले हैं। आर्डिनेंस निकल गया है, वह अमल में आ रहा है। यह मेरे पास हैं, मैं पढ़ कर बताऊं?

जो पकड़े गए वह कुख्यात तस्कर हैं। कोफेपोसा में नहीं पकड़े गए। अगर वह तस्करी के लिए पकड़े जाते तो कोफेपोसा में पकड़े जाने चाहिए थे। पकडे गए दंगे में हिस्सा लेने के लिए और पुलिस कमिश्नर ने कहा है:

> "नजरबन्दी का तस्करों पर छापा मारने से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों से उनका एकमात्र सम्बन्ध है।"

या तो गिरफ्तारी गलत थी या रिहाई गलत है। दोनों तो सही नहीं हो सकते। क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को पत्र लिखा है कि जिस तरह से रिहाई की गई वह गलत है? मैं जानना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार का कोई कान खींचने वाला है या नहीं। और अगर कान खींचा गया तो बताइए। हमारे कुछ कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि सारा दंगा कराया गया दादा को सत्ता से हटाने के लिए। यह कुछ कांग्रेस के मित्र ही कहते हैं। मैं नहीं जानता इस में कहां तक सच्चाई है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि पुलिस का पुनर्गठन जरूरी है। पुलिस का मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए। पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, उस को रोकना चाहिए। राजनैतिक नेताओं को पुलिस के मामलों में हस्क्षेप नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत हो तो पुलिस के प्रशिक्षण का तरीका बदला जाय। पुलिस वालों की शिकायतें दूर की जायं। पुलिस कमीशन बना था। उस की सिफारिश आ गई। किन्तु सिफारिशें लागू नहीं की गईं। अगर पुलिस बल पर्याप्त नहीं है तो सेना को बार-बार बुलाने के बजाय मैं चाहूंगा कि सी० आर० पी० और बी० एस० एफ० को और भी सज्जित किया जाय, सन्नद्ध किया जाय। अगर आवश्यकता हो तो केन्द्रीय सरकार कोई नेशनल गार्ड्स जैसा संगठन बनाए जो मौकों पर जा सके और जिसके जाने पर लोग यह न समझें कि सेना बुलाई गई है। मुझे मालूम है भिवण्डी में जो पीड़ित थे वे सेना चाहते थे। पंजाब के हिन्दू भी आज चाहते हैं पंजाब में सेना रहे। ऐसी विचित्र परिस्थिति देश में पैदा कर दी गई है कि ऐसा लगता है कि राजनीति के नेतृत्व समस्यायें हल नहीं कर सकता। अगर जिन्दा भी रहना है तो फौज बुलाओ। मुझे कहना है कि यह स्थिति बहुत ही आपत्तिजनक है, बहुत अस्वस्थ्य स्थिति है जिसको बदला जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नेशनल इंटिगरेशन कौंसिल बनी, उसकी बैठकें हुई, कुछ सिफारिशें की गईं। उन सिफारिशों का क्या हुआ? क्या जब उपद्रव होंगे तभी नेशनल इंटिग-रेशन कौंसिल की याद आयेगी? उपद्रव शांत होते ही हम मानकर चलेंगे कि अब राष्ट्रीयता को संवर्द्धित या बलशाली बनाने की आवश्यकता नहीं है?

तीसरी चीज यह है कि कांस्टीटुएन्ट असेम्बली जो बनी—अगर चौधरी साहब इस बहस में भाग लेते तो इसका जरूर उल्लेख करते—उस कांस्टीटुएन्ट असेम्बली ने कहा था कि देश के बटवारे के बाद, गांधी जी की हत्या के बाद किसी भी साम्प्रदायिक दल को, ऐसे दल को जिसके दरवाजे सभी भारतीयों के लिए खुले न हों, राजनीति में भाग लेने का और चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अभी पंजाब के मित्र एक विधेयक लाए थे। (**व्यवधान**) आप चिन्ता मत करिए, करके दिखाइये। पंजाब के सदस्य बिल लाए थे। (**व्यवधान**)

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्ट्सगंज): अटल जी ने दोहरी सदस्यता का प्रश्न उठाया था और उस समय पार्टी टूट गई थी।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी**: ये जरा फिर से पढ़कर आयें।

श्री वेंकटसुबय्या जी ने हैद्राबाद में भाषण दिया कि इस सवाल पर एक नेशनल कान्सेन्सस बनाना है। मैं पूछता हूं सत्तारूढ़ पार्टी का मत क्या है ? क्या इस सवाल पर सत्तारूढ़ पार्टी की दृष्टि स्पष्ट है ? क्या हम यह फैसला करने के लिए तैयार हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई सम्प्रदायिक संगठन है तो वह अपने क्षेत्र में काम करे, लेकिन चुनाव कमीशन उन्हें मान्यता नहीं देगा, उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा और वे चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं होंगे। करिए फैसला अपने दल की ओर से —मैं निमंत्रित रहा हूं। कांग्रेस के सदस्य जब बोलेंगे तो मैं उनकी प्रतिक्रिया सुनूंगा।

चौथी बात यह है कि जब दंगे समाप्त हो जाते हैं तो जैसे सारा कारबार रुक जाता है। उदाहरण के लिए भिवण्डी में एक दंगा बहुत पहले हुआ था। एक कमीशन बना था जिसकी जांच रिपोर्ट आई। उसने कहा कि शिवाजी जयन्ती का जलूस नहीं निकालना चाहिए। कई साल तक जलूस बन्द रहा। फिर अगर जलूस निकालने की इजाजत दी गई तो मैं समझता हूं वह इजाजत ठीक थी। आप देश में शिवाजी जयन्ती या किसी अन्य जलूस को हमेशा के लिये नहीं रोक सकते, रोकना गलत होगा। यह सही है कि कोई भी जुलूस ऐसे नारों के साथ न निकले जिससे लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचे। पहले भिवण्डी में शिवाजी जयन्ती का जलूस निकालता था उसमें नगरपालिका के अध्यक्ष हिस्सा लेते थे, स्थानीय एम० एल० ए० हिस्सा लेते थे और हिन्दुओं के अलावा मुसलमान भी उसमें हिस्सा लेते थे। एक बार दुर्भाग्यपूर्ण दगा हो गया। इस बार जुलूस निकालने का फैसला हुआ और जुलूस निकालने पर प्रतिबन्ध लगाया गया कि इस मोहल्ले में जलूस निकले, इतने समय के बीच में निकले। यह प्रतिबंध शायद शासन ने उचित हमझे होंगे। लेकिन उस समय राजनीतिक नेतृत्व कहां था ? भिवण्डी के दंगे को टाला जा सकता था। भिवण्डी के दंगे के पहले महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक प्रचार हो रहा था, भड़काने वाले भाषण दिए जा रहे थे और समाचारपत्रों में उन भाषणों की सामग्री भी छप रही थी। क्या समय रहते राज्य सरकार को सक्रिय होकर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी ? लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था कि जब दंगा शांत हो जाए तो देश में असाम्प्रदायिक आधार पर लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए, मिलजुल कर त्यौहार मनाने चाहिएं और ऐसी भावना पैदा की जानी चाहिए कि यह सबका सांझा देश है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यहां सभी के साथ न्याय होगा। दो दंगों के बीच एकता का कोई ठोस, रचनात्मक और विधायक प्रयत्न नहीं किया जाता। इसी लिए देश के बंटवारे के 36-37 सालों बाद, फिर हमारे सामने साम्प्रदायिकता एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं जब वे गृह मंत्री बने तो मैंने उनको पत्र लिखा था। शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा—आपको बधाई दूं या आप के साथ संवेदना प्रकट करूं। विदेश मंत्री के नाते आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अब ले आए इन्हें गृह मंत्रालय में।

**उपाध्यक्ष महोदय** : बधाई देने के बाद सहानुभूति के लिए आप लिख सकते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगला तीन-चार महीने का समय चुनावों से जुड़ा हुआ है। इसलिए राजनीतिक लाभ उठाने की, दंगे भड़काकर दल का संकुचित स्वार्थ सिद्ध करने की भावना पनप सकती है, बढ़ सकती है। अगले कुछ महीनों में त्यौहार आने वाले हैं। गणेशचतुर्थी आएगी, दशहरा आएगा, मोहर्रम आएगा और बीच में इद-उल-जुहा भी है। उन सब राज्य सरकारों को सचेत किया जाना चाहिए। मिलकर त्यौहार मनाने की परम्परा अगर प्रदेशों में कायम की जा सके तो उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि दंगा के पहले आपका इंटैलिजेंस क्या काम करता है ? इंटैलिजेंस विफल हो जाते हैं, यह रिपोर्ट हम सुनते हैं, मगर दंगे के पहले इंटैलिजेंस ने क्या खबर दी इसकी रिपोर्ट नहीं मिलती ?

**श्री गिरधारी लाल व्यास** (भीलवाड़ा) : इंटैलिजेंस आपने पहले ही बर्बाद कर दिया।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : उपाध्यक्ष महोदय, चार साल पहले हमने बर्बाद किया था और इन्होंने चार साल में आबाद कुछ नहीं किया, इन्होंने और बर्बाद कर दिया। सरकार और विरोधी दल में बर्बादी का कम्पीटीशन चल रहा है ?

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : हमारी सरकार नहीं करती है, आपके जैसे विरोधी दल के लोग कर रहे हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : उपाध्यक्षमहोदय, राजनीति में साम्प्रदायिकता आ गई है। साम्प्रदायिकता हिंसात्मक रूप ले रही है। इस हिंसा को देश में बढ़ती हुई विषमता और बढ़ते हुए विश्वास के कारण एक हवा मिल रही है। इस स्थिति को रोकना, इस स्थिति की रोकथाम करना जरूरी है यहाँ हमारी, आपकी, सबकी नीतिमत्ता कसौटी पर कसी जा रही है। मैंने कहा था कि मैं दोषारोपण से शुरू नहीं करना चाहता हूं। मगर कांग्रेस के सदस्य बिना टोका-टाकी किए मान नहीं सकते हैं। चोर चोरी से जाए, मगर हेरा-फेरी से न जाए। मैं समझता हूं कि वे दलगत राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हैदराबाद में जिस तरह से वैंकटसुब्बैया जी ने व्यवहार किया वह आपत्तिजनक है। मेरे साथ वे हर बार लेख-व्यूह गेस्ट हाउस में रुका करते थे। इस बार हवाई अड्डे से सीधे राजभवन में जाने की क्या जरूरत थी ? कांग्रेस का झण्डा लेकर जाने की क्या जरूरत थी ? क्या यह सच नहीं है कि इत्तहादुल मुसलमिन के नेता श्री आबासी, जिनके खिलाफ वारण्ट निकला हुआ है, अभी तीन दिन पहले प्रधानमंत्री जी से मिले थे। उनसे क्या बातें हुई हैं, मैं जानना चाहता हूं ?···(**व्यवधान**)···हम से प्रधान मंत्री ने इसके लिए मुलाकात नहीं की।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब कोई मंत्री वहां जाता है तो वह राष्ट्रीय झंडे के साथ जाता है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या वे वहां अपने दल के झण्डे को साथ नहीं ले गए थे, क्या

वे राजभवन में नहीं ठहरे थे ? उन्होंने स्थिति की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। वे स्थिति की समीक्षा करने वाले कौन होते हैं ? कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। उन्हें राज्य के मंत्रियों को बुलाना चाहिए था क्या वहां कोई राज्य-मंत्री नहीं है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैंने खुद राज्यपाल से बात की थी ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आप भी कसूरवार हैं।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : जी, नहीं।

गिल्टी नहीं। आप जरा सुनिए। बदकिस्मती से वहां के चीफ मिनिस्टर ने जो कि खुद वहां गृह मंत्री हैं, यह जिम्मेदारी लॉ एन्ड आर्डर की किसी के ऊपर सौंपी नहीं थी।

**एक माननीय सदस्य** : "शेम"

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : शेम की बात नहीं है। ऐसा हुआ है।

**श्री अटल बिहारी वजपेयी** : प्रधानमंत्री जाती हैं तो अपनी जिम्मेदारी सौंप कर जातीं हैं।

**श्री पी० पी० नरसिंह राव** : इत्तिफाक से यह हुआ कि लॉ एड आर्डर की समस्या वहां खड़ी हो गई। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि चूंकि किस की जिम्मेदारी है, यह नहीं कहा गया था, केवल आफिसरों को इस मामले में देखना पड़ा और कोई मंत्री जाहिर है कि यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थे। यह एक यादृच्छिक चीज हैं। इसके बारे में मैं कोई लांछन नहीं कर रहा हूं। आपको स्थिति बता रहा हूं कि वहां ऐसी स्थिति थी। इस लिए में अगर वहां जाता हूं। और वहां का एक-एक बच्चा मुझे जानता है और में बच्चे-बच्चे को जानता हूं। मैं वहां जाकर अगर स्थिति का अध्ययन कराना चाहूं तो क्या यह मेरे लिये निषिद्ध है ? ऐसा आप समझते हैं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्ययन करने में आपत्ति नहीं है। दंगे की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनको रिव्यू करने के लिए आप जायें और कांग्रेस का झण्डा फहराते हुए जायेंगे तो जरूर विरोध होगा।

**श्री वी० पी० नरसिंह राव** : झण्डे की बात छोड़िये। मैं वहां जाऊं और वहां के अफसर मुझ से आ कर कहें कि यह हो रहा है, तब भी आपत्ति है ?

**श्री अटल बिहारी वजपेयी** : कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : बस इतना ही हुआ है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : उपाध्यक्ष महोदय, यदि इतना ही हुआ होता तो बात का बतंगड़ न हुआ होता। नरसिंह राव जी, जरा वेंकट सुब्बैया जी पर नजर रखें। दंगा हो गया तो उस से

दलगत राजनीतिक लाभ उठाने की लालसा का संवरण करना होगा, अन्यथा दंगा कभी राष्ट्रीय विषय नहीं बन सकता था।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हैदराबाद की हद तक में अपनी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उस को दलगत राजनीति में नहीं लाया जायेगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : नहीं लाया जायगा—मैं इस आश्वासन का स्वागत करता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि श्री नरसिंह राव जी के सहयोगी भी इसी आश्वासन के अनुसार आचरण करेंगे।

**श्री ए० के० राय** (धनबाद) : यह आश्वासन हैदराबाद के लिये है या समूचे देश के लिये है।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : राय साहब, इसी में आप ने एक बारीकी निकाल ली है। हैदराबाद की बात हो रही थी, वेंकटसुब्बैया जी की बात हो रही थी, तो मैंने उसका जवाब दिया। चूंकि मैं वहां के लोगों से वाकिफ हूं, मैं जानता हूं कि हम सब कोशिश करके उसको राजनीति से अलग रखकर कर सकते हैं। यह जो कुछ हुआ है, जहां-जहां हुआ है उसके लिये सबको खेद है, दुख है। यह नहीं कि कोई खुसूसियत हैदराबाद से है। चूंकि बात हैदराबाद की हो रही थी, इसलिये मैंने कहा है।

**अटल बिहारी वाजपेयी** : मैं यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा—साम्प्रदायिक उपद्रवों के साथ देश में जातिगत उपद्रव भी होते हैं, कभी-कभी भाषा भी विवाद का विषय बन जाती है। देश में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि लोकतन्त्र और हिंसा ये साथ-साथ नहीं चल सकते। किसी वर्ग को शिकायत हो सकती है। अगर देश में रहने वाला मुस्लिम सम्प्रदाय आकर कहे कि उसको कुछ शिकायतें हैं, उस के साथ भेदभाव हो रहा है, तो उस पर गहराई से विचार होना चाहिये। भेद-भाव जहां भी हो उस का निराकरण होना चाहिये। लेकिन निराशा में आ कर हिंसा का आश्रय लेना या अपनी मांगें मनवाने के लिये जैसे पंजाब में हुआ—हिंसा को औजार बनाना गलत है ना हम हर तरह की हिंसा पर आघात करें और देश में ऐसा वातावरण बनायें कि किसी भी चीज को लेकर हिंसा को पनपने नहीं दिया जायगा। हम सारी बातों को आपस में बैठ करके, चर्चा कर तय करेंगे। यदि ऐसा हो तो मैं समझता हूं देश का वातावरण सुधारा जा सकता है इस समय जो अगले चार-पांच महीने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस की जिम्मेदारी प्रशासन पर बहुत ज्यादा है। मैं आशा करत हूं कि केन्द्रीय गृहमंत्री के नेतृत्व में सब प्रदेशों के प्रशासन को चुस्त बनाया जायगा और यदि दंगे की सम्भावना, आशंका कहीं भी दिखाई देती है तो उसकी दृढ़ता से रोकथाम की जायगी तथा भिवण्डी, हैदराबाद के दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास को कहीं भी दोहराया नहीं जायगा।

**श्री जैनुल बशर** (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय जी, अभी हम सब लोग माननीय वाजपेयी जी का आज का भाषण सुन रहे थे। इस में कोई दो रायें नहीं है कि वाजपेयी जी का आज का भाषण उनकी पार्टी के रवैये में बदलाव का संकेत करता है। इसी माननीय सदन में हमने उन्हीं की

(श्री जैनुल बशर)

पार्टी के सहयोगी और उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राम जेठमलानी का भाषण भी सुना था उस भाषण में और आज के भाषण में बड़ा फर्क है। जहां उन्होंने मुरादाबाद में पी० ए० सी० के रवैये की प्रशंसा की थी, वहीं आज बाजपेयी जी पुलिस के रवैये की आलोचना करने से अपने को नहीं रोक सके।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मुरादाबाद नहीं, मेरठ।

**श्री जैनुल बशर** : मेरठ ही नहीं, सब की उन्होंने प्रशंसा की थी। यह अच्छी बात है कि वाजपेयी जी की बातों में बदलाव की स्थिति पैदा हुई है, लेकिन मुझे शक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए वाजपेयी जी ने भी दंगों का राजनीतिक लाभ उठाने का निश्चय किया हो, और इनका भाषण पैमफ्लट बन कर बांटा जाय कि वाजपेयी जी और उनकी पार्टी बदल गई है। मैं समझता हूं जिन लोगों की तरफ वाजपेयी जी ने यह इशारा किया है वह इतने बेवकूफ नहीं हैं। इसके लिए, वाजपेयी जी अभी पुरानी बातों को धुलने के लिये काफी समय लगेगा तब जा कर उनके दिलों में यह बैठ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद, मेरठ के दंगों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद से स्थिति में अचानक एक बदलाव आ गया है, इन दंगों ने एक दूसरा मोड़ ले लिया है। जनता पार्टी के ढाई साल के समय में बड़े-बड़े दंगे हुए, वाजपेयी जी के आंकड़ों के मुताबिक दंगों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन इसमें सब छोटी-मोटी घटनायें भी हैं। लेकिन बड़ी घटनायें जो जनता पार्टी के जमाने में हुई बिहार में जमशेदपुर में, उत्तर प्रदेश में बनारस और अलीगढ़ में कई जगह दंगे हुए और 1980 के बाद भी दंगे हुए। मुरादाबाद में बड़ा दंगा हुआ जहां काफी जानें गई। मेरठ में दंगा हुआ। लेकिन पहले यह दंगे अधिकतर उत्तरी भारत में हुआ करते थे, चाहे वह जनता पार्टी का समय रहा हो या 1980 के बाद का समय, गों का क्रम उत्तरी भारत में अधिक था। लेकिन इधर उत्तरी भारत कुछ शांत है। मेरठ के बाद से कोई बड़ा दंगा उत्तरी भारत के किसी शहर में नहीं हुआ। अब दंगे दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं। भिवंडी में, हैदराबाद में तो ऐसा लगता है कि दंगों का एक सिलसिला चल रहा है, पूरी तौर से दंगा शांत नहीं हुआ। जब चुनाव हुआ था उसके तुरन्त बाद दंगा हुआ। जनता पाटी के काल में भी वहां दंगे हुए, छुटपुट घटनायें बराबर हैदराबाद में हो रही हैं। कर्नाटक, केरल में दंगे हुए। तो आज हमें इस पर विचार करना होगा, सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर दक्षिण भारत, जिसकी हम मिसाल दिया करते थे कि वहां साम्प्रदायिक एकात है, वहां आपस में लोगों में नफरत नहीं है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं लोग, आखिर आज उन राज्यों में यह घटनायें क्यों हो रही हैं? उत्तरी भारत जहाँ बराबर साम्प्रदायिक दंगे हुआ करते थे वहां अपेक्षाकृत आज शांति है। वहां का वातावरण बदल रहा है इसके कारणों में गहराई से हमें जाना पड़ेगा।

भिवंडी में थाणे में बम्बई में जो भी दंगा हुआ है वह पूर्व नियोजित था, वह दंगा कराया गया है और जरा दंगे को शुद्ध साम्प्रदायिक दंगा कहना गलत होगा क्योंकि दंगे के पीछे जिस संगठन का

हाथ है, शिव सेना का हाथ है, वह कोई शुद्ध साम्प्रदायिक संगठन नहीं है। वह क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीयता के आधार पर वह संगठन पनपी है और उसी आधार पर वह काम कर रही है। पहले उनकी नजर दक्षिण भारत के लोगों पर थी, कर्नाटक, तमिल और केरल के लोग और उत्तरी भारत के दूसरे लोग जो बम्बई में जाकर के काम करते है। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बम्बई में दंगे हो चुके हैं। अब भिवंडी को ही क्यों चुना गया दंगों के लिये ? भिवंडी ऐसी जगह है जहां महाराष्ट्र के अलावा दूसरी जगहों के लोग जा कर आबाद हैं···और वह अपने पावरलूम्स और हैंडलूम्स चलाते हैं, वहां काम कर रहे हैं, अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। यह दंगा जान-बूझकर उन लोगों को बर्बाद करने के लिए, वहां से हटाने के लिए प्लान किया गया और उस पर अमल भी किया गया। इस दंगे के निशान सिर्फ मुसलमान ही नहीं हुए है, बहुत लोगों को शायद गलतफहमी हो, इसमें हरिजनों को भी मारा गया है। बिहार के रहने वाले जो भिवण्डी या थाणे में रहते हैं, उन्होंने मिलकर दंगाइयों का मुकाबला किया है।

हिन्दू, मुसलमान सभी दक्षिण भारत के लोगों ने मुसलमानों के साथ दंगाइयों का मुकाबला किया है, केरल, कर्नाटक और दूसरे जगहों के लोगों ने भी साथ दिया है। यह शुद्ध सम्प्रदायिक दंगा था ही नहीं। ऐसे लोगों ने उसमें मदद की है।

शिव सेना के लोगों ने जान-बूझकर उनका जो अपना बुनियादी सिद्धान्त था क्षेत्रीयता, उसमें उन्होंने साम्प्रदायिकता का एक गाढ़ा रंग दे दिया है। सबसे दुःख की बात यह है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने शिव सेना का साथ दिया। अगर सेना वहां नहीं पहुंची होती तो उस स्थान पर क्या हो जाता, कहा नहीं जा सकता था।

बर्बादी तो बहुत हुई, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, कितने ही लोग मारे गए, करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई, लेकिन यह अच्छी बात हुई कि सेना को वहां जल्दी भेजा गया, जिसकी वजह से उन दंगों पर काबू पा लिया गया और वह काफी हद तक नहीं बढ़े। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने वही रवैय्या अख्त्यार किया जो उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० या बिहार में बी० एम० पी०, बिहार मिलिट्री पुलिस ने अख्त्यार किया था, जिसके बारे में इस सदन में भी चर्चा हो चुकी है।

पंजाब में भी यही हालत है। अभी वाजपेयी जी सही कह रहे थे कि पंजाब में लोगों को पंजाब पुलिस पर कोई भरोसा नहीं था, पंजाब पुलिस ने उग्रवादियों के साथ मिलकर उनको उत्पीड़ित किया है। पुलिस का यही रोल महाराष्ट्र, थाणे, बम्बई, भिवन्डी में भी था। सेना को भेजना एक अच्छा काम है।

हैदराबाद में इतने दिनों से दंगे-फसादात हो रहे हैं, आखिर उन पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है ? पुराने हैदराबाद में हिन्दू और मुसलमान पारम्परिक रूप से आपस में मिलकर रहा करते थे, वहां मिसाली एकता थी, वहां दंगों का इतिहास कभी पहले नहीं था। जब कि सारे देश में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, हैदराबाद में साम्प्रदायिक शांति थी, मेल-मिलाप से लोग रहते थे, कभी भी दंगे का इतिहास हैदराबाद में नहीं था। अब दंगे बराबर हैदराबाद में चल रहे हैं, उन पर काबू नहीं पाया जा रहा है, इसका क्या कारण है ?

केरल, कर्नाटक में भी दंगे हुए हैं, खबरें आ रही हैं, इसका कारण क्या है ? इसका सिर्फ यही कारण नहीं है कि हिन्दू, मुसलमान के बीच में किसी मंदिर, मस्जिद, मजार या स्थान को लेकर या किसी जुलूस को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है और दंगे हो जाते हैं, यह दंगे जो भी करा रहे हैं, उनकी पहचान करनी पड़ेगी।

यह दंगे केवल इसलिए हो रहे हैं, आपको बताने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता कि यह दंगे उस जगह पर हो रहे हैं जहां कि मुसलमान कुछ थोड़ी सम्पन्नता की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे भिवंडी हों, चाहे मालेगांव हो, बड़ौदा हो, थाणे हो, बम्बई, मुरादाबाद, मेरठ हो और चाहे वह हैदराबाद हो। जहां मुसलमान सम्पन्नता की तरफ दो चार कदम बढ़ रहे हैं वहां पर जानबूझ कर ये दंगे कराये जा रहे हैं। उन को जान से मारने की फिक्र कर रहे हैं, उन की आर्थिक कमर तोड़ने की फिक्र लोगों को ज्यादा है। जो भी ऐसा करा रहे हैं, जानबूझ कर साजिश करा रहे हैं। सरकार को इस का पता लगाना चाहिए और मैं समझता हूं कि सरकार को इस का पता होगा भी, गृह मंत्री जी बताएं या न बताएं। लेकिन सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि यह कौनसी शक्तियां हैं जो ऐसा कर रही हैं।

पहले तो हम लोग इधर वर्षों से खड़े होकर आर एस एस पर इल्जाम लगा दिया करते थे, और एकाध रिपोर्टों में आर एस एस का जिक्र है भी, जमशेदपुर की जो एनक्वारी रिपोर्ट निकली उस में आर एस एस को दोषी ठहराया गया। लेकिन दुख की बात है कि अब आर एस एस अकेले नहीं रही हैं, अब और भी बहुत से संगठन शुरू हो गए हैं जो दंगे कराने का काम करा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि ये संगठन सिर्फ हिन्दुओं में हैं, हो सकता है ये संगठन मुसलमानों में भी हों, हो सकता है दूसरे लोगों में भी हों। हमारे देश में दुर्भाग्य से रूढ़िवादिता, फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है चाहे वह हिन्दुओं में हों, चाहे मुसलमानों में और चाहे सिखों में हो। चाहे वह धर्म का फंडामेंटलिज्म हो चाहे भाषा का हो चाहे क्षेत्र का हो लेकिन यह बढ़ रहा है। उसी का नतीजा हमने आसाम में देखा, पंजाब में देखा। उसी का नतीजा आन्ध्र प्रदेश में देखा और महाराष्ट्र में देख रहे हैं। यह जो साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं उनके पीछे भी यह बात है। इसको दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

दो ही कदम हो सकते हैं प्रशासनिक कदम और राजनैतिक कदम। प्रशासनिक कदम में दंगे की रोकथाम के उपाय के लिए व्यापक रूप से काम किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले तीन चार वर्षों में प्रधान मंत्री ने इस मामले में कुछ सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाए। उन्होंने राज्य सरकारों को निर्देश दिया। केन्द्र सरकार ने भी कुछ अच्छी कार्यवाही की। हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो सी०आर०पी० और बी० एस०एफ० है उसमें कुछ मुसलमानों को नौकरी दी गई, उनको भर्ती किया गया। प्रधान मंत्री ने राज्य सरकारों को भी लिखा कि आप भी पुलिस फोर्स में मुसलमानों की भर्ती कीजिए। कुछ राज्यों में कुछ भर्ती हुई, अधिक तो नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत ही हुई और उसके नीतीजे अच्छे निकले।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी उत्तर प्रदेश की पी ए सी के बारे में जो कि बदनाम पुलिस थी, जिसके बारे में इस सदन में क्या कुछ नहीं कहा गया और अखबार के लोगों ने क्या नहीं लिखा, अभी हाल में उत्तर प्रदेश में मऊ से टांडा में और बहराइच में बहुत मामूली छोटी-छोटी साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं और वहां के अल्पसंख्यकों ने, मुसलमानों ने पीए सी की, प्रशंसा की, उन की तारीफ की कि इन लोगों ने हमारी मदद की, लोकल पुलिस के मुकाबिले में ज्यादा मदद की, उस का कारण यह था कि पिछले तीन चार वर्षों में जो कुछ मुसलमानों को पी ए सी में लाया गया उस का अच्छा असर दिखाई दे रहा है। अगर हम महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और बिहार वगैरह में भी, दूसरे प्रदेशों में भी जैसा कि प्रधान मंत्री जी का डायरेक्टिव है मुसलमानों को और दूसरे अल्पसंख्यक लोगों को पुलिस में भर्ती करे तो उस का नतीजा अच्छा निकलेगा। पंजाब में भी इस की जरूरत है। पंजाब की पुलिस में भी एक वर्ग का डामिनेशन है। अगर दूसरे वर्ग को भी उस में जगह दी जाय, पुलिस भी अगर मिली-जुली हो, सभी साम्प्रदाय के लोग उस में मिलकर काम करें तो यह जो शिकायत आती है कि पुलिस ने ज्यादती की है बनिस्बत दूसरे ग्रूप्स के उस शिकायत से हम बच सकते हैं। यह सही भी है कि ज्यादातर शिकायतें पुलिस की होती हैं। आपस में दो ग्रुपों में मुठभेड़ बहुत कम होती है, बहुत अधिक नहीं होती हैं लेकिन उसके बाद जो पुलिस अल्पसंख्यकों पर ज्यादती करती है, पुलिस जो अत्याचार करती है, उसकी कहानी हमेशा दर्दनाक होती है —चाहे मुरादाबाद हो, मेरठ हो या भिवण्डी हो या देश का कोई दूसरा भाग हो। तो इस मामले में मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को पुन: देखें कि प्रधान मंत्री जी ने जो निर्देश राज्यों को दिए हैं उनका कितनी हद तक पालन हुआ है। अगर पालन ठीक से नहीं हो रहा हो तो उसका पालन कराने की आवश्यकता है।

एक बात की तरफ मैं और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो मुसलमान हैं वे आर्थिक तौर पर और शैक्षिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रही है तथा जिस प्रकार से बिकास हो रहा है उसमें मुसलमानों का हिस्सा बहुत कम है। वे प्रगति कर रहे हैं—इसमें कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन जितनी प्रगति करनी चाहिए, जितना पीछे वे हो गए हैं और जितना आगे उनको आना चाहिए उस हिसाब से वे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वे नौकरियों में भी पिछड़े हुए हैं। उनको नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। आप टेलीफोन विभाग की डायरेक्टरी उठाकर देख लीजिए शायद ही एक्का दुक्का कोई मुसलमान अफसर दिखाई दे। इसी तरह से आप प्रदेशों की राजधानियों में भी टेलीफोन डायरेक्टरी को देखें तो बहुत कम मुसलमान अफसर आपको नजर आयेंगे। इसी प्रकार से आज देश में जो औद्योगिक बड़े घराने हैं, उनकी संख्या आप सौ या दो सौ भी ले लीजिए तो उनमें आपको कोई भी मुसलमान बड़ा घराना नहीं मिलेगा। इस प्रकार से उद्योग-धंधों में, पब्लिक सेक्टर में और सरकारी नौकरियों में कहीं पर भी मुसलमानों को ठीक प्रकार से स्थान नहीं मिल रहे हैं।

अभी पिछले साल पार्लियामेंट के मुसलमान मेम्बरों ने प्रधान मंत्री को एक मेमोरेंडम दिया था। प्रधान मंत्री ने एक कमेटी बनाई थी गृह मन्त्री की अध्यक्षता में, जोकि उस समय गृह मन्त्री थे। उस कमेटी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को उद्योग

धंधों के लिए काफी सहायता दी जानी चाहिए। उनके लिए टैक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने की इजाजत होनी चाहिए। ऐसी जगहों पर सरकार को खुद टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो। एक अलग से सेल भी गृह मंत्रालय के अन्तर्गत काम कर रहा है लेकिन मैं नहीं जानता क्या प्रगति है। यदि गृह मन्त्री जी अपने भाषण में इस मामले में जो प्रधान मन्त्री ने तय किया है और पहले के होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसने जो तय किया उस पर क्या कार्यवाही हो रही है इस पर प्रकाश डालेंथे तो बहुत अच्छा होगा। आप भिवण्डी को देख लीजिए, थाणे को देख लीजिए वहां पर पावरलूम और हैंडलूम का काम लोग कर रहे थे लेकिन उनका सारा का सारा उद्योग और सारा का सारा व्यापार बरबाद हो गया है। आज सरकारी मदद उनको देनी पड़ेगी ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उनका सारा का सारा व्यापार नष्ट हो गया है। वहां पर सरकार को पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। दस हजार या पांच हजार देने से काम नहीं चलेगा। जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति सरकार को अवश्य करनी चाहिए।

इसी तरह से वहां पर मजदूर थे जो झोपड़ियों में रहते थे। उनकी सारी की सारी झोपड़ियां जला दी गई हैं। वे लोग दूसरे प्रदेशों के आकर वहां पर रोजी रोटी के लिए पड़े थे और झोंपड़ पट्टी में रहते थे. उनकी झोपड़ियां जला दी गई है।

**4.00 म० प०**

एक बात की ओर मैं ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि जिन जमीनों पर झोंपड़-पट्टी लगाई गई थी, उन जमीनों को 20-25 साल पहले किराए पर लोगों को दी गई थी। आज उन जमीनों के दाम ऊंचे हो रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि उन दंगों में उन जमीनों के मालिकों का भी हाथ था। वे यह चाहते थे कि ये लोग यहां से उजड़ जायें, ताकि हम अपनी जमीनों के अच्छे दाम उठा सकें या किराये पर दे सकें। आज उनको फिर से कब्जा नहीं मिल रहा है। जिन जमीनों पर साल भर से झोंपड़-पट्टी थी, उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। अब महाराष्ट्र सरकार ने उसमें कुछ को दिलाई है। लेकिन मुझे बताया गया है कि अभी भी उनको कब्जा नहीं दिया गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वहां पर उन लोगों की झोंपड़-पट्टी थी, उनको पूरा कब्जा दिलाने की कोशिश करे।

उपाध्यक्ष जी, एक बात में राष्ट्रीय एकता परिषद् के बारे में कहना चाहता हूं। पिछली राष्ट्रीय एकता परिषद् में मैं समझता हूं कि यह तय हुआ था कि राष्ट्रीय एकता परिषद् की शाखा प्रदेशों में और जिला स्तर पर भी खोली जाएगी। लेकिन इस मामले में कोई अमल नहीं हो रहा है। अगर राष्ट्रीय एकता परिषद् की शाखा प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर खोल दी जाए और समय-समय पर साम्प्रदायिक स्थिति का जायजा लेते रहें, तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। एक बात जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा कि देश में 20-30 ही ऐसे स्थान होंगे, जो सेंसिटिव एरियाज हैं। बहुत अधिक क्षेत्र नहीं है, उन पर ज्यादा कड़ी निगाह रखनी चाहिए। तजुर्बे ने यह बात साबित की है कि जिन जिलों में दूसरे प्रदेश के अधिकारी होते हैं, वहां पर साम्प्रदायिक दंगों को जल्दी काबू में कर लिया जाता है और जहां पर उस प्रदेश के अधिकारी होते हैं, वहां दिक्कत होती है।

वैस्टेड इन्टरैस्ट होते है। इसलिए सरकार को मेरा सुझाव हैं कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जहां पर दंगों के होने की संभावना बनी रहती हैं, वहां पर जो दो अधिकारी होते हैं--- कलैक्टर और एस० पी०—इनमें से एक अधिकारी या तो दूसरे सूबे का होना चाहिए या दूसरे सम्प्रदाय का होना चाहिए। उसी तरह से जिस डिवीजन में जिला पड़ता है उस डिवीजन डी० आई० जी० और कमीशनर, इन दो अधिकारियों में से एक अधिकारी या तो दूसरे सूबे का होना चाहिए या दूसरे सम्प्रदाय का होना चाहिए। इस बात पर भी मैं वाजपेयी जी का समर्थन करता हूं कि उन जिलों में ऐसे अधिकारी रखे जाने चाहिए तो बहुत ही एफिशियेंट हों, जिनका इतिहास बहुत अच्छा काम करने का रहा हो। ऐसे अधिकारी को वहां रखा जाना चाहिए।

एक बात की ओर मैं गृह मन्त्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रत्येक अधिकारी के करेक्टर रोल में इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि उसने अपनी सर्विस के ज़माने में साम्प्रदायिक भावनाओं को बनाए रखने में, साम्प्रदायिक एकता को बनाए रखने में कितना योगदान दिया है। इस प्रकार का करेक्टर रोल में कालम होना चाहिए और उसमें प्रत्येक अधिकारी की रिपोर्ट अंकित होनी चाहिए कि साम्प्रदायिक एकता के बारे में उसने क्या कदम उठाए हैं और उसका क्या रोल रहा है और किस प्रकार से उसने काम किया है।

एक बात मैं सुझाव के रूप में और कहना चाहता हूं। वह यह है कि साम्प्रदायिक घटनाओं की खबरें आती रहती हैं और जैसी कि रिपोर्ट रही है, भले ही कम हो जाए, लेकिन कुछ समय तक आती रहेंगी। इसी तरह से हरिजनों पर अत्याचार की भी घटनाएं बराबर घटती रहती हैं। दूसरे अल्पसंख्यक चाहे भाषायी हों, उनके ऊपर भी अत्याचार की घटनाएं बराबर हमारे सामने आती रहती हैं। यदि इस प्रकार की व्यवस्था संभव न हो तो केन्द्र में उसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। जो उन सभी मामलों पर चाहे प्रगति का मामला हो, चाहे उनकी सुरक्षा का मामला हो, सभी पहलुओं पर विचार करे और अगर यस सम्भव न हो तो कम से कम गृह मंत्रालय में एक राज्य मन्त्री को इस कार्य में नियुक्त किया जाना चाहिए।

एक राज्य मंत्री के जिम्मे यह सारी कार्यवाही अगर हो जाएगी तो समझता हूं---इससे बड़ा बल मिलेगी।

अब कुछ शब्द मैं माइनारिटीज़ कमीशन के बारे में कहना चाहता हूं। माइनारिटीज़ कमीशन को अभी तक संवैधानिक हैसियत नहीं मिली है। इसके लिए दूसरे दलों के लोग भी मांग कर रहे हैं। और हमारे दल के लोग भी मांग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं—सरकार के सामने ऐसी कौन-सी परेशानी है, रास्ते में कौन-सी बाधा आ रही है जिससे माइनारिटीज़ कमीशन को संवैधानिक हैसियत नहीं दी जा रही है। माइनारिटीज कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी इस सदन में अभी तक बहस नहीं हुई है—चार साल बीतने को हैं। माइनारिटीज कमीशन ने कई मामलों में अपनी सिफारिशें दी हैं लेकिन उस रिपोर्ट पर इस सदन में कोई बहस नहीं हुई। हमें माइनारिटीज़ कमीशन की हैसियत को, उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाना पड़ेगा।

उसको वही हैसियत देनी चाहिए जो कमिश्नर फार शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दी गई है। जिस तरह से उनको संवैधानिक हैसियत दी गई है उसी तरह से माइनारिटीज कमीशन को भी संवैधानिक हैसियत दी जानी चाहिए।

अन्त में, उपाध्यक्ष जी, मैं यह बात ज़रूर कहना चाहता हूं—साम्प्रदायिक घटनाओं की निन्दा तो सभी करते हैं और करनी भी चाहिए, इससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। दुनिया में जहां हम सीना तानकर चलते हैं, हमारे यहां विभिन्न सम्प्रदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, हमारे यहां एक आदर्श जनतं ।, वहीं पर जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हम सब लोगों को शर्म आती है। सब लोग ऐसी घटनाओं की निन्दा करते हैं, आज तो वाजपेयी जी ने भी बड़ी ज़ोरदार निन्दा की है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन भगवान के लिए इससे राजनीतिक फायदा मत उठाइए।

**श्री रसीद मसूद** (सहारनपुर) : यह "भगवान के लिए" वाली बात क्या है ?

**श्री जैनुल बशर** : अगर गलत कह रहा हूं तो कह दीजिए। भगवान के लिए इससे राजनीतिक लाभ मत उठाइये। चुनाव आपको भी लड़ना है और चुनाव हमको भी लड़ना है। आपके ज़माने में भी साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थी, हमारे जमाने में भी हुई हैं। इन घटनाओं की निन्दा करनी चाहिए, इनकी रोकथाम के उपाय करने चाहिए। मुझे खुशी है कि इस बार सरकार ने काफ़ी उपाय किए हैं, विशेषकर प्रधानमन्त्री जी ने, और इसका असर यह हुआ है कि उत्तर भारत में जब साम्प्रदायिक दंगे की सम्भावना खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। उत्तर भारत में अब साम्प्रदायिक दंगा नहीं होगा। अगर वाजपेयी जी या उनकी पार्टी कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं होगा। अब स्थिति काफ़ी बदल गई है। लेकिन दक्षिण भारत में जो घटनायें हो रही हैं—दक्षिण भारत के मुसलमान कुछ सम्पन्नता की ओर अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं, अपेक्षाकृत उत्तर भारत के, के, इसलिए वहां घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको रोकना चाहिए।

**4-00 म० प०**

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए**

वाजपेयी जी ने भी सुझाव दिया है और चौधरी साहब भी बार-बार सुझाव देते आये हैं कि साम्प्रदायिकता के आधार पर जो राजनीतिक दल बनाये जायें उनकी उन पर पाबन्दी लगनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करता हूं। वाजपेयी जी ने कहा—कांग्रेस की तरफ से इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है। मैं आपकी मांग का स्वागत करता हूं, ज़रूर पाबंदी लगनी चाहिए लेकिन उस पाबन्दी में एक व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था गृह मन्त्री जी क्या करेंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जो साम्प्रदायिक संगठन हैं वे अपना राजनीतिक फ्रण्ट (आर्गेनाइज़ेशन) न कायम कर लें। जैसे—आर० एस० एस० ने वाजपेयी जी की पार्टी को उछाल दिया। इसी तरह से मुस्लिम लीग है या दूसरे मुस्लिम संगठन हैं—अवामी लीग या और किसी नाम से कोई राजनीतिक पार्टी उछाल दें या जैसे अकाली दल है

वह कोई और नाम देकर कोई राजनीतिक पार्टी उछाल दे और वे पार्टियां उनके कन्ट्रोल में रहें उन पर भी पाबन्दी लगनी चाहिए। वाजपेई जी ने जो कहा है, वह ठीक है लेकिन आपकी मिसाल न दोहराई जाय इसके लिए सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता के आधार पर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर कानूनी पाबन्दी लगाई जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया।

**श्री एम०एम० लारेन्स** (इडुक्की)—सभापति महोदय, यह आजादी का 37वां वर्ष है। कुछ दिनों के बाद हम अपना स्वतन्त्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। जब हम आजाद हुए उस समय हमारे देश के अधिकांश भागों में विशेष रूप से उत्तरी भारत में साम्प्रदायिक आधार पर खून की नदी बह रही थी। प्रत्येक व्यक्ति को यह आशा थी कि उसके बाद साम्प्रदायिक झगड़े समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अभी भी 37 वर्षों के बाद हम उन्हीं साम्प्रदायिक दंगों, साम्प्रदायिक झगड़ों पर चर्चा कर रहे हैं और हम इन साम्प्रदायिक दंगों तथा झगड़ों को समाप्त करने के लिए कोई हल ढूंढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

कई अवसरों पर इस बारे में चर्चा की गई है और निर्णय लिए गए हैं, विशेष रूप से हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हमेशा विघटनकारी ताकतों के कार्य के विरुद्ध तथा साम्प्रदायिक झगड़ों तथा दंगों आदि की घटनाओं को रोकने के लिए भाषण तथा चेतावनी देती रही हैं।

अब हम मुख्य रूप से भिवण्डी में हुई घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। यह नवीनतम घटना नहीं है, मेरे विचार में नवीनतम घटना हैदराबाद की है। भिवण्डी में 300 से अधिक व्यक्ति मारे गये थे, हजारों घायल हुए थे, अधिकांश भाई और बहनें अब हाथ-पावों के बिना रह रहे हैं। यह कैसे हुआ ? 1970 में भी भिवण्डी में साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ था। तब लगभग 80 लोग मारे गए थे, जो अधिकांशतया मुसलमान थे। उस समय गुण्डों द्वारा लाखों रुपयों की कीमत का सामान लूटा गया था, सैकड़ों झोपड़ियां जला दी गई थीं और 13 वर्ष के बाद पुनः वहां यह घटना घटी है और अधिक आदमी मारे गए, अधिक लूटपाट की गई, अधिक अग्निकांड हुए, अधिक झोपड़ियां जलाई गईं थी और अधिक व्यक्ति घायल हुए थे। इसके लिए मुख्य जिम्मेदारी अर्द्ध-फासिस्ट संगठन शिव सेना पर डाली गई है। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य इस अर्द्ध-फासिस्ट संगठन शिव सेना के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** : 'अर्द्ध' क्यों ?

**श्री एम० एम० लारेन्स** : अब आप इसमें संशोधन करते रहें। उन्हें साफ-साफ कहने में पीड़ा क्यों हो रही है ? क्यों ?

सत्ताधारी दल के मेरे मित्र यहां एक बहुत ही जोरदार भाषण दे रहे थे। वे भी शिव सेना के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे जिसने वहां बड़ी सावधानी से साम्प्रदायिक दंगों की योजना

बनाई थी। मेरे विचार में इस स्थिति के पीछे कोई कारण है। क्योंकि इस शिवसेना ने बहां परिषद के चुनावों के दौरान महाराष्ट्र के सत्ताधारी दल की सहायता की थी। इस बारे में एक मौन करार किया गया था। क्या यह रिकार्ड में नहीं है ? उन्होंने कांग्रेस (इ) सदस्यों की परिषद में चुने जाने के लिए सहायता की थी। हमारे वित्त मन्त्री ने इस वर्ष अपना बजट भाषण देते समय "आने वाली इस महान घटना" के बारे में जिक्र किया था। महाराष्ट्र में काँग्रेस (इ) दल शिव सेना को यह आश्वासन दे रहा था कि "आने वाली महान घटना" चुनाव है।

**श्री एडुआडो फैलीरो :** आप गलत वक्तव्य क्यों दे रहे हैं।

**श्री एम० एम० लारेन्स :** आप इसका खंडन कर सकते हैं।

1970 की घटना के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में शिवाजी जयंती जलूस पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। इस वर्ष उसके लिए अनुमति क्यों दी गई थी ? यह शिवसेना के लोगों को प्रसन्न करने के लिए किया गया था। उन्होंने प्रतिबन्ध को हटा लिया है और उन्हें सभी प्रकार के उत्तेजित नारे लगाते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में जुलूस ले जाने की अनुमति दी है। यदि इस जुलूस को निकालने की स्वीकृति नहीं दी जाती तो यह दंगा नहीं हुआ होता। अतएव मुख्य जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार तथा कांग्रेस (इ) दल पर पड़ती हे।

कई स्थानों में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। उसके बाद जां आयोग स्थापित करने के लिए कोई आन्दोलन शुरू हो जाएगा। आयोग उस मामले की गहराई से जांच करेगा और प्रतिवेदन पेश करेगा और सिफारिशें करेगा तथा सुझाव देगा। लेकिन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा। 1970 की घटना के बाद न्यायमूर्ति श्री मदान की अध्यक्षता में गठित एक जांच आयोग ने कुछ सुझाव दिए थे।

लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार, 20 जून से 22 जून, 1984 में श्रीनगर में हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये थे—

1. राज्य और केन्द्रीय स्तर पर विशेश अधिसूचना इकाइयां बनाई जाएं, जिनमें विशेष रूप से प्रशिक्षित और इस प्रकार के कार्य के लिए रुचि वाले और पूर्ण निष्पक्षता वाले व्यक्ति हों;

2. आसूचना एजेन्सियों द्वारा अपनी रिपोर्टें भेजी जाएं और जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधीक्षकों द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किए जाये;

3. इन रिपोर्टों की जांच करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी डाली जाये और आगे कोई साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए शीघ्र निरोधक कार्रवाई की जाए।

4. अफवाहें उड़ाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

राष्ट्रीय एकता परिषद ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

महाराष्ट्र में कांग्रेस (इ) सरकार क्या कर रही थी, आसूचना सेवा क्या कर रही थी? जैसाकि मैंने पहले कहा है, शिव सेना और अन्य साम्प्रदायिक दलों के पहले से ही बड़े सोच विचार से इसकी योजना बना ली थी। यदि आसूचना सेवा सही तरीके से और तत्परता से कार्य करती तो जो कुछ होने जा रहा है, उसकी उन्हें पहले ही सूचना मिल जाती। लेकिन वहां की पुलिस का क्या चरित्र है। 1970 में ही मदान समिति की रिपोर्ट में बताया गया था कि महाराष्ट्र में पुलिस ने पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। भिवंडी में हुई पहली घटना के पश्चात् वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। निश्चय ही दूसरी ओर से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं दिया गया, उन्हें नल से पानी नहीं लेने दिया गया। अन्य लोगों को पुलिस स्टेशन के बरामदों में जगह दी गई, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धूप में ही बैठने को कहा गया। उन्हें हिरासत में तंग किया गया तथा उन्हें जेल भेजते समय गाड़ी में बैठने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया। यदि बात मदान समिति की रिपोर्ट में कही गई थी।

महोदय, देश में विदेशी धन की सहायता से सभी प्रकार की विघटन शक्तियां कार्यरत हैं। मिशनरी कार्य के नाम पन पूर्वोत्तर में तथा देश के अन्य भागों में अनेक संगठन कार्यरत हैं और सरकार भी यह बात अच्छी तरह जानती है कि विदेशी ऐजेंशियां उनकी सहायता कर रही हैं और साम्राज्यवादी शक्तियां भी उनके पीछे हैं। लेकिन सरकार दूसरे देश को विघटित करने की कोशिश में लगी इन शक्तियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। महोदय, यह सरकार स्वतंत्रता के पश्चात लोगों को दिशा निर्देश देने में असफल रही हैं। साम्प्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं। इन दंगों में कौन मर रहे हैं, केवल गरीब लोग। ये दंगे स्वयं निर्धन लोगों के बीच ही होते हैं, बड़े उद्योगपतियों, भूमिपतियों या बड़े पूंजीपतियों के बीच नहीं। जब किसी क्षेत्र में दंगे होते हैं तो ये गरीब लोग एक दूसरे को खत्म करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं और एक दूसरे को जलाते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ दोनों साम्प्रदायों के अमीर लोग 5-तारा होटलों आदि में मौज उड़ा रहे होते हैं। यही कुछ हो रहा है। मुख्य बात यह है कि लोगों को कुछ दिशा निर्देश दिया जाये। स्वतंत्रता से पूर्व हमें यह दिशा निर्देश मिलता था, जब हमें विदेशी चंगुल से अपने देश को आजाद कराना था, किन्तु स्वतंत्रता के बाद क्या हो रहा है। सरकार पूंजीवाद बनाने का प्रयास कर रही है, सामान्य लोगों के कष्ट बढ़ाकर पूंजीपतियों की सहायता कर रहा है, जमीदारों की सहायता कर रही है और शोषकों के हितों की रक्षा के लिए किसी तरीके से भी सत्ता बनाए रखना चाहती है। सरकार एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदाय से लड़ाती है। ये वही चाल चल रहे हैं जो ब्रिटिश साम्राज्यवादिओं ने चली थी—फूट डालो और राज करो। इन्हें लोगों की एकता से डर

लगता है। यदि देश के निर्धन लोग—चाहे वे हिन्दु हों, सिक्ख हों, मुसलमान हों, ईसाई, पारसी या कोई भी हों— इकट्ठे होकर अपने हितों के लिए लड़ें तो स्वाभाविक है कि वे सरकार की प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरुद्ध लड़ेंगे, ये इस देश में जमीदारों, पूंजीपतियों और अन्य शोषकों के हितों को बढ़ावा दे रही हैं। इसलिए, लोगों की एकता में शासक दल की कोई रुचि नहीं है केरल में क्या हो रहा है ? कांग्रेस (इ) एक संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कर रही है ? जिसमें अधिकतर दल धर्म और जाति—ईसाई, मुसलमान, ऐजहाव और नायर आदि—के आधार पर बने हैं।

**श्री के० टी० कोशलराम** (तिरुचेंडूर) : मैं चुनौती देकर कह सकता हूं कि सभी राजनीतिक दल इसी प्रकार बने हैं।

**श्री एम० एम० लारेंस** : जो कुछ इन्होंने अभी कहा, यदि मैं इसे मान भी लूं तो क्या कांग्रेस (इ) की यह नीति है कि किसी तरह से सत्ता बनाये रखने के लिए स्वार्थी उद्देश्यों के लिए साम्प्रदायिक संगठनों को बढ़ावा दिया जाये। केरल में ये लोग यही कर रहे हैं।

हम इन साम्प्रदायिक दंगों को कैसे रोक सकते हैं। कुछ संगठन साम्प्रदाय आधार पर एकत्र होकर साप्रदायिक दंगों और झगड़ों को रोकने की कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों का है। दाल ही में मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा बनाया गया है। क्या यह साम्प्रदायिक मनमुटाव—तनाव और झगड़े रोकने में सहायता करेगा ? नहीं करेगा, यह एक घातक नीति होगी।

**श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** (मजेरी) : यदि वे इकट्टे हो जाते हैं और देश के कल्याण के लिए मिलकर काम करते हैं तो यह घातक कैसे हैं ?

**श्री एम० एम० लारेंस** : यह मोर्चा धर्म और साम्प्रदायिकता के आधार पर बनाया गया है। लेकिन इस तरीके से आप साम्प्रदायिकता समाप्त नहीं कर सकते ! ··· (**व्यवधान**)। अल्पसंख्यक समुदायों को अपने हितों के लिए साम्प्रदायिक आधार पर संगठित होने के बजाय उन्हें देश में सभी धर्म-निरपेक्ष शक्तियों प्रजातांत्रिक शक्तियों और प्रगतिशील शक्तियों का साथ देना चाहिए। इस तरीके के अल्पसंख्यक समुदायों पर बहुसंख्यक समुदाय के लव से किए जा रहे अत्याचारों को अल्पसंख्यक समुदाय रोक सकते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के सामान्य लोगों की दंगों में कोई रुचि नहीं है। ये दंगे कुछ स्वार्थी दलों और संगठनों द्वारा उकसाए जाते हैं। इसलिए अल्पसंस्यकसमु दाय के पास केवल एक ही रास्ता है और वह है धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और प्रगतिशील शक्तियों का साथ देना क्योंकि साम्प्रदायिक दंगे रोकने का केवल यही एकमात्र तरीका है।

जैसा कि मैंने पहले बताया हमारे राज्य में कांग्रेस (इ) सत्तारूढ दल है। अन्य राज्यों की भांति केरल में भी ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, वह केवल राजनैतिक स्वार्थ के लिए है। जो लोग साम्प्रदायिक शक्तियों को बढ़ने से रोकने के बजाय उनकी सहायता कर रहे हैं।

**4.28 म०प०**

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : कौन हैं ये लोग ?

**श्री एम० एम० लारेंस** : कांग्रेस (इ)

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : मुझे इस आरोप पर घोर आपत्ति है। इसका कोई आधार नहीं है··· (व्यवधान)

**श्री एम० एम० लारेंस** : हाल ही में मैंने अखबारों में एक रिपोर्ट पढ़ी है कि गोपाल गोडसे ने जो महात्मा गांधी की हत्या के दोषी थे, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए सामान्य जनता से अपील की है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उसके साथ हूं।

**श्री एम० एम० लारेंस** : इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं।

**(व्यवधान)**

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : आप मार्क्सवादी दल, जनसंघ और इन सभी लोगों को कैसे समर्थन दे रहे हैं ?

**श्री एम० एम० लारेंस** : नहीं नहीं। हम जनसंघ, आर० एस० एस० का किसी अन्य साम्प्रदायिक संगठन को कभी समर्थन नहीं देते। उसका कांग्रेस (इ) के लोगों के साथ सम्बन्ध है।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : हम देखेंगे कि बाद में आपके क्या समझौते होते हैं।

**(व्यवधान)**

**श्री एम० एम० लारेंस** : मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हाल ही में केरल में पल्लर चुनाव क्षेत्र के उप-चुनाव में जहां कांग्रेस (इ) के उम्मीदवार लड़े थे, आर०एस०एस० के लोगों ने कांग्रेस (इ) के उम्मीदवार का समर्थन किया था···

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : उनके साथ कोई समझौता नहीं हुआ था बिल्कुल नहीं।

**(व्यवधान)**

**श्री एम० एम० लारेंस** : इस नीति को समाप्त करना ही है। इस नीति से देश में साम्प्रदायिक झगड़े समाप्त करने में सहायता नहीं मिलेगी। इस नीति से इस देश में साम्प्रदायिक झगड़े बढ़ेंगे और उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

4.31 म० प्र०

## श्रीलंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : माननीय अध्यक्ष/महोदय, एवं सदन के सदस्यगण।

श्रीलंका में हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे हमें गहरी चिन्ता हो गई है। इस प्रकार की खबरें मिली हैं कि श्रीलंका के उत्तरी भाग में सुरक्षा की स्थिति बहुत बिगड़ गई है जिसकी वजह से वहां बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ है। श्रीलंका के सरकारी सुरक्षा बलों और तमिल सैन्यवादियों के बीच मुठभेड़ें होने की भी खबरें मिली हैं। श्रीलंका के सुरक्षा बलों के भी कुछ लोग हताहत हुए हैं। बताया जाता है कि हिंसा में नौसेना के दो कार्मिक मारे गये और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बम विस्फोट की वजह से अपने दफ्तर में मारा गया। तमिलों में जान और माल का नुकसान कहीं अधिक हुआ है। उत्तरी प्रान्त में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की भी खबरें मिली हैं। बताया जाता है कि श्रीलंका की नौसेना ने वैल्वेतितुरई शहर पर जबर्दस्त गोलाबारी की है जिसकी वजह से वहां जान और माल का बहुत भारी नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं और उन्होंने स्कूल की इमारतों में और दूसरी जगहों पर आश्रय लिया है। इन दुःखद घटनाओं की वजह से गहरी पीड़ा और आघात पहुंचा है।

जैसा कि सदन को मालूम है, हमने हमेशा हर तरह की हिंसा के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है और श्रीलंका की एकता एवं अखंडता के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। हमने इस बात के लिए भी सभी कदम उठाए हैं कि हमारी जमीन से ऐसी कोई कार्रवाई न हो सके जो श्रीलंका के विरुद्ध हो। प्रधान मंत्री ने 2 अगस्त, 1984 को मद्रास हवाई अड्डे की घटना की निन्दा और भर्त्सना की है जिसमें 29 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए यह बात अपने आप में निन्दनीय भी है और खेदजनक भी कि श्रीलंका के जिम्मेदार नेता बराबर यह बेबुनियाद आरोप लगाते रहें कि भारत तमिल सैन्यवादियों को आश्रयस्थल और समर्थन दे रहा है। मैं यह बात एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के भ्रामक और निराधार आरोपों से दोनों देशों के बीच के सम्बन्धों में अनावश्यक गलतफहमी ही पैदा होगी।

ऐसे समय में जब कि सर्वदलीय सम्मेलन चल रहा है, अगर यह सिलसिला या संघर्ष बढ़ता है तो इससे इस समय जो राजनीतिक बात चल रही है, वह ठप्प ही होगी। उत्तरी श्रीलंका की मौजूदा स्थिति तनावपूर्ण और अशांत है और सुलह-सफाई के लिए सम्मिलित रूप से तथा पूरी ईमानदारी के साथ प्रयत्न करना जरूरी है। हम यह उम्मीद करते हैं कि अधिक संयम और सद्भाव से काम लिया जाएगा और उसी की वजह से साम्प्रदायिक तनाव से मुक्त वातावरण पैदा होगा जो श्रीलंका के सभी दलों और समुदायों के नेताओं के उन प्रयासों को सार्थक बनाने में सहायक होगा जो वे स्थाई राजनीतिक समाधान खोजने की दिशा में कर रहे हैं।

दो दिन पहले राष्ट्रपति जयवर्धन ने इन घटनाओं के बारे में हमारी प्रधानमंत्री को एक

संदेश भेजा था। प्रधान मंत्री ने उसका उत्तर भेज दिया है जिसमें उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर एक बार फिर बल दिया है कि सभी सम्बद्ध पक्ष पूरे संयम से काम लें और एक व्यावहारिक और स्वीकार्य समाधान खोजने की राजनीतिक प्रक्रिया में दृढ़ संकल्प हो कर आगे बढ़ें।

**श्री के० मायातेवर डिन्डिगल :** महोदय, मेरी मांग है कि इस विषय पर पूरी चर्चा की जाए। हमने पहले ही इसकी मांग की है। आप आज **'फ्री प्रैस'** देखें।

**अध्यक्ष महोदय** : इस वक्तव्य के बाद और कुछ नही।

**श्री के० मायातेवर** : 300 लोग बेकार हो गये।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : इन्होंने पहले ही वक्तव्य दे दिये हैं। आप यह बात लिखित रूप में दे सकते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : इस विषय पर बहस अवश्य होनी चाहिए।

**श्री के० मायातेवर :** हम माननीय प्रधान मंत्री जी का संरक्षण चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी के हाथ में हैं। हम हमेशा प्रधानमंत्री जी पर निर्भर करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रधानमंत्री जी भी इतनी ही चिन्तित हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) ; कल का कालिंग-एटेन्शन तो कायम है न ?

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने कब इनकार किया है आपको ? मैं किसी बात के लिए इनकार नहीं करता हूं।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : हम आपसे विचार-विमर्श करेंगे।

**(व्यवधान)**

**श्री के० मायातेवर** : महोदय, कल के ध्यानाकर्षण को पूरी बहस में बदल दिया जाये। कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। अन्यथा, धर्म के नाम पर पूरी तमिल जाति समाप्त कर दी जाए.....

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, कल का ध्यानाकर्षण बम बिस्फोट के सम्बन्ध में है।

**(व्यवधान)**

अध्यक्ष **महोदय** : यह क्या है ? आप नियम तो जानते हैं। नियमों का उलंघन करने का प्रयास न करें। यह क्या हो रहा है ? आप मुझे कोई भी प्रस्ताव या कुछ भी दे सकते हैं ?

**श्री के० मायातेवर** : मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप सदन का समय क्यों बरबाद कर रहे हैं। मेरी अनुमति के लिए रिकार्ड में कुछ भी नहीं जाएगा।

**श्री के० मायातेवर** : लोग मर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : हमें भी उसकी चिन्ता है।

**श्री के० मायातेवर** : महोदय, सरकार को चिन्ता है, मैं उसे समझता हूं।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : हम कुछ न कुछ करेंगे। आप बैठ जाइए। हम हल निकाल सकते हैं। यह दोनों की समस्या है। हम कोई रास्ता निकालेंगे।

**श्री ए० नीलालोहिथदसन नाडार (त्रिवेन्द्रम)** : इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

**अध्यक्ष महोदय** : सरकार पहले ही कुछ कदम उठा चुकी है और कुछ कदम उठा रही है।

**श्री ए० नीललोहिथादसन नाडार** : सरकार कुछ भी नहीं कर रही है।

**श्री के० मायातेवर** : कागजों पर कुछ विवरण देने, पढ़ने तथा कुछ करने का कोई लाभ नहीं है। भारत सरकार अब तक कागजी कार्यवाही के रूप में कार्य कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया आप बैठ जाइए।

**श्री के० मायातेवर** : महोदय, आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं। यहां तक कि आप मुझे मार भी सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह अध्यक्ष महोदय के हाथ में है। परन्तु मेरे राज्य में लोग मर रहे हैं।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए।

**श्री के० मायातेवर** : महोदय, लोगों के जीवन को बचाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यही करने का प्रयास सरकार कर रही है।

**श्री के० मायातेवर** : हम कल इस पर चर्चा करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : हम कल इस पर चर्चा करेंगे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। बम फटने के बारे में बोलने के लिए मैं पहले ही अनुमति दे चुका हूं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कल प्रस्तुत किया जाएगा।

**श्री के० मायातेवर** : उसमें मेरा नाम नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में मैं क्या कर सकता हूं ? क्या यह मेरे अधिकार में है ?

**श्री के० मायातेवर** : कांग्रेस (ई) संसद सदस्यों सहित किसी भी सदस्य का नाम मद्रास से नहीं है। उनके नाम भी इसमें नहीं हैं। **(व्यवधान)**। मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं जानता कि यहां किस प्रकार के सदस्य हैं।

**श्री रशीद मुशीद** (सहारनपुर) : दोनों अलग-अलग सब्जैक्ट्स हैं, इसलिए अलग-अलग लिए जाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं—बड़ी मुश्किल से कल मेरा नाम आया है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : इनका नाम आया है, इसलिए ये खुश हैं। उनका नहीं आया है, इसलिए वे नाखुश है।

**श्री के० मायातेवर** : लोगों की जिन्दगी की रक्षा के लिए कुछ सामग्री के रूप में कार्यवाही की जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु कार्य मंत्रणा समिति में जो निर्णय लिया गया है, उस पर पहले कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। इन लोगों को और अन्य किसी माननीय सदस्यों को ध्यानाकर्षण सूचना और अन्य कोई सूचना देने से किसने रोका है? मैं उन्हें उनके उस अधिकार से वंचित नहीं करता। आप कोई भी सूचना दें कौन बाधा डालता है?

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** यह मेरे अधिकार में नहीं है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि नागर विमानन मंत्री जी तथा विदेश मंत्री जी को कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए उपस्थित होना चाहिए।

**एक माननीय सदस्य :** ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के स्थान पर इस पर पूर्ण रूप से चर्चा की जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय**—हमें इसके लिए समय चाहिए तथा यह केवल कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा दिया जा सकता है।

मैंने किसी भी विषय पर विचार के लिए रुकावट नहीं डाली। यह केवल आपसी समझौते का प्रश्न है जो हम कार्य मंत्रणा समिति में करते हैं। जो कुछ भी वह कहेंगे, मैं स्वीकार कर लूंगा। कोई कठिनाई नहीं है। सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा, मैं उसको मानूंगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** (बदागरा) : महोदय बम विस्फोट एक अलग मामला है तथा यह एक अलग मामला है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने इसे कभी नहीं मिलाया। मैं आपकी बात से पूर्णतयः सहमत हूँ। मैंने किसी भी बात पर रोक नहीं लगाई है। हम कोई मध्य मार्ग ढूंढ़ सकते है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने किसी भी बात पर रोक नहीं लगाई है। आप किसी भी प्रस्ताव की सूचना देने के लिए स्वतन्त्र हैं और मैं आपके साथ विचार-विमर्श करूंगा।

**श्री आर० आर० भोले।**

---

4.39 म० प०

## देश के विभिन्न भागों में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा—जारी

**श्री आर० आर० भोले** (बम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। जब तक हम सभी लोग, अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों से विभिन्न सम्प्रदाय, जो इस देश में रहते हैं, शान्ति, मैत्री तथा मित्रतापूर्वक न रहें तो हमारे देश के लिए न केवल विकास अपितु देश की एकता और अखण्डता के मामले में उन्नति करना कठिन होगा।

हमारे देश में भिन्न समस्याएं हैं। अनुसूचित जातियों के लोगों की समस्या जो अभी भी अनेक समस्याओं से उभर नहीं सके हैं। और एक सीमा तक हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच विश्वास की भी समस्या है। कुछ मुसलमान दूसरों पर विश्वास न करने की स्थिति में हैं क्योंकि उनके अनुसार वह जो चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता। इसके साथ-साथ कुछ समुदाय वह सोचते हैं कि मुसलमानों को सभी कुछ मिल रहा है और इनमें से कुछ लोग गलत तरीके से सोचते हैं। उनकी दृष्टि अलग-अलग दिशा में हैं। यह स्थिति स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व थी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज भी हममें से दोनों तरफ के कुछ लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। जहां तक साम्प्रदायिक दंगों का संबंध है विशेष रूप से भिवंडी में, थाणे में तथा बम्बई के एक छोटे से भाग में, यह पूर्णतयः दो समुदायों के बीच टक्कर तथा संघर्ष नहीं था।

**अध्यक्ष महोदय** : एक मिनट रुकें। हमारे पास बहुत से वक्ता हैं और यहां और भी काम हैं जिसे हमें कल भी पूरा करना है। अतः मैं सोचता हूं कि सभा मुझसे सहमत होगी कि हम इस पर बातचीत, चाहे देर तक बैठ कर करें, आज हीं समाप्त कर दें।

**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

**अध्यक्ष महोदय** : विभिन्न दलों को दिए गए समय के संबंध में आपको मेरे साथ सहयोग देना होगा। यहां बहुत से सवाल नहीं हैं केवल कुछ ही सवाल हैं। एक जैसे सवालों की अलग-अलग व्याख्या होगी। निश्चित समय के भीतर आप इसे पूरा कर सकते हैं। आपको मेरे साथ सहयोग देना होगा और मैं आपको, सभापति महोदय अथवा पीठासीन अधिकारी, जो भी पीठासीन हैं, से सहयोग करने के लिए कहूंगा। अतः हम आज इस विषय को चाहे देर तक बैठकर चर्चा करें, समाप्त कर देंगे।

क्या मुझे सदन की सर्वसम्मति प्राप्त है ?

**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक सदस्य को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वह समय बद्ध है ।

**श्री आर० आर० भोले** : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बम्बई में शिव सेना के कुछ नेताओं ने एक सभा को सम्बोधित किया और प्रेस प्रकाशनों के अनुसार उन्होंने कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया जो ठीक नहीं थीं । मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महसूस किया कि यह सब बातें उनके धर्म के विरुद्ध थीं । इससे वातावरण उत्तेजित होना शुरू हो गया और अन्त में यह अधिक उत्तेजित हो गया ।

**श्री रतन सिंह राजदा** (बम्बई दक्षिण) : उनके अनुसार यह उत्तेजना रहित था ।

**श्री आर० आर० भोले** : फिर शिव जयन्ती दिवस आया जिसका समारोह भिवंडी में होना था । पहले भिवंडी में दोनों समुदायों में उत्तेजना के कारण शिव जयन्तियों के समारोह नहीं हुए थे । दोनों समुदायों की सर्वसम्मति तथा बातचीत के बाद इस वर्ष यह निर्णय लिया गया कि शिव जयंती समारोह मनाया जाये । ऐसे वातावरण में भिवंडी में शिव जयन्ती समारोह का आयोजन हुआ परंतु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शिव सैनिक दल के लोगों ने समूचे भिवंडी में अपनी पार्टी के झण्डे लगा दिए । भगत झंडा अपने में गलत नहीं है परंतु इससे पहले की पृष्ठभूमि तथा तनावयुक्त वातावरण के कारण लोगों ने महसूस किया कि इसका प्रदर्शन बर्दाश्त के बाहर है । यह प्रदर्शन इस प्रकार का था जिससे दूसरे समुदाय के लोगों ने अपमानित महसूस किया । इसके बाद मुसलमानों का ईद-उल-फितर का पर्व आया । उन्होंने भी हमेशा की तरह पर्व को मनाया, परंतु इस बार उन्होंने पूरे नगर में हरे झंडे लगा दिए । इस प्रकार तनाव शुरू हो गया और एक समुदाय का दूसरे समुदाय के विरुद्ध द्वेष उत्पन्न होता गया । जो हिंसा हुई वह अधिकतर भिवंडी के आसपास के क्षेत्रों में हुई । बंबई में बाहर से लाखों लोगों ने आकर बस जाने से वहां की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है उनके लिए रहने के लिए काई स्थान नहीं है । उनके पास रहने के लिए घर नहीं हैं अतः उन्होंने सभी स्थानों पर तथा भिवंडी के आसपास झौंपड़ियां बनाई, हजारों झोपड़ियां बनाई गई और गरीब वर्ग के लोगों ने वहां रहना शुरू किया है । दंगे वहां से शुरू हुए झोपड़ियों को आग लगा दी गई, उन्हें नष्ट कर दिया गया । आदमियों को मार डाला गया । निर्दोष लोगों को मार दिया गया केवल एक ही धर्म समुदाय के नहीं अपितु दोनों समुदायों के लोगों को मारा गया ।

इस प्रकार की पृष्ठभूमि में, इन दुर्भाग्यपूर्ण दंगों पर विचार किया जाना चाहिए । बम्बई

में, भिवंडी में, ठाणा में बहुत संख्या में झुग्गी झौपड़ियां हैं। यहां बहुत अधिक संख्या में मकान हैं। झुग्गी झोंपडियों तथा गंदी वस्तियों में रहने वाले अधिकतर लोगों को उपयुक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। यह लोग देश के सभी भागों से आए है। अनेक लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। क्योंकि उनके अपने राज्यों में उनको रोजगार प्रदान नहीं किए गए, यह लोग बम्बई में अपने खाने-पीने की सुविधा जुटाने तथा रोजगार के लिए आए हैं। इनमें से बहुत से लोगों को रोजगार नहीं मिल सका इसलिए इन लोगों ने अन्य अवैध तथा गलत धंधों का आश्रय लिया। गंदी बस्ती में समाज विरोधी तत्व पनप जाते हैं। इस तरह सारी बम्बई में हिंसा के क्षेत्र बन जाते हैं। तत्पश्चात तस्करों स्लम के समाज विरोधी लोगों में आपसी प्रतिद्वंद्विता हो जाती है और जब ऐसे दादाओं के बीच वैमनस्य हो जाता है तो साम्प्रदायिक दंगे···

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : वसंत दादा !

**श्री आर० आर० भोले** : वह हमारा 'दादा' है।

**(व्यवधान)**

**श्री रतनसिंह राजदा** : 'दादा' शब्द के दो अर्थ हैं : एक का अर्थ 'बड़ा भाई' तथा दूसरे का अर्थ 'गुंडा' होता है। उन्होंने इसका क्या अर्थ लिया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : दोनों का अर्थ बुरे भाव से नहीं है।

**(व्यवधान)**

**श्री आर० आर० भोले** : मराठी भाषा में 'दादा' का अर्थ 'बड़े भाई' से है। आखिरकार बम्बई में क्या हुआ। थाना और भिवंडी जो हिंसा के क्षेत्र हैं वहां दंगों का फायदा उठाकर और हिंसात्मक वारदातें हुई। शुरू-शुरू में तो ऐसा लगा कि यह एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच संघर्ष है लेकिन आखिरकार इसका परिणाम यह हुआ कि हिंसा के ये क्षेत्र अशांति फैलाने वाले क्षेत्र बन गए, गंदी बस्ती के दो दादाओं ने व्यक्तिगत दुश्मनी का रूप ले लिया और इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया तथा अशांति फैलाने लगे।

मुझे यही कहना है। यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारी सरकार को इन हिंसा वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से शराब बनाने के क्षेत्रों में, अवैध व्यापार वाले क्षेत्रों में शांति बनानी चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। सरकार को मालूम होना चाहिए कि वे अशांति फैलाना चाहते हैं। इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारी पुलिस और सतर्कता विभाग को अधिक कार्यकुशल होना चाहिए। जब तक पुलिस और सतर्कता विभाग दक्ष नहीं होते, तब तक सरकार यह जानने में समर्थ नहीं होगी कि एक तरफ या दूसरी तरफ क्या हो रहा है। राजनैतिक

दलों को इसे राजनैतिक मामला नहीं बनाना चाहिए। हमें सौहार्द के वातावरण में रहना है और जब तक हम सौहार्द और शांति के वातावरण में नहीं रहते तब तक हम और प्रगति नहीं कर पायेंगे।

**श्री रशीद मसूद** (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय,

महसूस यह होता है कि दौरे तबाही है।
शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है॥
दुनिया में कहीं इसकी तकमील नहीं मिलती।
कातिल ही मुहाफिज है कातिल ही सिपाही है॥

अब से पहले मैं जैनुल बशर साहब की तकरीर सुन रहा था। मुझे उनकी आज की तकरीर में और मेरठ के फसादात के फौरन बाद की तकरीर में कुछ फर्क महसूस हुआ। मुझे महसूस हुआ कि जिस बात को कह कर इस डिवेट की शुरुआत हुई थी कि हम इससे कोई पोलिटिकल फायदा उठाने के बजाय उन खराबियों को बताने की कोशिश करें जिससे हिन्दुस्तान के अन्दर ये फसादात होते हैं, जो वजूहात हैं इन फसादात के लेकिन मेरे उधर के बुजुर्ग दोस्तों ने बजाय उन वजूहात को बयान करने के जो इन फसादात की जड़ में हैं, कांग्रेस पार्टी को या रूलिंग पार्टी को मुसलमानों का इस मुल्क में मुहाफिज बनाकर पेश करने की कोशिश की है. मुझे इससे इख्तलाफ और अपने इख्तलाफ और अपने सुबह को दूर करने के लिए मुझे कुछ ऐसे हकायत से परदा उठाना होगा कि जहां हम शायद उस बात को बरकरार न रख सकें जिसकी शुरूआत वाजपेयी जी ने अपनी तकरीर से की थी। मैं बाकी चीजों को छोड़े देता हूं क्योंकि 10-12 मिनट ही रहेंगे। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं जैनुल बशर साहब से, आपने कहा कि फसादात 1980 के पहले भी होते थे, 1980 के बाद में भी होते हैं और बड़े-बड़े फसादात 1980 से पहले ही हुए हैं—मुझे यहां एख्तिलाफ है। यह सही है फसादात 1980 से पहले भी हुए हैं, 1980 के बाद भी फसादात हुए हैं और 1985 के बाद भी होंगे अगर हमारी सरकार भी आ जाए तब भी, लेकिन 1980 के पहले के फसादात और 1980 के बाद के फसादात में बहुत बड़ा फर्क है। 1980 से पहले के फसादात दो भाइयों की लड़ाई के होते थे, हिन्दू मुसलमान में लड़ाई के फसादात होते थे, हिन्दू मुसलमानों में झगड़ा होता था, हिन्दू मुसलमानों में आपस में झड़पें होती थीं, हिन्दू मुसलमान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात भी करते थे लेकिन सरकार एक बाप की हैसियत से, एक मां की हैसियत से, घर के एक मुहाफिज की हैसियत से यह नहीं करती थी कि पुलिस और पी० ए० सी० मुसलमानों पर गोली चलाए और यहां पर जैनुल बशर साहब जैसे लोग खड़े होकर डिक्लेयर करें कि कुछ नहीं हुआ।

**श्री जैनुल बशर** (गाजीपुर) : अलीगढ़ में क्या हुआ ?

**श्री रशीद मसूद** : अलीगढ़ में जो कुछ हुआ है वहां के लोगों से जाकर पूछ सकते हैं।

1977 का वह पहला साल था जब आप लोगों ने यहां पार्लमेंट में डिमाण्ड की थी पुलिस और पी० ए० सी० को हटा दिया जाए और उसके बाद बी० एस० एफ को वहां पर लगाया गया। जाकर पूछिए अलीगढ़ के लोगों से कि बी० एस० एफ० का रवैया क्या था। जाकर पूछिए अलीगढ़ के रहने वालों से कि जब यह डिमाण्ड की गई कि वहां के एस० पी० का तबादला किया जाए तो एम० पी० ही नहीं, कमिश्नर, डी०एम०, एस०डी० एम, डी० एस० पी०-पूरा का पूरा स्टाफ वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। हिन्दुतान की तारीख में पहली बार 1977 में ऐसा हुआ था जैनुल बशर साहब कि रूलिंग पार्टी के प्रेसीडेंट को, जब हमने यह महसूस किया कि वह फसादात के अन्दर मुलव्विज था, तो उसको हथकड़ियां डालकर दो मील तक पैदल ले जाया गया। यह सिर्फ 1977 में ही हुआ, आपके दौर में नहीं हुआ इसलिए अगर आप छेड़ेंगे तो फंस जायेंगे।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि 1980 के पहले और 1980 ने बाद के फसादात में फर्क है, इसको महसूस करके चलिए। अगर सरकार इसको महसूस करके नहीं चलेगी तो आप समझिए कि इसका हल आप तलाश नहीं कर पायेंगे। फर्क क्या है ? फर्क यह है कि 1980 के पहले मुल्क टूटने का नारा नहीं दिया गया था लेकिन 1980 के बाद से मुल्क टूट रहा है, यह नारा देकर एक खास तरफ इशारा किया जा रहा है और इस नारे की सच्चाई साबित करने के लिए हिन्दुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर, इलाके के नाम पर फसादत कराए जा रहे हैं। अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो असम का एजिटेशन हो, पंजाब का एजिटेशन हो, भिण्डरवाले को बनाने में किसका हाथ था, क्या आप मुझे बता सकते हैं ? किसने भिण्डरावाले को भिण्डरावाले बना दिया ? किसने पंजाब के अन्दर रहने वाले हिन्दू और सिख जो कि भाई-भाई की तरह रहते थे, उनको एक दूसरे का दुशमन बना दिया जो आने वाली तारीख में ऐसा महसूस नहीं होता है कि वे एक दूसरे से मिल जायेंगे ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पता करना पड़ेगा, किसी चीज का इलाज करने के लिए मालूम करना पड़ेगा कि उस मर्ज की वजह क्या है। वजह है आपकी पार्टी। आप हिन्दुस्तान के किसी भी फसाद को देख लें, भिवण्डी पर भी आऊंगा, आप पंजाब को देख लीजिए, असम एजिटेशन को देख लीजिए, शुरूआत आपने कराई। मेरठ को लीजिए, मुरादाबाद को लीजिए, मुरादाबाद की मस्जिद में कोई हिन्दू मारने के लिए नहीं गया था मुरादाबाद की मस्जिद में आपकी पी० ए० सी० ने मुसलमानों पर गोलियां चलायीं। मुरादाबाद की मस्जिद में शहीद होने वाले मुसलमान और ईदगाह में शहीद होने वाले मुसलमान लड़ने के लिए नहीं गए थे। लेकिन क्या आपने किसी एक सिपाही को भी कोई सजा दी ? अगर आपने मुरादाबाद में इस जिम्मेदारी को महसूस किया होता, अगर आपने यह महसूस किया होता कि आपकी जिम्मेदारी यह है कि हिन्दुस्तान में रहने वाले हर हिन्दू-मुसलमान का तहफ्फुज हमारा फर्ज है, हिन्दुस्तान में खराबी अगर मुसलमान पैदा करता है तो उसको सजा दी जानी चाहिए और अगर हिन्दू पैदा करता है तो उसको सजा दी जानी चाहिए लेकिन आपने सोचा नहीं। क्योंकि हिन्दुस्तान टूट रहा है, इस नारे को मजबूत बनाकर आइन्दा

आने वाले एलेक्शन में आपको वोट हासिल करने थे। आपने नहीं सोचा हिन्दुस्तान इसलिए नहीं टूट रहा है कि देश में फसादात हो रहे हैं बल्कि हिन्दुस्तान इसलिए टूट रहा है कि देश में फसाद कराने वाले वही लोग हैं जिन पर मुल्क में अमन कायम रखने की जिम्मेदारी है। इसलिए देश टूट रहा है। आपने सजा नहीं दी मुरादाबाद में, हमारे कहने के बावजूद भी नहीं दी। आपने मेरठ में भी सजा नहीं दी। कैनाल के एक मुसलमान इंजीनियर को बाहर निकालकर, मिश्रा जो कि सी० ओ० (सिटी) था उसने गोली मार दी और वह मर गया। इसके लिए एफ० आई० आर० दर्ज की ? आपने उस मिश्रा को बजाय सजा देने के प्रमोशन देकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया।

**5.00 म० प०**

इसलिए हिन्दुस्तान टूट रहा है। मैं जैनुल बशर साहब आपसे कहता हूं कि इस मुल्क के ऊपर खून बहाने के आप जिम्मेदार हैं। जो खून बह रहा है, चाहे वह हिन्दू का हो या मुसलमान का हो, उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इस पर मैं आपसे एक शायर के अलफाज करना चाहता हूं :

तुम्हारी शरपसंदी से जलेंगे कितने घर बोलो,
जलेंगे कितने घर, इसका तुम्हें एहसास क्या होगा,
बहाए खून सड़कों पर मगर इतना तो बतलाओ
वतन जब खून मांगेगा तो तुम्हारे पास क्या होगा।

आप यह समझते हैं कि मुसलमान का खून बहाने से इस मुल्क की हिफाजत हो जाएगी। जब काश्मीर पर हमला हुआ, काश्मीर के ऊपर चढ़ाई हो रही थी, तो उसकी इत्तिला देने वाला एक मुसलमान था। उसने अपनी जान पर खेलकर मुल्क को इत्तिला दी थी। जिस काश्मीर को हम अपना अटूट अंग कहते हैं। अटूट अंग को बनाने के लिए हमने अपना खून दिया है। हिन्दुस्तान को किसी लड़ाई में फायदा नहीं हुआ। लेकिन आप हिन्दू और मुसलमान को लड़ाकर, हिन्दू और मुसलमान को भिड़ाकर हिन्दुस्तान के टूटने का खौफ पैदा कर रहे हैं। हिन्दुस्तान के अंदर यह सारी पालिटिक्स करना कि इससे लगे कि इसमें खतरा है।

न समझोगे तो मिट जाओगे ए-हिन्दुस्तान वालो,
तुम्हारी दास्तां तक भी न रहेगी दास्तां वालो।

लिहाजा वक्त है, हम समझ लें। यह कहा गया कि मुलाजमत में बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास डाटाज हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस के अन्दर 2.5 परसेंट मुसलमान थे, 1980 के अन्दर और अब 1983 के आखिर में 2.4 परसेंट रह गए हैं। तीन साल के अंदर मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है या प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव स्टेट के अन्दर पहुंच गया है।

बिहार के अन्दर किसी हकूमत है। वहां लोकदल की हकूमत नहीं है। कांग्रेस-आई की हकूमत है। जमशेदपुर की रिपोर्ट आपकी अलमारी में रखी खाख चाट रही है, राख चाट रही है, धूल चाट रही है, क्यों नहीं आप उसको इम्पलीमेंट करते हैं। आपने जोश-खरोश से जमशेदपुर की रिपोर्ट में आर०एस०एस० को मुलव्विस पाया है। अगर आपने आर० एस० एस० को मुलव्विस पाया है, तो आर० एस० एस को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर मुझे मुलिव्वस पाया है, तो मुझे सजा क्यों नहीं देते हैं। एक सवाल और है, आप सजा ही नहीं देते हैं, आप सजा माफ भी कर देते हैं। जैसा कि वाजपेयी जी ने भी कहा था और फिर जैनुल बशर साहब ने कहा, बम्बई में आपने कुछ लोगों को पकड़ा। अगर वे बेगुनाह थे, तो पकड़ा क्यों? आपको पकड़ना नहीं चाहिए था। क्या आपने इसलिए पकड़ा कि लोगों को दिखाया जा सके कि हिन्दू और मुसलमान को बराबर पकड़ रहे हैं। अगर इसलिए पकड़ा था कि वे गुनाहगार थे : उन्होंने स्मगलिंग किया था तो फिर छोड़ा क्यों? इसलिए कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों को यह दिखाया जा सके कि दो मुसलमानों को छोड़ रहे हैं, लिहाजा आने वाले इलैक्शन में मुझे वोट देना और आपको आने वाले इलैक्शन में पैसे की जरूरत थी और उनके पास पैसा था। ये सवाल हैं, जो हमारे दिमागों में आते हैं और हिन्दुस्तान की सड़क पर चलने वाला आपसे पूछ रहा है। इन सवालों का जवाब आपको देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इन सवालों को छोड़ दें। जमिलुर्रहमान साहब चले गए हैं। मैं उन्हीं के बजरिए कहना चाहता था कि उन्होंने अभी एक इन्टरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि हम हिन्दुस्तान के मुसलमानों को जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरी यह बात समझ में नहीं आती है कि जब सरकार खुद मुलव्विस है, सरकार की खुद की खता है तो किस तरीके से जवाब दे सकते हैं।

अब मैं भिवण्डी पर कुछ बोलना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप जल्दी करिए। मैं आपको दो मिनट और दे देता हूं। आप हिसाब से चलें।

**श्री रशीद मसूद** : मसला भिवण्डी का आ गया है। आरामपुर कानपुर में एक मिलिटरी एरिया है। उन्होंने 1951 में वहां मस्जिद बनाने के लिए एप्लाई किया था कि हमें मस्जिद बनाने की इजाजत दी जाए। 1951 से 1978 तक उनको इजाजत नहीं दी गई। जब हमारी सरकार आई तो हमने मस्जिद बनाने की इजाजत दे दी। उस इलाके के अन्दर गुरुद्वारे बने हुए हैं, मन्दिर बने हुए हैं; और एक रुपया लीज पर वह दी गई है। लेकिन अब जब कि मस्जिद बनकर तैयार हो गई है तो आप 40 हजार रुपया बिजली लगाने के लिए मांग रहे हैं। वहां पर न आपने मंदिर वालों से मांगा और न गुरुद्वारे वालों से मांगा। यह आपकी सरकार है, जो मुसलमानों की हमदर्द है।

एक वाक्या और बताना चाहता हूं। अकिल और रागी नाथ के दो व्यक्ति "बहल" में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रखे गये। क्योंकि उनसे वहां जमीनें ली गई थीं। इसीलिए 41 में से

दो मुसलमानों को रखा गया था। एक का नम्बर 11 था और दूसरे का नम्बर 39 था। 1965 की जंग में अब्दुल रहीम नाम का व्यक्ति शहीद हो जाए, लेकिन आपकी सरकार और आपकी पार्टी जो मुसलमानों के ताहफफुज की जिम्मेदार थी, वह मुसलमानों पर यकीन नहीं कर सकती है। बी० एच० ई० लि० के सिक्योरिटी गार्ड्स में एक मुसलमान कैसे रह सकता है। इसलिए 41 में से उन दो को निकाल बाहर किया। 1978 में श्री बृजलाल वर्मा मिनिस्टर बने, उन्होंने रीइंस्टेटमेंट के आर्डर दे दिये थे, लेकिन बाद में उनकी सरकार चली गई और आपकी सरकार आ गई। तब से अब तक लड़ता आ रहा हूं, कई खत लिखे लेकिन उसके लिये कोई आर्डर नहीं हुआ।

सामने पाटिल साहब बैठे हुए हैं। मैंने इनको लिखा—सी० बी० आर० आई, रुड़की में आठ साल से एक मुसलमान लड़का काम कर रहा था, जब उसकी परमानेन्सी की बात आई तो उसको परमानेन्ट नहीं किया गया बल्कि निकाल दिया गया। उसको रिइंस्टेट नहीं किया गया, रखा नहीं गया, अब वह मेरे घर बैठा हुआ है। आज जब आप किसी मुसलमान का इण्डिविजुअल काम नहीं कर सकते, तो कौम के लिए, मिल्लत के लिये, मुसलमानों के लिये क्या कर सकते हैं? आप कौन-सा हिन्दुस्तान बनाना चाहते हैं?

अब मैं भिवंडी की तरफ आता हूं। भिवंडी में देखिए—1974 से 1978 तक शिव सेना का बड़ा जोर था। शिव सेना से लोग डरने लगे थे, क्योंकि उस वक्त आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मद्रास वालों के खिलाफ शिव सेना के एक जेहाद छेड़ा हुआ था कि इनको महाराष्ट्र से निकालो, महाराष्ट्र मराठों के लिए है। उनका एक हउवा लोगों के दिमाग में बैठ गया था। उसके बाद हालात बदले, लोगों ने समझा कि इससे हिन्दुस्तान कहां जाएगा। अगर लोग इसी तरह से एक दूसरे को मारने लगेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। उसके बाद ये शिव सेना के चीफ बाल ठाकरे खत्म हो गये, उनका पता नहीं लगा। 10-12 साल तक उनका कहीं भी नाम नहीं आया। 1980 में जब आपकी सरकार आती है तो उस मुर्दे में हवा फूंक-फूंककर उसको खड़ा कर दिया जाता है, उसको फिर से जिन्दा कर दिया जाता है। उसकी दवतें की जाती हैं और उसके साथ इलैक्शन एग्रीमेंट्स होते हैं। आपके कोटे से शिव सेना के दो आदमियों को एम० एल० सी० बनाकर वहां भेजा जाता है और इस तरह से शिव सेना की हवा खड़ी कर दी जाती है। दूसरी तरफ जहां 1974 से शिवाजी जयन्ती का जुलूस निकालना बन्द हो गया था, आपके एम० एल० ए० साहब—विकार साहब—एप्लीकेशन लेकर चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि शिवाजी की जयन्ती जरूर मनाई जाएगी। जुलुस जरूर निकलेगा और उसके बाद जुलूस निकला। अब आप देखें कि हर फिसाद के पीछे कौन है। अब जुलूस वहां जाता है तो फिसाद हो जाते हैं। वहां मुस्लिम लीग के एक लीडर हैं—झोक्कू साहब—उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों को इकट्ठा करके कहने की कोशिश की कि देखो, हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमानों को मिलकर रहने की जरूरत है। लेकिन आपके यही एम० एल० ए० साहब उन

पर जूते और पत्थर बरसाते हैं। जो कोशिश कर रहा है कि हालात को सुधारा जाए उसके ऊपर जूते बरसाये जाते हैं। आपके एक एम० एल० ए० खान हैं, जिन्होंने बाल ठाकरे के गले में जूतों का हार डाला था। मैं यह कहना चाहता हूं—यह सब आपने किया है। जब तक आपका दिमाग साफ नहीं होगा, जब तक हिन्दुस्तान की हुकमरां पार्टी हिन्दुस्तान के हर रहने वाले को बराबरी का दर्ज़ा नहीं देगी, हिन्दुस्तान में फिसादात खत्म नहीं हो सकते हैं। फिसादों का खत्म होना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दो भाई—हिन्दु और मुसलमान—आपस में लड़ सकते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपकी पुलिस, आपकी सी० आर० पी०, मुसलमानों के साथ ज्यादती करती हैं और आप उनको सजा नहीं देते हैं। इसलिये मैं सबसे बड़ा मुजरिम गवर्नमेंट को समझता हूं। आज इस देश में नफरत फैल रही है। आप इस बात को समझ लीजिये—अगर इस मुल्क में नफरत बढ़ती जाएगी तो नफरत को काटा जाना चाहिये, मुहब्बत को नहीं काटा जाना चाहिए।

**श्री के० एस० नारायण** (हैदराबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं हैदराबाद से हूं और इस सम्मानीय सभा में मैं हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। कभी मैं प्रसिद्ध स्थान हैदराबाद के ऐतिहासिक शहर का प्रतिनिधि होने के नाते अपने आपको गर्वित समझता था लेकिन अब मैं अपने आपको शर्मिंदा महसूस करता हूं और लगातार साम्प्रदायिक दंगों के कारण मेरा सिर झुका हुआ है। श्रीमान जी, पिछले 400 वर्षों के इतिहास से पता चलता है कि हैदराबाद में कभी भी साम्प्रदायिक गड़बड़ी नहीं हुई। कभी भी साम्प्रदायिक संघर्ष नहीं हुआ। लोग भाई बहनों की तरह रहते थे। बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय दोनों शांतिपूर्वक रहते थे। लेकिन लगभग गत 15 वर्षों से साम्प्रदायिकता का राक्षस अपना विकराल रूप दिखा रहा है। यह बहुत ही उपयुक्त प्रश्न है। ये संघर्ष केवल हैदराबाद के पुराने शहर में ही क्यों होने चाहिए जो शहर का चौथा हिस्सा है और दूसरे क्षेत्रों की भांति नहीं है? मुस्लिम और हिन्दू दोनों समुदाय के लोग दूसरे इलाकों में भी रहते हैं लेकिन प्रत्येक वर्ष दो या तीन बार हैदराबाद के इस पुराने शहर में ही संघर्ष क्यों होते हैं? सच्चाई यह है कि हैदराबाद का पुराना शहर एक उपेक्षित शहर है, सारा शहर एक गंदी-बस्ती के समान दिखाई देता है। अधिकांश लोग मुस्लिम हैं और उनकी अपनी शिकायतें हैं वे महसूस करते हैं कि उनकी उपेक्षा की गई है, उनके हितों की उपेक्षा की गई है। एक राजनैतिक दल मजलिस-इतहादुल मुसलमीन द्वारा अनुचित लाभ उठाया गया। इसके पश्चात वह दल अस्तित्व में आया। उन्होंने सोचा कि यह दंगों के लिए उचित स्थान है और उन्होंने धर्म और समुदाय के नाम पर राजनीति शुरू कर दी। इससे उन्हें प्रभुत्व और वरीयता मिली और वे विधान सभा, नगर पालिका आदि सभी चुनावों को जीतते गये। सभी जगह इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल ने कुछ नहीं कहा और इस प्रकार धर्म निरपेक्ष ताकतें कमजोर हो गईं और पीछे पड़ती गईं। आज व्यवहारिक रूप में धर्म निरपेक्ष राजनैतिक तत्वों की कोई भी सरगरमी नहीं हैं।

श्रीमान जी, पिछले 15-20 वर्षों से अक्षुण्ण रूप में ऐसा हो रहा है और इसको रोकने

के लिए कोई भी ठोस और गम्भीर प्रयास नहीं किए गए हैं। यह खुली साम्प्रदायिक राजनीति है और गत 8 से 10 वर्षों में इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, हमारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने, मैं उनका नाम बताने के लिए क्षमा चाहूंगा, इसका फायदा उठाया। उन्होंने हिन्दू नेता बनने की कोशिश की। उन्होंने हिन्दुओं का रक्षक बनने का प्रयत्न किया (**व्यवधान**) आप इसे शान्ति से समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं ? (**व्यवधान**) हमने भारतीय जनता पार्टी या मजलिस-ए-इत्हादुल-मुसलमीन का कभी साथ नहीं दिया है। यह तेलगुदेशम सरकार है जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है (**व्यवधान**)। मैं इस पर बाद में कहूंगा, कृपया इंतजार कीजिये··· (**व्यवधान**)

**5.12 म० प०**

**[डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं]**

जब हाल ही में ये झगड़े हुए तो करीबन 11-12 लोग मारे गये और सौ से ज्यादा लोग घायल हुए। ऐसी घटना बार-बार घटी। प्रत्येक हिन्दू या मुस्लिम त्यौहार पर यह घटना एक दुःस्वप्न बन गई और लोग भयभीत होने लगे। किसी भी हिन्दू या मुस्लिम त्यौहारों में अवसर पर जब भी कोई जलूस निकलता, उदाहरण के लिए गणेश पूजा, बोनालू मुहर्रम या अन्य त्यौहारों पर वे दूसरे समुदाय के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का प्रयत्न करते। वे लाखों रुपये व्यय करके बहुत बड़े-बड़े जलूसों का आयोजन कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनके पास कहां से इतना धन आ रहा है। यह मूल कारण बन गया है। राजनैतिक अवसरवादिता का यह तत्व इसका मुख्य कारण है। यह मेरा अनुभव है।

हमने काफी दूर तक यात्रा की है। हमारे गृह मंत्री जी भारत के हृदय में इस केंसर वाली बीमारी से पूरी तरह अवगत हैं। वह आन्ध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और ये अपने मुख्य मंत्री काल में इन साम्प्रदायिक तत्वों से सख्ती से निपटे थे। उन्होंने इस दानव को कभी नहीं उठने दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह ज्यादा समय तक मुख्य मंत्री नहीं रहे। उनको वह स्थान छोड़ना पड़ा। यह केवल वही व्यक्ति थे जिन्होंने उन तत्वों को पूरी शक्ति से नियंत्रित किया।

हैदराबाद का यह शहर अब साम्प्रदायिक राजनीति का अखाड़ा बन गया है। श्री वाजपेयी जी कह रहे थे कि हमारी मुख्य मंत्री के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। वह बीमार हैं और संयुक्त राज अमरीका के एक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। उनकी अपेक्षा हमें अधिक सहानुभूति है। उसकी सहानुभूति राजनीति से प्रेरित है हमारी नहीं। मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा। सच्चाई यह है कि वह मुख्य मंत्री हैं, वह गृह मंत्री हैं। पिछले एक सप्ताह से शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था क्या किया जाना चाहिए ? सरकार ने निष्क्रियता दिखलाई। उन्होंने दोष निकाला कि वेंकटसुब्बय्या को वहां भेजा गया था, उन्होंने

वहां क्या किया ? वह वहां पर दंगाग्रस्त क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों की मदद करने के लिए गये थे। लेकव्यू गेस्ट हाउस और राजभवन गेस्ट हाउस जाने की अपेक्षा वह दंगाग्रस्त क्षेत्रों में सीधे कैसे जा सकते थे। पुलिस आयुक्त, स्थानीय पुलिस अधिकारियों तथा मुख्य सचिव से परामर्श किये बिना वह आगे कैसे जा सकते थे ? वह अधिकारियों से मिले, उन्होंने उनके साथ विचार-विमर्श किया तथा मेरे और तेलगुदेशम के उपाध्यक्ष श्री बैजावादा पप्पी रेड्डी के साथ उन्होंने क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा था कि केवल दो व्यक्ति उनके साथ जाने चाहिए और हम दोनों उनके साथ गए। उन्होंने कौन-सा गलत कार्य किया है ? वह वहां पर स्थानीय अधिकारियों की मदद करने के लिए गए थे। वह किसी बात में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, उन्होंने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन करने से भी इंकार कर दिया था। मैं श्री वेंकटसुब्बय्या जी का धन्यवाद करता हूं। मैं गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं जिनसे हम मिले और क्षेत्र का दौरा करने के लिए राजी किया था। श्री वेंकटसुब्बय्या जी को भेजने के लिए कहा जिसके लिए वह तुरन्त तैयार हो गये और उनको भेज दिया। मैं गृह मंत्री जी का और श्री वेंकटसुब्बय्या जी का भी आभारी हूं इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने श्री वेंकटसुब्बय्या जी के साथ दिल्ली से हैदराबाद तक राष्ट्रीय झंडा लगी सरकारी कार में यात्रा की। उनके लिए कांग्रेस के झंडे का प्रयोग करने की आवश्यकता कहां हुई। वहां पर कोई कांग्रेस झंडा नहीं था ओर न कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति उन्हें लेने आया था वहां यह स्थिति थी।

मैं यह कहना चाहता था कि मुख्य मंत्री कोई व्यवस्था किये बिना विदेश चले गये और वहां पर सरकार ठीक ठग से कार्य नहीं कर रही है। सम्पूर्ण प्रशासन नौकरशाही पर छोड़ दिया गया है। वे प्रशासन का सर्वनाश कर रहे हैं क्या आप किसी अन्य स्थान का नाम बता सकते हैं जहां 15 दिन से ज्यादा कर्फ्यू रहा हो ? क्या आप लोगों को हुई दुःख-तकलीफों का अन्दाजा लगा सकते हैं, जिनमे से अधिकांश मजदूर लोग हैं ? अनिवार्य आपूर्ति प्रणाली भंग हो गई। वे मिट्टी का तेल, और राशन नहीं भेज सके और चोरबाजारी में दूध 8 रु० से लेकर 10 रु० प्रति लीटर तक बेचा गया। लोग आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी करने का प्रयास कर रहे थे। और यही कारण है कि हम तेलुगू देशम सरकार में कमियां ढूंढ रहे हैं। इसकी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैंने यह नहीं कहा कि राम राव सरकार की बर्खास्त किया जाए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। इसका कुछ प्रबंध किया जाना चाहिए था। अब कोई भी सरकार नहीं है। डी० आई० जी० (इंटैलीजेंस) ने जब यह सुना कि मंत्रिमंडल के नम्बर मंत्री मंत्रालय की बैठक बुला रहे हैं और और इलाके में दौरा कर रहे हैं तो वह हैदराबाद दौड़े आए। उन्होंने दौरा कब शुरू किया ? तेलगु देशम के मन्त्री इन क्षेत्रों में श्री पी० वेंकटसुब्बय्या के जाने के बाद गए। वह तब तक क्या करते रहे ? स्थानीय मत्रियों को, जो कि उस समय सरकार चला रहे थे उन क्षेत्रों में जाकर स्वयं स्थिति का जायजा लेना चाहिए था। लेकिन वास्तव में कोई सरकार नहीं थी। कोई पहल नहीं की गई

और जब किसी दूसरे ने पहल की तो यह कहा गया कि उन्होंने मुख्य मंत्री की शक्तियों को छीना है।

एक उप-चुनाव में तेलगु देशम सरकार ने मजलिस पार्टी के साथ गठजोड़ किया था।

कृपया मुझे थोड़ा समय और दिया जाए क्योंकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है।

राज्य की विधान सभा के उपचुनाव में तेलगु देशम सरकार ने मजलिस पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और वह हार गए। भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हैदराबाद के ही दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य उपचुनाव के सिलसिले में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ किया। अब वह भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर चुके हैं। समुदायवाद तथा क्षेत्रवाद के कारण स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। वह गठजोड़ कर रहे हैं। यहां मजलिस पार्टी जीत गई।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आपने मजलिस पार्टी से समझौता किया है।

**श्री सुचालापल्ली पेंचालैय्या (नैल्लोर)** : इस सिलसिले में हमारी सरकार ने दो विधायकों सहित सैंकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया हैं। हमने कार्यवाही की है। **(व्यवधान)**

**श्री के० एस० नारायण** : तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपने कार्यवाही कब की? आपने क्या प्रबंध किए थे? सरकार कहां थी? **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की है।

**श्री के० एस० नारायण** : मैं प्रधान मन्त्री का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पीड़ितों के परिवारों में बांटने के लिए तुरन्त एक लाख रुपये भेज दिए। मैं उनका आभारी हूं।

तेलगुदेशम के नेता ने कहा है कि इसके पीछे अन्य किसी का हाथ है उनका मतलब है कि कांग्रेस सामुदायिक झगड़े करने के लिए लोगों को उकसा रही है। वह अभी एक डेढ़ वर्ष पहले ही सत्ता में आए हैं। हमारी सत्ता में भी ऐसे झगड़े होते थे। उन्हें कौन करता था? इससे ज्यादा बेहूदा कोई सुझाव नहीं हो सकता। कांग्रेस जन इसके पीछे नहीं हैं। हम हैदराबाद में समस्यायें उत्पन्न करके रामाराव सरकार को गिराना नहीं चाहते। अतः श्री उपेन्द्र जैसे व्यक्ति के लिए ऐसे कहना बिल्कुल गलत है। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इसके लिए पाकिस्तानी तत्व तथा सी० आई० ए० जिम्मेदार हैं। वे ही स्थिति को उकसा रहे हैं। वे तनाव उत्पन्न कर रहे हैं वे इन झगड़ों के लिए जिम्मेदारी हैं।

मजलिस पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ कर रही है। उच्च स्तर पर तो यह ठीक है लेकिन वह निर्दोष लोगों को तंग कर रहे हैं। निर्दोष लोग मारे जाते हैं।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी हमला पूर्व-निर्धारित नहीं था। यह छुट-पुट घटनाएं हैं हालात से अनजाने मेजो लोग जा रहे होते हैं वह मारे जाते हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं।

हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है परंतु हमारी धर्मनिरपेक्षता दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। साम्प्रदायिकता बढ़ रही है। साम्प्रदायिकता का दबाव धर्म-निरपेक्षता के दबाव से कहीं अधिक है। पंजाब में क्या हुआ ? ये बातें तभी होती हैं जब धर्म और राजनीति मिल जाते हैं।

**एक माननीय सदस्य :** दोष किसे दें ?

**श्री के० एस० नारायण** : कुछ अवसरों पर दोषी आप भी हो सकते हैं, अन्य अवसरों पर और लोग। मैं समझता हूं कि साम्प्रदायिक तत्वों पर रोक होनी चाहिए ?

श्री वाजपेयी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात उठाई जब उन्होंने कहा कि ऐसा चुनावों के कारण हो रहा है। वह क्षेत्रीय, भाषाई तथा साम्प्रदायिक भावनाओं का शोषण करके सत्ता में आना चाहते हैं। वह सही राजनीति को छोड़कर यह तरीके अपनाते हैं। इन साम्प्रदायिक तत्वों के चाहे वह कोई भी हो, चुनावों में भाग लेने पर रोक लगा देनी चाहिए।

कानून और व्यवस्था तथा आसूचना सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। वे जानते हैं कि समस्या कहां और कब उत्पन्न होती है। यह झगड़े समय-समय पर होते हैं। ऐसा कई बार हो चुका है। इंटेली जैस असफल रही है। कानून और व्यवस्था तंत्र को अधिक मजबूत बनाना चाहिए।

कई वर्षों से यह साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति पर मुकदमा चला कर उसे सजा नहीं दी गई। आप लोगों को गिरफ्तार करके बाद में छोड़ देते हैं। मजलिस पार्टी के लोग जाकर मुसलमानों को और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर हिन्दुओं को छुड़ा लाते हैं।

इसके लिए विशेष अदालतें होनी चाहिए और लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। यदि सम्भव हो तो ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए जाने चाहिए।

अंत में इस पुराने शहर का अल्प विकास ही वहां पर रहने वाले लोगों की शिकायत का प्रमुख कारण है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदया, मैं गृह मंत्री तथा आपके

माध्यम से माननीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह आने वाले 5-6 वर्षों के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन करें। राज्य सरकार इतनी धन राशि खर्च करने की स्थिति में नहीं। आप 5,000 या 10,000 रुपये मदद के तौर पर उन लोगों के आश्रितों को दे रहे हैं जो मर चुके हैं। यदि किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य मर जाता है तो उस परिवार का क्या होगा यह धनराशि तो समुचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बस दुर्घटना में मर जाता है तो आप 50,000 रुपये देते हैं। यदि कोई व्यक्ति रेल-दुर्घटना में मर जाता है तो आप एक लाख रुपया देते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी कसूर के रास्ते में चलते हुए मारा जाता है तो उसके परिवारजनों के लिए समुचित क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। उन्हें रोजगार देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो साम्प्रदायिक दंगों का शिकार होते हैं उन सभी परिवारों के बच्चों या अन्य सदस्यों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी।

**श्री रतन सिंह राजदा** (बम्बई दक्षिण) : मैडम चेयर परसन, भिवंडी, थाणे और बबई के जो फसादात हुए और सारे मुल्क में जो फसादात होते है फिरकावाराना, उसके बारे में हम आज इस हाउस में जो चर्चा कर रहे हैं वह ऐसी चर्चा है जो हिन्दुस्तानियों के लिए बहुत महत्व की चर्चा है, बहुत जरूरी निहायत जरूरी है। हमारी बद-किस्मती है कि आजादी के बाद जिस रैक्युलरिज्म का हम नाम लेते हैं वह रैक्युलरिज्म आज देश में कहीं भी नजर नहीं आता। जो लोग भी रैक्युलरिज्म की दोहाई देते हैं वह जब फिरकापरस्ती या दूसरी बातें चलती हैं मुल्क में तो अपने घरों में बैठते हैं। न उसके सामने आवाज उठाते हैं न उसके लिए कुर्बानी करने के लिए कोई तैयार रहता है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुल्क में, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद के मुल्क में, मैं आज यहां यह पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि यहां हमको हिन्दू मिलते हैं, मुसलमान मिलते हैं, पारसी मिलते क्रिश्चन मिलते हैं, सिख मिलते हैं, लेकिन ** हिन्दुस्तानी इस देश में कहीं नजर नहीं आते

**सभापति महोदय** : ऐसी बात क्यों कहते हैं, भाई ?

**श्री रतन सिंह राजदा** : यह इहलिए कि...

**सभापति महोदय** : यह शब्द नहीं लिखा जाये।

**श्री रतन सिंह राजदा** : आप इसकी भावना समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जब कोई तकरीर होती है तो उसके पीछे जो भावना है वह आप समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कुछ बुनियादी चीज कह रहा हूं।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

**सभापति महोदय** : कुछ अच्छा शब्द कहिए ।

**श्री रतन सिंह राजदा** : आचार्य भगवान देव साहिब, (**व्यवधान**) आप न बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा वरना मुझे कुछ बातें कहनी पड़ेंगी ।···(**व्यवधान**) ··· बीच में न बोलें ।

जब आपके पैरों के नीचे आग जलती है तो दूसरो के घरों में दिया जलता हुआ दिखाने की कोशिश न करें । मैं यह कहना चाहता हूं कि भिवंडी में जब यह फसादात शुरू हुए तो रात को डेढ़ बजे मुझे पहला फोन आया और उसमें यह कहा कि जनाब, यहां दंगा शुरू हो रहा है, पुलिस खड़ी है, पुलिस कुछ करती नहीं है । पुलिस बिल्कुल नाकामयाब है । हम पुलिस के पास शिकायतें करते हैं, वह सुनने के लिए तैयार नहीं है । यहां आग लगाने की कोशिश हो रही है । मैंने कहा कि मैं पुलिस कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर साहब को कहने की कोशिश करता हूं । आधे घन्टे, एक घन्टे के बाद फिर टेलीफोन आया और मुझसे कहा गया कि अब ये टेलीफोन के वायर काट रहे हैं । हम सब एक जगह पर बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, हमारी कोई हिफाजत करने वाला नहीं है । यह दूसरा फोन आने के बाद मुझे लगा कि यह मामला बहुत खतरनाक हो गया है और पुलिस नाकामयाब हुई है । आपको मालूम होगा कि मैं बम्बई से चुन कर आया हूं और भिवंडी में लोगों ने जब शिकायत की तो मैंने ताबड़तोड़ लायड आर्डर की एथारिटीज से कहा कि आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए, इम्मीडिएटली आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए । वह कुछ नहीं हुआ । जो चीजें हुई वह ऐसी हुई कि सारे देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं, किसी सियासी नजर से, पोलिटिकल ऐंगिल से किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता बल्कि जो चीजें हुई हैं वही बताना चाहता हूं । किसी को भी ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नही है । लेकिन में साफ कहूंगा कि जब बाल ठाकरे, शिव सेना चीफ की तकरीर हुई तो पुलिस ने कोई ऐक्सन नहीं लिया । परमनी में जब मि० खान ने बाल ठाकरे की तस्वीर के ऊपर जूतियों का हार चढ़ाया तो भी पुलिस ने कोई ऐक्सन नहीं लिया । उसके बाद शिव सेना की हर ब्रांच ने बाम्बे शहर में गली-गली में बोर्ड लगाए और उन बोर्डस में लिखा मराठी में कि इन लांडिए लोगों को देश से निकाल दो । यह बोर्ड एक दिन रहे, दो दिन रहे, तीन दिन रहे लेकिन आपकी पुलिस ने कोई क्वीक कार्यवाही नहीं की । उसके बाद वह चीज बढ़ती गई । शिव सेना ने बाम्बे बन्द का ऐलान किया । परमनी में कुछ होता है और बम्बई की जनता पर जुल्म होता है, मैं पूछता हूं क्यों ? क्या किया था बम्बई के नागरिकों ने ? शिव सेना के सैनिक बम्बई की गली-गली में भरे थे लेकिन आपकी कांग्रेस (आई) की बम्बई शहर को पुलिस ने ऊंगली तक नहीं छुई । भगवान साहब से मैं कहता हूं आप अगर वहां होते तो आपका सिर भी शर्म के मारे झुक जाता । (**व्यवधान**)

**आचार्य भगवान देव** (अजमेर) : मैं वहां गया हूं, आप नहीं गए । इन्होंने मेरा नाम लिया है इसलिए उनको सुनना पड़ेगा ।

**श्री रतन सिंह राजदा** : इनका नाम लेना पाप है तो मैं नाम लेना छोड़ दूंगा। मैं तो यह कह रहा था कि अगर आप भी वहां पर होते तो आपका सिर भी शर्म के मारे झुक जाता। क्या भगवान का नाम भी लेना मना है।

मैं कह रहा था कि जो सीक्सेन्स आफ इविन्ट्स है उसकी तरफ होम मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाऊं।

**सभापति महोदय** : आप डिटेल्स में मत जाइये, समय कम। है आप दस मिनट का समय ही लें, इससे अधिक नहीं।

महोदया यदि आप मुझे बीच में टोकती हैं तो आप दो या तीन मिनट लेंगी। कृपया मुझे बीच में न टोकें और न ही किसी और को टोकने की अनुमति हैं।

मैं गृह मन्त्री जी से कहूंगा कि जो सीक्वेंस आफ इविट्स है उसके ऊपर अगर आप नजर डालकर देखें तो आपको मालूम होगा कि यह सब प्री-इंजीनियर्स रायट्स बम्बई शहर में हुए और जिसको आप संकुचित मानववादी समाज कहते हैं उनकी उसमें साजिस थी, उनका सहयोग था और उनका हाथ था। लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया।

सबसे पहला इलजाम यह है कि बम्बई शहर में और महाराष्ट्र में आपकी जो हुकूमत है वह बिल्कुल नाकामयाब रही। जानबूझकर नाकामयाब रही या बिना जाने यह देखना पड़ेगा। जब तीन दिन के रायट्स के बाद उन्होंने बम्बई बन्द करवाया तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई पहला मौंका नहीं था जब शिव सेना ने बन्द का एलान किया हो, शिव सेना वाले जब भी चाहें बम्बई बन्द करवाते हैं। जब भी शिव सेना वाले महाराष्ट्र में ला ऐंड आर्डर कि सिच्चुएशन पैदा करते हैं, चाहे साऊथ इंडियन्स के ऊपर हमला हो या कोई दूसरी बात हो, बम्बई की पुलिस कहीं नजर नहीं आती। यह एक दर्दनाक कहानी है। आपको पूछना चाहिए अपने लोगों से, जिन्होंने पुलिस की बागडोर सम्भाल रखी है कि वे क्यों कोई ऐक्सन नहीं लेते हैं। चाहे आन्ध्र के लोग हों, चाहे साऊथ इंडियंस हों, चाहे मुसलमान हों, सभी के लिए वे कहते हैं कि बम्बई में रहने का उनको अधिकार नहीं है। बाल ठाकरे का क्या अधिकार है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह जो जहर फैलता है उसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक यह बीमारी समाप्त होने वाली नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसकी जड़ पर जाना होगा। परमनी में क्या हुआ उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है लेकिन तीन दिनों तक बम्बई की दुकानों पर, बम्बई की गलियों में शिव सेना ने पथराबजी की यह एक हकीकत है। आपकी पार्टी के सेक्सेसिव चीफ मिनिस्टर्स ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन को कन्ट्रोल करने के लिए शिव सेना को कभी हाथ नहीं लगाते हैं न ही उनको दबाने की कोशिश करते हैं।

मैडम, यह भिवंडी का झगड़ा प्रापर बाम्बे का है, जो कि मेरा इलाका है। मैं समझता हूं कि पं० जवाहर लाल नेहरू और राष्ट्रपिता के पास कुछ सैक्युलरिज्म का सबक सीखा, तो मेरा यह फर्ज बन जाता है कि यह जो चीजें होती हैं, उसके लिए वहां जाकर लोगों को कहूं कि हिन्दू और मुसलमानों का आपस में लड़ना बहुत खतरनाक है। यह झगड़ा बन्द होना चाहिए। जब मुझे टेलीफोन आया तो मैं मीनार मस्जिद पहुंचा। वहां मैंने पैदल जाना शुरू कर दिया। उस जमाने में कोई हिन्दू मुसलमानों के एरिए में नहीं जा सकता था और न मुसलमान हिन्दू के क्षेत्र में जा सकता था। इतनी टैंशन वहां होती थी। चार सौ, पांच सौ पर्दानशी महिलायें और कुछ नौजवान जो जजबाती थे, उन्होंने कहा देखिए, राजदा जी, पुलिस जो पत्थरबाजी करते हैं, उनको नहीं पकड़ती है और हमारे घर में आकर हमारे मर्दों को पकड़ कर ले गई है। हमारे बच्चों को पकड़ कर ले गई है, यह कहां का इन्साफ है। आप मेहरबानी करके हमारे घरों को बचाइए। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। इतना करने के बाद, मैंने कहा ऐसा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, इस पागलपन को बन्द करो। दोनों तरफ से लड़ाई चल रही थी। दोनों तरफ से मिसाइलें आ रही थीं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं आंखों देखी बात बयान कर रहा हूं। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। वहां पर लोग एक बिल्डिंग से पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस वहां खड़ी थी, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी और देख रही है। एक जीप के अन्दर इन्सपेक्टर साहब बैठे हैं। वहां इन्सपेक्टर साहब सब देख रहे हैं कि लड़के पत्थरबाजी करते हैं। मैं जब इन्सपेक्टर के पास गया तो पुलिस ने मुझे गोली दिखा दी कि आपको आना नहीं है। फिर भी गए और कहा जब हम आते हैं तो बन्दूक दिखाते हैं यह किसी दूसरे के लिए अपने पास रखिए। जो इन्सपेक्टर बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि मैं एम० पी० हूं। जो यहां पर पत्थरबाजी हो रही है उसको आप क्यों नहीं रोकते हैं। इन्सपेक्टर ने देखा कि ये एम० पी० हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अभी एक्शन लेते हैं और उन्होंने जीप चलाई और फौरन वहां से भाग गए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिस तरह से मैंने देखा कि वहां महाराष्ट्र पुलिस किस तरह से काम कर रही है। मैडम, इसके बाद मैंने चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन किया। मैंने कहा—वसंतदादा जी आपको जो वहां खबरें मिलती हैं, वे गलत मिलती हैं। आपको देखना चाहिए कि यहां क्या हुआ है। मैंने उनको कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आपकी पुलिस वहां नाकाबयाब है और शिव सेना का साथ दे रहे हैं। वहां पर शिव सैनिक यूनीफार्म में हैं। यह भाषा उनको बड़ी अजीब भाषा लगी। मैंने कहा आप मंत्रालय से निकलिए और साथ आइए। वसंतदादा हमारे साथ आए और उनको साउथ बम्बई घुमाया। वहां के एक्स-म्यूनिसिपल काउंसिलर ने वहां की म्यूनिसिपल कारपोरेशन को सुपरसीड कर दिया है। जो अमन कायम करने के लिए कोशिश कर रहा था, इन्सपेक्टर ने जाकर उसको इतना डण्डे से मारा कि उसका बुरा हाल हो गया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को दिखाया कि हमारा यह हाल कर दिया है। भिवण्डी के काम्युनल रायट्स को देखते हुए हमें तीन-चार चीजें तय करनी चाहिए। कांग्रेस को पहले अपना रास्ता फिक्स करना पड़ेगा, कांग्रेस शिव सेना का साथ देना चाहती है या नहीं। कांग्रेस कभी मुसलमानों की प्रतिनिधि बन जाती है, तो कभी हिन्दुओं की प्रतिनिधि बन जाती है। सिर्फ वोट लेने की आपकी नीति अब तक रही है, हिन्दू, मुसलमान, सिख के वोट हमको

मिलने चाहिये चाहे देश तबाह हो जाए। अब तक आपकी यह साजिश रहेगी और उसके मुताबिक आपकी पुलिस बनती रहेगी तो इमीडिएट एक्सपीडिएन्सी के नाते आपका अपारचुनिज्म सारे देश को तबाह करके रख देगा और आपने ऐसा कर दिया है तभी तो मुल्क में प्रोसेस आफ डिसइन्टीग्रेशन स्टार्ट हो गया है। यह कहना कि आज मुल्क खतरे में है, हमारे हाथ मजबूत करो, महात्मा गांधी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि मेरे हाथ मजबूत करो, कभी किसी नेता ने भी नहीं कहा था कि मेरे हाथ मजबूत करो। हाथ तो जनता के मजबूत होने चाहिये और अगर जनता के हाथों को मजबूत करना है तो सैकुलरिज्म की फोर्सेज की ताकत को बढ़ाना होगा। आज इस देश में सैकुलरिज्म की फोर्सेज बहुत कमजोर पड़ गई हैं। देश में मुस्लिम फण्डामेन्टलिज्म, हिन्दू फण्डामेंटलिज्म, हर तरह के फण्डामेन्टलिज्म उभर कर सामने आ गये हैं। उनके सामने न कांग्रेस आती है और न कोई और लोग आते हैं। आज इस देश में जवाहरलाल नेहरू जैसी बुलन्द हस्ती नहीं है। जब कम्यूनल राइट्स चलते हों, आगे बढ़ कर गुण्डों के के हाथ से तलवार छीन ले वह जवाहर लाल नेहरू आज देश में मौजूद नहीं है। उस जमाने में सरदार पटेल ने जिस प्रकार से पुलिस को अपने कब्जे में रखा था, आज वह ताकत नहीं है। मैं समझता हूं हमारे होम मिनिस्टर इससे कुछ प्रेरणा लेंगे और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस तरह से ट्रेंड करेंगे ताकि हिन्दू और मुसलमानों को, देश की जनता को, उनके ऊपर ऐतबार हो। आज ऐसा लगता है पुलिस हमारे साथ गैरइन्साफी कर रही है। यह डर निकल जाना चाहिये। आज हम जैसे सैकुलर लोगों के हालात यह हो गयी है जब मुसलमान को कहते हैं कि मुस्लिम कम्यूनलिज्म बन्द करो तो वह नाराज और अगर हिन्दू को कहते हैं कि हिन्दू कम्यूनलिज्म बन्द करो तो वह भी नाराज।

जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर माना
और काफिर समझता है कि मुसलमां हूं मैं।

आज देश की यह हालत हो गई है। आज की चर्चा में अगर हम यह तय कर सकें कि कोई भी पार्टी रीजनल फण्डामेन्टलिज्म को फैलाने की कोशिश नहीं करेगी, हिन्दुस्तानी शुरू से आखिर तक हिन्दुस्तानी है, हिन्दुस्तानी रहेगा, इस भावना को इस जब्बे को लेकर चलेंगे तो मैं मानता हूं कि मुल्क की तरक्की होगी, वरना तबाही के रास्ते हर हम जा चुके हैं और मुल्क की तबाही हो चुकी है। इस काम को करने का समय यही है अन्यथा यह कभी नहीं हो सकता। वरना तबाही की तैयारी हो चुकी है।

**श्री भेरावदन के० गधावी** (बनासकंठा) : सभापति महोदया, मैं श्री वाजयेयी जी का भाषण सदा ध्यान से सुनता हूं। मैंने बहुत बार उन्हें मगरमच्छ के आंसू बहाते देखा है लेकिन साम्प्रदायिक एकता के प्रति उनके प्यार के बारे में सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने सोचा कि उनका भाषण वस्तु-परक होगा लेकिन दुर्भाग्यवश यह केवल विषयपरक था और यह दोहरी धार वाले हथियार की

तरह था। उन्होंने दंगों के बारे में कुछ आंकड़े देने का प्रयत्न किया। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता, लेकिन चूंकि अपने भाषण के प्रारम्भ में उन्होंने 1980 के बाद होने वाले दंगों के कुछ आंकड़े दिए हैं, मैं भी 1977 से 1979 तक के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : उससे पहले के क्यों नहीं ?

**श्री भेरावदन क० गधावी** : इससे पहले 1976 के आंकड़े भी हैं। 1977 में इन घटनाओं की संख्या 183 थी, मारे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 36 और घायलों की संख्या 1,122 थी। 1978 में 230 घटनाएं हुईं 110 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 1,853 व्यक्ति घायल हुए। 1979 में 304 घटनाएं हुईं 261 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 2,379 व्यक्ति घायल हुए। इन आंकड़ों से स्थिति समझी जा सकती है कि साम्प्रदायिक घटनाओं में वृद्धि हुई है और दुर्घटनाग्रस्त होने वाले तथा मरने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ी है। अतः हमें उचित परिप्रेक्ष्य में इन बातों का विश्लेषण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति साम्प्रदायिक एकता की बात करता है। हम पुलिस की निंदा करते हैं, आलोचना भी करते हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या महाराष्ट्र की पुलिस जिस पर आक्षेप लगाया गया था केवल पिछले दो या तीन वर्षों के दौरान ही भर्ती की गई थी। क्या वह लम्बे समय से सेवा में नहीं थे। यदि कुछ लोगों की भर्ती पिछले कुछ महीनों के दौरान भी की गई हो तो हम इस प्रकार आक्षेप नहीं लगा सकते। हमें पूरी स्थिति को देखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं ? किसी घटना में अंतर्ग्रस्त व्यक्ति मुस्लिम भी हो सकता है हिंदू भी। हम इसे साम्प्रदायिकता का रंग दे देते हैं। संघर्ष उच्च स्तर से शुरू होकर निचले स्तरों तक फैल जाता है। आजकल हम यही कर रहे हैं।

मुझे याद है कि एक दशक पहले गुजरात में साम्प्रदायिक तनाव और दंगे हुए थे। उस समय खान अब्दुल गफ्फार खां को गुजरात आना था। उन्होंने पूरे गुजरात का दौरा किया। वह मस्जिद गए और हिन्दू और मुस्लिम कालोनियों में गए; उन्होंने कभी किसी सम्प्रदाय की तरफदारी नहीं की। लेकिन हम ऐसा करते हैं और वातावरण को खराब करते हैं।

दुर्भाग्यवश विपक्षी दलों के सदस्य मौके का लाभ उठाना चाहते हैं। यदि किसी क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वह आगामी समय में उसका लाभ उठाने की स्थिति में होंगे। इसलिए उनका ढंग विषयपरक है जबकि यह वस्तुपरक होना चाहिए। वह भटक गए हैं और बिल्कुल विषयपरक हो गए हैं।

मैं दावे से यह बात कह रहा हूं कि कांग्रेस के अतिरिक्त ऐसी कोई पार्टी नहीं हो सकती जो स्वतन्त्रता से पहले भी और अब भी हिन्दू-मुस्लिम में धर्म-निरपेक्षता और भाईचारे के पक्ष में हो रही है।

**एक माननीय सदस्य** : वह कांग्रेस मर चुकी है।

**श्री भेरावदन के० गधावी** : नहीं, वह अभी भी जिन्दा है। श्री राजदा ने कहा है कि कांग्रेस राजनैतिक कारणों से साम्प्रदायिक तत्वों की तरफदारी कर रही है (**व्यवधान**)···। यह मत भूलें कि हम अन्य पार्टियों से अलग, सदा ही राष्ट्र-हित राष्ट्रीय अखंडता और राष्ट्रीय एकता के पक्ष में रहे हैं। इसी कारण आप लोग कम समय में टूट गए। जब आप स्वयं ही मिलकर नहीं रह सके तो आप देश की अखंडता की बात कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप सक्षम नहीं हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम आक्षेप लगाना छोड़कर कुछ आत्मविश्लेषण करें···(**व्यवधान**)··· भिवंडी, थाना, बम्बई, हैदराबाद कई स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव और दंगे हुए। हैदराबाद में तेलगु देशम की सत्ता है ··(**व्यवधान**) श्री वाजपेयी अपने भाषण के दौरान महाराष्ट्र के प्रशासन और मुख्य मन्त्री के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। लेकिन हमने अभी-अभी सुना है कि हैदराबाद में घटना होने समय वहां के मुख्य मन्त्री, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, बाहर गए हुए थे और राज्य के गृह-विभाग का कार्य देखने के लिए वहां कोई नहीं था। क्या आप नहीं समझते कि यह जिम्मेदारी की अवहेलना है ? और क्या आप नहीं सोचते कि ऐसी स्थिति में हैदराबाद जैसा शहर, जो कि ऐतिहासिक रूप से दो समुदायों के बीच एकता और शांति के पक्ष में रहा है···

**श्री एम० एम० लारेंस** : मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूं ? 1972 में तैल्लीचरी दंगों के दौरान, तत्कालीन गृह राज्य मन्त्री श्री करुणाकरण थे जो कि अब मुख्य मंत्री हैं। वह एक मृत वैज्ञानिक श्री विक्रम साराभाई का शव लेकर हवाई जहाज द्वारा बम्बई गए थे।

**श्री भेरावदन के० गधावी** : यह बहुत अच्छा हुआ कि आपके वर्तमान मुख्यमंत्री उनके शव के साथ गए।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : आपने अशांति उत्पन्न करने के लिए वही समय चुना जब मुख्य मंत्री बाहर थे। यही समस्या है।

**(व्यवधान)**

**श्री भेरावदन के० गधावी** : इसमें चुनने की बात नहीं है। सरकार और मेरे दल का विचार है कि देश में कोई भी साम्प्रदायिक दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। यह पूरे देश के नाम पर लांछन है।

**(व्यवधान)**

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : बम्बई में मुख्य मन्त्री भी उपस्थित थे। फिर भी दंगे हुए।

**श्री भेरावदन के० गधावी :** प्रश्न यह है कि हम क्या कर रहे हैं ? श्री जैनुल बसर का यह कहना बिलकुल ठीक था कि कभी-कभी छिपे हुए साम्प्रदायिक संगठन इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। हैदराबाद में भी ऐसे लोगों पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। बम्बई में इसका श्रेय सरकार को जाता है। प्रधानमंत्री सबसे पहले वहां पहुंचीं। और लोग भी वहां गए।

**श्री नारायण चौबे :** प्रधान मंत्री वहां मुख्यमंत्री से पहले गई।

**श्री भेरावदन के० गधावी :** तत्काल राहत प्रबंध किया गया। सेना को न केवल बुलाया गया बल्कि उन्हें आगजनी छुरेबाज और दंगाफसाद में लगे हुए लोगों को देखते ही गोली मार देने का भी आदेश दिया गया।

**श्री नारायण चौबे :** सेना को दंगा फसाद होने के कितने दिन बाद बुलाया गया। 23 को दंगा फसाद होने के बाद।

**श्री भेरावदन के० गधावी :** सेना को दंगा होने के अगले दिन बुलाया गया था। उससे पहले कभी सेना नहीं बुलाई गई लेकिन जब यह जंगल की आग की तरह बढ़ता ही जाए।

**सभापति महोदय :** आप सभापति को संबोधित करें।

**श्री भेरावदन के० गधावी :** महोदया जब यह जंगल की आग की तरह बढ़ने लगे तो इस पर काबू पाना हमेशा ही कठिन होता है। यदि एक बार एक काम होता है तो पचास लोग उसका बदला लेंगे और तब बात काफी बढ़ जाएगीं। जो कुछ भी भिवंडी और थाना में हुआ है, आलोचना के योग्य है। लेकिन साथ ही साथ वे लोग जो केवल प्रशासन को समाप्त करने, सरकार के कार्यकरण पर लांछन लगाने तथा राजनैतिक लाभ उठाने के विचार से ऐसे लोगों का साथ देते हैं, वे यह समझ लें कि इसकी इजाजत नहीं दी जाएंगी।

विपक्ष के कुछ सदस्यों ने कहा है कि हम इस प्रकार राष्ट्रीय अखंडता का नारा लगा रहे हैं जैसे कि देश बिभाजित हो रहा हो। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हर तरफ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे इस देश की अखंडता और एकता को खतरा है। यदि आप ऐसा नहीं समझते तो आपको उस समस्या का अहसास नहीं है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहता हूं—और हमारी प्रधानमंत्री भी हमें और पूरें देश को बता रही हैं कि हमारे देश के सामने अखंडता और एकता की गम्भीर समस्या है और यह दंगे इस बात के गवाह हैं, इसीलिए इस समय मैंने सोचा कि हमारे नेता, विशेषकर वे जो विपक्ष के हैं

इस समय सामने आयेंगे और वस्तुपरक सुझाव देंगे किंतु आदर सहित मैं यह कहूंगा कि वह ऐसा करने में असमर्थ रहे हैं। महोदया, मैं मानता हूं कि साम्प्रदायिक एकता होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में शांतिपूर्ण तथा अनुकूल वातावरण हो। वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जब मन्दिर में आरती हो रही हो और मस्जिद में मुल्ला अजान की बांग दे रहा हो तो हम एक दूसरे को गले से लगा सकें। यह आदर्श स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। इसके लिए एक को दोष नहीं देना चाहिए और नहीं कहना चाहिए कि इसने यह नहीं किया या उसने वह नहीं किया। मेरे विचार में शिव सेना जैसे हमारे क्षेत्रीय तथा प्रांतीय गसंटन जो कि सदा ही लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए किसी कार्यक्रम अथवा नीति के बिना ही काम करते हैं और मुश्किलें खड़ी करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पुलिस से भी खराब लोग हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह शत-प्रतिशत अच्छे ही हैं। लेकिन वह भी समाज का हिस्सा है और जब तक हम पूरे समाज को नहीं बदलते प्रशासन भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए आज हमारी आवश्यकता यह है कि समाज को स्वच्छ किया जाए। हमें ऐसा नेतृत्व देना चाहिए जिसमें सभी एक होकर देश की अखंडता को सुदृढ़ बनाएं और आने वाले समय में ऐसे दंगे समाप्त हो जाएं। देश में कहीं भी साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करने वाले सभी व्यक्तियों को दोष देता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री सी० टी० दंडपाणि** (पोल्लाची) : महोदया, अल्पसंख्यकों के दिमाग में असुरक्षा की भावना समा गई है। अल्पसंख्यकों का चाहे वह कहीं के भी रहने वाले हों, प्रशासन में विश्वास समाप्त होता जा रहा है। 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द अर्थहीन हो गया है। पिछले एक या दो वर्षों से मैं देख रहा हूं कि तथाकथित हिन्दू रुढ़िवादिता जोर पकड़ रही है। मैं इसका कारण नहीं जानता। मुझे नहीं मालूम कि इन्हें कौन बढ़ावा दे रहा है और हिन्दू रुढ़िवादी आन्दोलन के पीछे कौन लोग हैं। अब अल्पसंख्यक बिल्कुल असुरक्षित हैं तथा पूरे भारत में इन दंगों के पीछे राजनीतिक दल और उनके कुछ व्यक्तियों का हाथ है। माननीय वाजपेयी जी तथा दूसरी ओर के कुछ अन्य सदस्यों के द्वारा कुछ आंकड़े दिए गए हैं। उन्होंने तुलनात्मक आंकड़े दिए हैं कि जनता शासनकाल में कितनी घटनाएं हुईं और कांग्रेस (आई०) के शासनकाल में कितनी घटनाएं हुईं। ये तुलनात्मक आंकड़े दिए गए हैं। इन घटनाओं का परिणाम हम देख सकते हैं कि यह अल्पसंख्यकों तथा उनके हितों के खिलाफ जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? इन घटनाओं में वृद्धि क्यों हो रही है? इसका सीधा सादा कारण यह है कि जिन्होंने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए हैं उनमें इतना दुस्साहस है और उन्हें यह विश्वास है कि उन पर कोई आंच नहीं आएगी। यही एक कारण था। जब मेरठ में ऐसा हुआ तो हम वहां संसदीय प्रतिनिधिमण्डल के तौर पर गए। हमने घर-घर जाकर लोगों के साथ बातचीत की और हम उनकी शिकायतों को समझने में सफल हुए और प्रभावित लोगों ने संसद सदस्यों के समक्ष गवाही दी।

**5.59 म० प०**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

हमने इसी सदन में भी चर्चा की। क्या हुआ ? कुछ नहीं हुआ। वास्तव में हमने केन्द्र सरकार से यह मांग की थी कि कुछ पुलिस अधिकारियों का जो कि मेरठ में हुई घटनाओं में वृद्धि के लिए जिम्मेदार थे, उनका स्थानांतरण कर दिया जाये। केन्द्र सरकार ने भी इससे इन्कार कर दिया। हमने क्या देखा है ? भिवंडी में भी यही होने वाला है। बहुत से लोग मारे गए, पूरी भिवंडी राख हो गई बहुत से लोग बेघर हो गए। 200 करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई। दक्षिण, उत्तर पूरे भारत के बहुत से मुसलमान मारे गए। शुरू में पुलिस दर्शक बनी रही।

**6.00 म० प०**

कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। केन्द्र सरकार कहती है कि यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। राज्य सरकार कहती है कि कार्यवाही की गई है। क्या हुआ ? कुछ नहीं। कोई सहायता नहीं दी गई थी। क्या उन्हें रोजगार प्रदान किया गया था ? जी, नहीं क्या उन्हें अपनी झोंपड़ियों का निर्माण करने के लिए कोई वित्तीय सहायता दी गई है ? जी, नहीं। 1000 से अधिक लोग मारे गये थे। सरकार ने प्रत्येक परिवार को केवल 200 रुपये दिये। कई आदमी मारे गये थे। सभी स्थानों में वही घटना घटी है।

इस बारे में विशेषरूप से भिवण्डी के बारे में सरकार क्या कहने जा रही है ? मैं दलगत राजनीति के बारे बात में नहीं करना चाहता। महाराष्ट्र सरकार अपना कर्त्तव्य निभाने में असमर्थ है क्योंकि फिवण्डी में जनता का एक वर्ग शिवाजी जयन्ती मनाना चाहता था। मुख्य मंत्री ने इसे मनाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक शोभा यात्रा निकाली।

21 अप्रैल को एक नेता श्री बाल ठाकरे ने एक पैगम्बर पर खुले रूप में दोषारोपण किया उन्होंने पैगम्बर की आलोचना की। इसलिए उस क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ। उनके बावजूद राज्य सरकार ने 3 मई को शोभा-यात्रा निकालने की अनुमति दी। वहां 3 मई से लेकर 16 मई तक तनाव रहा। सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। मुझे यह कहना चाहिए कि वस्तुतः सरकार महाराष्ट्र में शिव सेना आन्दोलन को बढ़ावा दे रही थी। इस बारे में **'फाइनान्सिअल एक्सप्रैस'** सहित कई समाचार पत्रों ने खबर छापी है। **'फाइनान्सिअल एक्सप्रैस'** एक पूर्णतया स्वतंत्र समाचार पत्र है और अपनी स्वतंत्र राय रखता है। मैं उस समाचार का उल्लेख करना चाहूंगा।

22 मई, 1984 के **'फाइनान्सिअल एक्सप्रैस'** में यह कहा गया है :—

> "यह कहना होगा कि राज्य सरकार का आसूचना तेज और पुलिस विशेष रूप से भिवन्डी में तीव्र साम्प्रदायिक भाषा वेग की जानकारी रखने में पूर्णतया असफल रही। संवेदनशील भिवन्डी, जो एक शक्तिशाली विद्युतकरघा केन्द्र बन गया है, में शिवाजी जयन्ती मनाने की अनुमति देने के सरकार के निर्णय के लिए की नुक्ताचीनी करने का

कारण नहीं है ? यद्यपि समारोह शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ, किन्तु, उसके बाद वातावरण और तनाव से भर गया। आसूचना अधिकारियों को संकट को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में सरकार को संचेत करना चाहिए था और किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए एक शक्तिशाली बल तैयार रखना चाहिए था। यहां पर प्रशासन पूरी तरह से असफल रहा।"

इसमें यह भी कहा गया है कि :—

"शिव सेना, जिसने दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध हीन भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर कभी नहीं गंवाया है, ने इस समय भी वही किया है।"

तनायपूर्ण स्थिति के बावजूद, सरकार ने शोभायात्रा निकालने की तुरन्त अनुमति दे दी उसने समस्या पैदा कर दी। वहां कई आदमी मारे गए थे।

हमारी प्रधान मन्त्री महोदया ने भिवन्डी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि यह घटना भारत के इतिहास पर एक कलंक है। आजकल अनेक कलंक लग रहे हैं। इस बात का पता दोनों माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए आंकड़ों से चलता है। वस्तुतः यह दो समुदायों के बीच संघर्ष है। सरकार का कर्त्तव्य क्या था ? प्रधान मंत्री महोदय ने यह भी कहा :

"सरकार उकसाने वाले लोगों से निपटेगी।"

इस वक्तव्य के बाद अंतिम सप्ताह में हमने समाचार पत्रों में यह पढ़ा कि शिव सेना के जिन 22 नेताओं को दंगों के दौरान गिरफ्तार किया गया था उन्हें कोई शर्त लगाए बिना छोड़ दिया गया था। इसके अनेक राजनीतिक कारण हैं जो भिन्न-भिन्न हैं। लेकिन आप अपराधी को दण्ड नहीं देते हैं। जब आप उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं करते तो आप कैसे यह आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी ? आप अपराधी को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अब पुनः वही लोग ऐसा करेंगे और वही लोग सत्ताधारी दल में जाएंगे और वे सत्ताधारी दल का अपना समर्थन दे सकते हैं और उन्हें दण्ड से मुक्त करा सकते हैं। यदि सब तो हो, रहा है। इसलिए, मैं कहता हूं कि सरकार द्वारा अपनाए जा रहे इस प्रकार के रवैये को तुरन्त रोका जाना चाहिए। अथवा यह भी है कि वही लोग जो सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता आदि की बात करते हैं। इस कार्य में सहायता नहीं करेंगे।

जब कभी ऐसी घटना घटती है तब हम सरकार से कोई आश्वासन देने के लिए कहते हैं। सरकार भी यह कहते हुए कोई आश्वासन देती है कि अल्पसंख्यों को पुलिस बल में उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यह एक ऐसा आश्वासन था जो उसी सदन में कई बार दिया गया था।

हमें पुलिस बल में कोई भी हरिजनों अथवा अल्पसंख्यकों का कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देता है और उन्हें उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। वहां इस प्रकार की कोई बात नहीं है। यह एक भिन्न किस्म है जो वहां आजकल काम कर रही है। इसलिए, मैं नए गृह मन्त्री महोदय ऐसी मन्त्री जो कम से कम अपने वचन तथा शब्दों पर कायम रह सकता है—मैं उन्हें जानता हूं—से यह अपील करूंगा कि वे पहले गृह मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन को कार्यान्वित करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल मौजूद हैं जो साम्प्रदायिक एकता में विश्वास नहीं करते है और कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो साम्प्रदायिक एकता में विश्वास करते हैं। कतिपय राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं और वे उनसे लाभ उठाना चाहते हैं। वे उससे कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अधिकांश लोग साम्प्रदायिक एकता, राष्ट्रीय एकता इत्यादि-इत्यादि की बात करते हैं। मैं जानता हूं उनका व्यवहार कैसा है, वे कैसे विश्वास करते हैं और उनका विश्वास क्या है। हम इस बात को जानते हैं। लेकिन राजनीति में हम बहुत से पाखंडी व्यक्तियों को देख सकते हैं। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता। लेकिन मात्र राजनीतिक कारणों के लिए किसी एक ग्रुप का समर्थन करते हैं और आज राजनीतिक कारणों के लिए दूसरे ग्रुप को स्वाभाविक रूप से कुचलते हुए उसकी सहायता नहीं करेंगे। यदि आप दो समुदायों के बीच एकता स्थापित नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से इससे मदद नहीं मिलेगी। मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूं हम कार-सेवा के सम्बन्ध में बाबा खड़क सिंह साहेब से मिलने गये। वह अमृतसर के पास एक गांव में थे। वह बहुत ही बूढ़े व्यक्ति हैं। वे 90 वर्ष के हैं। उन्होंने कहा, "साम्प्रदायिक जहर इस देश के लिए खतरनाक है। मेरा विचार है कि सभी मुसलमान, हिन्दू तथा सिख एक हैं। यदि भारत सरकार अथवा प्रधान मंत्री इस जहर को समाप्त कर सकती हैं तो मैं प्रधान मंत्री की चप्पलों को अपनी दाढ़ी से साफ करूंगा।" उस बूढ़े व्यक्ति ने यह कहा था।

मैं इस सरकार से केवल यही अपील करूंगा कि वह इस बात को देखे कि जहां कहीं भी यह जहर विद्यमान है, चाहे वह उत्तर में है अथवा दक्षिण में, इस साम्प्रदायिक गृणा को समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार को इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से सरकार भी कार्रवाई करने से हिचक सकती है। लेकिन कालान्तर में इस से निश्चित रूप से सहायता नहीं मिलेगी। कई लोगों ने यह बात कही है और मैंने यह बात समाचार पत्र में पढ़ी है। "मुसलमान गद्दारों भाग जाओ।" बम्बई शहर में यह नारा फैलाया गया था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप गन्दे नारों को सदन में क्यों रोहरा रहे हैं? अच्छा यही है कि आप ऐसी बातें न कहें।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या कहें? यहां पर छण वेश में बहुत से बुरे व्यक्ति हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आप कोई बात कहते हैं तो दूसरा आदमी दूसरी बात कहता है।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : यहां कोई ऐसा आदमी नहीं है जो शिव सेना का समर्थन करता हो। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति शिव सेना का समर्थन करता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : गन्दे नारों को न दोहराएं। मैं यह कह रहा हूं। यह आप पर छोड़ा जाता है।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने केवल यही कहा है कि आप यहां पर उन गन्दे नारों का उल्लेख न करें जो आपने सुने हों। आप दूसरी बातें कह सकते हैं। मैं आपको केवल एक सुझाव दे रहा हूं, मैं इसे सदन की कार्यवाही से नही निकालना चाहता। किसी धर्म या समुदाय के प्रति गन्दे नारे न दोहराएं। यह मेरा आपके लिए सुझाव है। अब यह आप पर निर्भर करता है।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : मैं नहीं जानता कि आप इसकी इस रूप में अनावश्यक व्याख्या कैसे कर रहे हैं। सभापति महोदय को कतिपय बातें समझनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि यदि इस प्रकार का प्रचार सारे भारत में होता है तो ऐसे लोगों में, जिनका इन वर्षों में दमन किया गया है, निस्सन्देह असंतोष व्याप्त हो सकते हैं इस प्रकार के नारों और आन्दोलनों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री महोदय इस मामले में कार्यवाही करें।

हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बना हुआ है। एक साक्षात्कार में श्रीबाल ठाकरे से यह पूछा गया था "क्या यह एक सुनियोजित हमला है या नहीं ?" उन्होंने यह उत्तर दिया "यह एक सुनियोजित हमला है।" उन्होंने एक साक्षात्कार दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है। यदि यह एक सुनियोजित हमला था तो उसकी योजना किसने बनाई ? क्या इसे शिव सेना का समर्थन प्राप्त है। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाने का क्या प्रयोजन है ? अतः मैं सरकार से केवल यह अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे लोगों और संगठनों के विरुद्ध तुरन्त कड़ी कार्यवाही करें जो देश में साम्प्रदायिक दंगे कराते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यगण, इसके लिए 3 घंटे का समय दिया गया था। अब 3 घंटे पूरे हो गए हैं। यदि प्रत्येक माननीय सदस्य केवल उतना ही समय लेता है। जितना कि उसके दल को आबंटित किया गया है, तो हम इसे आधे घंटे में पूरी कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य

10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेगा। यदि आप सहयोग करें तो प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का मौका मिलेगा और मन्त्री महोदय भी समय पर जवाब दे सकेंगे।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : वे कल जवाब दे सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय, पहले ही यह घोषणा कर चुके हैं कि यह चर्चा आज समाप्त करनी है। हमें कल वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करनी है।

**श्री मनीराम बागड़ी** : गृह मन्त्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर कल दे सकते हैं। यहां पर बैठे हुए सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय पहले ही कह चुके हैं कि चर्चा आज समाप्त होगी। कल हमने वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करनी है। हम विधायी कार्य को निलम्बित नहीं कर सकते। यह सम्भव नहीं है। मैंने आपके अनुरोध तथा सुझाव का बहुत आदर किया है। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं। प्रत्येक सदस्य 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेगा।

**श्री कमालुद्दीन अहमद**(वारंगल) : डिप्टी स्पीकर साहब, जिस मसले पर हम बहस कर रहे हैं, मैंने बड़े गौर से वाजपेयी जी को सुना है, जिस खुलूस के साथ अपने जजबात का उन्होंने इजहार किया काश उन जजबात को उनकी पार्टी के वर्कर्स खुद तस्लीम कर लेते और सोचते समझते तो मैं समझता हूं इस मुल्क में 50 फीसदी फसादात कम हो जाते और मरने वालों की तादाद में भी 50 फीसदी की कमी हो जायेगी। बदकिस्मती से इस मुल्क में इतने दंगे हो रहे हैं और उनको रोकने की जितनी कोशिश की जा रही है, उतने ही वे दंगे बढ़ते जा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर वार-दातें हो रही हैं और हुई हैं, उनकी नौय्यत कुछ अलग-अलग सी है, उसके वजूहात कुछ अलग-अलग से हैं और उनके मकासिद कुछ अलग अलग से हैं। मैं तमाम फसाद से ताल्लुक कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन खसूसियत से हैदराबाद में जो हो रहा है, उसकी-जानिब मैं होम मिनिस्टरसाहब की तवज्जह दिलाना चाहूंगा।

अगरचे कि वे तमाम चीजों से वाकिफ हैं, तमाम हालात से वाकिफ हैं, फिर जो एक अजीब-सा आसपैक्ट है, उसकी तरफ मैं उसकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। पिछले तीन-चार साल से मुसलसल वक्ते मुकर्ररह कुछ त्यौहारों के मौके पर ये दंगे हो रहे हैं। इन दंगों की नौययत कुछ अजीब सी है। कोई मौब वायोलेंस नहीं है, कोई मौब केन्फ्रन्टेशन नहीं है, कोई मौब अट्टैकिंग नहीं है। सिर्फ स्टैबिंग होती है और मैं खसूसियत के साथ अर्ज कर रहा हूं कि इसकी नौय्यत कुछ काम्यूनल किस्म की नहीं है। आप देखेंगे कि 80 फीसदी केसेस में पीछे से वार हुई है। यह शख्स जो स्टैबिंग कर रहा है, बिना देखे स्टैबिंग कर रहा है। हास्पिटल में जाकर हमने

लोगों को, जख्मी लोगों को देखा, उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन पीछे से आया और हमको स्टैब कर दिया। इस प्रकार से लगता है कि स्टैबिंग करवाने वालों में कुछ ऐसे लोग इन्वाल्वड हैं, जो वहां स्टैबिंग करके टैंशन क्रिएट कर रहे हैं। यदि इस आस्पैक्ट को गौर से देखा जाए तो लगता है कि यह एन्टी सोशियल एलीमेंट्स उनको इसमें वैस्टैड इन्टरैस्ट है। ये हर साल इस किस्म के इन्सीडेंट्स करवाते हैं।

इसके साथ मैं वाजपेयी से अर्ज कर रहा हूं कि वे इसकी तहकिक करवायें कि उनकी पार्टी के वर्कर्स ऐसे मौके पर बाजार में निकलकर चन्दा जमा करते हैं। वे कितना चन्दा जमा कर रहे हैं और कितने लाख रुपए हर साल जमा करते हैं और उसके लिए वैस्टेड इन्टरैस्ट क्रिएट किया गया है। मैं न सिर्फ वाजपेयी जी से मुखातिब हूं, बल्कि इनके जो काउन्टर पार्ट्स हैं और जो दूसरी जमात हैं, उनका भी यही हाल है। ऐसा लगता है कि रिलीफ का काम खुद इनका अपना हो रहा है। हर साल लाखों रुपए जमा करते हैं और सारे शहर को परेशान कर रखा है। सारे शहर में एक किस्म की टैंशन बना रखी है।

हैदराबाद की अपनी एक तहजीब है, उसका अपना एक कल्चर है, जो कि सारे मुल्क में मशहूर है। कभी इस किस्म की फिलिंग्स वहां पर नहीं थी। बदकिस्मती से पिछले तीन-चार सालों में यह बात पैदा हो गई है। यह ऐसी बात है कि इस पर किसी को भी शर्मिंदा होना पड़ सकता है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं। मैं समझता हूं कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है। किसी का कत्ल हुआ है, तो कत्ल का मुकद्मा भी रजिस्टर नहीं होता है। न किसी पर मुकद्मा चलाया जाता है। इस प्रकार ये एन्टी सोशियल एलीमेंट्स बाद की कार्यवाही से भी बच जाते हैं। शहर के अन्दर अपने-अपने माफीया के ग्रुप्स हैं। ये अपने;आने एकाउन्ट्स सैटल करते हैं। ऐसे मौके पर नजायज फायदा उठाते हैं। बदकिस्मती से पुलिस इसमें इनएक्टिव रहती है या एक्टिव रहती है तो उनके साथ कनाइवैंस रहता है। हमारा हाल का ही तजुर्बा रहा है। शहर में 10-12 दिन तक कर्फ्यू रहा और इसकी वजह से लोग परेशान हुए हैं। उसका बहुत ही बुरा असर पड़ा है। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में होम मिनिस्टर साहब, जो आम इन्स्ट्रक्शन्स प्राइम मिनिस्टर ने सारे स्टेट्स को दी हैं, उन इन्स्ट्रक्शन्स पर पाबन्दी रही है, खास तौर से तवज्जह देकर देखें कि स्टेट गवर्नमेंट्स पूरे तौर पर काम कर रही हैं या नहीं। इस सिलसिले में मैं यह समझता हूं कि अगरचे यह सब्जैक्ट ला एंड आर्डर स्टेट का है, लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी, लोगों की जान व माल की और उनकी जिन्दगी की, इस पार्लियामेंट पर है। इसलिए इस पार्लियामेंट के जरिए से ही इस मुल्क के लोगों ने दस्तूर हासिल किया है कि उनकी जान व मॉल की हिफाजत की जाएगी। मैं समझता हूं कि प्राइमरी रिसपांसबिलिटी इस पार्लियामेंट की है। अगर दस्तूर के कोई बात आड़े आती है तो यह पार्लियामेंट उसको ठीक तरह से कागनिजेंस नहीं ले सकती है। इफैक्टिव तौर पर लोगो की जान व माल की हिफाजत करने में नाकामयाब होती है। इसलिए मैं होम मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि इसको एग्जामिन करें। आज

संविधान में कोई तबदीली लाने की जरूरत है तो वह तबदीली वे लायें। फिर इस मुल्क में रहने वाला चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, उनकी जान व माल की हिफाजत करे।

इसलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए, मैं खसूसियत के साथ अर्ज कर रहा हूं कि हैदराबाद में जो वाक्यात हो रहे हैं, उसके लिए उसकी ठीक तौर पर वहां की स्टेट गवर्नमेंट उसको दुरुस्त करे। अगर नहीं करतीं है, तो उसकी पूरे तौर पर जांच करनी चाहिए। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए शर्म की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 37 वर्षों के बाद भी हम संसद में लगभग यदा कदा साम्प्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कभी हम मुरादाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों की चर्चा करते हैं, तो कभी मेरठ, कभी जमशेदपुर, कभी मुज्जफ्फरनगर, कभी हैदराबाद, कभी फुलवारिया, कभी मालेगांव, कभी बम्बई, कभी भिवन्डी आदि में हुए साम्प्रदायिक दंगों की चर्चा करते हैं। मैं नहीं जानता कि हम कब तक इन बातों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं जानता हूं कि अन्य देशों से षड्यंत्र ऐसा होता हैं, यहां भी ऐसी एजेन्सियां मौजूद हैं जो सामुदायिक दंगे कराना चाहती हैं। उसके लिए सरकार, सत्ताधारी दल और हम सभी को और अधिक सावधान रहना चाहिए, विशेष रूप से सत्ताधारी दल, जो कि एक सबसे बड़ा दल है, को और अधिक सावधान रहना चाहिए और इन बातों की जानकारी रखनी चाहिए। मैं सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे लोग तथा ताकतें हैं जो साम्प्रदायिक दंगों से लाभ उठाते हैं, वे वहां मौजूद हैं, विशेष रूप से चुनाव वाले वर्ष में, ऐसे लोग मौजूद हैं और ऐसे दल मौजूद हैं जो साम्प्रदायिक दंगों से लाभ उठाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाल ठाकरे भी इस प्रकार के आदमियों में से एक है।

मैं एक चीज बताना चाहता हूं। ये साम्प्रदायिक दंगे जो हाल ही में हुए थे वे स्वतः प्रेरित नहीं थे, वे सभी सुनियोजित दंगे थे, उन दंगों के पीछे एक योजना थी। हर जगह हमने यह नोट किया कि पुलिस तथा सरकार मूक दर्शक बनी रही। कभी-कभी उन्होंने सहनशील समर्थकों की भूमिका निभायी। यदि पुलिस तथा सरकार निष्ठा तथा ताकत के साथ समय पर हस्तक्षेप करे तो संगठित साम्प्रदायिक दंगों को रोका जा सकता है जैसा कि पश्चिमी बंगाल में किया गया था। पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारियों की मृत्यु के बाद हिन्दू तथा मुसलमानों ने जब साम्प्रदायिक दंगे कराने का प्रयास किया तो पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें प्रभावकारी ढंग से रोका।

1983 में मालेगांव में एक दंगा हुआ था और श्रीमती इन्दिरा गांधी सहानुभूति जताने के लिए, जैसा कि वे हर जगह जाती हैं, वहां भी गईं। लेकिन मालेगांव में एक विशेष बात नोट की गई थी। उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के संयुक्त प्रतिनिधि-मण्डल से मिलने से इन्कार कर दिया।

उन्होंने राजनीतिक दलों से मिलने से इन्कार कर दिया। वे हिन्दूओं से अलग से मिलीं और वे मुसलमानों से अलग से मिलीं। सम्भवतः वे इस बात से डरी हुई थीं कि कहीं मुसलमान हिन्दूओं के सामने खुले रूप से तथा साफ-साफ न बोल दें और यह कि कहीं हिन्दू मुसलमानों के सामने खुले खुले रूप से तथा साफ-साफ न बोल दें। जहां तक हमारे दल सी० पी० आई० का सम्बन्ध है, हम गरीब तथा कमजोर हो सकते हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि हम साम्प्रदायिक हैं। यहां तक उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल से भी मिलने से इन्कार कर दिया। वे हिन्दुओं और मुसलमानों से अलग-अलग मिलना चाहती थीं लेकिन हमने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया और अन्ततोगत्वा उन्होंने मिलना स्वीकार किया और हम उनसे प्रतिनिधिमण्डल के साथ मिले। सम्भवतः साम्प्रदायिक विपत्तियों को देखकर वे खुद परेशान हो गई थीं। ऐसा उस कारण से भी हो सकता है। पहले कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया था अथवा यह नई नीति की शुरूआत हो सकती है जिसे वे सम्भवतः कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही हैं।

भिवन्डी के बारे में, मैं किसी बात का उल्लेख नहीं करना चाहता। आप जानते हैं क्या हुआ है। इस 'महान व्यक्ति' बाल ठाकरे ने जनवरी, 1984 में अपना जन्म दिन मनाने का आयोजन किया था। उसने हिन्दू महासंघ का आयोजन किया था। वह बम्बई में तेजी से महत्व खो रहा था। सातवें दशक में वह बम्बई से लाल झण्डे वाली यूनियनों को बाहर निकाल सकता था···

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर पूर्व) : इसीलिए आप उसके खिलाफ हैं ?

**श्री नारायण चौबे** : वह दक्षिण भारतियों के भी खिलाफ था। वह सभी गैर-महाराष्ट्रियों को वहां से बाहर निकालना चाहता था। डा० स्वामी के पास केवल एक श्रेणी है और वह है पश्चिम।

उसने यह नारा दिया था कि महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए है। तत्पश्चात इस महासंघ ने 21 अप्रैल को एक बैठक आयोजित की थी। जनवरी से अप्रैल तक यह 'महान व्यक्ति' ने समस्त महाराष्ट्र में साम्प्रदायिकतावाद का प्रचार करता रहा था। सरकार मौन थी। उसने 21 तारीख की बैठक में भाषण दिया था। क्या आप जानते हैं उसने महात्मा तथा मुसलमानों के लिए क्या शब्द प्रयोग किए थे ? उसने दोनों के लिए भद्दी भाषा का प्रयोग किया था। बंगलौर एक उर्दू दैनिक **'नसेमन'** ने इस रिपोर्ट को छापा था। एक दूसरे उर्दू दैनिक **'अकबर-ए-आलम'** ने भी एक उत्तेजक टिप्पण के साथ इस रिपोर्ट को छापा था 14 मई, 1984 को हमारे दल के संसद सदस्य श्री बनातवाला स्वयं श्री सेठी से मिले थे और उन्हें इन सब बातों से अवगत कराया था कि महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक तनाव पनप रहा है। तत्पश्चात, मदान आयोग की सिफारिश के बावजुद 14 वर्ष के बाद शिव जयन्ती शोभा यात्रा बम्बई तथा अन्य स्थानों के बीच से निकालने की अनुमति दी गई थी।

16 मई को भिवन्डी टाइम्स ने मुस्लिम सेना के गठन की घोषणा की थी और कांग्रेस (इ) के एक विधायक ने बाल ठाकरे के चित्र को चप्पलों और जूतों का हार पहना कर जलूस निकाला था। वह कांग्रेस (ई०) का विधायक है। तत्पश्चात बम्बई और भिवन्डी में केसरी रंग के झण्डों हरे रंग के झण्डों के बीच प्रतियोगिता शुरू हुई।

तत्पश्चात, शिव सेना के द्वारा विभिन्न बन्दों का आयोजन किया गया था और 18 मई को दंगों का विस्फोट हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए थे जिनकी संख्या सरकार द्वारा दी गई संख्या से काफी ज्यादा थी। हजारों घर जला दिए गए थे और कई करोड़ रुपए मूल्य की सम्पत्ति लूट ली गई थी। अन्सारी बाग में घरों के मालिकों द्वारा शोर मचाए जाने के बावजूद 27 व्यक्तियों को जिन्दा भून दिया गया था।

प्रश्न यह उठता है कि जनवरी से पुलिस क्या कर रही थी और प्रशासन क्या कर रहा था? आसूचना विभाग क्या कर रहा था? क्या वे सो रहे थे? आसूचना ब्यूरो वाले कहते हैं कि वे उर्दू नहीं समझ सकते थे और उनके विभाग में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो उर्दू पढ़ सके और इसीलिए हम नहीं जानते कि उर्दू समाचार-पत्र क्या कह रहे हैं। इसके बाद आइए मराठी समाचार पत्रों की ओर उनका तो कहना ही क्या? मराठी समाचार पत्र भी साम्प्रदायिक तनाव का उतने ही अच्छे ढंग से प्रचार करते रहे हैं जितने अच्छे ढंग से उर्दू समाचार पत्र कर रहे हैं। तब यह शिव जयन्ती शोभा-यात्रा निकालने की अनुमति क्यों दी गई थी? 1970 के दंगों के बाद मदान आयोग की सिफारिश का क्या हुआ? सरकार मौन है। यह कहा गया है कि पुलिस आयुक्त श्री रामचन्द्रन ने कहा है कि उन्हें 17-5-84 से पहले भिवन्डी में चल रहे तनाव की कोई जानकारी नहीं थी। तब वहां पुलिस आयुक्त क्यों होना चाहिए? पुलिस कहती है कि उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि जब 1982-83 में कपड़ा मजदूर हड़ताल पर थे उस समय 19 एस० आर० पी० बटालियनों का उपयोग किया गया था। महाराष्ट्र में यह व्यवस्था है कि शिव जयन्ती शोभा-यात्रा के दौरान किसी भी पुलिस कर्मचारी को छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये दंगे शुरू हुए उस समय थाणे के 60 प्रतिशत पुलिस कर्मी छुट्टी पर थे। पुलिस आयुक्त को वहां जाना पड़ा था और उन्होंने यह आदेश दिया था कि छुट्टियां रद्द कर दी जाए। आमतौर पर थाणे में 2300 पुलिस और एस० आर० पी० कर्मचारियों के ठहरने की आशा की जाती है लेकिन दंगों के दौरान वहां केवल 400 पुलिस तथा 450 एस० आर० पी० कर्मचारी मौजूद थे। निस्सन्देह वहां सेना बुलाई गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तब सेना को वहां की गलियों की निगरानी रखने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अनुमति दी गई थी। लाल बाग, पेटेल, अन्धेरी में शिव सेना के आदमी पुलिस के सामने हिंसात्मक कार्यवाही करते जा रहे थे और पुलिस चुपचाप खड़ी थी। यहां तक कि बम्बई के पुलिस आयुक्त श्री जी० एफ० रेबेरो के भी उकता कर यह कहना पड़ा था कि "मैं नहीं जानता बम्बई का प्रशासन कौन चलाता है—पुलिस या शिव सेना।"

महोदय, शिव सेना और कांग्रेस (इ) के बीच दोस्ती बहुत पुरानी है। बाल ठाकरे अन्तुले के विश्वास का आदमी है। ये देखिए 'इन्डिया टूडे' मेगजीन है। यह कम्यूनिस्ट मेगजीन नहीं है। यह कहता है :

> "श्री ए० आर० अन्तुले, जिसने पिछले सप्ताह एक शान्ति समिति बनाई थी, जब वे मुख्य मंत्री थे तब वे ठाकरे के निकट थे। भूतपूर्व कांग्रेस (इ) विधायक प्रभाकर कुने ने स्मरण कराया कि 1981 में बम्बई में यह सुनिश्चित करने के लिए हुई कांग्रेस (इ) की बैठक में कि मुरादाबाद तथा मेरठ में हुए साम्प्रदायिक दंगे बम्बई में न फैलें, उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि शिव सेना के सदस्य प्रमोद न वल्कर तथा मनोहर जोशी वहां विद्यमान थे। परेशान अन्तुले ने उनकी उपस्थिति को यह कह कर स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वे 'एक मित्र दल' के सदस्य हैं।"

महोदय, यहां तक कि वर्तमान मुख्य मंत्री, जबकि उप सभापति का चुनाव हो रहा था, ने भी सरमायेदार तथा शिव सेना के 59 अन्य व्यक्तियों को छोड़ दिया था जिन्हें दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महोदय, उनके बाद महाराष्ट्र में भरत मिलन हुआ था। श्री अन्तुले तथा दादा पाटिल राम और भरत की तरह एक हो गये थे और उसके बाद हाजी मस्तान तथा करीम लाला को जेल से मुक्त कर दिया गया था। बम्बई में यह सब हुआ है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप सरकार को क्या सुझाव देते हैं ?

**श्री नारायण चौबे** : मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक साम्प्रदागिक ताकतें दूसरी साम्प्रदायिक ताकतों को सहायता करती हैं। साम्प्रदायिक दंगे हिन्दु साम्प्रदायिकतावादियों तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादियों की मदद करते हैं। बम्बई में मुस्लिम लीग की बाल ठाकरे द्वारा मदद की जाती है और बाल ठाकरे मुस्लिम लोग को बल देता है। **(व्यवधान)**

महोदय, इन दंगों में एक दूसरी बात दिखाई दी। बम्बई तथा भिवन्डी में झुग्गियां और झोंपड़ियां जलाई गई थीं। ऐसा क्यों हुआ है ? 1970 के दंगों में ऐसा मामला नहीं था। 1984 में ऐसा क्यों हुआ ? हमें बताया गया है कि सूती कपड़ा मिलों में 1982-83 में हुई हड़ताल के बाद अनेक व्यापारियों ने भिवन्डी में विद्युत करघे खोल लिए हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें शिव सेना द्वारा अच्छी प्रकार रखा जाता है जबकि बस्तियों तथा झुग्गियों को जला दिया गया थां। बम्बई में मामला ऐसा नहीं है। यहां झुग्गियां इसलिए जलाई जाती हैं ताकि उसे किसी दूसरे आदमी को अधिक मूल्य पर भेजा जा सके। यहां असामाजिक तत्व उन्हें इसलिए जलाते हैं ताकि नए आदमियों से अधिक धनराशि प्राप्त हो सके।

अब मैं हैदराबाद के बारे में बात करता हूं। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि यदा कदा साम्प्रदायिक दंगों को शुरू करने का लाभ उठाने के लिए धार्मिक त्यौहार मनाये जाते हैं। यहां भी कांग्रेस ने मजलिस के साथ गठजोड़ किया है। 1978 में जब इंदिराजी सत्ता में नहीं थी लेकिन हैदराबाद में कांग्रेस सत्ता में थी तो वे हैदराबाद गई और उन्होंने दारुसलम का दौरा किया···

वे 1978 में यजालेस के मुख्यालय दार-ए-कलस गई थीं। भारत में, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले 1959 में केरल में साम्प्रदायिक ताकतों से गठजोड़ किया और इ० एम० एस० नाम्बूदरीपाद के नेतृत्व वाली पहली साम्यवादी सरकार को गिराया था। पुराने हैदराबाद में हमेशा मजलिस का पलड़ा भारी रहा है और हैदराबाद में उनको हमेशा तीन सीटें मिली हैं। इस बार कांग्रेस (इ) से तालमेल करके मजलिस ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली है और उसने 5 सीटें जीत ली हैं। मजलिस के सुदृढ़ हो जाने से, भारतीय जनता पार्टी का भी हिंदुओं में अच्छा प्रभाव हो गया और उसने 1983 के चुनावों में पहली बार एक सीट जीती। हैदराबाद में मजलिस तथा भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थिति मजबूत हो गई है और कांग्रेस (इ) आंध्र प्रदेश में सीट हार गई। तेलुगु देशम पार्टी ने भी कभी मजलिस से तथा कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया। वहां की वर्तमान स्थिति यह है। गणपति उत्सव, महिलाओं का बोनालु उत्सव, आदि सभी धार्मिक उत्सव हैं और इन उत्सवों को हिंदू मनाते हैं। इसी प्रकार, पंखा जुलूस आदि मुसलमानों के त्यौहार हैं। इन त्यौहारों का साम्प्रदायिकता भड़काने के लिए इस्तेमाल होता है।

महोदय, आज देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिकता फैल रही है और देश की स्थिति खराब है। विदेशियों द्वारा भी ऐसी स्थिति पैदा की जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस (इ) दल क्या कर रहा है? कांग्रेस (इ) देश की सबसे बड़ी तथा सत्ताधारी पार्टी है उन्हें यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 24 जुलाई के 'पेट्रियट' में उत्तर प्रदेश के जिले में साम्प्रदायिक ताकतों के बारे में समाचार है और मैं उस समाचार पत्र की कुछ पंक्तियां उद्धृत करता हूं—

> "उत्तर प्रदेश के जिले में साम्प्रदायिकतावादी ताकतें सक्रिय—अखिल भारतीय विश्व परिषद के महासचिव, अशोक सिंघल और भूतपूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री तथा "राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति" के संयोजक, दाऊदयाल खन्ना ने 10 लाख स्वयंसेवकों की सेना खड़ी करने तथा भूतपूर्व मुस्लिम शासकों द्वारा मस्जिदों में बदले गये सभी हिंदू धार्मिक स्थानों को मुक्त कराने संबंधी अपनी योजना के बारे में बताया।"

इस प्रकार, एक भूतपूर्व कांग्रेसी मंत्री हिंदुओं के धार्मिक स्थानों को मुसलमानों से छुड़ाने के लिए हिंदुओं को उकसा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये नाटक कर रही है सभी दंगे पूर्व नियोजित होते हैं। देश गहन आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक संकट में है। पूंजीवाद असफल हो

रहा है। श्रमिक वर्ग बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और पूंजीवादी समाज से उत्पन्न होने वाली अन्य बुराइयों से लड़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन, इन सुनियोजित दंगों से आम आदमी की तथा संघर्षरत लोगों की एकता विखण्डित हो रही है। समाप्त हो रहा पूंजीवाद तथा सामंतवाद इतिहास को पीछे धकेलना चाहता है। वे साम्प्रदायिक दंगे करवा रहे हैं। अमरीका में 'कू क्लान क्लक्स' जैसे प्रो-फासिस्ट समूह अपना सिर उठा रहे हैं। अन्य पूंजीवादी देशों में प्रो-फासिस्ट दल उभर रहे हैं। इसी तरह, ये साम्प्रदायिकतावादी ताकतें भारत में उभर रही हैं। ये साम्प्रदायिक दंगे समाज में गहन संकट के लक्षण हैं। ये प्रगतिवादी ताकतों के रास्ते में रुकावट हैं ये लोगों को अलग-अलग कर देती हैं। ये सामाजिक न्याय हेतु आन्दोलन के मार्ग में रोड़ा अटकाती हैं। महोदय, यह वर्ष चुनाव का वर्ष है। सावधान हो जाओ। ये ऐसी ताकतें हैं जो चुनाव के दौरान इन दंगों से लाभ उठाती हैं।

महोदय, मैं दावा कर सकता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले, हमारे सामने एक महान सफल दिन आया था वह दिन था 29 जुलाई, 1946, जब इस यूनियन, जिसके साथ आप राजनीति में आने से पहले से जुड़े हुये हैं, अर्थात डाक-तार कर्मचारी यूनियन जो हड़ताल पर थी, के समर्थन में सम्पूर्ण बंगाल लाल झंडे के नीचे समस्त भारत के साथ एकत्रित हो गया था। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त, 1946 को लोगों का बंटवारा कर दिया और दंगे शुरू हो गये। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का बम्बई जो कि गिरणी कंजोर संघ के नाम से प्रसिद्ध था, अब उस पर बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली शिव सेना का नियंत्रण है। आपने आतंकवादी लाल झंडा यूनियन को अलग करने में शिव सेना की मदद की। अब, शिव सेना बम्बई में उपद्रव करती है। हम यह कह रहे हैं कि हैदराबाद में साम्प्रदायिक ताकतों का साम्राज्य है। इस बारे में मेरा एक ही सुझाव है कि वामपंथी लोकतांत्रिक ताकतों को संगठित हो जाना चाहिए और मेहनती लोगों तथा हर एक को संगठित करना चाहिए और सामाजिक न्याय के लिए खेतिहर को भूमि के लिए, रोजगार के लिए, मूल्य वृद्धि के खिलाफ तथा पूंजीवाद की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। लोकतांत्रिक शक्तियों को लोगों के इस संयुक्त संघर्ष का नेतृत्व करना चाहिए यही एक मात्र हल है जिसके द्वारा हम साम्प्रदायिकता के इस खतरे से लड़ सकते हैं।

**श्री एडुआर्डो फैलीरो** (मारमागाओ) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि यहां बताया गया है, ये दुःखद घटनाएं जिसमें सैंकड़ों निर्दोष, पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे मारे जाते हैं, केवल इसलिये होती हैं क्योंकि लोगों का धर्म अलग है; इसमें मकान जला दिये जाते हैं और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जाती है। ये घटनायें वास्तव में हर साल हो रही हैं। परन्तु, चाहे ये घटनायें बम्बई, भिवण्डी, हैदराबाद या मुरादाबाद में हुई हों, ये सब एक जैसी होती हैं। इन घटनाओं में इस बड़े कार्य के लिए सबसे आगे समाज-विरोधी तत्व होते हैं और उनके पीछे राजनीतिक ताकतें होती हैं जो या तो चुनावों में तुच्छ राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं अथवा उनकी देश में अव्यवस्था फैलाने की कोई अपेक्षाकृत बड़ी योजना होती है।

बम्बई के मामले में, यह तुच्छ कार्य बाल ठाकरे, हाजी मस्तान और इसी प्रकार के अन्य लोगों के गुटों द्वारा किया गया था। वास्तव में, बम्बई में अभी से बम्बई शहर के अपराधी-वर्ग पर अपना नियंत्रण रखने के लिए बाल ठाकरे का समर्थन करने वाले समाजविरोधी लोगों और हाजी मस्तान के गुटों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। इन समाज-विरोधी लोगों के पीछे राजनीतिक ताकतें हैं।

मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहूंगा। जहां तक बम्बई में इन राजनीतिक ताकतों का संबंध है, इस सदन में उनका प्रतिनिधित्व इस संकल्प के प्रस्तावक सौम्य और सुशील श्री वाजपेयी जी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही किसी भी कारण से यह महसूस कर रही है कि शहरी हिंदुओं में उनका पारम्परिक समर्थक बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है और इसीलिये वे इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं।

मेरे से थोड़ी देर पहले श्री रशीद मसूद जी बोले थे। इस सदन के लिए इस बारे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के नेता ने जो कुछ कहा वह जानना रुचिकर होगा। श्री चरण सिंह ने दिल्ली की एक पत्रिका 'सूर्य' के नवीनतम अंक में 'धर्म-निरपेक्षता अवास्तविक है" शीर्षक के अन्तर्गत कहा है :

> नेहरू-इन्दिरा के लोकतंत्र ने आज देश में एक काल्पनिक स्थिति पैदा कर दी है। नेहरू जी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को 'धर्म-निरपेक्षता' शब्द दिया। उन्होंने यह मुस्लिम वोट लेने के लिए राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया।"

इसके बाद, इस बारे में श्री चरण सिंह जी के मत को मैं आगे उद्धृत करता हूं :

> "धर्म-निरपेक्षता भारतीय दर्शन, विचारधाराओं और परम्परा के हर तरह से खिलाफ है" नेहरू-इन्दिरा के लोकतंत्र का हमारे यहां कोई स्थान नहीं है जो उनकी फूट डालो और राज करो की नीति का अभिन्न अंग है। नेहरू जी ने ही भारत को जाति तथा भाषा और समुदाय के आधार पर बांटा था, क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा दिया और पृथकता के बीज बोये थे। उनकी पुत्री ने वहां से शुरू किया जहां पर उन्होंने छोड़ा था।"

अंत में, वे जोशीली आवाज में कहते हैं और इस इंटरव्यू में शिकायत करते हैं :

> "कोई भी राजनीतिक दल या नेता अपने आपको हिंदू दल या हिंदू नेता कहलवाना नहीं चाहता।"

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबन्धन के नेता श्री चरण सिंह ने संकट की इस घड़ी में स्वयं को हिंदू नेता का नाम देने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबन्धन को इस समय की हिंद पार्टी का नाम देने की साहस किया है।

महोदय, हमारे सामने एक तरफ तो चुनाव के समय वोट लेने के लिए यह हिंदू पुनर्जागरण आन्दोलन है और दूसरी ओर आप एक ही हाथ से ताली नहीं बजा सकते, आपके सामने अल्पसंख्यकों की साम्प्रदायिक ताकतें हैं जो दुबारा इकट्ठी होने और साम्प्रदायिक भावना भड़काने का प्रयास कर रही हैं। महोदय, सरकार इस सदन और हम सबको दिलचस्प लगेगा कि उदाहरणार्थ इस समाचार-पत्र अकबर-ए-आलम के पीछे किसके हाथ हैं। कोई भी स्वाभिमानी मुसलमान इसका समर्थन नहीं कर सकता। बम्बई में साम्प्रदायिक भावना भड़काने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह धन कहां से आया? इस समाचार-पत्र के सम्पादक का समर्थन कौन कर रहा है तथा इस समाचार-पत्र के लिए इतना अधिक पैसा कहां से आ जाता है?

महोदय, चुनावों संबंधी तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के अलावा देश में अव्यवस्था फैलाने की अपेक्षाकृत बड़ी योजना चल रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार ऐसे 8,000 पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनके पास पर्यटक वीसा हैं, जिनका वीसा समाप्त हो जाने पर भी वे इस देश में रह रहे हैं। महोदय, निःसंदेह, इनमें से अधिकांश पर्यटन ईमानदार हैं और हमें उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनमें से कुछ सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। महोदय, यह दिखाने की पूरी कोशिश है कि इस देश में अल्पसंख्यकों को खतरा है, अल्पसंख्यकों का जातिसंहार हो रहा है और यह सरकार इन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं, कर सकती। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अन्वेषक ने जो बम्बई गया था और जिसने इस स्थिति की जांच की और लोगों से मिला, अल्पसंख्यक आयोग को प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में बताया है कि उसने नापपाड़ा जैसे कुछ मुस्लिम स्थानों पर अच्छे पहनावे में और अभिजात्य कशमीरी जैसे विदेशियों को देखा। उसने उनसे पूछा कि आप कौन हैं तथा वे वहां कैसे आये हैं। उसने बताया कि "मैं बम्बई कई बार गया हूं और मैंने इस प्रकार के लोगों को इतनी संख्या में कभी नहीं देखा।" उसे बताया गया कि वे गलीचे बेचने वाले विदेशी व्यक्ति हैं। महोदय, जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे के विदेश में रह रहे तथा कथित खालिस्तान आन्दोलन को समर्थकों के साथ स्थापित सम्पर्कों को देखते हुए उस बात का पता लगना उचित होगा कि इनमें से कितने लोग भारत में हैं, हाल ही के दंगों के समय उनमें से कितने लोग बम्बई में थे और उनकी क्या भूमिका रही है। यह स्थिति है। ये इस बात के संकेत हैं कि चुनाब के लिए साम्प्रदायिकतावादी ताकतें फिर से सिर उठा रही हैं और यह दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि यह सरकार अथवा इस प्रयोजन हेतु देश की कोई सरकार शासन नहीं चला सकती और इसीलिए देश में अस्थिरता पैदा की जाये और देश को विखण्डित किया जाये। इस नाजुक समय में यह बात महत्वपूर्ण है कि लोगों को साम्प्रदायिक सद्भाव तथा एकता बनाये रखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जबकि कुछ बुजुर्ग लोगों को ही इन दंगों में देखा जाता था, इन दंगों में भाग लेने वाले अधिकांश युवा लोग थे। इससे यह स्पष्ट है कि अन्य पीढ़ियों और पुरानी पीढ़ी ने चाहे जो भी पाप किये हों, नई पीढ़ी लोकतांत्रित आदर्शों से इतनी ओतप्रोत नहीं है जितनी कि समय की मांग है। शिक्षा इस बारे में कुछ कर सकती है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को शिक्षा की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देना चाहिये। यहां किसी सदस्य ने यह कहा है कि कुछ मुसलमानों ने कुछ इलाकों में जिस प्रकार धन एकत्रित किया है इससे भी ईर्ष्या पैदा हुई है। निस्संदेह ऐसा हुआ है।

इन वर्गों को, चाहे वे धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपने स्कूलों में न केवल उसी भाषा का अध्ययन करना चाहिये जिसे वे अपना मानते हैं, बल्कि उस राज्य की भी भाषा सीखनी चाहिये। यदि कर्नाटक में मराठी-भाषी लोग हैं तो उनके स्कूलों में कन्नड़ की पढ़ाई अनिवार्य बनायी जानी चाहिए। इसी तरह से महाराष्ट्र में कन्नड़ भाषी लोगों के लिए किया जाना चाहिए।

इसलिए, यह अनिवार्य है कि इन सभी वर्गों को राज्य की भाषा सीखनी चाहिए और उनके स्कूलों में ये भाषाएं सिखाई जानी चाहिए—यह केवल राष्ट्रीय एकता के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि जब तक वे ऐसा नहीं करते, उनके लिए वहां नौकरी प्राप्त करना मुश्किल होगा। उनको भी नौकरियां मिल जायेंगी। वे अंततः असामाजिक तत्व नहीं रहेंगे।

इसलिए, समय की यह मांग है कि हम एक हो जाएं और हम अपने इरादे मजबूत करें। हम अपने आपको लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। लेकिन इस समाज का सार यह है कि इसे हम दयालू राज्य का नाम दे सकते हैं। प्रायः राष्ट्रीय जनमत नरम रुख अपनाने के हक में है। तथापि कई बार ऐसे मामले होते हैं जिनमें सख्त निर्णय जरूरी होते हैं। यह भी ऐसा ही मामला है, यह अपने लोगों को इकट्ठे करने और उनका पता लगाने का अवसर है और शरारती-विपथगामी गुटों के नेताओं को अलग-अलग करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र की एकता बनी रहे और सभी को समान अवसर मिलें तथा हमारे देश-वासी सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकें।

**श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** (बदागरा) इस समय जबकि काफी देर हो गई है, मैं, भिवण्डी या बम्बई में जो शर्मनाम घटनाएं हुईं उनके विस्तार में जाने की बजाये, अपनी बात आम टिप्पणियों तक सीमित रखूंगा। लेकिन कुछ बातें कहना चाहता हूं जो कि मैं आशा करता हूं इस वाद-विवाद के लिए महत्वपूर्ण होंगी।

जब मैंने यह सुना कि भिवण्डी में लोगों को जिन्दा जला दिया गया, ये ऐसी भावनाएं हैं जिन पर कोई भी काबू नहीं पा सकता, यदि आप थोड़े से भी भावुक हैं। आप लोकतंत्र को भूल

जाओगे, मानवता को भी भूल जाओगे। यह बहुत ही दुःखभरी घटना है। भिवण्डी की एक मात्र प्रशंसा घटना ने सारे संसार में शोक की लहर फैला दी। सारे संसार में हमारी मातृभूमि के सम्मान को धक्का पहुंचा। यह पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है और इसी एकमात्र घटना से हमें अपने सिर शर्म से झुकाने पड़े।

अन्य सब मातों को तो आप छोड़िये। इससे मनुष्य की आत्मा भी कांप उठी। आप विदेशी समाचारपत्रों के कुछ सम्पादकीय लेख ही पढ़ लीजिए। हमारा ध्यान उस घटना की ओर तब जाता है जब उस घटना के बारे में विश्व के अखबारों में समाचार छपते हैं। हम उन घटनाओं का अन्दाजा इन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं से लगाते हैं।

इन घटनाओं में हमेशा बहुत-सी विदेशी ताकतों का हाथ होता है लेकिन मैं यह कहूंगा कि ऐसा नही है कि इन विदेशी ताकतों का हिमाचल प्रदेश के किसी अनजान पहाड़ी इलाके की सार्वजनिक सभा में बार-बार उल्लेख किया जाये केवल इसलिये अगले ही दिन उसका खण्डन किया जा सके। हमें यह अधिकार है, संसद तथा लोगों को यह जानने का अधिकार है कि देश में क्या हो रहा है। मैंने अपने मित्र जी फैलीरो की बात सुनी है। उन्होंने बम्बई के दंगों में कुछ गुटों की भूमिका का उल्लेख किया। मैं पहली बार यह सुन रहा हूं अर्थात् वहां कुछ लोग पठान या कशमीरी जैसे थे जिन्हें उन्होंने मुस्लिम मुक्ति मोर्चे या कशमीर मुक्ति मोर्चे या खालिस्तान के समर्थन बताया है। अतः मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन संगत तथ्यों को संसद और लोगों के समक्ष रखें। इससे पहले किसी सदस्य ने इनका उल्लेख नहीं किया, इस तरह का समाचार मैंने नही सुना। लेकिन आज सच्चाई यह है कि सारा देश पूर्णतः निरापद, भावशून्य, निर्दयी और रुखा हो गया है। इस देश के सार्वजनिक जीवन में एक तरह की खतरनाक कटुता देखी जा सकती है।

ठीक है, एक महान अंग्रेज कवि डान जांन ने कहा था, "हर मौत मानवता का क्षय करती है।" ऐसा भी समय था जब साम्प्रदायिक दंगे होते थे जिनमें एक दो व्यक्तियों जानें जाती थी। महात्मा गांधी आत्मा को झिझोड़ते थे क्योंकि आत्मा इसके खिलाफ विद्रोह करती थी, लेकिन यह विद्रोह अधिक देर तक नहीं होता। आज सामाजिक चेतना नहीं है क्योंकि हमारे सार्वजनिक जीवन में कटूता भर गई हैं और विशेष रूप से मैं सत्ताधारी दल को इसके लिए दोषी ठहराता हूं। जान से मारने की छूट को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे यह पंजाब से हो, या इससे पहले अलीगढ़ या मेरठ या मुरादाबाद या भिवण्ड़ी या हैदराबाद अथवा कहीं भी इस प्रकार का दंगा हुआ है, क्योंकि इस तथाकथित राष्ट्रीय नेतृत्व, राजनीति से ओतप्रोत नेतृत्व ने अपने वायदे तोड़ दिये हैं और अपनी नैतिकता खो दी है। एक समय था जब आप न केवल महात्मा गांधी का बल्कि गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे नेता, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, का अनुसरण करते थे। इस तरह से कांग्रेस का निर्माण हुआ था। अतः इन सब बातों को स्मरण करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी संदर्भ में गणतंत्र की

धर्मनिरपेक्ष नींव रखी गई थी; और आज हमारे गणतंत्र के धर्मनिरपेक्ष ढ़ांचे को जानबूझ कर कमजोर किया जा रहा है । ये लोकप्रिय लोग रूढ़िवाद, इस्लाम, हिन्दू की बात करते हैं और ये संगठन हैं जो एक ओर तो प्रधानमन्त्री की प्रशंसा करते रहते हैं और दूसरी ओर यह कहते हैं कि हिन्दू होने में क्या बुराई है ।

मैंने विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष, उदयपुर के महाराणावाला के कुछ वक्तव्यों का उल्लेख किया है । हिन्दू होने में क्या बुराई है, हिन्दू होने में कोई बुराई नहीं है, हिन्दू होने में लज्जा की कोई बात नही । लेकिन क्या यही मसला है ? देश भर में एकात्मकता यज्ञ के दौरान यही सवाल उठाया गया था, लेकिन यह सवाल नहीं उठाया गया कि हम धर्मनिरपेक्ष क्यों हैं । जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बना उस समय हमारे सामने बहुत से आसान या विकल्प उपलब्ध थे । उस समय हमारे लिए इसे हिन्दू राज्य घोषित करना बहुत आसान था, लेकिन हमने इस देश को हिन्दू राज्य घोषित नहीं किया । मेरे मित्र, श्री फैलीरो ने भारतीय इतिहास तथा धर्मनिरपेक्षता के इतिहास की भूमिका के बारे में चरण सिंह के विचारों का उल्लेख किया । मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बारे में हमेशा विवाद रहा हैं । यदि भारतीय इतिहास को देखें तो हिन्दूओं में परस्पर विवाद रहा है और हिन्दुओं का विरोध किया है जिसका डा० लोहिया हवाला दिया करते थे ।

**6.59 प० प०**

**(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुये ।)**

हिन्दूवाद ने कुछ विघटनकारी प्रवृत्तियां पैदा की होंगी लेकिन यदि हम इतिहास को देखें तो पता चलता है कि इसमें स्वयं को सुधारने की सहिष्णुता भी रही है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । लेकिन भारतीय इतिहास अथवा हिन्दू संस्कृति के इतिहास में उदार हिन्दूवाद बनाम हिन्दू हठधर्मिता भी चलती रही है । लेकिन विदेशी साम्राज्यवादी ने इस स्थिति

**7.00 म० प०**

को बहुत बदल दिया और साम्राज्यवादी नीति फूट डालो और राज करो की थी जिस पर आज भी चला जा रहा है लेकिन केवल इतना अन्तर है कि राजनीतिक आका चले गये हैं, नये स्वदेशी आका और क्षेत्र बनाये जा रहे हैं । जैसा कि आप जानते हैं गांधीजी यद्यपि वे अपने आपको सनातनी कहते थे हिन्दू धर्म की इस उदार मानवता और सहिष्णुता के प्रतीक थे । वे जानते थे कि भक्ति आन्दोलन को लेकर गत पांच सौ वर्षों में समग्र मिश्रित संस्कृति का विकास कैसे हुआ और उनके लिए राम और रहीम में कोई अन्तर नहीं था । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या मुस्लिम

लीग या विभिन्न अन्य साम्प्रदायिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले लड़ाकू हिन्दू राष्ट्रवाद और मुस्लिम अलगाववाद के प्रवक्ताओं ने इस मत का निस्संदेह विरोध किया। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन ने अपने विभिन्न गुणों जोकि उदार, लोकतंत्रिक या प्रगतिवादी थे, इस प्रवृत्ति का विरोध किया और इसी परम्परा ने गणेश शंकर विद्यार्थी को जन्म दिया। इसी परम्परा के कारण यह गणतंत्र न केवल लोकतंत्र बना बल्कि धर्मनिरपेक्ष भी बना।

महोदय, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस बात पर बल दिया और जिन्होंने इन बातों को न केवल मौलिक संवैधानिक अधिकार देकर सुदृढ़ किया बल्कि धर्मनिरपेक्षता के प्रहरी का भी कार्य किया।

अल्पसंख्यकों की समस्याएं सम्पत्ति संबंधी अथवा धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों, चाहे ये कितने ही महत्वपूर्ण हों, से संबंधित नहीं हैं। अल्पसंख्यकों की हर स्थिति में कुछ कमजोरियां हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या वे इस देश के पूर्ण नागरिक हैं या नहीं। उनकी शिकायतें होंगी, कभी-कभी ये शिकायतें काल्पनिक भी हो सकती हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हम न केवल उनके अधिकारों और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए ही वचनबद्ध हैं बल्कि उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये भी वचनबद्ध हैं। लेकिन गत पांच या सात वर्षों से, विशेष रूप से गत तीन-चार वर्षों से, इस देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित या अपने आपको विदेशी महसूस कर रहे हैं। केवल मुस्लिम भाई ही ऐसा महसूस नहीं करते। आपको उनसे केवल यह पूछना है। यदि आप यह दलील दें कि वे अब सुरक्षित हैं, आपको उनके पास जाना होगा और उनसे पूछना होगा कि मेरठ, मुरादाबाद या दिल्ली कहीं भी, क्या वे अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं। इस प्रश्न का वही उत्तर देंगे और यह प्रश्न आपके और मेरे लिये इस पर यहां चर्चा करने के लिये नहीं है। इसका जवाब उन्हें देने दीजिए। इसी प्रकार यदि आप कहते हैं कि सिख अपने आपको अलग-अलग महसूस कर रहे हैं तो यह हमारे कहने से नहीं होगा। कल कोई यह तर्क दे रहा था, शायद चौधरी साहब थे, कि सिख हिन्दू हैं। यह हमारे कहने की बात नहीं है। यह उनके कहने की बात है कि वे मुख्य धारा से जुड़े हुये हैं या नहीं।

महात्मा गांधी जब पहली बार पंजाब गये थे तो उन्होंने 'यंग इण्डिया' में अपने कुछ पिछले लेखों के लिये क्षमा मांगी जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि सिख हिंदू हैं। उन्होंने अपनी बात सही की और कहा कि मैं ऐसी बात दुबारा नहीं लिखूंगा। यह मेरी गलती थी। महात्मा गांधी का ऐसा उदार दृष्टिकोण था।

अतः प्रश्न यह पैदा होता है कि ये दंगे बार-बार क्यों होते हैं। इसके लिये प्रशासन और पुलिस को दोषी ठहराने का रिवाज-सा हो गया है। ठीक है, आयुक्तों और

कलेक्टरों और पुलिस आयुक्तों के बारे में बातें करना और यहां उस पर बहस करना और यह कहना हमारे लिये बहुत आसान है कि दंगे के लिये अमुक व्यक्ति जिम्मेदार है। मैं किसी को भी दोषमुक्त नहीं करना चाहता। लेकिन वे ऐसा दुराचार क्यों करते हैं ? वे इस तरह का दुराचार करने की हिम्मत कैसे करते हैं ? वे साम्प्रदायिक बनने की हिम्मत कैसे करते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जबाव आपको देना होगा और मुख्यत: सत्ताधारी दल के राजनैतिक नेतृत्व को तथा जिस किसी की कहीं भी कोई जिम्मेदारी है तो उसको उसके प्रति जवाबदेह होना पड़ता है। क्योंकि इस शासक दल का रवैया ढुलमुल है, इसलिये ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसलिये आप अपनी जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं और यदि आप राजनीति को एक निरंतर दांवपेंच के रूप में देखते हैं, जिसमें किसी प्रकार के द्वन्द्वों, धारणाओं और नैतिक मूल्यों के लिये कोई स्थान नहीं है, तो आप अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। तब आपको चिढ़ कर भिड़रावाले या ओवेस या बाबा संतासिंह, निहाल सिंह या कोई अन्य सिंह पैदा करने पड़ते हैं। इसलिये इस संदर्भ में जब उन पर यह आरोप लगाया गया कि इन्होंने शिव सेना के साथ समझौता कर लिया है तो मुझे जरा-सी हैरानी नहीं हुई। चाहे यह त्रिपुरा उपजाति समिति है या शिव सेना या ओवेस या कशमीर की जमाते इस्लामी है, यह सब एक ही हैं। यह एक निरंतर दांव पेंच है। यह ऐसी राजनैतिक और राष्ट्रीय आबोहवा और परिस्थिति है जिसमें विषैला वातावरण जन्म लेता है और इससे दंगे होते रहेंगें।

यह कहा गया है कि रुढ़िवाद अतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्याप्त है। जैसे भ्रष्टाचार विश्वव्यापी है उसी प्रकार रुढ़िवाद भी दुनिया भर में फैला हुआ है। रुढ़िवाद का अस्तित्व तो रहेगा ही चाहे वह इस्लामी रुढ़िवाद, शिया रुढ़िवाद, सिख रुढ़िवाद, हिन्दू रुढ़िवाद, हिन्दू धर्मजागरण, इसाई रुढ़िवाद और कुछ अन्य प्रकार का रुढ़िवाद हो। जब भ्रष्टाचार विश्वव्यायी है तो अधिकारियों को दोष क्यों दिया जाये ?

शिव सेना की भूमिका के संबंध यह शर्म की बात है कि 300 जानें गईं। वसंतदादा पाटिल, जो एक महान स्वतन्त्रता सेनानी हैं, के लिए मेरे मन में अगाध श्रद्धा और स्नेह है। परन्तु मुझे अफसोस है कि इन दिनों के दौरान जो प्रशासन और नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया है उसके विषय में मैं वह सब नहीं कह सकता। यहां एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपनी विभिन्न असमर्थताओं को साथ लेकर एक हेलिकाप्टर से चक्कर लगाते रहें और जब तक प्रधानमंत्री वहां नही पहुंच गई वे वापिस जमीन पर नही लौटे, जैसे कि कोई कृमि विरोधी कार्रवाई चल रही हो, आप इसी प्रकार के प्रशासन या नेतृत्व से क्या अपेक्षा कर सकते हैं ? मेरा यह विचार था कि उस व्यक्ति ने जिसे मैं जानता हूं उस एकमात्र घटना के बाद अपना त्याग पत्र दे दिया होगा जिसमें भिवंडी में मनुष्यों को जिंदा जला दिया गया। मेरी नजर में उनकी इज्जत और अधिक बढ़ जाती यदि वे अपना इस्तीफा दे देते जैसा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना हो जाने पर दिया था जिसके लिये वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार भी नहीं थे। इस सदन में और इस देश में इस

प्रकार की परम्पराएं कायम की गई थीं। परन्तु वसन्त दादा पदासीन हैं। अब कोई भी त्यागपत्र नहीं देता। अब वे केवल दल बदलने के लिये त्यागपत्र देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस निम्न स्तर तक देश की राजनीति पहुंचा दी गई है।

मेरे एक बहुत प्रिय मुसलमान मित्र ने मुझे बताया था कि कई दिनों तक बम्बई का समूचा शहर सैनिकों के हाथ में सौंप दिया गया था। इसलिए प्रश्न यह है : क्या कोई राजनैतिक संकल्प शक्ति है ? आपकी कोई राजनैतिक संकल्पशक्ति नहीं है। यदि आपको समझौता ही करना है, यदि आप 'फूट डालो और राज करो, की नीति अपनाते हैं तो आपकी राजनैतिक संकल्प शक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रधानमंत्री उस समय भौचक्की रह गई जब किसी ने यह उल्लेख किया कि गोपाल गोडसे ने उनकी प्रशंसा की है या डूंगरपुर के महारावल ने उनकी प्रशंसा की है। तो ऐसी स्थिति है। यह सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि तस्करों को छोड़ा जा रहा है या गोपाल गोडसे प्रशंसा कर रहा है बल्कि प्रश्न यह है कि क्या अल्पसंख्यक इस देश में सुरक्षित हैं। इस प्रश्न का उत्तर केवल अल्पसंख्यक ही दे सकते हैं। मेरे मन में इस विषय में कोई शक नहीं है कि वे स्वयं को असुरक्षित, अलग-थलग अनुभव करते हैं और आज यह प्रश्न हमारे गणतंत्र की धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद को हिला रहा है।

**श्रीमती विद्या चेन्नुपति** (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं कम्यूनल रायट्स के संबंध में कुछ कहना चाहती हूं। हमने जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था तो उस समय हमारे बीच में न कोई हिन्दू था न मुसलमान, न सिक्ख और न कोई इसाई था। उस समय हम सब लोग भारत देश के वासी थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कहीं-कहीं हमारे देश में कम्यूनल रायट्स शुरू हो गए। मैं समझती हूं कि इस देश में धर्म हर एक इंडीवीज्यूअल के लिए परसनल ईश्यू है। जहां इस देश में धर्म को मानने वाले कुछ लोग हैं, वहीं धर्म को न मानने वाले भी इस देश में हैं। लेकिन यहां उन दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। धर्म के नाम से, भगवान के नाम से इस देश में आपस में लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि अफसोस की बात है। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम सब भारत के वासी हैं। लेकिन आज हमारे यहां लोग धर्म के नाम से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ पोलिटिकल पार्टीज भी धर्म के नाम का फायदा उठाना चाहती हैं। यह हमारे यहां बहुत बड़ी बुराई बन गई है।

हमने अपने देश को सैक्यूलर बनाया, इसके कान्सटीट्यूशन को सैक्यूलर बनाया क्योंकि हम जानते हैं कि यहां कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं, कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। उसके बाद कान्सट्रीट्यूशन में हमने कई वर्गों को रिजर्वेशन दे दिया, जैसे शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हमने रिजर्वेशन दिया, माइनोरिटीज को रिजर्वेशन दिया, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे दिया, स्टेट असैम्बलीज में रिजर्वेशन दे दिया, इसके बावजूद भी हम आपस में क्यों लड़ते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें लोगों के माइन्ड को

चेंज करना पड़ेगा, समाज में आम लोगों के माइन्ड को चेंज करना पड़ेगा। यहां मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है और उससे मुझे लगता है कि हमारे देश में कम्यूनल राइट्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं। जहां 1976 में 169 इंसीडैंट्स हुए, 1980 में उनकी संख्या बढ़ कर 427 हो गई, 1979 में 304 और 1982 में 474 हमारे यहां रायट्स हुए। इससे लगता है कि यह संख्या लगातार इंक्रीज होती जा रही है। मैं समझती हूं कि हमारे देश में कुछ लोग धर्म के नाम पर फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं और वे ही ऐसे काम कर रहे हैं जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाते हैं।

एक निवेदन मैं यह भी करना चाहती हूं कि हमें गवर्नमेंट और धर्म दोनों को अलग-अलग रखकर देखना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी कई स्थानों पर भाषण देते हुए कहा है कि हमें सरकारएड-मिनिस्ट्रेशन और धर्म दोनों को अलग-अलग करके देखना चाहिए। यदि धर्म को हम बीच में लाते हैं तो उससे हमारे सैक्यूलर स्टेट पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यहां धर्म को मानने वाले लीग भी हैं और धर्म को न मानने वाले लोग भी हैं। दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, जो सैक्यूलर स्टेट में सभी को मिलते हैं। मैं चाहती हूं कि जो लोग इस तरह फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. हमें उनको किसी तरह एन्करेज नहीं करना चाहिए, चाहे वे किसी भी स्टेट में हों या किसी भी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्ध रखते हों। हमें सबसे पहले देश की दृष्टि से देखना पड़ेगा कि हम भारत देश के वासी हैं और उसके बाद धर्म आता है। यदि हम भारत देश को ठीक तरह से देखते हैं, तभी हम अपने धर्म का पालन भी कर सकते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। जब हम धर्म के नाम के पीछे लड़ रहे थे तो ब्रिटिश लोग हमारे देश में व्यापार करने के नाम से घुस आये और बाद में उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया और कई सालों तक यहां रूल किया। उस समय आप सोच लीजिए हमारे स्वदेशी संस्थान का क्या हुआ था। आजकल जो लोग धर्म के नाम से लड़ते हैं, वे जरा पिछले इतिहास को भी देख लें तो उनकी समझ में सारी बात आ जाएगी। उन्होंने हमारी कमजोरी को समझ लिया कि हम आपस में धर्म के नाम से लड़ते हैं और इसको फायदा उठाकर उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करके राज किया। इसलिए जब भी हमारे अंदर कमजोरी आती है दूसरे देशों की नजर हमारे ऊपर पड़ती है और वे हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमारे ऊपर कब्जा कर लेते हैं और रुल करते है।

इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि सबसे पहले हम भारत देश के वासी हैं और उसके बाद आप धर्म को रखिये। मैं उसको मानती हूं। लेकिन धर्म के नाम से, भगवान के नाम से यदि आप लोग लड़ेंगे तो हम कमजोर पड़ जायेंगे। उस समय क्या होगा, जैसा पिछली हिस्टरी हमें बताती है, हम गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू और डा० अम्बेडकर ने सारी चीजों को सोच-समझकर कि इस देश में कई तरह के धर्म हैं और उन सबको हमें मान्यता

देनी होगी, देश को और संविधान को सैक्यूलर बनाया था। सभी लोग अपने धर्म के अनुसार कर्म करें लेकिन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें नहीं आना चाहिए। इसलिए जब तक धर्म और सरकार को सेपरेट नहीं रखेंगे तब तक यह प्रौबलम रहेगी। आप देखिये कि हरिजनों और महिलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को जब यहां उठाते हैं तो उसमें भी उनके लिए यह परेशानी हो जाती है कि अखबार में उनका नाम आता है। अगर कोई अनमैरिड महिला हो तो उसकी क्या हालत होती है इसका अन्दाजा आप लोग नहीं लगा सकते। पोलिटिकल पार्टीज सिद्धांत के ऊपर लड़ें, लेकिन धर्म, भगवान या महिलाओं के नाम से उन्हें काम नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रदेश में जब कम्युनल राइट्स या कम्युनल डिसहार्मनी होती है तो पौलिटिकल पार्टीज वहां जाकर उसका ऐडवान्टेज उठाती हैं। यह नहीं होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि पहले हम भारतवासी हैं। आप पूजा भगवान की चाहे जहां करें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन धर्म के नाम से बाजार में हमें नहीं लड़ना चाहिए। कुछ पोलिटिकल पार्टीज ने अपने को केवल धर्म के नाम पर ही आर्गनाइज कर रखा है, जो गलत चीज है। जब भी हम टी० वी, रेडियो या अखबारों में कम्युनल डिसहार्मनी की बात सुनते हैं उस वक्त हमें देश की एकता को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, नेशनल इंटेगरेशन के लिए काम करना चाहिए। हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने माइनारिटीज शैड्ल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की बहुत फेसिलिटीज दी हैं, महिलाओं के लिए भी सोच रही हैं। लेकिन हमें सदन में इनके लिए भाइयों से ज्यादा मदद नहीं मिलती है। हमें 20 सूत्री प्रोग्राम में जहां भी काम करते हैं वहां सबको रिजर्वेशन देते हैं। हमें सोचना चाहिए कि इस देश में रहने वाले सब लोग, चाहे वह किसी धर्म को मानने वाले हों, भारतवासी हैं। हमें नेशनल इंटेगरेशन का नारा लगाना चाहिए तभी कम्युनल राइट्स को खत्म कर सकते हैं।

माननीय वाजपेयी जी ने आन्ध्र प्रदेश के बारे में एक बात कही जिससे हमें बड़ा दुख हुआ। हमारे यहां जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। हैदराबाद में जब दंगा हुआ था तो हम सोच रहे थे कि यह जल्दी खत्म हो। क्यों हम लोग आपस में लड़ रहे हैं? हमरी सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जिसमें पार्टीज के लोग थे। हमारे चीफ मिनिस्टर तो अमरीका गये हुए थे, उन्होंने होम मिनिस्ट्री का काम किसी को नहीं सौंपा था, इसलिए हमारे मन्त्री श्री वेंकटसुबय्या जी को हैदराबाद जाना पड़ा।...जब सैंट्रल गवर्नमेंट की नजर में सारे प्रदेशों के आदमी एक ही हैं, सैंट्रल गवर्नमेंट सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती है, मन्त्री जी का वहां जाना गलत नहीं है, इसलिए मैंने कुछ डिस्टर्बेन्स वाजपेयी जी जब बोल रहे थे तो किया था। इसलिए मैं कौमुनल हारमनी के बारे में फिर कहना चाहती हूं कि हम सब भारत देश के वासी हैं, यह आप सोच लीजिए। धर्म को घर पर रखिये, सड़क पर मत लाइये, भगवान के नाम पर मत लड़िये। भारत देश के नाम पर सबको एक होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि जब होम मिनिस्टर इस तरह से करते हैं तो इसके लिए अपोजिशन पार्टीज को भी मदद करनी चाहिए।

धन्यवाद।

**सभापति महोदय :** श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार, आपके दल को तीन मिनट का समय दिया गया है ।

**श्री ए० नीललोहितदसन नाडार** (त्रिवेन्द्रम) : वे मिनट भी आप ले लें । सभापति महोदय, इस विषय पर हमारे दल के विचार सुस्पष्ट हैं ।

**सभापति महोदय :** तब आप तीन मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं ।

**श्री ए० नीललोहितदसन नाडार :** हम अपने दृष्टिकोण विभिन्न माध्यमों से सरकार के समक्ष रखते रहे हैं । महोदय 10 नवम्बर, 1982 को जब बड़ौदा में साम्प्रदायिक हिंसा फैली थी तो हमारे दल के नेता श्री नेता श्री बहुगुणा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें हिंसा को और आगे फैलने से रोकने के तत्काल उपाय करने के लिए कहा गया था । परन्तु पर्याप्त उपाय करने की बजाये उन्होंने केवल विपक्षी दलों को दोष दिया है और कहा है कि दुर्भाग्यवश कुछ राजनैतिक दल ऐसे काम करते हैं जो साम्प्रदायिक स्थितियां उत्तेजित करते हैं और उनसे निपटने के लिए असहायक रवैया अपनाते हैं ।

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्ट्सगंज) : आपका दल नहीं, बल्कि कुछ दल (यह सब करते हैं) ।

**श्री नीललोहितदसन नाडार :** हां । प्रधान मंत्री द्वारा यह वक्तव्य देने के तत्काल पश्चात् श्री बहुगुणा ने 13-11-82 को एक पत्र द्वारा प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि वे एक श्वेत पत्र प्रकाशित करें जिसमें यह बताया जाये कि साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने में लगे हुए राजनैतिक दल कौन-कौन से हैं ताकि इस विषय की सच्चाई सामने आये । इसी प्रकार उसी पत्र के माध्यम से हमने सरकार के समक्ष कुछ सुस्पष्ट सुझाव प्रस्तुत किए हैं ताकि सुदृढ़ता और पूर्ण रूप से साम्प्रदायिक दंगों का समूल नाश किया जा सके । मैं उन सुझावों को दोहरा रहा हूं :

(1) इतिहास के ऐसे मिथ्या वर्णनों ठीक करना जो विशेषरूप से भारतीय इतिहास की मध्यकालीन अवधि को हिन्दू और मुसलमानों के हितों के संघर्ष के रूप में बताते हैं । यदि न केवल उस समयावधि के भारत के बल्कि सम्पूर्ण विश्व के समकालीन इतिहास में प्रचलित जनजीवन के तथ्यों पर विचार किया जाये तो यह प्रमाणित रूप से गलत दृष्टिकोण है ।

(2) सरकारी समारोह और कार्य कभी भी इस प्रकार न किये जायें या ऐसे प्रतीत न हों कि वे किसी एक धर्म से सम्बद्ध हैं ।

(3) कोई भी सरकारी समारोह किसी धर्म से सम्बन्धित किसी प्रार्थना से आरम्भ नहीं होना चाहिए।

(4) पुलिस बल को इस प्रकार समान रूप से संगठित किया जाये कि वह जनसंख्या के समग्र रूप को दर्शाये।

(5) साम्प्रदायिक उपद्रवों के सम्बन्ध में सार्वजनिक उत्तरदायित्व केवल प्रशासनिक अधिकारियों तक ही सीमित न किया जाये। सत्तारूढ़ दल के नेताओं को भी इन स्थितियों से बचने में प्रशासन की विफलताओं के लिये बराबर रूप से जिम्मेदार ठहराया जाये। इसका तात्पर्य यह है कि गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री से उस मामले में इस्तीफा दिलवाया जाये जब यह पुष्टि हो जाये कि सचिवालय स्तर पर प्रशासन आसूचना रिपोर्टों पर पहले से अनुमान लगाने और कार्य करने में असफल रहा है या धीरे-धीरे अन्दर ही अन्दर उबल रही और विकसित हो रही परिस्थिति को नोट करने में असफल रहा हो जो प्राय: अचानक फूट कर दंगों का रूप ले लेती है।

(6) भारत के विभाजन के कारणों को अवश्य ही सही परिप्रेक्ष्य में लिखा जाये और उसे शिक्षा का एक अनिवार्य अंग बनाया जाये ताकि यह धारणा पैदा की जा सके कि मुसलमान बहुल क्षेत्र मुस्लिम लीग के विभाजन सम्बन्धी दृष्टिकोण के किस प्रकार निरन्तर विरोधी रहे थे। इसके अतिरिक्त सरहदी गांधी खान अब्दुल गफार खां, बालूची गांधी खान अब्दुल समद खां, शेरे कश्मीर मरहूम श्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसे महापुरुषों, मरहूम अबुल कलाम आजाद जैसे स्वतन्त्रता सैनानियों द्वारा अदा की गई अपनी-अपनी भूमिका को विशिष्ट रूप से लिखा जाये तथा स्वतन्त्रता हेतु असंख्य मुसलमानों द्वारा दी गई कुरबानियों को पूर्णरूपेण प्रकाशित किया जाये ताकि जो संकीर्ण और कट्टरपंथी तत्व, जो यह प्रचार करते हैं कि भारत के विभाजन के लिए केवल मुसलमान उत्तरदायी हैं और जो हमारी युवा पीढ़ी को बहकाते हैं, उस युवा पीढ़ी के मस्तिष्क से यह बात निकाली जाये।

(7) श्रीनगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषद में पारित संकल्प, जिसमें कानून और व्यवस्था बनाये रखने में विफल होने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर नियत करने की व्यवस्था है, का क्रियान्वयन कड़ाई से किया जाये।

(8) अंत में मेरा यह सुझाव है कि साम्प्रदायिक असंतोष से सम्बन्धित अंग्रेजी शासन के समय की ड्रिल की समीक्षा की जाये ताकि साम्प्रदायिक दंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत केवल सामान्य ड्रिल की विषयवस्तु बन कर न रह जाये जिसके पश्चात कर्फ्यू और देखते ही गोली मार देने जैसे अधिक कठोर उपाय किए जाते हैं।

(9) जब कभी भी साम्प्रदायिक दंगे होते हैं जैसा कि हम अपने शहरों के विषय में जानते

हैं; प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी कर्फ्यू लगा हुआ हो तो ऐसे बीमार लोग हो सकते हैं जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है और ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए वे पेय जल न होने के कारण भी कष्ट भोग रहे हों और सफाई-व्यवस्था करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(10) इसी प्रकार जैसा कि आप जानते हैं हमारा सामाजिक वातावरण ऐसा है कि शहरों में अनेक लोग अपनी गुजर के लिए भैंसें, गाय, बकरी, घोड़े, गधे आदि जैसे पशु पालते हैं।

**सभापति महोदय** : क्या आप पूरी सामग्री पढ़ने जा रहे हैं ?

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : वे इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

**श्री ए० नीललोहितदसन नाडार** : "इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे जानवरों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखते हैं। लम्बी अवधि के कर्फ्यू के मामले में लोगों के अतिरिक्त ये जानवर खाद्य सामग्री और जल की बड़ी मात्रा, जो उनके रखरखाव तथा उन्हें जीवित रखने के लिए आवश्यक है, की कमी के कारण कष्ट भोगते हैं।"

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : महोदय, मेरे विचार से ये पशु परिषद विधेयक के विषय में कह रहे हैं।

**श्री ए० नीललोहितदसन नाडार** : आगे यह कहा गया है कि :

"इस पत्र में यह कहा गया है कि ऐसी आपात स्थितियों के दौरान यह सुनिश्चित करने के उपाय किये जायें कि उचित दर की दूकानें खुली रहें ताकि असंख्य प्रभावित लोगों को जबरन भूख से बचाया जाये।

अंग्रेजी शासन के समय की ड्रिल की समीक्षा करने की आवश्यकता के लिए बड़े उत्साह से अपील की गई थी, जो ऐसे दंगों जो बार-बार भारत के माथे पर कलंक लगाते हैं तथा बहुत थोड़े से लोगों के कारण इतने अधिक लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, से निपटने के लिए अब तक हमारे प्रशासनिक तंत्र के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है।"

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछ रहा हूं। इन सुझावों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ? इस सुझावों पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

इसी प्रकार मैं यह जानना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता, नागरिक बोध और सभी धर्मों को

सरकार द्वारा प्रोत्साहन देने के विषय में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ? मेरे व्यक्तिगत विचार से 'धर्मनिरपेक्षता' का अर्थधर्म को संगठित आधार पर हतोत्साहित करना है क्योंकि राज्य द्वारा सभी धर्मों को प्रोत्साहन देने से धार्मिक आवेशों को भड़कने में मदद मिलती है। यह आज या कल हमारी साम्प्रदायिक सौहार्दता को चोट पहुंचायेगा। इसी प्रकार प्रधान मंत्री जैसे महत्त्वपूर्ण नेता और प्रशासक प्रार्थनाएं करने के लिए मंदिरों में जाते हैं। इसे दूरदर्शन और अन्य माध्यमों से प्रसारित किया जाता है। केरल में कांग्रेस (इ) दल के मुख्यमंत्री हैं। वे गुरुवायूर मन्दिर में जाते हैं। वे केवल यह मदद देने में दिलचस्पी ले रहे हैं कि साम्प्रदायिक शक्तियां स्वयं को विभिन्न साम्प्रदायिक दलों के माध्यम से संघठित कर लें। उनकी केरल में अपना दल संघटित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन वे केरल में साम्प्रदायिक दलों को संघटित करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। मद्रास में एक महत्त्वपूर्ण समारोह हो रहा था।

**सभापति महोदय** : श्री नाडार, मैं दूसरे सदस्य को बुलाने वाला हूं।

**श्री ए० नीललोहितदसन नाडार** : हाल ही में, बाबू जगजीवन राम ने समारोह में भाग लेते हुए यह कहा था कि एक समुदाय के बीच में शादी-ब्याह करने पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाया जाए और धर्म तथा समुदाय से बाहर शादी-ब्याह करने को कानून का एक अंग बनाया जाये। मैं सरकार से यह पूछ रहा हूं कि क्या सरकार इसे क्रियान्वित करने के लिए तैयार है।

**सभापति महोदय** : आचार्य भगवान देव।

**आचार्य भगवान देव** (अजमेर) : सभापति जी, साम्प्रदायिक दंगों के ऊपर चर्चा हो रही है। मुझे इतिहास याद आता है और याद आते हैं काकोरी षड़यन्त्र केस के अमर शहीद अशफाक उल्ला खां और अमर शहीद राम प्रसाद विस्मिल। इसी सन्दर्भ में एक साम्प्रदायिक दंगा हो गया था और ये दोनों नौजवान स्थानीय कार्य समाज मन्दिर में बैठे हुए थे। कुछ साम्प्रदायिक मुसलमान शैतान आर्य समाज मन्दिर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। जब अशफाक उल्ला खां ने देखा कि कुछ साम्प्रदायिक व्यक्ति आर्य समाज मन्दिर पर हमला करने के लिए आए हैं तो तुरन्त ही उन्होंने रिवाल्वर निकाला और बाहर निकल आए और एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने मुसलमानों को ललकार कर कहा कि यह इबादत का स्थान है, इस पर हमला किया तो गोली से भून दूंगा। उन साम्प्रदायिक शैतानों की हिम्मत नहीं पड़ी और वे वहां से चले गए। जब तक इस देश के अन्दर हिन्दू-मुसलमानों में एक-दूसरे के धर्म के प्रति, एक-दूसरे के ग्रंथों के प्रति, एक-दूसरे की मान्यताओं के प्रति इस तरह की एक विचारधारा पैदा नहीं होगी तब तक झगड़े चलते रहेंगे। कौन चाहता था कि देश का बंटवारा हो। महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू कहते थे कि हमारी लाश पर पाकिस्तान बनेगा परन्तु साम्प्रदायिक शैतान अंग्रेजों के जाल में फंस गए और देश का बंटवारा हुआ और उससे जो फूट पड़ी उसके बीज अभी तक पनपते जा रहे हैं। उसको जड़ से

निकालने के लिए हमें बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। यह एक लम्बा इतिहास है लेकिन मेरे पास समय थोड़ा है। मेरे जीवन का यह अनुभव है कि संकीर्ण साम्प्रदायिक विचारधारा रखने वाले लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं, चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, वे अपनी चौधराहट के लिए इस प्रकार के फसाद वहां कर कराते हैं। हैदराबाद की बात कही गई है। हैदराबाद में भी एक साम्प्रदायिक शैतान व्यक्ति मुसलमानों में भी है और हिन्दुओं में भी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और दूसरा एक मुस्लिम पार्टी से सम्बन्धित है। उनके नाम मैं देखा सकता हूं। वे अपनी महत्वकांक्षा और चौधराहट चलाने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हिन्दू मुसलमानों को लड़ाते रहते हैं। वाजपेयी जी ने यहां पर साम्प्रदायिकता की बात की और यहां पर एन० टी० रामाराव की रामायण लेकर बैठ गए। हास्पिटल में पड़ा है, उसकी करुणामय स्थिति है और वह मरण-जीर्ण के झूले पर झूल रहा है। पता नहीं वे क्या-क्या बातें लेकर बैठे हैं। आज इंडिया लेवल पर पोलिटिकल पार्टी के इतने बड़े लीडर और और यहां बात कर रहे हैं साम्प्रदायिकता पर। वे चले गए हैं, मैं चाहता था कि वे यहां पर होते।

समय कम होने की वजह से मैं, ज्यादा बात नहीं कहूंगा। सभापति जी, पंजाब के अन्दर जो झगड़ा हुआ, उसके बारे में आपको बताता हूं। 25 अप्रैल, 1981 की बात है। एक मरी हुई गाय की गर्दन लाकर मंदिर में रख दी। दूसरे दिन 26 अप्रैल, 1981 को भारतीय जनता पार्टी के वहां के एम० एल० ए०,…**…जो जनता पार्टी के टाइम में थे। मैं नाम ले रहा हूं। उस व्यक्ति नें अपने आर० एस० एस० के जवानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लेकर सिक्खों के घरों, दूकानों को जलाया। जिसका रियैक्शन हुआ। काश्मीर की बात पर जरनैल सिंह की बात कही गई। रसीद मसूद साहब, चौ० चरण सिंह की पार्टी के सिर्फ इस्लाम पर बोल गए। ये दुहाई देना चाहते हैं बिन-साम्प्रदायिकता की और यहां पर जरनैल सिंह की बात कही। क्या दुदिया नहीं जानती कि जरनैल सिंह को विदाई देने में किस पार्टी ने मदद की, किसने क्या काम किया। यदि श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां पर फौजी कार्यवाही नहीं करती तो वहां पर अभी भी जरनैल की गतिविधियां वहां पर चालू रहतीं। इसके करने के बाद काश्मीर में जलूस निकाला गया। उस जलूस को निकालने के लिए फारुख साहब की सरकार ने सारा काम किया। वहां आर्य समाज मन्दिर को जला दिया गया। वहां निरंकारी के मन्दिर को जलाया गया। हनुमान मन्दिर को जलाया गया। वह आर्य समाज का विद्यालय जो 10 साल से वहां पर काम कर रहा है, स्त्री शिक्षा के लिए, उस पवित्र विद्यालय की बिल्डिंग को भी जला दिया गया। इस तरह की गतिविधियां करने वाले, पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाने वाले, साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देने वाले, ऐसे लोगों से गले मिलकर वाजपेयी जी स्वागत करते हैं। इससे उनकी साम्प्रदायिकया और बिन-साम्प्रदायिकता की नीति की कलई खुल जाती है।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उन्होंने अपने भाषण में एक बात और कही है, इस देश का जो बंटवारा हुआ है, वह दो काम के आधार पर हुआ है। इनके कहने का मतलब यह था कि हिन्दुओं के लिए ही हिन्दुस्तान है। मतलब दूसरी कौमों को यहां से विदाई दे देनी चाहिए। जो साम्प्रदायिक लोग हैं, उन पर प्रतिबन्ध लगाने का बात कही है। यहां पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी साम्प्रदायिक संगठन का नाम नहीं लेते कि कौन से साम्प्रदायिक संगठन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए और किसको यहां से निकाला जाए।

**सभापति महोदय** : मेरे विचार से आपने किसी विधायक के नाम का उल्लेख किया है। इस नाम को रिकार्ड में नहीं लिखा जायेगा।

**आचार्य भगवान देव** : उनकी तो मृत्यु हो गई है। निकाल दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : कोई भी इनके भाषण को गम्भीरता से नहीं ले रहा। यह सब सही है। इनको कुछ भी कहने की अनुमति है।

**आचार्य भगवान देव** : सभापति जी, जिस साम्प्रदायिक संगठन पर वाजपेयी जी ने प्रतिबन्ध लगाने की बात कही है, यदि वे उसका नाम लेते तो उसकी भी कलई खुल जाती। भिवण्डी की बात पर श्री राजदा जी ने भी कहा है। मैंने वहां स्वयं जाकर जांच की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चीफ मिनिस्टर ने बड़ी ईमानदारी के साथ तुरन्त कार्यवाही की है। कहा गया कि हैलीकाप्टर में घूमते रहे। उन्होंने वहां स्वयं जाकर वहां की कार्यवाही को देखा है। प्राइममिनिस्टर वहां पर गईं और हमारी पार्टी के महासचिव, श्री राजीव गांधी भी वहां गए। वहां के सारे वर्कस गए और सब सम्प्रदाय के लोगों को मदद दी। वहां उनको मकान बनाकर दिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके वर्कर्स जो भी वहां ले जाते हैं, वे एक विशेष समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। न कि सारे सम्प्रदाय के लोगों की मदद करते हैं। ये लोग कहते हैं कुछ और करते कुछ हैं। यहां पर शिव सेना के बाल ठाकरे की बात भी कही गई। क्या कारपोरेशन के अन्दर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शिव सेना से मिलकर अपनी हकुमत नहीं चलाई। क्या यह बात सही नहीं है कि 18 अगस्त को आज से दस दिन बात वहां पर एक सम्मेलन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बैट्री कामपुर से चार्ज होती है, आर० एस० एस० के हैड, देवरस जी ने वहां पर मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग के अन्दर शिव सेना के अध्यक्ष बाल काकरे भी शामिल होने वाले हैं। इनकी भारतीय जनता पार्टी के जो पहले अनुसंधी अध्यक्ष थे—बलराज मधोक-ये सारे वहां इकट्ठे होने वाले हैं और ये वहां पर हिन्दू संगठन बनायेंगे। एक सव्वरवाल हैं, जो पहले जालन्धर से जनसंघ के एम० एल० ए० थे, वह भी उसको एटेण्ड करने वाले हैं। आज इनकी

कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। यह बहुत लम्बा चौड़ा विषय है, इसलिए समय की कमी के कारण अब मैं कुछ सुझाव गृह मन्त्री जी को देना चाहता हूं—

पहली बात तो यह कि जो भी सम्मेलन होते हैं, समारोह होते हैं यह कहना कि शिवाजी जयन्ती का जुलूस क्यों निकलने दिया, इस देश में कांग्रेस के राज में हर सम्प्रदाय और मजहब को अपने फंक्शन मनाने का हक है, लेकिन सबको उनमें शामिल होना चाहिए। अगर शिवाजी जयन्ती में मुसलमान भी भाग लेते तो क्या वह काण्ड हो सकता था ? इसी तरह से मुसलमानों के जो त्यौहार होते हैं, जैसे ईद है उनमें हिन्दुओं और दूसरी जातियों को भी भाग लेना चाहिए। इस तरह का माहौल हर पार्टी को खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए।

पुलिस में सुधार की आवश्यकता है। जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं वे दूसरे प्रांतों के होने चाहिए, एक ही प्रान्त के न हों, बल्कि दूसरे प्रान्तों के भी होने चाहिए।

जो साम्प्रदायिक साहित्य प्रकाशित होता है उस पर प्रतिबन्ध होना चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं—एमर्जेन्सी में ये जितने स्मगलर्स थे, जैसे हाजी मस्तान का नाम लिया गया, दूसरे बदमाश थे उन सबको श्रीमती इन्दिरा गांधी के राज में जेलों में बन्द कर दिया गया था जिससे दंगे, चोरी और फिसादात बन्द हो गए थे। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी का टाइम आया उन सबको गांधी टोपी पहनाकर देवता का सर्टिफिकेट देकर, बाहर निकाल दिया गया। ये ऐसे लोग हैं जो देश में अराजकता लाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के तत्वों को तुरन्त जेल में बन्द कर देना चाहिए।

**श्री ए० के० राय** (धनबाद) : सभापति महोदय, इस देश की और विशेष रूप से इस सदन की यह एक प्रथा बन चुकी है कि जहां कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे हों उनकी निंदा की जाये और साम्प्रदायिक दंगे स्वयं एक प्रथा बन गई है जो बार-बार होते रहते हैं। जब मैं माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था मुझे (ओल्ड रेस्टारेंट) में व्यक्त किये गये दुःख की बात याद आ रही थी। हम सब यहां सामूहिक रूप से इस स्थिति पर दुःख प्रकट कर रहे हैं।

महोदय क्या आपने निर्णय कर लिया है कि मुझे समय नहीं देना···

**सभापति महोदय** : आपका समय पांच मिनट नियत है।

**श्री ए० के० राय** : आप यह याद दिला कर मुझे डरा रहे हैं।

**सभापति महोदय** : मैं आपसे केवल सहयोग करने के लिए कह रहा हूं।

**श्री ए० के राय :** मैं कुछ मूलभूत मुद्दों पर जोर देना चाहूंगा। हम संसद के सदस्य हैं कोई नीम हकीम नहीं है। हमसे यह आशा की जाती है कि हम ऐसे समाज वैज्ञानिक और डाक्टर बनें जो इस सामाजिक रोग का उपचार कर सकें। हमें उन रोग लक्षणों पर विलाप व्यक्त नहीं करना कि भिवंडी में कुछ ग्रामीणों ने साम्प्रदायिक दंगे शुरू किये, कि कुछ तस्करों ने बम्बई में साम्प्रदायिक दंगे शुरू किये और हैदराबाद में कुछ रहस्यमय तत्व साम्प्रदायिक दंगे पैदा कर रहें हैं। हम केवल उन रहस्यमय तत्वों की कहानियां सुना रहे हैं जो साम्प्रदायिक दंगे कर रहे हैं हम उन साम्प्रदायिक दंगे के कारण पता लगाने के लिए यहां हैं।

फिर भी जो जनता पार्टी ने किया वह अलग बात है। उनका अपना रिकार्ड रहा है। लेकिन कांग्रेसी लोग यहां पांच वर्ष से हैं। क्या उन्होंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने रिकार्ड का विश्लेषण किया है? वे केन्द्र में शासन कर रहे हैं; वे राज्यों में शासन कर रहे है, उनका शासन भूमि, वायु और जल पर व्याप्त है। हर जगह उनका शासन है। उनका रिकार्ड क्या है? सरकारें आईं और सरकारें गईं। गृह मन्त्रियों के परिवर्तन किये गये। कितने ही गृह मन्त्री रह चुके हैं। चाहे आदमी आयें चाहे आदमी जायें। लेकिन यह साम्प्रदायिक दंगे हमेशा-हमेशा होते रहेंगे।

मेरे पास साम्प्रदायिक दंगों की संख्या के विषय में एक विस्तृत रिपोर्ट है। हताहतों की संख्या से वृद्धि हुई है। आप उनको नियंत्रित नहीं कर सके। मैं उनको रोकने की बात नहीं कर रहा। आप उनको नियन्त्रित नहीं कर सके राज्य सभा के प्रश्न का आपका अद्यतन उत्तर यह है कि देश में 388 जिलों में से 142 जिलों में साम्प्रदायिक दंगे हो सकने का खतरा पैदा हो गया है। यह लगभग 50 प्रतिशत है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। आप कहते हैं कि उन जिलों में मेढक और रायबरेली दोनों शामिल हैं। "जितना मन्दिर के करीब उतना ही भगवान से दूर।" ऐसा क्यों है? मैं यह नहीं कह रहा कि आप चाहते हैं कि साम्प्रदायिक दंगे हों मैं यह आरोप नहीं लगा रहा कि आप उनके लिए कोई साजिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में मेरे पास कुछ विश्लेषण हैं। कांग्रेस पार्टी साम्प्रदायिकता चाहती है। लेकिन सीमित और नियंत्रित साम्प्रदायिकता चाहती है। यह बात नहीं कि आप बेलगाम साम्प्रदायिक चाहते हैं। अब आप साम्प्रदायिकता नही चाहते। यह भी सच है कि यह आपके हाथ से निकल गई है। लेकिन अब भी इसके बढ़ने का क्या कारण है? पुलिस के सिपाही आरोप लगाते हैं कि कुछ राजनैतिक दल इसके लिए उत्तरदायी हैं। किसी राजनैतिक नेता द्वारा दिया गया कोई विशेष भाषण साम्प्रदायिक दंगों के लिए कैसे उत्तरदायी हो सकता है? मैं यह अनुभव करता हूं कि स्थिति कुछ भिन्न है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं जिनकी हमें जांच करनी है। आप यह पायेंगे कि साम्प्रदायिक दंगों के कुछ विवेष लक्षण; कुछ विशेषताएं होती हैं। साम्प्रदायिक दंगे उत्तरोत्तर अधिक से अधिक गैर-धार्मिक घटनाएं बनते जा रहे हैं।

इसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होता। साम्प्रदायिक दंगे दूर-दराज के गांवों में, जहां विशिष्ट वर्ग के और रूढिवादी दोनों ही प्रकार के मुसलमान और हिन्दू रहते हैं, नहीं होते। दंगे ऐसे शहरों में हो रहे हैं जहां हिन्दुओं और मुसलमानों में से धर्म के विषय में कोई कुछ नहीं जानता। पहले साम्प्रदायिक दंगे उत्तर में और कुछ अन्य भागों में हुआ करते थे। अब साम्प्रदायिक दंगों का दक्षिण, पश्चिम की ओर हर जगह प्रसार होता जा रहा है। यदि आप अपने आंकड़ों के रिकार्ड को देखते रहें, जिसकी माननीय सभापति महोदय मुझे आज्ञा नहीं देंगे, तो आप यह पायेंगे कि बहुत शीघ्र ही एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के लिए कोई स्थान बच नहीं रह जायेगा। जहां तक पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्बन्ध है, थोड़ा धैर्य रखें। पवित्र रोमन साम्राज्य न तो पवित्र न ही रोमन और न ही साम्राज्य था। इसी प्रकार आपने उन सब चीजों को धर्म-निरपेक्ष, समाजवादी, जनतांत्रिक दनाया है। हम कम से कम आज तक तो समाजवादी नहीं है और कई प्रकार के अधिनियमों जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ने जनतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और बहुत जल्द हम धर्मनिरपेक्ष भी नहीं रह पायेंगे। क्या आप मुझे कृपया अपने विश्लेषण के विषय में बतालएंगे। ऐसा क्यों है कि साम्प्रदायिक शक्तियों की तुलना में धर्मनिरपेक्ष शक्तियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। यह मूल्यों की आपसी लड़ाई या संघर्ष है। भारत में आज किसी धार्मिक भावना का अंश नहीं बचा है। यह भावना पूरे भारत में फैल रही है। केवल यह नहीं। जो सबसे अधिक व्याकुल करने वाली बात यह है कि हमारी युवा पीढ़ी इससे अधिक से अधिक प्रभावित होती जा रही है। आप किस दिशा में जा रहे है? यह एक गंभीर मामला है।

वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में साम्प्रदायिकता चलता ही रहेगा। आपका मुख्य अपराधी वह नहीं है जो श्रीमती इंदिरा गांधी या श्री अटलबिहारी वाजपेयी कर रहे हैं। जनता पार्टी ने भी यहां शासन किया है। यह हमने देखा है कि अलीगढ़ और जमशेदपुर में साम्प्रद(यिक दंगे किस प्रकार चलते रहे और जनता पार्टी के नेता कैसे असहायपूर्ण स्थिति में वहां बैठे रहे। कोई भी इसे रोक नहीं पाया क्योंकि विकास का पूंजीवादी तरीका इसका मुख्य कारण है। इसीलिए जहां कहीं भी विकास का पूंजीवादी तरीका अपनाया जा रहा है, जैसे ही यह तरीका प्रचलित होता है, इसके साथ दंगे भी बढ़ते हैं, इस तरीके से प्रतियोगिता आ रही है आधिपत्य बढ़ रहा है, इससे निर्दयता बढ़ रही है। यह तरीका 'ताकतवर की जीत' में विश्वास रखता है, जिसका अर्थ है कमजोर के लिए जीवन दूभर। इसलिए प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित और कटा हुआ महसूस कर रहा है। आप जो कार्रवाई करें—प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रचार सम्बन्धी तथा अन्य कार्रवाई—कृपया यह विचार करें कि आपको सामाजिक परिवर्तन के लिए एक नयी दिशा प्रदान करनी है। साम्प्रदायिक विचारों में अचानक बढ़ोतरी का कारण है। हमारी राजनीति में, सभी राजनीतिक दलों में और विशेषकर शासक दल में समाजवादी अंश की अचानक कमी। इसलिए यदि हम इस आधार पर विचार करें तो इस साम्प्रदायिक स्थिति से उबर सकते हैं। अथवा हम पवित्र रोमन साम्राज्य की तरह होंगे, जो न तो पवित्र है, न रोमन और न ही साम्राज्य।

**श्री मधुसूदन वैराले** (अकोला) : मैंने ये सभी भाषण बड़ी तसल्ली से सुने है और मैं यह कबूल करता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा और विपक्ष के नेताओं द्वारा दिये गये वक्तव्यों से मैं चकित या निराश नहीं हुआ, क्योंकि वे करीब-करीब हमेशा ही यह मानते हैं कि इस देश में जहां कहीं भी गड़बड़ होती है तो उसके लिए केवल कांग्रेस दल और कांग्रेस सरकार ही उत्तरदायी है। मैंने इनसे किसी अन्य चीज की आशा नहीं की थी, लेकिन यह उम्मीद जरूर थी कि कोई रास्ता दिखाया जायेगा, कुछ मार्ग निर्देश दिया जायेगा, कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जायेंगे। लेकिन इनके वक्तव्य सुनने के बाद मैं आसानी से यह कल्पना कर सकता हूं कि तीन माह के पश्चात् शुरू होने वाले अभियान में ये लोग ही दलीले देंगे। मुझे इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही इन दलीलों के बारे में बता दिया है।

मैं केवल एक ही चीज के बारे में कहूंगा। इन्होंने यहां भिवण्डी के बारे में बहस की है। मैं भिवण्डी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा। सभी प्रकार के दंगों की निन्दा की जानी चाहिए। लेकिन भिवण्डी में हुए दंगों के समय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भिवण्डी में ऐसे समय पर दंगे, हुए जब पंजाब में अशांति थी, त्रिपुरा की सीमा पर अशान्ति थी और जब श्रीलंका में शोर-शराबा मचा था। भिवण्डी में अशांति और इन अन्य स्थानों पर अशान्ति का समय एक था। इसी समय भिवण्डी में भी दंगे हुए।

मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन ने 'विदेशी हाथ' शब्द का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। ये लोग हमेशा कहते हैं" हमें विदेशी हाथ होने का प्रमाण दें। मुझे याद है एक पत्रिका में कार्टून था। कार्टूनिस्ट ने काले हाशिये वाला एक कोरा फोटो छापा था जिस पर शीर्षक था "परमात्मा के साथ भूमिगत साम्यवादियों का सामूहिक फोटो।" यह भी कुछ इसी तरह की ही बात है। यदि 'विदेशी हाथ' का पता चल सकता तो इसे 'विदेशी हाथ' न कहा जाता। यदि हम यह आशा करें कि वे लोग इतने मूर्ख होंगे, इतने ना समझ होंगे कि कोई सबूत छोड़ जायेंगे तो मैं नहीं समझता कि उन्हें 'आसूचना सेवाएं' कहा जा सकता है। इसलिए यह बात याद रखी जानी चाहिए। मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को एक बात बताना चाहता हूं। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी तीन दिन अमृतसर रहे। ये स्वर्ण मन्दिर में ही हो रही बात को सही समझ पाये·····

**डा० सुब्रह्मण्यय स्वामी** : मैं किसी निरीक्षण दौरे पर नहीं गया था।

**श्री मधुसूदन वैराले** : " लेकिन ये उस चीज की मौजूदगी की सम्भावना कबूल करते हैं, हालांकि वह चीज देखी नहीं जा सकी। मेरा विचार है कि जहां तक श्री चौबे का सम्बन्ध है, जब यह साम्प्रदायिकता की बात करते हैं तो यह साम्यवादी साम्प्रदावाद की बात करते हैं और शायद पश्चिम बंगाल में कुछ साम्प्रवादी अन्य साम्यवादियों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस पर अधिक नहीं बोलूंगा, किन्तु मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वक्तव्य सुनने के बाद यह महसूस

होता है कि सभी विरोधी दल धर्मनिर्पेक्ष हैं, और इस देश में शासक दल ही ऐसा दल है जो साम्प्रदायिक है। मेरा विचार है कि ये लोग भी इस बात से सहमत नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि इस प्रश्न को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये ऐसी मौलिक और आधारभूत चीजें हैं, जिनका हमें अवश्य सामना करना चाहिए। हमारे स्थानीय विरोधी तत्व हैं, साम्प्रदायिक तत्व हैं, चाहे हिन्दू हों, सिख या मुस्लिम हों, सभी की निन्दा की जानी चाहिए। हिन्दुओं में साम्प्रदायिकता और मुसलमानों या सिक्खों में साम्प्रदायिकता अथवा किसी अन्य साम्प्रदायिकता में कोई अन्तर नहीं है।

**7.56 म० प०**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

मेरा शत-प्रतिशत विश्वास है। वास्तव में मुझे अचम्भा हुआ है। कुछ दिन पूर्व हमारे महान पड़ोसी और मित्र पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस बात की निन्दा की कि भारत में अल्पसंख्यकों की हत्याएं की जा रही हैं और उसके पश्चात् उनके रक्षा मंत्री ने भी इसी प्रकार का भाषण दिया। मैं आशा करता हूं कि उनके शब्द उस तरह के नहीं हैं जैसे कि हमारे कुछ भारतीय नेताओं के शब्द होते हैं, क्योंकि जब तक आप यह नहीं बतायेंगे कि शीर्षक क्या है, विषयवस्तु एक जैसी ही हो सकती है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय हित में यह हमेशा अच्छा है कि इन चीजों से बचा जाये।

इस अवसर पर मैं भारत के सभी लोगों, विपक्षी दलों के सभी माननीय नेताओं सहित भारत के सभी नेताओं से यह अपील करता हूं कि उन्हें इस देश में वास्तव में धर्म-निर्पेक्ष वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए और इस समस्या, इस साम्प्रदायिक समस्या को एक-दूसरे को दोषी ठहराने तथा इससे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उछालना नहीं चाहिए।

धन्यवाद।

**श्री इब्राहीम** सुलेमान सेठ (मंजेरी) : यह बड़े दुःख, शर्म और चिन्ता का विषय है कि स्वतंत्रता के 37 वर्षों के बाद भी देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं। साम्प्रदायिक दंगों की संख्या अब 400-500 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक पहुंच गयी हैं। यह स्थिति बहुत शोकजनक और दुखद है और इससे शासक वर्ग की कमजोरियों का पता चलता है।

हाल ही में मई, जून में महाराष्ट्र में भिवंडी, जाने और ग्रेटर बम्बई में साम्प्रदायिक दंगे हुये। यहां पर हुई हिंसा की घटनाएं स्वन्त्र भारत में पिछले 37 वर्षों में हुई सबसे बुरी हिंसा की घटनाओं में से एक थी। यह एक दुखद घटना थी, जिसने उस पूरे क्षेत्र को नरक में बदल दिया।

मुझे याद आता है कि यह 21 अप्रैल का दिन था जब बम्बई में शिव सेना के प्रमुख ने मुस्लिमों को देश पर एक अभिशाप कहते हुए उनकी तीव्र आलोचना की। उन्होंने अपने अनुयायिओं को कहा कि मुस्लिमों को भारत से बाहर निकाल दिया जाये और पुलिस से भी अनुरोध किया कि वह इस कार्य में उसके लोगों की मदद करे। यह बात इस बम्बई पत्रिका के पृष्ठ 28 पर कही गयी है, जो उस शहर की पत्रिका है और मैंने यह कहानी गढ़ी नहीं है। यहां इस पत्रिका में लिखा है :

"लण्डयाओं को (मुस्लिमों को खतना किये जाने के संदर्भ में एक अपमानजनक शब्द) भारत में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है…"

जैसे कि भारत उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। हमें इस पर बहुत रोष है।

"…भारत में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बनाये जाने के लिए ये लोग उत्तरदायी थे। लण्डया कैंसर की तरह हैं और कैंसर लाइलाज रोग है, जिसका आपरेशन करना होता है।"

बाल ठाकरे ने यह सब कहा है।

शिव सेना के प्रमुख के विरुद्ध ये भी आरोप हैं कि उसने पैगम्बर के लिए धर्मविरोधी शब्द कहे। उसने स्वयं ही ऐसी शर्तें बना लीं जिनके आधार पर मुस्लिमों को भारत में रहने दिया जा सकता है। उसी पत्रिका से ही मैं एक और उद्धरण देता हूं :

"शिव सेना राष्ट्र-विरोधी मुस्लिमों को देश से खदेड़ निकालने के लिए शीघ्र ही 'भारत छोड़ो' की तरह के एक आन्दोलन की योजना बनायेगी। केवल उन्हीं मुस्लिमों को देश में रहने दिया जायेगा, जो सिविल कोड को, गऊ हत्या विरोधी नियमों को और हिन्दू राष्ट्र की संकल्पना को स्वीकार करते हैं।"

हमारा देश धर्मनिर्पेक्ष है और कोई व्यक्ति शर्तें नहीं मनवा सकता।

**8.00 अ० प०**

महोदय, यह बात आश्चर्यजनक और खेदजनक है कि इस प्रकार के भड़कीले और जहरीले मुस्लिम-विरोधी प्रचार करने वालों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी। मुझे यह भी याद आता है कि 9 मई को यह मामला तत्कालीन केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री पी० सी० सेठी के ध्यान में लाया गया था और मेरे सहयोगी श्री बनातवाला ने व्यक्तिगत रूप से एक अभ्यावेदन उन्हें दिया

था, जिसमें मुस्लिम साम्प्रदाय के सम्बन्ध में कटु भाषणों और हमलों से उत्पन्न हुई मुस्लिम विरोधी स्थिति की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था ।

महोदय, यह कहते हुए मुझे दुख है कि इस स्थिति में महाराष्ट्र सरकार उदासीन रही और स्थिति को यहां तक बिगड़ने दिया गया कि बम्बई महानगर के गोविंडी और अन्य स्थानों जैसे उपनगरों में अत्यन्त आपत्तिजनक बोर्ड लगा दिये गये । ऐसी स्थिति में मेरा दिल खून के आंसू बहाता है । बोर्ड पर क्या लिखा गया है :

"कुरान छोड़ो या फिर हिन्दुस्तान छोड़ो ।"

ये लोग चाहते हैं कि हम या तो कुरान छोड़ दें या भारत छोड़ दें ! मैं कहता हूं कि हम मुसलमान लोग न तो कुरान छोड़ने को तैयार हैं और न ही भारत छोड़ेंगे । हम भारत में ही रहेंगे और यहीं मरेंगे । भारत हमारा देश है और यह किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है । भारत उतना ही हमारा है जितना वाजपेयी जी का या इन्दिरा जी का । इसलिए, कोई हमसे शर्तें नहीं मनवा सकता । बम्बई की पत्रिका में यह बात कही गयी है । जब मैंने गोविंडी का दौरा किया तो मैंने स्वयं बोर्डों पर लिखा देखा "कुरान हटाओ, मुसलमान भगाओ ।"

महोदय, हाल ही के भिवंडी अग्निकाण्ड के दौरान लगभग इसी समय ही भिवंडी, थाने के बाहरी बस्तियों में और बम्बई में उपनगरों में मुस्लिम बस्तियों पर हमले किये गये । बड़े पैमाने पर एक ही समय में इन हमलों से अकाट्य रूप से पता चलता है कि दंगों से पूर्व बड़े ध्यानपूर्वक योजना बनायी गयी थी । आश्चर्य होता है कि आसूचना विभाग क्या करता रहा । वास्तविकता यह है कि 17-18 मई की रात को जब भारी हिंसा भड़क उठी तो सुरक्षा व्यवस्था हर एक जगह बिल्कुल अपर्याप्त पाया गया । भिवंडी के नगरोपान्त में मुस्लिम बस्तियों में बड़े पैमाने पर लूटमार, हत्याएं और विनाश किया गया । वहां बस्तियों को पूरी तरह लूट लिया गया और जलाकर राख कर दिया गया । अन्सारी बाग की दुखद घटना, जिसमें 21 व्यक्तियों को छुरे घोंप कर जिन्दा जला दिया गया, हृदय विदारक है और यह घटना मानवता के नाम पर एक कलंक है ।

महोदय, महाराष्ट्र में साम्प्रदायिक हिंसा का आश्चर्यजनक पहलू यह व्यापक आरोप है कि सशस्त्र आरक्षित पुलिस की भूमिका पक्षपातपूर्ण और दलगत है, और इनके विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर हमलावरों की सहायता करने का आरोप लगाया गया है । बम्बई के चीला कैम्प में पुलिस के अकारण अत्याचार रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं । यह वास्तविकता है । स्थिति पर तब नियंत्रण किया जा सका जब 23 मई को सेना बुलायी गयी । इसमें यदि कुछ और विलम्ब किया जाता तो बम्बई में स्थिति अनियंत्रित हो जाती । महाराष्ट्र में खुलेआम साम्प्रदायिक हिंसा हुई और शिव सेना ने निर्दोष मुस्लिमों पर सरेआम हमला किया । लेकिन सरकार के प्रशासन की उदासीनता अक्षम्य है ।

महोदय, हिंसा भड़क उठने के बाद और सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद हमें अब बताया गया है कि सरकार ने शिव सेना के प्रमुख श्री बाल ठाकरे के विरुद्ध कुछ मामले दर्ज किये हैं और यह भी बताया जा रहा है कि पूछ-ताछ अभी चल रही है। यह समझ नहीं आता कि इतनी विलम्ब और ढील ढ़ाल क्यों? इससे शिव सेना जैसे उग्रवादी साम्प्रदायिक तत्वों के साथ राज्य सरकार की मिलीभगत के बारे में भारी शंकाएं होने लगी हैं। हाल ही में, हमने कर्नाटक में हुबली में और हैदराबाद तथा अन्य स्थानों पर साम्प्रदायिक हिंसा की काली छाया देखी है। पिछले 18 महीनों में हैदराबाद में तीन दंगे हुए हैं और इनमें सबसे आखिरी हिंसा वह है जो 22 जुलाई को फैली, जिसमें बोनालू जलूस पर कुछ पत्थर फैंके जाने के झूठे आरोप लगाये गये। अतः, आन्ध्र में स्थिति अशान्तिपूर्ण है। मुख्य मंत्री इलाज के लिए अमरीका गये हुए हैं। ऐसा लगता है कि राज्य में स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए कोई नहीं है। यह कहते हुए मुझे खेद है कि मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में किसी भी मंत्री ने स्थिति का कड़ाई से और शीघ्र मुकाबला करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रशासन फेल हो गया प्रतीत होता है और पुलिस की कार्य-प्रणाली में अभी बहुत कमियां हैं।

महोदय, यह बहुत दुःख की बात है कि हमारे देश में साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है। मुस्लिम-विरोधी प्रचार, इस्लाम पर आक्षेप, पैगम्बर के पवित्र व्यक्तित्व के लिए धर्मविरोधी बातें—ये सब इतने बढ़ते जा रहे हैं कि अब तक ऐसा नहीं देखा गया था। मुस्लिमों के विरुद्ध घृणा और हिंसा का प्रचार किया जा रहा है और बदनाम करने का एक नियमित अभियान चलाया जा रहा है। मुसलमानों की सुरक्षा का वातावरण तेजी से बिगड़ गया है और निन्दनीय बन गया है। हालांकि मुस्लिम-विरोधी यह जहरीला प्रचार उग्रवादी युद्धप्रिय लड़ाकू तत्वों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई सामयिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस खेदजनक स्थिति के बारे में मुझे बड़ा दुख होता है और इससे पहले कि स्थिति और बिगड़ जाये सरकार को अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए।

साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए सुझावों की कोई कमी नहीं है। मुझे बार-बार महसूस होता है कि शान्ति और सौहार्द बनाये रखने और इस समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्वीकार करने के लिए एक भारी अभियान चलाया जाना चाहिए। यह दायित्व इस महान् देश में भिन्न-भिन्न सरकारों और भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों का है। मेरा अनुरोध है कि विगत में अनेक न्यायिक आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों की जांच की जाए। खेद है कि 1976 की मदान आयोग रिपोर्ट और 1979 की न्यायमूर्ति जितेन्द्र नारायण आयोग रिपोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के सम्बन्ध में कुछ भी कार्रवाई नहीं की गयी है।

1980 में मुरादाबाद में दुर्भाग्यपूर्ण साम्प्रदायिक हिंसा फैली, जिसमें ईद की नमाज पढ़ने वाली सभा पर पुलिस द्वारा गोली चलायी गयी। इसके लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया

गया था और न्यायमूर्ति सरकार ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही दे दी है। यह रिपोर्ट गर्त में पड़ा है। मेरी मांग है कि सरकार आयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए जाएं और इसके सुझावों की ईमानदारी से जांच की जाए।

महोदय, इस समय जो चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि हमें समर्थक साम्प्रदायिक हिंसा को, जो हमारे देश की छवि बिगाड़ रही है और इस देश के 12 करोड़ अल्पसंख्यकों का आत्मविश्वास डिगा रही है, समाप्त करने के उपायों के बारे में गम्भीरता से और ईमानदारी से सोचें। इसलिए मेरी मांग है कि साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए और जख्मी हुए लोगों को और नष्ट हुई सम्पत्ति के लिए पूरा मुआवजा देने के लिए तत्काल कारगर कार्रवाई की जाये। जो लोग मारे गये हैं अथवा जख्मी हो गये हैं उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। यह एक सिद्धान्त बना लिया जाये कि साम्प्रदायिक दंगों के शिकार लोगों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा और उन्हें पुर्नस्थापित किया जायेगा। मृतकों के परिवार के सदस्यों को और जख्मी हुए लोगों को उनकी आमदनी के आधार पर पूरा मुआवजा दिये जाने की विस्तृत योजना बनाने का दायित्व सरकार का है। आजकल जो दिया जाता है वह राहत है मुआवजा नहीं। यदि कोई व्यक्ति मरता है तो 5,000 या 10,000 रुपये की रकम उसे दी जाती है या यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे 1,000 रुपये या 2,000 रुपये दिये जाते हैं—यह केवल राहत भाग है, इसे मुआवजा नहीं कहा जा सकता। मुआवजा पर्याप्त और पूरा होना चाहिए, अन्यथा यह केवल एक मजाक बन कर रह जायेगा।

आज भिवंडी, थाने और बम्बई में ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी सम्पत्ति को इतनी भारी हानि हुई है कि वे निराश्रय हो गये हैं। केवल निराश्रय। इन अभागे पीड़ितों को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गयी है। इतनी व्यवस्थापिक पुर्नस्थापना के लिए सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है।

आज यह दुख की बात है कि पिछले अनेक दंगों के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव के कारण अल्पसंख्यकों का विभिन्न राज्यों की सशस्त्र पुलिस में विश्वास पूरी तरह समाप्त हो गया है। मौजूद स्थिति यही है। कई सदस्यों ने इसके बारे में कहा है। मुझे प्रसन्नता है कि वाजपेयी जी ने भी इस बारे में कहा है। जो उत्तर प्रदेश का पी० ए० सी० या बिहार की बी० एम० पी० के बारे में वास्तविकता रही है, आज महाराष्ट्र की एम० एस० पी० के बारे में भी है। इस बात पर सभी एकमत हैं कि सशस्त्र आरक्षित पुलिस का दृष्टिकोण पूर्णतः दलगत रहा और वह अल्पसंख्यकों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करने की अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रही। महाराष्ट्र पुलिस ने ड्यूटी की पूर्ण अवहेलना की है। इसलिए यह बात अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य सशस्त्र, आसूचना और केन्द्रीय बल जैसे सुरक्षा बलों का पुनर्गठन किया जाये और उनका स्वरूप कास्मोपोलिन बनाया जाये, जिसमें इनकी कुल संख्या का 50 प्रतिशत देश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों, से किया जाये। इससे सशस्त्र

पुलिस और अन्य बल न्यायपूर्ण तरीके से और ईमानदारी से काम करेंगे, विशेषकर दंगों के दौरान, और अल्पसंख्यकों में विश्वास की जो भावना समाप्त हो गयी है इससे उनमें यह भावना दुबारा जागृत होगी तथा उनमें जो अलगाव पैदा हो रहा है, वह समाप्त होगा ।

महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति की ओर गृह मन्त्री और सरकार का ध्यान आकर्षित करना मेरा फर्ज है । गणपति त्यौहार 29 अगस्त से 9 सितम्बर तक होगा और इदुल अजदा के 7 सितम्बर को होने की सम्भावना है । ईद के दिन और उससे अगले दो दिन मुसलमानों द्वारा बलि दी जाती है । सुरक्षा के कड़े उपाय करना आवश्यक है, ताकि कोई अप्रिय घटना न करे और शान्ति और सौहार्द बना रहे ।

समाप्त करने से पूर्व मैं इस बात पर एक बार पुन: बल दूंगा कि हम किसी की शर्तें नहीं मानेंगे । न तो हम अपना देश छोड़ने को तैयार हैं और न ही अपना पवित्र धार्मिक ग्रन्थ कुरान । हम इसी देश में ही जियेंगे और यहीं मरेंगे । यह बात अच्छी तरह समझ ली जानी चाहिए । हम इस देश के निष्ठावान नागरिक हैं । यह देश सभी वर्गों के लोगों का है, न कि किसी एक वर्ग की सम्पत्ति है, विशेषकर किसी उग्रवादी साम्प्रदायिक दल की, जो घृणा और हिंसा में विश्वास रखता हो ।

मेरा इस देश के सभी बन्धुओं से अनुरोध है कि इस अवसर पर देश को विनाश से बचाने के लिए साम्प्रदायिक शान्ति की स्थापना हेतु प्रयास करें । पूरा मुस्लिम समुदाय इस देश में सभी दलों को और सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं ।

अन्त में, मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि कुछ लोग मुस्लिम लीग को तोते की तरह बार-बार बिल्कुल साम्प्रदायिक संगठन कहते रहते हैं, जिसका कोई आधार नहीं है । मैं इस आधाररहित आरोप का तिरस्कार से खंडन करता हूं । मुस्लिम लीग एक अल्पसंख्यक संगठन है, जो साम्प्रदायिक सदभाव के लिए प्रयत्नशील है । यह संगठन संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के ईमानदारी से और निष्ठा से क्रियान्वयन की मांग करता है । ऐसा एक भी अवसर नहीं गिनाया जा सकता जब मुस्लिम लीग अपने पथ से विचलित हुई हो, या इस देश अथवा इस देश के लोगों के हितों के विरुद्ध कोई कार्य किया हो ।

ये सभी बातें समझ ली जानी चाहिए और किसी को हमारे इरादों पर शक नहीं करना चाहिए । आपको हमारी निष्ठा में विश्वास होना चाहिए, इससे देश मजबूत होगा । हम चाहते हैं कि भारत ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने और यहां शान्ति कायम रहे ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य, यहां दो सदस्य केवल सत्तारूढ़ दल तथा दो सदस्य विरोधी

दल के हैं। यदि सभी माननीय सदस्य मुझे सहयोग दें, तो मैं समझता हूं कि मैं मन्त्री जी को 8.30 बजे बुला सकता हूं। अब मैं श्री जमीलुर्रहमान को बुलाऊंगा।

**श्री जमीलुर्रहमान** (किशनगंज) : मोहतरिम डिप्टी स्पीकर सहाब, आपने मुझे इस डिसकशन पर बोलने का मौका इनायत फरमाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

मेरी समझ से जो इस डिसकशन को लाए हैं, उन्होंने सिर्फ डिसकशन की ही बात की है, लेकिन वेज एण्ड मीन्स क्या होने चाहिए, कैसे यह रुके, कैसे यह मुल्क बढ़े, कैसे लोग एक साथ रहें, इस पर चर्चा का विषय मेरे मोहतरिम दोस्त वाजपेयी जी या सूरज भानभी ने दिया है।

सवाल यह है कि इस पर चर्चा हर पार्लियामेंट में साल में एक दो बार ही जाती है। सब लोग बहस करते हैं। मैं उन बातों पर जाना चाहूंगा, लेकिन बुनियादी बात क्या होनी चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। यह बड़े शर्म की बात है कि 37 वर्षों की आजादी के बाद भी फिरकेवाराना फसाद इस देश को बदनाम करने के लिए, यहां की इन्डस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए, यहां की ताकत को मिटाने के लिए, मुल्क की तरक्की को रोका जाए, किए जाते हैं। जो एक बड़े शर्म की बात है। गौर करने की बात यह है कि ये कैसे रुकें, कैसे अकलियत के जान व माल जो कि कान्स्टीचूशन में गारंटीड है, बचाया जा सके। इस सिलसिले में 1980 में एक मीटिंग हुई थी। उसमें तीन मुद्दे उठाए गए थे। स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए और समाज के लिए अच्छी-अच्छी बातों को उठाया जाए। दूसरे अहम बात थी एजुकेशन को कैसे फार्मूलेट किया जाए। क्योंकि तालीम के जरिए आगे आने वाली नसलों को इस प्रकार का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। कोम्यूनल हार्मोनी को मेंटेन रखने की ओर ध्यान देना चाहिए। 1980 के बाद मोहतरिम होममिनिस्टर साहब इस बारे में क्या कार्यवाही हुई हैं, यह हम जानना चाहेंगे ?

यह कौन नहीं चाहता है कि मुल्क में नेशनल इन्टिग्रेशन हो, मुल्क में अमन कायम रहे। सब चाहते है कि मुल्क तरक्की करे। अभी 21 जनवरी, 1984 को मीटिंग हुई तो उसमें बहुत से अच्छे फैसले लिए गए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन फैसलों पर कितना अमल हुआ है ? क्योंकि हमेशा कह कर यह खत्म कर दिया जाता है कि यह मसला स्टेट का है। लेकिन इस पर गौर करने की बात यह है कि अगर इसको स्टेट पर छोड़ दिया जाएगा तो यह मसला नहीं होता है। क्योंकि जान व माल की जामिन हमारा आईन हैं। उसके तहत सिर्फ स्टेट पर छोड़कर काम नहीं होगा। इसलिए इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं दो-तीन सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसा देखने ने आ रहा है कि तालीम में ऐसी मन-गढ़ंत बातें दी जाती हैं, जो बच्चों के अन्दर फिलिंग्स पैदा करती है। जो बच्चा शहरी बनना

चाहिए, वह नहीं बन पाता है। अभी हमारे भाई सुलेमान सेट कह रहे थे कि हमारे नबीकरम के बारे में बहुत-सी किताबों में लिखा आता है, कुरान शरीफ के बारे में लिखा जाता है, पैगम्बर के बारे में लिखा जाता है, ये सब बातें जो गतल तरीके से लिखी जाती हैं उसका बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। इस लिए तालीम में सुधार की जरूरत है। हम जानना चाहेंगे इस सिलसिले में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

दूसरी बात जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं—वह यह है कि आजकल पता नहीं किस जज्बे के तहत इस कदर पब्लिक लैंड का एन्करोचमेन्ट हुआ है जिस का कोई हिसाब नही है। बहुत ज्यादा तादाद में हनुमान मन्दिर और दूसरे मन्दिर बने हैं जो देखने से ताल्लुक रखता है। मैं दूसरी जगहों की बात नहीं कहता हूं—मेरे अपने क्षेत्र में नेशनल-हाई-वे पर कटिहार डिस्ट्रिक्ट से सिलीगुड़ी तक जायेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क पर कम से कम 200 मन्दिर इस तरह के पिछले चार-पांच सालों में बने हैं। यह एक फैशन हो गया है कि हर चैक-पोस्ट पर एक हनुमान मन्दिर जरूर हो। वहां जिले में ऐसा है कि हर ब्लाक आफिस के कम्पाउण्ड में एक मन्दिर जरूर है। यह किस बात की तरफ इशारा करता है इसको देखना होगा। मान लीजिये, आप ऐसा करते हैं तो मेरे मजहब के मानने वाले कहेंगे कि मैं भी मस्जिद बनाऊंगा, दूसरी कम्यूनिटीज भी ऐसा कर सकती हैं। होम मिनिस्ट्री का इस तरफ ध्यान जाना चाहिए।

आजकल इन्फलेमेटरी-राइटिंग्ज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई घुड़दौड़ का घोड़ा है जिस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। एक मजहब वाले दूसरे मजहब वालों के खिलाफ लिखते रहें और उसको अखबारों में प्रामिनेन्स दी जाय, इसका क्या नतीजा हो सकता है, इसको आप समझ सकते हैं।

हमारी वजीरे-आजम ने कुछ स्टेट्स को सर्कुलर भेजा था जिसमें कहा गया था कि कैसे फिरकेवाराना फिसादात रुकें, कैसे अकलीयतें यह महसूस करें कि इस सैकुलर मुल्क में हम बाहिफाजत हैं, हमारे जानोमाल का जामिन हमारा कांस्टीचूशन है, इस पर गौर किया जाना चाहिए। इस पर कितना अमल हुआ है, यह जानने की बात है।

होम मिनिस्ट्री में एक सेल बना है, उसको बने हुए दो वर्ष हो चुके हैं। उसके मैम्बर होम-मिनिस्टर हैं, श्री एन० डी० तिवारी है, सरदार बूटा सिंह हैं, जाफर शरीफ साहब हैं, बेगम आबिदा अहमद साहिबा हैं। इस सेल में अब तक क्या काम हुआ है—यह मैं जानना चाहूंगा।

सबसे प्राइम बात यह है कि हमें यह कहा गया था कि जो सेल बनेगा वह सारे वाक्यात को देखेगा। जैसे पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज हैं, पुलिस फोर्स और इस किस्म की जितनी भी सरकारी अण्डरटेकिंग्ज हैं, उसमें मुसलमानों डयू रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। वह महसूस करें कि मुल्क की तरक्की में हमारा इन्वाल्वमेंट भी है। उसमें यह भी था कि एक कमेटी बने जिसमें अकलीयतों की

पमाइन्दगी हो ताकि हर डवेलपमेन्टल काम में वह अपने को साझीदार समझें। लेकिन आज कुछसे ऐसे लोग हैं जो इस बात को चाहते हैं कि मुल्क की इस तरक्की में मुसलमानों को हिस्सा न लेने दिया जाय और उनको इससे अलग रखा जाय। ताकि वे भी अछूतों की तरह से समझे जांय। इस बात पर आपका ध्यान जाना चाहिए।

आखिर में यह कहूंगा—माइनारिटीज कमीशन को लीगल शक्ल देनी चाहिए। इतनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, लेकिन अभी तक बहस नहीं हुई है। मैं मांग करता हूं—लीगल स्टेट्स देने के लिए अगर कांस्टीचूशन में अमेण्डमेंट की जरूरत है तो अमेण्डमेंट की जाय ताकि उसको लीगल करैक्टर दिया जा सके, ताकि वह एन्फोर्समेंट बाडी बन सके। सुलेमान साहब से भी मैं सहमत नहीं हूं। सरकार के पास आंकड़े हैं।...(**व्यवधान**)

**श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या कम्पनसेशन नहीं चाहते ?

**श्री जमीलुर्रहमान** : जो रॉयल प्रान एरियाज हैं, वहां पर नामिनल इंश्योरेंस होना चाहिए। जो जांच हो, उसके मुताबिक रुपया मिलना चाहिए। जैनुल बशर साहब कह रहे थे कि मुसलमान जहां इकोनामिकली साउन्ड हुए हैं, वहीं पर रायट्स होते हैं। अलीगढ़, मुरादाबाद, भिवंडी, थाने और जलगांव में कई बार ऐसे मामलात हो चुके हैं। उस पर निगरानी होनी चाहिए चाहे वह होम मिनिस्ट्री या किसी और मिनिस्ट्री के मातहत हो। इंटेलीजेंस से खास शिकायत है। इसको किस काम के लिए रखा हुआ है ? यह हर जगह पर फेल हो गई है चाहे वह पंजाब, काश्मीर, भिवन्डी, मुरादाबाद, मेरठ, जलगांव या थाना हो। मैं, होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहूंगा कि इसको रि-आरगेनाइज करें जिससे मुल्क में अमन कायम हो। प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि हर तबके को उसका ड्यूरिप्रजन्टेशन मिलना चाहिए। आप यह बताइये कि सी० आर० पी० एफ० में कितनी वटालियन माइनोरिटीज की हैं। मुरादाबाद वगैरह में से तो कोई जाना नहीं चाहता। हमारे यहां मोतीहारी, दरभंगा, समस्तीपुर और पूर्णिया के रूरल लोगों को इसमें भाग लेने दीजिए। इससे प्राइम मिनिस्टर का जो मकसद है, वह पूरा हो जायेगा। एजुकेशनल करीकुलम के ऊपर भी निगाह रखनी चाहिए। सेक्युलरिज्म के आधार पर एजुकेशन होनी चाहिए। सभी लोगों को अच्छे तरीके से एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो इंफ्लेमैंटरी स्पीचेज किताबों में आती हैं, उनको बंद कीजिए। पब्लिक अन्डरटेकिंग्स, बैंक्स, रेलवे और पुलिस फोर्स आदि में मुसलमानों को भर्ती कीजिए। आप, आकड़े मगाकर देख सकते हैं कि इण्डस्ट्रीज के लिए मुसलमानों को कितने लाइसेंस या परमिट्स दिए हैं ? हमारी प्राइम मिनिस्टर भी इस बात के लिए चाहती हैं। हर बार यह कह दिया जाता है कि यह स्टेट का मामला है। इसलिए, यह हाइ-टाइम है जबकि कास्टीच्युशन में अमेंडमेंट होना चाहिए। पूरी पार्लियामेंट आपके साथ है। उसके बाद मुसलमान और सब लोग तरक्की कर सकेंगे और हमेशा के लिए झगड़े-फसाद बंद हो जायेंगे और हमारी गर्दन जो शर्म से झुकी हुई है, वह नहीं होगी। हम सीना तानकर कह सकेंगे कि हमारा देश गांधी, नेहरू, आजाद और अशफाक-उल्ला खां का देश है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी ।

**डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी** (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, आजकल साम्प्रदायिक दंगे··· **(व्यवधान)**

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पौन्नानी) : क्या आप उनके दल को पहचानते हैं ?

**डा० सुब्रह्मण्म्** : जी हां, वह ···।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, वह माननीय संसद सदस्य हैं। कोई भी माननीय संसद सदस्य बोल सकता है। मैं उस दल, जिससे वह संबंधित हैं अथवा नहीं, के बारे में कोई महत्व नहीं देता।

**डा० सुब्रह्मण्म् स्वामी** : यह ठीक है। मुसे प्रसन्नता है कि आप ऐसा कह रहे हैं। मुस्लिम लीग को अभी संसदीय जनतंत्र के बारे में जानना है। महोदय, मैं पहले बता ई गई बातों की पुनरावृति नहीं करूंगा।

**एक माननीय सदस्य** : वह किस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : यही बात मैं कह रहा हूं। वह माननीय संसद सदस्य हैं।

**एव माननीय सदस्य** : हिन्दुस्तान प्रजा दल ।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : वे सब मेरे लिए मुफ्त प्रचार कर रहे हैं। मैं पहले कही गई बातों की पुनरावृति नहीं करूंगा। वास्तविक प्रश्न यह है कि यह वर्तमान साम्प्रदायिक आवेश और उत्तेजना, जो कि इन दंगों का मुख्य कारण है, का संगठन है। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी उत्तेजना फैलाने वाले दोनों समुदायों में है। श्री बनातवाला जी भी इसका खण्डन नहीं कर सकते। कोई भी इसका खण्डन नहीं कर सकता। परन्तु यदि पुलिस प्रशासन··· **(व्यवधान)**

**श्री एम० एम० लारेंस** : दोनों बराबर हैं।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : महोदय, यह गम्भीर विषय है, परन्तु वे इसमें बाधा डाल रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे आपको प्रेरित कर रहे हैं।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : परन्तु यदि पुलिस प्रशासन सफल (प्रभावी) हो तो उत्तेजना फैलाने वाले को शीघ्र वश में किया जा सकता है तथा इस भावावेग पर भी प्रतिबन्ध लगाकर उसे नियंत्रित किया जा सकता है। परन्तु दुर्भाग्यवश मुझे मालूम हुआ कि पुलिस स्वयं इस भावावेश से प्रभावित है।

चीला कैम्प, जिसका श्री सुलेमान जी ने उल्लेख किया है, कुछ विशेष है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं स्वयं वहां गया और स्वयं देखा। यह बहुत ही खराब था। इसमें कोई संशय नहीं कि पुलिस क्रोध में वहां पहुंची। वहां कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं था। यह तमिल लोग तमिल मुसलमान तथा तमिल हिन्दू थे जो उस चीला कैम्प में रहते थे। यहां दंगों का कोई पूर्ववृत नहीं था परन्तु जब आप कालोनी में जाएं तो आपको टूटे हुए दरवाजे देखने को मिलेंगे। चार वर्ष का एक बच्चा मारा गया. लोगों को घरों से बाहर खींचा गया। यह बहुत हृदय विदारक स्थिति थी। यह पूर्णत: स्पष्ट था। उस स्थान को देखने के बाद में मुख्य मंत्री जी से मिला, उनके पक्ष में मैं कहूंगा कि उन्होंने कार्यवाही करने से झिझके नहीं तथा वहां के पुलिस स्टेशन के सभी अधिकारियों को पूर्ण रूप से बदल दिया। अब, ये कुछ चिन्ताजनक बातें हैं, जो आज घटित हो रही हैं। मुझे वास्तव में, यहां और वहां दिए गए भाषणों में कोई गलती नहीं दिखाई देती। यदि वहां लोगों में आवेश नहीं होता, तो भाषण क्या कर सकता है ?

**एक माननीय सदस्य** : यदि भाषण से लोगों में आवेश उत्पन्न होता ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : जब आप बोल रहे थे तब उन्होंने बाधा नहीं डाली थी। आप बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

**श्री एम० एम० लारेंस** : परन्तु यदि यह उचित बात नहीं करते ··· **(व्यवधान)**

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : महोदय, यदि साम्यवादी कहते हैं कि मैं उचित बात नहीं कर रहा तो मुझे अवश्य उचित बात करनी चाहिए। अत: मैं यह नहीं समझ पाता कि हम ठाकरे, मुसलिम लीग अथवा किसी अन्य का इसके पीछे हाथ है, इसका कैसे पता चल सकता है। यह कहा गया है कि उत्तेजनापूर्ण भाषण दिए गए। मैं बाल ठाकरे से मिला और उनसे पूछा "क्या आपने कहा है कि मुसलमान समाज के लिए कैंसर हैं ?" उन्होंने कहा, "नहीं" फिर मैंने उन्हें बताया, 'आपने ऐसा कहा है ऐसा कहा गया है।' उन्होंने कहा "आप भी गलत कह रहे हैं, मैं भी गलत कह रहा हूं।" मैंने उनसे पूछा "आपने क्या किया ?" उन्होंने कहा कि मेरे शिव सेना संगठन में शाखा प्रमुख हैं जो मुसलमान हैं और उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। और उन्होंने कहा, "राष्ट्र विरोधी क्या है" और ··· **(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इसे गम्भीरता पूर्वक क्यों नहीं ले रहे हैं ?

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : उन्होंने कहा, कि राष्ट्र विरोधी मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने पूछा, "राष्ट्र विरोधी हिन्दुओं के बारे में क्या विचार है? आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते?" उन्होंने कहा, "उनके बारे में भी ध्यान रखा जाना चाहिए।" यह महत्व का प्रश्न है। परन्तु मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि वहां तर्कपूर्ण बात करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे याद है कि 1981 में मीनाक्षीपुरम में जब धर्म परिवर्तन हो रहा था, मैं वहां गया, और वहां का वातावरण देखकर यह घोषित किया कि साऊदी अरब द्वारा दी गई आर्थिक सहायता इस धर्म परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है अपितु यह जाति प्रथा है जिसने लोगों को इसका शिकार बनाया। उस समय हिन्दु समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग इस तर्क को सुनना चाहता था और उसने सोचा कि यह दृष्टिकोण विचारणीय है। उसके बाद से स्थिति गम्भीर होती गई। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में, गरीब लोगों में कट्टरता बढ़ रही है इसके क्या कारण हैं? मुझे विश्वास है कि श्री बनातवाला और श्री सुल्लेमान जानते हैं कि उनके अपने सम्प्रदाय में क्या हो रहा है। लेकिन हिन्दुओं के बीच भी कट्टरता अधिक हो रही है।

मेरे क्षेत्र में, उन लोगों के सम्बन्धी, जो कि गन्दी बस्तियों में रहते हैं, साऊदी अरब, क्तार दुबई से वापिस आते हैं, वे लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को बताते हैं कि वहां उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे बताया गया कि साऊदी अरब में वे लोग दीवाली समारोह भी खुले आम नहीं मना सकते। वे अपनी खिड़कियां बन्द करके रात को एकत्र हो सकते हैं जैसे कि वे अपराधी हों और फिर वे प्रार्थना कर सकते हैं : ऐसी बातें फैल रही हैं। अतः उन्होंने मुझसे पूछा : आप शिव जयन्ती समारोह की बात कर रहे हैं कि शिव जयन्ती का जलूस भारत में नहीं निकल सकता, सऊदी अरब के बारे में क्या है; आप उसके बारे में क्यों नहीं कहते? इस्लाम धर्म एक अन्तर्राष्ट्रीय धर्म है। मक्का धार्मिक स्थल है। हिन्दुओं द्वारा आज जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह यह है कि क्या सऊदी अरब अथवा ईरान में अल्पसंख्यकों के साथ भारत में अल्पसंख्यकों के साथ किए गए व्यवहार की तुलना में क्या आधा भी वैसा व्यवहार किया जाता है। यह जागरूकता आ गई है। मैं इसके लिए उत्तरदायी हूं। परन्तु यह तर्क देना मेरे लिए कठिन मालूम होता है। वह कहते हैं कि यदि मुस्लिम देशों में मुहर्रम का जलूस निकालने पर हिन्दुओं को आपत्ति है, क्या कोई सुनेगा? यही एक देश है जहां हिन्दू मिलकर रहते हैं। शिव जयन्ती जलूस क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्या किसी स्थान पर मुहर्रम समारोह को हिन्दुओं द्वारा यह कहकर कि उन्हें डराया-धमकाया जाता है और वह असुरक्षित हैं बन्द किया जा सकता है? इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। मैं पूर्णतः साम्प्रदायिक मेल-मिलाप के लिए तैयार हूं। मैं इसके लिए लड़ाई कर रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जब भी दंगे-फसाद होते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूं। मैंने चिल्ला कैम्प में ठहरने की पेशकश की। उन्होंने इसकी प्रशंसा की तथा कुछ परिवर्तन आए। परन्तु मैं दृष्टिकोणों की दृढ़ता देख रहा हूं और मैं अनुभव करता हूं कि मुझे यह बात सदन के ध्यान में अवश्य लानी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : भारतीय संविधान में पूजा करने की स्वतन्त्रता है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : मैं इससे सहमत हूं। परन्तु हिन्दू कहते हैं कि केवल भारत में ही ऐसा होता है। मान लो, भारत मुस्लिम बाहुल्य वाला देश बन जाए, तो भी क्या पूजा की स्वतन्त्रा प्रदान की जाएगी ? पाकिस्तान और बंगलादेश में क्या हो रहा है ? बंगलादेश में 15 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू थी और आज हिन्दुओं की जनसंख्या मुश्किल से 5 प्रतिशत है। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। (व्यवधान) सामान्य लोगों द्वारा दिए गए तर्क ही मैं केवल आपको बता रहा हूं। यदि मैं इसे स्पष्ट नहीं करता तो हिंदू समुदाय का मेरे प्रति विश्वास खतम हो जाएगा। मैं मुसलमानों का पक्ष नहीं ले सकता, मैं यह आपको कह सकता हूं। यह तर्क यहां दिए गए हैं। मैं इस तर्क का समर्थन नहीं करता। परन्तु मैं केवल यह कह रहा हूं कि ऐसा यहां हो रहा है। क्योंकि मैं हिन्दू हूं और हिन्दुओं के बीच रहता हूं, इसलिए हिन्दू लोग मुझे यह बताते हैं।

कुछ लोगों ने यह इंगित किया कि जहां मुसलमान अमीर हो रहे हैं वहां दंगे-फसाद हो रहे हैं। यह सच है। इससे शान्ति भंग हो रही है। आप मद्रास से हैं। क्या वहां लोग यह नहीं कहते कि इनको बाहर से धन प्राप्त होता है, भूमि की कीमतें बढ़ रही हैं, और यह सभी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ? ये बातें बहुत से लोगों को प्रभावित करती हैं। इसने इस देश के भूगोल को बदल दिया है। मेरी पत्नी पारसी धर्म से सम्बन्धित हैं। वह बहुत अल्पसंख्यक धर्म से सम्बन्धित हैं। मेरे घर के नजदीक टूटी-फूटी मसजिद थी। अब वह बिल्कुल नई बन गई है। उन्होंने बहुत शक्तिशाली माइक लगाया है और दिन में पांच बार नमाज पढ़ी जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि खुले आम इसका प्रसारण होता है। अतः मैं कहता हूं कि यह सब आवेश उत्पन्न करते हैं तथा इनको समाप्त करना होगा। यदि आपको नमाज पढ़नी है, तो वह कहते हैं कि वह मस्जिद के अन्दर क्यों नहीं पढ़ी जा सकती, उसका माइक पर प्रसारण क्यों जरूरी है. प्रातःकाल चार बजे वह हमारी नींद क्यों खराब करते हैं ? वह कह सकते हैं, कि हनुमान मन्दिर में भी घन्टियां बजती हैं। यह तर्कसंगत है, तर्कसंगत ढंग से मैं कह सकता हूं, परन्तु यह प्रश्न उठाये जा रहे हैं और उनका उत्तर देना आवश्यक है। अतः मैं कहूंगा कि आज हिन्दू-मुसलिम समुदायों के बीच सम्बन्धों के टूटने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस देश के हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच गम्भीर बातचीत होनी चाहिए जहां स्पस्ट समझबूझ द्वारा तालमेल स्थापित की जाए। दोनों समुदायों के प्रबुद्ध लोग इकट्ठे बैठकर स्पस्ट रूप से बातचीत करें। अब पुलिस की कितनी भी संख्या इन साम्प्रदायिक दंगों को रोक नहीं सकती क्योंकि पुलिस भ्रष्ट हो गई है, प्रशासन भी भ्रष्ट है। यह हो सकता है कि उनके समक्ष हिन्दू कहें कि हम उदार हैं, हम सब आपके साथ हैं, परन्तु मैं जानता हूं कि जब हिन्दू अपने समुदाय में लोगो से मिलते हैं, तब वह क्या कहते हैं। उदार हिन्दुओं ने यह कहना शुरू किया कि सारे देश पर इसका प्रभाव है। यही समय है जब हमें बैठकर इसे सुलझाना है। साम्प्रदायिक दंगों को रोकने का यही एक रास्ता है। मैं सरकार को दोष नहीं देता, मैं श्री बनातवाला को दोष नहीं देता, मैं ठाकरे को दोष नहीं देता। यह ऐतिहासिक स्थिति है जो आज बन गई है और यही बात है जिसको हमें दक्षता से ठीक करना है।

**श्री उत्तम राठौर** (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परेशान हो गया हूं, साढ़े तीन, चार

साल हो गये, जब कौमुनल रायट्स के बारे में इस हाउस में चर्चा हुई, अमूमन यह देखा गया कि अपोजिशन वालों ने सरकार को पीटने का एक बड़ा अच्छा मौका पाया। हम लोगो ने भी यह मौका बेलछी के वक्त नहीं छोड़ा। हमने भी यही किया जो नारायणपुर के वक्त उन लोगों ने किया।

देश की आजादी के पहले झगड़े-फसादात होते थे। वह इसलिए होते थे क्योंकि करवाये जाते थे और कोई सत्ता थी, जो यहां से जाना नहीं चाहती थी। वह डराना चाहती थी, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो इस देश के दो टुकड़े हो जायेंगे। उस वक्त जो भी नेशनलिस्ट थे, उसको रोकने की कोशिश करते थे। आजादी के बाद यह चित्र बदल गया है।

न जाने हम सबको क्या हो गया है कि हमने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया है। आज भी वही नाम दिया जा रहा है, वही नामनक्लेचर इस्तेमाल किया जा रहा है कि हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े हो रहे हैं। जब हमने सैकुलरिज्म एक्सैप्ट किया, जब हमने यह किया कि हम किसी एक मजहब को मानते नहीं, तब फिर हमको धार्मिक दंगा कहने का क्या अधिकार रहता है। यह सीधी चोट हमारी राष्ट्रीयता पर होती है। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि यह चोट हिन्दू और मुसलमानों के बीच में नहीं है, यह चोट हमारे देश के विरुद्ध है, उस दिन मुमकिन है कि अटल जी भी उसी जोश से मागेंगे जिस जोश से सेठ साहब ने भागने का अभी फरमाया।

जब हिन्दू, मुसलमानों में झगड़ा होता है तो तीसरी माइनौरिटी दूर से देखती है। सेठ साहब ने कहा कि भिवंडी में बहुत कुछ हुआ। मुझे उसके लिये शर्म है कि इतने बड़े कौस्मोपोलिटन शहर के इस तरह की वारदात कैसे हुई? लेकिन मुझे बुरा लगा कि सेठ साहब वह वाक्या भूल गये केरल का, जहां पर चर्च के बहाने हिन्दू और क्रिश्चियनों में झगड़ा होने का इमकान पैदा हो गया था। काश, वह उसका भी यहां जिक्र करते तो मुझे फख्र होता कि हम सही-सही सिटीजन हैं।

हर साल दंगे फसादात बढ़ते जा रहे हैं, राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही बढ़ती जा रही हैं। 400, साढ़े 400 तक उनका आंकड़ा पहुंच गया है और मरने वालों का आंकड़ा भी 3 हजार के ऊपर निकल गया है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है।

विदेशी ताकतों को आप बदनाम कर सकते हैं। विदेशी ताकत यहां से जब गई है तो वह आपको सुख की नींद सोने के लिए नहीं छोड़कर गई है। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, कइयों ने अशफाक उल्ला का नाम लिया और दूसरों के नाम भी लिये। हैदराबाद का जिक्र करने से पहले मैं काश्मीर का जिक्र करूंगा कि काश्मीर जब हिन्दुस्तान में शामिल हुआ तो काश्मीर पर उस वक्त पाकिस्तान ने हमला किया और कबायलियों ने हमला किया, हिन्दू और मुसलमान दोनों ने मिल-

कर लड़ी। उसके बाद हैदराबाद की लड़ाई हुई और हैदराबाद की लड़ाई उस माहौल में हुई जहां पर कि निजाम था और एक ऐसी पार्टी थी जो यह चाहती थी कि वहां उन्हीं का राज रहे ताकि एक फिरका वहां राज करता रहे। उस माहौल में भी मुझे यह कहने में गर्व होता है कि ऐसे नेता उस वक्त थे जिन्होंने कम्युनल फीलिंग आने नहीं दी। होम मिनिस्टर साहब यहां मौजूद हैं, वह इस बात की तरफदारी करेंगे। बैरिस्टर अकबर अली खां अभी जिन्दा हैं, और कई ऐसे मुस्लिम थे, मिर्जा साहब भी आज जिन्दा हैं, जिन्होंने यह कोशिश की कि यह हिन्दू मुसलमान की नहीं, यह निजाम के खिलाफ लड़ाई है और उसी जद्दोजहद से, उसी ईमानदारी से वह लड़े, तभी वह कामयाब हुए और वहां ऐसा कोई कम्यूनल दंगा नहीं हुआ।

हाल ही में जो हम गोल्डेन टेम्पल में घुसे, हर कौम का फौजी वहां गया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब तक सज्जन ने कहा क्यों जाति-पांति के नाम बताए गए कि फौजी इस-इस जाति के थे? क्या जरूरत थी? क्या देश उन लोगों का नहीं है? अगर फौज में वह लोग होने का दावा करते हैं या रहना चाहते हैं तो उनको ऐसे मौके पर जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अफसोस करने की क्या जरूरत है।

तो जो भी अपने आपको हिन्दी कहलाने का दम भरता है उसको यह भूल जाना पड़ेगा। अफसोस इसी बात का है कि जिस दिन हम आजाद हुए उसी दिन में हमें 'हिन्दी' होना भूल गया। हम हिन्दुस्तानी नहीं रहे, अब तो हम हिन्दू बन गए, मुस्लिम बन गए, क्रिश्चियन बन गये, पारसी बन गए और यही सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क को है। यह फंडामेंटलिज्म यहां बढ़ रहा है और दुर्भाग्य की बात यह है कि अनजाने हम उसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चीज को रोकना चाहिए। 37 साल हो गए इस देश की आजादी के, दंगे फसादात बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आज तक इसके लिए कोई सही हल ढूंढ़ा नहीं गया। क्या वजह है? क्या यह सही नहीं है कि हमारे देश की गुरबत जो यहां मौजूद है जिसको आज तक हम खत्म नहीं कर सके यही उसकी सच्ची बुनियाद है? क्या यह सही नहीं है कि किसी एक खास कम्यूनिटी के लोगों को ही सरकारी दफ्तरों में मुलाजिमत मिलती है और बाकी लोगों को दूर फैंका जाता है जिसका जिक्र अभी जमीलुर्रहमान साहब ने किया? क्या यह सही नहीं है कि आज भी पश्मांदा कौमें जो जंगलों में पड़ी हैं वह वैसी ही हालत में पड़ी हैं? आर्टिकल 340 में जो वादा किया गया था वह आज तक पूरा नहीं किया गया? तो क्या इनके ऊपर जुल्म नहीं होते रहेंगे और जब होते रहेंगे तो लोग खामोश नहीं बैठेंगे।

अगर हम सच में चाहते हैं कि इस देश में सेक्युलरिज्म बढ़े तो हमको ईमानदारी से इसे लेटर एण्ड स्पिरिट में पूरा करना पड़ेगा। चाहे वह कोई भी पलिटिकल पार्टी हो उसको कम्युनलिज्म सेसमझौता नहीं करना होगा। जो ईमानदारी हैदराबादियों ने अपने स्ट्रगल में दिखाई वही

ईमानदारी चाहे वह जनता वाले हों चाहे कांग्रेस वाले हों उन लोग को दिखानी पड़ेगी तभी इस देश की आजादी और एकता बनी रहेगी।···(व्यवधान)···मुझे थोड़ा बोलने दीजिए क्योंकि यह शायद मेरा आखिरी भाषण हो।

कई सुझाव दिए गए हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से। उसमें यह है कि शिक्षा वगैरह ऐसी दी जाये···(व्यवधान)···मुझे बोलने दीजिए। जो धार्मिक भावनाएं उभाड़ती हैं ऐसी चीजे नहीं लिखी जानी चाहिएं। जिस देश में बहू और समधन के बारे में कुछ भी लिखकर पब्लिश किया जाता है जिसके ऊपर प्रिन्टर और लेखक का नाम नहीं होता उस देश में कुछ भी छापा जा सकता है। हम अगर ईमानदारी से इस चीज को रोकना चाहते हैं तो हर क्षेत्र में इसको रोकना पड़ेगा, तभी धार्मिक क्षेत्र में उसको रोक सकेंगे, अन्यथा नहीं रोक सकेंगे।

हमारा देश बड़ा अजीबोगरीब देश है। हमको लगा कि जब 1935 में शरद ने 'श्रीकान्त' लिखा जिसमें दिया कि जब श्रीकान्त और इन्द्रनाथ बाढ़ की नदी मे से एक लाश के सहारे तैर कर आते हैं और कर आने के बाद वह कहते हैं कि न जाने यह कम्बख्त किस जाति का है, आज भी वही चीज है। श्री देखमुख साहब ने कई साल पहले कहा था कि हमने डेमोक्रेसी ऐक्सेप्ट की है तो इसमें किसी न किसी फ्लैग या स्लोगन के पीछे लोग इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। हमारे यहां जाति पात के नाम पर होता है, अमेरिका में और किसी नाम पर होता है, केनडा में लैंग्वेज के नाम पर होता है। जिस देश ने स्वतन्त्रता का इतना बड़ा नारा लगाया, बहुत बड़ा स्टेच्यू जिसको दिया गया फ्रांस की तरफ से, उस मुक्त की तारीख है, अमरीका की दो सौ साल की हिस्ट्री में कभी कोई नीग्रो प्रेसीडेन्ट नहीं बन सका। आपको यह भी जानकर ताज्जुब होगा कि 200 साल की तारीख से सिर्फ एक रोमन कैथलिक, कैनेडी प्रेसीडेन्ट बन सके। यह एक सच्चाई है।

इसलिए ईमानदारी के साथ अगर हम इस चीज को रोकना चाहते हैं, मैं तो समझता हूं इनको दंगा फसाद नहीं कहना चाहिए, इसे देश पर हमला कहना चाहिए, तो जिस ईमानदारी के साथ आपने वायलैंटगंज और टेरोरिस्ट्स से पंजाब में डील किया उसी ईमानदारी से इसको रोकना पड़ेगा और तभी आप इसको रोक पायेंगे। सभी को आपकी इक्वैलिटी देनी होगी और कानून को सच्ची स्पिरिट में अपनाना होगा तभी इस देश में एकता रहेगी और यह देश रहेगा।

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** (श्री नगर): आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर काफी तवील बहस हुई, भिवण्डी, थाने और हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुए फसादात के बारे में काफी लोगों ने रोशनी डाली है लेकिन मैं कहूंगा बदकिस्मती से हिन्दुस्तान में दो सौ बरस पहले ब्रिटिश साम्राज्य ने जो बीज बोए थे, जिस जालसाजी और ठगी से हिंदू-मुसलमानों के बीज में दरार पैदा की थी, जिस तरह से वहां के इतिहास को बदलने की कोशिश की थी और जिस तरीके से हिन्दू-मुसलमानों को एक दूसरे से अलग कर दिया था वह इसलिए कि उनकी पालिसी थी,

उनका जोर इसी बात पर था कि वे हिन्दुस्तान पर राज करना चाहते थे। इसके साथ-साथ यह भी बडी बदकिस्मती की बात है कि इस देश में दो सौ साल तक अंग्रेजों ने जो कुछ किया, जो तबाही फैलाई, जो दिमाग बिगाड़ दिए, जो हिन्दू कल्चर और मुस्लिम कल्चर को दूसरे से टकरा कर हिन्दुस्तान के सारे इतिहास को तबाह वह बर्बाद कर दिया उसका मुकाबला हम पिछले 37 सालों में उसी ताकत और शिद्दत के साथ और सूझबूझ के साथ नहीं कर सके। दो सौ वर्षों में जो साजिशें इस देश में हुईं अंग्रेजों की तरह से उसका मुकाबला हम हौसले के साथ, ताकत, खुलूस और दयानतदारी के साथ नहीं कर सके। ... यही वजह है कि आज हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहर बर्बाद हो रहे हैं। कुली अली शाह का शहर हैदराबाद जो कि तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रहा है वह आज जल रहा है, वहां पर बहुत सारे आदमी कत्ल हुए हैं। बम्बई जैसा कास्मोपोलिटन शहर जो हिन्दुस्तान की जदीदत और कल्चर की नुमाइन्दगी करता है बर्बाद हो रहा है, उसके करीब के कस्बे जल रहे हैं। थाने, भिवण्डी और बाकी शहर जल रहे हैं। कभी अहमदाबाद, कभी जुनूब में बंगलौर और न मालूम कहां-कहां यह सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में आज वह लीडरशिप नहीं है जो महात्मा गांधी की लीडरशिप थी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद की लीडरशिप थी। आज वह दिल व जिगर नहीं हैं और न वह हिम्मत ही है कि इस जहानीयत का मुकाबला कर सकें। आज इस मुल्क को फिर गाँधी या उनकी राह पर चलने वाले लोग पैदा करने होंगे। या के पासादात में महात्मा गांधी ने नोआखाली और बिहार में जाकर जिस हिम्मत से लोगों को समझाया बुझाया उसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी जबकि उनके सीने पर गोली लगी। इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी। मैं आज इसका दोष सिर्फ रूलिंग पार्टी को ही नहीं दूंगा, अपोजीशन को भी दूंगा कि हमने इस किस्म की लीडरशिप इस मुल्क में पैदा नहीं की।

आज भी हिन्दुस्तान में लोगों के दिमाग में बहुत गहराई से यह छाप पड़ी है कि मुसलमानों ने हिन्दुस्तान के दो टुकड़े करा दिए। जो पाकिस्तान बना उसमें हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने साथ दिया, मुसलमानों ने अलग मुल्क बनाया—इस चीज को लेकर आज भी तगनजरी को बढ़ावा मिल रहा है। वे लोग जो इससे फायदा उठाकर अपने सियासी अगराज पूरे करना चाहते हैं उन्होंने दोनों फिरकों के दरम्यान दरार पैदा कर दी है। लड़ने की एक वजह यह भी है कि एक मुसलसल प्रोपेगैंडा है, मुसलमानों से कहा जा रहा है कि इस मुल्क से चले जाओ, पाकिस्तान बना हुआ है, इस मुल्क में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूं कि बदकिस्मती से मुसलमानों के पास आज लीडरशिप नहीं है। आज मौलाना आजाद, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, रफी अहमद किदवई, और हकीम अजमल खान जैसे रहनुमा नहीं है। लीडरशिप न होने की वजह से आम लोग गलतफहमी में मुबतला है कि तकसी में हिन्द के जरदार मुसलमान रहनुमा हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग का प्रचार किया और पाकिस्तान बना दिया। लेकिन हिन्दुस्ताद के लोग भूल बैठे हैं कि यहाँ मौलाना आजाद भी थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और हकीम अजमल खान भी और रफी अहमद किदवई भी थे, जिन्होंने

डटकर चीज उसका मुकाबला किया। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको आज भी अपने मुल्क में आराम नसीब नहीं है। कल के ही अखबार में है कि उनको चैकोस्लोवाकिया इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। बुढ़ापे की जिन्दगी में उनको अपने वतन का सुख नसीब नहीं है। इसके बारे में मौलाना आजाद ने अपनी किताब "इंडिया विन्स फ्रिडम' में लिया कि मुझे बेड़ियों में डाल दिया गया। हिन्दुस्तान के इतिहास का एक यह भी हिस्सा रहा है। जब जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अक्सीरियत इलाके ने शेख अब्दुल्ला की रहनुमाई में यह फैसला किया कि हमें हिन्दुस्तान के साथ रहना है तो जम्मू कश्मीर के मुसलमान रजा कारानां तौर आगे बढ़े और उन्होंने मिलिट्री ट्रैनिंग ली। उस वक्त हिन्दुस्तान की फौज वहाँ पर नहीं थी। मौ० मकबूल शेरवानी जैसे लोगों ने पाकिस्तान का मुकाबला करते हुए अपनी जान की आहूति दी। यह इतिहास का हिस्सा है जो लोग यह भूल रहे हैं। लाजमी तौर पर हमें मुल्क के लोगों को याद कराना है, तब मुल्क का फायदा होगा। इस चीज का मुकाबला भी किया जा सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आनरेबिल होम मिनिस्टर से जम्मू काश्मीर के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। जम्मू काश्मीर में मुसलमानों की अक्सीरियत है। 1947 से आज तक 1984 तक चाहे कोई भी हकुमत बनी, बख्शी गुलाम मौहम्मद की, कासिम साहब की, अभी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की थी और बाद में डा० फारुख की, लेकिन यह दोष नहीं दे सकते हैं कि उस मुस्लिम मैंजोरिटी स्टेट में कभी भी हिन्दू या किया और आदमी का खून बहाया गया हो। यह भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। जिस शिद्दत, ताकत और कुवत के साथ मुस्लिम अक्सीरियत ने हिन्दू अक्लियत की जान व माल की रक्षा की है। जिस जुराहत से उन्होंने अपनी जान व माल की रक्षा की है, उसी जुराहत के साथ हिन्दू के जान व माल की भी रक्षा की है। इसका सबूत भी दिया है। कितनी ही वारदातें हुईं, 1964 में दरगाह हजरत वल से मुवे मुबारक की गुमशुदगी के दौरान बंगलादेश में आग लगी, कलकत्ता में आग लगी, लेकिन काश्मीर में एक पत्ता भी नहीं हिला। जुलूस निकाले गए, जबरदस्त इन्कलाब बरपा हुआ, लेकिन किसी हिन्दू को कत्ल नहीं किया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क को, अगर एक छोटी सी रियासत जम्मू-काश्मीर में मुसलमान ने अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली है और दिखा रहे हैं कि शक्ति, शिद्दत के साथ उस सैक्यूलरिज्म की हिफांजत की जायगी और अपने जो कमजोर लोग इसकी ओर हैं, अक्लियत की जान व माल की हिफाजत की जाएगी। उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी कबूल कर ली है, तो क्या वजह है कि हिन्दुस्तान की हिन्दू अक्सिरीयत जिम्मेदारी कबूल नहीं करती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि हिन्दू अक्सीरियत सारी की सारी मुस्लिम क्रुरा या अक्लियत की दुश्मन है। मैं समझता हूं कि अगर आइडियोलोजिकली और पोलिटिकली बात की जाएगी तो यह उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। आज जब हम श्रीलंका को देखते हैं तो जाफना में तमिल अक्लियत को तबाह किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कि जाफना में तमिल अकसरीमत में है तब भी हम दोष करार नहीं देते। श्रीलंका को हम कहते हैं श्रीलंका का इसमें दोष है। टोटल कान्टैक्स में देखा जाए तो सिंहलीज ताकत भी बड़ी है। सिन्हैलिज का सारी रियासत पर ऊपर-हैण्ड है। यही

पाकिस्तान की हालत होगी या बंगला देश की अकसरीयत के बारे में कहा जाएगा, तो फिर हिन्दुस्तान में अपोजीशन और रूलिंग पार्टी का फर्ज नहीं बनता है कि चूंकि मुल्क में हिन्दू मैजोरिटी है, उनको देखना है कि अकलीयत की हिफाजत हर कीमत पर होती है ।

**9.00 म० प०**

मैं आनरेबिल डिप्टी स्पीकर साहब यह कहना चाहता हूं—इस मुल्क की एक बड़ी बदकिस्मती यह हुई कि कन्वशेन के नाम से बड़ा नुकसान हुआ । अब फिरकापरस्ती दक्षिणी भारत पहुंच गया है, जहाँ आज तक कोई फिसाद नहीं हुआ, 1947 में भी नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं हुआ केरल, तमिलनाडू और कर्नाटक में कभी खून नहीं बहा, वहां कभी हिन्दू-मुसलमानों में झड़प नहीं हुई । लेकिन इधर जो कुछ हुआ है मुझे उसमें एक बात नजर आ रही है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ कुछ कन्वर्जन हरिजनों का हुआ, जिन्होंने अपने मजहब को तबदील किया, और मुसलमान हो गये । इसमें मुसलमानों का दोष नहीं है। दोष अगर है तो हिन्दू सोसायटी का अपना है । उनके यहां जो कास्टिज्म है उस मसले को हल करें । जब इन लोगों ने कोई हल नहीं देखा तो हरिजन और जो दूसरी कौमें हैं उन्होंने सोचा कि इस्लाम में ब्रदर-हुड है उसमें उनको इस कास्टिज्म से निजात मिल सकती है, इसीलिए वे उस तरफ रागिब हुए । अगर वाकई हिन्दू-सोसायटी को अपनी कम्यूनिटी को जिन्दा रखना है, अगर वह समझते हैं कि हिन्दू-सोसायटी को बचाना है, इन लोगों को मुसलमान नही होने देना है, तो उन्हें इस फर्क को दूर करना चाहिए । कांस्टीचूशन इस बात के लिए नहीं रोकता है, कोई मुसलमान हिन्दू बन सकता है, और हिन्दू मुसलमान बन सकता है—इसकी कोई रुकावट नहीं है । लेकिन अगर वाकई हिन्दू समाज के प्रचारक यह समझते हैं कि हिन्दू-सोसायटी को बचाना है तो हिन्दू-धर्म में, कास्टिज्म, को खत्म करें और हरिजनों के साथ जो कत्लो-गारत गिरी रही है उसको रोकें, उनको बचायें, उनको बराबर के हुकूक दे ।

आपकी पुलिस के बारे में बहुत शिकायत है । यह आवाज सिर्फ अपोजीशन ही नहीं उठा रही, बल्कि आपकी अपनी पार्टी की तरफ से भी यह आवाज उठाई जा रही है । इस मुल्क को हमने ऐसी पुलिस नहीं दी जो इन्सान होने के नाते इन्सानों जैसा बर्ताव करे । एक क्रिमनल-वायरस हमारी पुलिस में आ गया है, पैरा-मिलिट्री कोर्सेज में आ गया है । मुरादाबाद, मेरठ, भिवांडी में जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार पुलिस है । उसके लिए आपने इस मुल्क में बड़े वायदे किये, प्राइम मिनिस्टर का बयान रिकार्ड पर है कि 'राएट-पुलिस' बनायेंगे और ऐसी सूरत निकालेंगे जिसमें माइनारिटीज की तर्जुमानी हो, हरिजन जो पिछड़े हुए हैं, मारे जा रहे हैं, उनको भी नुमाइन्दगी हो, लेकिन वह पुलिस फोर्स आज तक नहीं बनी । मुझे मालूम नहीं आपने इस सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही की है, क्या रास्ता ढूढ़ा है ?

इस मुल्क में जो हिस्ट्री टैक्सट बुक्स हैं वे बहुत जहर उगल रही हैं । गुजिश्ता साल में

आनरेबिल स्पीकर की नोटिस में लाया था कि महाराष्ट्र के० पी० यू० सी० सलेबस में हिस्ट्री आफ सिविलजेशन की किताब रखी गई है उसमें प्राफिट मुहम्मद साहब और सली उल्लाह अलिया ओ मलहम साहिबा के बारे में कहा गया कि वह लुटेरों की जमायत थी ।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : मैं एक बात वाजा करना चाहता हूं । मैं वसंत दादा पाटिल की हिमायत के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं । हमारे प्वाइन्ट्स तो सेट साहब रख चुके हैं, लेकिन यह बात जिस वक्त हमने चीफ मिनिस्टर वसंत दादा पाटिल के सामने रखी, उन्होंने फौरन आर्डर किया और वह चैप्टर निकाल दिया गया । इन्साफ के लिए हमने यह बात कही है, चूंकि आप काश्मीर से आये हैं, मुमकिन है आपको इस वात का पता न हो, इसलिए मैंने फार-दि-सेक-आफ-रिकार्ड यह बात कही है ।

**श्री अब्दुल रशीद काबुली** : आपने तो एक किताब की तरफ इशारा किया है जिसमें से वह चैप्टर निकाल दिया गया है । लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की हर स्टेट में ऐसी टैक्स्ट बुक्स मिलेंगी । आपको इस पर एन्कवायरी कमीशन बैठाना पड़ेगा और नये सिरे से किताबों को देखना पड़ेगा, जिनमें मुसलमान को बदतरीन दुश्मन, उसकी तहजीब को हमलावर और उसके देश को अरब बतलाया गया है । इस किस्म की किताबों ने एक बहुत जहरीली फिजा पैदा की है । इस तरह के चैप्टर्स को उन किताबों से निकालना होगा और जो उनके आथर्स हैं उन के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी—यह सरकार का फर्ज है । प्युनिटिव टैक्स के लिए भी आपने वायदा किया हुआ है । इसके लिए फौरी तौर पर सरकार कार्यवाही करे । फैसले भी फौरन होने चाहिए वरना कातिल छूट जाते हैं । इसके लिए खसूसी कायम होनी चाहिए । जो तबका मुल्क को तबाह कर रहा है, उससे निपटनें के लिए इस हाउस की और सरकार की जिम्मेदारी है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जी

**डा० वी० कुलनदईवेलु** (चिदम्बरम) : सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों को अपस्त दिया जा रहा है । परन्तु आपने डी० एम० के० दल की ओर उचित ध्यान नहीं दिया । आपने हमें हमारा उचित हिस्सा नहीं दिया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपके दल के नेता पहले ही बोल चुके हैं । अब यहां भी, इस दल की ओर से, दो माननीय सदस्य बोलने के अवसर की मांग कर रहे हैं । परन्तु मैंने मंत्री जी को बुलाया है । यहां कुछ अनुशासन अवश्य होना चाहिए । अब मैं मंत्री जी से उत्तर देने के लिए कहूंगा । अब 9 बज चुके हैं ।

**गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 22 सदस्यों ने इस

वाद-विवाद में हिस्सा लिया और मैं उनके योगदान के लिए आभारी हूं। महोदय, मेरे विचार से यह एक ऐसा मामला है जो दलगत मतभेदों से ऊपर है। तथापि दोनों पक्षों द्वारा दलगत आधार पर आलोचक इस वाद-विवाद की विशेषता रही है। परन्तु यदि हम इसे तथा कुछ एक भाषणों में निहित मेरे विचार से अच्छे उद्देश्य से परिपूर्ण भावुकताओं को छोड़ दें तो एक बार फिर यही सर्वसम्मति सामने आती है कि हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सब प्रकार की साम्प्रदायिकता पर रोक लगाने के लिए सरकार को अपने समस्त अधिकारों का तथा लोगों को अपने पूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहिए।

महोदय, मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं है कि इस बात के बावजूद कि न केवल इस बहस के दौरान अपितु पहले भी कई बार भाषणों में हमने केन्द्रीय सरकार के कर्त्तव्यों की वास्तव में उपेक्षा की है क्योंकि जब भी कानून और व्यवस्था का प्रश्न सामने आता है संविधान कहता है कि यह राज्य का विषय है। साम्प्रदायिकता की बुराइयों पर और साम्प्रदायिक दंगों पर या किसी भी प्रकार के दंगों पर या किसी भी प्रकार के कानून और व्यवस्था के प्रश्न पर लम्बे चौड़े भाषणों का कोई उपयोग नहीं है क्योंकि यह एक कटु सत्य है। यहां मेरा किसी और पर दोषारोपण करने का उद्देश्य नहीं है। मैंने दोष किसी और पर नहीं लगाया है। संविधान में सुस्पष्ट वर्णन किया गया है और हमारा या राज्य सरकारों का चाहे कुछ भी आशय क्यों न हो हमें उस पर अमल करना है। और जब यह पूछा गया कि केन्द्रीय सरकार के किसी मन्त्री ने किसी राज्य विशेष का दौरा क्यों किया, यह भी पूछा गया कि किसी दूसरे राज्य में कुछ घटनाएं घटित हों पर केन्द्र सरकार ने क्या किया। मैं इन दोनों प्रश्नों के बीच के अन्तर्विरोध को भलीभान्ति समझता हूं। इन दोनों प्रश्नों का एक साथ उत्तर दे पाना बहुत कठिन है।

अतः हमें पहले शुरूआत इस एक प्रकार की कठिनाई के साथ करनी है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से केवल अनुरोध कर सकती है, राज्यों पर थोड़ा-सा दबाव डाल सकती है, राज्य सरकारों को इस बात की याद दिला सकती है, उनको बैठक में समझाने का प्रयास कर सकती है, चाहे वह राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक हो या किसी अन्य मौके पर बुलाई गई बैठक। परन्तु इससे आगे केन्द्र सरकार की कार्यकारी क्षमता समाप्त हो जाती है और इसलिए यह अन्तर्निहित कठिनाई है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि किसी राज्य में किस दल का शासन है और केन्द्र में किस दल का शासन है। मैं केवल उन सांवैधानिक सीमाओं का उल्लेख कर रहा हूं जिन्हें मानना आवश्यक है और जिनके सीमा क्षेत्र के भीतर हमारे मत, हमारे विचार और हमारी आलोचनाएं होनी चाहिए।

पूर्ण विवरणों (अभिलेखों) से मुझे यह पता चला कि राष्ट्रीय एकता परिषद् या इसी प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की सभाओं के निर्णयों और सुझावों को केन्द्रीय सरकार ने गम्भीरता से लिया है और हमने कोई ढील या विलम्ब नहीं किया है। मुझे यह पता चला कि राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को एक के बाद एक पत्र लिखे गए। कुछ ने उत्तर दिए और कुछ ने हमारे सुझावों पर

कार्यवाही की है। कुछ मुख्य मन्त्री अभी भी उन सुझावों पर विचार कर रहे हैं। किसी ने भी सुझावों का विरोध नहीं किया है और किसी ने भी यह नहीं कहा कि वह सुझावों को कार्यान्वित नहीं करेगा। राज्य सरकारों से कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।

अब मैं सदन के सामने अपने कथन के उदारहणस्वरूप कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा। मैं अधिक विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। जिस दिन मैंने गृह मन्त्री का कार्यभार सम्भाला, उसी दिन अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता गृह मन्त्री द्वारा की जाती है। प्रसंगवश, गृह मन्त्री के रूप में मेरे द्वारा अध्यक्षता की गई यह पहली बैठक थी। इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैंने गृह मन्त्री पद भार सम्भाला उसी दिन मैंने इस बैठक में भाग लिया।

हमने इन प्रश्नों पर विचार किया : पाठ्य पुस्तकों में संशोधन, पैगम्बर मोहम्मद, ईसा मसीह और अन्य श्रद्धेय व्यक्तियों के विषय में आपत्तिजनक संदर्भों को निकालना। यह एक बार की बात नहीं है। मुझे 1968 अथवा 1969 की बात याद है जब मैं आन्ध्र प्रदेश में शिक्षा मन्त्री था। लेखक या प्रकाशक की अज्ञानतावश पांचवी कक्षा की समाजविज्ञान या किसी ऐसे अन्य विषय की पाठ्यपुस्तक में पैगम्बर मोहम्मद का कथित एक चित्र प्रकाशित हुआ। उन्होंने सभी के चित्र प्रकाशित किए। उनमें कोई समानता नहीं थी। उस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा था, जो कुछ भी प्रकाशित था उसको सच मानना अनावश्यक था। अगर उन्होंने लिखा कि यह कृष्ण हैं तो वह कृष्ण थे, यदि राम लिखा तो वह राम थे, और अगर शिवाजी लिखा, तो वह शिवाजी ही थे। तो इस प्रकार उसने पैगम्बर मुहम्मद का भी चित्र प्रकाशित कर दिया। मैं पांचवीं कक्षा का छात्र नहीं था इसलिए मैं उस चित्र को नहीं देख सका। जिस किसी व्यक्ति ने यह बात मेरे ध्यान में लाई उसने बताया कि यह आपत्तिजनक था और ऐसा नहीं किया जा सकता। हमें सारी पुस्तकों को बाजार से वापिस लेने में 24 घन्टे से अधिक समय नहीं लगा। प्रसंगवश, यह पुस्तक सरकार के पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय द्वारा नहीं छापी गई थी। यह पुस्तक एक गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा लिखित (रचित) गैर सरकारी प्रकाशन था। चौबीस घन्टे के अन्दर पुस्तक की समस्त प्रतियां बाजार में मिलनी बन्द हो गईं परन्तु हमने लेखक या प्रकाशक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि इस मामले में सब कुछ अज्ञानतावश हुआ। परन्तु इसके पश्चात् इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।

अत: इस देश में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं रही है चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक या कोई भी समुदाय हो और आवश्यक होने पर तत्काल कार्यवाही की गई है। अब तक का ऐसा रिकार्ड रहा है।

मैं किसी भी माननीय अदस्य से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने किसी भी समय किसी

पाठ्यपुस्तक या पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के सम्बन्ध में उदासीनता देखी है। अतः स्पष्ट है कि इस विषय में समय-समय पर तुरन्त कार्रवाई की गई है।

दूसरा विषय दंगों के दौरान समाचार पत्रों की अफवाहों आदि के लिए जांच तथा ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में भिवंडी की घटनाओं का उल्लेख किया है तथा बताया है कि किस प्रकार समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ लेखों ने आग में घी डालने का काम किया। यहां इस मामले में भी राज्य सरकार द्वारा कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर मेरा अनुभव कुछ विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों का है जो साम्प्रदायिक दंगों के कलंक से मुक्त थे। इन आन्दोलनों के दौरान मेरा यह अनुभव रहा कि जब भी कोई व्यक्ति आन्दोलन की आग भड़काना चाहता है वह कोई ऐसा विषय प्रकाशन के लिए लाता है जिसमें प्रकाशक अथवा सम्पादक का नाम नहीं होता है क्योंकि कोई भी पाठक सामान्यतः स्वयं इससे सन्तुष्ट नहीं होता है कि प्रकाशक सम्पादक अथवा प्रेस का नाम पुस्तक के अन्त में लिखा होता है अथवा नहीं। क्षति तब होती है जब सामान्यतः बहुत बड़ी हैड लाइनें दी जाती हैं और जब यह हैड लाइनें पढ़ी जाती हैं तो पूरे समाचार में क्या लिखा है इसे जाने बिना ही दंगे शुरू हो जाते हैं। वास्तव में, कई बार, मैंने ऐसा देखा है कि समाचारों के साथ मुख्य शीर्ष का कोई सम्बन्ध नहीं होता। जब आप पूरा समाचार पढ़ते हैं तो शीर्षक को पढ़कर प्राप्त छवि (विचार) बिल्कुल अगल होती है। किसी हद तक समाचार पत्र कभी-कभी पथभ्रष्ट कर सकते हैं। फिर यह भी राज्य सरकार के हाथ में है। कुछ राज्य सरकारें तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर रही हैं और कुछ राज्य सरकारें तत्परता से कार्यवाही नहीं कर रही हैं। अतः हम केवल उन्हें समझा जा सकते हैं। हम उन्हें समझा रहे हैं कि जब कभी इस प्रकार की घटना हो उन्हें शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे एक प्रत्यक्ष मामले के बारे में याद है जहां आन्दोलन के दौरान मुख्य शीर्षक में बताया गया कि इन इन स्थानों पर गोली चली तथा पांच व्यक्ति मारे गए। मैं किसी बढ़ा चढ़ा कर बात किए बिना कह सकता हूं कि उस एक विशेष मुख्य शीर्षक के कारण, जो कि पूर्णतः गलत था, वह आन्दोलन अगले आठ मास तक चलता रहा। अब यह आन्दोलन लगभग समाप्त हो गया है। परन्तु उस मुख्य शीर्षक के दावपेंच द्वारा आन्दोलन का दीर्घ अवधि तक जारी रहा तथा और अधिक लोगों को आन्दोलनकारी बनाया।

अतः इन बातों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकारें, जितना सहयोग दे सकती हैं, देती हैं। उन पर कोई दबाव हो सकता है—हम नहीं जानते—जैसे कि हम सब पर दबाव है परन्तु हमें इससे मुक्त होना है तथा देखना है कि सभी कार्य ठीक प्रकार से हों।

अगला प्रश्न यह है कि उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति के लिए

अभिहित प्रीमियम प्रदान करने के लिए उपद्रव बीमा योजना होनी चाहिए। समिति द्वारा किए गए निर्णयों में यह एक निर्णय है। हमने वित्त मन्त्रालय के बीमा नियन्त्रक को इसकी जांच करके अपनी टिप्पणी देने के लिए लिखा है और हम उसके अनुसार आगे कार्यवाही करेंगे।

इस स्थिति में मैं एक बात कहना चाहूंगा। अटल जी ने कहा है कि देश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां दंगे बार-बार हो रहे हैं। मुझे पता लगा है कि ऐसे स्थान बहुत नहीं हैं। स्थान को स्थान के रूप में लेते हुए, शहर को शहर के रूप में और नगर को नगर के रूप में लेते हुए ऐसे बहुत स्थान नहीं है। ये दो या तीन या चार हो सकते हैं। सौभाग्य से इनको आप ऊंगली पर गिन सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये दंगे नये क्षेत्रों में फैल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ वर्षों से हैदरबाद में साम्प्रदायिक तनाव बना हुआ है। परन्तु मैंने कभी नहीं सुना कि करीम नगर और नालगोंडा में कभी किसी प्रकार का साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ हो। लेकिन अब मुझे पता चला है कि इन दोनों स्थानों में तनाव है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये दोनों जिला मुख्यालय पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष तथा गैर-साम्प्रदायिक है इनमें साम्प्रदायिकता की झलक कभी नहीं रही है। तथापि प्रथम बार इन दोनों स्थानों को दंगों से प्रभावित पाया है। लेकिन आप तत्काल ही करीमगंज को दंगाग्रस्त क्षेत्र में शामिल नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक बार गलती हुई हो लेकिन इसके कारण किसी जिला या जिला मुख्यालय को दंगा ग्रस्त क्षेत्र का नाम नहीं दिया जा सकता। किसी क्षेत्र को दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के अपने परिणाम होते हैं।

यदभावम्तद भवति

इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिस क्षेत्र को आप जैसा नाम देना चाहते हैं वह वैसा बन जाता है। इस प्रकार के नाम को बड़े ध्यानपूर्वक दिया जाना चाहिए और दुर्भाग्य से जहां हमने इन क्षेत्रों का पता लगाया है उसके बारे में प्रधानमन्त्री और राष्ट्रीय एकता परिषद ने तथा केन्द्र सरकार ने भी अपने भेजे गए अनुरोध और सुझावों में यही कहा है कि वहां अधिकारियों की नियुक्ति में विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन किसी के लिए यह बताना कठिन है कि एक विशेष समय पर किसी विशेष जिले को ऐसा कलेक्टर या एस० पी० दिया गया हो। लेकिन हम आशा करते हैं कि सामान्य तौर पर इन मार्ग निदेशों को ध्यान में रखा जाता है। दंगाग्रस्त क्षेत्र होने के कारण ही नहीं अपितु कुछ क्षेत्र अशांतिग्रस्त होने के कारण, जो जरूरी नहीं है कि साम्प्रदायिक दंगों के कारण हो—उन्हें राज्य स्तर पर इन मार्ग निदेशों को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कुछ, ऐसे क्षेत्र हों, जहां अधिवासी जनसंख्या के अधिकांश लोग जो उस स्थान से सम्बन्धित न हो किसी एक या अन्य कारण से एकत्रित हो जाते हैं या किसी उद्योग में लगे होने के कारण हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनका उस समाज से कोई सम्बन्ध नहीं होता है और यदि समाज के इन सदस्यों में मनमुटाव है तो इसके अपराध दर में निश्चय ही बढ़ोतरी होती है। अत: हम पुलिस के अधीक्षक और अन्य व्यक्तियों को जो कुछ ज्यादा कठोर होते हैं और स्थिति का

सामना अच्छी तरह कर सकते हैं, की नियुक्ति करते हैं। अतः यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसे जिलों, क्षेत्रों के बारे में हमने राज्य सरकारों से विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। और हमें विश्वास है कि वे ऐसा कर रहे हैं। यद्यपि मेरे लिए यह कहना सम्भव नहीं है कि किसी विशेष समय में किसी जिले या राज्य में बहुत सावधानी से यह कार्य किया गया हो। यह भी सत्य है कि बहुत अच्छे और व्यंग्य अधिकारी के बावजूद भी उस राज्य में दंगे फिर से शुरू हो सकते हैं और यदि ये दंगें शुरू हो जाते हैं तो आप उस अधिकारी को दोषी नहीं ठहरा सकते। अतः यह एक ऐसा मामला है जिसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए और जिसे राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। हम केवल दूसरे तरीकों से या स्वयं राज्य सरकारों से इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्या किसी विशेष मामले में इस विषय पर कोई भूज हो गई है। इस पर कुछ किया जाना चाहिए। एक विशेष समय में कुछ नही किया जा सकता इसलिये इसे निरन्तर करते रहना चाहिए।

**श्री इब्राहिम सुलेमान सेट** : जो कुछ कहा गया है वह राष्ट्रीय एकता परिषद के निर्णय में परस्पर विरोधी हैं। दंगों के लिए उस अधिकारी और पुलिस कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और तत्काल स्थानान्तरित या निलम्बित कर दिया जाना चाहिए।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यह सब ठीक है। किसी व्यक्ति के स्थानांतरण से वास्तव में किसी समस्या का समाधान नहीं होता। यदि इस बात का पता चल जाये कि अमुक व्यक्ति अकुशल है तो उसका तत्काल स्थानांतरण किया जा सकता है। मैं उन मामलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि एक बहुत अच्छे अधिकारी के होते हुए भी, कोई भी बात हो सकती है। हमारे अच्छे इरादों और हमारे द्वारा की गई अच्छी नियुक्तियों के बावजूद भी किसी दुर्घटना की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

**श्री एम० एम० लारेंस** : इस संदेह को दूर करने के लिए राज्य सरकार आसूचना सेवा के समान केन्द्रीय सरकार के अधीन समूचे भारत में प्रत्येक राज्य में आसूचना सेवा कार्य कर रही है। क्या इस दुर्घटना के बारे में उस स्रोत के जरिये केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी सूचना इकट्ठी नहीं की जा सकती थी ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि किसी राज्य में केन्द्रीय सरकार की आसूचना व्यवस्था प्रत्येक स्थान पर इतनी बखूबी से फैली हुई है कि हम उससे सभी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि राज्य सरकार प्राप्त करती है ? क्या यह सम्भव है। हमारा भी आसूचना विभाग है लेकिन उसकी भी कुछ सीमायें हैं। जो राज्य सरकार को सूचना प्राप्त हो सकती है वह सभी हमें एकदम नहीं प्राप्त हो सकती। तथा उन्हें हर हालत में सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करना होता है। उन्हें मिल जुलकर कार्य करना होता है। कुछ

ऐसे गोपनीय क्षेत्र होते हैं जिनके बारे में कि वहां क्या हो रहा है, आपको पूरी सूचना दी भी जा सकती है और नहीं भी। हो सकता है आपको समय से सूचना न मिले। आपको सूचना विलम्ब से मिले। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन सभी सुझावों पर कार्यवाही की जा रही है। और हमें विश्वास है कि यदि हम मिलकर चलते हैं तो इसमें उल्लेखनीय सुधार होगा।

**श्री इब्राहिम सुलेमान सेट** : घटना 17 मई को घटी थी और सूचना 9 तारीख को दी गई। इस सूचना पर क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यदि आप किसी विशेष दंगे का उल्लेख कर रहे हैं तो मैं उन तथ्यों को जो मेरे पास हैं, प्रकट कर सकता हूं। लेकिन इस वाद-विवाद का अभिप्राय आपको सारा ब्यौरा देना नहीं है अपितु यह देखना है भविष्य में क्या कार्यवाही की जायेगी और मैं सभा बताना चाहता हूं अभी तक क्या किया गया है और क्या किया जाना है। साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए व्यक्तियों के सगे संबंधियों को सरकारी नौकरी देना – सरकारी कर्मचारियों के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके सगे सम्बन्धियों को नौकरी देने की नीति के सम्बन्ध में एक योजना की जांच-पड़ताल के लिए राज्य सरकारों को अपनी टिप्पणी देने को कहा गया है। जिस प्रकार इसका वर्णन किया गया है यह उसी के अनुरूप है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वह यह देखे कि दंगों के मामलों में भी ऐसी ही नीति को अपनाया गया है।

पुलिस कांस्टेबलों के लिए शिक्षा-संबंधी अर्हता का पुनरीक्षण—पुलिस कर्मचारियों का उनकी भर्ती के समय अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के प्रश्न को राज्य सरकारों के साथ दृढ़ रूप में लिया गया है। जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है मुझसे पूछा गया है कि हमने अभी तक क्या कुछ किया है। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि 1981-82 में शांति बनाये रखने के लिए 3 विशेष बटालियनों का गठन किया गया था। इन बटालियनों ने अप्रैल-मई, 1982 में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इन शांति बटालियनों की सामान्य संख्या जो कि 1148 है, के साथ-साथ 1396 हैं। इसमें विशेष तत्व जैसे पथ प्रदर्शन का कार्य करने वाले, चिकित्सा और अग्निशमन कर्मचारी शामिल हैं जिनकी संख्या 248 है। विशेष शांति बनाये रखने वाले बटालियनों की भर्ती करते समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से कहा गया था कि अल्प समुदाय के व्यापक समूह को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाये। उनसे कहा गया था कि ऐसे केन्द्रों से भी भर्ती की जानी चाहिए जो अल्प समुदाय प्रधान इलाके हों। अप्रैल 1983, में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए 5 अतिरिक्त बटालियनों की मंजूरी दी गई है जिसमें से 3 विशेष शांति बनाये रखने वाली बटालियनें हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है इन तीन विशेष शांति बनाये रखने वाली बटालियनों के संबंध में भी इसी प्रकार के अनुदेश जारी किये गये हैं।

**श्री ए० नील्लोदिल्लदसन नाडार** : शांति बनाये रखने वाली बटालियनों में अल्पसंख्यकों और हरिजनों की प्रतिशतता क्या है ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : पहले आप उन्हें अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए ।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों के मामले में निर्धारित प्रतिशतता उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है । यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की भांति नहीं है।

**श्री इब्राहिम सुलेमान सेट** : भर्ती में क्या प्रतिशतता दी गई है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : परन्तु यह भी वही प्रश्न है । एक तरफ तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों और दूसरी तरफ अन्य वर्गों जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, भिन्नता है । लेकिन जो कुछ भी निश्चित किया गया है उसके बारे में मैं सीधे सही आंकड़े बताने में असमर्थ हूंगा । लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि जब अनुदेश दिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनको पूरा किया जाए । जब हम साथ-साथ चलेंगे तो मैं सभा को बताऊंगा । मैं सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, मैं सदस्यों को विश्वास में लूंगा । राज्य सरकारों की ओर से मेरे लिए आश्वासन देना कठिन है लेकिन मैं निश्चित रूप से आश्वासन दे सकता हूं कि इसको ध्यान में रखा जाएगा और हम राज्य सरकारों को इसके लिए राजी करेंगे तथा इस कार्य पर दृष्टि रखेंगे ।

**श्री जी० एम० वनातवाला** : श्रीमान जी, कोई वास्तविक सूचना नहीं मिल रही है । यह एक अस्पष्ट उत्तर है । आपने कुछ बटालियनों का निर्माण किया है । आपने जिन बटालियनों का गठन किया है, यह उन बटालियों के बारे में प्रश्न है । इनमें से कितनी बटालियनें अल्पसंख्यकों में से बनाई गई हैं ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैं यह सूचना आपको भेज दूंगा । इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं हैं । इस समय इस बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

**एक माननीय सदस्य** : यह एक कूटनीतिक उत्तर है ।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : इसमें कोई कूटनीति निहित नहीं है । यदि आप चाहें तो आप सब सदस्यों को लिखकर भेज सकता हूं । मेरे लिए इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है । मैंने आपको आंकड़े दिये है इसीलिए यह ऐसा हुआ है । लेकिन यदि आप निश्चित आंकड़े जानना चाहते हैं तो वे भी आपको सुगमता से उपलब्ध कराये जा सकते हैं । कुटनीतिक उत्तरों को देने में मेरी कोई रुचि नहीं है। साम्प्रदायिक और जाति समन्वय समिति की तीन बैठकें हुई हैं । प्रश्नों में से

एक प्रश्न यह भी उठाया गया था। समिति का विचार था कि जाति संघर्षों को भी इसमें शामिल करने के लिए इसके क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। इनका विस्तार किया गया है। राज्य और जिला स्तरों पर राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किया जाना चाहिए। उठाये गये प्रश्नों में से यह एक विशेष प्रश्न था। सभी राज्य सरकारों और केन्द्र प्रशासित राज्यों को गृहमंत्री द्वारा सम्बोधित किया गया था। उनसे राज्य और जिला स्तरों पर एकता समितियों के गठन के लिए अनुरोध किया गया था।

अनेक राज्य सरकारों ने इस प्रकार की समितियों का गठन किया है। श्री बनातवाला यह न कहें कि यह एक अस्पष्ट उत्तर है, इसलिए मैं इनका ब्यौरा दूंगा। मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता। बिहार, आसाम, हरियाणा और मध्य प्रदेश प्रदेश के मुख्यमन्त्रियों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में राष्ट्रीय एकता समितियों का गठन किया गया है। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य मन्त्रियों। उपराज्यपाल ने सूचित किया है कि इन समितियों का दुबारा गठन करने के लिए वे अनुदेश जारी कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से उनके यहां ऐसी समितियां हैं। इस प्रकार वे इन समितियों का पुनर्गठन करके उनको प्रतिशील बना देंगे। मिजोरम राज्य में भी क्रमशः राज्य स्तर पर और ताल्लुका स्तरों पर इस प्रकार की समितियों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश, और मेघालय राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि वे मामले की छानबीन कर रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमन्त्री ने सूचित किया है कि जब त्रिपुरा में राज्यस्तर पर समिति लाभदायक सिद्ध हो सकती है तब तक जिला स्तर पर समितियों के गठन की आवश्यकता नहीं है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा जम्मू और कश्मीर के मुख्यमन्त्रियों ने सूचित किया है कि इस प्रकार की समितियों के गठन से किसी वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी क्योंकि वे इन राज्यों में जातीय समन्वय समितियों को बनाये रखने में सफल हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है राज्य स्तर पर राष्ट्रीय एकता समितियों का गठन किया गया है लेकिन वे जिला स्तर पर किसी पृथक समिति के गठन की आवश्यकता को महसूस नहीं करते क्योंकि जिला स्तर पर वहां पहले ही एक सरकारी समिति विद्यमान है जिसके कलक्टर चेयरमैन है और यह समिति सामान्य कानून और व्यवस्था की समीक्षा करती है। वहां पर विशेष स्थिति का सामना करने के लिए, जातीय समन्वय बनाये रखने के लिए विशेष शांति समितियां हैं। महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि राज्य स्तर की समितियों का पुनर्गठन किया गया है तथा जिला और ताल्लुका स्तरों पर इन समितियों के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है। केरल में राज्य और जिला स्तरों पर राष्ट्रीय एकता समितियों का गठन किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि···

**श्री ए० नीललोहितदसन नाडार** : हम संसद सदस्यों को इन समितियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।

**श्री एम० एम० लारेंस** : यह गोपनीय समिति हो सकती है।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैं नहीं कह सकता कि इन समितियों का गठन आपकी जान-

कारी में हुआ हो। मैंने केवल यह कहा है कि इनका गठन किया गया है। यदि आप यह जानने में रुचि नहीं रखते हैं कि आपके राज्य में क्या हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं ? श्रीमान जी इससे यह स्पष्ट है कि इस कार्य के संबंध में स्थिति एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। इन्हीं वातों के साथ मैंने शुरूआत की थी। अतः केन्द्र सरकार राज्य सरकार को इस बात के लिए राजी करने के वास्ते अपने प्रयासों में दृढ़ बनी रह सकती है कि राज्य सरकार इन सभी सुझावों को जो केन्द्रीय स्तर पर दिये गये हैं, को लागू करें।

**श्री इब्राहिम सुलेमान सेट** : जब बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक संघर्ष होते हैं तो वास्तव में यह एक सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। जब राज्य सरकार असफल हो जाती है तो हम सेना भेजते हैं। क्या यह केन्द्र का दायित्व नहीं हो जाता ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मुझे वास्तव में इसकी जानकारी नहीं। मैं ज्यादा बारीकी में नहीं जाना चाहूंगा। यदि आप चाहें तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच कर सकते हैं और मैं आपसे विचार-विमर्श कर सकता हूं लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इसी सभा में इन्हीं सदस्यों द्वारा मेरे राज्य के दौरे के बारे में आपत्ति उठाई जा रही है। आप मुझे औजार दीजिए तभी में कार्य करूंगा। मेरे पास औजार नहीं है, इसका तात्पर्य है कि यह मेरी सीमा में नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा। वस्तुतः हम अनेक मामलों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं जिन पर क्षेत्राधिकार की कल्पना की जा सकती है जो कि वास्तव में उपलब्ध नहीं है। यह विचार करना ठीक है कि संसद अधिकारों के लिए प्रभुसत्तासम्पन्न है। इसीलिए हम इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। लेकिन जब यह कार्यपालिका की क्रिया के लिए आता है तो···

**श्री माननीय सदस्य** : सेना को बुला लिया जाता है।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : सेना किसके द्वारा बुलाई जाती है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल राज्य सरकार द्वारा बुलाया जाता है। हम राज्य सरकार के कहे बिना एक भी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का जवान नहीं भेज सकते हैं। अतः राज्य सरकार अपने आप निर्णय लेती है कि क्या वह उपलब्ध सेना से स्थिति का सामना करने में समर्थ है या नहीं।

**श्री ए० नीललोहितदसन नाडार** : 1967 में केरल में ऐस ही किया गया था।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : इस प्रकार यह घटित होता है। हम सेना या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को पहले नहीं भेज सकते हैं क्योंकि हम स्वयं ही उनको भेजना चाहते है। बाद-विवाद के अनेक मुद्दों में से इस मुद्दे पर, कि क्या हम सेना को वहां भेज सकते है, विचार-विमर्श कर रहे हैं।

तत्पश्चात इन मामलों की छानबीन के लिए इन राज्यों में मार्च दलों के गठन में संबंध के प्रश्न उठाया गया था। मैं यह स्वीकार करूंगा कि जहां भी इन कार्य दलों की स्थापना की गई है---जहां तक मुझे मालूम है ये कार्यदल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में गठित किये गये हैं और ये अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं लेकिन मेरे पास केवल दो प्रतिवेदन हैं --इन कार्यदलों के प्रतिवेदन उपलब्ध हैं और मैंने इन प्रतिवेदनों का अध्ययन किया है। इसमें कोई चमत्कारिक बात नहीं है क्योंकि इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए उन्होंने एक लम्बी कठिन प्रणाली को सुझाया है। रातों रात कुछ नहीं किया जा सकता। इन सुझावों के कार्यान्वियन में कुछ समय लकेगा। अतः मैं इन सुझावों को बढ़ कर सभा का समय नहीं लेना चाहूंगा। यदि कोई माननीय सदस्य चाहें तो मैं इन सुझावों की प्रतियां उनको भेज सकता हूं और यदि सदस्य और सुझाव देना चाहें तो मुझे प्रसन्नता होगी। क्योंकि हम सभी इस विषय पर सहमत हैं। अतः इस बारे में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विशेष शांति बनाये रखने वाले बल जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम से पुकारा जाता है, के बारे में एक प्रश्न उठाया गया है। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि सरकार ने अभी हाल में एक विशेष बल के गठन का निश्चिय किया है जिसमें आतंतवादियों से कारगर ढंग से निपटने के लिए विशेष रूप से भर्ती की जायेगी और प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा यह बल उपयुक्त हथियारों से भी सुसज्जित होगा। सरकार ने मुख्यालयों के लिए प्रस्तावित बल को मंजूरी दे दी है जो महा निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करेगा जिसकी नियुक्ति हो चुकी है, (व्यवधान)। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। यह एक ऐसा बल है जो किसी एक राज्य या दो राज्यों के लिए आवश्यक नहीं है। यह एक विचार है जिसको स्वीकार किया गया है और जिसको केवल शुरू-शुरू में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसको अभी संगठित किया जा रहा है तथा इस बल के कार्यों का निश्चित स्वरूप होगा। इस बल के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को कड़े अनुशासन के अधीन रहना होगा! यह आशा की जाती है कि इस बल के सदस्यों को जिम्मेदारी से और निष्पक्षता की भावना से कार्य करना होगा। यह एक ऐसा बल है जिसका उपयोग आवश्यकता पडने पर किया जा सकता है जहां बिना किसी तरफदारी के केन्द्रीय बल की आवश्यकता पड़ती है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इसी विचार के आधार पर इस बल का गठन किया गया है। एक सदस्य द्वारा यह सूचना मांगी गई थी और इसीलिए मैं इसे अपनी स्वेच्छा से यह सूचना दे रहा हूं। श्री फैलीरो ने कतिपय कठोर और नरम विकल्पों के बारे में कहा है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं किसी राष्ट्र के इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब नरम विकल्प बचते ही नहीं हैं और हमें कठोर विकल्पों को हीं अपनाना पड़ता है। इस देश में साम्प्रदायिक परिस्थित में और कतिपय बलों के लेने या इस देश में अन्य देशों से आ रहे व्यक्तियों पर इसे लागू करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि यहां की स्थिति क्या है? मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को जो अन्य देशों से यहां आए हैं कठिनाई को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति के रूप में कोई नाम नहीं दे रहा हूं अपितु यह सर्वविदित है कि उनके से कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो वैध यात्रा दस्तावेजों पर यहां आये हुए हैं। इसके लिए एक और आयाम हैं। कुछ देशों के साथ हमारी सीमायें खुली हुई हैं। यह भी

ज्ञातव्य है कि इन खुली हुई सीमाओं से सभी प्रकार की घुसपैठ की जा रही है। नरम विकल्प क्या है ? नरम विकल्प यह है कि हम कुछ भी नहीं करते हैं और अच्छे परिणाम की आशा करते हैं। कठोर विकल्प क्या है ? कटोर विकल्प यह है कि इन सब बातों को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाये जाने चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर ध्यान दें। जब हम किसी विशेष समस्या की बात करते हैं, तो हम उस समस्या से इतने उलझ जाते हैं कि उस समस्या को दूर करने में अन्तर्निहित कठिनाइयों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। या उस समस्या का शत-प्रतिशत हल ढूंढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं।

यदि कुछ अन्य देशों से किसी समय विशेष में दस बीस हजार लोग यहां आते हैं और उनमें से केवल 200 या 500 लोगों की गतिविधियां हानिकर होती हैं तो हम क्या करें ? हम उन सभी दस या बीस हजार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते। यह आने वाले 200, 300 या 400 लोगों में से हमें ऐसे लोगों की छटनी करनी है। यह कोई आसान काम नहीं है। सम्भव है कि इस प्रक्रिया में कुछ कठिनाई पेश आये। यह भी एक कठोर विकल्प है। मैं इन कठोर विकल्पों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संसद को, संसद सदस्यों को और लोगों को तैयार रहना होगा। लोग यह शिकायत न करें कि कठिनाई हुई है। इस प्रक्रिया में यदि कुछ असुविधा होती है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं ? इस स्थिति का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। मैं ये कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूं।

उन लोगों की बात को जो कदर से नहीं आते, अपितु सही रहते हैं। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी ही तरह के अच्छे नागरिक होने का स्वांग भरते हैं। साम्प्रदायिक झगड़ों, हर प्रकार के झगड़ों में उनका अपना स्वार्थ होता है। यही लोग झगड़े की जड़ हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अलग करना सम्भव नहीं है। इनका पता लगाना भी आसान नहीं है। यहां भी कोई सुगम विकल्प नहीं है, कड़ी कार्यवाही करना आवश्यक है। क्या हम कोई कड़ी कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि कड़ी कार्यवाही करने का समय आ गया है और कड़ी कार्यवाही करने के समय हमें निश्चित रूप से साथ के सभी वर्गों, सभी वर्गों के लोगों की सहानुभूति और सहयोग की आवश्यकता होगी।

अटल जी ने साम्प्रदायिक दलों का प्रश्न उठाया है। यह भी कोई सुगम विकल्प नहीं है, कठोर विकल्प है। आप इसकी क्या परिभाषा देते हैं और जब कोई साम्प्रदायिक दल अपने आप को गैर-साम्प्रदायिक, धर्मनिर्पेक्ष कहता है तो क्या होता है। किसी साम्प्रदायिक और गैर साम्प्रदायिक दल के बीच क्या अन्तर है और यदि इसके साथ किसी अन्य नाम वाले लठैतों का समूह है तो आप उसका क्या करेंगे ? ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना है।

मैं जानता हूं कि इस सभा के समक्ष गैर-सरकारी विधेयक विचाराधीन पड़ा है। जब इस पर चर्चा शुरू की जाएगी, हमें इसके दोनों पक्षों पर विचार करना होगा। अत: उस समय हम इन प्रश्नों पर अधिक ध्यानपूर्वक विचार कर सकते हैं, पहले से अधिक ध्यानपूर्वक चर्चा कर सकते हैं। इस सीमा तक तो मैं सहमत हूं कि इस प्रश्न के सभी पहलुओं की जाँच की जानी है और मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब इन प्रश्नों पर विचार करने तथा उनके क्रियान्वयन का समय आएगा तो सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी।

महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में, मैं सदन को की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में अवश्य बताना चाऊँगा। राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा पुनर्गठित शिक्षा समिति की अभी तक तीन बैठकें हुई हैं। इस समति की सिफारिशों पर, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों से पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए कहा गया। जैसा कि मैंने कहा है, इस समिति द्वारा यह कार्य किया गया। एक अन्य अनुरोध समिति द्वारा अन्य मंत्रालयों से किया गया है। समिति ने अध्यापकों के लिए विषय सामग्री निर्धारित करने तथा उनके प्रशिक्षण, अतिरिक्त पुस्तकों तथा मानचित्रों की व्यवस्था करने, व्यापारिक तथा वृत चित्रों के प्रयोग, राष्ट्रीय तथा अन्तर्प्रान्तीय प्रदर्शनियों के आयोजन, खेल के मैदानों की सुविधाओं के विकास तथा विस्तार, बाल भवन तथा युवा ब्लाकों आदि की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। समिति की शिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है:— (1) समवेत गायन, (2) कैंपों, प्रदर्शनियों तथा सांस्कृतिक सभाओं आदि का आयोजन, (3) अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षण सामग्री का संकलन, (4) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के प्रकाशनों के कार्यक्रम (5) विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय एकता समितियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन।

अब मैं यह कहूंगा कि निश्चय ही यह नीरस तथा अप्रभावी कार्यक्रम हैं, परन्तु अन्त में अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए इन कार्यक्रमों को दृढ़तापूर्वक चालू रखना होगा। फिर यह एक दीर्घावधि कार्यक्रम है। आप एक रात में परिणाम नहीं देख सकते परन्तु किसी तरह से कुछ प्रारम्भ किया जाना है, और यह इस समिति द्वारा किया जा रहा है।

महोदय, मेरे विचार से मैंने सभी प्रश्नों पर विचार कर लिया है।

**श्री एम० एम० लारेंस** : महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह साम्प्रदायिक अशांति जंगल की आग की तरह है। क्या 13 वर्ष से चले आ रहे प्रदर्शन पर रोक को हटाना महाराष्ट्र राज्य सरकार के लिए उचित था ?

**श्री पी०वी० नरसिंह राव** : जैसा कि मैंने कहा है, मैं किसी घटना विशेष की बात नहीं कर रहा हूं।

**श्री एम० एम० लारेंस** : मैं जानता चाहता हूं कि क्या यह साम्प्रदायिक दंगा इस कारण हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदर्शन पर रोक के आदेश हटा दिए गए हैं ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : नहीं, उस वजह से नहीं है।

**श्री एम० एम० लारेंस** : यह मुख्य कारणों में से एक है।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मुझे खेद है। केवल यह वजह कि एक बात वहां कुछ वर्षों से नहीं रही है, उसे सदा के लिए बंद करने के लिए काफी नहीं है। आखिरकार हमारा एक ऐसा देश है जिसमें एक समय पर काफी जलूस आदि निकलते रहते हैं। यहां ईद के साथ-साथ दशहरे और अन्य कई तरह के भी जलूस आदि निकलते हैं। तथ्य कुछ भी हो, बात यह है कि हम किसी राज्य सरकार पर किसी खास जलूस को सदा के लिए रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यदि उन्होंने इस बात का ध्यान न रखा हो कि जलूस ठीक प्रकार से निकले वह एक अलग बात है परंतु इस प्रकार सदा के लिए किसी जलूस पर न तो रोक लगाई जा सकती है और न ही लगाई जानी चाहिए। अब यह ब्यौरा देखना होगा कि उस जलूस के संबंध में क्या हुआ, क्या सभी प्रकार से सावधानी बरती गई थी और तब भी अशांति हुई अथवा सावधानी रखने में ही कोई कमी रह गई थी। अतः यह एक अलग बात है।

**श्री उत्तम राठौर** : महोदय, कट्टरवादिता के बारे में बताएं।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : अब वास्तव में सामान्य धर्म और कट्टरबादिता में भेद नहीं किया जा सकता। जो जरा ज्यादा कट्टर हो जाता है उसको फण्डामेन्टालिस्ट कहते हैं जब इसमें शिथिलता नहीं रहती—जब कोई यह सोचने लगे कि उसका धर्म विश्व में सबसे अच्छा है वहां तो ठीक हैं, मैं उससे सहमत हूं लेकिन जब वह यह समझने लगे कि दूसरे धर्म बुरे हैं तो शायद कट्टर-वादिता आ जाती है।

मैं इसे ज्यादा सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं वास्तव में नहीं जानता हूं कि रूढ़िवादी की परिभाषा क्या है लेकिन यह सच है कि रूढ़िवादी जो कहीं से भी चला आ रहा है, युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : क्यों ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैं एक अनुमान लगाना चाहता हूं। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है कि समाज ने युवा पीढ़ी को समान रूप से जागृत करने के लिए कुछ नहीं किया है। अतः वे कोई साहसिक कार्य करने की खोज में रहते हैं। वे कोई उत्तेजक कार्य करना चाहते हैं।

और संभवतः रूढ़िवाद उनकी इस प्रकार की उत्तेजना उपलब्ध कराता है। मैं केवल एक अनुमान लगा रहा हूं लेकिन मैं इस बारे में कोई सिद्धांतवादी नहीं हूं। ऐसा क्यों हो रहा है हमें इसकी विस्तृत रूप से जांच करनी होगी।

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न कारण हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि जिन क्षेत्रों में रूढ़िवाद नहीं है, वहां अतिवाद भी है। हो सकता है कि वह उस क्षेत्र में नवयुवकों को प्रभावित कर रहा हो। इस देश में रूढ़िवाद कोई आम घटना नहीं है। कुछ क्षेत्रों में धर्म-सम्बन्धी रूढ़िवाद अपना सिर उठा रहा है। कुछ क्षेत्रों में भिन्न प्रकार का रूढ़िवाद सिद्धांत के नाम पर, त्याग के नाम पर और किसी कर्तव्य के नाम पर किसी क्षेत्र या किसी कल्पना से उनको इशारा करके बुला रहा है। इसमें भी काफी वृद्धि हो रही है, अतः यह बिलकुल सम्भव है कि नवयुवकों के विचार उचित उत्प्रेरणा से प्रेरित नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप अनुचित उत्प्रेरणा उनके अंदर घर कर रही है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यह एक ऐसी बात है जिसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि मैं इस बारे में सिद्धांतवादी नहीं बनूंगा।

**श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : सरकार शिवसेना के अध्यक्ष के उत्तेजक भाषणों और लेखों पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैं पुनः इस विशेष घटना का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं इसका अध्ययन करने को तैयार हूं और महाराष्ट्र सरकार का इस बारे में क्या बयान है। मैं इसे पढ़ने को तैयार हूं। यह मेरे पास उपलब्ध है। संभवतः सेट साहिब यह जानते हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि मैंने इस विषय में इस बात की जांच नहीं की है कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं नहीं कर सकता। मैं केवल पढ़ कर सुना सकता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने प्रतिवेदन में क्या भेजा है मेरे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि वे मुझे ऐसी बात बता रहे हैं जो सच नहीं है। परन्तु इसमें भी मतैक्य नहीं हैं। यदि सदस्य यह समझते हैं कि राज्य सरकार जो कुछ कह रही है वह सही नहीं है, तो मेरे पास उनकी बातें सुनने के अलावा कुछ नहीं है।

मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि राज्य सरकार के प्रतिवेदन पर पुनः निर्णय देना मेरे लिए बहुत कठिन है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा कल 11.00 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

9·53 **म० प०**

**तत्पश्चात लोक सभा बृहस्पतिवार 9 अगस्त 1984 18 श्रावण, 1906 (शक) के 11·00 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।**

दी स्टील स्लेट मैन्यू० कं० (प्रैस विभाग) दिल्ली